


वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2022 - 23



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 31 मार्च 2023 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. स.वि.बो.क. S147/02.16.001/2023-24

29 मई 2023
8 ज्येष्ठ 1945 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

शक्तिकान्त दास

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

शक्तिकान्त दास

उप गवर्नर

महेश कुमार जैन

माइकल देबब्रत पात्र

एम. राजेश्वर राव

टी. रबी शंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)
(बी) के अंतर्गत नामित निदेशक

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)
(सी) के अंतर्गत नामित निदेशक

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

आनंद गोपाल महिंद्रा

वेणु श्रीनिवासन

पंकज रमणभाई पटेल

रवीन्द्र एच. धोलकिया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1)
(डी) के अंतर्गत नामित निदेशक

अजय सेठ

विवेक जोशी

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

दक्षिणी क्षेत्र

(26 मई 2023 की स्थिति)

प्रमुख अधिकारी

(26 मई 2023 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	एस. सी. मुर्मू ओ. पी. मल्ल सौरभ सिन्हा विवेक दीप जयंत कुमार दाश आर. सुब्रमणियन रोहित जैन आर. एस. रथ जोस. जे. कट्टर अजय कुमार अजय के. चौधरी दीपक कुमार राजीव रंजन सितिकठ पट्टनायक नीरज निगम सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
केंद्रीय कार्यालय	
केन्द्रीय सतर्कता कक्ष	साधना वर्मा, मुख्य महा प्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	अनुपम सोनल, मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	रंजनी प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग	आर. लक्ष्मी कान्त राव, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग	ए. के. चौधरी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	योगेश के. दयाल, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	सुमन रे, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	डी. पी. रथ, प्रधान परामर्शदाता
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	चारुलता एस. कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अरुण कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भूगतान और निपटान प्रणाली विभाग	पी. वासुदेवन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ए. आर. जोशी, प्रधान परामर्शदाता
प्रवर्तन विभाग	एच. एन. अय्यर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	सोनाली सेन गुप्ता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	सेशसाई जी. मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग	शुभेंद्र पति, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	अंजय कुमार मिश्रा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई	काया त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	सुब्रत दास, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	जी. पी. बोरा, प्रधान मुख्य महा प्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	राकेश त्रिपाठी, मुख्य महा प्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग	महुआ राय, प्रभारी परामर्शदाता
विधि विभाग	उन्नीकृष्णन ए., प्रधान विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	मुनीश कपूर, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	मौला सिन्हा, प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक
राजभाषा विभाग	साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	मनोरंजन दाश, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	अविरल जैन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
महाविद्यालय	प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	वी. जी. सेकर
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	के. बाबूजी
कार्यालय	क्षेत्रीय निदेशक
चेन्नै	एस. एम. नरसिम्हा स्वामी
कोलकाता	आर. केशवन
मुंबई	अजय मिचयारी
नई दिल्ली	विवेक अग्रवाल
शाखाएं	
अहमदाबाद	राजेश कुमार
आंध्र प्रदेश	ए. ओ. बशीर
बंगलुरु	आर. गुरुमूर्ति
भुवनेश्वर	एच. एन. पंडा
चंडीगढ़	विवेक श्रीवास्तव
देहरादून	लता विश्वनाथ
गंगटोकी	किशोर परियार
गुवाहाटी	संजीव सिंघा
हैदराबाद	के. निखिला
जयपुर	रोहित पी. दास
जम्मू	के. पी. पटनायक
कानपुर	ईशान शुक्ल
लखनऊ	बालू के. चप्पा
नागपुर	संगीता लालवानी
पणजी	रिम्मता चंद्रमणि
पटना	संजीव दयाल
रायपुर	रीनी अजित
शिमला	आर. एस. अमर
तिरुवनंतपुरम	थोमस मैथ्यू
अगरतला	प्रभारी अधिकारी
आइजोल	सतवत सिंह सहोता, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर	पी. शिमराह महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भोपाल	जयकिश मुख्य महाप्रबंधक
इंफाल	हेमन्त कुमार सोनी, प्रभारी महाप्रबंधक
कोच्चि	थोटिंगम जमंग, मुख्य महाप्रबंधक
कोहिमा	टी. वेकटेश्वर राव, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
इटानगर	परेश जी. चौहान, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रांची	अभिजीत मजुमदार, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग	संजीव सिन्हा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर	ओल्देन नोंगप्लुह, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
	आर. एस. राठौड़, प्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था-समीक्षा और संभावनाएं	1
I. मूल्यांकन और संभावनाएं	1
2022-23 के अनुभव का मूल्यांकन	2
2023-24 के लिए संभावनाएं	8
II. अर्थिक समीक्षा	13
वास्तविक अर्थव्यवस्था	14
कीमतों की स्थिति	32
मुद्रा एवं ऋण	46
वित्तीय बाजार	59
सरकारी वित्त	69
बाह्य क्षेत्र	75
भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन	94
III. मौद्रिक नीति परिचालन	94
मौद्रिक नीति	95
परिचालनगत ढांचा : चलनिधि प्रबंधन	99
मौद्रिक नीति संचरण	103
क्षेत्रवार उधार की दरें	105
IV. ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन	108
ऋण वितरण	109
वित्तीय समावेशन	111
वित्तीय साक्षरता	112
V. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन	114
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)	114
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)	118
विदेशी मुद्रा विभाग (एफडीडी)	120
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	127
वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)	128
विनियमन विभाग (डीओआर)	129
फिनटेक विभाग	146

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)	150
प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)	163
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)	164
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	168
VII. लोक ऋण प्रबंधन.....	171
केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	175
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन.....	178
VIII. मुद्रा प्रबंध.....	181
संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम	181
मुद्रा प्रबंध आधार-संरचना	183
प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय.....	185
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	187
IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी	189
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	189
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)	199
X. संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी	206
संचार प्रक्रिया	207
अंतरराष्ट्रीय संबंध.....	211
सरकारी और बैंक लेखा	217
विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन	220
आर्थिक और नीति अनुसंधान	221
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध	223
विधिक मुद्दे	226
XI. अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	228
अभिशासन ढांचा	229
मानव संसाधन विकास के प्रयास	231
उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	236

	पृष्ठ संख्या
आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण	238
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन.....	241
राजभाषा	243
परिसर विभाग.....	245
अनुबंध	249
XII. वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा	253
31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	256
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय विवरण.....	257
अनुसूचियां जो तुलन पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं	258
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण.....	261
लेखा संबंधी टिप्पणियां	266
अनुबंध I : प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023.....	282
अनुबंध II : कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं	
का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023	299
परिशिष्ट सारणियां	300

बॉक्स

II.2.1 : महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र में सुधार.....	17
II.2.2 : निजी निवेश चक्र में बदलाव लाने में ऋण की भूमिका.....	18
II.3.1 : मौद्रिक नीति और अवस्फीति.....	35
II.3.2 : भारत में मुद्रास्फीति संबंधी हाल की स्थिति- मांग की भूमिका की तुलना में आपूर्ति की भूमिका.....	37
II.4.1 : भारत में मुद्रा मांग विरोधाभास.....	49
II.5.1 : वित्तीय बाजारों में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम के चालक.....	63
II.7.1 : प्रतिकूल वैश्विक माहौल में भारत का निर्यात.....	80
II.7.2 : पूंजी प्रवाह की ब्याज दर संवेदनशीलता – भारतीय अनुभव.....	89
III.1 : आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताएं और मौद्रिक नीति.....	96
III.2 : बाजार प्रतिभागियों की नीति संबंधी प्रत्याशाओं की समझ.....	98
IV.1 : वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): की गई प्रगति और आगे की राह.....	113
V.1 : अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म.....	115
V.2 : आईएनआर अस्थिरता को रोकने में रिज़र्व बैंक के उपायों की प्रभावशीलता.....	119
V.3 : एक नई विदेशी निवेश (ओआई) व्यवस्था का परिचालन.....	124
VI.1 : दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण.....	130
VI.2 : किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के डिजिटलीकरण पर प्रायोगिक परियोजना.....	148
VI.3 : बैंकों द्वारा पुनर्गठन के बाद आस्ति गुणवत्ता.....	152
VI.4 : पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी /एएमएल जोखिमों का केंद्रित पर्यवेक्षण.....	159
VI.5 : दक्ष - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली.....	161
VI.6 : अप्रत्यक्ष निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ.....	162
VI.7 : राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम.....	166
VI.8 : प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांतों के साथ डीआईसीजीसी का अनुपालन.....	169
VII.1 : भारत के सॉवरेन हरित बॉण्ड.....	174
VIII.1 : क्यूआर कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर पायलट प्रोजेक्ट.....	187
IX.1 : भुगतान विज्ञान 2025.....	190
IX.2 : दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज़ कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान.....	199

	पृष्ठ संख्या
IX.3 : सरल भुगतान और निपटान प्रणाली (एलपीएसएस)	200
X.1 : केंद्रीय बैंक संचार में सोशल मीडिया का उपयोग	209
X.2 : जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2023 के तहत वित्त ट्रैक (एफटी) प्राथमिकताएं	214
X.3 : करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए पहल	219
X.4 : मूल सांख्यिकीय विवरणी @ 50 वर्ष	225
XI.1 : कर्मचारी सहायता कार्यक्रम	232
XI.2 : जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना	237
XI.3 : आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई)	240
XI.4 : उत्कर्ष 2.0 : रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि कार्यनीति फ्रेमवर्क	243
परिशिष्ट सारणी	
1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	300
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)	302
3. सकल बचत	303
4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण	304
5. पूंजी बाजार-प्राथमिक एवं द्वितीयक	305
6. मुख्य राजकोषीय संकेतक	306
7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	307
8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन	308
9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	309

एसीयू	- एशियाई समाशोधन संघ	एटीबी	- नीलामी खजाना बिल
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन
एडीएफ	- आस्ति विकास निधि	एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां
एडी कैट -I	- अधिकृत व्यापारी श्रेणी- I	बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई
एडीईपीटी	- स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना	बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली
आई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	बीसी	- बैंकिंग पूंजी
आईपीएस	- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली	बीसी	- कारोबार प्रतिनिधि
एटीएफसी	- संहिताओं पर सलाहकारी कार्य दल	बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
एजीआर	- वैकल्पिक शिकायत निवारण	बीसी-आईसीटी	- व्यापार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई	- कृत्रिम मेधा	बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
आईडी	- सर्व-समावेशी दिशानिर्देश	बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना
आईडीसी	- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास उपकर	बीडी	- बैंकिंग विभाग
आईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	बीई	- बजट अनुमान
एमएल	- धन-शोधन निवारण	बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
एमएल -सीएफटी	- धन-शोधन निवारण – आतंकवाद के वित्तपोषण का निवारण	बीएफएसआई	- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
एनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	बीआई	- बैंक ऑफ इंडोनेशिया
एपी	- प्राधिकृत व्यक्ति	बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एपीबीएस	- आधार भुगतान सेतु प्रणाली	बीएनपीएल	- अभी खरीदें बाद में भुगतान करें
एपीआई	- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस	बीआई	- बैंक ऑफ इंग्लैंड
एपीआरए	- ऑस्ट्रेलियाई विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण	बीओजे	- बैंक ऑफ जापान
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	बीओपी	- भुगतान संतुलन
एआरआईआईआर	- विनियम व्यवस्था और विनियम प्रतिबंध पर वार्षिक रिपोर्ट	बीपीएम	- व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	बीपीएस	- आधार अंक
एसएजी	- उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषिकी समूह	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एसईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ	बीक्यूआर	- भारत त्वरित प्रतिक्रिया
		बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
		ब्रिक्स	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

बीएसबीडीए	- मूल बचत बैंक जमा खाता	सीईओबीई	- तुलनपत्रेतर बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
बी-एससी	- भवन उप-समिति	सीईपीडी	- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
बीएसई	- बॉम्बे शेयर बाजार	सीईआरटी-इन	- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - भारत
बीएसआर	- मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी	सीईआरएसएआई	- भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री
सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा	सीईटी-1	- कॉमन इक्विटी टियर-1
सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय	सीएफ	- आकस्मिकता निधि
सीएडी	- चालू खाता घाटा	सीएफएल	- वित्तीय साक्षरता केंद्र
कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र	सीएफआर	- केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री
सीएजीआर	- चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर	सीजीए	- महालेखा नियंत्रक
सीएमएस	- मामला प्रबंधन प्रणाली	सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति
सीबीडीसी	- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा	सीजीआरए	- मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता
सीबीडीटी	- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सीआईबीआईएल	- भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड
सीबीआईसी	- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क	सीआईसी	- संचलन में मुद्रा
सीबीपी	- क्षमता निर्माण कार्यक्रम	सीआईसीआईआरओ	- अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान केंद्र
सीबीएसई	- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सीआईआई	- महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर
सीबीएसएल	- सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका	सीआईआईई	- सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
सीसी	- नकदी ऋण	सीआईएमएस	- केन्द्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति	सीआईएसबीआई	- बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रणाली
सीसीबी	- केंद्रीय सहकारी बैंक	सीआईएससीई	- काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन
सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	सीआईएसओ	- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीसीआईआर	- व्यापक ऋण सूचना भंडार	सीकेवाईसीआर	- केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री
सीसीओ	- मुख्य अनुपालन अधिकारी	सीएलएस	- निरंतर जुड़ा हुआ निपटान
सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्ष	सीएमबी	- नकद प्रबंधन बिल
सीसीएस	- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण	सीएमआईई	- भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीडीईएस	- मुद्रा वितरण और विनिमय योजना		
सीडी	- जमा प्रमाणपत्र		
सीडीबीएमएस	- केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली		
सीईओ	- मुख्य कार्यपालक अधिकारी		

सीएमएस	- शिकायत प्रबंधन प्रणाली	सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीओडी	- केंद्रीय कार्यालय विभाग	सीएसएए	- स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीओएफ	- कार्ड-ऑन-फाइल	सीएसबीडी	- कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीओएफटी	- कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
सीओपीआई	- उपभोक्ता संरक्षण सूचकांक	सीएसआई	- वर्तमान स्थिति सूचकांक
सीओआर	- पंजीकरण प्रमाणपत्र	सीएसआईआई	- कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक
सीओएस	- कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स	सीएसएस	- केंद्र प्रायोजित योजना
सीपी	- उपभोक्ता पिरामिड	सीटीएस	- चेक ट्रंक्शन प्रणाली
सीपीआईएफआईआर	- केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री	सीयू	- क्षमता उपयोग
सीपीएचएस	- उपभोक्ता पिरामिड व्यय सर्वेक्षण	सीयूबी	- सीमित उपयोगकर्ता समूह
सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	सीडब्ल्यूपी	- जनता के पास मुद्रा
सीपीआई-एएल	- कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीबीआईई	- भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस
सीपीआई-आईडब्ल्यू	- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
सीपीआई-आरएल	- ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीबीयू	- डिजिटल बैंकिंग यूनिट
सीपीएमआई-आईओएससीओ	- भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति – अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र	डीडी	- डिमांड ड्राफ्ट
सीपीएस	- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली	डीईए	- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता
सीपीएसई	- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	डीईएएफ	- जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि
सीपीडब्ल्यूडी	- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
सीआरए	- आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था	डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
सीआरई-आरएच	- वाणिज्यिक स्थावार संपदा – निवासीय आवास	डीएफआई	- विकास वित्त संस्थान
सीआरआईएलसी	- केंद्रीय वृहत ऋण सूचना भंडार	डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग
सीआरओ	- मुख्य जोखिम अधिकारी	डीजीएफटी	- विदेश व्यापार महानिदेशालय
सीआरपीसी	- केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र	डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	डीआईएफ	- निक्षेप बीमा निधि
		डीआईएस	- जमा बीमा प्रणाली
		डीआईएससीओएम	- वितरण कंपनियां
		डीआईटी	- सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग

डीएलपी	- डिजिटल ऋणदाता भागीदार	ईएमडीई	- उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
डीओसी	- संचार विभाग		
डीओआर	- विनियमन विभाग	ईएमई	- उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
डीओएस	- पर्यवेक्षण विभाग	ईओआई	- अभिरुचि प्रस्ताव
डीपीपीएफ	- डिजिटल भुगतान सुरक्षा निधि	ईओएल	- पत्र का आदान-प्रदान
डीपीआई	- डिजिटल भुगतान सूचकांक	ईपीएफओ	- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
डीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	ईआर एंड डी	- इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजाइन
डीआर	- आपदा प्रबंधन	ईआरएम	- उद्यम वार जोखिम प्रबंधन
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव
₹	- डिजिटल रुपया	ईटीपी	- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
ईएपी	- कर्मचारी सहायता कार्यक्रम	ईयू	- यूरोपीय संघ
ई-बीएएटी	- इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता एवं प्रशिक्षण	ईडबल्यूआई	- पूर्व चेतावनी संकेतक
ईबीआईटीडीए	- ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन पूर्व अर्जन	ईडब्ल्यूएस	- पूर्व चेतावनी संकेत
ईबीएलआर	- बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर	एफआई	- पहला अग्रिम अनुमान
ईबीआर	- तत्व-आधारित भंडार	एफएक्यू	- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफएआर	- सम्पूर्ण सुलभ मार्ग
ईसी/ईडीआई	- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतर विनिमय	एफएएलएलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्रापण सुविधा
ईसीएल	- अपेक्षित ऋण हानि	एफबीआईएल	- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड
ईसीएलजीएस	- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना	एफसी	- वित्तीय संगुट
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	एफसी	- वित्तीय आयोग
ईडीसी	- कार्यपालक निदेशकों की समिति	एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
ईडीडीपीई	- डिजिटल भुगतान पारितंत्र का विस्तार और सघनीकरण	एफसीबीडी	- वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि
ईएफडी	- प्रवर्तन विभाग	एफसीबी	- विदेशी केंद्रीय बैंक
ईएफआई	- बाह्य वित्तपोषित संस्थान	एफसीएनआर (बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता
ईजीआरसी	- उद्यम अभिशासन जोखिम और अनुपालन	एफसीएस -ओआईएस	- विदेशी मुद्रा एक दिवसीय निपटान सूचकांक स्वैप
ईकेपी	- एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल	एफसीवीए	- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता
ईएल	- अपेक्षित हानि	एफडीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
		एफई	- अंतिम अनुमान

एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफईआर	- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	एफएसडीसी-एससी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति
एफआई	- वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं	एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफआईसीएन	- भारतीय जाली मुद्रा नोट	एफएसयू	- वित्तीय स्थिरता इकाई
एफआईडीडी	- वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग	एफएसडबल्यूएम	- आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित
एफआईएफ	- वित्तीय समावेशन निधि	एफटीपी	- विदेश व्यापार नीति
एफआई-इंडेक्स	- वित्तीय समावेशन सूचकांक	एफडब्ल्यूजी	- संरचना कार्यकारी समूह
फिन टेक	- वित्तीय प्रौद्योगिकी	जी-20	- 20 देशों का समूह
एफआईपी	- वित्तीय सूचना प्रदाता	जी-24	- 24 देशों का समूह
एफआईयू	- वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता	जी-30	- 30 देशों का समूह
एफएलए	- विदेशी देयताएं और आस्तियां	जीबीपी	- हरित बॉण्ड सिद्धान्त
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	जीसीसी	- गल्फ सहयोग परिषद
एफएलडब्ल्यू	- वित्तीय साक्षरता सप्ताह	जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड
एफएमसीजी	- शीघ्र चल उपभोक्ता सामान	जीसीएफ	- सकल पूंजी निर्माण
एफएमसीबीजी	- वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर	जीसीएम	- अभिशासन और अनुपालन प्रबंधक
एफएमओडी	- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद
एफएमआर	- धोखाधड़ी निगरानी विवरणी	जीईएनसीओएस	- जेनरेशन कंपनियाँ
एफएमआरडी	- वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
एफएमआरएस	- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली	जीएफसीएफ	- सकल नियत पूंजी निर्माण
एफओएमसी	- फेडरल मुक्त बाजार समिति	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
फोरेक्स	- विदेशी मुद्रा	जीएफएसएन	- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा कवच
एफपीआई	- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	जीएफडबल्यूसी	- हरित वित्त कार्यकारी समिति
एफपीओ	- अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	जीआईएफ	- ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट
एफपीएस	- त्वरित भुगतान प्रणाली	गिफ्ट-सिटी	- गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी
एफआरबी	- अस्थायी दर बॉण्ड	जीएलपी	- सकल ऋण संविभाग
एफआरएम	- धोखाधड़ी जोखिम शमन	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एफआरआरआर	- नियत दर रिवर्स रेपो	जीएनपीए	- सकल अनर्जक आस्तियां
एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम		

जीओआई	- भारत सरकार	आईईआई	- मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं संबंधी एंकरिंग सूचकांक
जीपीएफआई	- वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी	आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना
जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि	आईएफएडब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य दल
जीआरआईएचए	- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग	आईएफसी	- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
जीएसडीपी	- सकल राज्य घरेलू उत्पाद	आईएफआर	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
जीएसटी	- माल और सेवा कर	आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
जीएसटीआर	- जीएसटी विवरणियाँ	आईएफएससीए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
जीएसटीएन	- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क	आईएफएससी	- भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियाँ	आईएफटीएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं
जीवीए	- योजित सकल मूल्य	आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
जीवीसी	- वैश्विक मूल्य शृंखला	आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
जीडब्ल्यू	- गीगावाट	आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान
एचएफसी	- आवास वित्त कंपनी	आईआईएफसी	- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
एचएफआई	- उच्च आवृत्ति संकेतक	आईआईबीएक्स	- इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति	आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग	आईएमडी	- भारत मौसम विज्ञान विभाग
एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंध-उप समिति	आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
एचएस	- सामंजस्यपूर्ण प्रणाली	आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	आईएमपीएस	- त्वरित भुगतान सेवा
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	आईएनबी	- इंटरनेट बैंकिंग
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ	इंड-एसएस	- भारतीय लेखा मानक
आईबीयू	- आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ	इन्फोनेट	- भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आईसीसीडब्ल्यू	- अंतः परिचालनीय कार्ड-रहित रोकड़ आहरण	आईएनआर	- भारतीय रुपया
आईसीईजीएटीई	- भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे	आईओ	- आंतरिक लोकपाल
आईसीएमए	- अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ		
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी		
आईडी	- अंतरराष्ट्रीय विभाग		
आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग		

आईओआरएस	- अंतर-परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स	केडब्ल्यूपी	- किलोवाट पीक
आईओएस	- औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण	केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
आईओटी	- इंटरनेट ऑफ थिंग्स	एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र के बैंक
आईपीएल	- इंडियन प्रीमियर लीग	एलएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एलबीएमए	- लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
आईआरए	- निवेश पुनर्मूल्यन खाते	एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
आईआरएसीपी	- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	एलईएफ	- वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क
आईआरए-एफएस	- निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां	एलईआई	- विधिक इकाई अभिज्ञापक
आईआरए-आरएस	- निवेश पुनर्मूल्यन लेखा- रुपया प्रतिभूतियां	एलई	- विधिक संस्थाएं
आईआरडी	- ब्याज दर व्युत्पन्नी	एलएफपीआर	- श्रम बल भागीदारी दर
आईआरडीआई	- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एलआईबीओआर	- लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
आईआरआईएस	- एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली	एलएमआई	- निम्न और मध्यम आय
आईआरआरएस	- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली	एलपीए	- दीर्घावधि औसत
आईआरएस	- ब्याज दर की अदला-बदली	एलपीजी	- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
आईएसओसी	- एकीकृत सुरक्षा परिचालन केंद्र	एलपीएस	- विलंब से भुगतान अधिभार
आईएसपीआई	- भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक	एलपीएसएस	- सरल भुगतान और निपटान प्रणाली
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एलआरएस	- उदारीकृत विप्रेषण योजना
आईटीबीएस	- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और व्यापार सेवाएं	एलएसएफ	- विलंब से जमा करने का शुल्क
आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति	एम ₃	- मुद्रा आपूर्ति
आईटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल	एमएफ	- चिकित्सा सहायता कोष
आईवीआरएस	- अंतर-सक्रिय स्वर-प्रतिक्रिया प्रणाली	एमएनआई	- मोबाइल एडेड नोट आईडेंटिफायर
आईडब्ल्यूजी	- आंतरिक कार्यदल	एमएस	- मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर
केएलईएमएस	- पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)	एमसीए	- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड	एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें
केएमपी	- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	एमसीवी	- मोबाइल सिक्का वाहन
केआरआई	- मुख्य जोखिम संकेतक	एमडी	- मास्टर निदेश
		एमई	- परस्पर मूल्यन
		एमएफआई	- सूक्ष्म वित्त संस्थान
		एमजीएनआरईजीए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
		एमआईबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
		एमआईएफओआर	- मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर

एमएमए	- मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी	एनसीईआरटी	- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एमएमआईएफओआर	- संशोधित एमआईएफओआर	एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एमआईएस	- प्रबंधन सूचना प्रणाली	एनसीजीटीसी	- राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड
एमएल	- मशीन लर्निंग	एनसीआईआईपीसी	- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षण केंद्र
एमएम	- मुद्रा गुणक	एनडीए	- निवल देशी आस्तियां
एमएनबीसी	- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां	एनडीसी	- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एमओएफ	- वित्त मंत्रालय	एनडीआई	- गैर-ऋण लिखत
एमओएसपीआई	- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं
एमओयू	- सहमति ज्ञापन	एनईईआर	- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति	एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा	एनईटीसी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	एनईटीएस	- इलेक्ट्रॉनिक अंतरण नेटवर्क
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य	एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां
एमटीडीएस	- मध्यम-अवधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति	एनएफसी	- खादयेतर ऋण
एमटीएफ	- मध्यम-अवधि फ्रेमवर्क	एनएफएस	- राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एमटीएसएस	- मुद्रा अंतरण सेवा योजना	एनएफएसए	- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	एनजीएफएस	- वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	एनजीटीए	- अगली पीढ़ी के ट्रेजरी एप्लिकेशन
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एनबीएफसी-बीएल	- एनबीएफसी-बेस लेयर	एनआईपी	- राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम
एनबीएफसी-एमएल	- एनबीएफसी-मिडिल लेयर	एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एनबीएफसी-यूएल	- एनबीएफसी-अपर लेयर	एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एनबीएफसी-टीएल	- एनबीएफसी-टॉप लेयर	एनआईपीएल	- एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड
एनबीएफसी-एनडी	- गैर-जमाराशियों वाली एनबीएफसी	एनआईएसएम	- राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
एनबीएफआई	- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	एनएलपी	- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
एनसीसीडी	- अकेंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नी		

एनएलपी	- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति	ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
एनएनएमएल	- निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	ओआरबीआईओ	- भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय
एनएनपीए	- निवल अनर्जक आस्ति	ओटीसी	- काउंटर पर
एनओसी	- अनापत्ति प्रमाणपत्र	पीए	- भुगतान एग्रीगेटर
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि	पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं
एनपीए	- अनर्जक आस्तियां	पीएटी	- कर पश्चात लाभ
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	पीबी	- भुगतान बैंक
एनपीई	- गैर-निष्पादित एक्सपोजर	पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
एनआरए	- राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन	पीसीई	- निजी खपत व्यय
एनआरबी	- नेपाल राष्ट्र बैंक	पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
एनआरसी	- नामांकन और पारिश्रमिक समिति	पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनआरई	- गैर-आवासीय बाह्य	पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
एनआरआई	- अनिवासी भारतीय	पीएफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान
एनआरओ	- अनिवासी सामान्य	पीएफएमआई	- वित्तीय बाजार के बुनियादी ढाँचे लिए सिद्धांत
एनएसए	- राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण	पीएफएमएस	- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
एनएसई	- राष्ट्रीय शेयर बाजार	पीएफआरडीए	- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एनएसएफई	- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति	पीआईडीएफ	- भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
एनएसएफआई	- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति	पीएलएफएस	- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि	पीएलआई	- उत्पादन -संबद्ध प्रोत्साहन
एनएसओ	- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय	पीएमजीकेएवाई	- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग	पीएमआई	- क्रय- प्रबंधन सूचकांक
ओबीआईसीयूएस	- क्रयादेश पुस्तक, और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण	पीएमएल	- धन शोधन निवारण
ओडी	- ओवरड्राफ्ट	पीएमयूवाई	- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
ओडीआर	- ऑनलाइन विवाद समाधान	पीएनसीपीएस	- अंतर बैंक एक्सपोजर और शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर
ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	पीपीएसी	- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ
ओएफसीबी	- समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार		
ओआई	- विदेशी निवेश		
ओआईएस	- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप		
ओएलटीएस	- ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली		
ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन		
ओएमटी	- ऑफसाइट मॉनिटरिंग टेम्पलेट		

पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्थाएं
पीओ	- भुगतान आदेश	आरडीबी	- रुपया-मूल्यवर्गित बॉण्ड
पीओएस	- बिक्री केंद्र	आरई	- संशोधित अनुमान
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान साधन	आरईबीआईटी	- भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
पीआरएकेएएलपी	- प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली	आरईसीओ	- पूंजीगत परिव्यय बनाम राजस्व व्यय
पीआरसीसीए	- प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	आरई	- विनियमित संस्था
पीएसबी	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	आरएफ	- पुनः संरचना फ्रेमवर्क
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त उधार	आरएफसीए	- वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त उधार प्रमाणपत्र	आरएफआईडी	- रेडियो आवृत्ति की पहचान
पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचालक	आरएफपी	- प्रस्ताव के लिए अनुरोध
पीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली	आरएम	- आरक्षित मुद्रा
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	आरएमबी	- रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ भूतान
पीवीबी	- निजी क्षेत्र के बैंक	आरएमसी	- जोखिम निगरानी समिति
पीडब्ल्यूबीडी	- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
क्यूसीवीएम	- त्वरित प्रतिक्रिया कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन	आरएमआई	- कच्ची सामग्री इन्वेंटरी
क्यूआईपी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
क्यूआर	- त्वरित प्रतिक्रिया	आरओडीटीईपी	- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों पर छूट
आरए	- वसूली एजेंट	आरओई	- इक्विटी पर प्रतिफल
आरएडी	- जोखिम विश्लेषण प्रभाग	आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
आरएएम-ओआर	- परिचालनगत जोखिम की जोखिम मूल्यांकन प्रणाली	आरपीए	- रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन
आरएआर	- जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट	आरआर	- जोखिम रजिस्टर
आरबीए	- जोखिम आधारित दृष्टिकोण	आरआरए	- विनियमन समीक्षा प्राधिकारी
आरबीआई	- भारतीय रिज़र्व बैंक	आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा	आरएस	- विनियामकीय परीक्षण स्थल
आरबीआईएच	- जोखिम आधारित नवोन्मेष केंद्र	आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान
आरबी-आईओएस	- रिज़र्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना	आरटीआई	- सूचना का अधिकार
आरबीआर	- प्रतिलाभ-आधारित रिपोजिटरी	आरटीएल	- जोखिम सहिष्णुता सीमा
आरसीए	- मूल कारण विश्लेषण	आरटीपी	- रिज़र्व ट्रांच की स्थिति
आरसीबी	- ग्रामीण सहकारी बैंक	आरडब्ल्यूए	- जोखिम भारित आस्तियां
आरसीजी-एशिया	- क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह-एशिया		

एसएए	- अदला-बदली (स्वैप) परिशोधन खाता	एसएफएमएस	- संरचनाबद्ध वित्तीय संदेश-प्रेषण प्रणाली
एसए	- सांविधिक लेखापरीक्षक	एसएफडब्ल्यूजी	- धारणीय वित्त कार्य दल
एसएएआर	- मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर	एसजीआरबी	- सरकारी हरित बॉण्ड
एसएएआरसी	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ	एसजीएस	- राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ
एसईडी	- विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	एसजीएसटी	- राज्य माल और सेवा कर
एसएपी	- सिस्टम्स एप्लिकेशंस एंड प्रॉडक्ट्स	एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
एसएआरटीटीएसी	- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र	एसआईएनई	- सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
एसएस	- सांख्यिकीय विश्लेषणात्मक प्रणाली	एसआईओएस	- सेवा एवं अवसंरचना दृष्टिकोण सर्वेक्षण
एसएटीएआरसी	- सुरक्षा स्वचालन, संकट विश्लेषण और प्रतिक्रिया केंद्र	एसआईपी	- सुनियोजित निवेश योजना
एसबीआई	- भारतीय स्टेट बैंक	एसएलबीसी	- राज्य-स्तरीय बैंकर समितियाँ
एसबीआर	- स्केल आधारित विनियमन	एसएलसीसी	- राज्य-स्तरीय समन्वय समिति
एसबीएस	- श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम	एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
एससी	- अनुसूचित जाति	एसएमए	- विशेष उल्लेख खाता
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एसएमसीसी	- सोशल मीडिया कमांड सेंटर
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा	एसओसी	- स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेशन
एसडीजी	- धारणीय विकास लक्ष्य	एसओसी	- सुरक्षा परिचालन केंद्र
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	एसओएफआर	- सुरक्षित एकदिवसीय वित्तपोषण दर
एसडीएमएक्स	- स्टैटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्स्चेंज	एसओपी	- मानक परिचालन प्रक्रिया
एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार	एसपीडी	- एकल प्राथमिक व्यापारी
एसडीएस	- उप-अनुषंगी संस्था	एसपीई	- विशेष प्रयोजन वाली संस्था
एसईए	- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	एसपीईसीटीआरए	- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म
एसई	- पर्यवेक्षित संस्थाएं	एसपीएमसीआईएल	- सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक	एसआरओ	- स्व-विनियामक संगठन
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	एसएसएफ	- दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचा
एसईजेड	- विशेष आर्थिक क्षेत्र	एस-एससी	- कार्यनीति उप-समिति
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक	एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक
एसएफडीबी	- सार्कफाइनेंस डेटाबेस	एसएसएम	- वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक
		एसटी	- अनुसूचित जनजाति

एसटीसी	- अल्पावधि व्यापारिक उधार	यूटी	- संघ-शासित क्षेत्र
एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक	यूटीआई	- विशिष्ट लेन-देन अभिज्ञापक
एसडब्ल्यूआईएफटी	- विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी	यूटीएलबीसी	- संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति
एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून	वीपीटी	- भेद्यता मूल्यांकन और पहुँच परीक्षण
टीए	- तकनीकी सहायता	वीएटी	- मूल्य वर्धित कर
टीएसी	- तकनीकी सलाहकार समिति	वीएम	- विचरण अंतर/ मार्जिन
टीएसीएस	- सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति	वीओआईसीई	- वोइसिंग ओपिनियन टू इंसपाइर, कॉन्ट्रीब्यूट एंड एक्सेल
टीएटी	- कार्य-पूर्णता अवधि	वीआरआर	- स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग/ प्रतिवर्ती रिपो दर
टी-बिल्स	- खजाना बिल	वीआरआरआर	- परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो
टीई	- प्रशिक्षण संस्थान	डब्ल्यूएसीआर	- भारत औसत मांग दर
टीआईएन	- कर सूचना नेटवर्क	डब्ल्यूएडीटीडीआर	- भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर
टीओएल/ एटीएनडब्ल्यू रेशिओ	- कुल बाह्य देयताएँ- समायोजित मूर्त निवल मूल्य अनुपात	डब्ल्यूएएलआर	- भारत औसत उधार दर
टीआरक्यू	- टैरिफ दर कोटा	डब्ल्यूएम	- भारत औसत परिपक्वता
टीआर	- व्यापार रिपोजिटरी	डब्ल्यूएस	- भारत औसत स्प्रेड
टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली	डब्ल्यूएवाई	- भारत औसत प्रतिफल
टीएसए	- कोषागार एकल खाता	डब्ल्यूईओ	- वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
टीएससीए	- समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ	डब्ल्यूजीडीएल	- डिजिटल उधारी देने संबंधी कार्य-दल
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
यूडीएवाई	- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना	डब्ल्यूएलएओ	- व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर
यूएफसीई	- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
यूएफआर	- एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
यूआईडी	- विशिष्ट पहचान	डब्ल्यूपीआर	- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात
यूआईडीएफ	- शहरी अवसंरचना विकास निधि	डब्ल्यूटीओ	- विश्व व्यापार संगठन
यूके	- यूनाइटेड किंगडम	एक्सबीआरएल	- ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
यूएनसीसीआई	- असंगठित क्षेत्र का समग्र संपाती सूचकांक	जेडआई	- क्षेत्रीय निरीक्षक समूह
यूएनजीए	- संयुक्त राष्ट्र महासभा	जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र
यूपीआई	- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस		
यूएसए	- संयुक्त राज्य अमेरिका		
यूएसडी	- यूएस डॉलर		

इस रिपोर्ट को इन्टरनेट पर निम्नलिखित यूआरएल पर देखा जा सकता है
यूआरएल: www.rbi.org.in

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता कम हो गई है और मार्च 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों की विफलता से उत्पन्न जोखिम कम हो गया है। दृढ़ नीतिगत कार्रवाइयों ने अभी के लिए आत्मविश्वास बनाये रखा है। जो असहज शांति बनी हुई है, उसके बीच वैश्विक आर्थिक संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन चल रहा है। 2022 में कई और अक्सर अतिव्यापी आघातों, जैसे कि यूक्रेन युद्ध; खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि; और दुनिया भर में आक्रामक और समकालिक मौद्रिक नीति सख्त होने के परिणामस्वरूप बनी तंग वित्तीय स्थितियों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा समुत्थानशीलता प्रदर्शित करने के बाद उपलब्ध अनुमान 2023 और 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में एक कमजोर संभावना का संकेत देते हैं। सबसे कमजोर देश बड़े कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। 2023 के शुरुआती महीनों में पण्य कीमतों में गिरावट और आपूर्ति शृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण के कारण मुद्रास्फीति पर युद्ध-प्रेरित कुछ दबाव कम हो गए हैं। इसके बावजूद वैश्विक अवस्फीति की गति अपेक्षा से कम बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को अनिवार्य रूप से फिर से परखा जाएगा जब अति सुलभ चलनिधि समाप्त हो जाएगी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक अपने विस्तारित तुलनपत्रों को संकुचित कर देंगे। मार्च में बैंकिंग प्रणाली पर पड़े दबाव के दौर से सबक लेते हुए कई देशों में वित्त संबंधी विनियामकीय नीतियों का सख्त होना तय है।

I.2 इस बीच, गंभीर स्वरूप की संरचनात्मक ताकतें काम कर रही हैं जो मध्यम से दीर्घकालिक वैश्विक संभावनाओं को मौलिक रूप से आकार दे सकती हैं। व्यापार और पूंजी प्रवाह

तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले गहन भू-आर्थिक बदलावों ने संवृद्धि में वैश्वीकरण के योगदान को कमजोर कर दिया है। अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में निजी निवेश कमजोर बना हुआ है। मुद्रास्फीति दबाव और वैश्विक व्यापार पर विभक्तिकरण का असर कुल उपभोग मांग को कम कर सकते हैं जो संवृद्धि की गति को धीमा करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण श्रम आपूर्ति की स्थिति बदल रही है। हरित परिवर्तन ने, जो एक सामान्य वैश्विक लक्ष्य है, नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में नए निवेश के अवसर खोले हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उच्च लागत विकास आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकती है। डिजिटलीकरण भी संवृद्धि के नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और साइबर नव-परिवर्तनों की लागत भी बढ़ रही है।

I.3 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए परिदृश्य और भी अनिश्चित प्रतीत होता है क्योंकि वे एक साल के महामारी संकट, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और यहां तक कि उसकी कमी होने, धारण क्षमता से अधिक कर्ज होने और वैश्विक प्रभावों की बार-बार की घटनाओं से प्रभावित हैं, जिससे उनका पूंजी प्रवाह और सामान्यीकृत जोखिम बचाव अस्थिर हुआ। मध्यम अवधि में आगे देखते हैं तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के जीवन स्तर के साथ अभिसरण की उनकी संभावनाओं को एक झटका लगा है, और साथ ही व्यापार और पूंजी प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण के लाभ कम हो रहे हैं।

I.4 इस अशांत वैश्विक आर्थिक माहौल में भारत ने संवृद्धि की गति में लगातार तेजी के साथ समष्टि आर्थिक और वित्तीय

* : जहां संभव है, इस अध्याय में मार्च 2023 के बाद की अद्यतन जानकारी दी गई है।

स्थिरता का अनुभव किया है। यह एक मजबूत समष्टि आर्थिक नीति वातावरण और अर्थव्यवस्था के सहज लचीलेपन को दर्शाता है जिसने इसे वैश्विक आवर्ती आघातों के खिलाफ मजबूत किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जिसने पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक संवृद्धि में औसतन 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत किए गए प्रयासों और आपूर्ति प्रबंधन के संयुक्त प्रभाव के तहत मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर से कम होती जा रही है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से महामारी प्रेरित उच्च स्तर से ऋण और घाटे का स्तर कम होता जा रहा है। चालू खाता घाटा धारणीय स्तरों के भीतर बना हुआ है, और समष्टि आर्थिक स्थिरता स्थापित हो रही है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के मजबूत और स्वस्थ तुलनपत्र महामारी और युद्ध से नष्ट हुई संवृद्धि गति को फिर से हासिल करने में मदद कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, डिजिटल क्रांति, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए नीतिगत पहल, सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के पुनरुत्थान और अनुकूल भू-आर्थिक स्थिति से मध्यम अवधि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं।

2. 2022-23 के अनुभव का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.5 वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 की शुरुआत तक, बड़े नीतिगत प्रोत्साहन और व्यापक स्तर पर किए गए टीकाकरण की सहायता से, कोविड-19 महामारी की लगातार लहरों के प्रभाव से उबर रही थी, और उसी समय यूक्रेन में युद्ध ने उथल-पुथल मचा दी। महामारी के दौरान (2020 और 2021) किए गए ठोस राजकोषीय और मौद्रिक नीति हस्तक्षेप से जो लाभ हुए थे वे इस युद्ध के प्रभाव से कम हो गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति में सामान्य वृद्धि ने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर में लगातार वृद्धि करने और चलनिधि को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे, वित्तीय स्थितियां तंग हुईं, और अन्य कारकों के साथ-साथ, संवृद्धि पर असर पड़ा और वह

2022 में घटकर 3.4 प्रतिशत हो गयी जो 2021 में 6.2 प्रतिशत थी।

1.6 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक प्रसार प्रभाव की लहरों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मुद्रा मूल्यहास हुआ, पूंजी का पलायन हुआ, निवेशकों की जोखिम से बचने की भावना बढ़ी और उनमें से कुछ में ऋण संकट बढ़ गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधारी लागत में बढ़ोतरी और जोखिम से बाहर रहने की भावनाओं के कारण साल के ज्यादातर समय बॉण्ड और इक्विटी बाजारों से निवेशों की निकासी हुई। वैश्विक मंदी के बढ़ते जोखिम ने समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय संभावनाओं को धूमिल कर दिया। जारी किए गए आंकड़ों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, दोनों में समुत्थानशील श्रम बाजारों और उपभोक्ता खर्च का संकेत देने पर वर्ष की दूसरी छमाही में मनोभावों में सुधार हुआ। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई और इक्विटी बाजारों ने खोई हुई स्थिति वापस पा ली। साल के अंत में अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अन्य मुद्राओं को बढ़ावा मिला।

1.7 वर्ष के अंत में, यूरोप में अपेक्षा से कम ठंड पड़ने, बढ़ती ऊर्जा की कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए मिले नीतिगत समर्थन, लचीले श्रम बाजार और मुद्रास्फीति के नरम पड़ने के संकेतों से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहाली के लिए तैयार हुई। महामारी प्रतिबंधों में ढील, आपूर्ति शृंखला में सुधार और रसद व्यवधानों को दूर करने, और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग में उछाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद, वैश्विक मुद्रास्फीति, 2021 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान अधिकांश देशों में लक्ष्यों से अधिक है। महामारी के बाद वैश्विक मांग में मंदी और यूक्रेन में युद्ध के कारण वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वैश्विक व्यापार (वस्तु एवं सेवा) संवृद्धि, जो 2021 में 10.4 प्रतिशत थी, 2022 में घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई।

घरेलू अर्थव्यवस्था

1.8 कड़ी वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में वास्तविक जीडीपी में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किये जाने की संभावना है। विवेकाधीन खर्च में निरंतर सुधार, विशेष रूप से संपर्क गहन सेवाओं में सुधार, उपभोक्ता विश्वास की बहाली, कोविड-19 के कारण लगातार दो वर्षों के पृथक्वास के बाद त्योहारी मौसम में उच्च खर्च और पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर ने विकास की गति को बल दिया। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही में प्रतिकूल आधार प्रभावों, मुद्रास्फीति उच्च रहने के कारण निजी उपभोग मांग कमजोर पड़ जाने, निर्यात वृद्धि में मंदी और इनपुट लागत पर निरंतर दबावों के कारण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की गति कम हो गई।

1.9 2022-23 में कृषि और संबद्ध गतिविधियां समुत्थानशील थीं। योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। यद्यपि दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) के असमान स्थानिक और अस्थायी/कालगत वितरण के कारण खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में मामूली गिरावट आई, फिर भी खरीफ तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन वर्ष के दौरान अधिक था। मार्च 2023 में देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण हुए कुछ नुकसान के बावजूद, अधिकांश फसलों के लिए रबी के एकड़ क्षेत्रफल में वर्ष के दौरान विस्तार हुआ और रबी फसल उत्पादन, खाद्यान्न और तिलहन दोनों की संभावनाएं आशाजनक बनी हुई हैं।

1.10 औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण गतिविधि ने वैश्विक प्रसार प्रभाव का सामना किया, जबकि बिजली उत्पादन ने मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, और खनन क्षेत्र ने स्थिर गतिविधि दर्ज की। निर्माण गतिविधियों की रफ्तार बनी रही, जबकि, बुनियादी ढांचे और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बुनियादी ढांचे में सरकार की पहल वाले निवेश से लाभ हुआ। दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सुस्त रहा और वाहन जैसे क्षेत्रों में सुधार एकतरफा रहा। खपत में असमान सुधार स्पष्ट था क्योंकि पैसेंजर कारों में सुधार की तुलना में मूल्य-संवेदी प्राथमिक स्तर के कार सेगमेंट में वृद्धि सुस्त हो

गई थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री, जिसमें ग्रामीण भारत की मांग 40 प्रतिशत है, में लगातार गिरावट भी ग्रामीण मांग में कमी का संकेत था।

1.11 कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत ने भी 2022-23 के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुभव किया, जो मुख्य रूप से अतिव्यापी वैश्विक आपूर्ति आघातों और उच्च इनपुट लागत के प्रभाव को दर्शाता है। कच्चे तेल, खाद्य, उर्वरकों और धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ युद्ध के बाद नए सिरों से आपूर्ति में व्यवधान ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यापक आधार पर मूल्य दबाव डाला। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के दबाव के धीरे-धीरे सामान्य होने, वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी आने, सरकार द्वारा लक्षित आपूर्ति प्रबंधन उपायों और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में लगातार वृद्धि के बाद, मुद्रास्फीति वर्ष की दूसरी छमाही में कम हो गई। कुल मिलाकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो 2021-22 में 5.5 प्रतिशत थी, बढ़कर 2022-23 में 6.7 प्रतिशत हो गई। घरेलू मांग की स्थिति में सुधार के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर इनपुट लागत का देरी से प्रभाव पड़ने के कारण पहले से ही बढ़ी हुई मूल मुद्रास्फीति काफी स्थिर हुई, जो पूरे वर्ष लगभग 6.0 प्रतिशत पर रही।

1.12 यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप जब मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति के संचालन में मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी। समिति ने अप्रैल 2022 में अपने रुख को बदल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर रहे और साथ ही संवृद्धि को भी समर्थन मिले। मुद्रास्फीति मार्च 2022 में 7.0 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, और एमपीसी ने अंदाज़ लगा लिया था कि और भू-राजनीतिक तनाव के बीच निकट भविष्य में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण तेजी से बिगड़ जाएगा, एमपीसी ने मई 2022 में निर्धारित बैठकों से इतर आयोजित एक बैठक में नीतिगत रेपो दर को 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर

दिया। एमपीसी ने 2022-23 के दौरान प्रत्येक बैठक में नीतिगत रेपो दर में वृद्धि की ताकि मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखा जा सके, इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य के पास रखा जा सके। संचयी रूप से, एमपीसी ने अप्रैल 2022 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की निचली सीमा में 40 बीपीएस की वृद्धि के अलावा 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर को 4.00 प्रतिशत से 250 बीपीएस बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। तदनुसार, एक दिवसीय भारित औसत मांग मुद्रा दर, जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, वर्ष के दौरान 320 बीपीएस बढ़ गया, जो पूरी तरह संचयी नीतिगत उपायों के अनुरूप रहा।

1.13 रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन के लिए सूक्ष्म और फुर्तीला दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात्, बैंक ने प्रणाली में उपलब्ध अधिशेष चलनिधि के आकार में क्रमिक रूप से कमी की, और साथ ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि बनाए भी रखी। कुल मिलाकर, अधिशेष चलनिधि - जैसा कि एलएएफ के तहत अवशोषित शुद्ध राशि में परिलक्षित होता है - मार्च 2022 में 6.6 लाख करोड़ रुपये के दैनिक औसत से मार्च 2023 में 0.14 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गयी।

1.14 2022-23 में, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ जाने, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से आई आक्रामकता और वैश्विक संवृद्धि दृष्टिकोण के बिगड़ जाने से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से वित्तीय बाजारों को समय-समय पर अस्थिरता का सामना करना पड़ा। तथापि, निवेशों के बहिर्वाह और विदेशी मुद्रा बाजार के दबाव के बावजूद भारत में इक्विटी बाजारों में मामूली वृद्धि हुई, जो भारत में संवृद्धि की क्षमता और निवासी

संस्थाओं द्वारा बाजार में बढ़ते निवेश को परिलक्षित करता है। 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि स्थिति में कमी के चलते मुद्रा बाजार ब्याज दरों में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति के तहत उठाए गए कदमों और बदलती मुद्रास्फीति-संवृद्धि संभावनाओं के अनुरूप ही सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल सख्त हो गया; हालांकि, एई में बॉण्ड प्रतिफल में देखी गई तेज वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि नियंत्रित सीमा में रही। भू-राजनीतिक तनाव के कारण आर्थिक गिरावट, वैश्विक केंद्रीय बैंकों के आक्रामक मौद्रिक नीति रुख और मंदी की बढ़ती आशंकाओं का बाजार की भावनाओं पर असर पड़ने के कारण 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों की मजबूत आय और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश से वे दूसरी छमाही की शुरुआत में सुधरे और 01 दिसंबर 2022 को सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। अमेरिका में कुछ विशिष्ट बैंकों के पतन के बाद वित्तीय स्थिरता जोखिमों के उभरने और यूरोप में एक प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों ने वर्ष के अंत में बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न की। बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी, निरंतर उच्च ऋण वृद्धि और चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अनिवार्य बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था के कारण 2022-23 के दौरान ऋण बाजार में मौद्रिक संचरण - नीतिगत रेपो दर परिवर्तनों का प्रभाव उधार दरों पर पड़ने से - मजबूत हुआ।

1.15 सरकारी वित्त का प्रबंधन विवेकानुसार निर्देशित था। तदनुसार, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2021-22 में जीडीपी के 6.75 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (आरई)¹ में जीडीपी का 6.45 प्रतिशत हो गया, जो महामारी से संबंधित प्रोत्साहन की वापसी को परिलक्षित करता है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से बचाने के लिए लक्षित राजकोषीय उपाय

¹ 'बजट एट ग्लॉस 2023-24' के अनुसार, सकल राजकोषीय घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2021-22 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 6.4 प्रतिशत हो गया, जो 2022-23 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों पर आधारित है। 2022-23 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 (संशोधित अनुमान) के लिए सकल राजकोषीय घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 6.45 प्रतिशत होता है, जबकि केंद्रीय बजट 2023-24 में 6.43 प्रतिशत का संशोधित अनुमान लगाया गया था।

किए गए थे। सब्सिडी व्यय अधिक होने के बावजूद पूंजीगत व्यय सरकार की व्यय कार्यनीति का मुख्य आधार बना रहा। नतीजतन, पूंजीगत परिव्यय और राजस्व व्यय के बीच अनुपात (आरईसीओ) सुधरकर 2021-22 में 6.0 से 2022-23 (आरई) में 5.6 हो गया। इसी तरह, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अनुपात 2021-22 में 5.4 से सुधरकर 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 4.7 हो गया। कर राजस्व मजबूत रहा - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और प्रत्यक्ष कर संग्रह के आधार पर सकल कर राजस्व बजट अनुमान से 2.9 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा।

1.16 राज्य सरकारों ने 2022-23 के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 प्रतिशत पर रखने का अनुमान लगाया था। अनंतिम लेखे संकेत देते हैं कि राज्य सरकारों का वास्तविक प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, जिसका कारण मुख्य रूप से केंद्र से अपेक्षा से अधिक कर अंतरण और राज्यों के अपने कर राजस्व में स्वस्थ वृद्धि का होना है। इसलिए 2022-23 के दौरान राज्यों का जीएफडी और जीडीपी के बीच अनुपात 3.0 प्रतिशत के भीतर रहने का अनुमान है। राजकोषीय क्षेत्र में, वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) का पहला संस्करण जारी किया गया, जिसकी आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता कम होगी।

1.17 लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में मंदी के बावजूद, भारत का व्यापारिक निर्यात 2022-23 के दौरान 450.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड स्तर से 6.7 प्रतिशत अधिक है। भारत ने मोबाइल फोन और खिलौनों जैसे क्षेत्रों में शुद्ध आयातक से निर्यातक के रूप में बदलाव देखा और 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों का लाभ उठाते हुए कम समय में रक्षा वस्तुओं के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की। वर्ष की पहली छमाही में उच्च वृद्धि दर्ज करने के बाद, भारत के व्यापारिक आयात में दूसरी छमाही के दौरान कमी आई, जो अन्य बातों के

साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट और निर्यात से संबंधित आयातों की धीमी मांग को परिलक्षित करता है। वर्ष के दौरान भारत का पण्य व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन दूसरी छमाही में बढ़ोतरी की गति धीमी हो गई।

1.18 वस्तु निर्यात के विपरीत, सेवा निर्यात में 27.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) और इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजाइन (ईआर एंड डी) जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों की सॉफ्टवेयर सेवाओं का प्रमुख योगदान रहा। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में वृद्धि का लाभ भी हुआ।

1.19 पूंजी प्रवाहों के तहत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शुद्ध अंतर्वाह 2022-23 के दौरान, यद्यपि वह मजबूत था, कमी आई और वह 28.0 बिलियन यूएस डॉलर रहा जबकि एक वर्ष पहले वह 38.6 बिलियन यूएस डॉलर था। इसके अलावा वर्ष के दौरान 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का शुद्ध पोर्टफोलियो बहिर्वाह हुआ जो जोखिम से बचने के मनोभाव को परिलक्षित करता है जिसके कारण आस्तिवर्ग में ईएमई के प्रवाह प्रभावित हुए। 2022-23 में उधार की बढ़ती लागत ने पिछले वर्ष की तुलना में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को धन जुटाने के लिए कम आकर्षक बना दिया।

1.20 भारत की बाहरी कमजोरियों में संभावित वृद्धि की बाजार की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए, भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), हालांकि यह एक साल पहले 1.1 प्रतिशत से बढ़ा है, जीडीपी के 2.7 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान) पर स्वीकार्य स्तर पर रहा। इन घटनाक्रमों के साथ-साथ, पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध पूंजी अंतर्वाह में कमी के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। मूल्यांकन प्रभावों को शामिल किया जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2022-23 के दौरान 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई।

1.21 वर्ष के दौरान, बैंकिंग प्रणाली ने पूंजी बढ़ाने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के प्रयास जारी रखे। 2021-22 की दूसरी छमाही के बाद से एक नए ऋण चक्र की शुरुआत ने 2022-23 के दौरान गति पकड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा। उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में गिरावट आई और तिमाही गिरावट अनुपात कम हो गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में भी लगातार वृद्धि हुई। निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार देखा गया, जो बढ़ते ब्याज दर चक्र में जमा दरों की तुलना में उधार दरों के प्रति मौद्रिक नीति के उच्च स्तर के संचरण को परिलक्षित करता है। नतीजतन, कर के बाद लाभ (पीएटी) ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान एससीबी के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में और सुधार हुआ। कम स्लिपेज अनुपात, बाजार से पूंजी जुटाने और मुनाफे के माध्यम से निवल पूंजी अभिवृद्धि के साथ बैंकों को अपने पूंजी पर्याप्तता स्तर को मजबूत करने में मदद मिली और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण किए जाने की आवश्यकता कम हुई। बढ़ती ब्याज दर के माहौल में बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए ब्याज दर जोखिम सहनीय बना रहा, जिसे निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) जैसे समष्टिआर्थिक नीतिगत उपायों की सहायता हुई, जो बाजार मूल्य की तुलना में हुए नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं।

1.22 आजादी के 75 वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव) मनाने के लिए, देश में बैंकिंग लेनदेन करने के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की गई। इन 75 डीबीयू को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश में 84 डीबीयू कार्यरत हैं।

1.23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने 2022-23 के दौरान मजबूत ऋण वृद्धि बनाए रखी। इसके लिए उन्हें आर्थिक गतिविधि में व्यापक आधार वाले पुनरुद्धार और लक्षित नीतिगत पहलों की मदद हुई। इस क्षेत्र ने वर्ष के दौरान मजबूत बफर पूंजी, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और तुलनपत्रों के समेकन के माध्यम से अपनी वित्तीय सुदृढ़ता को बेहतर किया। 2022-23 के दौरान एनबीएफसी के लिए पैमाना आधारित एक विनियामकीय ढांचा लागू किया गया।

1.24 वर्ष के दौरान, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई ताकि उनके कॉर्पोरेट प्रशासन और विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने, उनके कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाने और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। इसके अलावा, एक उत्तरदायी और अग्रगामी विनियामक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, क्रेडिट जोखिम बाजारों को मजबूत करने और विकसित करने, पूंजी पर्याप्तता और विनियमित संस्थाओं पर लागू प्रावधान ढांचे की मजबूती बढ़ाने और बैंक ऋण रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई रेटिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। 6 अक्टूबर 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा एक नई सुपटेक पहल – दक्ष - रिजर्व बैंक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली शुरू की गई, जो एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के बीच अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से वास्तविक अनुपालन की अधिक केंद्रित तरीके से निगरानी करता है।

1.25 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया और यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामकीय तरीकों के साथ एक सरल चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे को अपनाया। इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों में सुदृढ़ यूसीबी के लिए और अधिक प्रचालनात्मक लचीलेपन की पेशकश करते हुए भी सहायता

प्रदान की जा रही है ताकि वे ऋण पहुंचाने में अपनी वांछित भूमिका को पूरा कर सकें।

1.26 केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित डिजिटलीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पेश की, जिसमें क्रमशः 1 नवंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 को थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल रुपये (e₹) के लिए प्राथमिक प्रयोग किए गए। इस प्रयोग से पहले सीबीडीसी के बारे में सामान्य रूप से और विशेष रूप से e₹ की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीडीसी पर एक 'संकल्पना नोट' जारी किया गया।

1.27 भारत, महामारी के दौर मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरा है जिसमें आंशिक रूप से डिजिटल परिवर्तन की लहर का योगदान है। डिजिटल माध्यम से किए गए लेनदेन ने वर्ष 2022-23 में एक वर्ष पहले देखी गई मजबूत वृद्धि से भी अधिक उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया। 2022-23 में कुल डिजिटल भुगतान ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 57.8 प्रतिशत और 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में क्रमशः 63.8 प्रतिशत और 23.1 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर थी। भारत ने 2022² में 46 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर तत्काल लेनदेन में सबसे बड़े भागीदार के रूप में उभरते हुए अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। व्यापारियों को तेजी से शामिल करने, बढ़ती डिजिटल जागरूकता और भुगतान प्रणाली के दायरे तथा पहुंच की दिशा में नीतिगत जोर से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सघनता और विकास में तेजी आई।

1.28 2022-23 में आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) में तेज वृद्धि देखी गई, जो देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के प्रसार को प्रमाणित करती है। डिजिटल

हो रहे सरकारी नकद अंतरणों के माध्यम से हुआ सकारात्मक दबाव का भी इसमें आंशिक योगदान है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में सुधार के साथ, कार्ड उद्योग ने खोई हुई गति हासिल की, जिसमें मासिक व्यय पूरे वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा।

1.29 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान भुगतान विजन 2025 जारी किया, जिसका विषय है - ई-भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय - जिसमें सुरक्षित, भरोसेमंद, सुलभ, किफायती और कारगर भुगतान विकल्पों के साथ हर उपयोगकर्ता को सशक्त बनाने के लिए भारत की भुगतान प्रणालियों को और बेहतर बनाने का वादा किया गया है। प्रकार्यों को बेहतर बनाने और डिजिटल पथ पर उपभोक्ताओं को शामिल करने की दृष्टि से भुगतान प्रणालियों में विभिन्न सुधार किए गए। यूपीआई लाइट को ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से यूपीआई का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के लेनदेन की सुविधा के लिए शुरू किया गया। रुपये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी गई ताकि भुगतान प्रसंस्करण के लिए जुड़े वित्तीय उत्पादों को व्यापक बनाकर उपयोग को बढ़ाया जा सके। यूपीआई में सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट की शुरुआत ने व्यापारिक भुगतान के लिए क्षमताओं को बढ़ाया। भारत में व्यापारिक भुगतान करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों को भी यूपीआई सुविधा दी गई। सिंगापुर के पे-नाऊ के साथ यूपीआई को जोड़ने से दोनों देशों के बीच कम राशि के निधि अंतरण और विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के दायरे को सभी श्रेणियों के भुगतान और संग्रह को शामिल करने के लिए, आवर्ती और गैर-आवर्ती, दोनों स्वरूप के लिए विस्तारित किया गया। सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करके अनिवासी भारतीयों को एक मानकीकृत बिल भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए भी बीबीपीएस का विस्तार किया गया।

² एसीआई वर्ल्डवाइड, रियल टाइम पेमेंट्स, ग्लोबल डाटा, 2023

1.30 सरकार के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा देश में वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करने के लिए की गई पहल समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), जो 97 संकेतकों (जो पहुंच, उपलब्धता तथा उपयोग में आसानी, और सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं) के आधार पर वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक मात्रात्मक पैमाना है, मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 हो गया (नवीनतम उपलब्ध), जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई।

3. 2023-24 के लिए संभावनाएं

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.31 वैश्विक संवृद्धि 2023 में धीमी पड़ने की उम्मीद है और मध्यम अवधि में मंद रह सकती है। आईएमएफ के अप्रैल 2023 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अनुसार 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने की संभावना है जो मध्यावधि में 3.0 प्रतिशत पर स्थिर हो सकती है। वैश्विक स्तर पर, अवस्फीति के प्रयासों से आई के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.3 प्रतिशत से घटकर 4.7 प्रतिशत और ईएमई के बीच 9.8 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। हालांकि, दृढ़ और ऊपरी ओर बढ़ने के दबाव के बीच यह प्रगति धीरे-धीरे होने की संभावना है। केंद्रीय बैंकों को बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में मूल्य स्थिरता बहाल करने और संवृद्धि में मंदी को दूर करने के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उच्च ऋण स्तरों से संभावित वित्तीय जोखिम और अमेरिका और यूरोप में हाल के बैंकिंग क्षेत्र के घटनाक्रम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अति प्रतिकूल प्रसार प्रभाव के साथ तनाव के अप्रत्याशित वृद्धि की गुंजाइश को उजागर करते हैं।

1.32 इक्विटी कीमतों के नुकसान की भरपाई हो जाने और बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आने से वित्तीय बाजार वैश्विक मौद्रिक नीति के सख्त चक्र के संभावित अंत का संकेत दे रहे हैं। जिंसों की कीमतें भी नरम रुख के साथ कारोबार कर रही हैं क्योंकि वृद्धि में नरमी की आशंका बाजार धारणा पर हावी है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत सख्ती में नरमी बरतने से अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन हो सकता है जिससे अन्य आई और ईएमई मुद्राओं पर दबाव कम होगा, इसके बावजूद कि ईएमई में पूंजी प्रवाह के लिए दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है।

1.33 कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी के संचलन पर प्रतिबंधों के माध्यम से संचालित भू-आर्थिक विभाजन के प्रतिकूल प्रभावों और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों के बढ़ने की संभावनाओं से प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो मुद्रा, फिनटेक और प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाओं जैसी मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी संभावित रूप से दृष्टिकोण को हानि पहुंचा सकती हैं।

1.34 इस पृष्ठभूमि में बहुपक्षीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता जी20 को भारत की अध्यक्षता के तहत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच बनाती है, जिसका विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम्' – 'एक पृथ्वी', एक परिवार, एक भविष्य' है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार, और रिज़र्व बैंक एक साथ मिलकर ग्लोबल साउथ में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से संबंधित मुद्दों को फाइनेन्स ट्रैक के दायरे में लाने के साथ-साथ पुराने मुद्दों को हल करने के लिए जी20 चर्चा का संचालन कर रहे हैं। जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी), वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि (एफसीबीडी) और अध्यक्षीय प्राथमिकताओं और वितरण पर कार्य समूह की विभिन्न बैठकों³ के तहत होने वाले विचार-विमर्श से इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत प्रतिक्रिया मिलेगी।

³ 1 दिसंबर 2022 को जी20 अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

1.35 घरेलू आर्थिक गतिविधियों को आने वाले समय में एक प्रेरणा रहित वैश्विक दृष्टिकोण की चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन समुत्थानशील घरेलू समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियां, पिछले सुधारों से अपेक्षित लाभांश और वैश्विक भू-आर्थिक बदलावों से विकास के नए अवसर भारत को एक लाभप्रद स्थिति प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर जिंसों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी, रबी फसल की अच्छी संभावनाओं, संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल, पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर, विनिर्माण में उच्च क्षमता उपयोग, दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति से क्रय शक्ति में कमी और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ते आशावाद को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें जोखिमों को समान रूप से संतुलित किया गया है।

1.36 वैश्विक जिंसों और खाद्य कीमतों में गिरावट और पिछले साल के उच्च इनपुट लागत दबाव कम होने के कारण मुद्रास्फीति जोखिम में कमी आई है। पिछले साल नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि अवस्फीति प्रक्रिया को स्थिरता देगी और आपूर्ति पक्ष के उपाय खाद्य और ऊर्जा आघातों के कारण उभरे क्षणिक मांग-आपूर्ति असंतुलन को दूर करेंगे। स्थिर विनिमय दर और सामान्य मानसून रहने पर - जब तक अल नीनो घटना नहीं होती है- मुद्रास्फीति 2023-24 में नीचे जाने की उम्मीद है, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले साल दर्ज 6.7 प्रतिशत के औसत स्तर से घटकर 5.2 प्रतिशत हो जाएगी। मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन को प्रगामी रूप से वापस लेने पर केंद्रित है कि संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के आसपास रखा जाए।

1.37 रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मार्च 2023 दौर से पता चलता है कि उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य आर्थिक स्थिति और घरेलू आय में आशावाद के कारण वर्तमान स्थिति में सुधार हुआ है। भविष्य की अपेक्षाएं भी सकारात्मक

बनी हुई हैं। आने वाले वर्ष में गैर-आवश्यक वस्तुओं पर परिवारों का व्यय बढ़ने की उम्मीद है। तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के 101वें दौर के अनुसार विनिर्माण फर्म 2023-24 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के लिए उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार की स्थिति और क्षमता उपयोग को लेकर सकारात्मक धारणा दिखा रही हैं। हाल ही में तिमाही सेवा और बुनियादी ढांचा परिदृश्य सर्वेक्षण के 36 वें दौर में, दोनों क्षेत्रों की निजी कंपनियों को लाभ मार्जिन और बिक्री कीमतों पर कम आशावाद के बावजूद 2023-24 की पहली तिमाही में रोजगार क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। इनपुट लागत और बिक्री कीमतों में अपेक्षित वृद्धि के बावजूद ये फर्म 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में समग्र व्यापार परिदृश्य में उच्च विश्वास दिखाती हैं।

1.38 वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन, हरित ऊर्जा की ओर पहल और चल रही तकनीकी प्रगति उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ निवेश गतिविधि में तेजी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। कंपनियों और बैंकों के मजबूत तुलनपत्र और उच्च क्षमता उपयोग से निजी निवेश में गति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बढ़ती ऋण वृद्धि, विशेष रूप से आवास और व्यक्तिगत ऋण, घरेलू पारिवारिक मांग में स्थिरता दर्शाता है। यह ग्रामीण और शहरी मांग के कई उच्च आवृत्ति संकेतकों, जैसे ट्रैक्टर और उर्वरक की बिक्री में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर में सुधार, घरेलू हवाई यात्री यातायात, यात्री वाहन बिक्री और मजबूत माल और सेवा कर संग्रह में भी परिलक्षित होता है। रबी की अच्छी फसल की उम्मीद और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में समुत्थानशीलता से उत्साहित मजबूत कृषि उत्पादन भी ग्रामीण मांग के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल कर रहे हैं। निर्माण गतिविधि की रफ्तार बनी रहने रखने की संभावना है जैसा कि इसके समीपवर्ती संकेतकों : इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन, में स्थिर विस्तार से परिलक्षित होता है। पोर्ट कार्गो ट्रैफिक और रेलवे फ्रेट ट्रैफिक आवागमन भी, इनपुट लागत दबाव में धीरे-धीरे कमी के बीच, औद्योगिक गतिविधि में तेजी की ओर इशारा करते हैं।

1.39 खरीफ फसल की संभावनाएं दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की प्रगति पर निर्भर करेंगी। मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार जून-सितंबर 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बारिश दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 96 प्रतिशत (+/- 4) पर सामान्य होने की संभावना है। हालांकि, दक्षिण-पश्चिम मानसून बारिश का वास्तविक प्रदर्शन *अल नीनो* घटना के कारण संभावित वर्षा की कमी और सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवीय के प्रतिसंतुलन प्रभावों के परस्पर प्रभाव पर निर्भर करेगा। बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा किसानों को बुवाई के रकबे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने 2023-24 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 332 मिलियन टन रखा है, जो पिछले साल के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान से 0.4 प्रतिशत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 2023 को मिलेट अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के साथ, भारत मोटे अनाज की निर्यात क्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कुल मिलेट उत्पादन का केवल एक प्रतिशत निर्यात किया जाता है।

1.40 हाल के वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के प्रभावों से 2023-24 में उच्च निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, बजटीय पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय प्राप्त हुआ है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए आबंटन भी पिछले वर्ष के 1.0 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऋण की पूरी राशि 2023-24 में खर्च की जानी है और इन ऋणों का एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर निर्भर करेगा। पूंजीगत व्यय के लिए उच्च आबंटन के अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में कई उपायों की घोषणा की गई है, जिससे विकास की गति को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जैसे; संबद्ध क्षेत्रों का विविधीकरण और संवर्धन; अंतिम

स्थान तक संपर्क के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; निर्यात संवर्धन; सहकारिता आधारित विकास; डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना; और कृषि-स्टार्टअप के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से निजी निवेश वृद्धि भी मजबूत होने की उम्मीद है जिससे अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री *गति शक्ति* और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (एनएलपी) के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आने की उम्मीद है।

1.41 वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र की संभावना अनुकूल बनी हुई है। महामारी के बाद स्थावर संपदा और विनिर्माण क्षेत्र ने पूर्व स्थिति प्राप्त की है और आने वाले वर्ष में भी वह अच्छा प्रदर्शन करेगा ऐसी संभावना है क्योंकि आवास के लिए मांग और आपूर्ति, दोनों ही तेजी पर हैं।

1.42 सेवा निर्यात के मजबूत रहने और आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में नरमी का प्रभाव रहने से बाह्य क्षेत्र में चालू खाता घाटा (सीएडी) कम रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह अस्थिर रह सकता है। हालांकि अनुकूल घरेलू संवृद्धि परिदृश्य, कम मुद्रास्फीति और कारोबार अनुकूल नीतिगत सुधारों से अस्थिर एफडीआई प्रवाह स्थिति में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में बेहतर विकास संभावनाओं के कारण आवक विप्रेषण मजबूत रहने की संभावना है। परिणामतः, 2023-24 के दौरान बाह्य संवेदनशीलता संबंधी जोखिम और भी कम हो सकता है। 31 मार्च 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 तुलनात्मक लाभ को पोषित करने के लिए निर्यात-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है; भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में भाग लेने और बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में अवसरों के उपयोग अवसर प्रदान करती है; और भारतीय रुपये (आईएनआर) में अधिक व्यापार की

संभावनाओं को खोजती है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार के परिमाण में वृद्धि वर्ष 2022 के 2.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.7 प्रतिशत हो जाएगी। ऐसे में एफटीपी में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति आवश्यक होगी।

1.43 अमेरिका और यूरोप में वित्तीय क्षेत्र की हाल की उथल-पुथल ने मौद्रिक नीति सख्ती के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय संस्थानों की तदनुसार समुत्थानशीलता संबंधी जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को जरूरी बना दिया है। यद्यपि भारतीय बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं मजबूत और समुत्थानशील बने हुए हैं, उन्हें इन नए आघातों के लिए दबाव परीक्षण करने की आवश्यकता है। इसलिए पूंजी बफर और चलनिधि स्थिति की लगातार समीक्षा और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। तदनुसार, 2023-24 के दौरान प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण की शुरुआत पर दिशानिर्देश जैसे नीतिगत उपायों की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, समाधान परितंत्र को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान दबाव वाली आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और विवेकपूर्ण ढांचे (कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संबंध में दबाव के समाधान पर दिशानिर्देशों सहित) की व्यापक समीक्षा किए जाने की भी संभावना है।

1.44 2023-24 के दौरान, रिजर्व बैंक का लक्ष्य विभिन्न उपयोग मामलों और विशेषताओं को शामिल करके सीबीडीसी-खुदरा और सीबीडीसी-थोक में चल रहे पायलट प्रयोगों का विस्तार करना है। सीबीडीसी-रिटेल में प्रायोगिक परियोजना को और अधिक स्थानों पर विस्तारित करने और प्रतिभागी बैंकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

1.45 जैसा कि रिजर्व बैंक भुगतान विजन 2025 को साकार करने की ओर बढ़ रहा है। बढ़ी हुई पहुंच, ग्राहक केंद्रीयता,

साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों को अखंडता, समावेश, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के पांच स्तंभों के माध्यम से अधिक समेकित और निर्मित किया जाएगा। इन उपायों से भारत की भुगतान प्रणालियों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आगे चलकर, नवोन्मेष और ग्राहक संरक्षण पर निरंतर ध्यान देने के साथ, प्रमुख प्राथमिकताएं समावेश और अंतरराष्ट्रीयकरण होंगी। बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को मौजूदा तीन क्षेत्रीय ग्रिडों से “वन नेशन वन ग्रिड” में स्थानांतरित करने की योजना है। रिजर्व बैंक सीमा पार भुगतान और विप्रेषण के लिए भुगतान प्रणालियों की पहुंच बढ़ाने की परिकल्पना करता है। सिंगापुर के साथ यूपीआई-पे-नाऊ लिंकेज की तर्ज पर अन्य अधिकार-क्षेत्रों में त्वरित भुगतान प्रणालियों के साथ जुड़ाव प्रक्रियाधीन है।

1.46 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के लक्ष्यों में से एक है मार्च 2024 तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की पहुंच का विस्तार करना। अगले प्रयासों के रूप में सीएफएल की पहुंच को अब चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है, और 2024 तक पूरे देश को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

1.47 वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने और विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, रिजर्व बैंक अपनी 24x7 ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में कृत्रिम मेधा (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया में है ताकि शिकायतों को आसानी से दर्ज किया जा सके, शिकायतकर्ताओं को शिकायत निवारण पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके और लोकपाल के लिए निर्णय लेने में सहायता करके शिकायत निपटान में तेजी लाई जा सके।

4. निष्कर्ष

I.48 संक्षेप में, आघातों ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता की परीक्षा ली। मजबूत समष्टिआर्थिक नीतियों, जिंसों की कीमतों में नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, स्वस्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर निरंतर राजकोषीय नीतिगत जोर और आपूर्ति शृंखलाओं के वैश्विक पुनर्गठन से उपजी वृद्धि के नए अवसरों के कारण

मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने के माहौल में 2023-24 में भारत की संवृद्धि की गति बरकरार रहने की संभावना है। तथापि, मंथर होती वैश्विक संवृद्धि लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में नए दबाव की घटनाओं के बाद वित्तीय बाजार में अस्थिरता का संभावित उछाल संवृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए, भारत की मध्यम अवधि की संवृद्धि क्षमता में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों को बनाए रखना जरूरी है।

विकट भू-आर्थिक विखंडन, खाद्य, ऊर्जा और वस्तुओं की ऊंची वैश्विक कीमतों, आक्रामक मौद्रिक नीति सख्ती और प्रभाव-विस्तार के माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में आघात-सहनीयता प्रदर्शित की है। अतिव्यापी आपूर्ति आघातों के कारण, वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति कई महीनों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी स्वीकार्य स्तर से ऊपर बनी रही। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ, मौद्रिक और ऋण की स्थिति नीतिगत रुख के अनुरूप विकसित हुई, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए लक्षित राजकोषीय उपायों ने समष्टिआर्थिक स्थिरता को मजबूत किया। भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा धारणीय बना रहा और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ जिससे ऋण वृद्धि में फिर से तेजी आई।

II.1.1 भू-राजनीतिक वैर भाव में तेजी आने के बाद, दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के कारण वित्तीय स्थितियों में आई सख्ती ने, 2022 के दौरान उच्चतर अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक समष्टिआर्थिक परिणामों को मंद कर दिया। अल्पकालिक ओमीक्रॉन लहर और 31 मार्च 2023 तक दुनिया की 64.20 प्रतिशत आबादी का पूर्ण टीकाकरण करते हुए, विश्वव्यापी स्तर पर सफल टीकाकरण अभियान के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता और सुदृढ़ हुई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 के लिए वैश्विक संवृद्धि अनुमान को अक्टूबर 2022 में रहे 3.2 प्रतिशत से संशोधित कर अप्रैल 2023 में 3.4 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, 2022 के लिए वैश्विक व्यापार (वस्तुएँ और सेवा) संवृद्धि को जनवरी 2023 में रहे 5.4 प्रतिशत से घटाकर अप्रैल 2023 में 5.1 प्रतिशत कर दिया गया था। 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति जो एक साल पहले 4.7 प्रतिशत थी, 8.7 प्रतिशत पर अस्वाभाविक रूप से उच्च रही, साथ ही मुद्रास्फीति अधिकांश देशों में लक्ष्य से अधिक थी। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह सुस्त और अस्थिर बना रहा।

II.1.2 दुनिया भर में वित्तीय स्थितियों के समकालिक रूप से सख्ती, राष्ट्रक बाँड प्रतिफल में तेज वृद्धि में परिलक्षित हुई। वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों में भी तेज उतार-चढ़ाव देखा गया

जो व्यापक जोखिम-विमुख रुझानों के बीच वैश्विक प्रभाव-विस्तार के प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिकी डॉलर की निरंतर मूल्यवृद्धि ने अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्राओं पर निरंतर मूल्यहास दबाव डाला जिससे मूल्यांकन नुकसान के कारण इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार बफर का एक उल्लेखनीय हिस्सा घट गया।

II.1.3 घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान सुधार को गति मिली क्योंकि घरेलू आपूर्ति शृंखला सामान्य हो गई और संपर्क-गहन क्षेत्रों में गतिविधि में फिर से तेजी आई। कॉर्पोरेट क्षेत्र और बैंकों के सुदृढ़ तुलनपत्रों से ऋण मांग में फिर से तेजी आई, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि ने भी सुगम बनाया। 2022-23 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक जीडीपी में 7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई।

II.1.4 यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, 2022-23 में 4.5 प्रतिशत तक घट जाने की बजाय, बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई। मूल्य दबाव में वृद्धि व्यापक और अड़ियल बनी रही और वर्ष के कई महीनों में मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन स्तर से अधिक रही। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की और समायोजन को वापस लेने हेतु मौद्रिक

नीति के रुख में बदलाव किया तथा संवृद्धि के प्रति सजग रहते हुए, मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी। सरकार ने मुद्रास्फीति को आकार देने में आपूर्ति पक्ष के कारकों के प्रभुत्व को देखते हुए, कई लक्षित मद-विशिष्ट मुद्रास्फीति-विरोधी उपाय शुरू किए। विकास-समर्थक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में बड़ी वृद्धि की दिशा में सार्वजनिक व्यय को निर्देशित करते हुए, राजकोषीय नीति ने, सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। पूंजी निर्माण 2022-23 के दौरान विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरा।

II.1.5 वर्ष के दौरान अधिशेष चलनिधि में कमी के चलते वित्तीय स्थिति सहायक बनी रही। मुद्रा बाजार ब्याज दरों में मोटे तौर पर नीति रेपो दर में बदलावों के अनुरूप वृद्धि हुई। वैश्विक प्रभाव-विस्तार के असर के कारण मध्यम से लंबी अवधि के राष्ट्रक बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई लेकिन मीयादी प्रीमियम कोविड-पूर्व स्तर से नीचे रहा। बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफलों में वृद्धि और उच्चतर ऋण स्प्रेड का अनुसरण करते हुए, 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई। इक्विटी बाजारों ने बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, साथ ही, कभी-कभी वैश्विक इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव से अलग भी हुए। निवल पोर्टफोलियो बहिर्वाह को प्रेरित करते जोखिम-विमुख रुझानों के बीच, 2022-23 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से, भारतीय रुपया प्रभावित हुआ।

II.1.6 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को छह खंडों में बांटा गया है। वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद खंड 3 में वस्तु की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के चालकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। मौद्रिक समुच्चय और वित्तीय बाजारों में हुई प्रगति क्रमशः खंड 4 और 5 में प्रस्तुत की गई है। खंड 6 में सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) पर चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 7 में बाह्य क्षेत्र में हुई प्रगति का विश्लेषण किया गया है।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया और 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वर्ष 2022 की शुरुआत में ओमीक्रॉन लहर से उपजे भय को छोड़कर, वर्ष के अधिकांश भाग में कोविड-19 काफी हद तक निचले स्तर पर सिमटा रहा, जिससे उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद मिली। संपर्क-गहन गतिविधि धीरे-धीरे वर्ष के दौरान पुनर्जीवित हुई और दमित मांग के निर्मोचन ने घरेलू गतिविधि को बढ़ावा दिया। मजबूत समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संतुलित तुलनपत्रों में परिलक्षित एक आघात-सह वित्तीय प्रणाली, और एक डिलीवरेज्ड कॉर्पोरेट क्षेत्र ने प्रतिकूल वैश्विक प्रभाव-प्रसार का सामना करने के लिए आघात-सहनीयता प्रदान की।

II.2.2 इस खंड में, समग्र मांग का घटक-वार विश्लेषण उप-खंड 2 में दिया गया है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में समग्र आपूर्ति स्थिति में हुई प्रगति के आकलन की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। रोजगार और श्रम बाजार में हुई प्रगति का विश्लेषण (ड्रिल-डाउन) उप-खंड 4 में दिया गया है। अंतिम उप-खंड में नीतिगत दृष्टिकोण दिये गए हैं।

2. समग्र मांग

II.2.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसआई) ने संकेत दिया कि वास्तविक जीडीपी द्वारा मापी गई समग्र मांग ने एक साल पहले 9.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1)। इसके साथ, स्तर के संदर्भ में वास्तविक जीडीपी ने 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तर को 9.9 प्रतिशत से पार कर लिया। पिछले तीन वर्षों के लिए जीडीपी वृद्धि को 20

आधार अंक (बीपीएस) [2019-20], 80 बीपीएस (2020-21) और 40 बीपीएस (2021-22) तक संशोधित किया गया था, जो दर्शाता है कि विकास की गति शुरुआती अनुमानों की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि उपभोग और निवेश मांग दोनों में तेजी आई लेकिन बाहरी मांग की प्रतिकूल स्थिति और इसके परिणामस्वरूप निवल निर्यात में बड़े घाटे ने 2022-23 में वृद्धि को नीचे खींच लिया। 2022-23 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक गति में बहुत तेजी के साथ, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 9.6 प्रतिशत पर रहते हुए सुदृढ़ बनी रही। हालांकि, 2022-23 की तीसरी तिमाही में, इसकी गति कम हो गई (चार्ट II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 2)।

II.2.4 2022-23 में समग्र मांग की स्थिति में उतार-चढ़ाव के पीछे इसके प्रमुख घटकों के बीच संरचनात्मक बदलाव थे (चार्ट II.2.2)। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7.3 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई, जो यात्रा और पर्यटन सहित संपर्क-गहन गतिविधि में वृद्धि और 2022-23 में त्योहारी समय में मांग में आई वृद्धि के कारण है। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत पर मंद रही क्योंकि सरकार ने वृद्धि और निवेश को समर्थन देने के लिए पूंजीगत व्यय


सारणी II.2.1. वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

घटक	वृद्धि (प्रतिशत में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
I. कुल उपभोग व्यय	7.0	5.0	-4.6	10.5	6.4
निजी	7.1	5.2	-5.2	11.2	7.3
सरकार	6.7	3.9	-0.9	6.6	1.2
II. सकल पूंजी निर्माण	6.2	-6.0	-11.6	22.2	9.6
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	11.2	1.1	-7.3	14.6	11.2
शेयरों में बदलाव	27.3	-58.7	-85.5	687.8	1.9
कीमती	-9.7	-14.2	26.4	34.0	-14.8
III. निवल निर्यात					
निर्यात	11.9	-3.4	-9.1	29.3	11.5
आयात	8.8	-0.8	-13.7	21.8	18.8
IV. जीडीपी	6.5	3.9	-5.8	9.1	7.0


स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

को बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए सुदृढ़ीकरण पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा। व्यय की गुणवत्ता में सुधार, आगे चलकर धारणीयता और संवृद्धि को जोखिम-रहित बनाने के लिए अच्छा संकेत है। 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी

चार्ट II.2.1: जीडीपी संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और एसएएआर



चार्ट II.2.2: जीडीपी संवृद्धि में भारत योगदान



निर्माण (जीएफसीएफ) 11.2 प्रतिशत की द्विअंकी वृद्धि के साथ मजबूत रहा, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा दिये जा रहे जोर से समर्थित था। नतीजतन, जीडीपी में वास्तविक जीएफसीएफ का अनुपात पिछले वर्ष के 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 34.0 प्रतिशत हो गया। भारत का निर्यात, कोविड-19 महामारी के बाद 2021-22 में 29.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय सुधार के बाद, 2022-23 में घटकर 11.5 प्रतिशत रह गया। चूंकि आयात में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि ने निर्यात में हुई वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, इसलिए निवल निर्यात से कर्षण (ड्रैग) पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत से और बढ़कर 2022-23 में जीडीपी का 2.9 प्रतिशत हुआ।

उपभोग

II.2.5 पिछले दो वर्षों तक जारी कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों से मुक्त होकर, पीएफसीई - जो समग्र मांग का मुख्य घटक है- 2022-23 में फिर से मजबूत होकर महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर 13.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। संपर्क गहन गतिविधियों में अच्छी तरह से बहाली और विवेकाधीन खपत में दबी हुई मांग ने वर्ष की पहली छमाही में निजी खपत को बढ़ावा दिया। एक आघात-सह कृषि क्षेत्र और महामारी अवधि के सापेक्ष श्रम बाजार की स्थिति में सुधार ने खपत में पुनरुद्धार को सहारा दिया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं- दोनों का उत्पादन हाल के महीनों में काफी हद तक कमजोर हो गया है जो खपत में मंदी का संकेत देता है क्योंकि वर्ष की दूसरी छमाही में दबी हुई मांग धीरे-धीरे कमजोर होती गई।

II.2.6 उपभोग मांग के संकेतक 2022-23 में व्यापक आधार पर पुनरुद्धार के संकेत देते हैं। परिवहन से संबंधित संकेतक जैसे घरेलू हवाई यात्री यातायात, रेलवे यात्री यातायात, यात्री वाहन की बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य में फिर से शुरुआत की ओर इशारा करती है। शादी/छुट्टियों के मौसम के साथ-साथ घरेलू अवकाश गंतव्यों में प्रतिशोध्यात्मक पर्यटन (रिवेंज टूरिज्म) ने होटल, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को फिर से उठ खड़ा होने और

कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों – अखिल भारतीय बेरोजगारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात (डबल्यूपीआर) और श्रमबल प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) – ने 2022-23 की पहली तिमाही में अपने कोविड-पूर्व स्तरों को पार कर लिया। कॉर्पोरेट क्षेत्र में वेतन और मजदूरी ने 2022-23 में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। ये सभी कारक खपत की मांग को और बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के मार्च 2023 चरण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और घरेलू आय के बारे में बेहतर धारणा के कारण वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) में और सुधार हुआ है, और भविष्य प्रत्याशा सूचकांक (एफआईआई), थोड़ी कमतर प्रत्याशा के बावजूद भी सकारात्मक बना हुआ है। अगले वर्ष में गैर-आवश्यक परिच्यय में वृद्धि की प्रत्याशा के साथ, आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों वस्तुओं के लिए घरेलू खर्च उत्साहजनक था।

II.2.7 एक साल पहले कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित ग्रामीण मांग में, शहरी मांग की तुलना में, धीमी गति से सुधार हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद, 2022-23 में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि लगभग स्थिर रही। हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत नौकरी की मांग में साल-दर-साल आधार पर गिरावट आई है, फिर भी यह 2022-23 में महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि सुधार, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में अभी तक पूरा नहीं हुआ है (बॉक्स II.2.1)।

निवेश और बचत

II.2.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, जो वर्तमान कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और जीडीपी के अनुपात से मापी जाती है, 2021-22 में बढ़कर 31.4 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष कोविड-जन्य मंदी के कारण घट कर 27.9 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि अभी तक 2022-23 के लिए जीसीएफ का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके घटकों में हुए उतार-चढ़ावों से पता चलता है कि मुख्य रूप से बुनियादी

बॉक्स II.2.1

महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र में सुधार

यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक नुकसान असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों पर भारी पड़ रहा है। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के इस खंड में सुधार की प्रकृति पर कोई आधिकारिक आकलन उपलब्ध नहीं है। असंगठित या अनौपचारिक उद्यमों के संचालन की प्रकृति को खातों के रखरखाव या किसी भी नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए, समय पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधि का उचित लेखा-जोखा रखना मुश्किल हो जाता है।

2011-12 की आधार वर्ष श्रृंखला में, घरेलू क्षेत्र¹ के भीतर सृजित सकल मूल्य वर्धन (जीवीए), मोटे तौर पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों को अपने दायरे में लेता है। असंगठित जीवीए का आधिकारिक अनुमान लगभग 10 महीने के अंतराल के साथ वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसलिए, वर्तमान में ये डेटा केवल 2021-22 तक उपलब्ध हैं। 2021-22 में वास्तविक रूप से घरेलू क्षेत्र का जीवीए² 2019-20 के महामारी से पहले के स्तर से 3.1 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।


असंगठित क्षेत्र पर महामारी के विषम प्रभाव की पुष्टि आधिकारिक आंकड़ों के साथ-साथ सर्वेक्षण-आधारित अध्ययनों और उपाख्यानानात्मक साक्ष्य (एस्टुपिनन और शर्मा, 2020) द्वारा की गई थी। घरेलू जीवीए में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि संगठित क्षेत्र के जीवीए में 2020-21 में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि होटल और रेस्तरां के संगठित और घरेलू दोनों क्षेत्रों; अन्य सेवाएं; परिवहन; व्यापार और मरम्मत; और निर्माण में संकुचन दर्ज किया गया था, लेकिन संकुचन घरेलू क्षेत्रों में अधिक व्याप्त था।

असंगठित क्षेत्र के प्रदर्शन को ट्रैक करने के प्रयास में एक संकेतक-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए मासिक आवृत्ति पर असंगठित क्षेत्र की गतिविधि के लिए एक समग्र सूचकांक का गठन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र का समग्र संयोग सूचकांक (यूएनसीसीआई) एक संदर्भ माह के अंत से 45 दिनों के अंतराल के साथ उपलब्ध है।

यूएनसीसीआई के लिए जिस उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) की पहचान की गई है, वह मोटे तौर पर तीन श्रेणियों से संबंधित है जिनमें असंगठित क्षेत्र की अपेक्षाकृत बड़ी उपस्थिति है - (i) कृषि; (ii) निर्माण, व्यापार और परिवहन; और (iii) अन्य विविध गतिविधियां। 15 संकेतकों के व्यापक सेट में से घटक संकेतकों का चयन बेंचमार्क संकेतक - घरेलू

क्षेत्र जीवीए वृद्धि के साथ उनके गतिशील सहसंबंध के आधार पर किया जाता है।

यूएनसीसीआई को स्टेट-स्पेस ढांचे (गेवेके, 1977) में गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो घटक संकेतकों से सामान्य प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कलमैन फिल्टर का उपयोग करता है। यूएनसीसीआई, कोविड-19 के प्रलयकारी प्रभाव और उसके बाद असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में सुधार को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करता है (चार्ट 1)। यूएनसीसीआई का हालिया प्रक्षेपवक्र नवंबर 2022 में तेजी की ओर इशारा करता है और बाद के महीनों में और सुधार दिखाता है। मार्च 2023 में यूएनसीसीआई 6.9 प्रतिशत पर सुदृढ़ रहा।



संदर्भ:

1. भौमिक, सी., गोयल, एस., दास, एस. और गौतम, (2022), 'ए कोम्पोजिट कोइंडेक्स ऑफ अनऑरगनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी इन इंडिया', आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर 2022।
2. एस्टुपिनन, जेवियर और शर्मा, मोहित, (2020), 'जॉब एंड वेज लॉससेज इन इन्फार्मल सेक्टर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन मेजर्स इन इंडिया', रोचेस्टर, न्यूयॉर्क।
3. गेवेके, जे (1977), आइंगर, डीजे और गोल्डबर्गर, एएस (एड), सामाजिक-आर्थिक मॉडल में अव्यक्त चर पीपी 365-383, नॉर्थ-हॉलैंड प्रकाशन, एम्स्टर्डम में 'द डाइनैमिक फैक्टर एनालिसिस ऑफ इकॉनॉमिक टाइम सीरीज़'।

¹ घरेलू क्षेत्र में कृषि जोतों पर की जाने वाली कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं - व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में, वृक्षारोपण और कॉर्पोरेट खेती को छोड़कर; व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाले सभी अनियमित निजी उद्यमों के साथ - स्वयं का खाता या साझेदारी।

² एनएसओ घरेलू क्षेत्र के जीवीए आंकड़े मौजूदा कीमतों पर ही जारी करता है। घरेलू क्षेत्र के जीवीए डिफ्लेटर को 2021-22 के लिए समग्र जीवीए डिफ्लेटर के समान माना जाता है।

ढांचे पर सरकारी खर्च के कारण इसमें वृद्धि हुई है। 2022-23 में ऋण वृद्धि में आई तेजी और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों और विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) में परिलक्षित उत्साहपूर्ण निवेश धारणा से पता चलता है कि निवेश चक्र में सुधार जारी रहने की संभावना है (बॉक्स II.2.2)।

II.2.9 जीएफसीएफ के घटकों में, निर्माण क्षेत्र में गतिविधि, सरकार के बुनियादी ढांचे और अस्थिर आवास क्षेत्र पर ध्यान देने के कारण, रफ्तार पकड़ रही है। यह इसके निकटवर्ती संयोग संकेतकों - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन- में आई गति से स्पष्ट है (चार्ट II.2.3)। मशीनरी और उपकरणों में निवेश की तेज मांग, उनके निकटवर्ती संयोग संकेतकों- पूंजीगत वस्तुओं

बॉक्स II.2.2

निजी निवेश चक्र में बदलाव लाने में ऋण की भूमिका

भारत में बैंक ऋण, कॉर्पोरेट निवेश के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण में निरंतर वृद्धि से निवेश मांग में तेजी के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि कभी-कभी वृद्धि कार्यशील पूंजी की मांग का संकेत दे सकती है जो वर्तमान क्षमता के उपयोग के लिए हो सकती है। मार्च 2023 तक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 15.4 प्रतिशत पर सुदृढ़ रही जो 2022-23 के लिए नाममात्र जीडीपी के समान थी। बैंक ऋण में व्यापक आधार पर विस्तार को, बैंकों के बेहतर तुलनपत्रों द्वारा सुगम बनाया गया है (चार्ट 1)।

पण्य की कीमतों में और ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, हाल की अवधि में कॉर्पोरेट निवेश में तेजी आई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या बैंक ऋण में वृद्धि, निवेश चक्र को पुनर्जीवित कर सकती है, सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्मों के उधार और निश्चित निवेश के बीच संबंधों की जांच 2011-12 से 2020-21 (अरेलानो और बॉण्ड, 1991) की अवधि के लिए एक गतिशील पैनल मॉडल द्वारा की जाती है। परिणाम बताते हैं कि बैंक उधार में एक प्रतिशत अंक की उच्च वृद्धि नॉमिनल निवल अचल आस्ति (एनएफए) में लगभग 0.17 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करती है (सारणी 1)।

सारणी 1: बैंक उधार और निश्चित निवेश

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}	ΔNFA_{it}
$\Delta NFA_{i,t-1}$	0.133*** (0.0316)	0.859*** (0.108)	0.424** (0.192)	0.0862' (0.0515)
बैंक उधार वृद्धि _{it}	0.158** (0.0630)	0.174*** (0.0662)	0.201' (0.104)	0.0252 (0.125)
आर एंड डी व्यय वृद्धि _{it}	0.121*** (0.0436)	0.0440 (0.0450)	0.115' (0.0683)	0.0474 (0.0600)
परिचालन व्यय में वृद्धि _{it}	-0.258*** (0.0837)			-0.328** (0.146)
मुद्रास्फीति _t		-0.535** (0.210)	1.027*** (0.323)	
बैंक उधार वृद्धि _{it} × मुद्रास्फीति			-0.0504*** (0.0116)	
बैंक उधार वृद्धि _{it} × परिचालन व्यय में वृद्धि _{it}				0.0231 (0.0184)
स्थिरांक	6.315*** (0.769)	1.588 (2.078)	-0.317 (2.474)	7.885*** (1.664)
एन	117	117	117	117
एआर (1), पी-मान	0.0229	0.00760	0.00890	0.0232
एआर (2), पी-मान	0.264	0.180	0.133	0.243
हैनसेन टेस्ट, पी-मान	0.920	0.804	0.999	0.853

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्ता स्तर इंगित करता है।


नोट: कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियां हैं। उपरोक्त सारणी में 'i' का अर्थ सेक्टर और 't' का अर्थ समय है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।


उच्च मुद्रास्फीति, परिचालन लागत को बढ़ाती है, जो बदले में, निश्चित निवेश को कम करती है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, बैंक उधारी के प्रति निश्चित निवेश की संवेदनशीलता कम हो जाती है। यह निवेश दृष्टिकोण के लिए निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार की पुनः पुष्टि करने के लिए, तिमाही मौसमी रूप से समायोजित निवेश दर और वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण

(जारी)



चार्ट 2: निवेश चक्र



डेटा पर एक असममित बैंड-पास फिल्टर को नियोजित करके, निवेश चक्रों का अनुमान लगाया जाता है। दोनों श्रृंखलाओं से निकाले गए चक्र महामारी की पहली लहर के दौरान आई मंदी से निवेश में चक्रीय पुनरुद्धार की पुष्टि करते हैं (चार्ट 2)। आने वाले समय में पुनरुद्धार की धारणीयता भारत में निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति, वैश्विक उत्पादन और व्यापार में मजबूत वृद्धि, वित्तीय स्थितियों में सुधार, कंपनियों द्वारा समय पर परियोजना को पूरा करने और अनुकूल पण्य मूल्य दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी।

संदर्भ:


अरेलानो, एम. और बॉण्ड, एस.(1991), 'टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर पैनेल डेटा: मोटे कार्लो एविडेंस एंड एन एप्लिकेशन टू इम्प्लॉइमेंट ईक्वेशंस', आर्थिक अध्ययन की समीक्षा, 58 (2), 277-297।

का आयात और उत्पादन- में आई गति से स्पष्ट है, जिनमें 2022-23 में मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है।

II.2.10 रिज़र्व बैंक के ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबिकस) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का कुल क्षमता उपयोग (सीयू) 2022-23 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 74.3 प्रतिशत हो गया, जो पिछली तिमाही में 74.0 प्रतिशत था। हालांकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू में 40 बीपीएस की गिरावट आई और यह 2022-23 की तीसरी तिमाही में 74.1

प्रतिशत पर रहा। विनिर्माण कंपनियों के लिए, 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान नए ऑर्डर वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़े। 2022-23 की तीसरी तिमाही में बिक्री के मुकाबले तैयार माल इन्वेंट्री (एफजीआई) और कच्चे माल की इन्वेंट्री (आरएमआई) का अनुपात सपाट रहा, जो कमजोर मांग की स्थिति को दर्शाता है। 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए, आईओएस के उत्तरदाताओं ने, विशेष रूप से वित्तीय स्थिति के बारे में आशावाद का प्रदर्शन किया।

चार्ट II.2.3: निवेश मांग के संकेतक



II.2.11 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत दर पिछले वर्ष के 28.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 30.0 प्रतिशत हो गई, जो सामान्य सरकारी क्षेत्र का अधिव्यय कम होने के कारण हुआ, जिससे घरेलू बचत में गिरावट की भरपाई की। घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत- दो घाटे वाले क्षेत्रों, अर्थात् सामान्य सरकारी क्षेत्र और गैर-वित्तीय निगमों के लिए धन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत - 2021-22 में जीएनडीआई के 7.6 प्रतिशत तक कम हो गई (सारणी II.2.2 और परिशिष्ट सारणी 3)। भारत में घरेलू वित्तीय बचत में कमी, दबी हुई मांगों की पूर्ति और 2021-22 में आय प्रवाह से संबंधित चिंताओं के कम होने के कारण एहतियाती बचत में तत्संबंधी कमी को दर्शाती है।

सारणी II.2.2 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	10.5	10.4	9.9	10.7	10.4	11.9	11.8	11.4	15.2	11.0
जिसमें:											
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1
2. जमाएं	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.2
5. बीमा नीधि	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	1.9
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4
बी. वित्तीय देयताएं	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3	4.0	3.8	3.9	3.4
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	7.3	7.5	7.8	7.6	11.3	7.6

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय निपटान आय

नोट : पूर्णांकन (राउंडिंग ऑफ के कारण) आंकड़े कुल देय की जोड़ के बराबर नहीं भी हो सकते हैं


स्रोत : एनएसओ

II.2.12 निवेश मांग में पुनरुद्धार के कारण, 2021-22 में निजी गैर-वित्तीय निगमों का संसाधन-अंतर बढ़ गया (चार्ट II.2.4)। 2020-21 में कोविड-19 के चलते राजकोषीय घाटे में वृद्धि के बाद, राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिव्यय उच्च स्तर से कम हो गया।


3. समग्र आपूर्ति

II.2.13 मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति 2022-23 में 6.6 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आर्थिक गतिविधियों में क्रमिक पुनरुद्धार के साथ, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि दर (एमए-एसएएआर) के तीन-तिमाही चल औसत ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्शाई, लेकिन 2022-23 की तीसरी तिमाही में यह कम हो गया (चार्ट II.2.5)।

चार्ट II.2.4 : क्षेत्रीय संसाधन अंतर



चार्ट II.2.5: जीवीए संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और एसएएआर



II.2.14 जीवीए वृद्धि, अघात-सह कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार पर सुधार से प्रेरित थी (सारणी II.2.3)। दूसरी ओर, इनपुट लागत दबाव में तेजी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक मांग की नई स्थिति के बीच औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई।

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

II.2.15 कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर में 2022-23 में लगातार तीसरे साल नरमी आई। खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मक्का, जौ और दालों सहित), गन्ना, रेप सीड और सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन से, 2022-23 के दौरान इस क्षेत्र का जीवीए 3.3 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की उछाल को, आम तौर पर सामान्य संचयी दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) वर्षा-विभिन्न समयों और क्षेत्रों में इसके असमान वितरण, और वापसी में देरी के बावजूद - और सामान्य उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश से समर्थन मिला। सर्दियों के मौसम में कम बारिश (जनवरी-फरवरी) और फरवरी 2023 के दौरान रहे सामान्य से अधिक तापमान ने रबी उत्पादन के लिए अधोगामी जोखिम पैदा किया। फरवरी महत्वपूर्ण महीना होता है, जब गेहूं और अन्य रबी फसलों के साथ-साथ बागवानी फसलों में फूल फूटते हैं और दाने भरते हैं। इसके अलावा, मार्च महीने के दौरान ओलावृष्टि के साथ

असामान्य बारिश ने रबी फसलों के लिए और जोखिम पैदा कर दिया और प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसलों की कटाई में देरी हुई।

II.2.16 एसडब्ल्यूएम के असमान अस्थायी और स्थानिक वितरण ने खरीफ बुवाई की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे फसल बुआई का रकबा कम हो गया। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुरूप, मानसून 29 मई, 2022 को (अपनी सामान्य तारीख से दो दिन पहले) भारतीय मुख्य भूमि पर उतरा, लेकिन जून 2022 में बारिश सामान्य से कम रही, जिससे खरीफ बुवाई की शुरुआत में देरी हुई। जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक वर्षा में उतार-चढ़ाव होता रहा (चार्ट II.2.6)। हालांकि, मौसम के अंत (30 सितंबर, 2022) तक संचयी वर्षा, लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक रहते हुए, सामान्य थी। स्थानिक रूप से, जहां उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश सामान्य बेंचमार्क के आसपास मंडराती रही, वहीं मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में मौसम के मध्य और अंत के दौरान अत्यधिक बारिश हुई, जिससे कुछ खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों, जो भारत के चावल उत्पादन में एक तिहाई से अधिक का योगदान करते हैं, में खरीफ बुवाई के महत्वपूर्ण महीनों- जुलाई से


सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	2.1	6.2	4.1	3.5	3.3
II. उद्योग	4.9	-2.5	0.9	10.5	1.7
II.1 खनन और उत्खनन	-0.8	-3.0	-8.6	7.1	3.4
II.2 विनिर्माण	5.4	-3.0	2.9	11.1	0.6
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	7.9	2.3	-4.3	9.9	9.2
III. सेवाएँ	7.1	5.8	-7.9	9.6	9.3
III.1 निर्माण	6.5	1.6	-5.7	14.8	9.1
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	7.2	6.0	-19.7	13.8	14.2
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	7.0	6.8	2.1	4.7	6.9
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	7.5	6.6	-7.6	9.7	7.1
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	5.8	3.9	-4.2	8.8	6.6

स्रोत: एनएसओ।

चार्ट II.2.6: साप्ताहिक वर्षा 2022-23




स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारत सरकार।

अगस्त 2022 की अधिकांश अवधि के दौरान कम वर्षा देखी गई। उल्लेखनीय है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वर्षा के सामान्य स्तर की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई। सितंबर 2022 के अंत तक अंतिम खरीफ रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम था।

II.2.17 दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) की वापसी 20 सितंबर, 2022 के आसपास शुरू हुई और यह 23 अक्टूबर, 2022 को समाप्त हुई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती विक्षोभ के कारण धीमी गति से इसकी वापसी हुई। नतीजतन, अधिकांश प्रमंडलों में सितंबर और अक्टूबर 2022 के दौरान भारी बारिश हुई। इन बारिशों ने मिट्टी में अनुकूल नमी के साथ-साथ, पर्याप्त जलाशय स्तर सुनिश्चित किया, जो रबी फसलों के लिए अच्छा होता है। 12 जनवरी, 2023 (उत्तर-पूर्वी मानसून के अंत) तक जलाशय जल भंडारण स्तर, पूर्ण जलाशय क्षमता का 70 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के स्तर के बराबर था और पिछले 10-वर्षीय औसत से 20 प्रतिशत अधिक था (चार्ट II.2.7)। इन कारकों की मदद से रबी फसलों का बुवाई सत्र 2022-23, 720.7 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड रकबे के साथ समाप्त हुआ, जो पिछले साल की बुवाई से 3.3 प्रतिशत अधिक है। रबी फसलों

के रकबे में उछाल मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, मसूर, रेपसीड और सरसों से आया। नतीजतन, तीसरे अग्रिम अनुमानों (तृतीय ईई) के अनुसार, 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3305.3 लाख टन अनुमानित है, जो 2021-22 के लिए अंतिम अनुमानों (एफई) से 4.7 प्रतिशत अधिक है (सारणी 2.2.4)। लगातार सातवें वर्ष रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य रूप से रबी फसलों (6.2 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) का योगदान है

चार्ट II.2.7 : जलाशय स्तर (12 जनवरी, 2023 की स्थितिनुसार)



स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी II.2.4: कृषि उत्पादन 2022-23

(लाख टन)

फसल	2021-22		2022-23		2022-23 (तृतीय ईई) परिवर्तन (प्रतिशत)		
	तृतीय ईई	अंतिम	लक्ष्य	तृतीय ईई	2021-22 की तुलना में		2022-23 की तुलना में
					तृतीय ईई	अंतिम	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्यान्न	3,145.1	3,156.2	3,280.0	3,305.3	5.1	4.7	0.8
खरीफ	1,549.3	1,553.6	1,631.5	1,551.2	0.1	-0.2	-4.9
रबी*	1,595.9	1,602.5	1,648.5	1,754.2	9.9	9.5	6.4
चावल	1,296.6	1,294.7	1,305.0	1,355.4	4.5	4.7	3.9
गेहूं	1,064.1	1,077.4	1,120.0	1,127.4	6.0	4.6	0.7
दालें	277.5	273.0	295.5	275.0	-0.9	0.7	-6.9
तिलहन	385.0	379.6	413.5	410.0	6.5	8.0	-0.8
गन्ना	4,305.0	4,394.3	4,150.0	4,942.3	14.8	12.5	19.1
कपास #	315.4	311.2	370.0	343.5	8.9	10.4	-7.2
जूट और मेस्ता ##	102.2	101.5	105.0	94.9	-7.1	-6.5	-9.6


*: ग्रीष्म ऋतु उत्पादन को शामिल करते हुए। #: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें। ##: हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।



क्योंकि खरीफ फसलों के उत्पादन में सीमांत रूप से संकुचन (-1.2 प्रतिशत) हुआ है। बागवानी उत्पादन के मामले में, 2021-22 के लिए (तीसरे ईई) ने कुल उत्पादन को 7.0 लाख टन बढ़ाकर 3,423.3 लाख टन कर दिया, जो 2020-21 की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है और यह फलों एवं सब्जियों - दोनों के उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित है।

II.2.18 हाल के वर्षों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, रबी और खरीफ- दोनों फसलों के लिए 2022-23 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उत्पादन लागत पर³ 50 प्रतिशत का न्यूनतम लाभ (रिटर्न) सुनिश्चित किया। सभी फसलों के लिए कीमतें 2.0 प्रतिशत (चना के लिए) से लेकर 9.1 प्रतिशत (मसूर के लिए) के दायरे में बढ़ीं। 31 मार्च, 2023 तक, 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 492.2 लाख टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम है (चार्ट II.2.8)। नतीजतन, 31 मार्च, 2023 तक

चावल का बफर स्टॉक बफर मानदंड का 3.2 गुना था (चार्ट II.2.9)।



³ वास्तविक भुगतान लागत (ए2) और पारिवारिक श्रम (एफएल) का आरोपित मूल्य [ए2 + एफएल]।



II.2.19 2022-23 के रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 56.6 प्रतिशत की गिरावट के कारण, गेहूं का स्टॉक बफर मानदंडों (31 मार्च, 2023 तक) का 1.1 गुना था। गेहूं की कम खरीद, मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल 2022 के कटाई के महीनों के दौरान लगातार लू चलने से उपज में हुए नुकसान; और रूस-यूक्रेन युद्ध के फैलने के बाद गेहूं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई थी। भारत सरकार ने गेहूं पर (14 मई, 2022 को), गेहूं आधारित उत्पादों पर (25 अगस्त, 2022 को) और खुद्री चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके साथ ही, परमल चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर उच्च निर्यात शुल्क लगा दिया ताकि इनकी घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। फरवरी और मार्च 2023 के महीनों में, सरकार ने गेहूं से मुद्रास्फीति पर पड़ते दबाव को रोकने के लिए, मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत ई-नीलामी के माध्यम से, केंद्रीय पूल स्टॉक से 3.4 मिलियन टन गेहूं बाजार में उतारा।


II.2.20 गेहूं के घटते स्टॉक की भरपाई के लिए, अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत इसके छठे और सातवें चरण में गेहूं के स्थान पर चावल का वितरण किया गया था। अप्रैल 2020 में इसकी

शुरुआत के बाद से, इस योजना के तहत खाद्यान्नों का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कुल उठाव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था [चार्ट II.2.10]। महामारी के कम होने के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण 1 जनवरी, 2023 से बंद कर दिया गया था। इसके बजाय, केंद्र सरकार ने एकीकृत पीएम-जीकेएवाई योजना की घोषणा की, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) 2023 में निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। पहले एनएफएसए के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर (चावल/गेहूं/मोटे अनाज, क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम) दिया जाता था।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.21 2022-23 के दौरान, औद्योगिक क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग की स्थिति में सुधार देखा।


चार्ट II.2.11: संगठित विनिर्माण कंपनियाँ



संगठित विनिर्माण क्षेत्र, जो 2021-22 के दौरान कम आधार के साथ-साथ, कच्चे माल की लागत में नरमी से लाभान्वित हुआ था, को 2022-23 की पहली छमाही में कच्चे माल की बढ़ती लागत का खामियाजा भुगतना पड़ा (चार्ट II.2.11)। यूक्रेन में युद्ध के बाद आपूर्ति शृंखला की बाधाओं और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के साथ-साथ मांग की स्थिति में सुधार ने विनिर्माण कंपनियों की लाभप्रदता को प्रभावित किया। हालांकि 2022-23 की पहली तिमाही में बिक्री में वृद्धि ने राहत प्रदान की, लेकिन वैश्विक मंदी ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप मुनाफे में तेजी से कमी आई। 2022-23 की तीसरी तिमाही में, इनपुट लागत में कमी आने से मुनाफे में होती गिरावट पर कुछ हद तक रोक लग सकी।

II.2.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में 2022-23 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले साल 11.4 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र का तीन-चौथाई हिस्सा है, ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र की बहाली को आकार दिया (चार्ट II.2.12)। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 में से 19 उद्योग समूहों ने 2022-23 की पहली छमाही में विस्तार दर्ज किया, जो मोटर वाहनों, कोक


चार्ट II.2.12: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि



और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रासायनिक उत्पादों और मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण से प्रेरित था। वैश्विक मांग में नरमी से प्रभावित होने के कारण, विनिर्माण गतिविधियां 2022-23 की दूसरी छमाही में घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ गईं जहां एक ओर, वस्त्र; परिधान; चमड़े और संबंधित उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; और विद्युत उपकरणों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों ने 2022-23 की दूसरी छमाही में संकुचन दर्ज किया, वहीं दूसरी ओर, मूल धातुओं, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों, मशीनरी और उपकरण, और अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों में विस्तार दर्ज किया गया। आपूर्ति शृंखला की बाधाओं से जूझ रहे वाहन क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान त्योहारी मौसम में बिक्री से बल पाकर रफ्तार पकड़ ली।

II.2.23 2022-23 की पहली छमाही में उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर, सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष विस्तार दर्ज किया गया, जबकि 2022-23 की दूसरी छमाही में, केवल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में गिरावट देखी गई। 2022-23 में, प्राथमिक वस्तुओं, और बुनियादी ढांचा/निर्माण वस्तुओं ने वर्ष-दर-वर्ष के साथ-साथ, महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 के मुकाबले मजबूत वृद्धि दर्ज


चार्ट II.2.13: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - उपयोग आधारित वर्गीकरण



की। जहां एक ओर, पूँजीगत वस्तुओं ने आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 2019-20 के महामारी-पूर्व उत्पादन स्तर से नीचे रहने और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 के दौरान स्थिर रहने के साथ, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सुस्त बना रहा (चार्ट II.2.13)।

II.2.24 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है, ने मामूली सुधार दर्ज किया। एमएसएमई क्षेत्र का राजस्व 2022-23 में कोविड-19 से पहले के स्तर से 25 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है⁴ 99.8 प्रतिशत एमएसएमई के अपंजीकृत होने के साथ, असंगठित क्षेत्र के उत्पादन और रोजगार [राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), 2015-16] में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। कोविड-19 महामारी के आक्रमण से इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय पेश किए गए थे, जिसमें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) योजना भी शामिल थी, जिसका उद्देश्य व्यापार संचालन को बनाए रखने के लिए उनकी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल)


के आकलन के अनुसार, इस योजना ने एमएसएमई उधारकर्ताओं को उन उधारकर्ताओं की तुलना में सुविधा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के लिए कम अनर्जक आस्तियों (एनपीए) दरों के साथ अपने व्यवसायों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता की, जो पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया (सूक्ष्म, लघु और मध्यम की सभी श्रेणियों में) [चार्ट II.2.14]।



⁴ क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)

II.2.25 खनन क्षेत्र ने 2022-23 की पहली छमाही में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण कोयला उत्पादन में दोहरे अंकों की संवृद्धि थी, जो उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के जवाब में कम आयात की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक हो गया था। 2022-23 की दूसरी छमाही में खनन क्षेत्र वार्षिक आधार पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत रहा, कोयले ने मजबूत संवृद्धि दर्ज की, जबकि कच्चे तेल ने 2022-23 की दूसरी छमाही में संकुचन दर्ज किया। थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत संवृद्धि के कारण 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बिजली उत्पादन 10.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, लेकिन 2022-23 की दूसरी छमाही में यह घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल उत्पादन का 12.6 प्रतिशत है, ने 2022-23 की पहली छमाही के दौरान 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान 21.3 प्रतिशत की मजबूत संवृद्धि दर्ज की। जबकि भारत 2022 तक 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य से चूक गया, अब तक की प्रगति सराहनीय है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो को छोड़कर) की स्थापित क्षमता 2017-18 और 2022-23 के बीच 81.3 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे मार्च 2023 में कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय⁵ (हाइड्रो को छोड़कर) की हिस्सेदारी बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गई है। कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी भी सितंबर 2015 में समाप्त तिमाही में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में समाप्त तिमाही में 12.6 प्रतिशत हो गई है (चार्ट II.2.15)।


II.2.26 बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बकाया भारत में बिजली क्षेत्र को परेशान करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। इसके समाधान के लिए सरकार ने मई 2022 में देर से भुगतान अधिभार (एलपीएस) योजना शुरू की थी, जिसके तहत 3 जून 2022 तक बिजली उत्पादक को दिए गए सभी बकाये को 48 किस्तों में समाप्त किया



सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

संकेतक	2021-22				2022-23			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी मांग								
ऑटोमोबाइल बिक्री	108.5	-10.2	-23.2	-19.3	51.4	16.9	10.0	8.7
यात्री वाहन बिक्री	317.7	-2.1	-20.2	-6.1	33.9	34.4	21.4	10.7
कृषि / ग्रामीण मांग								
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	38.9	-10.6	-13.5	-25.7	15.8	4.8	10.5	18.7
दुपहिया वाहनों की बिक्री	85.7	-12.3	-24.8	-22.4	54.4	13.6	7.2	6.7
तिपहिया वाहनों की बिक्री	92.0	52.0	12.5	-4.0	210.9	71.2	68.2	84.4
यातायात								
कुल वाहन पंजीकरण	78.0	11.6	-9.5	-8.5	61.5	1.3	18.8	14.8
घरेलू हवाई यात्री यातायात	371.1	108.5	61.5	6.7	206.2	64.1	18.5	52.2
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	328.0	110.4	138.5	80.8	403.3	263.9	98.1	93.6
घरेलू हवाई कार्गो	201.9	27.2	2.5	-4.4	32.1	9.9	-3	2.3
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	118.6	24.8	15.4	2.0	-1.7	-3.8	-11	-2.8
माल यातायात निवल टन किलो मी	52.8	16.6	14.1	11.1	19.4	14.5	3.7	4.7
फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट उत्पत्ति	40.5	12.8	7.3	7.0	11.8	8.4	3.2	3.7
पोर्ट कार्गो*	26.8	6.1	1.8	-0.9	9.2	12.8	5.2	12.0
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	97.9	27.5	10.8	9.2	45.6	20.1	17.2	18.1
जीएसटी ई-वे बिल इंटर-स्टेट	87.5	25.5	11.7	11.2	46.6	23.8	23.6	22.3
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	117.4	30.7	9.6	6.2	43.8	14.6	7.4	11.4
जीएसटी राजस्व	81.9	28.2	20.3	15.9	34.5	27.5	14.2	12.6
निर्माण								
स्टील की खपत	104.3	1.7	-6.4	-1.6	9.8	13.0	13.3	12.3
सीमेंट उत्पादन	55.9	22.5	8.7	9.0	17.3	4.9	9.8	3.6
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	71.9	118.4	56.0	0.3	140.0	21.1	13.5	32.2
विदेशी पर्यटकों का आगमन	786.7	363.6	280.7	131.7	895.4	496.5	209.5	222.4



* : उपलब्धता के अनुसार 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए जनवरी/फरवरी 2023 के आंकड़े हैं।

स्रोत: एसआईएएम, एनारॉक, सीएमआईई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, संयुक्त संयंत्र समिति और सीईआईसी।

II.2.28 सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर निरंतर जोर दिए जाने के कारण निर्माण क्षेत्र मजबूत बना रहा। महामारी में एक मजबूत प्रदर्शन के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2022-23 में नरमी आई, जिसमें कंपनियों ने धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों के कारण लाभ में

गिरावट दर्ज की गई। अवकाश और कॉर्पोरेट यात्रा की मांग बढ़ने से आतिथ्य क्षेत्र ने 2022-23 में वापसी की। वित्तीय क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कुल जमा और बैंक ऋण में विस्तार दर्ज किया गया। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं (पीएडीओ) 2022-23 में मुख्य रूप से अन्य सेवाओं में तेज संवृद्धि के कारण


आघात-सहनीय रहीं, जबकि वर्ष के दौरान सरकारी व्यय - विशेष रूप से केंद्र सरकार का धीमा रहा।

II.2.29 महामारी के बाद घर के स्वामित्व के लिए दबी हुई मांग और मजबूत उपभोक्ता धारणा ने 2022-23 में आवासीय आवास क्षेत्र में मजबूत सुधार की गति को कम कर दिया। 2022-23 में, दो वर्ष के रुक-रुक कर बंद होने के बाद पूरी हुई परियोजनाओं के मामले में आवासीय शुभारंभ में लगातार सुधार हुआ। तीसरी तिमाही में कुछ समय के लिए गति खोने के बाद 2022-23 की पहली छमाही में आवास बिक्री में तेजी आई और चौथी तिमाही में सुधार हुआ। जैसे-जैसे लॉन्च बिक्री से आगे निकलता गया, अनसोल्ड इन्वेंट्री में संवृद्धि हुई (चार्ट II.2.16)।



II.2.30 महामारी ने सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया। डिजिटल अपनाने से व्यापार संचालन के त्वरित पुनः अभिविन्यास की सुविधा प्रदान करके आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने में मदद मिली। 3 मार्च, 2023 तक 30,887 कंपनियों के साथ 1,08,585 कंपनियों वाली भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की कुल फंडिंग 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो अपने मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र भी है, जिसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 2022 में 26,542 तक बढ़ गई है [चार्ट II.2.17]।

II.2.31 विमानन यात्री यातायात ने 2022-23 की पहली छमाही और 2022-23 की दूसरी छमाही में कार्गो यातायात की

चार्ट II.2.16: स्थावर संपदा



स्रोत: प्रॉपटाइगर।




तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि यह महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा। पोर्ट कार्गो 2022-23 की पहली छमाही में मजबूत रहा, लेकिन बाद की तिमाहियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के कारण इसमें नरमी आई। जीएसटी ई-वे बिल, जीएसटी राजस्व और रेलवे माल ढुलाई संग्रह ने 2022-23 में उत्साहजनक गति प्रदर्शित की (सारणी II.2.5)।

II.2.32 रिज़र्व बैंक का सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)⁶ जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में गतिविधि को ट्रैक करता है और पीएडीओ को छोड़कर, सेवा क्षेत्र में जीवीए संवृद्धि का एक संयोग सूचक है, में 2022-23 की चौथी तिमाही में और संवृद्धि देखी गई (चार्ट II.2.18)।


4. रोजगार

II.2.33 वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के श्रम बाजार संकेतक 2021-22 के दौरान बढ़ती श्रमबल भागीदारी दर के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति का सुझाव देते हैं (चार्ट II.2.19)।

II.2.34 तिमाही पीएलएफएस के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार की स्थिति में 2022-23 के दौरान लगातार सुधार हुआ है। 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान श्रम बल की भागीदारी




⁶ एसएससीआई का निर्माण उच्च आवृत्ति संकेतकों, अर्थात् इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर संभाले गए कार्गो, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री/उत्पादन, रेलवे माल यातायात, हवाई यात्री/माल यातायात, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक क्रेडिट और जमा से एकत्र की गई जानकारी को उपयुक्त रूप से निकालकर और संयोजित करके किया जाता है।



ने महामारी से पहले के जनवरी-मार्च 2020 के स्तर को पार कर लिया। श्रमिकों और जनसंख्या का अनुपात अक्तूबर-दिसंबर 2022 के दौरान चरम पर था और बेरोजगारी दर 2017-18 में सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे कम थी (चार्ट II.2.20)।

II.2.35 पेट्रोल डाटा द्वारा मापा गया संगठित क्षेत्र का रोजगार, 2022-23 में रोजगार सृजन में सुधार का संकेत देता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रति माह जुड़ने वाले औसत शुद्ध अंशधारक 2022-23 के दौरान बढ़कर 11.5 लाख हो गए, जो 2021-22 में 10.2 लाख थे, जो औपचारिक रोजगार अवसरों में बेहतरी का संकेत है।

II.2.36 विभिन्न वैकल्पिक रोजगार संकेतकों ने भी 2022-23 के दौरान रोजगार की स्थिति में लगातार सुधार दिखाया। रोजगार के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में पेट्रोल नियुक्तियों में लगातार वृद्धि दिखाई। मार्च 2023 में मामूली संकुचन को छोड़कर, 2022-23 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के लिए रोजगार सूचकांक 50 के 'कोई परिवर्तन नहीं' स्तर से ऊपर रहा, जबकि सेवाओं के लिए, यह मई 2022 में मामूली गिरावट को छोड़कर, पूरी अवधि के लिए सकारात्मक



था। इसी तरह, नौकरी सूचकांक जो Naukri.com पर नौकरी लिस्टिंग के आधार पर भर्ती गतिविधि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, ने भी 2022-23 के दौरान रोजगार की स्थिति में सुधार दिखाया है (चार्ट II.2.21)।

5. निष्कर्ष

II.2.37 भारत ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच, 2022-23 में सुदृढ़ संवृद्धि का प्रदर्शन किया। मजबूत घरेलू समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों, पूंजीगत व्यय पर राजकोषीय नीतिगत जोर, कॉर्पोरेट क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ तुलनपत्रों, और सरकार द्वारा हाल के वर्षों में घोषित और लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने संवृद्धि की गति को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता को सुदृढ़ किया है। कमजोर बाहरी मांग की स्थिति ने गति कम कर दी। श्रम बाजार की स्थिति सामान्य हो गई है, और असंगठित क्षेत्र की गतिविधि 2022-23 में विस्तार क्षेत्र में लौट आई है। सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम - दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक टीकाकरण अभियानों में से एक, जिसमें दो अरब से अधिक खुराक शामिल हैं- ने उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में सुधार करने में मदद की।


II.3 कीमतों की स्थिति

II.3.1 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई जो मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद नए सिरे से आपूर्ति व्यवधानों के बीच खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, ईई में श्रम बाजार की तंग स्थिति, महामारी के समय के निचले स्तर से विकास की गति में आ रही मजबूती और अमेरिकी फेड द्वारा मौद्रिक नीति अति सख्त किए जाने के परिणामस्वरूप ईएमडीई में वित्तीय बाजारों में उत्पन्न अस्थिरता से प्रेरित है। वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते और यह महसूस किए जाने पर कि मूल्य दबाव क्षणभंगुर नहीं है, मौद्रिक नीति को समन्वित रूप से सख्त किया गया, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए एकबारगी नीतिगत कार्रवाई पर जोर दिया गया।

II.3.2 2022 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं, जो कोविड-19 के बाद आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित थीं और जो यूक्रेन में युद्ध से बढ़ गईं, जिससे प्रमुख खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की वैश्विक स्तर पर कमी हो गई। विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक दिसंबर 2021 की तुलना में 54.4 प्रतिशत बढ़कर जून 2022 में शिखर पर पहुंच गया, जबकि खाद्य कीमतों में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मई 2022 में शिखर पर पहुंच गई तथा 'धातु और खनिज' की कीमतें 21 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2022 में शिखर पर पहुंच गयीं। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, पण्य-वस्तुओं की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ और ऊर्जा मूल्य सूचकांक जून 2022 के स्तर की तुलना में मार्च 2023 में 40.4 प्रतिशत नीचे आया। इसी तरह खाद्य पदार्थों की कीमतों में 15.3 प्रतिशत और धातुओं एवं खनिजों की कीमतों में 23.3 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में और शुरुआती 2023 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद

भू-राजनीतिक अनिश्चितता में वृद्धि, वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव, कुछ देशों में कोविड-19 की लहर के फिर से उभरने और संबंधित आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों ने कीमतों के दबाव को बनाए रखा जिससे मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण सख्ती के बावजूद अवस्फीति की गति सीमित हो गई।

II.3.3 भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति⁷, जनवरी-अक्तूबर 2022 के दौरान लगातार मुद्रास्फीति लक्ष्य के स्वीकार्य ऊपरी स्तर से ऊपर रही। खाद्य कीमतों में मौसमी नरमी के कारण नवंबर और दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति में अल्पकालिक कमी देखी गई। जनवरी-फरवरी 2023 में इनमें फिर से वृद्धि हुई और मार्च 2023 में इसमें कमी आई। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के चरम पर पहुंच गई जो निरंतर आपूर्ति व्यवधान, वैश्विक पण्य-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा मूल्यहास, यूक्रेन में युद्ध के कारण ईएमडीई को पहुंचे एक जैसे प्रतिकूल वैश्विक आघात के कारण तीन प्रमुख समूहों - खाद्य, ईंधन और कोर (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति में आई



⁷ हेडलाइन मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आधार वर्ष: 2012 = 100 लेते हुए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है।

सारणी II.3.1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति – प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7
मानक विचलन	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7
स्क्यूनेस	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1
कर्टोसिस	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6
माध्यिका	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7
अधिकतम	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8
न्यूनतम	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7

टिप्पणी : स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तीव्र वृद्धि से प्रेरित थी - (चार्ट II.3.1)। इसके बाद, आपूर्ति शृंखला के दबावों के सामान्य होने, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण इनपुट लागत दबाव में कमी, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से मौद्रिक नीति को कड़ा करने से मूल्य दबाव कम हो गया, जिससे मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर 2022 में ऊपरी स्वीकार्य के स्तर से नीचे आ गई, तथापि जनवरी-फरवरी 2023 में अनाज में उम्मीद से अधिक मूल्य वृद्धि के कारण यह फिर से बढ़ गई। वर्ष के दौरान कोर मुद्रास्फीति आम तौर पर ऊंची और जड़ बनी रही, जो माल मुद्रास्फीति और सेवा मुद्रास्फीति में सूक्ष्म वृद्धि के चलते इनपुट लागत दबाव के क्रमिक प्रभाव को दर्शाता है।


II.3.4 2022-23 में औसत मुद्रास्फीति 2021-22 से तेजी से बढ़ी, जबकि मुद्रास्फीति में अस्थिरता, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है, एक साल पहले की तुलना में मामूली रूप से कम थी (सारणी II.3.1)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कई महीनों में मुद्रास्फीति की स्थिति प्रतिकूल रही जो पूर्व औसत मुद्रास्फीति स्थिति की तुलना में अधिक है।

II.3.5 इस पृष्ठभूमि में उप-खंड 2 में वस्तुओं की वैश्विक कीमतों और मुद्रास्फीति में हुए उतार-चढ़ाव का आकलन किया गया है। उप-खंड 3 में प्रमुख परिवर्तनकारी बिंदुओं सहित भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है।

इसके बाद उप-खंड 4 में इसके प्राथमिक घटकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कीमतों और लागतों के अन्य संकेतकों का विश्लेषण उप-खंड 5 में किया गया है और इसके बाद निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति विकास

II.3.6 2022-23 की पहली तिमाही में पण्य की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक और वैश्विक मांग में सुधार के कारण हुई थी (चार्ट II.3.2)। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 2022-23 की पहली तिमाही में तेजी



3. भारत में मुद्रास्फीति

चार्ट II.3.3: सभी देशों की मुद्रास्फीति

प्रतिशत (व-द-व)

— यूरो क्षेत्र
— चीन
— संयुक्त राज्य अमेरिका
— ब्राजील
- - - भारत
— यूनाइटेड किंगडम

जन-17 अग-17 जुला-17 फर-18 अग-18 जुला-18 फर-19 अग-19 जुला-19 फर-20 अग-20 फर-21 अग-21 जुला-21 फर-22 अग-22 जुला-22 फर-23 मार्-23

चार्ट II.3.4: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

प्रतिशत

प्रतिशत (वन्-व)

माह-दर-माह परिवर्तन

आधार प्रभाव

मुद्रास्फीति (दायां मान)

टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रतिबंध लगाने के कारण मुद्रास्फीति कम हो गई। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों

(बीपीएस) की संचयी सख्ती ने भी 2022-23 की दूसरी छमाही में मूल्य दबाव को नियंत्रित करने में मदद की (बॉक्स II.3.1)।


बॉक्स II.3.1 मौद्रिक नीति और अवस्फीति

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और इसे तत्काल प्राथमिकता के रूप में सहनीयता बैंड के भीतर लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की।

मौद्रिक सख्ती की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 1998-99 की पहली तिमाही से 2021-22 की चौथी तिमाही तक की अवधि के लिए डेटा को शामिल करके एक डीपी चर के माध्यम से कोविड-19 महामारी के आघातों के लिए अनुमानित चार चर वीएआर मॉडल का प्रयोग वास्तविक जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि, सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष), सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा और नीतिगत ब्याज दर को प्रमुख चर के रूप में उपयोग करते हुए किया जाता है। आवेग प्रतिक्रिया परिणाम मौद्रिक नीति के आघातों के लिए विकास और मुद्रास्फीति की सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं (चार्ट 1)। नीतिगत दर में एक प्रतिशत अंक (पीपी) की वृद्धि से तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 30 आधार अंकों की गिरावट का अधिकतम प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव 8वीं तिमाही तक रहता है। मुद्रास्फीति पर प्रभाव 5वीं तिमाही में 22 बीपीएस का अधिकतम प्रभाव के साथ और लंबे समय, यहां तक कि चार वर्ष से भी आगे तक भी उच्च अंतराल के साथ बना रहता है।

उसी वीएआर मॉडल का उपयोग करते हुए चो और मोरेनो (2006) के बाद, समय पर और एकबारगी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के महत्व का आकलन करने के लिए एक नीति प्रतिक्रिया प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत स्थितियों में यह कार्य 2022-23 की पहली तिमाही को शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग कर और मौद्रिक नीति संचरण के लिए आठ तिमाहियों तक के प्रभाव का आकलन निम्नलिखित तीन परिदृश्यों के अंतर्गत किया जाता है: (ए) कोई नीतिगत बदलाव नहीं या पूरी अवधि के लिए रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना; (ख) 2022-23 की प्रथम तिमाही में केवल एक बार नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों की वृद्धि; और (ग) वर्तमान नीतिगत परिदृश्य के तहत सख्त रुख अर्थात् फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि। इस अभ्यास के अनुकरण परिणाम बताते हैं कि नीतिगत परिवर्तन नहीं होने के परिदृश्य के तहत मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती और आठवीं तिमाही के अंत तक यह 7.3 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई होती (चार्ट 2)। दूसरे परिदृश्य में मुद्रास्फीति नीतिगत बदलाव नहीं होने की स्थिति की तुलना में करीब 25 आधार अंक कम होती। हालांकि, मौजूदा सख्त मौद्रिक नीति रुख (परिदृश्य सी) के तहत, मुद्रास्फीति में 50 बीपीएस से अधिक की कमी आने का अनुमान है, जबकि नीतिगत रेपो दर के तहत मुद्रास्फीति में लगभग 90 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसे 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। सख्त नीतिगत रुख को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों ने विकास को लगभग 65 बीपीएस तक कम


चार्ट 1: नीतिगत दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि पर आवेग प्रतिक्रिया



स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

चार्ट 2 : जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति का प्रभाव



स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कर दिया होगा। एकबारगी नीतिगत कार्रवाई का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति 90 बीपीएस अधिक होती, जबकि रेपो दर में केवल 100 बीपीएस की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति केवल 25 बीपीएस कम होती।

संदर्भ:

चो, एस., एन्ड मोरेनो, ए. (2006), 'ए स्मॉल-सैम्पल स्टडी ऑफ द न्यू-केनिसियन मैक्रो मॉडल, 'जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एन्ड बैंकिंग', खंड 38, अंक 6, 1461-1481।

II.3.8 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति निर्माण का प्राथमिक स्रोत थी, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान पिछले वर्ष के 35.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 46.4 प्रतिशत हो गया। खाद्य की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति में कमी और प्रतिकूल घरेलू मौसम की स्थिति के कारण प्रमुखता से अनाज, सब्जियों और खाद्य तेलों के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आई।

II.3.9 2022-23 में ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति औसतन 10.3 प्रतिशत थी, जो मिट्टी के तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में तेज उछाल से प्रेरित थी, जो कि यूक्रेन में युद्ध के बाद ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। अक्टूबर 2022 तक अवस्फीति में रहने के बाद प्रतिकूल आधार प्रभाव और कुछ राज्यों में शुल्क में वृद्धि के कारण नवंबर 2022 में बिजली की कीमतों में 3.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

II.3.10 खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति या मुख्य मुद्रास्फीति, पूरे वर्ष लगभग 6 प्रतिशत के लगातार उच्च स्तर पर बनी रही। मूल्य दबाव व्यापक आधार पर थे जो इनपुट लागत दबावों और घरेलू मांग की वसूली को दर्शाते थे (बॉक्स II.3.2)। आपूर्ति के आघातों, मांग में सुधार, मुद्रास्फीति की उम्मीदें, विनिमय दर में गिरावट, राजकोषीय रुख जैसे कारकों ने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया (आरबीआई, 2023)⁸। अप्रैल 2022 में तेज उछाल के बाद, हालांकि, कीमतों का दबाव कुछ हद तक कम हो गया, जिसमें 22 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल में उत्पाद शुल्क में कटौती सहित सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के उपायों से सहायता मिली। मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के मुख्य चालक कपड़े और जूते, आवास, परिवहन और संचार, स्वास्थ्य, घरेलू सामान और सेवाएं और आमोद-प्रमोद थे।

II.3.11 2022-23 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत थी, जो एक साल पहले की तुलना में 115 बीपीएस अधिक थी (परिशिष्ट सारणी 4)।

⁸ आरबीआई (2023), "भारत के लिए एक रीकैलिब्रेटेड त्रैमासिक प्रोजेक्शन मॉडल (क्यूपीएम 2.0)", आरबीआई बुलेटिन, फरवरी।

बॉक्स II.3.2

भारत में मुद्रास्फीति संबंधी हाल की स्थिति - मांग की तुलना में आपूर्ति की भूमिका

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के कठिन कार्य में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मांग और आपूर्ति की भूमिका के बीच अंतर की पहचान करना मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि आपूर्ति आघातों के बने रहने तथा आर्थिक विकास दमित रहने से (शापिरो, 2022 ए) उच्च मुद्रास्फीति होने का जोखिम बढ़ता है, इसलिए आपूर्ति में बार-बार अस्थिरता के विभिन्न चरणों या दौर में आपूर्ति आघातों से संबंधित योगदान को समझना अनिवार्य है।

पाठ में, संयुक्त राज्य अमेरिका (शापिरो, 2022 ए और 2022 बी) के मामले में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीडी) से समान मूल्य तथा मात्रा डेटा, और जहां समान मूल्य और मात्रा डेटा उपलब्ध नहीं हैं वहां घरेलू उपभोग व्यय के लिए त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा डेटा (ओईसीडी, 2022) का उपयोग मांग और आपूर्ति के आघातों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यह रोलिंग विंडो पर द्वि-भिन्नरूपी वेक्टर ऑटो प्रतिगामी (वीएआर) मॉडल चलाकर और उनके अवशिष्ट की व्याख्या करके विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य और मात्रा के आघातों की दिशा की पहचान करके किया जाता है। समान संकेतों के साथ मूल्य और मात्रा अवशिष्ट को मांग को प्रतिबिंबित करने के लिए माना जाता है - उच्च मांग कीमतों और मात्रा, दोनों को एक ही दिशा में धकेलती है और इसके विपरीत दिशा में विपरीत भी होता है- जबकि विपरीत संकेत वाले अवशिष्ट आपूर्ति आघातों से संबंधित होते हैं - कम आपूर्ति का अर्थ मात्रा में कमी लेकिन कीमत में वृद्धि है।

चूंकि भारत के संबंध में सीपीआई मर्गों के लिए समान मूल्य और मात्रा डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कीमतों से संबंधित 23 सीपीआई उप-समूह डेटा को सीएमआईआई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) सीपीएचएस (उपभोक्ता पिरामिड व्यय सर्वेक्षण) उपभोग व्यय डेटा⁹ में मैप किया जाता है, जिसे बाद में संबंधित सीपीआई द्वारा मात्रा के लिए प्रॉक्सी प्राप्त करने के लिए घटाया जाता है। एकसमान आधार प्राप्त करने के लिए इन 23 मैप किए गए सीपीआई उप-समूहों और संबंधित सीएमआईआई सीपीएचएस व्यय श्रेणियों को जनवरी 2014 = 100 पर पुनर्स्थापित किया गया है और फिर डी-सीजनलाइज किया गया है। सीएमआईआई सीपीएचएस डेटा की उपलब्धता के आधार पर विश्लेषण के लिए नमूना अवधि जनवरी 2014 से दिसंबर 2022 है। ओईसीडी, 2022

के अनुसार, कीमतों और मात्राओं के लिए दो समीकरणों वाला वीएआर मॉडल निम्नानुसार 5 साल की रोलिंग विंडो के लिए चलाया गया:

$$P_{i,t} = z_{i,t-1} \gamma + \varepsilon_{i,t}^p \quad \dots(1)$$

$$Q_{i,t} = z_{i,t-1} \gamma + \varepsilon_{i,t}^q \quad \dots(2)$$

जहां $P_{i,t}$ और $Q_{i,t}$ महीने t में श्रेणी i के लिए क्रमशः कीमत और मात्रा सूचकांकों के लॉग मान हैं, और $z_{i,t-1}$ महीने t में श्रेणी i के क्रमशः लॉग कीमत और लॉग मात्रा सूचकांकों के अंतराल का एक वेक्टर है, और $\varepsilon_{i,t}^p$ एवं $\varepsilon_{i,t}^q$ महीने t में श्रेणी i के लिए कीमत और मात्रा अवशिष्ट हैं।

मूल्य और मात्रा, दोनों के एक-अवधि आगे के पूर्वानुमान 23 समान श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए प्राप्त किए गए और उनके वास्तविक मूल्यों के साथ तुलना की गई।


जनवरी 2019-दिसंबर 2022 के दौरान प्रत्येक महीने में 23 उप-समूहों को मांग, आपूर्ति और अस्पष्ट¹⁰ में वर्गीकृत करने के बाद, इन उप-समूहों के सीपीआई भार का उपयोग सीपीआई मुद्रास्फीति में उनके योगदान की गणना करने के लिए किया गया और फिर मांग और आपूर्ति संचालित मुद्रास्फीति की सीमा को निर्धारित करने के लिए मांग संचालित, आपूर्ति संचालित और अस्पष्ट घटकों में एकत्र किया गया। परिणाम बताते हैं कि खाद्य समूह के भीतर सब्जियां, दूध, तेल और वसा, चीनी, अंडे, और मांस तथा मछली ने लगातार आपूर्ति-पक्ष का दबाव अनुभव किया, जबकि गैर-मादक पेय, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामान, शिक्षा और आमोद तथा मनोरंजन मुख्य रूप से मांग पक्ष कारकों से प्रभावित हुए। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति में मांग पक्ष के कारकों का औसत योगदान 2019 में 35.2 प्रतिशत था, जो कोविड-19 आघात के दौरान घटकर 2020 में 24.6 प्रतिशत हो गया, और फिर धीरे-धीरे सुधरकर 2021 में 31.8 प्रतिशत और 2022 में 30.50 प्रतिशत हो गया। अक्तूबर-नवंबर 2019 में अधिक बारिश से उत्पन्न आपूर्ति आघातों के दौरान और कोविड-19 के विभिन्न चरणों के दौरान आपूर्ति पक्ष के कारक हावी रहे और पूरे नमूना अवधि के दौरान सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति में उनका लगभग 55 प्रतिशत योगदान रहा (चार्ट 1)।

(जारी)

⁹ सीएमआईआई सीपीएचएस डेटा से विभिन्न उप समूहों के लिए प्राप्त व्यय शेयर आवास किराये को छोड़कर अधिकांश उप-समूहों के लिए सीपीआई भारिता के बराबर हैं।

¹⁰ यदि पूर्वानुमानित मूल्य और मात्रा के लिए अवशिष्ट के संकेत समान हैं, तो इसे मांग संचालित के रूप में व्याख्या की जाती है और यदि यह विपरीत संकेत है, तो इसे आपूर्ति संचालित के रूप में व्याख्या किया जाता है। इसके अलावा, यदि वास्तविक मूल्यों में से कोई एक अपने अनुमानित मूल्य के काफी करीब है (अवशिष्ट सांख्यिकीय रूप से शून्य से अविभेद्य है), यानी, यदि मूल्य या मात्रा में अप्रत्याशित परिवर्तन प्रत्येक रोलिंग 5 साल की विंडो में अवशिष्ट के 45वें और 55वें पर्सेंटाइल के बीच होता है, तो श्रेणी को अस्पष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट 1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के चालक



स्रोत : एनएसओ, सीएमआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

यूक्रेन में युद्ध के बाद से, आपूर्ति पक्ष के कारकों के अलावा, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने में मांग पक्ष के कारकों की भूमिका भी बढ़ी है, जो मार्च-मई 2022 के दौरान लगभग 42.5 प्रतिशत और त्रैमासिक मांग में तेजी

के कारण नवंबर 2022 में 54.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस अध्ययन का निष्कर्ष मई 2022 में उचित समय पर की गई मौद्रिक सख्ती, वर्ष के दौरान यह सख्ती जारी रखने तथा नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि का समर्थन करता है। इस प्रकार, संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति के बीच विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर उठाए गए नीतिगत कदम समय के अनुसार उचित थे।


संदर्भ:

1. शापिरो, एच (2022 ए), 'ए सिंपल फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इन्फ्लेशन', फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, वर्किंग पेपर 2020-29।
2. शापिरो, एच (2022 बी), 'हाऊ मच डू सप्लाय एंड डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन?', फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को इकोनॉमिक लेटर, 15।
3. ओईसीडी (2022), 'सप्लाय-एंड डिमांड-ड्रिवन इन्फ्लेशन इन ओईसीडी इकॉनॉमीज़', इकोनॉमिक आउटलुक, वॉल्यूम 2022, अंक 2।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

॥.3.12 वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों से प्रेरित थी, इसके बाद ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते, परिवहन और संचार, और स्वास्थ्य और शिक्षा का स्थान रहा (चार्ट ॥.3.5)।

चार्ट ॥.3.5: मुद्रास्फीति के चालक (वर्ष-दर-वर्ष)




*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

खाद्यान्न

॥.3.13 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में भार: 45.9 प्रतिशत) 2022-23 में 4.6 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत के एक विस्तृत दायरे में परिवर्तनशील थी, जो आघातों के संयोजन को दर्शाती है, यथा - संघर्ष प्रेरित, वैश्विक खाद्य और उर्वरक मूल्य वृद्धि, घरेलू रबी फसल उत्पादन पर गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव और कृषि इनपुट के बढ़े हुए लागत के दबाव - और मौसमी मूल्य-प्रवृत्ति सब्जियों, तेल और वसा, पशु प्रोटीन, और अनाज और उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पहली छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति-वृद्धि के प्रमुख कारक थे, जबकि सब्जियों और तेल और वसा की कीमतों में कमी से दूसरी छमाही में नरमी आई (चार्ट ॥.3.6)।


॥.3.14 वर्ष 2021-22 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत रही। खाद्य समूह के भीतर पांच उप-समूहों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में कुल बारह उप-समूहों में से शेष सात उप-समूहों में यह कम हुई (चार्ट ॥.3.7)। अनाज, सब्जियों और मसालों की कीमतों में वर्ष की एक प्रमुख अवधि के दौरान

चार्ट II.3.6: खाद्य मुद्रास्फीति चालक (वर्ष-दर-वर्ष)



*: इसमें मांस और मछली, अंडे और दूध और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
#: चीनी और मिष्ठान, मसाले, एल्कोहोल मुक्त पेय-पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं।
टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए मांस तथा मछली और तैयार भोजन, आदि का सूचकांक और मई 2020 के लिए तैयार भोजन, आदि का सूचकांक एनएसओ के हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.7: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उच्च मुद्रास्फीति का दबाव देखा गया, जिससे समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई।


II.3.15 वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में गर्मी की शुरुआत, ताप की लहरों और अत्यधिक बारिश ने सब्जियों की कीमतों (भार: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 13.2 प्रतिशत) को बढ़ा दिया, जो नवंबर 2022 में नई फसल की आवक के साथ कम हो गया (चार्ट II.3.8ए और II.3.8बी)। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2022 तक वृद्धि के बाद नवंबर में सब्जियों की कीमतों

की संचयी गति तेजी से कम हुई और दिसंबर 2022 से ऋणात्मक हो गई और वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।


II.3.16 अच्छी रबी फसल [2020-21 के अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में तीसरे उन्नत अनुमानों (एई) के अनुसार 2021-22 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि और 2022-23 के लिए मूल्य स्थिरीकरण बफर हेतु केंद्र द्वारा 2.5 लाख टन की रिकॉर्ड खरीद (2021-22 की तुलना में 0.5 लाख टन अधिक) के

चार्ट II.3.8: सीपीआई-सब्जी कीमतों और तापमान विसंगति में मौसमी प्रभाव

ए: सीपीआई-सब्जियाँ (संचयी उतार-चढ़ाव)



बी: तापमान विसंगति



टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, तापमान विसंगति को 30-वर्ष के औसत (1981 से 2010) से विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्रोत: एनएसओ, एन्वी स्टेट्स इंडिया 2022, सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और रिजर्व बैंक स्टाफ अनुमान।

कारण, अप्रैल-मई 2022 के दौरान प्याज की कीमतों में नरमी आई। हालांकि, बाद के महीनों में (सितंबर 2022 को छोड़कर) नवंबर 2022 तक मांग में मौसमी वृद्धि और प्रमुख खरीफ प्याज उत्पादक राज्यों में कम और अत्यधिक वर्षा दोनों के कारण खरीफ उत्पादन में कमी के कारण मूल्य दबाव उभरा। 2022-23 में टमाटर की कीमतों में, अप्रैल-जून 2022 के दौरान तेज गर्मी के कारण अस्थिरता आई और इसके बाद अगले दो महीनों में कीमतें कम हुईं और मानसून की अनिश्चितता के कारण सितंबर-अक्तूबर 2022 के दौरान कीमत-वृद्धि का एक और दौर चला। कीमतों में उतार-चढ़ाव तीव्र मौसम की घटनाओं से प्रेरित था, जिसमें उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, पूरे देश में मानसून का असमान वितरण और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक वर्षा शामिल थी, जिसके कारण फसल की क्षति हुई और बाजार में आमद में देरी हुई। उत्पादन में गिरावट [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई में (-) 4.0 प्रतिशत] ने भी 2022 की शुरुआत में आपूर्ति को कम कर दिया। नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान बेमौसम बारिश के कारण कम उत्पादन [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई में (-) 5.0 प्रतिशत] और नयी फसलों की आमद में देरी के कारण अप्रैल-अक्तूबर 2022 (सितंबर को छोड़कर) के दौरान आम तौर पर आलू की कीमतों में भी वृद्धि हुई। सरकार ने जुलाई 2022 में बिना किसी लाइसेंस के 30 जून 2023 तक भूटान से आलू के मुफ्त आयात की अनुमति दी ताकि बढ़ते मूल्य दबावों को नियंत्रित किया जा सके। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज ने बाजार में ताजा स्टॉक भेजा, नवंबर 2022 से कीमतों में गिरावट आई।


II.3.17 अनाज और उत्पादों की कीमतों (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21.1 प्रतिशत भार) ने 2022-23 में स्थिर वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है। पंजाब और हरियाणा के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गर्मी की लहरों और अगस्त 2022 से रुक-रुक कर बफर मानदंडों के नीचे स्टॉक स्तर में गिरावट के कारण 2021-22

में घरेलू उत्पादन में गिरावट [2020-21 एफई की तुलना में 2021-22 एफई के अनुसार (-) 1.7 प्रतिशत] की वजह से गेहूं की कीमतों में मजबूती आई। वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों से मूल्य दबाव बढ़ गया था जिसके कारण उच्च निर्यात (अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान 11.8 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष) हुआ, जिससे गेहूं की घरेलू आपूर्ति में कमी आई। घरेलू कीमतों में तेज वृद्धि ने सरकार को मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और बाद में अगस्त 2022 से गेहूं उत्पादों के निर्यात पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया, हालांकि, सरकार - से - सरकार के माध्यम से निर्यात जारी रहा। चावल के मूल्य में दबाव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत गेहूं वितरण की जगह चावल के वितरण, के साथ-साथ, निर्यात में वृद्धि (2022-23 के दौरान 5.2 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष) और अनुमानित खरीफ उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण आया [2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 तीसरे एई में (-) 0.9 प्रतिशत]। सरकार द्वारा आपूर्ति-पक्ष के उपाय - गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाना और मजबूत बफर स्टॉक के साथ सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर रोक (जो 1 अप्रैल 2023 के मानक से 3.2 गुना अधिक था) ने मूल्य वृद्धि सीमा को सीमित रखने में मदद की।

II.3.18 पशु प्रोटीन युक्त वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत का वजन) के मामले में, फीड और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण 2022-23 की पहली तिमाही में मांस और मछली में मूल्य दबाव देखा गया (चार्ट II.3.9 ए)। श्रावण माह के कारण मौसमी मांग में गिरावट और मई 2022 में सरकार द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन भोजन के 0.55 मिलियन टन के अतिरिक्त आयात को मंजूरी देने के कारण कीमतों का दबाव बाद में कम हो गया। हालांकि, कम होने से पहले, सितंबर-अक्तूबर में कीमत दबाव फिर से उभरा। अंडे की कीमतें अस्थिर रहीं और बढ़ती फीड लागत से भी प्रेरित थीं। दूध और उत्पादों के मामले में कीमतें पूरे


वर्ष बढ़ती रहीं क्योंकि प्रमुख दूध सहकारी समितियों जैसे अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ती फीड लागत दबाव का हवाला देते हुए वर्ष के दौरान कई बार अपने खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की (चार्ट II.3.9 बी)।

II.3.19 जून 2022 के बाद से तेलों और वसा (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का भार) में मूल्य दबाव धीरे-धीरे कम हो गया क्योंकि खाद्य तेलों, विशेष रूप से पाम तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी से गिरावट आई (चार्ट II.3.10)। यूक्रेन संघर्ष और अप्रैल 2022 में इंडोनेशिया द्वारा कच्चे पाम तेल पर निर्यात प्रतिबंध लगाने के कारण वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च-मई 2022 के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इसके अलावा, खाद्य तेलों के लिए आयात पर उच्च निर्भरता के कारण भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भी बढ़ती घरेलू कीमतों में उछाल आया। वैश्विक कीमतों में नरमी, निर्यात प्रतिबंध हटने और इंडोनेशिया द्वारा 31 अक्टूबर 2022 तक निर्यात शुल्क हटाने के साथ कीमतों की गति धीरे-धीरे कम हो गई। सरकार ने कई आपूर्ति-पक्ष उपाय भी किए जिनमें मार्च 2024 तक कच्चे पाम तेल, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर शून्य प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ाना, परिष्कृत सोयाबीन, और सूरजमुखी और पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क



को घटाकर क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत (32.5 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत से) करना शामिल है। मार्च 2023 तक रिफाईंड पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनके अलावा, सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा भी लागू की और 2022-23 के लिए 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात के लिए आवंटित टैरिफ रेट कोटा

चार्ट II.3.9: सीपीआई - पशु प्रोटीन: कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव



(टीआरक्यू) पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचनात्मक विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट दी। इन उपायों से खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार गिरावट आई।

II.3.20 दालों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का भारांक) 31 मार्च 2024 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर और उड़द के आयात में वृद्धि, मार्च 2024 तक मसूर के आयात पर शून्य एआईडीसी के विस्तार और 2021-22 में उच्च उत्पादन के कारण 2022-23 में कम रही (चार्ट II.3.11)। लेकिन 2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 के तीसरे एई के अनुसार अरहर और उड़द दोनों के अनुमानित खरीफ उत्पादन में क्रमशः 18.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण अगस्त 2022 से कीमतों में वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल के उपायों, जिसमें किसानों से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए सरकारी सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना और रबी फसल की अधिक बुवाई शामिल है, के कारण अक्तूबर से कीमत दबावों में कमी आई।



II.3.21 फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भार) वर्ष के दौरान काफी हद तक सीमित रही, जो मुख्य रूप से मौसमी फलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव

से प्रेरित थी। गर्मी की लहरों और बेमौसम बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के कारण आम की कीमतों में वृद्धि से अप्रैल 2022 में कीमतों के दबाव में तेज वृद्धि हुई, जो आवक में वृद्धि के साथ धीरे-धीरे कम हो गई। हालांकि, केला, पपीता और अन्य ताजे फलों की मुद्रास्फीति उंची बनी हुई है, जिससे फरवरी-मार्च 2023 के दौरान फलों की मुद्रास्फीति बढ़ गई है।


II.3.22 अन्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख मसालों विशेष रूप से सूखी मिर्च, जीरा और धनिया में 2021-22 में घरेलू उत्पादन [(-) 2.7 प्रतिशत एफई 2020-21 की तुलना में 2021-22 के तीसरे एई के अनुसार] में समग्र गिरावट के कारण मसालों में वर्ष 2022-23 में औसतन 16.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई।

ईंधन

II.3.23 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत भार) का योगदान पिछले वर्ष के 13.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10.5 प्रतिशत हो गया। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि के अनुसरण में घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन मुद्रास्फीति वर्ष के अधिकतम भाग में दोहरे अंकों में रही (चार्ट II.3.12 और चार्ट II.3.13)। फिर भी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई कमी और एलपीजी और बिजली की कीमतों में कोई खास वृद्धि नहीं




चार्ट II.3.13: एलपीजी की खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव



टिप्पणी : घरेलू गैर-सब्सिडी एलपीजी की कीमतें चार महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) की औसत कीमतें हैं।
स्रोत : ब्लूमबर्ग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)।

चार्ट II.3.14: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के चालक



*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
टिप्पणी : अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ के हैं।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

होने की वजह से मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 11.8 प्रतिशत के अपने उस वर्ष के शिखर से कम हो गई।


खाद्यान्न और ईंधन छोड़कर मुद्रास्फीति

II.3.24 अस्थिर खाद्य और ईंधन मदों को छोड़कर मुद्रास्फीति, यानी, कोर मुद्रास्फीति, 2022-23 में औसतन 6.1 प्रतिशत तक बढ़ गई - अप्रैल 2022 में 7.1 प्रतिशत के शिखर के साथ 2021-22 की तुलना में मामूली वृद्धि (चार्ट II.3.14) [परिशिष्ट सारणी 4]। मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद मई 2022 से कोर मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत पर बनी हुई है, इसके बाद कई राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की गई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक-आधार दबाव देखा गया।

II.3.25 2022-23 की पहली तिमाही में प्रमुख घटकों में तेज उछाल के बाद परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट II.3.15)। परिवहन और संचार के भीतर, व्यक्तिगत परिवहन वाहनों की कीमतों में वृद्धि हुई, जो मांग में सुधार के साथ-साथ इनपुट लागत के दबाव

के प्रभाव-अंतरण को दर्शाती है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद बस और टैक्सी किराए में संशोधन के साथ परिवहन किराए में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही क्योंकि कोविड-19 मामलों में कमी और चिकित्सा आपूर्ति के सामान्य होने के साथ महामारी से प्रेरित मांग धीरे-धीरे कम हो गई। खुदरा कीमतों पर

चार्ट II.3.15: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान




टिप्पणी : कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।
स्रोत : वर्ल्ड बैंक पिक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

इनपुट लागत के प्रभाव अंतरण के कारण मूल कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि देखी गई क्योंकि 2022-23 के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं ने 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की (चार्ट II.3.16)।

II.3.26 आवास मुद्रास्फीति 2022-23 में लगभग 4.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो हाइब्रिड कार्य संस्कृति के कारण किराये की मांग में कमी को दर्शाता है। 2022-23 में निवल आवास, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति औसतन 6.6 प्रतिशत रही, जिसका स्तर एक वर्ष पहले जैसा ही था।

II.3.27 कपड़ों और जूते में मुद्रास्फीति एक प्रमुख दबाव बिंदु बनी रही, जो 2022-23 में औसतन 9.5 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि मुख्य रूप से कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि (जैसा कि कपास ए सूचकांक द्वारा मापा गया है) के कारण लागत दबाव और मौसम में गड़बड़ी और कीट हमलों के कारण प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में फसल की उपज में गिरावट के कारण कम घरेलू कपास की आवक के प्रभाव अंतरण को दर्शाती है।



5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.28 क्षेत्रवार परिप्रेक्ष्य से, 2022-23 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति औसतन 6.1 प्रतिशत तक बढ़ी रही, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि है। 2022-23 के दौरान खेतिहर मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति, क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत पर औसतन अधिक थी, जो खाद्य, ईंधन और वस्त्रों में उच्च मुद्रास्फीति से प्रेरित थी।

II.3.29 वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, जो मई 2022 में 16.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। इस वृद्धि ने यूक्रेन में युद्ध के बाद कच्चे तेल और अन्य पण्य कीमतों में वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। वर्ष के उत्तरार्द्ध में वैश्विक पण्य कीमतों, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य और धातुओं में गिरावट से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में लगातार कमी आई, जो मई 2022 के अपने शिखर से मार्च 2023 में 1.3 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति से निचले स्तर पर आ गई। अक्टूबर-मार्च 2022-23 में सभी तीन प्रमुख समूहों - प्राथमिक वस्तुओं (डब्ल्यूपीआई समूह में 22.6 प्रतिशत का भारांक), ईंधन और पॉवर (13.2 प्रतिशत का भारांक) और विनिर्मित उत्पादों (64.2 प्रतिशत का भारांक) में कीमतों के दबाव में कमी के कारण तेज गिरावट आई। यद्यपि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति में समूह की संरचना के साथ-साथ भारांक पैटर्न में अंतर को दर्शाते हुए छिटपुट रूप से विचलन होता है, वे एक दीर्घकालिक संबंध दर्शाते हैं।¹¹ नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान डब्ल्यूपीआई प्राथमिक वस्तुओं में से मुख्य रूप से फलों और सब्जियों की कीमतों में तेज मौसमी गिरावट से प्रेरित होकर, खाद्य मुद्रास्फीति में अच्छी-खासी गिरावट आई।

¹¹ आरबीआई (2021), "लॉकडाउन के बाद सीपीआई-डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति: दीर्घकालिक सह-एकीकरण और अल्पकालिक त्रुटि सुधार", बॉक्स II.2, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 30।

हालांकि, मसाले एक नए दबाव बिंदु के रूप में उभरे और पूरे वर्ष इनमें दहाई अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई। 2022-23 में ईंधन और पॉवर द्वारा दर्ज की गई लगातार उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, वैश्विक ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में कमी के अनुरूप, जून 2022 के स्तर से धीरे-धीरे कमी आई। उच्च वैश्विक पण्य कीमतों से इनपुट लागत दबाव में व्यापक वृद्धि के साथ, विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति अप्रैल-मई 2022 के दौरान दहाई अंकों में रही, जो मुख्य रूप से खाद्येतर-निर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति से प्रेरित थी। हालांकि, इसके बाद कम होते लागत दबाव के साथ मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आई। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति, 2021-22 की पहली छमाही में 8.6 प्रतिशत की तुलना में, 2022-23 की पहली छमाही में बढ़कर 11.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। अक्टूबर 2022 के बाद से डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ, जीडीपी डिफ्लेटर 2022-23 की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2022-23 की दूसरी तिमाही में यह 10.3 प्रतिशत था। कुल मिलाकर 2022-23 में जीडीपी अवस्फीति मुद्रास्फीति घटकर 8.3 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 8.5 प्रतिशत थी।

II.3.30 वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, खरीफ फसलों के लिए 4.4-8.9 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 2.0-9.1 प्रतिशत की सीमा थी। खरीफ फसलों में सोयाबीन (पीले) में अधिकतम एमएसपी वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में मसूर (लेंटिल) के लिए यह वृद्धि सबसे अधिक थी।

II.3.31 खेतिहर और कृषितर मजदूरों के लिए 2022-23 के दौरान वेतन वृद्धि कम रही और यह औसतन क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत थी। फिर भी, खेतिहर और कृषितर मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि की गति में वृद्धि हुई, जो मार्च 2023 में सामान्य होने से पहले जनवरी 2023 और नवंबर 2022 में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत के वार्षिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

6. निष्कर्ष

II.3.32 यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न सामान्य आघात - खाद्य, ऊर्जा और अन्य पण्य की उच्च कीमतें- और मुद्रास्फीति के बहु-दशकीय उच्च स्तर तक वैश्वीकरण ने भारत में निरंतर ऊर्ध्वगामी मूल्य दबाव डाले, जिससे मुद्रास्फीति लगातार दस महीनों (जनवरी - अक्टूबर 2022) में 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से अधिक रही। खाद्य कीमतों में मौसमी कमी के कारण नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान मुद्रास्फीति में थोड़ी बहुत कमी आई, पर जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान फिर से बढ़ गई और मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नियंत्रण और वित्तीय बाजारों में संबंधित अस्थिरता के कारण, आयातित मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न हुए। उच्च औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों, परिवहन लागत, और वैश्विक रसद व आपूर्ति शृंखला बाधाओं से इनपुट लागत दबावों ने मूल मुद्रास्फीति पर असर डाला। पहली छमाही में गर्मी की असमय शुरुआत, ग्रीष्म लहरों और बेमौसम बारिश से खाद्य कीमतों पर ऊर्ध्वगामी दबाव - वर्ष की दूसरी छमाही में कम हो गए क्योंकि अच्छी खरीफ पैदावार और मौसमी नई फसल की आवक के साथ-साथ वैश्विक खाद्य कीमतों में कुछ कमी आई। सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति पक्ष के मध्यक्षेपों ने भी कीमत दबाव को नियंत्रित करने में मदद की। मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के चक्र की समय पर शुरुआत करते हुए, मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि ने मांग के दबाव को कम करने, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कम करने और लगातार आपूर्ति के आघातों के अप्रत्यक्ष प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद की। लेकिन समय पर मौद्रिक और राजकोषीय कार्रवाइयों के लिए मुद्रास्फीति के 90 आधार अंक अधिक होने का अनुमान है। भू-राजनीतिक गतिशीलता और संभावित मौसम की गड़बड़ी ने भारत में मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

II.4 मुद्रा एवं ऋण


II.4.1 मौद्रिक और ऋण की स्थिति, मौद्रिक नीति के रुख और वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति के साथ तालमेल में विकसित हुई। आरक्षित मुद्रा (आरएम), पहले दौर के प्रभावों के लिए समायोजित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)¹² में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में वृद्धि मोटे तौर पर इसके सबसे बड़े घटक - कुल जमा के अनुरूप रही - आंशिक रूप से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि और अधिशेष चलनिधि की क्रमिक निकासी के बाद उच्च जमा दरों के फलस्वरूप, जिसका विवरण अध्याय III में दिया गया है। हालांकि, जमा वृद्धि ऋण की मजबूत वृद्धि के अनुरूप नहीं रही और बैंकों ने आस्ति विस्तार के वित्तपोषण के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) बाजार का सहारा लिया। वर्ष के दौरान जनता के साथ मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) में कमी आई, जो 2013-14 के बाद पहली बार कुल जमा की वृद्धि से नीचे गिर गई। यह आंशिक रूप से एक ऐसे वातावरण में मुद्रा रखने की बढ़ती अवसर लागत के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें जमा दरों में वृद्धि के साथ-साथ लेनदेन करने के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों को अपनाना भी शामिल है। उपभोक्ता आशावाद की वापसी और व्यावसायिक भावनाओं में सुधार को दर्शाते हुए, मुद्रा की गति, जो गिर गयी थी, पिछले दशक में व्यापक रूप से स्थिर प्रवृत्ति के अनुरूप, महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच गयी।

II.4.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2, आरएम में अंतर्निहित गतिविधियों की गतिशीलता और इस प्रकार, रिजर्व बैंक की तुलन पत्र में बदलाव की चर्चा करता है। उप-खंड 3 बैंकिंग

क्षेत्र की आस्तियों और देनदारियों में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालते हुए, इसके घटकों और स्रोतों के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति में विकास की जांच करता है। बैंक ऋण के आधार को उप-खंड 4 में शामिल किया गया है, इसके बाद निष्कर्ष टिप्पणियां दी गयी हैं।

2. आरक्षित मुद्रा¹³

II.4.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) केंद्रीय बैंक की तुलन पत्र में मौद्रिक देनदारियों के स्टॉक को दर्शाता है। 24 मार्च 2023 तक, आरएम, रिजर्व बैंक के तुलन पत्र आकार के 68 प्रतिशत से अधिक रहा (चार्ट II.4.1)। शेष¹⁴ में बड़े पैमाने पर जोखिम बफर और पुनर्मूल्यांकन खाते [निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा बनाते हुए], साथ ही रिजर्व बैंक के पास रिवर्स रेपो/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जमा चलनिधि अधिशेष, जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा



¹² 21 मई, 2022 से सीआरआर 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

¹³ उप-खंड 2 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम शुक्रवार (केवल 2022-23 के आंकड़े 24 मार्च, 2023 से संबंधित हैं) पर आधारित हैं।

¹⁴ आईएमएफ के मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी मैनुअल और संकलन गाइड का पालन करते हुए, क्रॉस-कंट्री प्रथाओं के साथ समन्वय में आरएम की गणना में उनकी गणना नहीं की जाती है।


रेनी डे¹⁵ में संभावित उपयोग के लिए देश की बचत के रूप में बनाए रखा जाता है।

II.4.4 वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित तनाव को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के हिस्से के रूप में कई लक्षित और प्रणाली-स्तरीय चलनिधि उपायों का उपयोग किया था, जिससे इसके तुलन पत्र आकार में स्थिर विस्तार हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, रिजर्व बैंक के तुलन पत्र का आकार 2019-20 के 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 28.6 प्रतिशत हो गया, जो 2021-22 में 26.7 प्रतिशत और 2022-23 में 22.5 प्रतिशत तक कम हो गया (चार्ट II.4.2ए)। हालांकि, रिजर्व बैंक के तुलन पत्र का विस्तार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। इसी अवधि के दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आरक्षित मुद्रा भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्थिर रहा क्योंकि चलनिधि उपायों को सावधानीपूर्वक बनाया गया था और इन-

बिल्ट टर्मिनल तिथियों के साथ लक्षित किया गया था, जिससे कोविड के बाद की गैर पारंपरिक नीतियों से बाहर निकलने की चुनौती कम हो गई (चार्ट II.4.2बी)।

II.4.5 घटक पक्ष (देनदारियों) पर, आरएम में प्रचलन में मुद्रा, रिजर्व बैंक में बैंकों की जमा और रिजर्व बैंक में अन्य जमा शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, आरएम संवृद्धि एक साल पहले के 12.3 प्रतिशत तथा अपने दशकीय (2013-22) औसत 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.0 प्रतिशत हो गई, जो इंगित करता है कि 2022-23 के दौरान अनुभव की गई उच्च औसत मुद्रास्फीति के पीछे अत्यधिक आधार मुद्रा संवृद्धि एक प्रेरक कारक नहीं थी। सीआरआर में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित, आरएम में एक साल पहले के 7.3 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 7.5 प्रतिशत की संवृद्धि हुई, जो दो वर्षों की अवधि में कोविड-19 प्रेरित अधिशेष चलनिधि के क्रमिक और नपीतुली निकासी को दर्शाता है¹⁶ (चार्ट II.4.3 और परिशिष्ट सारणी 4)।

चार्ट II.4.2: केंद्रीय बैंक का तुलनपत्र तथा आरक्षित मुद्रा (बहुराष्ट्रीय)



* यूके के लिए मौद्रिक आधार स्टर्लिंग नोट और सिक्के हैं जो इंग्लैंड के बैंक के बाहर परिचालित हैं और बैंक की परिचालन जमा होता है।

टिप्पणी: 1 वर्ष 2022-23 के लिए भारत का नॉमिनल जीडीपी डेटा दूसरा अग्रिम अनुमान है।


2. भारत के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर हैं (अर्थात्, 2022, 2022-23 से संदर्भित है), जबकि अन्य देशों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के अनुसार हैं।

स्रोत: एफआरडी (सेंट लुइस फेड), सीआईआईसी जीओआई, तथा आरबीआई स्टाफ की गणना

¹⁵ भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, अगस्त 2019 (अध्यक्ष: डॉ बिमल जालान)।

¹⁶ सीआरआर को 3.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 मार्च 2021 से प्रभावी 3.5 प्रतिशत; 22 मई 2021 से 4.0 प्रतिशत; और 21 मई 2022 से 4.5 प्रतिशत तक कर दिया गया।

चार्ट II.4.3: आरक्षित मुद्रा- घटक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)




II.4.6 वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित मुद्रा के घटकों में, प्रमुख घटक, संचलनगत मुद्रा (सीआईसी), जिसकी हिस्सेदारी 78.4 प्रतिशत है, में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो आरक्षित मुद्रा में वृद्धि की गति की तुलना में कम है। सीआईसी-जीडीपी अनुपात में कमी के बीच, रिजर्व बैंक की विभिन्न पहलों जैसे कि भुगतान

संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के प्रचालन और वर्ष के दौरान केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत के माध्यम से, जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के अध्याय VI, VIII और IX में शामिल किया गया है, महामारी के बाद की अवधि में नए उपयोगकर्ताओं की तेजी से डिजिटल ऑनबोर्डिंग के साथ भारत में डिजिटल भुगतान काफी बढ़ गया (चार्ट II.4.4)।

II.4.7 यद्यपि भारत में मुद्रा-जीडीपी अनुपात कम हो रहा है, यह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इस स्थिति को विशेष रूप से नकदी लेनदेन के विकल्प के रूप में डिजिटल भुगतान में हासिल घातीय वृद्धि की परिस्थिति में व्यापक रूप से मुद्रा मांग विरोधाभास के रूप में जाना जाता है (चार्ट II.4.5)। चूंकि आम तौर पर यह उम्मीद किया जाता है कि नकदी और डिजिटल तरीके एक-दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए दोनों में एक साथ वृद्धि विरोधाभासी लगती है (बॉक्स II.4.1)।


II.4.8 सीआईसी की मांग एक महीने के दौरान सामान्यतः अनुमानित इंटर-महीने पैटर्न पर चलती है - परिवारों द्वारा लेनदेन के कारण पहले पखवाड़े के दौरान विस्तार के बाद परिवारों से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के लौटकर वापस जाने के कारण दूसरे पखवाड़े में संकुचन हुआ। इसमें त्रैमासिक पैटर्न भी है जो पहली

चार्ट II.4.4 : संचलन में मुद्रा और डिजिटल भुगतान



नोट: 2022-23 के लिए भारत के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।
स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार।

चार्ट II.4.5: संचलनगत मुद्रा तथा खुदरा डिजिटल लेनदेन (अंतर-देशीय)



नोट: 1. 2022-23 के लिए भारत के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद डेटा दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।
2. भारत के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर हैं (यानी, 2022, 2022-23 को संदर्भित करता है), जबकि अन्य देशों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के अनुसार हैं।
स्रोत: सीआईसी, स्टेटिस्टा, आरबीआई स्टाफ अनुमान और भारत सरकार।

तिमाही में रबी की खरीद और खरीफ़ की बुवाई से जुड़ी मौसमी तेजी से संचालित होने के बाद विनिर्माण और कृषि जैसे नकद-प्रधान क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में मौसमी मंदी के कारण दूसरी तिमाही में सीआईसी में संकुचन के रूप में दिखता है।

तीसरी तिमाही में सीआईसी का विस्तार दिखता है, जो त्योहारों और खरीफ़ की फसल के लिए मुद्रा की बढ़ती माँग को दर्शाता है। चौथी तिमाही में सीआईसी में विस्तार रबी फसलों की कटाई, विभिन्न त्योहारों और शादी के मौसम को ट्रैक करता है। वर्ष

बॉक्स II.4.1 भारत में मुद्रा मांग विरोधाभास

लेनदेन करने के लिए मुद्रा और डिजिटल भुगतान तरीकों के बीच समझी गई प्रतिस्थापन क्षमता को देखते हुए किसी देश में उनकी समानांतर वृद्धि विरोधाभासी लगती है, जिससे मुद्रा विरोधाभास (बेली, 2009) पैदा होता है। इसके अलावा, कोविड-19 ने इस विरोधाभास को तेज कर दिया है क्योंकि भुगतान के डिजिटल तरीकों में तेजी से माइग्रेशन के बावजूद बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण नकदी की मांग में वृद्धि हुई है (अर्दिज़ी और अन्य, 2020)। भारत में, जहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) द्वारा संचालित खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 50 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2016-17 से 2021-22 के दौरान) से वृद्धि हुई, वहीं सकल घरेलू उत्पाद के लिए संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) का अनुपात भी बढ़ा और 2020-21 में यह 14.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। हालांकि, यह घटना भारत के लिए नई या अनूठी नहीं है और 2007 से कई देशों के लिए देखी गई है। मुद्रा रखने की अवसर लागत में गिरावट जैसे कारकों को नकदी के लिए लगातार लगाव के लिए जिम्मेदार माना गया है, यानी, ब्याज दरें; अनिश्चितता के बीच एहतियाती होल्डिंग, एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की उपस्थिति और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), नकद और डिजिटल दोनों तरीकों को बढ़ावा देता है, क्योंकि डिजिटल रूप से लाभ के रूटिंग के बाद नकद निकासी होती है।

भारत में कोविड-19 के दौरान मुद्रा की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से एहतियाती थी क्योंकि सीआईसी में मजबूत वृद्धि उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की मांग से संचालित थी, जिसमें वर्ष 2010-16 के दौरान 82 प्रतिशत के औसत से वर्ष 2021-22 में कुल सीआईसी के 90 प्रतिशत तक की उछाल देखी गई। इसके अतिरिक्त कम मूल्यवर्ग के नोटों में गिरावट देखी गई जिसका आंशिक कारण छोटे मूल्य के भुगतानों का यूपीआई और मोबाइल वॉलेट द्वारा प्रतिस्थापित होना था जो कि उनके घटते टिकट आकार से सिद्ध होता है। लेनदेन संबंधी नकदी में कम मांग एटीएम से नकद निकासी के मामले में मूल्यों की तुलना में निकासी संख्या में तेज गिरावट से भी स्पष्ट थी जिससे निकासी आकारों में वृद्धि हुई। इन कारकों को देखते हुए, वर्तमान में हो रहे डिजिटल रूपांतरण के प्रभाव के आकलन में केवल सीआईसी-जीडीपी अनुपात के रुझान पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक प्रतितथ्यात्मक आकलन दर्शाता है कि यदि आधार (जीडीपी) में महामारी-जनित गिरावट और मुद्रा स्तरों में अनिश्चितता-जनित उछाल नहीं होती तो वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत के वास्तविक अनुपात की जगह सीआईसी-जीडीपी अनुपात 12 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत होता।¹⁷

(जारी)

¹⁷ मुद्रा उपयोग पर महामारी के प्रभाव आकलन के लिए, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सीआईसी-जीडीपी अनुपात के प्रतितथ्यों की गणना वर्ष 2011-12 से 2019-20 के सीआईसी के सीएजीआर और जीडीपी आँकड़ों का प्रयोग करके की गई है।

वर्ष 2009 की दूसरी तिमाही से वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही तक की नमूना अवधि को कवर करते हुए ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग (एआरडीएल) मॉडल का उपयोग करके दीर्घकालीन मुद्रा मांग प्रकार्य (फ़ंक्शन) का प्रायोगिक विश्लेषण कुछ रोचक परिप्रेक्ष्य देता है। आर्थिक अनिश्चितता के लिए बेकर व अन्य. (2016) से तथा अन्य चरों के लिए रिज़र्व बैंक से विश्लेषण हेतु आंकड़े लिए गए हैं। ब्याज दरों को छोड़कर प्रायोगिक विश्लेषण के लिए नियोजित सभी चर प्रासंगिक चरों हेतु मौसमी समायोजन के साथ प्राकृतिक लघुगणक में परिवर्तित किए गए हैं। विमुद्रीकरण (ति4: 2016, ति1: 2017) और प्रथम कोविड-प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (ति 2: 2020) हेतु सामायोजन (कंट्रोल) के लिए उपयुक्त डमी जोड़े गए। वर्धित डिजी-फुलर (एडीएफ) परीक्षण के अनुसार, सभी चर अपने स्तरों पर अथवा पहले अंतर पर स्थिर हैं।

बेसलाइन मॉडल यह दर्शाता है कि नामिक आय (एलवाईएन) नकद मांग (एलसीआईसी) [धनात्मक संबंध] का प्रमुख वाहक है, जबकि प्रमुख बैंकों की जमा ब्याज दरों (आईएनटी) द्वारा दर्शाई गई अल्पकालिक ब्याज दरों का मुद्रा उपयोग के साथ ऋणात्मक संबंध है (सारणी 1)। आगे, डिजिटल मोड तक पहुँच जो डिजिटल भुगतान मूल्य (एलडीआईजीवीएल) द्वारा दर्शाई गई है, मुद्रा उपयोग को कम करती है (मॉडल 2 और 3)। यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव, महत्वपूर्ण है, पर आय प्रभाव से कम है जो यह दर्शाता है कि डिजिटल लेनदेन मुद्रा मांग पर आय के प्रभाव को ऑफसेट कर सकता है और समय के साथ मुद्रा एवं जमा अनुपात को कम कर सकता है। आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक (एलईपीयू) [धनात्मक] द्वारा दर्ज मुद्रा उपयोग पर एहतियाती प्रभाव अनिश्चित अवधियों में नकदी के प्रति झुकाव दर्शाता है।

आकलन दर्शाता है कि एहतियात और मूल्य संचय (स्टोर-ऑफ-वैल्यू) के उद्देश्य को कोविड-19 के दौरान सीआईसी वृद्धि में अचानक उछाल का कारण बताया जा सकता है, जबकि डिजिटल मोड उत्तरोत्तर नकदी के लेन-देन के उपयोग का स्थान लेता गया है। हालिया आँकड़े महामारी में नकदी के लिए एहतियाती मांग में बदलाव को दर्शाते हैं। 24 मार्च 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए, सीआईसी में 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, अर्थात् अगस्त 2021 (अप्रैल 2022 को छोड़कर) से 86 सप्ताह के लिए एकल-अंक की वृद्धि दर्ज की गई और इसका समग्र औसत 8.5 प्रतिशत रहा। साथ ही, कोविड के उपरांत, डिजिटल भुगतान के माध्यम मजबूत वृद्धि गति बनाए हुए हैं।

2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान सीआईसी में घट-बढ़ छह राज्यों में विधानसभा चुनावों से भी प्रभावित हुए (चार्ट II.4.6)।

II.4.9 आरएम का अन्य घटक, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ (शेयर: 20.1 प्रतिशत) पिछले वर्ष की इसी अवधि के 25.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में 18.5 प्रतिशत

सारणी 1: मुद्रा मॉडलिंग रिग्रेशन के दीर्घकालिक गुणांक
[आश्रित चर: एलसीआईसी (संचलन में मुद्रा का प्राकृतिक लॉग)]

	मॉडल 1 (बेसलाइन)	मॉडल 2	मॉडल 3
1	2	3	4
मॉडल का प्रकार	एआरडीएल (3,1,0)	एआरडीएल (3,3,0,2)	एआरडीएल (3,2,0,2,1)
नामिक आय (एलवाईएन)	0.88*** (0.04)	1.19*** (0.20)	1.26*** (0.18)
ब्याज दर (आईएनटी)	-0.06*** (0.01)	-0.07*** (0.01)	-0.07*** (0.01)
डिजिटल भुगतान मूल्य (एलडीआईजीवीएल)		-0.30** (0.16)	-0.32** (0.15)
आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू)			0.06* (0.00)
अवरोध (इंटरसेप्ट)	1.53** (0.81)	1.96** (0.84)	0.83 (0.80)
त्रुटि सुधार	-0.24*** (0.01)	-0.24*** (0.01)	-0.27*** (0.01)
बाउंड्स टेस्ट: एफ सांख्यिकी	48.52	33.89	33.73
मॉडल परीक्षण			
समायोजित आर-स्क्वायर	0.99	0.99	0.99
अकाइक सूचना मानदंड (एआईसी)	-4.81	-5.06	-5.08
बार्टज सूचना मानदंड (एसआईसी)	-4.46	-4.52	-4.50
डर्बिन-वाटसन स्टैट	2.18	1.84	2.04

*** : 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण ** : 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

* : 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन।


संदर्भ:

1. आर्डीज़्जी, जी., ए. नोबिली और जी. रोक्को (2020), 'ए गेम चेंजर इन पेमेंट हैबिट्स: एविडेंस फ्रॉम डेली डेटा ड्रूरिंग ए पैनडेमिक', बैंक ऑफ इटली, ऑकेज़नल पेपर नं. 591।
2. बेली, ए. (2009), 'बैंकनोट्स इन सर्कुलेशन-स्टिल राइजिंग व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्र्यूचर ऑफ कैश?', स्पीच एट द बैंकनोट कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन डीसी, वॉल्यूम. 6।
3. बेकर, एस.आर., ब्लूम, एन., और डेविस, एस.जे. (2016), 'मेज़रिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेन्टी', द क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 131(4), 1593-1636।

बढ़ी, क्योंकि पिछले वर्ष के 100 बीपीएस की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष सीआरआर को 50 बीपीएस ही बढ़ाया गया (चार्ट II.4.3)।

II.4.10 स्रोत पक्ष (आस्ति) में, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल देशी आस्ति (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियाँ (एनएफए)

चार्ट II.4.6: संचलन में मुद्रा में तिमाही परिवर्तन




स्रोत: आरबीआई।


शामिल हैं। एनडीए में बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक व्यापारियों) को निवल रिजर्व बैंक क्रेडिट शामिल है, जबकि एनएफए के घटक सोना और विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) हैं¹⁸ 2022-23 के दौरान, आरएम का विस्तार मुख्य रूप से एनएफए द्वारा संचालित था, जिसने लगभग 67 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में घट-बढ़ देखा गया; जबकि एनडीए का योगदान बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र पर चलनिधि प्रबंधन परिचालन से उत्पन्न रिजर्व बैंक के शुद्ध दावों को दर्शाता है¹⁹ मूल्यांकन के लिए समायोजित, एनएफए ने वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की, जो विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को दर्शाता है (चार्ट II.4.7)।

चार्ट II.4.7: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)


ए: रिजर्व बैंक का एनडीए और एनएफए




बी: रिजर्व बैंक का एनएफए और एनडीए (वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन)



सी: रिजर्व बैंक का एनडीए (वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन)



डी: रिजर्व बैंक का एनएफए (वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन)



स्रोत: आरबीआई।



¹⁸ इसमें भारत सरकार (जीओआई) से अंतरित विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। भारत सरकार के पास एसडीआर होल्डिंग शेप और आईएमएफ में रिजर्व ट्रांच पोजिशन (आरटीपी) जो कि आईएमएफ में भारत के कोटे का अंशदान विदेशी मुद्रा में दर्शाता है और यह रिजर्व बैंक की तुलन पत्र का भाग नहीं है।

¹⁹ चलनिधि प्रबंधन परिचालन से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

3. मुद्रा आपूर्ति²⁰

II. 4.11 वित्तपोषण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है और मांग के अनुरूप मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था के पहियों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आरक्षित मुद्रा इसमें मौद्रिक वित्त पोषण का आधार बनाता है जिस पर बैंकिंग चैनल के माध्यम से जमाराशियों को कई गुना किया जाता है और यह क्रेडिट निर्माण प्रक्रिया को सहारा प्रदान करता है। प्रायः मुद्रा आपूर्ति परोक्ष रूप में व्यापक मुद्रा (एम₃) है जिसमें मुख्य रूप से जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) और घटक भाग (देयताएं) की संकलित जमाराशियां (एडी) शामिल होती हैं। आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में देखी जाने वाली मुद्रा आपूर्ति - एम₃ और नॉमिनल जीडीपी अनुपात - यह दर्शाती है कि भारत ने कोविड-19 जनित प्रोत्साहन को तेजी से सामान्यीकृत होते देखा है और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत यह अनुपात महामारी से पहले के स्थिर स्तर तक लौट आया है (चार्ट II. 4.8)।

II.4.12 महामारी से पहले मुद्रा आपूर्ति का मंद विस्तार वर्ष 2010-2017 के दौरान के अपने दीर्घकालिक मंदी में परिलक्षित



होता है, जिसका वाहक इसका प्रमुख घटक -संकलित जमाराशि है – जिसने मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक बढ़ोतरी संबंधी जोखिम की स्थिति के बिना महामारी जनित प्रोत्साहनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान किया (चार्ट II.4.9)।


II.4.13 इस वर्ष के दौरान जमा राशि की संवृद्धि, जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) से आगे निकल गई और यह वर्ष 2013-14 (विमुद्रीकरण वर्ष 2016-17 को छोड़कर) से चले आ रहे रुख में एक बदलाव है। इस वर्ष के दौरान, 24 मार्च 2023 के अनुसार व्यापक मुद्रा में 9.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 8.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से सावधि जमा²¹ द्वारा संचालित थी, यह चलनिधि की क्रमिक निकासी के रुख के साथ नीतिगत दर में 250 बीपीएस की संचयी वृद्धि के कारण जमा ब्याज दरों में हुई वृद्धि से आंशिक रूप से समर्थित थी (चार्ट II. 4.10)।

II.4.14 वर्ष 2022-23 में स्रोत पक्ष (आस्तियों) से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण के साथ सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण ने एम₃ में विस्तार में भूमिका निभाई। पहला जो, एम₃

²⁰ उप-खंड 3 और 4 में, वित्तीय वर्ष/ तिमाही / माह के अंत से संबंधित संवृद्धि और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष / तिमाही / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।

²¹ हमेशा की तरह, मांग जमा अस्थिर रही, जो काफी हद तक जनता के पास मुद्रा में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है।

चार्ट II.4.10: मुद्रा आपूर्ति एवं एससीबी सावधि जमा-राशियाँ



*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।

टिप्पणी: 1. 2022-23 के लिए भारत के सांकेतिक जीडीपी डेटा दूसरे अग्रिम अनुमान हैं।

2. एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा के लिए, सावधि जमा ब्याज दरें, भारत और घरेलू सावधि जमा दरों को संदर्भित करती हैं।


स्रोत: आरबीआई।

का सबसे बड़ा घटक है, वर्ष 2022-23 के दौरान 14.4 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी, जो क्रेडिट निर्माण के लिए मुद्रा के सक्रिय उपयोग को दर्शाती है। 08 अप्रैल 2022 से परिपक्वता (एचटीएम) श्रेणी के तहत प्रतिभूतियों (एसएलआर प्रतिभूतियों सहित) को रखने की सीमा को एनडीटीएल के 22.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 23.0 प्रतिशत²³ करने के बाद से और ऋण वृद्धि में अक्टूबर 2022 के 17.8 प्रतिशत के शिखर से गिरावट के कारण भी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों²² में उच्च निवेश के बीच, 2022-23 में सरकार का निवल बैंक ऋण 11.5 प्रतिशत (एक साल पहले 8.2 प्रतिशत) बढ़ गया। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी संपत्ति में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जो वैश्विक प्रभाव-विस्तार और विदेशी मुद्रा बाजार में संबंधित अस्थिरता के बीच वाणिज्यिक बैंकों के रुख को दर्शाती है (चार्ट II.4.11 और सारणी II.4.1)।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.4.15 मुद्रा और मुद्रा गुणक की गति का रुख, अक्सर आघातों के लिए आर्थिक एजेंटों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ नीतिगत

चार्ट II.4.11: मुद्रा आपूर्ति स्रोत-वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।

स्रोत: आरबीआई।

²² सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती है और यह चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी है।

²³ 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर 31 मार्च, 2025 तक चरणबद्ध तरीके से एचटीएम की सीमा 23.0 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

सारणी II.4.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	24 मार्च 2023 को बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2022-23 (24 मार्च, 2023 तक)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	43,13,542	14.2	12.3	10.0
II. मुद्रा आपूर्ति (एम ₃)	2,23,33,227	12.3	8.7	9.0
III. एम ₃ के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	32,78,334	17.7	10.2	7.9
III.2। समग्र जमा राशियां	1,89,89,563	11.3	8.4	9.1
IV. एम ₃ के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	69,16,058	13.2	8.2	11.5
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	1,44,23,483	5.7	9.0	14.4
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	4,86,22,73	21.4	8.8	-2.0
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम ₃	2,21,79,106	12.6	8.9	8.9
VI. मुद्रा गुणक*	5.2	4.8	3.8	4.7

*: कॉलम 3, 4 और 5 के आंकड़े वृद्धिशील मुद्रा गुणक को दर्शाते हैं।


नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: आरबीआई।

परिवर्तनों के प्रभाव को भी दर्शाता है। भारत में, मुद्रा लेन-देन की गति, यानी सांकेतिक जीडीपी को व्यापक मुद्रा से विभाजित करने पर प्राप्त गति, महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़कर, जब इसमें गिरावट आई थी, 2010-11 के बाद से व्यापक रूप से स्थिर रही, लेकिन 2022-23 में इसने अपने महामारी पूर्व स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर, मुद्रा गुणक (एमएम), जो 2012-13 में 5.5 के शीर्ष स्तर पर था, उसके बाद मुख्य रूप से स्थिर हो गया, और 24 मार्च, 2023 को 5.2 पर पहुंच गया, जो आंशिक रूप से, अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में गैर-बैंकों की बढ़ती भूमिका के कारण, 5.5 (2012-22) के दशकीय औसत²⁴ से नीचे था। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित - विश्लेषणात्मक रूप से केंद्रीय बैंक के पास, बैंकों की जमा राशियों के समान- मुद्रा गुणक 24 मार्च, 2023 को मामूली रूप से कम होकर 5.1 हो गया, जो ऋण मांग की स्थिति में सुधार के बीच एमएम और समायोजित एमएम के अभिसरण को दर्शाता है, जिससे बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो / एसडीएफ के तहत रखी गई राशि में भारी गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II.4.12)।


II.4.16 एमएम को चलाने वाले दो व्यावहारिक अनुपातों में, मुख्यतः सीआरआर पर नज़र रखने के दौरान, आरक्षित-जमा

अनुपात²⁵ पिछले एक दशक (2013-2023) कमोबेश स्थिर था, जबकि मुद्रा-जमा-अनुपात में एक व्यापक-बढ़त प्रवृत्ति दिखाई दी जो कि मुद्रा के रूप में उच्चतर एहतियाती घरेलू बचतों को दर्शाता



²⁴ विमुद्रीकरण का वर्ष 2016-17 को छोड़कर।


²⁵ दिनांक 24 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, आरक्षित-जमा अनुपात 4.6 प्रतिशत था (एक वर्ष पूर्व 4.2 प्रतिशत), जो 21 मई 2022 से कि 50 बीपीएस बढ़त के कारण 4.5 प्रतिशत हुए सीआरआर के प्रभाव को दर्शाता है।



है, जिसने बदले में मुद्रा-बहुगुणक को कम कर दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान, हाल ही की घटनाओं के बाद, मुद्रा-जमा अनुपात कम होकर 17.3 प्रतिशत पर स्थित हो गया, हालांकि यह तब भी अपने 16.0 प्रतिशत के दशकीय औसत (2013-22) से अधिक था (चार्ट II.4.13), जो कि कोविड के उपरांत हुए अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण के कारण आर्थिक एजेंटों द्वारा एहतियाती 'डैश फॉर कैश' से दूर हटने के अतिरिक्त मई 2022 से ब्याज दरों के बढ़ते दौर को दर्शाता है।

4. ऋण

II.4.17 जुलाई 2011 से जमा और ऋण में 5 साल की मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि ने एक-दूसरे को बारीकी से ट्रैक किया, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के सापेक्ष भारतीय अनुकूल विकास विभेदक के कारण विदेशी पूंजी प्रवाह (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार) तक बेहतर पहुंच के साथ मेल खाता था। महामारी के मद्देनजर, हालांकि, फरवरी 2020 से ऋण वृद्धि की तुलना में जमाराशि में हुई वृद्धि के साथ, ऋण और जमा की वृद्धि दर में एक विचलन फिर से प्रकट हुआ। नवंबर




2021 तक उक्त अंतर कम हो जाने के बाद भी अंतराल जारी रहा (चार्ट II.4.14 और चार्ट II.4.15ए)।

II.4.18 गत समय में, जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से सामान्यतः अधिक स्थिर रही है (चार्ट II.4.15ए)। आगे, कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन/पाबंदियों के क्रमशः हटने के साथ, अगस्त 2021 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण उठाव की गति अधिकांशतः सकारात्मक रही है (चार्ट II.4.15बी)। दिनांक 24 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, एससीबी का ऋण-जमा अनुपात 75.8 प्रतिशत (मार्च 2022 के अंत में 72.4 प्रतिशत) रहा।

II.4.19 वर्ष 2022-23 के दौरान, ऋण वृद्धि के लिए उत्साहवर्धक मांग के बीच, पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों के द्वारा जमाराशि प्रमाण पत्र (सीडी) जारी करने में काफी वृद्धि हुई, जो बैंकों द्वारा उत्साही ऋण उठाव (ऑफटेक) और मामूली जमा वृद्धि के बीच वित्त पोषण अंतराल को कम करने के लिए चलनिधि की अतिरिक्त मांग को दर्शाता है। प्राथमिक बाजार में, वर्ष के दौरान सीडी जारी करने के माध्यम से निधि जुटाना ₹6.73 लाख करोड़ पर मजबूत रहा, जो स्पष्ट रूप से पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक रहा। दूसरी ओर, नीतिगत दर में वृद्धि के अनुरूप वाणिज्यिक पत्रों (सीपी)

चार्ट II.4.15: एससीबी की जमा राशियाँ और ऋण




स्रोत : आरबीआई

पर ब्याज दर में कमी होने के कारण, वर्ष के दौरान सीपी निर्गम में अत्यधिक गिरावट देखी गई तथा फर्मों ने 2022-23 के दौरान सीपी पर अपनी निर्भरता कम कर दी और बैंक ऋण की उनकी मांग में सुधार हुआ (चार्ट II.4.16ए)। 24 मार्च, 2023 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि 15.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 9.6 प्रतिशत) के साथ, वर्ष के दौरान ऋण उठाव (ऑफ टेक) व्यापक आधार पर रही। बैंक समूहों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंक

(पीवीबी) दोनों ने ऋण वृद्धि में तेजी दर्ज की। 24 मार्च, 2023 को पीएसबी की वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि 16.4 प्रतिशत (एक साल पहले 5.6 प्रतिशत) थी, जो पीवीबी की 17.8 प्रतिशत (एक साल पहले 12.8 प्रतिशत) की तुलना में कम थी, जिससे कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में पीवीबी की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई। हालांकि, कुल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में पीएसबी का हिस्सा बैंक-समूहों में सर्वाधिक रहा (चार्ट II.4.16बी और चार्ट II.4.16सी)।

चार्ट II.4.16: सीडी, सीपी और बैंक-समूहवार ऋण



स्रोत : आरबीआई

सारणी II.4.2: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि - एससीबी

(प्रतिशत वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	2020-21*	2021-22#	2022-23											
			अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
खाद्येतर ऋण	5.5	9.7	11.4	12.7	13.7	15.1	16.0	16.9	18.3	17.6	15.3	16.7	15.9	15.4
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	10.5	9.9	10.6	11.7	13.0	13.2	13.4	13.4	13.6	13.8	11.5	14.4	14.9	15.4
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम) और बड़े	-0.4	7.5	8.0	8.8	9.5	10.5	11.4	12.6	13.6	13.1	8.6	8.7	7.0	5.7
II.1. सूक्ष्म और लघु	7.5	23.0	30.0	33.0	29.6	28.3	28.2	27.1	20.4	19.6	13.7	15.2	13.2	12.3
II.2. मध्यम	31.4	54.4	53.7	49.3	47.4	36.8	35.6	36.2	31.0	29.7	15.4	18.1	13.5	19.6
II.3. बड़े	-3.1	2.0	1.3	2.0	3.3	5.2	6.4	7.9	10.9	10.5	6.9	6.5	5.0	3.0
II.3.1 इंफ्रास्ट्रक्चर	1.1	9.1	9.7	9.8	9.5	11.1	11.0	10.9	10.9	10.5	5.3	2.3	0.6	-0.7
II.3.1.1 ऊर्जा	-1.1	7.1	8.1	9.3	8.7	9.7	9.4	8.1	7.5	7.7	2.4	2.8	0.6	-1.1
II.3.1.2 दूरसंचार	-21.9	13.4	13.8	12.8	13.1	11.4	17.2	16.3	18.4	22.9	5.3	-12.8	-11.8	-14.6
II.3.1.3 सड़कें	24.7	19.5	17.3	17.6	17.8	16.4	15.3	13.4	13.8	13.4	12.5	8.7	6.8	5.3
II.3.2 मूल धातु और धातु उत्पाद	-8.8	-5.5	-4.4	-2.3	0.6	5.6	5.7	10.6	14.1	15.3	19.1	22.0	19.7	19.1
II.3.3 रसायन और रसायनिक उत्पाद	-7.0	6.2	10.4	15.6	15.1	20.2	23.5	22.5	25.1	19.1	15.8	17.6	15.2	10.2
II.3.4 वस्त्र	6.0	9.3	7.1	5.1	5.3	3.8	4.0	4.9	4.4	3.0	0.4	0.8	0.3	1.7
II.3.5 सभी इंजीनियरिंग	-5.7	9.4	9.7	9.1	11.1	11.3	11.3	13.8	13.8	11.1	8.4	6.2	6.7	4.3
II.3.6 खाद्य प्रसंस्करण	8.5	10.7	10.7	11.5	14.0	9.8	9.5	8.0	6.9	7.4	4.1	4.7	5.8	5.6
III. सेवाएं	3.7	8.7	11.2	12.7	12.8	16.7	17.4	20.2	22.6	21.5	19.5	21.5	20.7	19.8
III.1. व्यापार	12.8	10.8	13.2	13.2	16.7	14.2	16.9	21.3	17.0	16.0	13.9	16.8	16.7	17.8
III.2. एनबीएफसी	-0.2	7.8	14.7	17.8	18.1	24.6	25.5	29.3	34.9	33.0	34.5	31.0	32.4	30.2
IV. वैयक्तिक ऋण	10.3	12.6	14.4	16.3	18.1	18.7	19.4	19.4	20.1	19.6	20.0	20.4	20.4	20.6
IV.1. आवास	9.6	12.9	13.7	13.6	15.1	16.2	16.4	16.0	16.2	16.2	16.1	15.4	15.0	15.0
IV.2. वाहन ऋण	8.5	9.3	11.4	14.1	17.7	19.2	19.5	19.9	22.1	22.5	24.7	25.5	23.4	24.9

संकुचन

विस्तार

*: मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021।

#: मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022।

नोट: 1. आंकड़े अनतिम हैं।

2. 3 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2022 की बैंक ऋण संवृद्धि को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई वृद्धियों के लिए समायोजित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

हुआ, जबकि व्यापार क्षेत्र की ऋण वृद्धि ने व्यावसायिक गतिविधियों में सकारात्मक उत्साह में कमी दर्शाई। आवास और वाहन ऋणों के कारण खुदरा ऋणों ने निरंतर वृद्धि दर्ज करते हुए समग्र ऋण वृद्धि में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा, वृद्धिशील खाद्येतर ऋण में व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष के दौरान धीरे-धीरे बढ़ी, जो इन क्षेत्रों में ऋण मांग की स्थिति में सुधार का संकेत देता है (चार्ट II.4.17 और सारणी II.4.2)।

II.4.21 ऋण-जीडीपी अंतर अपने पिछले उच्चतम स्तर से काफी कम हो गया, जो विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती क्षमता उपयोग की

तुलना में अर्थव्यवस्था में बेहतर ऋण मांग को दर्शाता है (चार्ट II.4.18ए और चार्ट II.4.18बी)।

5. निष्कर्ष

II.4.22 कुल प्रमुख मौद्रिक और ऋण राशियां, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख और अर्थव्यवस्था में कुल मांग की स्थिति के अनुरूप रहीं। वर्ष के दौरान उपभोक्ता आशावाद की वापसी और कारोबार दृष्टिकोण में सुधार से आगे ऋण वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालांकि बैंकों को पूरी प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी के माहौल में जमा संग्रहण प्रयासों को तेज करना पड़ सकता है।

II.5 वित्तीय बाजार

II.5.1 भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक संवृद्धि एवं व्यापार परिदृश्य में गिरावट, मुद्रास्फीति में वैश्विक संवृद्धि और मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने के बाद अनिश्चितता बढ़ने के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में साल के अधिकांश समय उथल-पुथल देखी गई। 2022 की चौथी तिमाही तक बाजार में स्थिरता का आभास दिखाई देने लगा था, जब ऐसा लगा था कि मुद्रास्फीति चरम पर है, वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों में और वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव में कमी आई है। हालांकि, 2023 में वैश्विक विकास की कम संभावना और अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग में हुई उथल-पुथल के बाद वित्तीय स्थिरता से संबन्धित मुद्दों के कारण वैश्विक वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन 2023 की पहली तिमाही के दौरान अस्थिर रहा।

II.5.2 अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के सामान्य दरों से कम पर बेचने के चलते ईएमई ने अपने सामान्य शेयर और मुद्रा बाजारों में अस्थिरता का अनुभव किया। यूक्रेन में युद्ध के बाद आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के कारण अधिकांश वस्तुओं और कच्चे तेल की कीमतें 2022 की दूसरी तिमाही में काफी बढ़ गईं। वैश्विक मांग की स्थिति कमजोर होने के बाद कीमतों में गिरावट आई, यहां तक कि चीन को शून्य-कोविड नीति समाप्त करने के बाद फिर से खोलने से नए सिरे से दबाव बढ़ गया।

II.5.3 वैश्विक स्पिलओवर के लगातार प्रभाव के बावजूद भारतीय वित्तीय बाजार आघात-सह बने रहे। भारत के शेयर बाजारों ने 2022-23 में समष्टि आर्थिक मूल-तत्वों और अनुकूल विकास संभावनाओं के बल पर अपने अधिकांश ईएमई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में अस्थिर बाजार स्थिति के चलते अनुदान


संचयन में कमी देखी गई। हालांकि मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति के लिए बदलते परिदृश्य के चलते 10 साल की सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल सीमित दायरे में बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर में नरमी के चलते रुपया 2022-23 की तीसरी तिमाही में अपने निचले स्तर से नीचे आ गया और चौथी तिमाही में काफी हद तक सीमित दायरे में व्यापार कर रहा था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उच्च लाभप्रदता, उनकी बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी स्तर और चलनिधि बफर से बैंक ऋण की बढ़ती मांग और निवेश में सुधार के शुरुआती संकेतों को लाभ हुआ।

II.5.4 इस पृष्ठभूमि में मुद्रा बाजार के विकास को उप-खंड 2 में विस्तृत किया गया है। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल पर उप- खंड 3 में चर्चा की गई है। उप- खंड 4 कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में विकास को दर्शाती है। उप-खंड 5 घरेलू इक्विटी बाजार में विकास को रेखांकित करती है और उप-खंड 6 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। अंतिम उप-खंड कुछ अग्रगामी दृष्टिकोणों के साथ समापन टिप्पणियों को दर्शाता है।

2. मुद्रा बाजार

II.5.5 2022-23 के दौरान मुद्रा बाजार की रुझान प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी, ऋण मांग में उछाल और नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि के बाद वित्तीय बाजार की स्थिति को मजबूत करने को दर्शाते हैं।


II.5.6 भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - नीतिगत कॉरिडोर के तल से धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ा [अर्थात्, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर] पॉलिसी रेपो दर की ओर दर वृद्धि चक्र और मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप नीति रेपो दर की ओर बढ़ गया। जैसे-जैसे ऋण वृद्धि धीरे-धीरे जमा वृद्धि से ऊपर बढ़ी, मुद्रा बाजार की दरें मजबूत हुईं।



रिजर्व बैंक²⁷ के चलनिधि निकासी रुख के अनुसार नीतिगत दर के सापेक्ष डबल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड 2021-22 में (-)75 आधार अंक से घटकर 2022-23 में (-)12 आधार अंक रह गया। 2022-23 की चौथी तिमाही में स्प्रेड (-)1 बीपीएस तक कम हो गया [चार्ट II.5.1]।

II.5.7 डबल्यूएसीआर के बदलाव के गुणांक से मापे जाने वाले मांग मुद्रा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव²⁸ जो पिछले वर्ष 4.1 था, 2022-23 में बढ़कर 18.1 हो गया।

II.5.8 मुद्रा बाजार²⁹ में औसत दैनिक मात्रा जो 2021-22 में ₹4,55,224 करोड़ थी, 2022-23 के दौरान 18 प्रतिशत बढ़कर ₹5,36,456 करोड़ हो गई। कुल मुद्रा बाजार की मात्रा में त्रिपक्षीय रेपो की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल के 74 प्रतिशत से घटकर 72 प्रतिशत हो गई, जबकि बाजार रेपो में मात्रा पिछले साल के 24 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई; दूसरी ओर, असंपार्श्विक मांग मुद्रा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत पर बनी रही। मांग मुद्रा क्षेत्र में औसत दैनिक मात्रा (शनिवार को



छोड़कर) वर्ष के दौरान 37 प्रतिशत बढ़कर ₹12,432 करोड़ (2021-22 के दौरान ₹9,060 करोड़ से) हो गई जो कि आंशिक रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 4.0 प्रतिशत से मई 2022 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि और सिस्टम में अधिशेष चलनिधि में आई क्रमिक गिरावट दर्शाती है (चार्ट II.5.2)।


II.5.9 अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे 91-दिवसीय खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर ब्याज दरें आम तौर पर एक दिवसीय बाजार दर(कॉल, त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो) के साथ तालमेल में चलती हैं और 4 मई 2022 को पहली दर वृद्धि तक ज्यादातर रेपो दर के आसपास व्यापार करती हैं; वे उसके बाद भी रेपो दर से ऊपर बनी रहीं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान टी-बिल दरों पर सीडी दरों और सीपी दरों (एनबीएफसी और गैर-एनबीएफसी द्वारा जारी) के औसत दैनिक स्प्रेड में काफी वृद्धि हुई (चार्ट II.5.3)। 2022-23 की चौथी तिमाही में दरें रेपो दर

²⁷ चलनिधि प्रबंधन प्रचालनों से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

²⁸ भिन्नता के गुणांक को मानक विचलन के अनुपात के रूप में मापा जाता है।


²⁹ शनिवार को छोड़कर, मुद्रा मांग, त्रिपक्षीय रेपो और एक दिवसीय और टर्म दोनों क्षेत्र के बाजार रेपो।

चार्ट II.5.3: 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड



— 91 दिवसीय टी-बिल की दर की तुलना में 3-महीने की सीडी दर का स्प्रेड
 — 91 दिवसीय टी-बिल की दर की तुलना में 3-माह सीपी (एनबीएफसी) दर का स्प्रेड
 — 91 दिवसीय टी-बिल की दर की तुलना में 3-माह सीपी (गैर एनबीएफसी) दर का स्प्रेड
 स्रोत: ब्लूमबर्ग, एफबीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5.4: 10-वर्षीय जी-सेक सामान्य प्रतिफल



स्रोत: ब्लूमबर्ग

से ऊपर बढ़ गई, जो अधिशेष चलनिधि में कमी के साथ-साथ जोखिम प्रीमियम में वृद्धि को दर्शाती हैं।

II.5.10 प्राथमिक बाजार में सीडी जारी करने की नई राशि 2021-22 में ₹2.33 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान बढ़कर ₹6.73 लाख करोड़ हो गई क्योंकि बैंकों ने मीयादी जमा दरों में काफी वृद्धि के बाद भी ऋण मांग को पीछे छोड़ते हुए जमा जुटाने में सीडी का सहारा लिया। हालांकि, प्राथमिक बाजार में सीपी जारी करने की नई राशि 2021-22 में ₹20.19 लाख करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹13.73 लाख करोड़ रह गई।

3. जी-सेक बाजार

II.5.11 केंद्र और राज्यों के संयुक्त उधार कार्यक्रम के आकार के बारे में प्रारंभिक बाजार चिंताओं के बावजूद एक सीमाबद्ध अवधि के विस्तार के साथ उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया था (विवरण के लिए कृपया अध्याय VII देखें)। हालांकि, वर्ष के दौरान घरेलू और वैश्विक विकास दोनों ने प्रतिफल के विकास को प्रभावित किया। 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान एलएफ कॉरिडोर को 50 बीपीएस तक सामान्य करने और एसडीएफ को पॉलिसी कॉरिडोर की

नई मंजिल के रूप में पेश करने की घोषणा के कारण जी-सेक प्रतिफल बढ़ा। लगातार उच्च घरेलू सीपीआई प्रिंट की पृष्ठभूमि में मई 2022 में आयोजित ऑफ-साइकिल मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में सीआरआर को 4.50 प्रतिशत तक बढ़ाया और रेपो दर में 40 बीपीएस की बढ़ोतरी ने प्रतिफल वृद्धि में योगदान दिया। 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 16 जून 2022 को 7.62 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई और अप्रैल-जून 2022 तिमाही 7.45 प्रतिशत (चार्ट II.5.4) पर समाप्त हुई।

II.5.12 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने की बाजार की उम्मीदों के कारण दीर्घकालिक प्रतिफल में नरमी आई। हालांकि, तिमाही के अंत में वैश्विक प्रतिफल में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीति लगातार महीनों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन बैंड से ऊपर बने रहने के कारण प्रतिफल में वृद्धि शुरू हुई। तिमाही के दौरान घरेलू प्रतिफल में गिरावट देखी गई क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अल्पकालिक प्रतिफल दीर्घावधि प्रतिफल से अधिक बढ़ा। तिमाही के दौरान 10 साल का सामान्य प्रतिफल 7.40 फीसदी पर समाप्त हुआ। वैश्विक मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने

के बाजार आकलन और अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की कम गति की आशंकाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक प्रतिफल को देखते हुए 2022-23 की तीसरी तिमाही में प्रतिफल में नरमी आई। 2022-23 की चौथी तिमाही के शुरुआत में जी-सेक प्रतिफल ने श्रेणीबद्ध व्यापार किया। हालांकि, बाद में वैश्विक प्रतिफल उम्मीद से अधिक सीपीआई और एमपीसी के कथित आक्रामक रुख के कारण प्रतिफल में वृद्धि हुई। वैश्विक प्रतिफल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के कारण 2022-23 के अंत तक प्रतिफल में नरमी आई। 2022-23 में 10 साल का सामान्य प्रतिफल 7.31 प्रतिशत पर समाप्त हुआ।

II.5.13 1 अप्रैल 2020 से पूर्ण पहुँच मार्ग (एफएआर)³⁰ की शुरुआत के साथ एफपीआई के पास जी-सेक में निवेश करने के लिए तीन मार्ग हैं, अर्थात् मध्यम अवधि के ढांचे (एमटीएफ), स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और एफएआर के तहत निर्धारित निवेश सीमाओं के साथ सामान्य मार्ग। वर्ष 2022-23 के लिए एमटीएफ के तहत जी-सेक में एफपीआई निवेश की सीमा ₹4,04,780 करोड़ निर्धारित की गई थी। एफएआर योजना के तहत शामिल प्रतिभूतियों की संख्या 17 प्रतिभूतियों (1 अप्रैल 2022 को ₹17,58,043 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) से बढ़कर 26 प्रतिभूतियाँ (31 मार्च 2023 तक ₹27,96,589 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) हो गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एफपीआई ने सामान्य मार्ग के तहत जी-सेक में ₹22,641 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज की। एफपीआई ने वीआरआर के तहत जी-सेक में ₹1,980 करोड़ का आहरण किया जिसमें जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉण्ड के लिए संयुक्त निवेश सीमा ₹2,50,000 करोड़ है। हालांकि, एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान एफएआर मार्ग के तहत ₹31,129 करोड़ का निवेश किया। एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार की

प्रतिभूतियों³¹ (एसजीएस) की निवल राशि बेची और 2022-23 के दौरान एमटीएफ, एफएआर और वीआरआर क्षेत्रों में जी-सेक और एसजीएस में कुल ₹6,408 करोड़ वापस लिए।


4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार

II.5.14 बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि और ऋण स्प्रेड के बढ़ने से 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल मार्च 2023 में 193 बीपीएस तक बढ़ गया जबकि एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स पर क्रमशः 215 बीपीएस और 220 बीपीएस की वृद्धि हुई। एए रेटिंग वाले 3 साल के बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल मार्च 2023 में पीएसयू, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए 7.75 प्रतिशत; एनबीएफसी के लिए 8.12 प्रतिशत और कॉर्पोरेट्स के लिए 8.07 प्रतिशत था।

II.5.15 2022-23 के दौरान एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड (3-वर्षीय जी-सेक से अधिक) पर मासिक औसत जोखिम प्रीमियम या स्प्रेड पीएसयू, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए 21 बीपीएस से बढ़कर 36 बीपीएस हो गया; एनबीएफसी के लिए 35 बीपीएस से 73 बीपीएस और कॉर्पोरेट्स के लिए 25 बीपीएस से 68 बीपीएस तक बढ़ा। कॉर्पोरेट बॉण्ड के कार्यकाल और रेटिंग क्षेत्र में स्प्रेड का विस्तार दिखाई दिया। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक द्वितीयक बाजार व्यापार पिछले वर्ष के दौरान ₹5,430 करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹5,549 करोड़ हो गया (चार्ट II.5.5)। भविष्य के समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनजर वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने या जोखिम-बंद की भावना को व्यापक बनाने, निवेश में अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजे के रूप में उच्च अपेक्षित प्रतिलाभ का संकेत देता है (बॉक्स II.5.1)।

³⁰ एफएआर के तहत घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होने के अलावा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियाँ बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोली गई थीं।

³¹ जैसा कि 7 जुलाई 2022 को आयोजित राज्यों के वित्त सचिवों के 32^{वें} सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, 'राज्य विकास ऋण (एसडीएल)' का नामकरण बदलकर 'राज्य सरकार सुरक्षा (एसजीएस)' कर दिया गया है।




II.5.16 2022-23 में घरेलू बाजार में प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने में वृद्धि हुई, जबकि विदेशी बॉण्ड जारी करने में कमी आई। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई घरेलू कॉर्पोरेट बॉण्ड ₹6.0 लाख करोड़ थी, जो 2022-23 में बढ़कर ₹7.6 लाख करोड़ हो गई। कॉर्पोरेट्स के लिए निजी नियोजन पसंदीदा चैनल बना रहा, जो बॉण्ड बाजार के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 98.8 प्रतिशत रहा। बकाया कॉर्पोरेट बॉण्ड का आकार सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2023 के अंत तक ₹42 लाख करोड़ (यानी जीडीपी का 15.4 प्रतिशत) हो गया। कॉर्पोरेट बॉण्ड के बकाया स्टॉक में एफपीआई का निवेश मार्च 2023 के अंत में घटकर ₹1.04 लाख करोड़ रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में ₹1.21 लाख करोड़ था। फलस्वरूप, एफपीआई द्वारा अनुमोदित सीमा का उपयोग मार्च 2023 के अंत

बॉक्स II.5.1 - वित्तीय बाजारों में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम के चालक

प्रतिफल वक्र या मीयादी प्रीमियम की प्रवणता (स्लोप) को दीर्घकालिक बॉण्ड और अल्पकालिक बॉण्ड के बीच प्रतिफल में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। मीयादी प्रीमियम को विकास, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति (कोप, 2018) के अपेक्षित भविष्य के मार्ग के प्रति संवेदनशील माना जाता है। वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के आधार पर अलग-अलग मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम में समय-समय पर उतार-चढ़ाव, भविष्य के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण और भविष्य की ब्याज दरों के बारे में बाजार की उम्मीदों के बारे में जानकारी रखते उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम को प्रतिलोमतः संबंधित माना जाता है क्योंकि मीयादी प्रीमियम में कमी एक धीमी अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकती है जो क्रेडिट स्प्रेड में वृद्धि में बदल सकती है (लेपेन एट अल, 2009; कोलिन एट अल, 2001)।

भारत में मीयादी प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम के प्रमुख चालकों और उनके अंतर-संबंधों की पहचान करने के लिए एक अनुभवजन्य अभ्यास किया जाता है। बोर्ड प्रॉक्सी के रूप में अभ्यास के लिए, मीयादी प्रीमियम को 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल और 3 महीने के ट्रेजरी बिल प्रतिफल के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। मार्च 2022 के बाद से भारत में प्रतिफल वक्र सपाट हो गया है; हालांकि, यह 2022-23 (चार्ट 1) के दौरान ऊपर की ओर ढलान पर बना हुआ है।

एक फॉरवर्ड स्टेपवाइज सिलेक्शन (एफएसएस) रिग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है जो फिट या आर² की अच्छाई में उनके वृद्धिशील योगदान के आधार पर चर का चयन और रैंक करता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि अतिरिक्त चर जोड़ने से आर² मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है।



प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति, जी-सेक कारोबार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता को भारत में मीयादी प्रीमियम के महत्वपूर्ण चालकों के रूप में पहचाना जाता है। घाटे की चलनिधि की स्थिति अल्पावधि बॉण्ड प्रतिफल को बढ़ाती है जिससे मीयादी प्रीमियम में गिरावट आती है, जबकि उच्च जी-सेक कारोबार में जी-सेक की उच्च मांग और कम दीर्घकालिक प्रतिफल शामिल होता है जिससे मीयादी प्रीमियम में गिरावट आती है (सारणी 1)। कड़ी आईआईपी वृद्धि से प्रतिफल वक्र ढलान तेज हो जाता है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि से मीयादी प्रीमियम बढ़ जाता है।

(जारी)

सारणी 1: मीयादी प्रीमियम के चालक

रैंकिंग	चर	संकेत
1	निवल एलएएफ (प्रणालीगत चलनिधि)	-
2	जी-सेक टर्नओवर (जी-सेक बाजार चलनिधि)	-
3	आईआईपी वृद्धि (आर्थिक गतिविधि)	+
4	वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक	+


नोट: उपर्युक्त सभी रिपोर्ट किए गए चर 5 प्रतिशत महत्व के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। एफएसएस रीजेशन में उपयोग किए जाने वाले अन्य चर में सीपीआई मुद्रास्फीति (चक्र घटक), ऋण बाजार में निवल एफपीआई प्रवाह, भारत सरकार की निवल बाजार उधारी और यूएसडी / आईएनआर विनिमय दर शामिल थी, लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाए गए। नमूने में नवंबर 2012 से सितंबर 2022 तक की अवधि शामिल है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मीयादी प्रीमियम को जोखिम प्रीमियम के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जोखिम प्रीमियम एएए-स्टेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड और समान परिपक्वता जी-सेक प्रतिफल (चार्ट 2) पर प्रतिफल के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। जोखिम प्रीमियम और मीयादी प्रीमियम के बीच सहसंबंध -0.58 निकला, जो हालांकि कम था लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था।

एफएसएस प्रतिगमन का उपयोग करने वाले अनुमानों से पता चलता है कि उच्च मीयादी प्रीमियम जोखिम प्रीमियम को कम करता है। मीयादी प्रीमियम के अलावा, एफएसएस प्रतिगमन में उपयोग किए जाने वाले चर जोखिम प्रीमियम के चालकों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी, इंडिया VIX, मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों में बदलाव, निवल एलएएफ, यूएस क्रेडिट स्प्रेड और विनिमय दर अस्थिरता (1 महीना), सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाए जाते हैं।

चार्ट 2: जोखिम प्रीमियम और मीयादी प्रीमियम



संदर्भ:

1. कोलिन-डुफ्रेसन, पी., गोल्डस्टीन, आर.एस., और मार्टिन, जे.एस. (2001), 'डा डिटरमीनंट्स ऑफ क्रेडिट स्प्रेड चेंजेस', द जर्नल ऑफ फाइनेंस, 56 (6), 2177-2207।
2. कोप, ई. और विलियम्स, पी. डी. (2018), के लिए 'ए मैक्रोइकॉनॉमिक अप्रोच टू दा टर्म प्रीमियम', अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग पेपर, संख्या 2018/140।
3. लेपोन, ए. और वॉंग, बी. (2009), 'डिटरमीनंट्स ऑफ क्रेडिट स्प्रेड चेंजेस: एविडेंस फ्रॉम दा ऑस्ट्रेलियन बॉण्ड मार्केट', ऑस्ट्रेलियाई लेखा, व्यापार और वित्त जर्नल, 3 (2), 26-35

में घटकर 15.52 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2022 के अंत में 19.94 प्रतिशत था।


5. इक्विटी बाजार

II.5.17 भारतीय इक्विटी बाजार ने 2022-23 के दौरान बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं वाले परिवेश के बावजूद भी आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया। वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकांश ईएमई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीएसई सेंसेक्स 0.7 प्रतिशत बढ़कर 58,992 पर और निफ्टी-50 0.6 प्रतिशत गिरकर 17,360 पर बंद हुआ (चार्ट II.5.6ए और चार्ट II.5.6बी)। निफ्टी 50 की अल्पकालिक अस्थिरता को दर्ज करने वाला इंडिया VIX, 2021-22 के दौरान 17.8 के औसत की तुलना में 2022-23 के दौरान औसतन 17.5 था।

II.5.18 बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति, अमेरिका में मौद्रिक नीति में सख्ती और चीन में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन की चिंताओं के बीच भारतीय इक्विटी बाजार ने 2022-23 की पहली तिमाही में नुकसान दर्ज किया। यूएस फेड की आक्रामक टिप्पणियों से जोखिम के स्तर में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ। यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति के निरंतर दबाव ने वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ा दी, जिससे जून 2022 में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई और बाजारों में बिकवाली शुरू हो गई।

II.5.19 जुलाई 2022 में बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी आई क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतों में गिरावट और मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी ने जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट आई और इक्विटी कीमतों में

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार



स्रोत : बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

वृद्धि हुई। इसके अलावा, भारतीय कॉर्पोरेट्स के 2022-23 की पहली तिमाही के नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बहाल किया है। एफपीआई नौ महीने के अंतराल के बाद जुलाई 2022 में भारतीय इक्विटी बाजार में निवल खरीदार बने। वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के बावजूद, भारतीय इक्विटी में अगस्त 2022 में मजबूत समष्टि आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और घरेलू मुद्रास्फीति के शिखर से नरम होने से और तेजी आई।

II.5.20 हालांकि, सितंबर 2022 में यूएस फेड और प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दर में वृद्धि के कारण वैश्विक इक्विटी बाजारों में बिकवाली का एक और दौर शुरू हुआ, जिसमें भारतीय इक्विटी में एफपीआई प्रवाह महीने के दौरान नकारात्मक हो गया। हालांकि, भारतीय इक्विटी सूचकांकों में गिरावट अन्य वैश्विक इक्विटी बाजारों के सापेक्ष कम थी।

II.5.21 सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और एफपीआई के भारतीय इक्विटी बाजार में निवल खरीदार बनने से वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता में सुधार के कारण अक्टूबर 2022 में भारतीय इक्विटी बाजार में तेजी आई। इसके अलावा, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कॉर्पोरेट्स के 2022-23 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों ने बाजार के रुख को तेजी प्रदान किया। वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति में नरमी के बीच

जोखिम के रुख में सुधार तथा अमेरिकी संघीय खुला बाजार समिति (एफओएमसी) के कम आक्रामक कार्यवृत्त के कारण नवंबर 2022 के दौरान बेंचमार्क भारतीय इक्विटी सूचकांक नए शिखर पर पहुंच गए।

II.5.22 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स ने 1 दिसंबर 2022 को 63,284 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया, लेकिन बाद में वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के कारण इसमें गिरावट आई। चीन में कोविड-19 के मामलों के फिर से बढ़ने के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त करने के संकेतों के कारण जोखिम वहन क्षमता कम हो गई।

II.5.23 जनवरी 2023 के पूर्वार्ध में सीमित रहने के बाद, प्रारंभ के दूसरी छमाही में सकारात्मक कॉर्पोरेट आय जारी करने और कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कमी के कारण घरेलू इक्विटी बाजार ऊपर की ओर गया। हालांकि, एक व्यावसायिक समूह के स्टॉक्स में असामान्य कीमत उतार-चढ़ाव के बाद महीने के अंत में रुख नकारात्मक हो गई।

II.5.24 केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि और चुनिंदा प्रत्यक्ष कर राहतों से संबंधित घोषणाओं, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा घरेलू वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थितियों

की मजबूती की फिर से पुष्टि करने वाले बयानों ने फरवरी की शुरुआत में बाजार की रुख को बढ़ावा देने में मदद की। हालांकि, कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दूसरी छमाही में बाजार दबाव में आ गया। संघीय खुला बाजार समिति (एफओएमसी) की बैठक के आक्रामक कार्यवृत्त जारी होने के बाद जोखिम वहन क्षमता प्रभावित हुई, जिसमें बढ़ी हुई मुद्रास्फीति पर चिंता व्यक्त की गई थी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी, जिसके कारण अमेरिकी राजकोष प्रतिफल में तेज वृद्धि हुई।


II.5.25 सकारात्मक घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से मार्च 2023 की शुरुआत में घरेलू इक्विटी में तेजी आई। इसके बाद, अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल के बीच तेजी से मौद्रिक नीति सख्त होने के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता पर चिंताएं सामने आईं। हालांकि, वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति के बारे में कई हितधारकों और नियामकों के आश्वासन के बाद संक्रमण की आशंका कम होने से महीने के अंत तक बाजार में सुधार हुआ।

II.5.26 क्षेत्रवार आधार पर 2022-23 की अवधि के दौरान औद्योगिक, पूंजीगत सामान, शीघ्र विक्रेय/ खपत वाली उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटो और बैंकिंग की कंपनियों ने दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट II.5.7.ए)।

II.5.27 वर्ष के दौरान एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहा। एफपीआई ने 2022-23 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में ₹43,943 करोड़ की निवल बिक्री की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में निवल बिक्री ₹1.3 लाख करोड़ थी। हालांकि, म्यूचुअल फंड से प्रवाह को समर्थन मिला। म्यूचुअल फंड ने 2022-23 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ₹1.7 लाख करोड़ की निवल खरीदारी की (चार्ट II.5.7.बी)। भारतीय इक्विटी में एफपीआई का स्वामित्व मार्च 2015 में 23.3 प्रतिशत के शीर्ष शेयर से घटकर मार्च 2023 के अंत तक 20.6 प्रतिशत हो गया है क्योंकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) अंतर्वाह ने एफपीआई अंतर्वाह को पीछे छोड़ दिया है (चार्ट II.5.7.सी)।

II.5.28 भारतीय इक्विटी (एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों) के बाजार पूंजीकरण में घरेलू संस्थागत निवेशकों (घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड सहित) की हिस्सेदारी मार्च

चार्ट II.5.7: इक्विटी मार्केट में क्षेत्रीय प्रदर्शन और संस्थागत निवेश



एफएमसीजी: फास्ट मूविंग कंज्यूमर गूड्स
नोट: टेक में मीडिया और प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र शामिल हैं।
स्रोत: एनएसडीएल, सीडीएसएल, प्राइम डाटाबेस और सेबी।

2022 के अंत में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 16.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, भारतीय इक्विटी (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों) में खुदरा और उच्च मालियत व्यक्तियों की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में घटकर 9.4 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में 9.6 प्रतिशत थी।


प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

II.5.29 अस्थिर बाजार स्थितियों के बीच इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में 2022-23 के दौरान निधि जुटाने में कमी देखी गई। 2022-23 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना 50 प्रतिशत से अधिक घटकर ₹0.66 लाख करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹1.39 लाख करोड़ जुटाया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान 165 आईपीओ/एफपीओ निर्गमों के जरिये ₹59,072 करोड़ जुटाए गए, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आईपीओ के जरिए ₹20,557 करोड़ जुटाना भी शामिल है। बीएसई और एनएसई के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) खंड द्वारा 2022-23 में महत्वपूर्ण कर्षण देखा गया, जिसमें 125 एसएमई आईपीओ निर्गमों द्वारा ₹2,333 करोड़ जुटाया गया, जबकि 2021-22 के दौरान 70 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों द्वारा ₹958 करोड़ जुटाया गया था। पिछले वर्ष


के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना ₹26,327 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान घटकर ₹6,751 करोड़ रह गया। तरजीही आवंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधन जुटाना 2021-22 के दौरान ₹92,135 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹92,044 करोड़ रह गया (चार्ट II.5.8.ए)।

II.5.30 म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए ₹2.47 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान 69.1 प्रतिशत घटकर ₹0.76 लाख करोड़ हो गए। इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं से 2022-23 में ₹1,44,775 करोड़ का निवल संग्रहण हुआ, जबकि पिछले वर्ष में ₹1,54,094 करोड़ का निवल संग्रहण हुआ था। सुनिवेशित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में औसत मासिक योगदान 2022-23 में बढ़कर ₹12,998 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹10,381 करोड़ था। इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड के प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2023 के अंत में 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹15.2 लाख करोड़ हो गई, जो मार्च 2022 के अंत में ₹13.7 लाख करोड़ थी। हालांकि, ऋण-उन्मुख योजनाओं में निवेशकों द्वारा बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि के बीच कीमत जोखिम से बचने के लिए निकासी के कारण 2022-23 के दौरान ₹2.1 लाख करोड़ का निवल मोचन देखा गया (चार्ट 2.5.8.बी)।

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना



स्रोत: सेबी और एएमएफआई



6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.31 विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में अंतर बैंक और व्यापारी क्षेत्र दोनों में कुल कारोबार में वृद्धि हुई।

II.5.32 यूएस फेड द्वारा अपनी मौद्रिक सख्ती को बढ़ाने और जून 2022 में अपनी तुलन-पत्र को कम करना शुरू किये जाने के कारण पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव और यूएस डॉलर के मजबूत होने से उत्पन्न जोखिम रुख के बीच भारतीय रुपया 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान दबाव में रहा। जून 2022 में, यूएस फेड ने 1994 के बाद पहली बार अपनी बेंचमार्क दर में 75 बीपीएस की वृद्धि की। यूएस राजकोष प्रतिफल कई साल के उच्च स्तर पर पहुंचने, इक्विटी में गिरावट और सुरक्षित आश्रय मांग के कारण यूएस डॉलर के बढ़ने से अमेरिकी वित्तीय स्थितियां सख्त हो गईं। इस तिमाही के दौरान यूएस डॉलर सूचकांक में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2016 के बाद से इसकी सबसे अच्छी तिमाही है। तिमाही के दौरान ब्रेंट कच्चा तेल यूएस \$112 प्रति बैरल के औसत के साथ ऊंचा और अस्थिर रहा, जिसके कारण भारतीय रुपया दबाव में रहा। इस तिमाही के दौरान एफपीआई द्वारा लगभग यूएस \$14 बिलियन की निकासी की, जिसका भारतीय रुपये पर भी प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर, तिमाही के दौरान भारतीय रुपया 4.0 प्रतिशत कमजोर हुआ।


II.5.33 यूएस फेड ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में अवरुद्ध और लगातार उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों में वृद्धि के साथ मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रखा, जिससे आस्ति वर्गों में अस्थिरता बढ़ गई। यूरोप में बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और जैक्सन होल सिम्पोजियम में यूएस फेड की आक्रामक टिप्पणी के बीच यूएस डॉलर ने मजबूत प्रगति की। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करों में भारी कटौती के कारण यूनाइटेड किंगडम की आस्तियों में भारी बिकवाली से ब्रिटिश पाउंड रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया, जबकि यूएस डॉलर सूचकांक 28 सितंबर 2022 को सुरक्षित आश्रय मांग के बीच दो दशक के नए उच्च स्तर 114.78 पर पहुंच गया। भारत के बढ़ते व्यापार घाटे ने रुपये पर और दबाव डाला। हालांकि, इस तिमाही में इक्विटी से संबंधित एफपीआई बहिर्वाह (अक्तूबर 2021 से

जून 2022) के लगातार नौ महीनों में ठहराव और कुछ हद तक उलटफेर देखा गया। 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 23.0 प्रतिशत की कमी से रुपये को समर्थन मिला। हालांकि, सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान रुपया 2.9 प्रतिशत कमजोर हुआ।

II.5.34 अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों के आघात सह आंकड़ों और चीन में शून्य-कोविड-19 नीतियों को जारी रखने के बीच 2022-23 की तीसरी छमाही के दौरान यूएस डॉलर की मजबूती जारी रही। मोटे तौर पर अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं के अनुरूप भारतीय रुपया दबाव में आ गया और 20 अक्तूबर 2022 को ₹83.29 प्रति यूएस डालर के नए अंतर्द्वितीय निचले स्तर को छू गया। एमएससीआई उभरती बाजार मुद्रा सूचकांक जून 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, अमेरिका में मुद्रास्फीति ने चरम पर पहुंचने के संकेत दिए जिससे नवंबर 2022 में यूएस डॉलर का मूल्यहास हुआ, जिसके कारण फेड पाइवोट की बातचीत तेज हो गई। सीपीआई आंकड़े जारी होने के बाद अमेरिका की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, यूएस फेड ने लगातार चार 75 बीपीएस वृद्धि के बाद दिसंबर 2022 में 50 बीपीएस तक की वृद्धि की अपनी गति को कम कर दिया जिसके कारण जोखिम आस्तियों को राहत मिली। चीन को फिर से खोलने के साथ ही कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण 2022 में किए गए लाभ को छोड़ने से मांग की चिंताएं प्रभावित हुईं जिससे दिसंबर में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आई। रुपया अपने निचले स्तर से उबर गया और शेष तिमाही के लिए काफी हद तक सीमित दायरे में व्यापार किया और 1.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ (चार्ट II.5.9)।

II.5.35 यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि की गति धीमी पड़ने के बाद रुख में सुधार के बीच 2022-23 की चौथी तिमाही में यूएस डॉलर सूचकांक में नरमी जारी रही और यह 2 फरवरी 2023 को 100.82 के निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, सख्त श्रम बाजार की स्थिति और मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से अधिक स्थिर रहने एवं दरों में वृद्धि पर फिर

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव



से चिंता के कारण यूएस डॉलर सूचकांक मजबूत हुआ। हालांकि, चालू खाते के घाटे में सुधार और ब्रेंट क्रूड की कीमतें सीमित दायरे में रहने से भारतीय रुपये को समर्थन मिला। तिमाही के दौरान, भारतीय रुपया 0.7 प्रतिशत मजबूत हुआ।

II.5.36 2022-23 के दौरान यूएस फेड द्वारा आक्रामक दर वृद्धि के बीच भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों के अंतर को कम करने के कारण वायदा प्रीमियम में गिरावट आई है। 2022-23 के दौरान यूएस फेड द्वारा आक्रामक दर वृद्धि के बीच भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर कम होने के कारण फॉरवर्ड प्रीमियम कम हो गया है। यूएस फेड ने इस अवधि के दौरान दरों में 450 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जबकि रिजर्व बैंक ने 250 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जिसके कारण वर्ष 2022-23 के दौरान नीतिगत दरों के बीच का अंतर 200 बीपीएस तक कम हो गया।

II.5.37 भारतीय रुपये की सांकेतिक विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के साथ, 40-मुद्रा सांकेतिक/ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (एनईआईआर/आरईआईआर) 2022-23 के दौरान मूल्यहास पूर्वाग्रह के साथ चली गई। औसत आधार पर, वर्ष के दौरान 40-मुद्रा एनईआईआर और आरईआईआर में क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई।



7. निष्कर्ष

II.5.38 वर्ष के दौरान वैश्विक प्रभाव विस्तार के निरंतर प्रभाव के बावजूद घरेलू वित्तीय बाजार का उतार-चढ़ाव व्यवस्थित बना रहा। यूएस डॉलर के लगातार मजबूत होने और यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त किए जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह प्रभावित हुआ, जैसा कि अन्य ईएमई में होता है। घरेलू संस्थागत निवेशकों से निरंतर घरेलू समर्थन के कारण भारतीय इक्विटी बाजार ने अलग होने के संकेत प्रदर्शित किए; आईएनआर ने कई अन्य ईएमई के सापेक्ष कम अस्थिरता के साथ व्यवस्थित समायोजन का प्रदर्शन किया। नीतिगत दरों में संचयी रूप से 250 बीपीएस की सख्ती और समायोजन को वापस लेने की दिशा में नीतिगत रुख में बदलाव के साथ मुद्रा बाजार के रुझान संरेखित हुए। केंद्र और राज्यों के संयुक्त उधारी कार्यक्रम के आकार को लेकर शुरुआती चिंताओं के बावजूद जी-सेक बाजार में प्रतिफल के उतार-चढ़ाव सीमित स्तर पर बने रहे। आने वाले समय में वित्तीय बाजार घरेलू समष्टिआर्थिक परिदृश्य के साथ-साथ अमेरिकी मौद्रिक नीति के भविष्य के मार्ग और यूएस डॉलर की मजबूती से प्रभावित होंगे।

II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद भू-राजनीतिक संघर्ष के बढ़ने से खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसने दुनिया भर की सरकारों को ऊर्जा कर में कटौती, कीमत सब्सिडी और नकद अंतरण सहित लक्षित उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि घरों और व्यवसायों पर जीवन-यापन की लागत संबंधी संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि, 2022 में अधिकांश जी-20 देशों में वित्तीय घाटा और ऋण कम हो गया, जो महामारी से संबंधित उपायों के प्रभाव को दर्शाता है (आईएमएफ, अक्टूबर 2022) [चार्ट II.6.1]। भारत में, 2022-23 के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक लक्षित वित्तीय उपाय किए गए, जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और विकास और निवेश गतिविधि का समर्थन करने के उद्देश्य से, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में बड़ी वृद्धि की गई।

चार्ट II.6.1: जी20 देशों में राजकोषीय शेष और सकल ऋण



यूएस: संयुक्त राज्य अमेरिका

यूके: यूनाइटेड किंगडम

ईयू: यूरोपियन संघ

नोट: अन्य देशों के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए डेटा विश्व आर्थिक आउटलुक (डबल्यूआईओ), आईएमएफ से प्राप्त किया गया है। हालांकि, यह केंद्रीय बजट दस्तावेजों या रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि आईएमएफ भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा पद्धतियों और परंपराओं की तुलना में विभिन्न लेखा पद्धतियों और परंपराओं का पालन करता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2023, आईएमएफ।

II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 और 3 में क्रमशः 2022-23 और 2023-24 में केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति प्रस्तुत की गई है। उप-खंड 4 और 5 में 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के वित्त में विकास की प्रगति की रूपरेखा दी गई है। उप-खंड 6 में सामान्य सरकारी वित्त पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणी दी गई है।


2. 2022-23 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.3 केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2021-22 में जीडीपी के 6.75 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के संशोधित अनुमानों (आरई)³² में जीडीपी का 6.45 प्रतिशत हो गया, जो 6.44 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य के अनुरूप है। तथापि, उनके बजटीय स्तरों से राजस्व और व्यय में काफी अंतर था (चार्ट II.6.2)।

II.6.4 कच्चे तेल और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से बचाने के लिए अप्रैल-मई 2022 के दौरान कई उपायों की घोषणा की- अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए अतिरिक्त

उर्वरक सब्सिडी स्वीकृत की गई; पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क क्रमशः ₹8 और ₹6 प्रति लीटर घटाया गया; प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर ₹200 की एलपीजी सब्सिडी की

चार्ट II.6.2: 2022-23 में बीई की तुलना में आरई में राजकोषीय विचलन में योगदान



बीई: बजट अनुमान।

आरई: संशोधित अनुमान।

नोट: ऋणात्मक योगदान, प्राप्ति में वृद्धि या व्यय में कटौती या जीडीपी में बीई से आरई तक ऊर्ध्वगामी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, धनात्मक योगदान, कम प्राप्ति या बीई से आरई तक उच्च व्यय को दर्शाता है, क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से गिरावट में योगदान करते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।


³² इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 1 का संदर्भ लें।

घोषणा की गई; और प्लास्टिक, लोहा और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में बदलाव किया गया।³³ इसके अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया- चरण VI (अप्रैल-सितंबर 2022) और चरण VII (अक्तूबर-दिसंबर 2022) जबकि 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा की गई। परिणामस्वरूप, सब्सिडी व्यय बजट अनुमानों से ₹2.1 लाख करोड़ अधिक हो गया (खाद्य सब्सिडी ₹0.8 लाख करोड़ बढ़ गई और उर्वरक सब्सिडी ₹1.2 लाख करोड़ बढ़ गई), जिससे 2022-23 (आरई) में राजस्व व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत (₹2.6 लाख करोड़) की वृद्धि हुई।³⁴

II.6.5 इस बीच, सरकार पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिबद्ध रही, और इसके परिणामस्वरूप पूंजी परिव्यय (ऋण और अग्रिम घटाकर पूंजीगत व्यय) बजट अनुमानों से लगभग ₹10,000 करोड़ अधिक हो गया। हालांकि, ऋण और अग्रिमों में लगभग ₹32,000 करोड़ की कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के कुल पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत (लगभग ₹22,000 करोड़) की मामूली कमी हुई।

II.6.6 प्राप्ति के पक्ष में, कर राजस्व मजबूत रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत (₹1.5 लाख करोड़) से बीई को पार कर गया क्योंकि निगम कर, आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह में वृद्धि, कम उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अधिक थी। रिज़र्व बैंक द्वारा कम लाभांश अंतरण के कारण 2022-23 (आरई) में गैर-कर प्राप्ति बजटीय लक्ष्यों से कम रहीं, लेकिन इस कमी को उच्च ब्याज प्राप्ति, स्पेक्ट्रम

चार्ट II.6.3: स्पेक्ट्रम राजस्व: वास्तविक बनाम बजट



नोट: स्पेक्ट्रम राजस्व 'अन्य संचार सेवाओं' के तहत प्राप्ति को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्ति से संबंधित है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

राजस्व और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश अंतरण के कारण जीडीपी के 0.03 प्रतिशत (₹7,900 करोड़) पर सीमित कर दिया गया (चार्ट II.6.3)। 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ₹65,000 करोड़ के बजटीय लक्ष्य की तुलना में विनिवेश प्राप्ति का अनुमान ₹50,000 करोड़ है।

3. 2023-24 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.7 2023-24 के लिए, केंद्रीय बजट ने, व्यापक समष्टि-आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए, विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी है। 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, सरकार ने 2023-24 में जीएफडी का बजट जीडीपी³⁵ का 5.9 प्रतिशत रखा है,

³³ कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाने के साथ-साथ, लौह अयस्क और सान्द्रों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि करते हुए, इस्पात और प्लास्टिक उद्योग के लिए प्रमुख कच्चे माल और निविष्टियों पर आयात शुल्क घटाया गया।

³⁴ वित्तीय वर्ष 2022-23 (13 मार्च, 2023 को प्रस्तावित) के लिए अनुदान की पूरक मांग के दूसरे बैच में ₹1.48 लाख करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल है (जिसमें से राजस्व व्यय ₹1.44 लाख करोड़ है और पूंजीगत व्यय ₹3,755 करोड़ है)।

³⁵ 2023-24 (बीई) के लिए सांकेतिक जीडीपी, पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए, ₹3,01,75,065 करोड़ अनुमानित की गई है (अर्थात्, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2023 को जारी 2022-23 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार ₹2,73,07,751 करोड़)।

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन

जीडीपी का प्रतिशत

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर-कर्ज प्राप्तियाँ	11.0	9.7	9.5	9.1	9.4	9.1	8.8	8.7	8.5	9.4	8.9	8.9	9.0
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.6	11.1	11.2	11.0	10.0	10.2	11.5	10.7	11.2	11.1
ए) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.4	5.5	5.9	6.0	5.2	4.8	6.0	5.5	6.1	6.0
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	5.2	5.6	5.4	5.0	4.8	5.5	5.5	5.2	5.1	5.1
III. निवल कर राजस्व	7.9	7.6	7.3	6.9	7.2	7.3	7.0	6.7	7.2	7.7	7.5	7.7	7.7
IV. गैर-कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.9	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
VI. कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.0	12.8	12.5	12.2	13.4	17.7	16.2	15.3	15.4	14.9
VII. राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.2	11.0	11.0	10.6	11.7	15.5	13.6	12.4	12.7	11.6
VIII. पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	2.1	2.5	2.9	2.7	3.3
IX. राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	7.3	4.4	3.8	4.1	2.9
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	9.2	6.8	6.4	6.5	5.9

बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।

नोट: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, 2022-23 (आरई) के लिए नॉमिनल जीडीपी 28 फरवरी, 2023 को जारी एसई के अनुसार है। इसके मद्देनजर, इस खंड में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिये गए राजकोषीय संकेतक, केंद्रीय बजट दस्तावेजों में दी गई रिपोर्ट से भिन्न हो सकते हैं। कृपया इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 1 का संदर्भ भी लें।


स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

जो 2022-23 (आरई) से 53 आधार अंकों का सुदृढीकरण है। यह सुदृढीकरण राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत पर नियंत्रित करके प्राप्त करने का इरादा है, तथापि पूंजीगत व्यय का बजट, 2010-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है (सारणी II.6.1)।

II.6.8 व्यय के मोर्चे पर, 2023-24 में यूरिया की कीमतों में नरमी और महामारी से संबंधित खाद्य सब्सिडी को कम करने के कारण, सब्सिडी पर खर्च को वापस लेने की परिकल्पना की गई है। 2023-24 (बीई) में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में क्रमशः 31.3 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है, जिससे राजस्व व्यय वृद्धि 1.2 प्रतिशत पर सीमित हो जाएगी। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सड़क और रेलवे मंत्रालयों का बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट II.6.4)। पूंजीगत व्यय के तहत, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को ₹1.3 लाख करोड़ के बढ़े


हुए आबंटन के साथ, 2023-24 (बीई) तक बढ़ा दिया गया है। ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय, यानी पूंजी परिव्यय 2023-24 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जो उदारीकरण के बाद की अवधि में सबसे

चार्ट II.6.4: 2023-24 में पूंजीगत व्यय का मंत्रालय-वार विभाजन (कुल का प्रतिशत)



स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज

चार्ट II.6.5: व्यय की गुणवत्ता



अधिक है, और यह खर्च की गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दर्शाता है (चार्ट II.6.5)।

II.6.9 प्राप्ति के पक्ष में, सकल कर राजस्व में 0.96 की बजटीय उछाल के साथ, 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जो प्रवृत्ति स्तर (2010-11 से 2018-19 तक औसत द्वारा अनुमानित) के करीब है [सारणी II.6.2]। अनुपालन में सुधार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है और 2023-24 में इसे जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर बजटीकृत किया गया है, जो जीएसटी की शुरुआत के बाद से उच्चतम है (चार्ट II.6.6)। गैर-कर प्राप्ति में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि विनिवेश लक्ष्य ₹51,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।

II.6.10 केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रतिबंधित बाजार उधार की परिकल्पना की गई है, जो निजी निवेश के लिए जगह खोलेगा। 2023-24 के लिए सकल बाजार उधार ₹15.43 लाख करोड़ (जीडीपी का 5.1 प्रतिशत) आंका गया है, जबकि 2022-23 आरई में यह ₹14.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 5.2 प्रतिशत) था। 2023-24 (बीई) में जीएफडी (66.1 प्रतिशत) के वित्तपोषण

सारणी II.6.2 : कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 to 2018-19)	2022-23 (बीई)	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	0.86	0.77	0.96
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.22	1.08	0.96
(i) कॉर्पोरेशन कर	0.92	1.20	1.09	0.96
(ii) आय कर	1.27	1.28	1.09	0.96
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.51	0.44	0.95
(i) जीएसटी	-	1.40	1.40	1.10
(ii) सीमा शुल्क	0.31	1.14	0.32	1.01
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	-1.34	-1.19	0.54


-: अनुपलब्ध जीएसटी : वस्तु एवं सेवा कर


नोट: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। 2022-23 (बीई) की गणना 2021-22 (आरई) के आधार पर की गयी है।

स्रोत: विभिन्न वर्षों के यूनियन बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणना

का मुख्य स्रोत बाजार उधार (निवल) हैं, इसके बाद छोटी बचत (26.4 प्रतिशत) का स्थान आता है [चार्ट II.6.7]। इसके अलावा, नकद शेष राशियों का एक कोष बजटीकृत किया गया है, जो भारत सरकार को एक वित्तपोषण बफर प्रदान करता है।

चार्ट II.6.6: जीएसटी संग्रह





4. 2022-23 में राज्य वित्त

II.6.11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत के समेकित जीएफडी के लिए बजट रखा है (सारणी II.6.3)। यह अनुपात 2021-22 (आरई) के अनुपात से कम है और केंद्र द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य के भीतर है। राज्यों ने मुख्य रूप से राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी), उत्पाद शुल्क और बिक्री कर/वैट में उच्च राजस्व संग्रह के लिए बजट योजना तैयार की है। राज्यों के राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय में भी वृद्धि की बजट योजना है।

II.6.12 फरवरी 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान राज्यों का जीएफडी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा अधिक था। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों ने 14.1 प्रतिशत की सुदृढ़ वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से मजबूत कर संग्रह द्वारा संचालित थी। नवंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने ₹0.58 लाख करोड़ के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले ₹1.16 लाख करोड़ की कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं। केंद्र ने अप्रैल-जून 2022 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ₹0.17 लाख करोड़ भी जारी किए। कुल मिलाकर, यद्यपि

सारणी II.6.3: राज्यों/यूटी की राजकोषीय स्थिति

(₹ लाख करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	26.2 (13.9)	26.7 (13.3)	25.9 (13.1)	33.5 (14.2)	38.6 (14.9)
II. पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.42 (0.2)	0.57 (0.3)	0.23 (0.1)	0.27 (0.1)	0.2 (0.1)
III. राजस्व व्यय	26.4 (14.0)	27.9 (13.9)	29.6 (14.9)	35.7 (15.1)	39.4 (15.3)
IV. पूंजीगत व्यय	4.9 (2.6)	4.6 (2.3)	4.6 (2.3)	6.9 (2.9)	8.2 (3.2)
ए. पूंजीगत परिव्यय	4.4 (2.3)	4.2 (2.1)	4.1 (2.1)	6.3 (2.7)	7.5 (2.9)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.5 (0.2)	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.6 (0.3)	0.6 (0.3)
V. राजकोषीय घाटा	4.6 (2.4)	5.2 (2.6)	8.0 (4.1)	8.8 (3.7)	8.8 (3.4)
VI. राजस्व घाटा	0.2 (0.1)	1.2 (0.6)	3.7 (1.9)	2.2 (0.9)	0.8 (0.3)

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी के बजट दस्तावेज

अप्रैल-फरवरी, 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि एक साल पहले की तुलना में अधिक थी, तथापि केंद्र द्वारा राज्यों के संसाधनों में 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि के बावजूद, कैपेक्स में वृद्धि कम है।

5. 2023-24 में राज्य वित्त

II.6.13 केंद्र ने 2023-24 के लिए राज्यों के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा है। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2023-24 के लिए सकल राजकोषीय घाटा उनके संचयी जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो केंद्र के लक्ष्य के भीतर ही है (सारणी II.6.4)। मुख्य रूप से कर हस्तांतरण में वृद्धि और कैपेक्स के लिए राज्यों को विशेष सहायता (ऋण के रूप में) के आबंटन में वृद्धि के कारण, 2023-24 (बीई) में राज्यों को सकल अंतरण बढ़ने का अनुमान है। मुख्य रूप से हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटा अनुदानों के तहत कम अंतरणों के कारण, वित्त आयोग के अनुदानों में 2023-24

**सारणी II.6.4: राज्य सरकार वित्त
2023-43*: प्रमुख संकेतक**

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.4	0.6	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	3.5	3.2
प्राथमिक घाटा	0.5	1.4	1.1

*डेटा छब्बीस राज्यों/यूटी से संबन्धित है जिन्होंने 2023-24 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

में गिरावट आने की उम्मीद है, जबकि स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानांतरण में तेज वृद्धि देखी गई है।

II.6.14 बुनियादी ढांचे में राज्यों के निवेश को बढ़ाने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र ने, ₹1.3 लाख करोड़ के बढ़े हुए आबंटन के साथ, राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है। कर्ज की पूरी राशि 2023-24 में खर्च करनी होगी। इन ऋणों का एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर निर्भर होगा। परिव्यय का एक हिस्सा पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने, शहरी नियोजन सुधारों और कार्यों, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधारों, पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मॉल³⁶, बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालयों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए भी आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति कर अभिशासन सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से, शहरों को नगरपालिका बॉण्डों के लिए अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण में कमी के माध्यम से की जाएगी। फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाएगा और

इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.6.15 वर्ष 2022-23 (बीई) में, सामान्य सरकारी घाटा और कर्ज क्रमशः जीडीपी के 9.4 प्रतिशत और 86.5 प्रतिशत पर आ गए, जो 2020-21 में क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 89.4 प्रतिशत के चरम स्तर से थे (परिशिष्ट सारणी 7)।

7. निष्कर्ष

II.6.16 विश्वसनीय राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए प्रतिबद्ध होते हुए, सरकार ने संवर्धित पूंजीगत व्यय के माध्यम से निवेश चक्र में पुनरुद्धार को आगे बढ़ाया है, क्योंकि सरकार ने निजी निवेश जुटाने (क्राउडिंग-इन) और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने में इसके गुणक प्रभावों को पहचाना है। भविष्य में, नीतिगत बफर के पुनर्निर्माण और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय सुदृढीकरण को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। डिजिटलीकरण पर निरंतर जोर अर्थव्यवस्था के अधिक सुदृढीकरण और इस प्रकार उच्च कर आधार बनाने में सहायता कर सकता है और विकासात्मक व्यय करने के लिए आवश्यक संसाधनों का सृजन कर सकता है।

II.7 बाह्य क्षेत्र

II.7.1 यूक्रेन में युद्ध के बाद बिगड़ती वैश्विक समष्टि वित्तीय स्थिति ने व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रभावित किया जिससे भारत का बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। घरेलू आर्थिक सुधार ने आयात मांग को उच्च बनाए रखा लेकिन वैश्विक मांग में मंदी ने भारत के निर्यात को प्रभावित किया। इन दोनों ने रिकॉर्ड उच्च वैश्विक पण्य कीमतों से जुड़े प्रतिकूल निवल व्यापार की शर्तों के आघातों के साथ वर्ष के दौरान भारत के पण्य व्यापार घाटे में वृद्धि की। सेवा निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि और उच्च विप्रेषण प्राप्तियों के बावजूद माल व्यापार घाटे के बढ़ने और प्राथमिक आय लेखे

³⁶ यह राज्य के 'एक जिला, एक उत्पाद', भौगोलिक संकेतक उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह और अन्य राज्यों के समान उत्पादों के लिए स्थान भी उपलब्ध कराएगा और इनको बढ़ावा भी देगा।


पर अधिक खर्च के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष के दौरान बढ़ गया, जो दूसरी तिमाही में चरम पर पहुंच गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बैंकिंग पूंजी के वर्चस्व वाले निवल पूंजी अंतर्वाह ने चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण किया, लेकिन वर्ष के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार को कम करना पड़ा। मुख्य रूप से गैर-डॉलर आरक्षित मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती वृद्धि के कारण मूल्यांकन हानि, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का एक प्रमुख हिस्सा थी। फिर भी, बाह्य क्षेत्र ने वैश्विक प्रभाव-विस्तार के समक्ष आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया एवं भारत के सुभेद्यता संकेतक अपने समकक्ष उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।

11.7.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है जिसके कारण बाहरी संतुलन में ये बदलाव हुए। इसके बाद उप-खंड 3 और 4 में क्रमशः पण्य व्यापार और अदृश्य मदों पर चर्चा की गई है। उप- खंड 5 पूंजी प्रवाह का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बाहरी सुभेद्यता संकेतकों का मूल्यांकन उप- खंड 6 में दिया गया है जिसके बाद निष्कर्ष टिप्पणियाँ दी गई हैं।

2. वैश्विक आर्थिक स्थिति


11.7.3 यूक्रेन में युद्ध शुरूआती अनुमान से अधिक समय तक जारी रहने और अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ, 2022-23 के दौरान वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। परिणामस्वरूप, आईएमएफ ने अक्तूबर 2021 और अक्तूबर 2022 के बीच लगातार दौर में 2022 के लिए अपने वैश्विक जीडीपी और व्यापार वृद्धि अनुमानों को संशोधित किया (चार्ट 11.7.1ए)। वैश्विक वित्तीय स्थिति सख्त होती गई, जो वैश्विक प्रभाव विस्तार और देश-विशिष्ट कारकों के माहौल में जोखिमों के पुनर्मूल्यांकन के बीच बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की सख्ती को दर्शाती है, जिससे सुरक्षित निवेश के लिए होड़ शुरू हो गई है और अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती आई है। आसन्न वैश्विक मंदी की शुरूआती आशंकाओं और हार्ड लैंडिंग की संभावना के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, जिसके कारण आईएमएफ ने जनवरी 2023 में अपने वैश्विक विकास अनुमान को 3.4 प्रतिशत तक संशोधित किया, जो बाद में अपरिवर्तित रहा। इसी तरह, आईएमएफ द्वारा वैश्विक व्यापार वृद्धि के अनुमान को भी अक्तूबर 2022 में 4.3 प्रतिशत से अप्रैल 2023 में 5.1 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था (चार्ट 11.7.1बी)।

चार्ट 11.7.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार* मात्रा वृद्धि




*: माल एवं वस्तुएँ
स्रोत: आईएमएफ

चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान

चार्ट II.7.3: वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन*



*: आधिकारिक आरक्षित आस्तियों में तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन को इंगित करता है।

स्रोत: आईएमएफ

II.7.4 बाजारों पर जोखिम-विमुख रुख हावी होने के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो बहिर्वाह का अनुभव किया (चार्ट II.7.2)। विश्व विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई, जो विदेशी मुद्रा बाजार पर केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेपों के प्रभाव के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर, प्रमुख आरक्षित मुद्रा की वृद्धि के कारण मूल्यांकन हानि को दर्शाता है (चार्ट II.7.3)।

/ कपड़े, प्लास्टिक और लिनोलियम, लौह अयस्क, रत्न और आभूषण ने समग्र निर्यात प्रदर्शन को कम किया (चार्ट II.7.4)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य व्यापार

	यूएस \$ बिलियन में मूल्य				विकास दर (वर्ष-दर-वर्ष)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	80.9	51.5	95.5	121.0	-1.4	-36.4	85.7	26.6
ति2	78.3	74.2	102.7	110.7	-3.9	-5.2	38.5	7.8
ति3	79.1	75.8	106.8	104.6	-1.9	-4.2	41.0	-2.1
ति4	75.1	90.4	117.0	114.1	-12.7	20.4	29.3	-2.4
वार्षिक	313.4	291.8	422.0	450.4	-5.1	-6.9	44.6	6.7
आयात								
ति1	130.1	61.3	127.0	183.5	1.1	-52.9	107.2	44.5
ति2	118.0	90.7	147.5	189.0	-11.3	-23.1	62.7	28.1
ति3	116.1	110.8	167.0	176.1	-11.2	-4.6	50.7	5.4
ति4	110.5	131.7	171.6	165.4	-9.2	19.1	30.3	-3.6
वार्षिक	474.7	394.4	613.1	714.0	-7.7	-16.9	55.4	16.5
व्यापार शेष								
ति1	-49.2	-9.8	-31.4	-62.6				
ति2	-39.7	-16.5	-44.8	-78.3				
ति3	-37.0	-35.1	-60.2	-71.5				
ति4	-35.4	-41.2	-54.6	-51.3				
वार्षिक	-161.3	-102.6	-191.0	-263.6				
स्रोत: डीजीसीआई&एस और पीआईबी।								

3. पण्य व्यापार


II.7.5 वैश्विक मंदी ने भारत के व्यापारिक निर्यात को कम कर दिया है। फिर भी, 2022-23 में 450.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष के दौरान दर्ज 44.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान 714.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य वस्तु आयात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी II.7.1)।

II.7.6 2022-23 में गैर-तेल निर्यात में मामूली गिरावट आने के कारण निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक पेट्रोलियम उत्पाद थे। गैर-तेल उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने निर्यात को बढ़ावा दिया जबकि इंजीनियरिंग सामान, सूती धागे

II.7.7 मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम निर्यात में 2022-23 के दौरान 44.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि निर्यात की मात्रा में 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण निर्यातकों के लाभ को दर्शाता है (चार्ट II.7.5ए)। रिफ़ाइनड तेल निर्यात आय में विशेष रूप से यूरोपीय बाजार से वृद्धि हुई (चार्ट II.7.5बी)। चूंकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण निर्यात तेजी से लाभकारी हो गया, सरकार ने घरेलू सकल मांग की स्थिति में सुधार को देखते हुए, घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर उपकर लगाया। इसकी पाक्षिक समीक्षा की गई है और 19 अप्रैल 2023 से प्रभावी नवीनतम संशोधन के अनुसार, किसी भी रिफ़ाइनड उत्पाद पर कोई निर्यात उपकर नहीं है।

II.7.8 2022-23 के दौरान भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 107.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि लोहा और इस्पात को छोड़कर, इंजीनियरिंग निर्यात में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.7.6ए)। पण्य-वार, अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी और मई 2022 में इस्पात पर निर्यात शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप 2022-23 के दौरान लोहा और इस्पात (जो कुल इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा है) में 41.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इस्पात पर यह निर्यात शुल्क नवंबर 2022 में हटा दिया गया था।


चार्ट II.7.4: निर्यात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2021-22 की तुलना में 2022-23)




स्रोत: डीजीसीआई&एस

II.7.9 भारत से इंजीनियरिंग निर्यात के प्रमुख बाजारों में अमेरिका, चीन, यूएई, इटली और जर्मनी शामिल हैं। वैश्विक मांग में कमी ने इनमें से कुछ देशों में भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित किया (चार्ट II.7.6बी)। मजबूत अमेरिकी डॉलर और इंजीनियरिंग वस्तुओं की उच्च आयात सामग्री ने भी गिरावट में योगदान दिया।


चार्ट II.7.5 : भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात




स्रोत: डीजीसीआई&एस



चार्ट II.7.6: भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात



स्रोत: डीजीसीआई&एस




II.7.10 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, वैश्विक इस्पात मांग 2023 में 2.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2022 में इसमें 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। भारत में स्टील की मांग 7.3 फीसदी और चीन में 2.0 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है और यूरो एरिया और यूके में 0.4 फीसदी की गिरावट की उम्मीद है।³⁷ निर्यातित उत्पाद (आरओडीटीईपी) योजना पर शुल्कों और करों की छूट का विस्तार, लोहे और इस्पात की वस्तुओं के साथ-साथ, फार्मास्यूटिकल्स और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के लिए भी कर देने से, ये उत्पाद भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।

II.7.11 2022-23 के दौरान बढ़ती इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत के चलते जैविक और अकार्बनिक रासायनिक निर्यात 3.3 प्रतिशत बढ़कर 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय रसायन उद्योग में, उद्योगकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही चीन प्लस वन कार्यनीति से लाभ उठाने की क्षमता है।

II.7.12 2022-23 के दौरान 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 50.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा इसी अवधि के दौरान दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में 74.2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था (चार्ट II.7.7)। मोबाइल विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी


प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने स्मार्टफोन आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत में स्थानांतरण में मदद की है, स्थानीय मूल्य वर्धन में वृद्धि की है और वैश्विक निर्माताओं को सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 2020-21 से स्मार्टफोन पर

चार्ट II.7.7: भारत के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात की संरचना



³⁷ शॉर्ट रेंज आउटलुक, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, अप्रैल 2023।

चार्ट II.7.8: सूती धागे/कपड़ों/मेड-अप्स आदि का निर्यात



स्रोत: डीजीसीआई&एस

22.0 प्रतिशत का आयात शुल्क और अन्य घटकों पर टैरिफ लगाया गया है।

II.7.13 2022-23 के दौरान सूती धागे/कपड़े आदि के निर्यात में 28.4 प्रतिशत की गिरावट आई। वस्तु-वार, सूती धागे का निर्यात एक साल पहले के आईआर स्तर से घटकर लगभग आधा रह गया (चार्ट II.7.8ए)। बांग्लादेश को सूती धागे/कपड़े आदि का निर्यात, जो अकेले 2021-22 में भारत के सूती धागे के निर्यात का 42.0 प्रतिशत था, 2022-23 में लगभग आधा रह गया। मजबूत डॉलर और बिजली संकट के चलते क्षमता में कमी और कपड़ा निर्माताओं द्वारा पुराने धागे के भंडारण के कारण बांग्लादेश, जो निवल कपास आयातक है, में कपास के आयात पर असर पड़ा। कोविड-19 लॉकडाउन और वस्त्र मांग में कमी के कारण, चीन के निर्यात में भी काफी गिरावट आई (चार्ट II.7.8बी)। इसके अलावा, सस्ते घरेलू कच्चे माल की कमी के

बीच, आयातित कपास पर 11.0 प्रतिशत के शुल्क ने बुनकरों और निर्माताओं के मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे सूती कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई।

II.7.14 द्विपक्षीय/क्षेत्रीय स्तर पर भारत के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, 2022-23 के दौरान यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार समझौते लागू हुए। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के साथ समझौतों के लिए बातचीत चल रही है। 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे। अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था (बॉक्स II.7.1)।

बॉक्स II.7.1

प्रतिकूल वैश्विक परिवेश में भारत का निर्यात

वैश्विक व्यापार के भविष्य के लिए दो प्रमुख खतरे बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और संरक्षणवादी नीतियां (आईएमएफ, 2023) हैं। विखंडन और संरक्षणवाद की ओर बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति ने बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और व्यापार नीति अनिश्चितता में योगदान दिया है (कैलडारा और लाको-विएलो, 2022) [चार्ट 1]।


वैश्विक व्यापार पर भू-राजनीतिक जोखिमों और व्यापार नीति अनिश्चितताओं के प्रभाव का विश्लेषण 43 देशों के एक पैनल का उपयोग करके

किया जाता है जिसके लिए सूचकांक उपलब्ध हैं। प्रतिदर्श अवधि 2010 की दूसरी तिमाही से 2022 की दूसरी तिमाही के लिए निम्नलिखित रिग्रेशन का अनुमान लगाया गया है:


$$\log(Export)_{it} = \alpha_i + \beta * GPRI_{it} + \gamma * \log(TPU)_t + \theta * \log(Global\ GDP)_t + \delta_{1-4} + \epsilon_{it}$$

(जारी)

चार्ट 1: वैश्विक व्यापार के प्रति जोखिम



चार्ट 2: भारत की पण्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में रुझान*



जहां $Export_{it}$ तिमाही t में i देश की सेवा/वस्तु/कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं (सीबीएस)³⁸ का निर्यात है; GPR_{it} तिमाही t में i देश की देश-विशिष्ट त्रैमासिक भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक है; और त्रैमासिक वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक है। वैश्विक जीडीपी और तिमाही निश्चित प्रभाव भी नियंत्रण चर के रूप में जोड़े जाते हैं।

परिणाम बताते हैं कि व्यापार नीति अनिश्चितता का पण्य व्यापार पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन समग्र सेवा व्यापार और सीबीएस निर्यात पर भी सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (सारणी

1)। चर में से किसी पर भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

इस अभ्यास से मिले अनुभवजन्य निष्कर्ष, भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में देखे जा रहे विरोधाभासी पैटर्न का समर्थन करते हैं। जहां एक ओर, वैश्विक व्यापार के प्रतिशत के रूप में भारत का पण्य निर्यात पिछले एक दशक में कमोबेश स्थिर रहा है, वहीं दूसरी ओर, इसका सेवा निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जो ज्यादातर सीबीएस निर्यात से प्रेरित है (चार्ट 2)।

सारणी 1: निर्यात पर भू-राजनीतिक और व्यापार अनिश्चितता का प्रभाव
(आश्रित चर: देश-स्तरीय निर्यात)

विवरणात्मक चर	सेवा निर्यात समग्र	कंप्यूटर और कारोबार सेवा निर्यात	पण्य निर्यात
1	2	3	4
भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक (GPR_{it})	0.025 (0.042)	0.036 (0.029)	-0.041 (0.034)
व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक (लॉग TPU_{it})	0.039** (0.019)	0.034** (0.015)	-0.085*** (0.018)
वैश्विक जीडीपी (लॉग ग्लोबल GDP_{it})	0.448** (0.166)	1.632*** (0.168)	0.922*** (0.110)
प्रेक्षणों की संख्या	2074	1950	2107

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्ता स्तर दर्शाते हैं।

नोट: कोष्ठक में क्लस्टर रॉबस्ट मानक त्रुटियाँ दी गई हैं। मॉडल तिमाही-नियत प्रभावों और देश-नियत प्रभावों का नियंत्रण करते हैं।


स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

- कल्डरा, डी., और लाकोविल्लो, एम. (2022), 'मेजरिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क', अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, अप्रैल, 1194-1225
- कल्डरा, डी., लाकोविल्लो, एम. मोल्लिंगो, पी., प्रेस्टीपिनो, ए., और राफफो, ए. (2020), 'द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेन्टी', जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 109
- आईएमएफ (2023), 'जियो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म', स्टाफ डिस्कशन नोट एसडीएन/2023/001, जनवरी, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी।


³⁸ कंप्यूटर और व्यापार सेवा श्रेणी के लिए निर्यात के आंकड़े डब्ल्यूटीओ सेवा व्यापार डेटाबेस के तहत निम्नलिखित दो उप-श्रेणियों को जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं: ए) दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं; और बी) अन्य व्यावसायिक सेवाएं।

चार्ट II.7.9: भारत का व्यापारिक आयात



स्रोत: डीजीसीआई&एस

बी. आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2022-23)



II.7.15 आयात पक्ष को देखें तो, 2022-23 में 714.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे भारत के व्यापारिक आयात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पण्य की कीमतों में कमी के कारण दूसरी छमाही में गिरावट देखी गई। अलग-अलग स्तर पर, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) आयात के प्रमुख चालक थे, इसके बाद कोयला, परिवहन उपकरण, मशीनरी और लोहा और इस्पात का स्थान था। दूसरी ओर, सोने ने आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट II.7.9)।


II.7.16 भारत के पीओएल आयात ने भारत की आयात बास्केट में सबसे बड़ी मद के रूप में योगदान किया, जो 2022-23 में कुल

आयात का लगभग 29.3 प्रतिशत था। पीओएल आयात मूल्य के संदर्भ में 29.4 प्रतिशत और मात्रा के संदर्भ में 7.0 प्रतिशत बढ़ा, जो उच्च कीमतों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट II.7.10ए)।


II.7.17 2022-23 में भारत के कच्चे तेल के आयात के स्रोतों में परिवर्तन हुआ। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी एक साल पहले के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 19.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.7.10बी)।

II.7.18 2022-23 में सोने का आयात, 35.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहते हुए, लगभग 24.2 प्रतिशत घट गया।

चार्ट II.7.10: भारत का पेट्रोलियम निर्यात



स्रोत: डीजीसीआई&एस



मांग को कम करने और व्यापार घाटे पर दबाव कम करने के लिए, भारत ने जुलाई 2022 में सोने पर मूल आयात शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया, जिसे बाद में फरवरी 2023 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने की उच्चतर कीमत के कारण खुदरा मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।


11.7.19 2022-23 में कोयले का आयात मूल्य के संदर्भ में, 57.1 प्रतिशत बढ़ गया, जो उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों और बिजली क्षेत्र से गैर-कोकिंग कोयले की उच्च मांग से प्रेरित था। बिजली की बढ़ती मांग के कारण भारी कमी के मद्देनजर, सरकार ने मई 2022 में बिजली संयंत्रों को कोयले की अपनी आवश्यकता का 10.0 प्रतिशत आयात करने और इसे घरेलू आपूर्ति के साथ मिलाने की अनुमति दे दी। अगस्त में इस आपातकालीन आदेश को वापस ले लिया गया क्योंकि घरेलू कोयले की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ। भारत ने 2022-23 में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से कोयले का आयात किया (चार्ट 11.7.11)।

11.7.20 2022-23 में भारत का उर्वरक आयात, जो वार्षिक घरेलू उर्वरक खपत का लगभग एक-तिहाई है, मूल्य के संदर्भ में लगभग 21.4 प्रतिशत बढ़कर, 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर

तक पहुंच गया। 46.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ जटिल उर्वरकों (जैसे डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)) ने उर्वरक आयात की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया (चार्ट 11.7.12)। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार की अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए, भारत ने उर्वरक आयात के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और एक दीर्घकालिक कार्यनीति के रूप में वैश्विक कंपनियों से इसमें निवेश की मांग कर रहा है। इसके अलावा, यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार वाणिज्यिक यूरिया के विकल्प के रूप में किसानों के बीच नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।


11.7.21 भारत वैश्विक स्तर पर वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अंतराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, वनस्पति तेल पर भारत का आयात बिल 2022-23 में बढ़कर 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। घटक-वार देखें तो, इस आयात में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो भारत में कुल खाद्य तेल आयात का लगभग 63 प्रतिशत है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार, तेल वर्ष के दौरान अब तक (नवंबर 2022 से मार्च 2023) मात्रा के संदर्भ में भारत का खाद्य तेल आयात 70.6 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि है।

चार्ट 11.7.11: भारत का कोयला आयात (2021-22 की तुलना में 2022-23)





स्रोत: डीजीसीआई&एस

चार्ट 11.7.12: भारत का उर्वरक आयात



स्रोत: डीजीसीआई&एस और विश्व बैंक


चार्ट II.7.13 : इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात



II.7.22 इलेक्ट्रॉनिक सामान, 2022-23 में लगभग 10.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, भारत की आयात बास्केट में दूसरा सबसे बड़ी आयात मद है। इसका आयात पिछले वर्ष की तुलना में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 77.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात की संरचना इलेक्ट्रॉनिक घटकों की ओर स्थानांतरित हो गई है, जो 2022-23 में कुल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात का लगभग 32.5 प्रतिशत था (चार्ट II.7.13ए)। आयात में

दूरसंचार उपकरणों की हिस्सेदारी, 2017-18 में 41.3 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंचने के बाद, 2022-23 में गिरकर 21.2 प्रतिशत हो गई, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल से घरेलू विनिर्माण में वृद्धि हुई है।³⁹ चीन सभी घटकों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है (चार्ट II.7.13बी)।


चार्ट II.7.14 : भारत का पण्य व्यापार घाटा



टीबी : व्यापार संतुलन

नोट : एक सकारात्मक Δ आयात का अर्थ कम आयात है और यह विलोमतः भी सही है।

स्रोत : डीजीसीआई&एस और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ



³⁹ इनमें से कुछ योजनाओं में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (2019), इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शामिल हैं।


II.7.23 चूंकि निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ा, व्यापार घाटा 2022-23 में 263.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 38.0 प्रतिशत अधिक था। तेल घाटा कुल घाटे का लगभग 42.5 प्रतिशत था (चार्ट II.7.14ए)। द्विपक्षीय आधार पर, प्रमुख भागीदार देशों के साथ घाटा बढ़ा (चार्ट II.7.14बी)।

4. अदृश्य मदें

II.7.24 सेवाओं, आय और हस्तांतरण में सीमा पार लेन-देन को दर्शाती अदृश्य मदों से निवल प्राप्तियों ने अप्रैल-दिसंबर 2022-23 के दौरान आघात-सहनीयता प्रदर्शित की। जहां एक ओर, सॉफ्टवेयर और कारोबार सेवाओं के निर्यात की मांग, जो भारत के सेवा निर्यात का लगभग 70.0 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान और साथ ही साथ पिछले वर्ष की तुलना में क्रमिक रूप से बढ़ती गई (चार्ट II.7.15), वहीं विप्रेषण प्राप्तियां भी सुदृढ़ रहीं। इस बीच, निवल निवेश आय बहिर्वाह में वृद्धि के बाद, वर्ष के दौरान प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में वृद्धि हुई।

II.7.25 2021-22 में उल्लेखनीय बहाली के बाद, अमेरिका और भारत को छोड़कर, सेवाओं का निर्यात करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक सेवा व्यापार 2022-23 के दौरान कुछ कमजोर हुआ (चार्ट II.7.16)। 2022 में, वैश्विक वाणिज्यिक

चार्ट II.7.16 : सेवाओं के देश-वार निर्यात में वृद्धि



* डेटा (अंतिम) अप्रैल-मार्च से संबंधित है।


स्रोत : डबल्यूटीओ और आरबीआई

सेवाओं के व्यापार का मूल्य 15.0 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (2021 में 17.0 प्रतिशत) बढ़ा, जो सभी क्षेत्रों और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित सभी प्रान्तों में व्यापक था। गार्टनर द्वारा प्रदत्त वैश्विक आईटी व्यय पूर्वानुमान के अनुसार, आईटी खर्च 2022 में रहे 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है, जो आगे चलकर भारत के सेवा निर्यात के लिए अच्छा संकेत है। बहरहाल, मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय संघ में मंदी की आशंकाओं के कारण अधोगामी जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत के सेवा निर्यात के लिए ये प्रमुख गंतव्य हैं।

II.7.26 कंप्यूटर, व्यापार और सूचना सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ, यात्रा और परिवहन प्राप्तियों में वृद्धि ने 2022 में विश्व स्तर पर सेवाओं के निर्यात को आघात-सहनीयता प्रदान की (चार्ट II.7.17ए और II.7.17बी)। गतिशीलता पर महामारी संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, 2022 में विश्व परिवहन और यात्रा सेवाओं में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 25.0 प्रतिशत और 79.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.7.27 2021-22 की पहली छमाही तक महामारी-पूर्व स्तरों पर पूरी तरह से बहाल हो जाने के बाद, भारत में आवक विप्रेषण में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई और अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के

चार्ट II.7.15 : भारत के सेवा निर्यात की संरचना



*इसमें संचार सेवाएँ और सरकार शामिल हैं, जिन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है।


स्रोत : आरबीआई

चार्ट II.7.17ए : प्रमुख यात्रा गंतव्यों में यात्रा प्रामियां



स्रोत : आरबीआई और विश्व बैंक

चार्ट II.7.17बी : प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्रामियां




दौरान यह 83.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान यह 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट II.7.18ए)। 2022 में, भारत की आवक विप्रेषण प्रामियां, 2021 में रही 86.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर, 107.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं (चार्ट II.7.18बी)। भारत के विप्रेषण में वृद्धि कई कारकों से प्रेरित थी, जिसमें कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में भारतीय प्रवासियों को लाभान्वित करने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज और महामारी के बाद वेतन वृद्धि शामिल थी। इसके अलावा, टीकाकरण अभियान और यात्रा प्रतिबंधों में ढील ने मध्य-पूर्व में

भारतीय प्रवासियों को अपने कार्यस्थलों पर लौटने और 2022 में काम फिर से शुरू करने में मदद की, जिसने भारत में विप्रेषण प्रवाह को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण भेजने की औसत लागत, 2020 की चौथी तिमाही में रही 5.5 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से सबसे अधिक) से घटकर, 2022 की तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत हो गई।

II.7.28 आय खाते के तहत, जो सीमापार निवेश और कर्मचारियों के मुआवजे पर आय से संबंधित है जो घरेलू निवासी

चार्ट II.7.18ए : यूएस \$ 200 के विप्रेषण प्राप्त करने की लागत की तुलना में भारत में आवक विप्रेषण




* भुगतान संतुलन (बीओपी) आधार

स्रोत : आरबीआई और विश्व बैंक

चार्ट II.7.18बी : प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में आवक विप्रेषण






संस्थाएं दुनिया के बाकी हिस्सों से कमाती हैं (या भुगतान करती हैं), अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि हुई। हालांकि, भुगतान एक साल पहले की तुलना में काफी अधिक था।

II.7.29 व्यापार घाटे में वृद्धि और प्राथमिक आय लेखा में निवल व्यय में वृद्धि ने भारत के चालू खाते में अनुक्रमिक वृद्धि को 2022-23 की पहली तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही तक, तीसरी तिमाही में कम होने से पहले, बढ़ा दिया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान चालू खाते का घाटा 2.7 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले के 1.1 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट II.7.19ए)। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण व्यापार की नकारात्मक निवल शर्तें और भारत के व्यापारिक भागीदारों में वृद्धि में मंदी की वजह से निर्यात में गिरावट के कारण व्यापार घाटे में बढ़ोतरी और घरेलू मांग में मजबूत सुधार के कारण उच्चतर आयात ने वर्ष के दौरान अब तक उच्चतर चालू खाते के घाटे में मुख्य रूप से योगदान दिया (चार्ट II.7.19बी)।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.7.30 अप्रैल-दिसंबर 2022-23 में, भारत के सीएडी में वृद्धि को देखते हुए, बाह्य वित्तपोषण की जरूरतों में काफी वृद्धि हुई। वित्तीय प्रवाह के प्रमुख घटकों में निवल एफडीआई मजबूत रहा, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया। इसके अलावा,

अप्रैल-दिसंबर 2022-22 के दौरान व्यापार ऋण और बैंकिंग पूंजी के रूप में ऋणों ने निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ने निवल बहिर्वाह दर्ज किया। वित्तीय लेखा में महत्वपूर्ण दबाव के कारण अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर (मूल्यांकन परिवर्तनों को छोड़कर) विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी \$14.7 बिलियन की कमी आई थी [चार्ट II.7.20 और परिशिष्ट सारणी 8]।



सारणी II.7.2 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह


(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	43.0	44.0	38.6	28.0
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	56.0	54.9	56.2	41.6
1.1.1 सकल अंतर्वाह	74.4	82.0	84.8	71.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	18.4	27.0	28.6	29.3
1.2 निवल जावक एफडीआई	13.0	11.0	17.6	13.6

स्रोत : आरबीआई

II.7.31 पूंजी प्रवाह के भीतर, निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक घटा निवल जावक) 2022-23 के दौरान अमेरिकी \$28.0 बिलियन (एक साल पहले अमेरिकी \$38.6 बिलियन) पर रहते हुए मजबूत रहा। इस अवधि के दौरान भारत में एफडीआई के प्रत्यावर्तन/विनिवेश में वृद्धि हुई, जबकि भारत द्वारा जावक एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई (सारणी II.7.2)। यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट (जून 2022) के अनुसार, भारत 2021 में एफडीआई का 7^{वां} सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (2020 में 8^{वां}) था। विभिन्न सरकारी पहलों, जैसे पीएम गति शक्ति, पीएलआई योजना को और बढ़ाने और हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए एक मजबूत जोर के कारण विदेशी कंपनियों से अधिक एफडीआई आकर्षित होने की उम्मीद है। 2022-23 के दौरान, शीर्ष एफडीआई स्रोत देश सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड थे, जिन्होंने कुल एफडीआई इक्विटी में 76.5 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट II.7.21)। क्षेत्र-वार संरचना इंगित करती है कि इस अवधि के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा रहा, इसके बाद विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, बिजली और अन्य ऊर्जा, और शिक्षा, अनुसंधान और विकास का स्थान रहा (परिशिष्ट सारणी 9)।



II.7.32 भारत से जावक एफडीआई में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2022-23 के दौरान 22.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।



ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस भारत से बाहरी एफडीआई के प्रमुख गंतव्य थे। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार, और रेस्तरां और होटल इस अवधि के दौरान भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

II.7.33 उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक सख्ती किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत सहित प्रमुख ईएमई में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने 2022-23 में बहिर्वाह दर्ज किया। हालांकि, 2022-23 की पहली तिमाही में निवल विक्रेता होने के बाद, एफपीआई जुलाई 2022 से घरेलू बाजारों, विशेष रूप से इक्विटी में निवल खरीदार बन गए (चार्ट II.7.22)।

II.7.34 इक्विटी बाजार में एफपीआई प्रवाह मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, रसायन और विनिर्माण सामग्री क्षेत्रों में दर्ज किया गया था (चार्ट II.7.23)। 2022-23 के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई के लिए निवेश सीमा का कम उपयोग किया गया। मार्च 2023 के अंत तक, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में सीमा (सामान्य मार्ग) का केवल 18.9 प्रतिशत उपयोग किया गया था (मार्च 2022 के



अंत में 26.3 प्रतिशत), जबकि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के लिए उपयोग दर एक प्रतिशत से नीचे रहते हुए बहुत ही कम रही। एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोली गई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के कुल मूल्य में से मार्च 2023 के अंत तक एफपीआई के पास 2.7 प्रतिशत (मार्च 2022 के

अंत में 2.6 प्रतिशत) था। कॉरपोरेट बॉण्ड खंड में एफपीआई की रुचि, अन्य बातों के साथ-साथ अमेरिका में प्रतिफल दरों में वृद्धि के कारण कम रही (बॉक्स II.7.2)। मार्च 2023 के अंत तक कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई के लिए सीमा का केवल 15.5 प्रतिशत (पूर्ण रूप से) उपयोग किया गया था, जो मार्च 2022 के अंत में 19.9 प्रतिशत से कम था।

बॉक्स II.7.2

पूंजी प्रवाह की ब्याज दर संवेदनशीलता : भारतीय अनुभव

अमेरिका में मौद्रिक नीति में बदलाव ईएमई के लिए पूंजी प्रवाह के प्रमुख निर्धारकों में से एक रहा है (कोपके, 2019)। हालांकि, इसका असर ईएमई में उनकी घरेलू समष्टि आर्थिक नीतियों, विदेशी ऋण के स्तर, राजकोषीय घाटे और भंडार के आधार पर अलग-अलग होता है। यद्यपि, सैद्धांतिक रूप से ब्याज दर अंतर पूंजी अंतर्वाह का एक प्रमुख निर्धारक बना हुआ है, लेकिन व्यवहार में अनुभवजन्य निष्कर्ष अलग होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत के सकल पूंजी अंतर्वाह के विभिन्न घटकों की ब्याज दर संवेदनशीलता का एक अनुभवजन्य विश्लेषण किया जाता है, जिसमें 1999 की दूसरी तिमाही से 2022 की दूसरी तिमाही तक त्रैमासिक आंकड़ा शामिल होता है। निवल प्रवाह के बजाय सकल पूंजी अंतर्वाह का उपयोग विश्लेषण के लिए किया गया है क्योंकि किसी देश की निवल

स्थिति अक्सर इसकी वित्तीय कमजोरियों का विश्वसनीय संकेतक नहीं हो सकती है।

ब्याज दर अंतर (आईआरडी) के लिए सकल पूंजी अंतर्वाह की संवेदनशीलता का पता लगाने के लिए, वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (वीएआर) मॉडल का अनुमान वर्मा और प्रकाश (2011) का अनुसरण करके लगाया जाता है, और आईएनआर-यूएसडी नाममात्र विनिमय दर में परिवर्तन, घरेलू वास्तविक जीडीपी वृद्धि और ओईसीडी जीडीपी वृद्धि द्वारा वैश्विक जीडीपी वृद्धि जैसे बहिर्जात चर को नियोजित किया जाता है। इसके अलावा, पूंजी प्रवाह के विभिन्न घटकों पर आईआरडी के प्रभाव की जांच करने में - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई), अल्पकालिक (जारी)

सारणी 1: ब्याज दर अंतर में परिवर्तन के बीच कारण संबंध और सकल पूंजी अंतर्वाह में परिवर्तन


नल हाइपोथीसिस	प्रतिदर्श अवधि	ची-वर्ग	संभाव्यता
आईआरडी ग्रेजर कॉज एफपीआई नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	4.89	0.09
एफपीआई ग्रेजर कॉज आईआरडी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	1.47	0.48
आईआरडी ग्रेजर कॉज एसटीसी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	6.72	0.03
एसटीसी ग्रेजर कॉज आईआरडी नहीं है	2010 ति4 – 2022 ति2	0.34	0.84
आईआरडी ग्रेजर कॉज ईसीबी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	7.09	0.03
ईसीबी ग्रेजर कॉज आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	2.71	0.26
आईआरडी ग्रेजर कॉज बीसी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	10.62	0.00
बीसी ग्रेजर कॉज आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	1.42	0.49
आईआरडी ग्रेजर कॉज एफडीआई नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	0.65	0.72
एफडीआई ग्रेजर कॉज आईआरडी नहीं है	1999 ति2 – 2022 ति2	5.51	0.06

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

व्यापार ऋण (एसटीसी), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बैंकिंग पूंजी (बीसी) प्रवाह और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) - आईआरडी के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि नियोजित किए गए हैं⁴⁰ वीएआर ढांचे के आधार

पर ग्रेजर कार्य-कारण परीक्षणों के अनुसार पूंजी प्रवाह के विभिन्न घटकों के लिए आईआरडी से कार्य-कारण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया (सारणी 1)⁴¹

चार्ट 1 : आईआरडी में परिवर्तन के लिए सकल पूंजी अंतर्वाह के विभिन्न घटकों की संवेदनशीलता



नोट: चार्ट वीएआर मॉडल के आधार पर सामान्यीकृत आईआरएफ (एक एसडी नवाचार ± 2 विश्लेषणात्मक अलाक्षणिक मानक त्रुटियाँ) का संकेत देते हैं; काली रेखाएं आईआरएफ का संकेत देती हैं; लाल बिंदीदार रेखाएं 95 प्रतिशत कॉन्फिडेंस इन्टर्वल का संकेत देती हैं।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

⁴⁰ विशेष रूप से, तिमाही औसत घरेलू नीति रेपो दर और अमेरिकी संघीय निधि दर के बीच अंतर का उपयोग एफपीआई और एसटीसी के मामले में आईआरडी के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया गया था। इसी तरह, 10-वर्षीय भारत सरकार बॉण्ड प्रतिफल और 10-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल के बीच के अंतर को ईसीबी के मामले में आईआरडी प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और 91-दिवसीय भारत सरकार ट्रेजरी बिल (टीबी) प्रतिफल और यूएस 3-महीने की टीबी उपज के बीच के अंतर को बीसी प्रवाह के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियोजित किया गया था। अंत में, एफडीआई, प्रकृति में दीर्घकालिक होने के नाते, 10 साल के भारत सरकार के बॉण्ड प्रतिफल और 10 साल के अमेरिकी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल के बीच का अंतर इस मामले के लिए आईआरडी माना गया था।

⁴¹ माना जाने वाला द्विभिन्नरूपी वीएआर मॉडल निम्नानुसार है: $\{\Delta(\text{ब्याज दर अंतर}), \Delta(\text{सकल पूंजी प्रवाह})\}$, जहां Δ तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन को इंगित करता है। उल्लिखित नियंत्रणों को प्रकृति में बहिर्जात माना जाता था। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2013-14 के टेपर टैंट्रम के लिए पीरियड डमी पर भी विचार किया गया था।

वीएआर मॉडल से सामान्यीकृत आवेग प्रतिक्रिया कार्य (आईआरएफ) इंगित करते हैं कि: (i) आईआरडी में परिवर्तन और सकल एफपीआई, एसटीसी, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी प्रवाह में वृद्धि के बीच 1-2 तिमाहियों के अंतराल के साथ सकारात्मक संबंध है (चार्ट 1); (ii) आईआरडी में परिवर्तन के लिए एक मानक विचलन (एसडी) आघात से सकल एफपीआई अंतर्वाहों में 0.07 प्रतिशत, सकल एसटीसी अंतर्वाह में 0.07 प्रतिशत, सकल ईसीबी अंतर्वाह में 0.13 प्रतिशत और सकल बैंकिंग पूंजी अंतर्वाह में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि होती है; (iii) सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह आईआरडी के प्रति संवेदनशील प्रतीत नहीं होते हैं; और (iv) आईआरडी में परिवर्तन का सकल पूंजी प्रवाह पर समग्र स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

संक्षेप में, विश्लेषण इंगित करता है कि ब्याज दर अंतर पोर्टफोलियो, व्यापार वित्तपोषण और ईसीबी प्रवाह को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन भारत में समग्र सकल पूंजी अंतर्वाह को यह प्रभावित नहीं करता है।

संदर्भ:


1. कोपके, आर. (2019), 'व्हाट ड्राइव्स कैपिटल फ्लोव्स टू ईमरजिंग मार्केट्स? ए सर्वे ऑफ द एम्पिरिकल लिटरेचर', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक सर्वेज, 33(2), 516-540.
2. वर्मा आर., एंड प्रकाश, A. (2011), 'सेंसिटिविटी ऑफ कैपिटल फ्लोव्स तो इंटररेस्ट रेट डिफरेंशियल्स: एन एम्पिरिकल असेसमेंट फॉर इंडिया', रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज़, मे 2011.


II.7.35 ईसीबी ने एक साल पहले की तुलना में 2022-23 के दौरान ईसीबी करारों की संख्या के साथ-साथ राशि के मामले में भी गिरावट दर्ज की। इसके अलावा, भारत में निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में 2022-23 में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ था (चार्ट II.7.24)। 6 जुलाई, 2022 को, रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को उदार बनाने के उपायों के तहत, ईसीबी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उधार सीमा 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई थी। इसके अलावा, ईसीबी ढांचे के तहत समग्र-लागत सीमा में भी 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो। ये उपाय 31 दिसंबर, 2022 तक प्रभावी थे।

II.7.36 ईसीबी संवितरण का उपयोग, बड़े पैमाने पर ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, नई परियोजनाओं, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं के लिए रुपये के व्यय के लिए, किया गया था (चार्ट II.7.25)। ईसीबी के भीतर, रुपये में अंकित ऋण और रुपया-मूल्य वाले बॉण्ड (आरडीबी), 2022-23 के दौरान कुल समझौते की राशि का 8.0 प्रतिशत था, जो एक साल पहले 8.4 प्रतिशत था। इसके अलावा, बचाव (हेज) किए गए विदेशी मुद्रा ऋण का हिस्सा वर्ष के दौरान 49.3 प्रतिशत था, जो 2021-22 के दौरान 51.6 प्रतिशत से अधिक था।

II.7.37 अप्रैल-दिसंबर 2022 में अल्पकालिक व्यापार ऋण का निवल अंतर्वाह 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि एक साल पहले 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ था। कच्चे तेल, सोने, कोयला और तांबे के आयात के लिए लगभग 36.0 प्रतिशत व्यापार ऋण जुटाया गया था।

II.7.38 अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमाराशियां, जो कुल बकाया अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों का लगभग 69.2 प्रतिशत थीं, में 2022-23 के दौरान 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह देखा गया, जो एक वर्ष पहले





रहे 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है (सारणी II.7.3)। विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में निवल अंतर्वाह 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि एक साल पहले 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मोचन हुआ था। इसके अलावा, अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों ने भी वर्ष के दौरान मजबूत शुद्ध प्रवाह दर्ज किया। कुल मिलाकर, एनआरआई खातों ने एक साल पहले के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 के दौरान 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, ब्याज दरों के विनियमन और एफसीएनआर (बी) और एनआरआई खातों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक

चलनिधि अनुपात (एसएलआर) रखरखाव से छूट से संबंधित एनआरआई खातों के संबंध में 6 जुलाई, 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए पूंजी अंतर्वाह उपायों ने भी इन खातों में उच्च निवल अंतर्वाह में सहायता की।

6. सुभेद्यता संकेतक

II.7.39 भारत के विदेशी ऋण में मार्च 2022 के अंत की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी, 1.0 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई; सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, यह इसी अवधि के दौरान 20.0 प्रतिशत से घटकर 19.1 प्रतिशत हो गया (सारणी II.7.4)। भारत का विदेशी ऋण (जीडीपी के अनुपात के रूप में) भी अधिकांश उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम रहा। वाणिज्यिक उधार 35.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद अनिवासी जमा (21.9 प्रतिशत) और अल्पकालिक व्यापार ऋण (20.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। बाहरी ऋण की क्षेत्र-वार संरचना इंगित करती है कि गैर-वित्तीय निगम 41.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ उधारकर्ताओं की सबसे बड़ी श्रेणी थे, इसके बाद केंद्रीय बैंक (25.1 प्रतिशत) और सामान्य सरकार (21.0 प्रतिशत) को छोड़कर, जमा लेने वाले निगम थे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी जोखिमों और प्रभाव-विस्तार को कम करने के लिए एक बफर भी प्रदान किया। दिसंबर-2022 के अंत में, विदेशी मुद्रा भंडार अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण के दो गुना से अधिक था और इसने 2022-23 के लिए अनुमानित 9.4 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

सारणी II.7.3 : अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	5.6	8.8	3.3	2.1
2. अनिवासी साधारण खाता	2.0	2.3	3.5	3.4
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.1	-3.8	-3.6	2.4
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	8.6	7.4	3.2	8.0
स्रोत : आरबीआई				

सारणी II.7.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2021	2022	दिसंबर के अंत में 2022
1	2	3	4	5
1. जीडीपी में बाहरी कर्ज का अनुपात	22.4	21.2	20.0	19.1
2. कुल कर्ज में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	17.6	19.7	21.1
3. कुल कर्ज में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	44.1	43.2	44.5
4. कुल कर्ज में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	9.0	8.3	8.1
5. कुल कर्ज में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	100.6	98.1	91.8
6. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	17.5	20.0	23.0
7. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	43.8	44.0	48.5
8. आयात का रिजर्व कवर (महीनों में)*	7.0	17.4	11.8	9.3
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में)	5.9	8.2	5.2	5.3
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	573.7	619.1	613.1
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-355.1	-358.3	-374.5
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-13.2	-11.7	-11.8
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	0.9	-1.2	-2.7

*: बीओपी आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य आयातों पर आधारित।

#: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2022 से संबंधित है।

स्रोत : आरबीआई और भारत सरकार।

II.7.40 मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2022 के अंत से 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें से 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण थी।

7. निष्कर्ष

II.7.41 पूंजी अंतर्वाह को सुस्त करने वाले जोखिम-विमुख रुझान (रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट्स) के माहौल में बढ़ते चालू खाता घाटे के बारे में वर्ष की पहली छमाही में बाजारगत चिंताओं के बावजूद, भारत का चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में शीर्ष पर पहुंचने के बाद धारणीय स्तर के भीतर रहा और विनिमय दर में

उतार-चढ़ाव व्यवस्थित रहा। बाह्य सुभेद्यता संकेतकों ने आघात-सहनीयता प्रदर्शित किया और सुदृढ़ होते घरेलू समष्टिआर्थिक बुनियादी घटकों ने अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल वैश्विक समष्टि-वित्तीय आघातों से उत्पन्न प्रभाव-विस्तार का सामना करने में सहायता प्रदान की। हालांकि, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमई, विशेष रूप से भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में संवृद्धि में मंदी की संभावना, ऊर्जा की अब भी ऊंची कीमतों, यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति के भविष्यगत रुख और संघर्ष-ग्रस्त भू-राजनीतिक माहौल में आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के चलते, भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय अधोगामी जोखिम बने हुए हैं।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

वैश्विक स्तर पर खाद्य, ऊर्जा और अन्य पण्य की उच्च कीमतों का प्रभाव पड़ने और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव से 2022-23 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने का दबाव बढ़ा। मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने और मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने पर केंद्रित रही। रुख में बदलाव करते हुए उदारता बरतने को वापस लेने के साथ नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई। नीति के रुख के अनुरूप अधिशेष चलनिधि में कमी आई और वर्ष के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरों के साथ-साथ बाज़ार की ब्याज दरें भी बढ़ीं।

III.1 फरवरी 2022 में यूक्रेन में जंग छिड़ने की वजह से वैश्विक स्तर पर खाद्य, ईंधन और अन्य पण्य की कीमतें बढ़ीं और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान पैदा हुआ। मौद्रिक नीति को आक्रामक तरीके से सख्त किए जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव ने घरेलू उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ा दिया, जिससे यह ऊपरी सहनशीलता दायरे से ऊपर आ गई। इस पृष्ठभूमि में, 2022-23 के दौरान मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी गई। मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने, कोर मुद्रास्फीति संबंधी दृढ़ता को तोड़ने और प्रतिकूल आपूर्ति आघात के दूसरे दौर के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की गई। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव करते हुए उदारता बरतने को वापस लिया गया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

III.2 मौद्रिक नीतिगत रुख के समर्थन में अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालन में, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को रेपो दर से 25 बीपीएस नीचे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के एक नए फ्लोर के रूप में सक्रिय किया। इस प्रकार कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 बीपीएस के महामारी-पूर्व अवस्था में बहाल कर दिया गया। वर्ष

के दौरान अधिशेष चलनिधि में कमी आई और रिज़र्व बैंक ने चलनिधि के संबंध में अस्थिरता के दबाव को कम करने के लिए कई मौकों पर परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी की। बैंकों की जमा और उधार दरों के साथ-साथ अन्य बाज़ार दरों में नीतिगत रेपो दर के साथ वृद्धि हुई। चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण के मूल्य निर्धारण के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू की गई अनिवार्य बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था ने मौद्रिक संचरण की गति को मजबूत किया।

III.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, खंड 2 में वर्ष के दौरान के प्रमुख घटनाक्रमों के साथ 2022-23 हेतु निर्धारित की गई कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि खंड 3 में वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना निर्धारित की गई है। अंतिम खंड में निष्कर्षणात्मक टिप्पणियां की गई हैं।

2. वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

III.4 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- अर्थव्यवस्था-व्यापी क्रेडिट स्थिति सूचकांक और प्रमुख समष्टिआर्थिक चरों के साथ इसके संबंधों का विश्लेषण (पैराग्राफ III.5);
- मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन (पैराग्राफ III.5); और

- निवेश संबंधी बाधाओं को समझने के लिए कंपनियों/ फर्मों के निवेश व्यवहार का अध्ययन (पैराग्राफ III.5)।

कार्यान्वयन की स्थिति

III.5 वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में, ऋण मंजूरी डेटा का उपयोग करके एक अर्थव्यवस्था-व्यापी क्रेडिट स्थिति सूचकांक का निर्माण किया गया। महामारी के दौरान भारत में मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने के साथ-साथ मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के संबंध में विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, आपूर्ति संबंधी आघातों और कॉर्पोरेट निवेश पर वित्तीय स्थितियों के प्रभाव के सामने मौद्रिक नीति के असर का आकलन करने के लिए अध्ययन किए गए। इनपुट लागतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता के साथ-साथ ग्रामीण कीमतों और मजदूरी के बीच अंतर्संबंध की जांच की गई। प्रतिफल वक्र से बाजार की प्रत्याशाओं के संबंध में सूचना सामग्री और मौद्रिक संचरण ध्यान केंद्रित करने योग्य अन्य क्षेत्र थे।

प्रमुख घटनाक्रम

मौद्रिक नीति

III.6 वर्ष 2022-23 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पहली बैठक यूक्रेन में युद्ध, पण्य की वैश्विक कीमतों में सामान्यीकृत वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के माहौल में अप्रैल 2022 में की गई। वर्ष 2022 में सामान्य बारिश होने और कच्चे तेल की औसत कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहने को मानते हुए, बढ़े इनपुट लागत दबाव को देखते हुए 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर फरवरी 2022 की नीति में 5.7 प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया गया। उभरते जोखिमों और अनिश्चितताओं को देखते हुए, एमपीसी ने सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के रुख को उदार से हटकर उदारता को वापस लेने में बदल दिया ताकि संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

रखने का निर्णय लिया। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से मौजूदा निश्चित दर रिवर्स रेपो से 40 बीपीएस ऊपर एसडीएफ की स्थापना की।

III.7 युद्ध जारी रहने से, पण्य की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति संबंधी अव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति का दबाव तीव्र हो गया। मार्च 2022 के हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़े (12 अप्रैल को जारी) में इजाफा हुआ। आर्थिक गतिविधियों में समुत्थानशीलता और भावी मुद्रास्फीति के काफी बढ़ने के जोखिमों को देखते हुए, एमपीसी ने 2 और 4 मई 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक में सर्वसम्मति से मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने और आपूर्ति संबंधी आघातों के दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रण में करने के लिए नीतिगत रेपो दर को 40 बीपीएस से बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से अप्रैल के संकल्प में निर्धारित रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.5 प्रतिशत कर दिया (बॉक्स III.1)।

III.8 जून 2022 तक, वैश्विक अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और सुस्त आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं के बीच बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रही थी। घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो लगातार चार माह ऊपरी सहनशीलता स्तर के पार रही। पण्य और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों तथा उत्पादन कीमतों में उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे 2022-23 के लिए 6.7 प्रतिशत कर दिया गया। मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने और मूल्य दबाव को बढ़ने से रोकने के लिए, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर में 50 बीपीएस की वृद्धि की।

III.9 जब अगस्त 2022 में एमपीसी की बैठक हुई, तो सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहनशीलता बैंड से ऊपर थी, भले ही वह मई-जून 2022 के दौरान कुछ घटकर 7.0

बॉक्स III.1

आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताएं और मौद्रिक नीति

1990 के दशक के बाद से, नीतिगत ब्याज दरें केंद्रीय बैंकों में मौद्रिक नीति के संचालन के लिए प्रमुख साधन के रूप में उभरी हैं। तदनुसार आरक्षित नकदी निधि आवश्यकताओं का उपयोग कम हो गया है। इसके बावजूद, प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित निधि अनुपात एक महत्वपूर्ण प्रतिचक्रीय साधन बना हुआ है [कॉर्डेला एवं अन्य, 2014]।

भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 बीपीएस तक घटाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत तक कर दिया गया, जिससे घरेलू वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने और अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को समर्थन देने के लिए लगभग ₹1.37 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि जारी की गई। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, रूस और तुर्की जैसे प्रमुख ईएमई ने भी महामारी के दौरान आरक्षित निधि आवश्यकताओं को कम किया (चार्ट 1)।

इसके अलावा, आरक्षित निधि आवश्यकता को बनाए रखने के संबंध में प्रदान की गई छूट का उपयोग क्षेत्र विशिष्ट / लक्षित ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है (कैंटू एवं अन्य, 2021)। उदाहरण के लिए, 2020 में, रिजर्व बैंक ने ऑटोमोबाइल, आवासीय मकान एवं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण हेतु वृद्धिशील खुदरा ऋण प्रदान करने के लिए सीआरआर बनाए रखने के संबंध में छूट प्रदान की। अन्य देशों के बीच, अर्जेंटीना ने महामारी के दौरान एमएसएमई को एवं आपूर्ति या चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि आवश्यकताओं को कम किया। ब्राजील में महामारी से प्रभावित छोटी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए आरक्षित निधि आवश्यकता में छूट दी गई। तुर्की में, खपत के बजाय उत्पादक क्षेत्रों को ऋण की आपूर्ति करने के लिए आरक्षित निधि आवश्यकता संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।


सीआरआर टूल को, अनिवासी जमा संबंधी आवश्यकताओं में बदलाव करते हुए विदेशी मुद्रा प्रवाह को संशोधित करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है - उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को आकर्षित करने के लिए 1 जुलाई 2022 से 4 नवंबर 2022 की अवधि के लिए सीआरआर को बनाए रखने के संबंध में वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी (बाहरी) [एनआरई] जमा को छूट दी।

यूक्रेन में संघर्ष और उससे संबंधित मुद्रास्फीति वृद्धि के बाद, कई ईएमई केंद्रीय बैंकों ने सीआरआर में वृद्धि के साथ अपनी नीतिगत दर में भी वृद्धि की। भारत में, मई 2022 में नीतिगत दर और सीआरआर में एक साथ वृद्धि करने के साथ मौद्रिक सख्ती का सिलसिला शुरू हुआ। कुल मिलाकर, जैसा कि हाल के अनुभव से पता चलता है, मौद्रिक नीति टूलकिट में आरक्षित निधि आवश्यकताएं एक उपयोगी साधन बनी हुई हैं, जिसका उपयोग नरम और सख्त दोनों चक्रों के दौरान किया जाता है।

संदर्भ :

1. कैंटू, सी., पी. कैवल्लिनो, एफ. डी. फियोरे, और जे. येटमैन (2021), 'अ ग्लोबल डेटाबेस ऑन सेन्ट्रल बैंक्स मॉनिटरी रेस्पॉन्सस टु कोविड-19', *बीआईएस वर्किंग पेपर* नं. 934.
2. कॉर्डेला टी., पी. फेडरिको, सी. वेघ, और जी. वुलेटिन (2014), 'रिजर्व रिकवायरमेंट्स इन दी ब्रेव न्यू मैक्रोप्रूडेंशियल वर्ल्ड', *वर्ल्ड बैंक*, अप्रैल।

चार्ट 1: आरक्षित नकदी निधि आवश्यकता अनुपात



टिप्पणी : ब्राजील के मामले में, आरक्षित निधि आवश्यकता मीयादी जमा राशियों से संबंधित है।

स्रोत : सीआईआईसी और केंद्रीय बैंकों के वेबसाइट।

प्रतिशत हो गई थी। कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होने को मानते हुए, मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान को 2022-23 में 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, जो दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर एवं घरेलू आर्थिक गतिविधियों के लचीलेपन को देखते हुए एमपीसी ने महसूस किया कि और अधिक सोची-समझी मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। यह 5-1 मत के साथ उदार रुख को वापस लेने के साथ जारी रहा।

¹ तुर्की में, बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा में तुर्की लीरा के हिस्से को बढ़ाने के लिए फोरेक्स जमा खातों से तुर्की लीरा मीयादी जमाओं में परिवर्तित राशि के लिए दिसंबर 2021 में आरक्षित निधि आवश्यकता संबंधी दायित्व से छूट दी गई थी।

III.10 सितंबर में एमपीसी की बैठक के समय, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त में 7.0 प्रतिशत थी, जो ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर थी। 2022-23 की पहली तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष) में वास्तविक जीडीपी में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधि में तेजी आई थी। एमपीसी के संकल्प में, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे 7.0 प्रतिशत कर दिया गया। कोर मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने और हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर रहने की संभावना के साथ, एमपीसी ने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर बनाए रखने, मूल्य दबाव के विस्तार को रोकने एवं दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रण में करने के लिए और अधिक सोची-समझी कार्रवाई की जरूरत है। तदनुसार, एमपीसी ने 5-1 मत के साथ नीतिगत रेपो दर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया। एक सदस्य ने 35 बीपीएस की छोटी वृद्धि के लिए मतदान किया। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया।

III.11 सितंबर 2022 हेतु 7.4 प्रतिशत का सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ा 12 अक्टूबर 2022 को जारी होने के साथ, औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों - ति4:2021-22 (6.3 प्रतिशत), ति1:2022-23 (7.3 प्रतिशत) और ति2 (7.0 प्रतिशत) के लिए 6.0 प्रतिशत (लक्ष्य के आसपास ऊपरी सीमा) से अधिक हो गई। विधि द्वारा अनिवार्य जवाबदेही मानदंडों – आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएन और आरबीआई एमपीसी और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियमन 7 – के संदर्भ में 3 नवंबर 2022 को एमपीसी की एक बैठक की गई और रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई।

III.12 जब एमपीसी ने दिसंबर 2022 में अपनी निर्धारित बैठक की, तब मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई थी, जो अनुकूल आधार प्रभावों से प्रेरित थी। वास्तविक जीडीपी ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की। लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों और धीमी बाहरी मांग के कारण, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.8 प्रतिशत कर दिया गया; और ति1:2023-24 के लिए यह 7.1 प्रतिशत और ति2 के लिए

5.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया। हेडलाइन मुद्रास्फीति ति3:2022-23 के लिए 6.6 प्रतिशत, ति4 के लिए 5.9 प्रतिशत, ति1:2023-24 के लिए 5.0 प्रतिशत और ति2 के लिए 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। एमपीसी का कहना था कि 2023-24 की पहली छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होने की संभावना है, फिर भी यह लक्ष्य से काफी ऊपर रहेगी। इस बीच, आर्थिक गतिविधियां अच्छी रहीं और इनके लचीला बने रहने की उम्मीद है। एमपीसी ने निर्णय लिया कि कृत मौद्रिक नीतिगत उपायों के प्रभाव की सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। सभी पहलुओं पर विचार करने पर, एमपीसी ने मौद्रिक नीति के संबंध में और अधिक सोच-समझकर कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की तथा 5-1 मतों से नीतिगत रेपो दर को 35 बीपीएस बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने उदारता को वापस लेने पर केंद्रित रुख को जारी रखने के लिए 4-2 मत से भी निर्णय लिया।

III.13 अपनी फरवरी 2023 की बैठक के समय, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो सब्जियों की कीमतों में तेज और उम्मीद से पहले गिरावट से प्रेरित थी, भले ही कोर मुद्रास्फीति दृढ़ और 6 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई थी। एमपीसी ने गौर किया कि मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण दीर्घकालीन भू-राजनीतिक तनाव, आवा-जाही संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने की वजह से पण्य की कीमतों पर बढ़ते दबाव, इनपुट लागत का आउटपुट कीमतों पर पड़ रहे प्रभाव से जुड़ी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, विशेष रूप से सेवाओं में। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल मानते हुए, मुद्रास्फीति 2022-23 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, जो चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सामान्य बारिश को मानते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया, जो ति1 में 5.0 प्रतिशत, ति2 और ति3 में 5.4 प्रतिशत और ति4 में 5.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम के संबंध में समान रूप से संतुलन बना हुआ है। आर्थिक गतिविधि ने लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया, जो ति1 में 7.8 प्रतिशत, ति2 में 6.2 प्रतिशत, ति3 में 6.0 प्रतिशत और ति4 में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम के संबंध में मोटे तौर पर संतुलन बना हुआ है। एमपीसी के अनुसार उच्च मुद्रास्फीति

दृष्टिकोण के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई है और उसका मानना है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बनाए रखने, मुख्य मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और इस तरह मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाओं को मजबूत करने के लिए और अधिक सोची-समझी मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.50

प्रतिशत कर दिया और दर संबंधी कार्रवाई और रुख संबंधी निर्णय दोनों के लिए 4-2 मत के साथ उदारता बरतने को वापस लेना जारी रखा। 2022-23 के दौरान बाज़ार द्वारा नीतिगत रेपो दर संबंधी कार्रवाई को लेकर काफी हद तक पूर्वानुमान किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक कार्रवाइयों का प्रभाव मजबूत हुआ (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2

बाज़ार प्रतिभागियों की नीति संबंधी प्रत्याशाओं को समझना

भावी ब्याज दर संबंधी प्रत्याशाएं, मात्र प्रचलित दरों के बजाय, परिवारों और फर्मों के खर्च और बचत संबंधी निर्णयों पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तदनुसार, केंद्रीय बैंकों के संचार में फॉरवर्ड गाइडेंस को प्रमुखता मिली है। भावी अल्पकालिक ब्याज दर के संबंध में बाज़ार प्रत्याशाओं का अनुमान, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय बाज़ार के साधनों, जैसे, ओवरनाइट इन्डेक्स स्वैप (आईएस)² दरों के माध्यम से लगाया जा सकता है (लॉयड, 2018)। यदि संविदा के फ्लोटिंग लेग की तुलना में ओआईएस दर से होने वाला अतिरिक्त प्रतिलाभ शून्य होता है, तो, औसतन, ओआईएस, संविदा की पूरी अवधि के दौरान भावी ओवरनाइट ब्याज दरों के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाओं के लिए एक ठोस माप प्रदान कर सकता है। एक अनुभवजन्य मूल्यांकन के लिए, $i_{t,t+2}^{OIS}$ वार्षिकीकृत 2-माह की ओआईएस दर को दर्शाता है, जो स्वैप की निश्चित ब्याज दर है, जबकि $i_{t,t+2}^{FLT}$ उसी संविदा³ के फ्लोटिंग लेग से बाद में प्राप्त (निवल) वार्षिकीकृत प्रतिलाभ है। दिन t_{1-s} को खरीदे गए 2 माह (एन-दिनों) के ओआईएस संविदा का फ्लोटिंग लेग इस प्रकार है

$$i_{t,t+2}^{FLT} = ([\prod_{j=1}^N (1 + \gamma_j f l t_j)] - 1) \times \frac{365}{N} \quad \dots(1)$$

जहां $f l t_j$ दिवस t_j को अस्थिर ओवरनाइट संदर्भ दर और γ_j फॉर्म $\gamma_j = D_j/365$ का उपचित कारक है, और D_j कारोबार दिवस t_j एवं t_{j+1} के बीच दिन की गिनती है (लॉयड, 2018)। अतः, 2 माह के ओआईएस संविदा पर बाद में प्राप्त (वार्षिकीकृत) अतिरिक्त प्रतिलाभ इस प्रकार है

$$r x_{t,t+2}^{FLT} = i_{t,t+2}^{OIS} - i_{t,t+2}^{FLT} \quad \dots(2)$$

प्रत्याशा परिकल्पना के तहत, ओआईएस संविदा का फिक्सड लेग फ्लोटिंग लेग के बराबर है। इसका तात्पर्य यह है कि (2) में बाद में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिलाभ एवं इसलिए पूर्वानुमान त्रुटि से पहले का औसत शून्य है। इन परिस्थितियों में, 2 माह की ओआईएस दर अपेक्षित नीतिगत दर में बदलाव का एक अच्छा माप प्रदान कर सकती है। भारत के मामले में, 2010 से 2019 की अवधि में औसत अतिरिक्त प्रतिलाभ, बाज़ार में उथल-पुथल (जैसे, टेपर टैन्ट्रम) की वारदातों को हिसाब में लेते हुए,

शून्य औसत देता है, जो दर्शाता है कि बाज़ार ने मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों को भली-भांति भांप लिया था। कोविड-19 महामारी के दौर में 27 मार्च 2020 को एमपीसी की अनिर्धारित बैठक में नीतिगत बदलावों में 'आश्चर्य' पैदा करने वाला एक तत्व था - समीकरण (2) पर आधारित

सारणी 1: औसत अतिरिक्त प्रतिलाभ

(आधार अंक)		
नीति की तारीख	Δ नीति दर	अतिरिक्त प्रतिलाभ
1	2	3
2020-21		
मार्च 27	-75	24
मई 22	-40	0
अगस्त 6	0	-7
अक्टूबर 9	0	12
दिसंबर 4	0	8
फरवरी 5	0	4
2021-22		
अप्रैल 7	0	3
जून 4	0	5
अगस्त 6	0	6
अक्टूबर 8	0	4
दिसंबर 8	0	7
फरवरी 10	0	17
2022-23		
अप्रैल 8	0	0
मई 4	40	-40
जून 8	50	2
अगस्त 5	50	-1
सितंबर 30	50	-15
दिसंबर 7	35	12
फरवरी 8	25	0

टिप्पणी : औसत अतिरिक्त प्रतिलाभ का अनुमान ओआईएस दरों के आधार पर लगाया जाता है।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

² ओआईएस एक ब्याज दर डेरिवेटिव संविदा है, जिसमें दो संस्थाएं संविदा की अवधि के दौरान एक अनुमानित मूल राशि पर गणना की गई अनिश्चित ब्याज दर भुगतान की तुलना में एक निश्चित ब्याज दर भुगतान (ओआईएस दर) का स्वैप/ विनिमय करने के लिए सहमत होती हैं। अनिश्चित दर आमतौर पर ओवरनाइट (अप्रत्याभूत) अंतरबैंक दर होती है और भारत में ओआईएस संविदाओं के लिए संदर्भ दर मुंबई अंतरबैंक प्रस्तावित दर (एमआईबीओआर) है।

³ संविदा के फ्लोटिंग लेग की गणना, अनिश्चित गैर-व्यापारिक दिनों के लिए समायोजित ओवरनाइट संदर्भ दर के आधार पर की जाती है।

अप्रत्याशित घटक (सारणी 1)। हालांकि बाज़ार को दर में 50 बीपीएस की कटौती की उम्मीद थी, लेकिन 75 बीपीएस की वास्तविक कटौती को देखते हुए आश्चर्य करने वाला घटक लगभग 25 बीपीएस था। इसके बाद की ज्यादातर नीतिगत घोषणाओं में बाज़ार की उम्मीदें मोटे तौर पर नीतिगत निर्णयों के अनुरूप थीं। मई 2022 में, 40 बीपीएस की ऑफ-साइकिल नीतिगत दर वृद्धि ने बाज़ार को आश्चर्यचकित कर दिया, जो नीति से पहले औसत ऋणात्मक अतिरिक्त प्रतिलाभ (- 40 बीपीएस) से स्पष्ट होता है। हालांकि अगली दो नीतियां (जून और अगस्त 2022) उम्मीद के मुताबिक थीं, लेकिन सितंबर 2022 के नीतिगत निर्णय में 15

बीपीएस का आश्चर्य पैदा करने वाला तत्व शामिल था क्योंकि बाज़ार ने 50 बीपीएस की वास्तविक वृद्धि के मुकाबले 35 बीपीएस की वृद्धि की उम्मीद की थी। फरवरी 2023 में दर में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी बाज़ार की उम्मीद के अनुरूप थी। इस विश्लेषण से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक का संचार बाज़ार की प्रत्याशाओं को स्थिर रखने में प्रभावी रहा है।

संदर्भ :

लॉयड, एस. (2018), 'ओवरनाइट इन्डेक्स स्वेप मार्केट-बेस्ड मेज़र्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेडनेस', बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टाफ वर्किंग पेपर नं. 709.


III.14 लगातार दो ब्लैक स्वैन घटनाएं - महामारी और यूक्रेन में युद्ध - 2022 में मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण का कारण बनीं, जिस वजह से मुद्रास्फीति बढ़कर लक्ष्य से विचलित हो गई⁴ इससे अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति को आक्रामक तरीके से सख्त करने की जरूरत पड़ी, जो 2020⁵ के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तीसरा बड़ा आघात पैदा करता है (चार्ट III.1)।

III.15 वर्ष 2022-23 के दौरान एमपीसी के निर्णय में दर संबंधी कार्रवाइयों और रुख दोनों के मामले में शुरू में सर्वसम्मति देखी गई, लेकिन दृष्टिकोण के संबंध में बढ़ती अनिश्चितता के बीच अगस्त 2022 (रुख) और सितंबर (रेपो दर कार्रवाई) से निर्णय लेने के संबंध में विविधता देखने को मिली (चार्ट III.2)।

परिचालनगत ढांचा : चलनिधि प्रबंधन

III.16 बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिम और उदारता बरतने को वापस लेने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के बीच, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एसडीएफ को अप्रैल 2022 में निश्चित दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) से 40 बीपीएस ऊपर स्थापित किया गया। एसडीएफ ने एफआरआरआर को एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में बदल दिया और एसडीएफ दर को रेपो दर से 25 बीपीएस नीचे निर्धारित किया गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को नीतिगत रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर बरकरार रखा गया, नतीजतन नीतिगत रेपो दर के आसपास एलएएफ कॉरिडोर में एकरूपता लाई गई और कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 बीपीएस के महामारी-पूर्व अवस्था में बहाल कर दिया गया। यद्यपि एसडीएफ विंडो ओवरनाइट जमाराशियों पर लागू होता है, रिज़र्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, लंबे परिपक्वता काल की चलनिधि को अवशोषित करने के लिए लचीलापन रखता है।

चार्ट III.1: वैश्विक मौद्रिक सख्ती और मुद्रास्फीति : 2022-23




एयूएस: ऑस्ट्रेलिया। बीआर: ब्राजील। सीए: कनाडा। सीएच: चिली। ईयू: यूरो क्षेत्र। आईएन: इंडोनेशिया। आईएनडी: भारत। एमएक्स: मेक्सिको। एसएफ: दक्षिण अफ्रीका। एसके: दक्षिण कोरिया। टीएच: थाइलैंड। यूके: यूनाइटेड किंगडम। यूएस: संयुक्त राज्य। टिप्पणी : लक्ष्य से मुद्रास्फीति का विचलन जनवरी 2022-मार्च 2023 के लिए औसत है। स्रोत : केंद्रीय बैंकों के वेबसाइट और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

⁴ 'मुद्रास्फीति का वैश्वीकरण और मौद्रिक नीति का संचालन' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली में 9 जुलाई 2022 को दिया गया भाषण।

⁵ 'भारत: सुदृढ़ता की कहानी' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा वार्षिक एफआईबीएसी 2022 सम्मेलन, मुंबई में 2 नवंबर 2022 को दिया गया उद्घाटन भाषण।

चार्ट III.2: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का मतदान पैटर्न



स्रोत : आरबीआई।

एसडीएफ की स्थापना के साथ, 3.35 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई निश्चित रिवर्स रेपो दर को नीतिगत रेपो दर से अलग कर दिया गया था। एफआरआरआर रिजर्व बैंक के टूलकिट का हिस्सा बना हुआ है और इसका उपयोग रिजर्व बैंक के विवेक पर किया जा सकता है। एसडीएफ (एमएसएफ की भांति) तक पहुंच बैंकों के विवेक पर है, जबकि इसके विपरीत रेपो/रिवर्स रेपो, खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) और सीआरआर रिजर्व बैंक के विवेक पर निर्भर हैं। संपार्श्विक बाधा को दूर करके, एसडीएफ ने मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत किया है; इसके अलावा, यह चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अतिरिक्त एक वित्तीय स्थिरता का साधन भी है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने सीआरआर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत (21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से) कर दिया, नतीजतन बैंकिंग प्रणाली से ₹87,000 करोड़ की प्राथमिक चलनिधि वापस ले ली, जो उदार रुख को वापस लेने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप है।

चलनिधि को प्रभावित करने वाले कारक और उसका प्रबंधन

III.17 वर्ष 2022-23 के दौरान जनता द्वारा मुद्रा की मांग, अस्थिर पूंजी प्रवाह और सरकारी नकदी शेष में उतार-चढ़ाव चलनिधि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। 2022-23 की पहली तिमाही में, सरकारी नकदी शेष में वृद्धि और मुद्रा की

मांग के परिणामस्वरूप चलनिधि में अत्यधिक कमी आई (सारणी III.1)। प्रबंधन के संदर्भ में, ओएमओ बिक्री और सीआरआर में वृद्धि की वजह से भी मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप अधिशेष चलनिधि में अत्यधिक कमी आई। दूसरी तिमाही के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के बीच रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा बिक्री ने रुपये की तरलता को बढ़ाया। बारिश के मौसम के दौरान सरकारी नकदी शेष के आहरण और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की सामान्य वापसी से इसकी आंशिक भरपाई हो गई। तीसरी तिमाही में त्योहार के मौसम में मुद्रा की मांग और सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने अधिशेष चलनिधि को कम कर दिया, जबकि पूंजी अंतर्वाह और अतिरिक्त आरक्षित निधि से आहरण की वजह से चलनिधि दबाव को आंशिक रूप से कम किया गया। इसके बाद, चौथी तिमाही में सरकारी नकदी शेष और अतिरिक्त आरक्षित निधि से आहरण की वजह से संचलन में मुद्रा के रिसाव और निवल फोरेक्स बिक्री की बदौलत चलनिधि आहरण की आंशिक रूप से भरपाई हो गई। इसके अलावा, मुद्रा की मांग 2022-23 की पहली छमाही में क्रमिक रूप से घटी, लेकिन उसके बाद दूसरी छमाही में स्थिर हो गई (चार्ट III.3)। कुल मिलाकर, एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण मार्च 2022 में ₹6.6 लाख करोड़ से तेजी से घटकर मार्च 2023 में ₹0.14 लाख करोड़ हो गया।


सारणी III.1: चलनिधि - प्रमुख चालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)


मद	2021-22	2022-23*	ति1:2022-23	ति2:2022-23	ति3:2022-23	ति4:2022-23*
1	2	3	4	5	6	7
चालक						
(i) सीआईसी [आहरण (-) / प्रतिलाभ (+)]	-2,79,953	-2,46,702	-83,887	59,283	-74,331	-1,47,766
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद (+) / बिक्री (-)	1,34,629	-2,23,165	16,159	-2,89,713	53,147	-2,758
(iii) भारत सरकार के नकदी शेष [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	1,97,220	-1,71,400	-2,64,512	64,651	-1,589	30,050
(iv) अतिरिक्त आरक्षित निधियां [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-43,729	1,69,808	1,50,165	-54,446	26,944	47,145
प्रबंधन						
(i) निवल ओएमओ खरीद (+) / बिक्री (-)	2,13,976	-31,360	-6,620	-14,460	-10,280	0
(ii) आवश्यक आरक्षित निधियां [एनडीटीएल और सीआरआर दोनों में परिवर्तन सहित]	1,28,155	-1,56,083	-1,03,054	-13,946	-23,643	-15,440
मेमो मदें						
अवधि के दौरान औसत दैनिक निवल अवशोषण	6,71,285	1,87,156	4,99,919	1,64,699	55,967	27,978
सीआईसी : संचलन में मुद्रा । जीओआई: भारत सरकार ।						
*: चौथी तिमाही के आंकड़े 24 मार्च 2023 तक के हैं ।						
टिप्पणी : बैंकिंग प्रणाली में और से अंतर्वाह (+) / बहिर्वाह (-) ।						
स्रोत : आरबीआई ।						

III.18 वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीएफ के तहत दैनिक अवशोषण औसतन ₹1.5 लाख करोड़ था, जबकि परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी (मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग परिचालन दोनों) के माध्यम से अवशोषित राशि औसतन ₹1.4 लाख करोड़ थी (चार्ट III.4)। चलनिधि अधिशेष में कमी को देखते हुए, बैंकों

की रिजर्व बैंक के पास लंबी अवधि के लिए धन रखने की इच्छा कम हो गई और परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से अवशोषित राशि मार्च 2022 में 69.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2023 में कुल अवशोषण का 8.5 प्रतिशत रह गई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान, अग्रिम कर बहिर्वाह और वर्ष के अंत में आम तौर पर होने वाली तंगी से चलनिधि दबाव संबंधी संघर्ष को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2022-23 के दौरान तीन परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी की - 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को क्रमशः 3 दिनों की और ओवरनाइट परिपक्वता के प्रत्येक ₹50,000 करोड़ और 24 मार्च 2023 को 5 दिनों की परिपक्वता के ₹75,000 करोड़। बैंकों ने अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएसएफ का कम सहारा लिया। 24 अक्टूबर 2022 को एमएसएफ उधारी ₹65,646 करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंची, जबकि 2022-23 के दौरान एमएसएफ के जरिए प्राप्त दैनिक सहायता औसतन ₹5,936 करोड़ पर पहुंची। रिजर्व बैंक ने फरवरी और मार्च 2023 में मुख्य परिचालन के रूप में दो 14-दिवसीय वीआरआर नीलामी की। स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत स्टैंडअलोन



चार्ट III.4: चलनिधि स्थितियां और मांग दर



प्राइमरी डीलरों (एसपीडी) को 31 मार्च 2023 को मौजूदा रेपो दर पर ₹5,000 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई गई थी। कुल मिलाकर, निवल एलएएफ में आमतौर पर अवशोषण का वर्चस्व (अंतराल वाले कतिपय अवधि को छोड़कर) रहा, जो 2021-22 में ₹6.7 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान औसतन ₹1.9 लाख करोड़ था।

III.19 मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) अप्रैल 2022 की शुरुआत में निश्चित रिवर्स रेपो दर के नीचे से 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर की ओर बढ़ गई। विशेष रूप से, डब्ल्यूएसीआर 2022-23 की दूसरी छमाही में नीतिगत रेपो दर (औसतन) से 3 बीपीएस ऊपर रहा, जबकि पहली छमाही में यह 27 बीपीएस नीचे था। चलनिधि की क्षणिक तंगी की वजह से डब्ल्यूएसीआर कदाचित तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में एमएसएफ दर - एलएएफ कॉरिडोर का ऊपरी बेंड - के पार हो गया। वर्ष के अंत में तुलन-पत्र प्रतिफलों के कारण डब्ल्यूएसीआर 31 मार्च 2023 को बढ़कर 7.34 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.4बी)।

III.20 मुद्रा बाजार ब्याज दरें मोटे तौर पर 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि में गिरावट के साथ बढ़ी (सारणी III.2)। मध्यम से लंबी अवधि के बॉण्ड प्रतिफल भी वैश्विक संकेतों से काफी प्रभावित हुए।

सारणी III.2: ब्याज दरें

(प्रतिशत)

संकेतक		के लिए औसत			
		मार्च- 2022	जून- 2022	सितं- 2022	मार्च- 2023
1		2	3	4	5
दरें	डब्ल्यूएसीआर	3.32	4.49	5.30	6.52
	ट्राइ-पार्टी रेपो	3.41	4.51	5.41	6.47
	बाजार रेपो	3.42	4.50	5.40	6.55
	3-माह टी-बिल	3.79	5.02	5.79	6.88
	3-माह सीपी	4.34	5.46	6.27	7.75
	3-माह सीडी	4.01	5.21	6.10	7.48
	एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड - 5-वर्ष	6.48	7.59	7.43	7.85
	जी-सेक प्रतिफल - 5-वर्ष	6.38	7.29	7.15	7.28
	जी-सेक प्रतिफल - 10-वर्ष	6.83	7.49	7.23	7.35
स्प्रेड्स (बीपीएस)	सीपी - टी-बिल	59	55	68	90
	एएए 5-वर्ष - जी-सेक 5-वर्ष	10	30	28	57
मेमो मदें :					
चलनिधि	निवल एलएएफ (₹ करोड़)	6,61,027	3,37,597	1,02,757	14,185
वैश्विक संकेतक	यूएस 10-वर्षीय जी-सेक (प्रतिशत)	2.14	3.13	3.51	3.66
	कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट)	114	116	91	79
	(अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल)				

स्रोत : सीसीआईएल, आरबीआई और ब्लूमबर्ग।

अन्य नीतिगत उपाय

III.21 2022-23 के दौरान बैंकों को उनके निवेश पोर्टफोलियो के बेहतर प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2022 में 31 मार्च 2023 तक और बाद में दिसंबर में 31 मार्च 2024 तक परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया। बैंकों को इस बढ़ी हुई सीमा के तहत 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2024 के बीच अधिग्रहीत पात्र एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। एचटीएम सीमा को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल किया जाना है। अधिशेष चलनिधि में कमी को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने सितंबर नीति में 28-दिवसीय वीआरआरआर को पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ विलय करने की घोषणा की। दिसंबर 2022 में मुद्रा बाजार के कॉर्पोरेट बॉण्ड सेगमेंट में कॉल/नोटिस/टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और रेपो के साथ-साथ रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा फरवरी 2023 से सरकारी प्रतिभूति बाजार के

संबंध में बाजार का समय - सुबह 9.00 से शाम 5.00 बजे तक - बहाल कर दिया गया था।

मौद्रिक नीति संचरण

III.22 2022-23 में बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर के साथ वृद्धि हुई। 2022-23 में नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के प्रतिक्रियास्वरूप, बैंकों ने अपनी बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) को उसी परिमाण से ऊपर बढ़ाया, जिससे संचरण की गति मजबूत हुई। 2022-23 में बैंकों की 1-वर्ष की औसत निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) 150 आधार अंक बढ़ी है। 2022-23 में बकाया और रुपये में नए ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 98 बीपीएस और 169 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी III.3)।


III.23 अधिशेष चलनिधि में कमी और मजबूत ऋण मांग के बीच, 2022-23 में नई जमाओं (खुदरा और थोक जमा सहित) पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 236 बीपीएस की वृद्धि हुई। मीयादी जमा दरों में वृद्धि शुरू में

सारणी III.3: नीतिगत रेपो दर से एससीबी की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में अंतर)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर - नई जमाराशियां	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमाराशियां	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	ईबीएलआर	डब्ल्यूएलआर रुपये में नए ऋण	डब्ल्यूएलआर रुपये में बकाया ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-21 (अप्रैल-मार्च)	-40	-159	-110	-90	-115*	-78	-82
2021-22 (अप्रैल-मार्च)	0	27	-25	-5	0	-29	-36
2022-23 (अप्रैल-मार्च)	+250	236	113	150	250	169	98
मेमो :							
फरवरी 2019 से मार्च 2022 (उदार चक्र)	-250	-259	-188	-155	-	-232	-150
मई 2022 से मार्च 2023 (सख्त चक्र)	+250	245	113	140	250	181	100
एससीबी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर। डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर। एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर। ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर। : - शून्य। @: इसमें 27 मार्च 2020 को रेपो दर में 75 बीपीएस की कटौती का प्रभाव शामिल है। टिप्पणी : ईबीएलआर के संबंध में डेटा घरेलू बैंकों के हैं। स्रोत : विशेष मासिक विवरणी VIAB, आरबीआई, और आरबीआई स्टाफ अनुमान।							

**चार्ट III.5: नई मीयादी जमा दरों में बैंक-वार संचरण
(मई 2022 से मार्च 2023)**



टिप्पणी : डेटा 31 घरेलू बैंकों के है।
स्रोत : आरबीआई।



थोक जमा दरों में समायोजन के कारण हुई थी (चार्ट III.5)। 2022-23 की दूसरी छमाही में खुदरा मीयादी जमा दरों में संचरण में उछाल आया; अक्टूबर 2022-मार्च 2023 के दौरान खुदरा जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर 126 बीपीएस बढ़ा, जबकि पहली छमाही में 48 बीपीएस की वृद्धि हुई थी। हालांकि, भारित औसत बचत जमा दर 2022-23 के दौरान सामान्य तौर पर अपरिवर्तित रही।

III.24 बैंक समूहों में, निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में नए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में वृद्धि अधिक थी। पीवीबी के मामले में बकाया जमा राशियों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर और बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर का संचरण अपेक्षाकृत अधिक था (चार्ट III.6)। विदेशी बैंकों के मामले में संचरण सबसे अधिक था, जो कम लागत और कम अवधि की जमाओं की बदौलत थी, जिससे उन्हें नीतिगत दरों में बदलाव के प्रतिक्रियास्वरूप त्वरित समायोजन करने में सुविधा हुई।

III.25 चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू की गई अनिवार्य बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था ने मौद्रिक संचरण की गति को मजबूत किया है। बाह्य बेंचमार्क से जुड़े बकाया अस्थिर दर ऋणों का अनुपात मार्च 2020 में 9.1 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2022 में 48.3 प्रतिशत हो गया और इन ऋणों की अब कुल अस्थिर दर ऋणों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। समवर्ती रूप से, एमसीएलआर से जुड़े ऋणों का हिस्सा इसी अवधि में 78.3 प्रतिशत से गिरकर 46.1 प्रतिशत हो गया (सारणी III.4)।

III.26 नीतिगत रेपो दर से जुड़े ऋणों के मामले में, रुपये में नए ऋणों (अर्थात्, रेपो दर के ऊपर डब्ल्यूएलआर) के संबंध में स्प्रेड शिक्षा ऋणों के लिए सबसे अधिक था, जिसके बाद अन्य

चार्ट III.6: बैंक समूहों में एससीबी की जमा और उधार दरों में अंतर



स्रोत : आरबीआई।

सारणी III.4: ब्याज दर बेंचमार्क में एससीबी के बकाया फ्लोटिंग रेट
रुपया ऋण

(कुल का प्रतिशत)					
माह	आधार दर	एमसीएलआर	ईबीएलआर	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
मार्च 2020	10.3	78.3	9.1	2.3	100.0
मार्च 2021	6.4	62.3	29.5	1.8	100.0
मार्च 2022	4.9	48.6	44.0	2.5	100.0
दिसंबर 2022	3.4	46.1	48.3	2.2	100.0
टिप्पणी : डेटा 73 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है।					
स्रोत : आरबीआई।					

वैयक्तिक ऋण आते हैं (सारणी III.5)। घरेलू बैंक समूहों में, वाहन, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए पीएसबी द्वारा लिए जाने वाले स्प्रेड पीवीबी की तुलना में कम थे, जबकि आवास और एमएसएमई ऋणों के लिए पीवीबी द्वारा लिए जाने वाले स्प्रेड पीएसबी की तुलना में कम थे।

सारणी III.5: बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण – रेपो दर के ऊपर डब्ल्यूएलआर (रुपए में नए ऋण) का स्प्रेड (मार्च 2023)

(प्रतिशत अंक)					
बैंक समूह	वैयक्तिक ऋण				एमएसएमई ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य वैयक्तिक ऋण	
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.57	2.71	3.90	3.13	3.64
निजी क्षेत्र के बैंक	2.49	3.47	4.82	6.22	3.07
घरेलू बैंक	2.52	3.08	4.21	3.78	3.26
स्रोत : आरबीआई।					

क्षेत्रवार उधार की दरें

III.27 वर्ष 2022-23 में नए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में आवास के लिए लगभग 201 बीपीएस और शिक्षा क्षेत्रों के लिए 152 बीपीएस, उद्योग (बड़े) के लिए 179 बीपीएस और एमएसएमई के लिए 118 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी III.6)।

सारणी III.6: एससीबी (आरआरबी रहित) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएलआर - रुपये में नए ऋण

(प्रतिशत)												
माह-अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण					रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य ^{\$}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-20	9.66	8.51	10.37	8.18	7.38	8.89	8.73	9.91	11.04	36.81	8.24	6.57
मार्च-21	9.98	7.12	8.90	7.50	7.31	7.52	7.15	9.27	8.97	36.04	8.37	6.21
मार्च-22	9.06	6.55	8.66	7.09	7.36	7.68	7.01	8.85	8.74	36.04	7.64	5.53
जून-22	8.97	6.87	8.81	7.12	7.28	7.68	7.60	8.36	9.27	34.15	7.51	6.10
सितं-22	9.42	7.37	9.46	7.46	8.06	8.25	7.99	8.93	9.86	36.77	9.39	6.79
दिसं-22	9.62	7.78	9.41	7.96	8.63	8.49	8.62	9.83	10.17	34.31	8.84	7.51
मार्च-23	10.12	8.34	9.84	8.56	8.87	8.80	9.02	10.47	10.26	37.06	9.22	8.09
अंतर (प्रतिशत अंक)												
2021-22	-0.92	-0.57	-0.24	-0.41	0.05	0.16	-0.14	-0.42	-0.23	0	-0.73	-0.68
2022-23	1.06	1.79	1.18	1.47	1.51	1.12	2.01	1.62	1.52	1.02	1.58	2.56
\$: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों से इतर।												
स्रोत : आरबीआई।												

सारणी III.7: एससीबी (आरआरबी रहित) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह-अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण					रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य [§]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-20	10.07	9.22	10.51	9.67	8.92	9.90	8.59	10.01	10.53	28.90	9.40	7.31
मार्च-21	9.68	8.27	9.73	8.87	8.51	8.44	7.55	9.59	9.47	31.90	8.79	6.76
मार्च-22	9.35	7.76	9.28	8.31	8.14	8.11	7.46	9.06	9.30	30.51	8.16	6.55
जून-22	9.35	7.89	9.33	8.38	8.38	8.30	7.74	9.11	9.44	30.23	8.52	6.78
सित-22	9.47	8.21	9.77	8.70	8.75	9.09	8.20	9.21	9.74	29.48	8.64	7.12
दिस-22	9.63	8.54	10.10	8.81	9.24	9.12	8.67	9.39	10.07	30.26	8.86	7.42
मार्च-23	9.84	8.78	10.28	8.96	9.49	9.29	8.86	9.36	10.20	30.44	9.19	7.71
अंतर (प्रतिशत अंक)												
2021-22	-0.33	-0.51	-0.45	-0.56	-0.37	-0.33	-0.09	-0.53	-0.17	-1.39	-0.63	-0.21
2022-23	0.49	1.02	1.00	0.65	1.35	1.18	1.40	0.30	0.90	0.23	-0.07	1.16

§: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों से इतरा
स्रोत : आरबीआई।

III.28 बकाया ऋणों के मामले में, 2022-23 के दौरान आवास के लिए डब्ल्यूएलआर में 140 बीपीएस, उद्योग (बड़े) के लिए 102 बीपीएस और एमएसएमई के लिए 100 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी III.7)। 2022-23 में वृद्धि के बावजूद, मार्च 2020 में अधिकांश क्षेत्रों में डब्ल्यूएलआर अपने स्तर से नीचे हैं।

3. वर्ष 2023-24 के लिए कार्ययोजना

III.29 विभाग उभरते समष्टि-वित्तीय घटनक्रमों के उच्च गुणवत्ता विश्लेषण, मुद्रास्फीति और विकास के लिए दृष्टिकोण के निरंतर पुनर्मूल्यांकन, चलनिधि की स्थितियों का पूर्वानुमान और विश्लेषण एवं क्षेत्रवार प्रवाहों पर विशेष ध्यान देने के साथ ऋण की स्थितियों के आकलन के साथ मौद्रिक नीति के संचालन और निर्माण का समर्थन करेगा। इस पृष्ठभूमि में, विभाग 2023-24 के दौरान निम्नलिखित नई पहल करेगा:

- जीडीपी के तात्कालिक अनुमान और पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग (उत्कर्ष 2.0);

- भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के तेजी से उभरने के साथ, विभाग चरणबद्ध रूप से बैंकों के अलावा एनबीएफसी को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करके उधार दरों में संचरण और क्षेत्रवार ऋण प्रवाहों के विश्लेषण को मजबूत करने की योजना बना रहा है (उत्कर्ष 2.0); और
- मौद्रिक संचरण को मजबूत करने के लिए ऋण के संबंध में बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0)।

4. निष्कर्ष

III.30 वर्ष 2022-23 में मौद्रिक नीति का संचालन, यूक्रेन में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति संभावना में अचानक बदलाव से प्रभावित था। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक रूप से मौद्रिक नीति को सख्त करने से इसमें और जोर पड़ा। भारत में, स्फीतिकारी दबाव की वजह से मौद्रिक नीति का ध्यान मुद्रास्फीति प्रबंधन पर केंद्रित हुआ। इससे 2022-23 के दौरान रेपो दर में संचयी रूप से

250 बीपीएस की वृद्धि हुई और नीतिगत रुख को बदलते हुए समायोजन को वापस लेने की ओर रुख किया। अधिशेष चलनिधि में पूरे वर्ष में कमी आई, और एसडीएफ की शुरुआत के साथ मौद्रिक नीति की परिचालन पद्धति को मजबूत किया गया। बैंक जमा और उधार दरों के साथ-साथ बाज़ार दरों में वृद्धि हुई, जो उच्च नीतिगत दर और अधिशेष चलनिधि के आकार में कमी के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है।

III.31 आगे देखते हुए, मौद्रिक नीति का संचालन, वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए ± 2 प्रतिशत के दायरे के भीतर 4 प्रतिशत की सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्देशित होता रहेगा। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन करेगा।

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना को विस्तारित करते हुए अपनी वित्तीय समावेशन पहल को और अधिक गति प्रदान की और वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के साथ कदम से कदम मिलाकर वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। इस दौरान कमजोर वर्गों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण की समय पर उपलब्धता और उन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ऋण वितरण में सुधार के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान कई कदम उठाए गए।

IV.2 वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वित्तीय समावेशन में अब तक हुई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाए और आवधिक आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, एक संयुक्त वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) तैयार किया गया जिसे 17 अगस्त 2021 को पहली बार प्रकाशित किया गया। इस एफआई-सूचकांक के दूसरे संस्करण में वर्ष-दर-वर्ष 4.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग पहुंच में भी काफी प्रगति हुई है जो एनएसएफआई: 2019-24 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा, देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का और अधिक विस्तार करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियों/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों ने (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे जिलों की पहचान की है, जिन्हें डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाया जा सके। मार्च 2023 के अंत तक, इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 182 जिलों की पहचान की जा चुकी है।

IV.3 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में संरचित किया गया है। वर्ष 2022-23 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में बताया गया है। इसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के प्रदर्शन सहित वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में हुई प्रगति को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्य-योजना का उल्लेख खंड 3 में किया गया है तथा अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

IV.4 विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- आउटरीच को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाकर वित्तीय सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित कर फिनटेक के क्षेत्र में हुए विकास के प्रयोग से एनएसएफआई : 2019-24 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ IV.5-IV.7];
- संपूर्ण देश को शामिल करने के लिए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) का विस्तार करना (उत्कर्ष) (पैराग्राफ IV.7); और
- वित्तीय शिक्षा के प्रसार में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता विकास के माध्यम से वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई): 2020-25 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन (पैराग्राफ IV.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.5 एनएसएफआई को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने के लिए संबंधित सभी हितधारकों के प्रयासों को एक साथ लाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है। एनएसएफआई कार्य-योजना और प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित करता है और इस संबंध में व्यापक सिफारिशें करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल इको-सिस्टम को समर्थित करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन पर ध्यान केंद्रित करने सहित प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग कर ग्राहक शिकायत निवारण के लिए अंतर-विनियामक समन्वय को मजबूत बनाने और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने पर केन्द्रित है।

IV.6 डिजिटल वित्तीय सेवाओं के संबंध में भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) स्थापित करने, डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम का विस्तार और सुदृढीकरण (ईडीडीपीई) जैसी कई परियोजनाएं और भारत सरकार की भारत नेट परियोजना क्रियान्वित की गई हैं। प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और जोखिम न्यूनीकरण तथा नवोन्मेष को बढ़ाने में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन में उनकी दक्षता का आकलन करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने हेतु विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके अलावा, एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों¹ के विनियामकीय दायरे में आने वाले नवोन्मेषी उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए इंटर-ऑपरेबल विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

IV.7 वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ-साथ लक्षित क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवाओं के उपयोग को सुगम बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता क्षेत्र में ठोस प्रयास किए गए हैं। तदनुसार, अवधारणा साक्षरता के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक वित्तीय शिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है, और कार्यस्थल पर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और नए सदस्यों के लिए भी इसी तरह की पुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया में है। सीएफएल² की संख्या को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है (बॉक्स IV.1 भी देखें)। 31 मार्च 2023 के अनुसार देश भर में कुल 1,469 सीएफएल कार्यशील थे।

IV.8 एनएसएफई: 2020-25 के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्यों में से एक वित्तीय साक्षरता के प्रसार में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं में क्षमता निर्माण करना है। एनसीएफई मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता निर्माण का ध्यान रखने वाली नोडल एजेंसी है। इसने वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के प्रभारियों, सेबी के साथ पंजीकृत रिसोर्स व्यक्तियों, वरिष्ठ बैंक अधिकारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साक्षरता अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे हैं कि मध्यवर्ती संस्थाएं नवीनतम गतिविधियों से अवगत हों।

प्रमुख गतिविधियां

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार 44.7 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्येक बैंक समूह (अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और

¹ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)।

² सीएफएल परियोजना जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को सुदृढ बनाने के लिए नवोन्मेषी और सामुदायिक नेतृत्व से प्रतिभागिता दृष्टिकोण के साथ रिजर्व बैंक का गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बैंकों को एक साथ लाने का प्रयास है। सीएफएल परियोजना 2017 में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। एक सघन प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर सीएफएल परियोजना का पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2021-22	26,49,180 (42.90)	16,85,806 (43.71)	2,08,107 (42.65)
2022-23*	28,55,355 (44.18)	19,93,388 (45.57)	2,10,578 (42.92)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: एसबीसी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियाँ।

विदेशी बैंक) ने भी अब तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है [सारणी IV.1]।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

IV.10 पीएसएलसी के कुल कारोबार परिमाण में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह वर्ष 2022-23 में ₹7.13 लाख करोड़ रही। चारों पीएसएलसी श्रेणियों में, सबसे अधिक कारोबार पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों और पीएसएलसी-सामान्य के मामले में देखने को मिला, जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹ 3.21 लाख करोड़ और ₹ 1.79 लाख करोड़ रही।

बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आगे उधार देने के लिए ऋण

IV.11 विनिर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों और एनबीएफसी के बीच आपसी तालमेल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित को सतत आधार पर पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया: (ए) 'कृषि' और 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' को आगे उधार देने के उद्देश्य से एससीबी द्वारा एनबीएफसी को उधार देना, और (बी) व्यक्तियों को आगे उधार देने के उद्देश्य से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा ऐसी एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और अन्य एमएफआई को उधार देना, जिनके पास पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार ₹500 तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' (जीएलपी) हो।

कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता

IV.12 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपभोग, निवेश और बीमा उद्देश्यों के साथ-साथ कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए एकल खिड़की के जरिए किसानों को पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण प्रदान करता है (सारणी IV.2)।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

IV.13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की उपलब्धता बढ़ाना रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण का बकाया वर्ष 2022-23 के

सारणी IV.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2021-22	268.70	4,33,408	29,306	13,559	4,76,273
2022-23*	282.96	4,61,391	37,551	19,694	5,18,636

* आंकड़े अनंतिम हैं।

#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक (आरआरबी को छोड़कर)।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	387.93	8,21,027.77	27.82	6,62,998.50	4.44	2,99,898.53	420.19	17,83,924.80
2021-22	239.58	8,82,693.58	21.88	7,22,274.25	3.22	4,06,089.15	264.67	20,11,056.98
2021-22 (दिसंबर 2021 के अंत तक)	221.07	8,23,270.41	22.87	6,88,435.22	3.34	3,71,997.95	247.28	18,83,703.59
2022-23* (दिसंबर 2022 के अंत तक)	193.64	9,78,646.26	16.83	7,34,260.08	3.20	4,37,686.00	213.68	21,50,592.34

* आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

दौरान अब तक (दिसंबर 2022 के अंत तक) 14.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 11.7 प्रतिशत था (सारणी IV.3)।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना

IV.14 रिज़र्व बैंक प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपता है। मार्च 2023 के अंत तक, 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को देशभर के 760 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच

IV.15 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना एनएसएफआई: 2019-24 का एक प्रमुख उद्देश्य है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त किया जा चुका है और देशभर के चिन्हित गांवों / छोटे गांवों के 99.96 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष गांवों / छोटे गांवों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ बढ़ाना

IV.16 देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के लिए सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी को अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिले/जिलों की पहचान करने और उसे अपने एक ऐसे बैंक को आबंटित करने के लिए कहा गया है जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। यह आबंटिती बैंक जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, त्वरित, किफायती और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने/प्राप्त करने की सुविधा के लिए जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने के लिए 31 मार्च 2023 तक ऐसे 182 जिलों (पायलट कार्यक्रम के तहत 42 जिले और स्केल अप कार्यक्रम के तहत 140 जिले) की पहचान की गई है। इन 182 जिलों में से 87 जिले (26 पायलट के तहत और 61 स्केल अप प्रोग्राम के तहत) 31 दिसंबर 2023 तक 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हैं।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.17 देश में वित्तीय समावेशन के स्तर को सर्वांगीण और संधारणीय तरीके से बढ़ाने हेतु वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) तैयार करने के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया है। इन एफआईपी के विभिन्न मानदंडों जैसे कि बैंकिंग

आउटलेट्स की संख्या [शाखाएं और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)], बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों में लेनदेन और कारोबार

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसं 2021	दिसं 2022 [§]
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – शाखाएं	33,378	53,249	53,159
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स >2000*-बीसी	8,390	15,18,496	13,83,569
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स <2000*-बीसी	25,784	3,26,236	2,95,657
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स – बीसी	34,174	18,44,732	16,79,226
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – अन्य माध्यम	142	2,542	2,273
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स - कुल	67,694	19,00,523	17,34,658
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	14,12,529	4,38,333 [^]
बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,712	2,704
बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,18,625	1,23,653
बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	3,919	4,082
बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	95,021	1,16,777
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	735	6,631	6,786
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	5,500	2,13,646	2,40,430
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	64	89
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	556	546
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	473	499
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,93,596	7,66,694
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	87	67
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,99,145	1,85,915
आईसीटी-ए/सी – बीसी – कुल लेनदेन (संख्या लाख में) [#]	270	21,095	25,434
आईसीटी-ए/सी – बीसी – कुल लेनदेन (राशि करोड़ में) [#]	700	6,62,211	8,15,598

§: आंकड़े अनंतिम हैं। *: गांव की जनसंख्या #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।

[^]: कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण अत्यधिक गिरावट हुई है।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां।

प्रतिनिधियों - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से लेनदेन, के माध्यम से बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। इन मापदंडों के संबंध में दिसंबर 2022 के अंत तक हुई प्रगति को सारणी IV.4 में दर्शाया गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक)

IV.18 देश भर में वित्तीय समावेशन की व्यापकता के स्तर का पता लगाने के लिए संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक सम्मिश्र एफआई-सूचकांक तैयार किया गया है। इस एफआई-सूचकांक में तीन व्यापक उप-सूचकांक (कोष्ठक में दर्शाए गए आयाम) अर्थात् पहुंच (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक में कई संकेतक शामिल हैं।

IV.19 एफआई सूचकांक के दूसरे संस्करण में मार्च 2021 का एफआई सूचकांक 4.6 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के साथ 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 प्रतिशत हो गया है। साथ ही सभी उप-सूचकांकों में भी वृद्धि देखी गई है।

वित्तीय साक्षरता

IV.20 ब्लॉक स्तर पर भौतिक माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में पायलट सीएफएल परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2019 में 20 आदिवासी/आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तक बढ़ा दिया गया था (बॉक्स IV.1)।

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा का समावेश

IV.21 स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी विषय-वस्तु विकसित करना एनएसएफई: 2020-2025 के कार्यनीतिक लक्ष्यों में से एक है। एनसीएफई ने अन्य विनियामकों और सीबीएसई के साथ मिलकर कक्षा VI से X तक के छात्रों के लिए पांच शैक्षिक कार्य-पुस्तिकाएं तैयार की हैं। अभी तक, 22 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के शैक्षणिक बोर्डों ने वित्तीय शिक्षा संबंधी मॉड्यूल को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में पूर्ण/आंशिक रूप से शामिल कर लिया है। इसके अलावा, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को सम्मिलित किया है।

बॉक्स IV.1

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): हासिल की गई प्रगति और आगे की राह

सीएफएल परियोजना की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता हेतु नवोन्मेषी और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीएफएल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। इन सीएफएल द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता शिविरों का उद्देश्य खोले गए/पुनः सक्रिय किए गए खाते, पेंशन और बीमा लिंकेज जैसे विशिष्ट तरह के अंतिम परिणाम

हासिल करना है। इसकी निगरानी स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) पोर्टल पर अपलोड किए गए अंतिम-परिणामों से संबंधित डेटा के माध्यम से की जाती है।

एनएसएफआई के अनुसार मार्च 2024 तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करना एक प्रमुख लक्ष्य है। सीएफएल की पहुंच को अब पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए 31 मार्च 2023 तक 4,389 ब्लॉक को शामिल करने वाले 1,469 सीएफएल स्थापित हो चुके हैं तथा वर्ष 2024 तक पूरे देश को कवर किए जाने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई

एनसीएफई द्वारा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय से शेष राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एनसीएफई, वित्तीय शिक्षा को एनसीआईआरटी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करने के लिए उसके साथ संपर्क में है।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा संचालित गतिविधियाँ

IV.22 दिसंबर 2022 के अंत तक देश में 1,478 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)³ थे। वर्ष 2022-23 के दौरान एफएलसी द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक कुल 1,10,081 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह- 2023 का आयोजन

IV.23 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडबल्यू) रिजर्व बैंक की एक पहल है जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/आबादी के विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडबल्यू) 'सही वित्तीय बर्ताव - करे आपका बचाव' थीम के साथ 13 से 17 फरवरी 2023 तक मनाया गया, जिसे प्रमुख रूप से बचत, आयोजना और बजटिंग तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान बैंकों को अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच सूचना का प्रचार-प्रसार करने और

जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने आम जनता के बीच उक्त विषय से संबंधित आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों के प्रचार के लिए एक केंद्रीकृत मास मीडिया अभियान भी चलाया।

3. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

IV.24 विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- सीएफएल को पूरे देश में बढ़ाने के लिए शेष ब्लॉक में सीएफएल की स्थापना करना (उत्कर्ष 2.0); और
- वित्तीय समावेशन के लिए जी-20 ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएफआई) के कार्य-निर्णयों की दिशा में काम करना।

4. निष्कर्ष

IV.25 वित्तीय समावेशन पर निरंतर बल देने का ही प्रभाव है कि मार्च 2022 में जारी एफआई-इंडेक्स के दूसरे संस्करण में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हो रही है। वर्ष के दौरान, बैंक ने विविध प्रयासों के क्रियान्वयन के द्वारा वित्तीय समावेशन पर बल देना जारी रखा ताकि एनएसएफआई और एनएसएफई के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। देश के शेष ब्लॉकों में सीएफएल की स्थापना से देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में निश्चय ही मदद मिलेगी।

³ एफएलसी बैंकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनका प्रबंधन वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विकट वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सुव्यवस्थित वित्तीय बाजार की स्थिति सुनिश्चित की। इसने भागीदारी को व्यापक बनाने, पहुंच को आसान बनाने और उत्पाद नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विनियामकीय फ्रेमवर्क को मजबूत करके वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित और व्यापक बनाने के प्रयासों को जारी रखा। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विनियमों की निरंतर समीक्षा और पुनर्गठन की प्रक्रिया का परिणाम थे। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ चलनिधि परिचालन को सक्रिय रूप से तदनु रूप किया गया।

V.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय रूप से और उभरती चुनौतियों के जवाब में नई विनियामक पहलों को लाना जारी रखा ताकि पहुंच को आसान बनाने, भागीदारी को व्यापक बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के संदर्भ में वित्तीय बाजारों को और विकसित किया जा सके। अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के खिलाफ लक्षित उपाय वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों का संज्ञान लेते हुए पेश किए गए थे। चलनिधि प्रबंध परिचालन मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुकूल थे अर्थात्, नीति रेपो दर के सख्त होते चक्र में समायोजन की क्रमिक वापसी। रिज़र्व बैंक ने बाह्य व्यापार और भुगतान को भी सुगम बनाया और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया, ताकि व्यापार करने में और आसानी हो सके और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा और यौक्तिकीकरण और नियामक अनुपालन प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए निदेशित प्रयासों के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम किया जा सके।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में बांटा गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को खंड 2 में शामिल किया गया है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन पर चर्चा की गई है। खंड 4 में, बाह्य व्यापार और भुगतान और उदारीकरण और बाह्य वित्तीय प्रवाह के विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर व्युत्पन्नी, विदेशी मुद्रा और ऋण व्युत्पन्नी बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का काम सौंपा गया है। विभाग ने 2022-23 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

V.4 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2022-23 की पहली छमाही में भारत में गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडी) के लिए सीमाओं में भिन्नता की आवश्यकताओं को शुरू करने के लिए निदेश जारी करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.5]; और
- अधिक उत्पाद नवोन्मेष की अनुमति देने, घरेलू बाजार में अनिवासी पहुंच को आसान बनाने और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से जनता से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करने के बाद 2022-23 में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरडी) पर संशोधित निदेश जारी करना (पैराग्राफ V. 6)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 एनसीसीडी के लिए भिन्नता मार्जिन¹ (वीएम) के आदान-प्रदान पर निर्देश 1 जून 2022 को जारी किए गए थे। विभाग ने एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करते हुए मसौदा निदेश भी जारी किए।

V.6 विभाग संशोधित आईआरडी निदेशों को लागू करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपना रहा है। पहले चरण के रूप में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10 (1) के तहत अधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 (एडी कैट-1) बैंकों और एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को गैर-निवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं को विदेशी मुद्रा निपटान – एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) अनुबंधों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

प्रमुख पहल

अनधिकृत विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार प्लेटफार्मों पर कार्रवाई

V.7 भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाओं की पेशकश करने वाले अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के बढ़ते

प्रसार के मद्देनजर, एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें निवासियों को अनधिकृत व्यक्तियों से या अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें अधिकृत ईटीपी की एक सूची और अनधिकृत संस्थाओं की एक 'चेतावनी सूची' भी थी, जिन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला समझा जाता है। अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर लेन-देन में शामिल जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 'आरबीआई कहता है' कार्यक्रम के तत्वावधान में एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है (बॉक्स V.1)।

गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडीएस) के लिए मार्जिन आवश्यकताएं

V.8 ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजारों की आघातसहनीयता को मजबूत करने और ओटीसी व्युत्पन्नी पर जी -20 सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (भिन्नता मार्जिन) निदेश, 2022 दिनांक 1 जून 2022 को जारी किए गए थे। निदेश गैर-केंद्रीय रूप से स्वीकृत

बॉक्स V.1

अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

भारत में विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) लेनदेन फेमा, 1999 और उसके तहत जारी नियमों, विनियमों, निर्देशों और अनुमतियों के तहत होते हैं। मौजूदा वैधानिक और विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति केवल अनुमेय चालू और पूंजीगत खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खरीद / बेच सकते हैं; और केवल अधिकृत व्यक्तियों (मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों सहित) से। जबकि अनुमत विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, वे केवल रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए जाने चाहिए।

हाल के वर्षों में देश में अनधिकृत ईटीपी का प्रसार हुआ है जो निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाओं की पेशकश करता है। इन प्लेटफार्मों

का विज्ञापन बड़े पैमाने पर समाचार प्लेटफार्मों, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर किया जाता है, जिसमें सर्च इंजन, ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म और गेमिंग एप्प शामिल हैं और उनके भ्रामक विज्ञापन अक्सर असंगत / अत्यधिक प्रतिलाभ, प्रारंभिक निवेश पर बोनस और सुनिश्चित पुरस्कार के वादे के माध्यम से भोले-भाले ग्राहकों को लक्षित करते हैं। ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म उन एजेंटों को शामिल करते हैं जो विदेशी मुद्रा व्यापार / निवेश योजनाओं को शुरू करने के लिए संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं।

ये प्लेटफॉर्म रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं और इन पर किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन फेमा, 1999 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अनधिकृत

(जारी..)

¹ जी-20 ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजार सुधारों के संदर्भ में, ओटीसी व्युत्पन्नी जिन्हें केंद्रीय रूप से मंजूरी नहीं दी गई है, उन्हें भिन्नता मार्जिन (प्रतिपक्षकार के बीच वर्तमान बाजार-से बाजार एक्सपोजर को प्रतिबिंबित करने के लिए एकत्र या भुगतान किए गए संपार्श्विक) और प्रारंभिक मार्जिन (संभावित भविष्य के जोखिम को कवर करने के लिए एकत्र किए गए संपार्श्विक) की आवश्यकताओं के अधीन होना चाहिए।

प्लेटफार्मों में कम प्रबुद्ध ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें वित्तीय नुकसान होने का जोखिम होता है।

विनियामकीय पहलें

इस बाजार गतिविधि और व्यक्तियों के आर्थिक नुकसान और इन प्लेटफार्मों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बारे में बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, 3 फरवरी 2022, 7 सितंबर, 2022 और 10 फरवरी 2023 को चेतावनी जारी की गई थी। जनता को आगाह किया गया था कि वे अनधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करें या इस तरह के अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसे जमा न करें। यह स्पष्ट किया गया कि फेमा के तहत अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए या रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं की गई ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले निवासी व्यक्तियों पर फेमा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, उन संस्थाओं की एक 'चेतावनी सूची' प्रकाशित की गई थी, जो न तो फेमा अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही

विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए ईटीपी संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। चेतावनी सूची में उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जिनमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। 'चेतावनी सूची' संपूर्ण नहीं है और यह रिजर्व बैंक के प्रकाशन के समय उसके पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। यह स्पष्ट किया गया है कि सूची में शामिल नहीं होने वाली इकाई को रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकार स्थिति का पता लगाने के लिए, जनता अधिकृत व्यक्तियों की सूची और अधिकृत ईटीपी की सूची का संदर्भ ले सकती है, जिसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। इन उपायों के पूरक के रूप में, जनता को सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी प्रकाशित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई.

ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेन के प्रतिपक्षों के बीच भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करते हैं। निदेशों का दायरा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट व्युत्पन्नी लेनदेन तक फैला हुआ है और ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों में उनके बकाया लेनदेन के आधार पर वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू होगा।

सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए 'पूर्ण सुलभ मार्ग' – अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रतिभूतियां

V.9 30 मार्च 2020 को शुरू किए गए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में अनिवासी निवेश के लिए पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) गैर-निवासियों को कुछ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों (5-वर्ष, 10-वर्ष और 30-वर्ष के जी-सेक जारी करना) में बिना किसी समष्टि-विवेकपूर्ण सीमा के निवेश करने की अनुमति देता है। एफएआर के तहत अनिवासी निवेशकों द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध जी-सेक के विकल्प बढ़ाने और सॉवरेन प्रतिफल वक्र में चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से, 7-वर्ष और 14-वर्षीय अवधि के जी-सेक के सभी नए निर्गम (वर्तमान निर्गम सहित) को 7 जुलाई 2022 को एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में शामिल किया गया था। 7 और 14 वर्ष की प्रतिभूतियों के साथ एफएआर की इस वृद्धि को एफपीआई द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त

किया गया है, जैसा कि 8 जुलाई, 2022 से एफपीआई धारिता के निर्माण से संकेत मिलता है। सात वर्षीय प्रतिभूतियों में एफपीआई की हिस्सेदारी एफएआर के तहत शामिल होने से पहले 118 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 7,084 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि के दौरान 14-वर्षीय प्रतिभूति में 36 करोड़ रुपये से 1,313 करोड़ रुपये तक का निर्माण देखा गया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश - छूट

V.10 मध्यावधि के फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत, सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई निवेश कुछ समष्टि-विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन हैं, जैसे, (i) एक अल्पकालिक सीमा की आवश्यकता जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉण्ड में प्रत्येक में 30 प्रतिशत से अधिक निवेश की एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता नहीं हो सकती है, और (ii) न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता जिसमें एफपीआई कम से कम एक वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ केवल कॉर्पोरेट ऋण लिखतों में निवेश कर सकते हैं। समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से,

सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा निवेश को 7 जुलाई 2022 को 31 अक्टूबर 2022 तक अल्पकालिक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकताओं से छूट दी गई थी। उपरोक्त अवधि के दौरान, एफपीआई ने वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में 3,955 करोड़ रुपये का निवेश किया।

प्राधिकृत डीलर श्रेणी I (एडी कैट-I) बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार

V.11 उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेने की सुविधा के लिए, जिन्हें विदेशी बाजारों तक सीधे पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, एडी कैट-1 बैंकों को 7 जुलाई 2022 को विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग अंतिम उपयोग उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में उधार देने की अनुमति दी गई थी, जो बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन है। इस तरह की उधारी जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।

एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा वाले व्युत्पन्नी बाजार में सौदा करने की अनुमति देना

V.12 भारत में बैंकों को फरवरी 2022 में गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ एक विदेशी मुद्रा वाले दिवसीय सूचकांक स्वैप (एफसीएस -ओआईएस) में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि एसपीडी भी देशीय ओआईएस बाजार में बैंकों की तरह बाजार निर्माता हैं, फेमा, 1999 की धारा 10 (1) के तहत अधिकृत एसपीडी को 8 अगस्त 2022 से गैर-निवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं के साथ एफसीएस-ओआईएस लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।

महत्वपूर्ण बेंचमार्क की अधिसूचना

V.13 वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2019 के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने मुंबई अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा प्रस्तावित दर (एमआईएफओआर) को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया था।

एमआईएफओआर एक वित्तीय बेंचमार्क है जिसमें शामिल हैं: (i) यूएसडी लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) और (ii) यूएसडी/आईएनआर फॉरवर्ड प्रीमिया घटक के रूप में। 1 जनवरी 2022 से एलआईबीओआर की समाप्ति की शुरुआत की पृष्ठभूमि में, यूएसडी एलआईबीओआर से जुड़े लेनदेन को अब केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है। 1 जनवरी 2022 से नए वित्तीय लेनदेन के लिए एमआईएफओआर को संशोधित एमआईएफओआर (एमएमआईएफओआर) के साथ बदल दिया गया है। एमएमआईएफओआर में समायोजित सुरक्षित एकदिवसीय वित्तीय दर (एसओएफआर) और वित्तीय बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) फॉरवर्ड प्रीमिया दर शामिल है। एमएमआईएफओआर को दिसंबर 2022 से 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विदेशी बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम बचाव

V.14 भारत में निवासी संस्थाओं को विदेशी बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम के लिए अपने निवेश के बचाव करने की अनुमति नहीं थी। इन इकाइयों को अपने स्वर्ण एक्सपोजर के मूल्य जोखिम को कुशलतापूर्वक बचाने के लिए अधिक आघातसहनीयता प्रदान करने के लिए, निवासी संस्थाओं को (12 दिसंबर 2022 से) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर अपने स्वर्ण कीमत को जोखिम से बचाने की अनुमति दी गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

एफएआर के तहत सॉवरेन हरित बॉण्ड का समावेशन

V.15 गैर-निवासियों को अप्रैल 2020 से एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के जी-सेक की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 23 जनवरी 2023 को किया गया था ताकि इसमें 2022-23 में सरकार द्वारा जारी सभी सॉवरेन हरित बॉण्ड शामिल किए जा सकें।

2023-24 के लिए कार्यसूची

V.16 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करने वाले मसौदा निदेश 16 जून 2022 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए गए थे। अंतिम निदेश 2023-24 में जारी किए जाएंगे (उत्कर्ष 2.0);
- परिचालन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, छोटे विदेशी मुद्रा (एफएक्स) एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी बाजार तक पहुंच को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों का एक व्यापक समूह अपने बचाव कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आघात सहनीयता से लैस है, एफएक्स जोखिमों की बचाव के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा 2023-24 में की जाएगी; और
- बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, 2023-24 में व्यापार रिपोर्टिंग (टीआर) की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी (उत्कर्ष 2.0)।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.17 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति संचरण के पहले चरण को सुरक्षित करने और देशीय और विदेशी दोनों बाजार परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख के साथ संरेखण में चलनिधि प्रबंधन परिचालन के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2022-23 की कार्यसूची

V.18 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन साधनों का उपयोग करके चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से पूरा करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.19];
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा परिचालन जारी रखना (पैराग्राफ V.20-V.21); और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करना (पैराग्राफ V.22)।

कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन ²

V.19 2022-23 के दौरान, रिजर्व बैंक ने समायोजन वापस लेने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के मद्देनजर सक्रिय रूप से चलनिधि विकसित करने में कामयाबी हासिल की। फरवरी से अप्रैल 2023 के दौरान दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के निर्धारित मोचन के मद्देनजर, यह चलनिधि प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में लचीला रहा। रिजर्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति के आधार पर एलएएफ के दोनों ओर परिचालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा, अर्थात् परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) और परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालन। नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से प्राथमिक चलनिधि के अवशोषण के कारण भारित औसत कॉल मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - अप्रैल

² चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

2022 में 3.47 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 6.50 प्रतिशत हो गया।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.20 अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने और अमेरिकी खजाना प्रतिफल में वृद्धि से डॉलर में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान रुपये में मूल्यहास के साथ कारोबार हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू पूंजी बाजारों से एफपीआई की निकासी से भी रुपये पर दबाव रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें औसतन लगभग

95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं, जबकि पिछले पांच वर्षों में औसतन लगभग 63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। तथापि, एफपीआई के बहिर्वाह में कमी आई क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अमेरिका में मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने के संकेतों के बीच सख्ती में कमी कर दी।

V.21 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए देशी/विदेशी ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी (ईटीसीडी) खंडों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया (बॉक्स V.2)।

बॉक्स V.2

आईएनआर अस्थिरता को रोकने में रिज़र्व बैंक के उपायों की प्रभावशीलता

कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास में प्रमुख प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके मौद्रिक नीति सख्त किए जाने के कारण 2022 में उभरती और साथ ही विकसित अर्थव्यवस्था (ईई) मुद्राओं में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। विशेष रूप से, यूएस फेड की आक्रामक नीतिगत दर वृद्धि के कारण अमेरिकी वित्तीय स्थितियों में सख्ती आई। ईएमई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का प्रवाह नकारात्मक हो गया, जो जोखिम-बचाव धारणा को दर्शाता है, जिससे उनकी विनिमय दर पर तेज गिरावट का दबाव पड़ा।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और इक्विटी में एफपीआई की रिकॉर्ड निकासी से भारतीय रुपया दबाव में आ गया। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट के 139 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ने के बाद मार्च 2022 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की अस्थिरता 8.0 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गई। अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले लगातार नौ महीनों में घरेलू इक्विटी में एफपीआई बहिर्वाह देखा गया, जो कुल 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें जून 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दूसरा सबसे अधिक मासिक बहिर्वाह दर्ज किया गया। इन वैश्विक चुनौतियों और अत्यधिक अनिश्चितता के बीच, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों³ के अलावा विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर या बैंड के संदर्भ के बिना रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया।


जनवरी 2022 से मार्च 2023 के दौरान प्रमुख एशियाई समकक्षी मुद्राओं⁴ के साथ-साथ चुनिंदा ईई मुद्राओं की औसत अंतर्निहित अस्थिरता के साथ यूएसडी/आईएनआर अस्थिरता की प्रवृत्ति बढ़ी (चार्ट 1)। रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप उपायों के बाद रुपये की अंतर्निहित अस्थिरता काफी हद

तक नियंत्रित थी और यह एशियाई प्रतिस्पर्धियों और ईई मुद्राओं के औसत से काफी नीचे रही।

भारतीय रुपये की अस्थिरता को कम करने में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की नमूना अवधि के लिए चुनिंदा चर पर एक सामान्यीकृत स्वतः प्रतिगमन सशर्त विषमविसरिता (जीआर्क) मॉडल लागू किया गया है। यहां, निर्भर चर $\ln r_t$, लगातार दो दिनों में बंद दिन यूएसडी/आईएनआर स्पाट विनिमय दर (एस) का लॉग अंतर है, जो विनिमय दर पर प्रतिगमन को दर्शाता है।

$$\ln r_t = 100 \times (\ln S_t - \ln S_{t-1}) \quad \dots(1)$$

चार्ट 1: एक माह की एट-द-मनी (एटीएम) अंतर्निहित अस्थिरता



— यूएसडी/आईएनआर
— एशियन समकक्ष करेंसी (औसत) — चुनिंदा ईई मुद्राएं (औसत)
स्रोत : ब्लूमबर्ग

(जारी..)

³ चीनी युआन, इंडोनेशियाई रुपिया, कोरियाई वोन, मलेशियाई रिंगिट, फिलीपीन पेसो और थाई बहत।

⁴ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर, यूरो, जापानी येन, न्यूजीलैंड डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग।

यहां, (Ω_{-1}) सकारात्मक (नकारात्मक) $\ln r_t$ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यहास (मूल्य वृद्धि) को इंगित करता है। यूएसडी/आईएनआर प्रतिलाभ इसके पिछले मूल्यों और एक त्रुटि शब्द (ε_t) से प्रभावित होता है जो विनिमय दर को प्रभावित करने वाले आघातों को दर्शाता है।

$$\ln r_t = \beta_0 + \beta_1 \ln r_{t-1} + \varepsilon_t \quad \dots(2)$$

त्रुटि शब्द ε_t अंतराल की जानकारी का एक प्रकार्य है (इसके अलावा, ε_t सामान्य रूप से शून्य माध्य और इसके विचरण (h_t) के साथ वितरित माना जाता है (इस प्रकार परिभाषित किया गया है):

$$\varepsilon_t | \Omega_{-1} \sim N(0, h_t) \quad \dots(3)$$

विचरण समीकरण (h_t) निम्नानुसार है:

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1} + \gamma |\alpha_3 \ln v_t + \alpha_4 FII_{Equity(t-2)} + \alpha_5 Brent_t| \quad \dots(4)$$

यहां α_1 और α_2 क्रमशः स्वतः प्रतिगमन सशर्त विषमविसारिता (आर्क) और जीआर्क शब्दों के गुणांक हैं। $\ln v_t$ रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप है, FII_{Equity} विदेशी इक्विटी प्रवाह है⁵, और $Brent_t$ कच्चे तेल की कीमतें हैं।

अनुमानित मॉडल के अवशिष्ट समाधान कोई आर्क प्रभाव नहीं दिखाते हैं जो अवशिष्ट में कोई स्व-सहसंबंध नहीं दर्शाते हैं।

परिणामों से संकेत मिलता है कि रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप यूएसडी/आईएनआर अस्थिरता को कम करने में प्रभावी था, जबकि विदेशी इक्विटी बहिर्वाह में उच्च भिन्नता और उच्च ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों

सारणी 1: जीएआरसीएच (1,1) अनुमान परिणाम

(नमूना अवधि: अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)

चर	गुणांक	z-सांख्यिकीय	संभाव्यता
निर्भर चर: $\ln r_t$			
सी	0.053***	3.73	0.01
$\ln r_{(t-1)}$	-0.10	-1.38	0.16
विचरण समीकरण:			
$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1} + \gamma \alpha_3 \ln v_t + \alpha_4 FII_{Equity(t-2)} + \alpha_5 Brent_t $			
सी	0.045***	6.29	0.00
एआरसीएच ₋₁	0.53***	4.69	0.00
जीएआरसीएच ₋₁	0.20**	2.41	0.01
$\ln v_t$	-0.0227***	-3.60	0.00
$FII_{Equity(t-2)}$	0.000036**	2.33	0.01
$Brent_t$	0.0014**	2.41	0.01
लॉग-संभावना	-26.96	कुल अवलोकन	266
डर्बिन-वाटसन स्टेट	1.93	अकाकी जानकारी मानदंड	0.26
		एआरसीएच (एलएम)	0.56 (0.45)

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व स्तर को इंगित करते हैं।

स्रोत: आरबीआई कर्मचारी की गणना।

के कारण यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ गई (सारणी1)।

अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अध्ययन

V.22 विभाग ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित कई सामयिक मुद्दों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया।

2023-24 के लिए कार्यसूची

V.23 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग की निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है:

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से करना;
- यूएसडी /आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी

मुद्रा परिचालन जारी रखना; और

- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण जारी रखना ताकि निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके (उत्कर्ष 2.0)।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.24 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) का कार्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और सरल लेकिन व्यापक, समय-सुसंगत और सिद्धांत-आधारित नीतियों को तैयार करके विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। उल्लिखित अधिदेश को आगे बढ़ाने और फेमा को कारगर बनाने के विभाग के मिशन को जारी रखते हुए,

⁵ इस अवधि में ज्यादातर भारतीय बाजार से निवल बहिर्वाह होता है।

जिसमें वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करना शामिल है, विभाग ने व्यापार को और सुगम बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। इस संबंध में, विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नए ओआई नियमों के पूरक के लिए नए विनियम और निर्देश जारी करके विदेशी निवेश (ओआई) व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया; फेमा के तहत सभी रिपोर्टिंग देरी के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) फ्रेमवर्क का विस्तार किया; और विदेशी वित्त पोषण के स्रोत में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) दिशानिर्देशों को उदार बनाया। इसके अलावा, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये (आईएनआर) में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, आईएनआर में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है।

2022-23 की कार्यसूची

V.25 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- समान विषयों के मौजूदा विनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखना, संशोधन अधिसूचनाओं को बार-बार जारी करना और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करना (पैराग्राफ V.26);
- फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन के लिए संशोधित गणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.27];
- योजना में विभिन्न मुद्दों और विसंगतियों को दूर करने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा (पैराग्राफ V.28);
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर विनियामकीय अनुपालन के लिए विभिन्न प्रतिलाभ प्रस्तुत करने

की प्रक्रिया के स्वचालन को जारी रखना (पैराग्राफ V.29);

- निरंतर आधार पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन और डिजिटल सामग्री का निर्माण (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.30]; और
- नीतिगत परिवर्तनों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए एडी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को अधिक शक्तियां सौंपना जारी रखना (पैराग्राफ V .31)।

कार्यान्वयन की स्थिति

कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों को तर्कसंगत बनाना

V.26 मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2000 का स्थान लेने के लिए एक तर्कसंगत मसौदा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2022 भारत सरकार को भेज दिया गया है। नियमों में निहित प्रावधानों को अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ संरेखित करने के अलावा, मसौदा नियम निम्नलिखित प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव करते हैं:

- कंपाउंडिंग प्राधिकरण के रूप में नामित आरबीआई अधिकारियों की कंपाउंडिंग शक्तियों को बढ़ाना।
- कंपाउंडिंग एप्लीकेशन शुल्क और कंपाउंडिंग राशि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक /ऑनलाइन मोड को सक्षम करना; और
- कंपाउंडिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक को शक्तियां सक्षम करना।

फेमा, 1999, के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए संशोधित संगणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन

V.27 कंपाउंडिंग राशि की गणना के लिए गणना मैट्रिक्स पर मौजूदा मार्गदर्शन नोट की समीक्षा के बाद, एक संशोधित मैट्रिक्स, जो कंपाउंडिंग राशि की गणना के लिए सरलीकृत और मानकीकृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, अंतिम रूप देने के एक उन्नत चरण में है।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा

V.28 एलआरएस के तहत, अधिकृत डीलर (एडी) किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में निवासी व्यक्तियों द्वारा 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। योजना के तहत विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कानूनी फ्रेमवर्क, वार्षिक सीमा, अनुमत उद्देश्यों और योजना के तहत प्रत्यावर्तन आवश्यकताओं को शामिल किया गया है और एक संशोधित एलआरएस नियत समय में जारी किया जाएगा।

विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का स्वचालन – विवरणियों को बंद करना/विलय/ऑनलाइन प्रस्तुत करना

V.29 18 फरवरी 2022 को मौजूदा 65 विनियामक पेपर-आधारित विवरणियां को ऑनलाइन विवरणियां में बदलने या बंद/विलय या रूपांतरण से संबंधित विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, अधिकृत व्यक्तियों (एपी) को इक्कीस (21) विवरणियां के ऑनलाइन जमा में रूपांतरण के बारे में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एक (1) विवरणियां, अर्थात् 'अनिवासी संस्थाओं से ली गई और मंगाई गई गारंटी पर तिमाही विवरणियां' को बंद/विलय कर दिया गया है। इसके बाद, एडी बैंकों को जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त विवरणियां को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। ऑनलाइन प्रतिमाभ में यह रूपांतरण सटीकता, गति और डेटा जमा करने की गुणवत्ता और व्यापार में आसानी में सुधार करते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए विनियामक अनुपालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का निर्माण करना

V.30 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) केंद्रीय कार्यालय में विनियमों के सरलीकरण में सहायता के लिए विभिन्न

कार्यशालाओं का आयोजन करते रहे हैं। वर्ष के दौरान एपी और फेमा प्रदर्शनी-सह-टाउनहॉल कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं, जहां व्यापार और उद्योग निकाय और विदेशी मुद्रा के उपयोगकर्ता प्रतिभागी थे, आरओ द्वारा हालिया नीतिगत परिवर्तनों की व्याख्या करने और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, तर्कसंगत विदेशी निवेश (ओआई) नियम/विनियम जारी करने के अनुसरण में एडी बैंकों और नई ओआई व्यवस्था के तहत देरी से जमा शुल्क (एलएसएफ) आवेदनों को संसाधित करने के लिए नामित आरओ और एडी बैंकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उपरोक्त के अलावा, मास्टर निदेशों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से विभिन्न दिशानिर्देश/अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं।

एडी बैंकों और आरओ को शक्तियों का प्रत्यायोजन : विदेशी निवेश लेनदेन से संबंधित देरी की रिपोर्टिंग के लिए विलंब जमा शुल्क- मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी)

V.31 उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए, और व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 में विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा को शुरू किया गया है, जिसे आरओ स्तर पर लागू किया गया है। जिसमें सात आरओ, अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली को लिया गया। इसके बाद, 26 अगस्त, 2022 को विदेशी निवेश लेनदेन में एलएसएफ की गणना पर एक विस्तृत एसओपी और मार्गदर्शन नोट जारी किया गया।

प्रमुख पहल

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियम, 2015 की व्यापक समीक्षा

V.32 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियम, 2015, 2 मार्च 2015 को जारी किए गए थे। हालांकि, आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना

आईएफएससी प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत की गई है। परिणामस्वरूप, उक्त विनियमों के कई प्रावधान अनावश्यक हो गए हैं। तदनुसार, विनियमों की व्यापक समीक्षा की गई और फेमा के तहत संशोधित अधिसूचना का मसौदा, साथ ही साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के पास भेज दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सावधि ऋण - आईएनआर में श्रीलंका के साथ चालू खाता लेनदेन का निपटान

V.33 एसबीआई और श्रीलंका सरकार के बीच 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सावधि-ऋण समझौते के एक भाग के रूप में किए गए श्रीलंका को भारतीय निर्यात के निपटान की सुविधा के लिए, ऐसे लेनदेन को 19 मई, 2022 से लागू एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये में निपटाने की अनुमति दी गई है।

V.34 इसके अलावा, 8 जुलाई, 2022 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया है कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन अगली सूचना तक एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में निपटाए जाएंगे।

भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईएक्स) के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित योग्य जौहरियों द्वारा स्वर्ण आयात

V.35 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार, योग्य जौहरियों (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण – आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को भारत के अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स), नामित एजेंसियों (डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित) और नामित बैंकों (रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण आयात के लिए अधिसूचित) के माध्यम से हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड के आधार पर विशिष्ट भारतीय व्यापार

वर्गीकरण (आईटीसी) के तहत स्वर्ण आयात करने की अनुमति है। 25 मई, 2022 से प्राधिकृत बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे योग्य जौहरियों (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को विशिष्ट शर्तों के अधीन आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दें।

आईएनआर में पारदेशीय भुगतान के लिए कार्यनीति

V.36 देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक कुशल पारदेशीय भुगतान और निपटान प्रणाली के निर्माण के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार कार्ययोजना के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2022 को बैंकों को एक परिपत्र जारी करने के माध्यम से घरेलू मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक फ्रेमवर्क का परिचालन किया। यह भारतीय बैंकों और आईएनआर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला का एक व्यापक अभिन्न अंग बनने में सक्षम करेगा।

V.37 बढ़ते विदेशी व्यापार और हालिया भू-राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए, व्यापार भुगतान और आईएनआर में निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा तंत्र में एक पूरक प्रणाली की खोज की जा रही है। पारदेशीय व्यापार के लिए आईएनआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने और भारतीय निर्यात को और बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को तैयार किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त रोजगार और आय हो होती है।

V.38 जुलाई 2022 में पेश किया गया तंत्र आईएनआर में निर्यात / आयात के भुगतान और निपटान को करने, चालान बनाने और प्रभावी करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था है जो और मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्यापार भुगतान और निपटान की वर्तमान प्रथा के साथ सह-अस्तित्व में रहेगी। यह परिकल्पना की गई है कि आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान एक स्वैच्छिक और क्रमिक सिद्धांत के अनुसार हो सकता है और व्यापारिक भागीदारों के पास भी मौजूदा व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होना चाहिए। लाभ दो गुना हैं: (i) यह राष्ट्रीय मुद्राओं (आईएनआर और

भागीदार देश की मुद्रा) के माध्यम से पूर्ण या आंशिक व्यापार लेनदेन के निपटान के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के मामले में दोनों देशों के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी तंत्र होगा। आईएनआर और भागीदार देश की मुद्रा में भुगतान और निपटान बचाव और रूपांतरण जैसी लागतों को कम करेगा; और (ii) विशेष रूप से *वास्ट्रो खातों* में अधिशेष रूप से शेष का उपयोग भागीदार देशों के बीच पारस्परिक व्यवस्था पर अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - उदारीकरण के उपाय

V.39 विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के स्रोतों में और विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, 'विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण' पर स्वतः मार्ग के तहत ईसीबी सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अस्थायी रूप से इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निवेश-ग्रेड रेटिंग के उधारकर्ताओं के लिए 100 आधार अंकों (बीपीएस) की समग्र लागत सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। ये अस्थायी उपाय 31 दिसंबर 2022 तक उठाए गए ईसीबी के लिए उपलब्ध थे। तदनुसार, फेमा 3 (आर) [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार और ऋण) विनियम, 2018] में आवश्यक संशोधन करने के बाद, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को

अधिसूचित किया गया था। दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद, अगस्त से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान 15.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के नए ईसीबी समझौते किए गए, जिनमें से 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अस्थायी रूप से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वचालित मार्ग के तहत बढ़ी हुई सीमा के तहत संपन्न हुए। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.1 मिलियन यूरो के ईसीबी समझौते भी निवेश-श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए प्रदान की गई संशोधित समग्र लागत सीमा पर संपन्न हुए।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देर से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क

V.40 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देरी से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा पेश की गई थी। एलएसएफ को क्रमशः 7 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 से प्रभावी विदेशी निवेश (एफआई), ईसीबी और विदेशी निवेश (ओआई) से संबंधित लेनदेन के लिए पेश किया गया था। प्रकाश्यों में एलएसएफ लगाने में एकरूपता लाने के लिए, ओआई-संबंधित लेनदेन के लिए एक समान मैट्रिक्स के तर्ज पर एलएसएफ की गणना के लिए, जहां भी फेमा के तहत लागू हो, शुरू किया गया (बॉक्स V.3)।

बॉक्स V.3

एक नई सीमापार निवेश (ओआई) व्यवस्था का परिचालन

उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर सरल बना रहे हैं और नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था के परिचालन के साथ उठाया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमों 2015 के अधिक्रमण

में अधिसूचित किया गया है। 22 अगस्त 2022 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) निदेश, 2022, समय-समय पर संशोधित 1 जनवरी 2016 के मास्टर निर्देश का स्थान ले चुका है। नई व्यवस्था व्यापक आर्थिक गतिविधि को शामिल करने के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी निवेश के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को सरल बनाती है और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को काफी कम करती है। इसके परिणामस्वरूप अनुपालन बोझ और संबंधित अनुपालन लागत कम होगी।

(जारी..)

नए नियमों और विनियमों द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'निवल मालियत', 'उप-अनुषंगी संस्था' आदि जैसी विभिन्न परिभाषाओं के संबंध में बढ़ी हुई स्पष्टता;
- राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सुविधा के लिए 'कार्यनीतिक क्षेत्र' की अवधारणा का परिचय;
- भारत में निवासी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी/नियामक निकाय द्वारा जांच के मामले में, विदेशी निवेश/विनिवेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता को संबंधित एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ बदल दिया गया;
- विलंबित रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड में लेने के लिए 'विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ)' का एक तंत्र शुरू किया गया;

- दूसरी या उप-अनुषंगी संस्था' (एसडीएस) को या उनकी ओर से गारंटी जारी करना स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया;
- मूल्य निर्धारण और अन्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन घाटे में चल रही विदेशी संस्थाओं के लिए विनिवेश के कारण बड़े खाते में डालने की अनुमति बिना किसी सीमा के दी गई;
- लाभप्रदता मानदंड के अधीन गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सेवा क्षेत्र (बीमा और बैंकिंग को छोड़कर) में निवेश करने की अनुमति देना; और
- किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार मूल्यांकन के लिए निवेश/विनिवेश के लिए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों में लचीलापन लाया गया।

स्रोत : आरबीआई।

रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत विदेशों से आने वाले बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना

V.41 जैसा कि 5 अगस्त 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया, बीबीपीएस जो विदेशों से आने वाले बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए मानक प्लैटफॉर्म है, को सक्षम बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि रुपये आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को, बीबीपीएस के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन, बिलर (लाभार्थी) के ग्राहक को जानें (केवाईसी) अनुपालन बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है। यह अनिवासी भारतीयों को भारत में उनके परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत में विदेशी निवेश – एफआईआरएमएस पोर्टल पर एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) में रिपोर्टिंग का युक्तिकरण

V.42 भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए 1 सितंबर 2018 को एक ऑनलाइन विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) शुरू की गई थी। तदनुसार, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों और प्राधिकृत बैंकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, 5 जनवरी 2023

से फॉर्मों की रिपोर्टिंग की स्वतः पावती और देर से जमा शुल्क (एलएसएफ) की ऑनलाइन गणना की प्रणाली शुरू करने के लिए एफआईआरएमएस पोर्टल को नया रूप दिया गया। देश में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आसान बनाने की दृष्टि से प्रणाली को बदला गया था।

चालू सॉफ्टवेयर परियोजनाएं, जैसे, स्पेक्ट्रा और एपी कनेक्ट

V.43 प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) कनेक्ट को 22 दिसंबर 2022 से पायलट गो-लाइव आधार पर परिचालित किया गया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन (स्पेक्ट्रा) के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के संबंध में, यह कार्यान्वयन के एक उन्नत चरण में है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

V.44 2023-24 के लिए विभाग की कार्यनीति उपर्युक्त सभी पहलों को समेकित करने और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आगे देखें तो, यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा कि फेमा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क उभरती समष्टिआर्थिक वातावरण की जरूरतों के अनुरूप है। इसके अलावा, बेहतर डेटा प्रबंधन और अनुपालन की लागत में कमी के इरादे से शक्तियों के प्रत्यायोजन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के युक्तिकरण के माध्यम से एपी की भूमिका को समृद्ध करने के प्रयास किए जाएंगे।

तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- फेमा के तहत एपी के प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- संशोधित एलआरएस की अधिसूचना (उत्कर्ष 2.0);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान पद्धति) विनियम, 2016 पर विनियमों का युक्तिकरण (उत्कर्ष 2.0);
- अनिवासियों के रुपया खातों से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान माध्यम और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 का युक्तिकरण;
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा;
- गारंटी विनियमों का युक्तिकरण; और
- व्यापार दिशानिर्देशों का युक्तिकरण/सरलीकरण (उत्कर्ष 2.0)।

5. निष्कर्ष

V.45 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने, बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करने और बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर रखने के लिए प्रमुख बाजार खंडों के आगे के विकास पर अपना ध्यान बनाए रखते हुए विकट वैश्विक प्रभाव विस्तार के बावजूद सक्रिय कदम उठाए। चलनिधि की स्थिति को समायोजन में कमी करने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया था। रिजर्व बैंक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर अंकुश लगाने के लिए विनियामक पहल भी की। यह अनुपालन बोझ को कम करने पर जोर देने के साथ अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के साथ विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करने के अपने प्रयासों के साथ जारी रहा। आगे देखें तो, रिजर्व बैंक नए जोखिमों पर नज़र रखना जारी रखेगा, उभरते अवसरों का आकलन करेगा, और प्रणालीगत जोखिम को कम करने और बाज़ार पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजार और मुद्रा के सारे पहलू को शामिल ने वाले नियमों को और मजबूत करने के लिए बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप बना रहेगा, जबकि विदेशी मुद्रा परिचालन रुपये की विनिमय दर में सुव्यवस्थित गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होगा।

यूक्रेन में युद्ध के बाद एक अस्थिर वैश्विक वातावरण में भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने बेहतर तुलन पत्र और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में मजबूत वृद्धि के साथ सुदृढ़ता का प्रदर्शन किया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रिजर्व बैंक के कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों ने वित्तीय स्थिरता को संरक्षित किया। वर्ष के दौरान साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया गया और पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) टूल्स के उपयोग की संभावना की जांच की गई। रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष) वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। विनियमित संस्थाओं को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करते हुए प्रवर्तन कार्रवाइयों में निरंतरता सुनिश्चित की गई। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली के अस्तित्व के उद्देश्य से वर्ष के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया था।

VI.1 घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में वित्तीय प्रणाली वर्ष के दौरान मजबूत और सुदृढ़ बनी रही। इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामकीय/ पर्यवेक्षी ढांचे को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, विनियामकीय अनुपालन और प्रवर्तन, तथा बैंकों में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई। तदनुसार, पैमाना-आधारित विनियमन (एसबीआर) के मिडिल लेयर में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वर्गीकरण, डिजिटल उधार, एसबीआर के तहत अपर लेयर एनबीएफसी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क, आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना और यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचे से संबंधित वर्ष के दौरान कई दिशानिर्देश जारी किए गए थे। फिनटेक विभाग ने थोक और खुदरा भुगतान के लिए चरणबद्ध तरीके से डिजिटल रुपये को पायलट आधार पर आरंभ किया। पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने ऑनसाइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण दोनों को और मजबूत करने के लिए कई उपाय भी शुरू किए, जिनमें गतिशील पर्यवेक्षी डैशबोर्ड/प्रारंभिक चेतावनी

संकेतक मॉडल विकसित करना, सीमा पारीय पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करना, बड़े उधारकर्ता समूहों की निगरानी, साइबर सुरक्षा में वृद्धि और उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष) का शुभारंभ शामिल है।

VI.2 अन्य क्षेत्रों में, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी पर जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में वर्ष के दौरान अपने प्रयासों को जारी रखा, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, और रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) पर एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया। निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने अपनी सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों में निगम का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन करके जन जागरूकता को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की।

VI.3 इस अध्याय के शेष भाग को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 वर्ष के दौरान फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ डीओआर द्वारा किए गए विनियामकीय उपायों का विवरण प्रस्तुत करता है। खंड 4 में वर्ष के दौरान डीओएस द्वारा किए गए पर्यवेक्षी उपायों और ईएफडी

द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और डीआईसीजीसी द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। उक्त विभागों ने इस अध्याय के संबंधित खंडों में 2023-24 के लिए अपना कार्य-योजना भी निर्धारित किया है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियों को शामिल किया गया है।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.4 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश प्रणालीगत दबाव परीक्षणों, संवेदनशीलता विश्लेषण और वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण के माध्यम से समष्टि विवेकपूर्ण चौकसी करके वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने और वित्तीय प्रणाली के लिए समष्टि विवेकपूर्ण नियमों की निगरानी के लिए नियामकों का एक संस्थागत तंत्र है। एफएसयू द्वि-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) प्रकाशित करता है, जिसमें संभावित जोखिम परिदृश्यों और वित्तीय स्थिरता के लिए उनके प्रभाव तथा पूर्व चेतावनी विश्लेषण का आकलन शामिल है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.5 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- संशोधित दबाव परीक्षण ढांचे का कार्यान्वयन और एफएसआर (उत्कर्ष) में परिणामों का प्रकाशन [पैराग्राफ VI.6];
- बैंक पूंजी पर घर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को शामिल करते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण करना (पैराग्राफ VI.7);
- समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी का संचालन (पैराग्राफ VI.8);

- अर्ध-वार्षिक एफएसआर का प्रकाशन (पैराग्राफ VI.9); और
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप समिति (एफएसडीसी-एससी) की बैठकों का आयोजन [पैराग्राफ VI.10]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 बहु-कारक आधारित समष्टि विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण ढांचे को संशोधित किया गया है, और संशोधित पद्धति के साथ इसके परिणाम जून, 2022 के एफएसआर में प्रकाशित किए गए थे।

VI.7 बैंक पूंजी पर घर की कीमतों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, बैंकों की पूंजी पर घर की कीमतों में गिरावट के प्रभाव का एक संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया था, और इसके परिणाम जून 2022 के एफएसआर में प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, बैंकिंग स्थिरता संकेतक के लिए कार्यप्रणाली को संशोधित और प्रकाशित किया गया था।

VI.8 दिसंबर 2022 के एफएसआर में, समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक प्रकाशित किया गया था। भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों पर विशेषज्ञों, बाजार प्रतिभागियों और शिक्षाविदों की धारणाओं को एकत्र करने के लिए दो दौर के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे।

VI.9 वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम के संतुलन पर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन प्रदान करने वाले एफएसआर के दो संस्करण वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। 30 जून, 2022 को प्रकाशित एफएसआर के 25वें अंक में यूक्रेन में युद्ध के कारण अनिश्चित वैश्विक दृष्टिकोण, उच्च मुद्रास्फीति के प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्रीय बैंकों द्वारा अग्रकृत मौद्रिक नीति सामान्यीकरण, जो गैर-अस्थायी सिद्ध हुआ और कोविड-19 महामारी की अनेक लहरों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। एफएसआर का 26^{वां} संस्करण 29 दिसंबर, 2022 को

जारी किया गया था, जिसमें समष्टि-वित्तीय जोखिमों की तीव्रता संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था। जोखिम में वृद्धि के बावजूद सशक्त समष्टि-आर्थिक आधार तथा मजबूत तुलन पत्र ने वैश्विक आघातों के विरुद्ध सुदृढ़ता प्रदर्शित किया। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार से ऋण मांग में सुधार को समर्थन मिला। एफएसआर के दोनों संस्करणों में समष्टि-दबाव परीक्षणों ने गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी दबाव का सामना करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्षमता की पुष्टि की।

VI.10 2022-23 के दौरान, एफएसडीसी-एससी ने एक बैठक आयोजित की। इस उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख विकास पर चर्चा की। इसने विभिन्न अंतर-विनियामकीय विषयों पर भी विचार-विमर्श किया और इसके दायरे में आने वाले तकनीकी समूहों की गतिविधियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की। सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का संकल्प लिया कि वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थान विकसित हो रही वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले बढ़े हुए स्पिलओवर के बीच सुदृढ़ बने रहें।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.11 आने वाले वर्ष में, एफएसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- दबाव परीक्षण ढांचे की सहकर्म समीक्षा;
- समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी का संचालन;
- अर्ध-वार्षिक एफएसआर का प्रकाशन; और
- एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजना

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.12 विनियमन विभाग (डीओआर) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के

विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो लागत प्रभावी और समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विनियामक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.13 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.14);
- प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि दृष्टिकोण पर एक चर्चा पत्र जारी करना (पैराग्राफ VI.15);
- अनर्जक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.16);
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी करना (पैराग्राफ VI.17);
- डिजिटल उधार से जुड़े विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी विषयों पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.18);
- वित्तीय विवरणियों पर दिशानिर्देश जारी करना - ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तुति और प्रकटीकरण (पैराग्राफ VI.19);
- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत निधियां जुटाने के संबंध में दिशा-निर्देशों के भाग-II को जारी करना (पैरा VI.20);
- परिचालन जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए सिद्धांतों और परिचालन सुदृढ़ता के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन नोट (पैराग्राफ VI.21); और

- निम्नलिखित दिशानिर्देशों की समीक्षा: (क) - दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को विवेकपूर्ण ढांचे के अनुरूप बनाकर उनकी पुनर्संरचना; (ग) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए निवेश दिशानिर्देश और वित्तीय विवरण प्रारूप; (घ) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; (ङ) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा; (च) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) के लिए पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा; (छ) क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर अनुदेश; (ज) निष्क्रिय खातों के संबंध में अनुदेश, निष्क्रिय/अदावी जमा खातों के आंकड़ों को केन्द्रीकृत रूप से अपलोड करवाना; और (झ) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और इन सिफारिशों के आधार पर विनियामकीय अनुदेश जारी करने के लिए कदम उठाना (पैरा VI.22)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.14 बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए

पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में व्यापक आंतरिक और बाहरी परामर्श किए गए हैं। बेसल III के तहत परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश क्रमशः 15 दिसंबर, 2021 और 17 फरवरी, 2023 को जारी किए गए थे ताकि उन पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। ऋण जोखिम पर मसौदा दिशानिर्देशों के साथ-साथ सार्वजनिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

VI.15 विकासात्मक और विनियामक नीतियों (30 सितंबर, 2022) पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) -रूपरेखा पर एक चर्चा पत्र (डीपी) 16 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

VI.16 विकासात्मक और विनियामक नीतियों (30 सितंबर, 2022) पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में दबावग्रस्त आस्तियों के ढांचे के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र 25 जनवरी, 2023 को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए जारी किया गया था (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1 दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

दबावग्रस्त आस्तियां (या अधिक विशेष रूप से, दबावग्रस्त ऋण) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत एक्सपोजर हैं, या ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव वाले विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।¹ एसएमए का वर्गीकरण दबावग्रस्त आस्ति श्रेणी में उन खातों में दबाव की पहचान के लिए शुरू किया गया था, जिनमें चूक हुई है लेकिन अभी तक उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। समय बढ़ने के मानदंड के आधार पर एनपीए और एसएमए के बीच एक तकनीकी अंतर है, लेकिन सिद्धांतों के संदर्भ में, दोनों श्रेणियों में ऐसी आस्तियां शामिल हैं जो ऋण समझौते के अनुसार निष्पादन नहीं कर रही हैं। इसलिए सैद्धांतिक सरलता के लिए 'दबावग्रस्त आस्तियां' और 'एनपीए' का परस्पर एक दूसरे के लिए किया जाता है।

अर्थव्यवस्था में बढ़ते एनपीए के कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। पहला, यह उधार देने वाले संस्थानों (जैसे, प्रावधान) की पूंजी को बांध देता है और अतिरिक्त ऋण सृजन की क्षमता में बाधा डालता है; दूसरा, एनपीए में पूर्वगामी आय, प्रावधान, वसूली प्रयासों आदि में बहुत लागत लगती है; जो वित्तीय मध्यस्थों (एफआई) की लाभप्रदता को प्रभावित करता है; तीसरा, यह 'प्रतिकूल चयन' की समस्या को जन्म दे सकता है - क्योंकि उच्च एनपीए का सामना करने वाले वित्तीय संस्थान उच्च ब्याज आय की तलाश में जोखिम वाले उधारकर्ताओं को लक्षित कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का अक्षम आवंटन हो सकता है; और अंत में, वित्तीय

(जारी...)

¹ एसएमए की तकनीकी परिभाषाओं को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा (2019) से संदर्भित किया जा सकता है।

एनपीए से निपटने के लिए विषयगत उपाय

दबावग्रस्त आस्तियों के ढांचे का प्रस्तावित प्रतिभूतिकरण

बढ़ते एनपीए या दबावग्रस्त आस्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थानों को दी जाने वाली किसी भी समाधान प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए: किए गए उपाय की समयबद्धता, और संबंधित ऋण/पोर्टफोलियो के पूर्ण मूल्य को मुक्त करने की क्षमता। एनपीए के मामलों में वसूली एक समय संवेदनशील मामला है क्योंकि समय के साथ उनका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए, कोई भी समाधान जो समय लेने वाला है, एनपीए की समस्या से निपटने में बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। इसी तरह, एनपीए के सही मूल्य को मुक्त करने के लिए अधिग्रहण बोलियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समाधान में विशेषज्ञता वाले संभावित निवेशकों के एक विविध सेट की आवश्यकता हो सकती है।

एनपीए का प्रतिभूतिकरण एक वित्तीय संरचना है जिसके तहत अनर्जक आस्तियों का प्रवर्तक इन्हें एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) को बेचता है जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करके इस तरह के अधिग्रहण को निधि प्रदान करता है। एसपीई बदले में एक सेवा प्रदाता इकाई नियुक्त करेगा जो दैनिक आधार पर दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन करेगा, जो आमतौर पर एक शुल्क संरचना के साथ उन्हें अंतर्निहित ऋणों पर अधिकतम वसूली के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्निहित आस्तियों से वसूली के आधार पर, निवेशकों को हिस्से की वरिष्ठता² के आधार पर प्राथमिकता क्रम में भुगतान किया जाएगा (चार्ट 1)।

बॉक्स VI.1 चार्ट 1: एनपीए के प्रतिभूतिकरण की सैद्धांतिक संरचना

यह चार्ट एनपीए (Non-Performing Assets) के प्रतिभूतिकरण (Provisioning) की सैद्धांतिक संरचना को दर्शाता है।

मुख्य घटक और प्रवाह:

- ओरिजिनेटर (Originator):** अर्हताप्राप्त आस्ति पोर्टफोलियो (Eligible Assets Portfolio) को एसपीई (SPV) को प्रदान करता है।
- एसपीई (SPV):**
 - सेवा प्रदाता (Service Provider) से कर्म सेवा (Service) प्राप्त करता है और शुल्क (Fees) भुगतान करता है।
 - समाधान प्रबंधक (Administrator) से वसूली (Recovery) प्राप्त करता है और शुल्क (Fees) भुगतान करता है।
 - ओरिजिनेटर से आस्ति पोर्टफोलियो (Assets Portfolio) और पोर्टफोलियो क्रय मूल्य (Portfolio Purchase Price) प्राप्त करता है।
 - प्रतिभूतिकरण नोट (Provisioning Notes) को निवेशकों (Investors) को प्रदान करता है।
- प्रतिभूतिकरण टिप्पणियाँ (Provisioning Comments):**
 - बड़ा हिस्सा (Large Share):** ब्याज और पूंजी (Interest and Capital) प्राप्त करता है और क्रय मूल्य (Purchase Price) भुगतान करता है।
 - मध्यम हिस्सा (Medium Share):** ब्याज और पूंजी (Interest and Capital) प्राप्त करता है और क्रय मूल्य (Purchase Price) भुगतान करता है।
 - छोटा हिस्सा (Small Share):** ब्याज और पूंजी (Interest and Capital) प्राप्त करता है और क्रय मूल्य (Purchase Price) भुगतान करता है।

स्रोत: फैब्री, एंड्रिया (2017), 'अलकेमी ऑफ फाइनेंस - अनर्जक ऋणों का प्रतिभूतिकरण', अध्याय 7

(ज़ारी...)

2. बड़े हिस्से का अर्थ है, एक ऐसा भाग जो अतर्निहित प्रतिभूतिकृत समूह में आस्तियों की पूरी राशि पर पहले दावे द्वारा प्राभावी रूप से समर्थित या सुरक्षित हो; मध्यम हिस्सा को बड़े हिस्से के पश्चात समन्वित किया जाता है; और छोटे हिस्से (डिविडेंडी किशत) का अंतर्निहित आस्तियों (अधिकतम जोखिम को वहन करने) पर अंतिम दावा है।

एनपीए का प्रतिभूतिकरण मानक आस्तियों से अलग है, क्योंकि मानक आस्तियों में उधारकर्ता से जुड़े ऋण जोखिम को निवेशकों द्वारा प्रतिभूतिकृत नोटों में वहन किया जाता है, जबकि प्रतिभूतिकरण में, आस्तियां पहले से ही चूक / एनपीए में हैं या अनर्जक मानी जाती हैं। उन्हें उनके नाममात्र मूल्य पर छूट के साथ प्रतिभूतिकृत किया जाता है, जो पोर्टफोलियो घाटे को कम करने के बाद इन अंतर्निहित आस्तियों के बाजार द्वारा मूल्य-निर्धारण को दर्शाता है और इसमें अनर्जक एक्सपोजर के निवल मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वसूली की संभावना है। इस प्रकार, निवेशकों को इस जोखिम से अवगत कराया जाता है कि समाधान प्रक्रिया स्थानांतरित अंतर्निहित आस्तियों के निवल मूल्य को पूरी तरह से वापस पाने के लिए पर्याप्त वसूली नहीं कर सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिभूतिकरण समयबद्धता की आवश्यकताओं और उचित वसूली योग्य मूल्य को मुक्त करने, दोनों को, पूरा कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न विशेषज्ञता (जैसे, सेव प्रदाता और समाधान प्रबंधक) वाले एजेंटों के एक विविध सेट की परिकल्पना करता है ताकि अलग-अलग जोखिम क्षमता वाले व्यापक निवेशक आधार सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हो सके। इस प्रक्रिया में समाधान और वसूली विशेषज्ञों की भागीदारी प्रतिभूतिकरण नोटों की विपणन क्षमता सुनिश्चित कर सकती है। यह उन एजेंटों के पक्ष में ऋण / रिक्वरी जोखिम के बेहतर वितरण को भी सक्षम बनाएगा जो इस प्रणाली में प्रबल इच्छा और क्षमता रखते हैं, जिससे आघातों को सहने के लिए सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर गठित कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टीएन मनोहरन) ने सितंबर 2019 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से सिफारिश की थी कि एनपीए के प्रतिभूतिकरण को दबावग्रस्त आस्तियों में वैकल्पिक निवेश मार्ग के रूप में अपनाया जा सकता है। इसलिए, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श, व्यापक बाजार प्रतिक्रिया और हितधारकों के परामर्श के बाद, मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की तर्ज पर प्रस्तावित संरचना के माध्यम से एनपीए के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करने का निर्णय लिया गया। यहाँ महत्वपूर्ण रूप से, इस प्रणाली का

उद्देश्य एआरसी मार्ग सहित मौजूदा समाधान विधियों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि एक विकल्प के रूप में सह-अस्तित्व प्रदान करना है, और यहां तक कि संभावित समाधान प्रबंधकों के रूप में एआरसी को सहभागिता के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और दिशानिर्देश

हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एनपीए का प्रतिभूतिकरण अपेक्षाकृत नया है, तथापि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह विभिन्न रूपों में उपयोग में है। 'अनर्जक ऋणों का प्रतिभूतिकरण' संबंधी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने पूंजी की गणना के लिए अनर्जक एक्सपोजर (एनपीई) प्रतिभूतिकरण पर 26 नवंबर, 2020 को निर्देश जारी किए हैं और एनपीई प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) ने एनपीई प्रतिभूतिकरण के लिए विनियमन भी जारी किया है, जो 9 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम के विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण ने बासेल मानकों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में एक नीति वक्तव्य - अनर्जक ऋण प्रतिभूतिकरण जारी किया है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ढांचा इन रूपरेखाओं पर आधारित है, जिन्हें घरेलू संदर्भ के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

संदर्भ:

एंड्रिया एफ (2017), 'अलकेमी ऑफ फ़ाइनेंस-सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफॉरमिंग लोन्स', दूसरा संस्करण, अध्याय 7।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (2023), 'सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफॉरमिंग लोन्स', सीआरई 45, बीआईएस, बेसल।

यूरोपीय संघ (2021), 'यूरोपीय संसद और 31 मार्च, 2021 की परिषद का विनियमन (ईयू 2021/557)', ब्रुसेल्स।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (2021), 'बेसल मानकों का कार्यान्वयन: सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफॉरमिंग लोन्स', नीति वक्तव्य 24/21, लंदन।

VI.17 जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करने के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 27 जुलाई, 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर एक चर्चा पत्र अपलोड किया गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रतिपुष्टि के विश्लेषण के आधार पर, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (8 फरवरी, 2023) में यह

घोषणा की गई थी कि विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे: (i) हरित जमा की स्वीकृति के लिए व्यापक ढांचा; (ii) जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संबंध में प्रकटीकरण ढांचा; और (iii) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन। इसके अलावा, नीति के एक भाग के रूप में यह भी घोषणा की गई थी कि रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज होगा जो जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर सभी निर्देशों,

प्रेस विज्ञप्तियों, प्रकाशनों, भाषणों और संबंधित रिजर्व बैंक की सूचनाओं को समेकित करेगा।

VI.18 10 अगस्त, 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें डिजिटल उधार पर कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक के विनियामकीय रुख को विनिर्दिष्ट किया गया था।³ इसके बाद 2 सितंबर, 2022 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हुए 14 फरवरी, 2023 को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया था।

VI.19 ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय विवरणियों और प्रकटीकरण की प्रस्तुति पर दिशानिर्देश 20 फरवरी, 2023 को जारी किए गए थे।

VI.20 बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के नए प्रावधानों और उस पर यूसीबी के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से उत्पन्न मुद्दों जैसे प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम/निजी नियोजन और यूसीबी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करना तथा निवेशक संरक्षण और शिकायत निवारण के सहवर्ती विषयों पर विचार करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्य दल का गठन किया गया है। कार्य दल ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन/व्यावहारिक पहलुओं पर क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता सहित कई बैठकें की हैं।

VI.21 'परिचालनगत जोखिम प्रबंधन और परिचालनगत सुदृढ़ता' शीर्षक वाले मसौदा दिशानिर्देश नोट को उचित समय पर जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

VI.22 विभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उन्हें जारी किए हैं: (क) 21 अप्रैल, 2022 को मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण निदेश, 2022, जारी किया गया; (ख) शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा (19 जुलाई, 2022) जारी किए जाने के बाद आवास ऋण सीमाओं, निवल मूल्य और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) अपेक्षाओं, विनियामकीय प्रयोजनों के लिए यूसीबी का वर्गीकरण और यूसीबी को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और बेहतर प्रबंधन (एफएसडब्ल्यूएम) हेतु वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड संबंधी परिपत्र जारी किए गए थे। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की कतिपय अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की समीक्षा प्रगति पर है- (क) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं को विवेकपूर्ण ढांचे के अनुरूप बनाकर उनकी पुनर्संरचना; (ग) शहरी सहकारी बैंकों के लिए निवेश दिशा-निर्देश और वित्तीय विवरण प्रारूप; (घ) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा दिशानिर्देश (ड) निष्क्रिय खातों पर दिशानिर्देश और सभी बैंकों में अदावी जमाराशियों की केन्द्रीकृत खोज के लिए एक वेब पोर्टल का विकास; (च) अग्रिमों पर ब्याज दर के लिए रूपरेखा; (छ) निर्यात ऋण के लिए रूपरेखा; (ज) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; और (झ) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा।

प्रमुख उपलब्धियां

जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर सर्वेक्षण

VI.23 27 जुलाई, 2022 को जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर जनवरी 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए थे। सर्वेक्षण में भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 16 निजी क्षेत्र के बैंकों और छह विदेशी बैंकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों

³ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री जे. के. दास, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई), की रिपोर्ट 18 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।

के प्रबंधन में प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना

VI.24 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर समिति की सिफारिशों के आधार पर, 7 अप्रैल, 2022 को सभी एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसमें डिजिटल बैंकिंग, डीबीयू, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और डिजिटल बैंकिंग उप क्षेत्र की परिभाषाएं शामिल हैं तथा डीबीयू के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे और संसाधनों एवं डीबीयू द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया गया है। डीबीयू ग्राहकों को डिजिटल मोड/चैनल अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

जीआईएफटी-आईएफएससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं के लिए विनियामकीय ढांचा - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) आईएफएससी लिमिटेड के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्य करना

VI.25 रिजर्व बैंक ने आईआईबीएक्स पर समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) [जीआईएफटी-आईएफएससी] में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए विनियामकीय ढांचा निर्धारित किया है। ये अनुदेश घरेलू एससीबी (भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों सहित) पर लागू होते हैं जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं और जिनकी जीआईएफटी-आईएफएससी में एक शाखा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड में छूट

VI.26 आरआरबी को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा प्रदान करने की अनुमति है, जिसमें केवल

या तो दृश्य अधिकार या रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन के पश्चात लेनदेन और दृश्य अधिकार दोनों हैं। लेन-देन सुविधा के साथ आईएनबी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाले आरआरबी के कम अनुपात को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय मानदंडों में विभिन्न छूट प्रदान करते हुए अनुदेशों को संशोधित किया गया है।

रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपडेट - प्रस्तुति और प्रकटीकरण निर्देश, 2021

VI.27 बैंक के तुलन पत्र के आधार पर रिजर्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग: तुलन पत्र में रिवर्स रेपो की प्रस्तुति पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 की मद (ii) 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' की उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

VI.28 आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण: सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरण का प्रकटन करने के लिए सीमाएं निम्नानुसार संशोधित की गई हैं: (i) अतिरिक्त सकल एनपीए के लिए यदि यह संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक है; और (ii) एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान के लिए यदि यह संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ का पांच प्रतिशत है। इसके अलावा, विचलन के लिए यूसीबी के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं को 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष और उसके बाद के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए भी लागू किया गया है।

VI.29 प्रमुख मदों का प्रकटीकरण: अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक अपने लेखा नोट में ऐसी सभी मदों के विवरणों का प्रकटन भी करेंगे जहां अनुसूची 5 (IV) - अन्य देयताएं और प्रावधान - 'अन्य (प्रावधानों सहित)' या अनुसूची 11 (VI) - अन्य आस्तियां - 'अन्य' के अंतर्गत मान कुल आस्ति

के एक प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, भुगतान बैंकों को अपने लेखा नोट में ऐसी सभी मदों के विवरण का भी प्रकटन करना होगा, जहां अनुसूची 14 (I) - अन्य आय - 'कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज' कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग की समीक्षा

VI.30 कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, बैंकों को 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से एचटीएम श्रेणी में एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को एचटीएम के तहत 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2024 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को एनडीटीएल की 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई समग्र सीमा के भीतर शामिल करने की अनुमति दी गई है।

अर्हताप्राप्त वित्तीय करारों का द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण – विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन

VI.31 आरई को अर्हताप्राप्त वित्तीय संविदाओं (ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी और रेपो संविदाओं) के लिए द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण ढांचे के अंतर्गत निवल आधार पर प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम की गणना करने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्त संदर्भों के आधार पर, यह स्पष्ट किया गया था कि (i) विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) संविदाओं के लिए छूट, जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, को प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के बदले पूंजी आवश्यकताओं से अब से केवल आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और सहकारी बैंकों पर लागू होगी, जहां बैंक ने द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण ढांचे को नहीं अपनाया है; (ii) बेचे गए विकल्पों को छूट दी जा सकती है बशर्ते वे निवल राशि निर्धारण और मार्जिन करारों से बाहर हों; (iii) ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) विक्रेता द्वारा अपने क्रेता को दिए जाने वाले निवेश को प्रीमियम अवैतनिक राशि पर सीमित किया जा सकता है

बशर्ते सीडीएस विधिक निवल राशि निर्धारण मार्जिन करारों से बाहर हो।

भारतीय रिजर्व बैंक आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) निदेश, 2022

VI.32 इस विषय पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और संशोधनों/स्पष्टीकरणों सहित इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों (अक्तूबर, 1999 से) को निदेशों में समेकित किया गया। अनुपालन बोझ को स्पष्टता प्रदान करने/कम करने के लिए किए गए कुछ प्रमुख परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ संस्थाओं के लिए यूएफसीई से फैक्ट्रिंग लेनदेन को बाहर करना; और बैंकिंग प्रणाली से कुल एक्सपोजर के आधार पर छोटी संस्थाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) करना शामिल है। ऐसी छोटी इकाइयों के लिए, बैंकों को समय-समय पर हेजिंग जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन निर्देशों की पृष्ठभूमि प्रदान करने वाला एक व्याख्यात्मक नोट भी जारी किया गया था।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56

VI.33 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम की संशोधित धारा 17 ने रिजर्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) - बिना किसी संपार्श्विक के चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन शुरू करने का अधिकार दिया। यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएफ के तहत रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा शेष राशि एक अर्हताप्राप्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) आस्ति है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/एसएलआर बनाए रखने से छुट- विदेशी मुद्रा अनिवासी [(एफसीएनआर (बी))/अनिवासी बाह्य (एनआरई)] मीयादी जमा - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24

VI.34 6 जुलाई, 2022 को घोषित विदेशी मुद्रा बाजार उपायों के एक भाग के रूप में, बैंकों को सूचना दी गई थी कि 30 जुलाई,

2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से, 4 नवंबर, 2022 तक बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई, 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमा और एनआरई सावधि जमा को सीआरआर और एसएलआर के बनाए रखने से छूट दी जाएगी। आरक्षित राशि बनाए रखने पर छूट मूल जमा राशि के लिए तब तक उपलब्ध होगी जब तक कि उक्त जमाराशि बैंक खातों में जमा नहीं हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 2022 की तुलना में 4 नवंबर, 2022 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाई गई एफसीएनआर (बी) और एनआरई मीयादी जमाओं में प्रतिशत में (लगभग 2 प्रतिशत) मामूली निवल वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, एफसीएनआर (बी) जमाओं पर लागू ब्याज दर की सीमा को बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध को भी अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। उपरोक्त रियायतें 7 जुलाई, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक प्रभावी थीं।

बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि ढांचे पर चर्चा पत्र जारी

VI.35 30 सितंबर, 2022 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 16 जनवरी, 2023 को बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्रस्तावित दृष्टिकोण में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, विनियामकीय बैकस्टॉप द्वारा समर्थित सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देश तैयार करना है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत बैंकों के लिए मुख्य आवश्यकता यह होगी कि वे प्रारंभिक निर्धारण के समय और साथ ही बाद की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन किए गए ऋण हानि के आधार पर, वित्तीय आस्तियों को तीन

श्रेणियों - चरण 1, चरण 2, और चरण 3, में से एक में वर्गीकृत करें और आवश्यक प्रावधान करें। इसके अलावा, आरआरबी और छोटे सहकारी बैंकों (टिप्पणियों के आधार पर तय की जाने वाली सीमा) को उपरोक्त ढांचे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

बोर्ड पर परिपत्र अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी

VI.36 यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूसीबी की ऋण नीतियों में व्यापक कवरेज है, मौजूदा विनियमों के अनुरूप है और उनकी अनुमोदित आंतरिक जोखिम क्षमता को दर्शाता है, यूसीबी को सूचित किया गया⁴ कि बैंक की ऋण नीति की समीक्षा उनके बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का वर्गीकरण

VI.37 यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, रिजर्व बैंक) की सिफारिशों के आधार पर, यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामक विधि के साथ उनके जमा आकार के आधार पर यूसीबी के वर्गीकरण के साथ 4-स्तरीय नियामक ढांचे को अपनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 19 जुलाई, 2022 को जारी यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत यूसीबी को विनियामकीय उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार लेयर्स में वर्गीकृत किया गया है: (क) टियर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतन भोगियों के यूसीबी (जमा आकार से परे) और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपये तक जमा है; (ख) टियर 2 - 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि वाले यूसीबी; (ग) टियर 3- यूसीबी जिनकी जमा राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक है; और (घ) टियर 4 - 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले यूसीबी।

⁴ 'बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी' पर अधिसूचना 26 जुलाई 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।

व्यक्तिगत आवास ऋण - यूसीबी और आरसीबी के लिए सीमा में वृद्धि

VI.38 आवास की कीमतों में वृद्धि और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) अर्थात् राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा स्वीकृत आवास ऋणों की सीमा बढ़ा दी गई थी।⁵ 100 करोड़ रुपये से कम अनुमानित निवल मालियत वाले आरसीबी के लिए प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये (पहले 20 लाख रुपये) और अन्य आरसीबी के लिए ₹ 75 लाख (पहले ₹ 30 लाख) कर दिया गया था। टियर I और टियर II में यूसीबी के लिए सीमा को लागू विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा के अंतर्गत क्रमशः ₹ 60 लाख (पहले ₹ 30 लाख) और ₹ 140 लाख (पहले ₹ 70 लाख) प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता रखी गई। यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार, यूसीबी के वर्गीकरण के लिए एक चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचा अपनाया गया था, जिसे 1 दिसंबर, 2022 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यूसीबी द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत आवास ऋण की सीमा को टियर -1 यूसीबी के लिए 60 लाख रुपये और टियर 2 से 4 में वर्गीकृत यूसीबी के लिए 140 लाख रुपये के रूप में पुनर्वर्गीकृत⁶ किया गया था।

ग्रामीण सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) को वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच) के लिए ऋण देने की अनुमति

VI.39 ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीसीबी) अर्थात् एसटीसीबी और डीसीसीबी को वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) का वित्तपोषण करने की अनुमति नहीं थी। तथापि,

किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए, आरसीबी को आवधिक निष्पादन निगरानी के साथ अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के अनुसार अपनी कुल आस्तियों के पांच प्रतिशत की मौजूदा सकल आवास वित्त सीमा के भीतर सीआरई-आरएच क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।⁷

आवास वित्त पर परिपत्र - मरम्मत / परिवर्धन / परिवर्तन के लिए ऋण - यूसीबी के लिए सीमा में वृद्धि

VI.40 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए दिए गए ऋणों की अधिकतम सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अनुरूप महानगरीय केंद्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्रों) में 10 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 6 लाख रुपये तक संशोधित किया गया था।⁸

ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन

VI.41 रिजर्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के माध्यम से पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन पर आरसीबी के लिए लागू अनुदेशों की समीक्षा की गई थी ताकि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों में पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए शर्तों के साथ-साथ आरसीबी के लिए शेयर पूंजी की निकासी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन्हें अधिमान शेयर जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति भी दी गई है।

⁵ 8 जून 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर यूसीबी के लिए एक परिपत्र 'व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि और आरसीबी के लिए एक परिपत्र' 'व्यक्तिगत आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋण की सीमा में वृद्धि - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच) के लिए ऋण' जारी किये गए थे।

⁶ 'व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय नियामक ढांचे के तहत संशोधित सीमा' पर परिपत्र 30 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

⁷ रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 8 जून 2022 को 'व्यक्तिगत आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋण की सीमा में वृद्धि - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच)' पर परिपत्र जारी किया गया था।

⁸ 24 मई 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 'आवास वित्त - मरम्मत/ परिवर्धन / परिवर्तन के लिए ऋण - सीमाओं में वृद्धि' पर परिपत्र जारी किया गया था।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता

VI.42 1 दिसंबर, 2022 को “शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता” पर एक परिपत्र जारी किया गया था। इसमें दर्शाए अनुसार, एक जिले में कार्यरत टियर-1 यूसीबी के लिए 2 करोड़ रुपये और अन्य सभी यूसीबी के लिए 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत निर्धारित की गई है। इसके अलावा टियर-1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता को 9 प्रतिशत के वर्तमान सीमा पर बरकरार रखा गया है, जबकि टियर -2 से 4 यूसीबी के लिए, सीआरएआर आवश्यकता को संशोधित कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित निवल मालियत और/या सीआरएआर आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले यूसीबी को एक मध्यवर्ती लक्ष्य की शर्त के साथ एक उपयुक्त ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को अब नियमों और शर्तों के अधीन टियर -1 पूंजी के रूप में गणना करने की अनुमति दी गई है।

पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 – अंतर बैंक एक्सपोजर और स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) और इक्विटी वारंट के मूल्यांकन पर प्रावधान

VI.43 पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के परिणामस्वरूप स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) और इक्विटी वारंट में यूसीबी के निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया। तदनुसार, यूसीबी को दो वित्तीय वर्षों में समान रूप से परिणामी प्रावधानों को विस्तारित की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, पीएनसीपीएस में निवेश और इक्विटी वारंट को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी गई थी।

यूसीबी द्वारा बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं

VI.44 आरई में विनियामकीय ढांचे के सामंजस्य को प्राप्त करने और ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं की

सुविधा प्रदान करने के लिए, ‘वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम)’ मानदंडों को पूरा करने वाले यूसीबी को 8 जून, 2022 को जारी परिपत्र के माध्यम से रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने ग्राहकों को बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। तथापि, गैर-एफएसडब्ल्यूएम यूसीबी को बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

डीसीसीबी द्वारा नए स्थान पर व्यापार आरंभ करना

VI.45 29 सितंबर, 2020 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के अनुसरण में, डीसीसीबी को रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही नए स्थान पर व्यवसाय करने, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति है। तदनुसार, 11 अगस्त, 2022 को नए स्थान पर व्यापार आरंभ करने या एटीएम की स्थापना के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें डीसीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। मानदंडों को पूरा करने वाले डीसीसीबी को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नए स्थान पर व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति है। डीसीसीबी को मानदंडों को पूरा करने के अधीन रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति के बिना ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम स्थापित करने की भी अनुमति है, जिसकी सूचना ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम के प्रचालन के तुरंत बाद रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए।

वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में यूसीबी के वर्गीकरण के लिए मानदंडों की समीक्षा

VI.46 विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी के लिए जारी संशोधित विनियामकीय ढांचे के अनुसरण में, 1 दिसंबर, 2022 को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में यूसीबी के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंडों पर एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ संदर्भ तिथि को उनके द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम सीआरएआर की तुलना में एक प्रतिशत अधिक सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा, यूसीबी

को अब आकलित वित्तीय और रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट या लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, जो भी नवीनतम हो, के निष्कर्षों के आधार पर इस संशोधित एफएसडब्ल्यूएम मानदंड के आधार पर स्वयं को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्केल-आधारित विनियमन

VI.47 एनबीएफसी के लिए एक एकीकृत और स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचा 22 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में वर्गीकृत एनबीएफसी को अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर -1 (सीईटी -1) पूंजी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इस ढांचा के प्रावधानों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी एनबीएफसी-यूएल (मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर) पर लागू सीईटी -1 पूंजी के घटकों के साथ-साथ विनियामकीय समायोजन पर विस्तृत अनुदेश प्रदान करने वाले दिशानिर्देश 19 अप्रैल, 2022 को जारी किए गए थे।

अपर लेयर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की पहचान

VI.48 वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आकार, जटिलता और अंतर्संबंधों के दृष्टिकोण से एनबीएफसी के विकास को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में एनबीएफसी के लिए एक स्केल-आधारित विनियमन लागू किया था ताकि एनबीएफसी के लिए नियमों को उनके बदलते जोखिम प्रोफाइल के साथ संरेखित किया जा सके। यह ढांचा एनबीएफसी को बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और कहता है कि अपर लेयर में वे एनबीएफसी शामिल होंगे जिन्हें विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा ढांचे में निर्धारित मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर

पहचाना जाता है और परिकल्पना की गई है कि उनके आस्तित्व आकार के अनुसार शीर्ष दस एनबीएफसी हमेशा अपर लेयर में रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए, एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पहचाने गए 16 एनबीएफसी-यूएल की एक सूची 30 सितंबर, 2022 को जारी की गई थी।

स्केल-आधारित विनियमन के तहत मिडिल लेयर के किसी एक समूह-वर्गीकरण में एकाधिक एनबीएफसी पर परिपत्र

VI.49 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर मास्टर निदेश में निहित अनुदेशों के अनुसार, यदि एक ही समूह के भीतर सभी एनबीएफसी का समेकित आस्तित्व आकार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक था, तो समूह में जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत किया गया था, भले ही उनकी व्यक्तिगत आस्तित्व का आकार कुछ भी हो। इसी आधार पर स्केल-आधारित विनियामकीय (एसबीआर) ढांचे (1 अक्टूबर, 2022 से लागू) के तहत, यह सूचित⁹ किया गया था कि 'समूह' में सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों को मिडिल लेयर में एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए समेकित किया जाएगा। एसबीआर ढांचे के अनुसार यह सीमा वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)

VI.50 अपर लेयर में एनबीएफसी के लिए वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) को एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था।¹⁰ एनबीएफसी-यूएल के लिए निर्धारित एलईएफ का सारांश सारणी VI.1 में दिया गया है।

⁹ 'एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण' पर परिपत्र 11 अक्टूबर 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

¹⁰ 19 अप्रैल 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बड़े एक्सपोजर ढांचे - अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)' पर परिपत्र जारी किया गया था।

सारणी VI.1 एनबीएफसी के लिए बड़ा एक्सपोजर ढांचा - अपर लेयर

निम्नलिखित को सभी एक्सपोजर मूल्य का योग	अर्हताप्राप्त पूंजी आधार के प्रतिशत के रूप में बड़ी एक्सपोजर सीमा	
	अवसंरचना वित्त कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी	अवसंरचना वित्त कंपनियां
1	2	3
एकल प्रतिपक्षकार	<ul style="list-style-type: none"> 20 प्रतिशत। बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5 प्रतिशत। अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए निवेश पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत (एकल प्रतिपक्षकार सीमा किसी भी मामले में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)। 	<ul style="list-style-type: none"> 25 प्रतिशत। बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5 प्रतिशत।
संबंधित प्रतिपक्षकार का समूह	<ul style="list-style-type: none"> 25 प्रतिशत। अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए एक्सपोजर पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत। 	<ul style="list-style-type: none"> 35 प्रतिशत।

स्रोत: आरबीआई।

ऋण और अग्रिम से संबंधित अनुदेश - विनियामकीय प्रतिबंध - एनबीएफसी

VI.51 मिडिल और अपर लेयरों के एनबीएफसी के अभिशासन में सुधार हेतु अनुदेश जारी किए गए थे¹¹ जिसमें निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबद्ध संस्थाओं को ₹5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण स्वीकृत करने के लिए एनबीएफसी के बोर्ड/ निदेशकों की समिति को अधिकृत किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए ऋणों की सूचना बोर्ड को देनी होती है। बेस लेयर के एनबीएफसी के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि उनके पास इस तरह के ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए ऋण के संबंध में, मिडिल और अपर लेयरों के एनबीएफसी के नियमों को बैंकों पर लागू नियमों के अनुरूप बनाया गया है और यह अधिदेशित किया गया है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/ स्थानीय सरकार/ अन्य सांविधिक

प्राधिकरण से, जहाँ भी आवश्यक हो, यथा-आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त कर ली है।

एनबीएफसी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक से संबंधित दिशानिर्देश, दिनांक 29 अप्रैल 2022

VI.52 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक ने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना आवश्यक है, जो पारिश्रमिक नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करते हैं कि निश्चित और परिवर्तनशील वेतन वाले पारिश्रमिक पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में आस्थगन व्यवस्था हो और आस्थगन वेतन मैलस/ क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन हो।

एनबीएफसी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का स्वैच्छिक अभ्यर्पण

VI.53 एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सीओआर के स्वैच्छिक निरसन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, स्वेच्छा से सीओआर अभ्यर्पित करने को इच्छुक एनबीएफसी/ एचएफसी के बीच जानकारी के प्रसार हेतु, 1 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक प्रेस प्रकाशनी (आवेदन पत्र और मूल दस्तावेजों की जाँच-सूची सहित) जारी की गई थी। संबंधित एनबीएफसी अब, विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र और स्वैच्छिक निरसन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ, रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिसके अधिकार-क्षेत्र में वे पंजीकृत हैं जबकि, एचएफसी अपने आवेदन को दस्तावेजों के

¹¹ 19 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 'ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - एनबीएफसी' पर पहला परिपत्र जारी किया गया।

साथ राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण - एनबीएफसी के खातों पर टिप्पणियां

VI.54 एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन ढांचे की शुरुआत के बाद, एक्सपोजर (पूंजी बाजार, क्षेत्रीय और स्थावर संपदा), संबंधित पार्टि लेनदेन, शिकायतों, आरित वर्गीकरण में विचलन और प्रावधानीकरण, कॉरपोरेट अभिशासन, आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष एनबीएफसी लेयरों के लिए विशिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, एनबीएफसी के बेस लेयरों पर लागू होने वाली प्रकटीकरण अपेक्षाएँ अपर लेयरों वाली एनबीएफसी पर भी लागू होंगी।

डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश

VI.55 तीसरे पक्षों का अनियंत्रित नियोजन, कपटपूर्ण बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यापार आचरण, अत्यधिक ब्याज-दरों पर वसूली, और अनैतिक वसूली प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए 2 सितंबर 2022 को 'डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश' जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि ऋण देने का व्यवसाय केवल उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो या तो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हैं या जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच केवल उनके बैंक खातों के माध्यम से - बिना किसी तीसरे पक्ष के पास-श्रु खाते/ पूल खाते के - धन-प्रवाह को अनिवार्य कर, ऋण देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना; (ii) यह सुनिश्चित करना कि ऋण सेवा प्रदाता सीधे ग्राहक से कोई शुल्क/ प्रभार नहीं वसूले; (iii) उधारकर्ता के समक्ष, सर्व-समावेशी लागत सहित उधार व्यवस्था के प्रमुख तथ्यों का पारदर्शी प्रकटीकरण;

(iv) स्पष्ट ग्राहक सहमति द्वारा समर्थित ऑडिट ट्रेल्स के साथ डेटा का जरूरत-आधारित संग्रह सुनिश्चित करना; और (v) ग्राहक डेटा के संबंध में उचित गोपनीयता नीति लागू करना, है।

एनबीएफसी और यूसीबी के उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) से संबंधित दिशानिर्देशों का विस्तार

VI.56 एलईआई दिशानिर्देश यूसीबी और एनबीएफसी तक विस्तारित¹² किए गए थे। इसके अलावा, वह सीमा, जिसके ऊपर सभी गैर-व्यक्ति उधारकर्ताओं को एलईआई प्राप्त करने की आवश्यकता थी, को ₹50 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सभी गैर-व्यक्ति उधारकर्ताओं, जिनका कुल जोखिम ₹5 करोड़ और उससे अधिक है, को अब चरणबद्ध तरीके से एलईआई प्राप्त करना अनिवार्य है।

बैंकों द्वारा चालू खाते और नकदी ऋण (सीसी)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोला जाना - विषय पर समेकित परिपत्र जारी करना

VI.57 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन लागू करने और उधारदाताओं को बेहतर निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6 अगस्त 2020 को 'बैंकों द्वारा चालू खाते खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर बाद में, 2 नवंबर 2020; 14 दिसंबर 2020; 4 अगस्त 2021 और 29 अक्टूबर 2021 को परिपत्र जारी किए गए। अनुदेशों में स्पष्टता लाने और सभी अनुदेशों को एक स्थान पर रखने हेतु, सभी मौजूदा अनुदेशों को समेकित करते हुए इस विषय पर एक स्वतःपूर्ण परिपत्र जारी किया गया था¹³।

¹² 21 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 'उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई)' पर अधिसूचना जारी की गई।

¹³ बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने पर समेकित परिपत्र रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 19 अप्रैल 2022 को जारी किया गया।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में कुल हिस्से की सीमा की समीक्षा

VI.58 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमेय ड्रॉडाउन को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के कारण, बैंकों को, अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षा के भीतर, स्तर-1 उच्च गुणवत्ता वाले चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को, उनके एनडीटीएल के मौजूदा 15 प्रतिशत की सीमा से 16 प्रतिशत तक, के रूप में आकलित करने की अनुमति दी गई थी ताकि एनडीटीएल का 18 प्रतिशत (2 प्रतिशत एमएसएफ और 16 प्रतिशत एफएलएलसीआर) की एलसीआर अपेक्षा को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए हिस्से को, न्यूनतम एसएलआर से बाहर बनाए रखा जा सके।

एलसीआर के लिए स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की एकदिवसीय जमाराशि का रखरखाव

VI.59 एसडीएफ को अप्रैल 2022 में चालू किया गया था, जिसके अनुसार पात्र प्रतिभागी रिजर्व बैंक में एकदिवसीय आधार पर जमाराशि रख सकते हैं और इस तरह की शेष जमाराशि को एसएलआर की गणना के लिए पात्र आस्ति के रूप में विचार किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया था कि एसडीएफ के तहत रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा धारित ओवरनाइट जमाराशि राशि एलसीआर की गणना के लिए एचक्यूएलए स्तर-1 के रूप में पात्र होगी।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली एजेंटों को नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं (आरई) की जिम्मेदारियां

VI.60 रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा नियोजित वसूली एजेंटों (आरए) से संबंधित मुद्दों का समाधान करता रहा है। आरए द्वारा अपनाई जाने वाली अस्वीकार्य प्रथाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने आरई को अतिरिक्त निर्देश जारी किए। इसके अलावा, और अधिक विनियमित संस्थाओं

को कवर करने के लिए दिशानिर्देशों का दायरा बढ़ाया गया और अतिदेय ऋण की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को कॉल करने के अनुमत घंटे निर्धारित किए (8:00 बजे पूर्वाह्न से पहले और 7:00 बजे अपराह्न के बाद नहीं)। विनियमित संस्थाओं को यह भी सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे या उनके वसूली एजेंट अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें, जिसमें, कर्जदारों के परिवार के सदस्य, रेफरी और दोस्त को सार्वजनिक रूप से अपमानित या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप के इरादे से उत्पन्न कार्य, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, शामिल हैं। इन अनुदेशों को सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों को छोड़कर), एआईएफआई, एनबीएफसी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी और एआरसी पर लागू किया गया था। हालांकि, ये अनुदेश 14 मार्च 2022 को जारी 'मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋण के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' के तहत शामिल सूक्ष्मवित्त ऋण पर लागू नहीं हैं।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

VI.61 वित्तीय प्रणाली में अच्छी-खासी अनर्जक आस्तियों के संचय (एनपीए) और एआरसी के कार्य-निष्पादन से संबंधित चिंताओं की पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचा की समीक्षा और उसकी प्रभाविता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश के लिए एक बाहरी समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों और हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर, 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र के माध्यम से एआरसी के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई है। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य एआरसी क्षेत्र में संरचनात्मक मुद्दों को ठीक कर दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अधिक सार्थक भूमिका निभाने में एआरसी को सक्षम बनाना है। एआरसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे में शुरू किए गए उपाय मोटे तौर

पर निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित हैं: (i) एआरसी के लिए एक व्यापक कॉरपोरेट अभिशासन ढांचा शुरू करना और इस प्रकार उनकी विवेकपूर्ण कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना, (ii) एआरसी की पारदर्शिता बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना, (iii) एआरसी के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को मजबूत करना, इस प्रकार उनकी वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार करना, और (iv) उपयुक्त विनियामक सक्षमता के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका में वृद्धि लाना।

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) द्वारा गतिविधियों का विविधीकरण

VI.62 प्राथमिक व्यापारियों के रूप में काम कर रहे बैंकों के बराबर बाजार निर्माताओं के रूप में एसपीडी की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से, एसपीडी को दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के अनुदेशों के माध्यम से वे सभी विदेशी मुद्रा बाजार-व्यवस्था सुविधाएं प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है जैसा वर्तमान में श्रेणी- I अधिकृत व्यापारियों को अनुमति प्राप्त है। इससे विदेशी मुद्रा ग्राहकों को उनके मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु उपलब्ध बाजार निर्माताओं में विविधता आएगी और बाजार में एसपीडी की व्यापक उपस्थिति से प्राथमिक व्यापारिक गतिविधियों की उनकी क्षमता बेहतर होगी।

खाता एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल करना

VI.63 एमएसएमई को नकदी प्रवाह-आधारित ऋण देने की सुविधा के लिए, 23 नवंबर 2022 को परिपत्र जारी कर जीएसटीएन को एए ढांचे के तहत एफआईपी के रूप में शामिल किया गया है। राजस्व विभाग, भारत सरकार, जीएसटीएन का विनियामक होगा। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए और दो जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर), फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, को वित्तीय जानकारी के रूप में शामिल किया गया है।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन के लिए संशोधित विनियामक ढांचा

VI.64 बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गीकृत सह-ब्रांडेड और प्री-पेड कार्ड के परिचालनों पर मास्टर परिपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2015, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गीकृत सह-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड पर अनुदेशों, को समेकित कर जारी किया गया। इन निदेशों को मास्टर निदेश : क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करना और कार्य-आचरण, के रूप में अद्यतन और जारी किया गया है। रिज़र्व बैंक ने उन क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे- अवांछित कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करना, बिलिंग के मुद्दे, क्रेडिट लेनदेन का समायोजन, नए कारक, सह-ब्रांडेड व्यवस्था और कपटपूर्ण बिक्री से संबंधित मुद्दे। इनमें से कई पहलुओं को शिकायतों, आरआईए प्रश्नों, मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक और उपभोक्ता निकाय अभ्यावेदन के सुझावों में रेखांकित किया जा रहा था।

विदेशी अधिकार-क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में भारतीय बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन – सांविधिक/ विनियामकीय मानदंडों का अनुपालन

VI.65 विदेशी अधिकार-क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में अपनी शाखाओं/ सहायक कंपनियों के माध्यम से, वित्तीय डेरिवेटिव में काम करने वाले - जिसमें संरचित डेरिवेटिव उत्पाद शामिल हैं - कार्यशील भारतीय बैंकों/ एआईएफआई के लिए एक ढांचा लागू किया गया है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - सीआरआर / एसएलआर के रखरखाव के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण

VI.66 किसी बैंक द्वारा प्रदत्त कोई संबद्ध ऋण के कारण, गारंटी लागू करने की स्थिति में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी

कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावों का लंबित समायोजन सीआरआर/ एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना हेतु 'देयता' के रूप में माना जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि गारंटियों को लागू करने से संबंधित दावों के संबंध में, एनसीजीटीसी से किसी बैंक को प्राप्त राशि और संबंधित अग्रिमों से उसका लंबित समायोजन, सीआरआर और एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना के उद्देश्य हेतु बाह्य देयता न माना जाए।

मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) निदेश, 2023

VI.67 26 नवंबर 2021 को एक प्रेस प्रकाशनी प्रकाशित की गई थी जिसमें, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से, 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, जहां आवश्यक हो) को - इस अधिसूचना के साथ कि अनुदेशों/ परिपत्रों/ मास्टर निदेशों/ अनुज्ञप्ति दिशानिर्देशों में परिणामी संशोधन यथासमय किए जाएँ - प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, 16 जनवरी 2023 को प्रमुख शेयरधारकों के लिए एक मास्टर निदेश (एमडी) और दिशानिर्देश (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग कंपनियों में शेयरधारिता और मतदान के अधिकार से संबंधित तीन मास्टर निदेशों (एमडी)¹⁴ को एकीकृत किया गया था। एमडी/ दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए बड़े बदलावों में शेयरधारकों के विभिन्न श्रेणियों द्वारा अनुमेय शेयरधारिता की सीमा में अद्यतन, प्रमोटर द्वारा शेयरों की भारिता के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शुरुआत, और एक बैंकिंग कंपनी के प्रमुख शेयरधारक की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र

VI.68 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (30 सितंबर 2022) के एक हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था। तदनुसार, 25 जनवरी 2023 को दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। यह चर्चा पत्र मोटे तौर पर ढांचे के नौ प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल करता है जिसमें आस्ति क्षेत्र, आस्ति पात्रता, न्यूनतम जोखिम प्रतिधारण, विशेष प्रयोजन इकाई और समाधान प्रबंधक के लिए विनियामक ढांचा और समाधान प्रबंधक की वित्त तक पहुंच, पूंजी उपचार, समुचित सावधानी, ऋण वृद्धि और मूल्यन शामिल हैं। मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचे के साथ संरचनात्मक रूप से संगति रखते हुए, यह अन्य क्षेत्रों में पेश किए गए समान ढांचे पर आधारित है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के अभिशासन, मापन और प्रबंधन पर परिपत्र

VI.69 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली, बैंकों की पूंजी और आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो बैंकों की बैंकिंग बही स्थितियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/ या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। तदनुसार, बीसीबीएस के संशोधित ढांचे के अनुरूप आईआरआरबीबी पर अंतिम दिशानिर्देश 17 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे ताकि बैंकों को, अपने एक्सपोजर को मापने, निगरानी करने और आईआरआरबीबी के समक्ष प्रकट

¹⁴ (i) दिनांक 19 नवंबर 2015 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों का अधिग्रहण या वोटिंग अधिकारों के लिए पूर्व अनुमोदन' पर एमडी; (ii) 21 अप्रैल 2016 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम और मूल्य निर्धारण' पर एमडी; और (iii) 12 मई 2016 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व' पर एमडी।

करने में सक्षम बनाया जा सके। कार्यान्वयन की तारीख नियत समय में तय की जाएगी।

बेसल III के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश

VI.70 बेसल III मानकों के साथ, बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों की अभिरूपता हेतु, बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश- बेसल III, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 17 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरणियाँ - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) - राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू

VI.71 मास्टर निदेश (एमडी) पहले सभी वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू था, जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग क्षेत्र के वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण संबंधी निर्देशों को सुसंगत बनाया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से, एमडी को यथोचित परिवर्तनों सहित राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए अद्यतन किया गया। मास्टर निदेश की कुछ प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, जैसा कि उक्त निदेश के अनुबंध-III ए में कहा गया है, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होंगी।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का कार्यान्वयन

VI.72 अप्राप्त प्रबंधन शुल्क के निरंतर रिकॉगनीशन से संबंधित विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए, भले ही उक्त शुल्क 180 दिनों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं किया गया हो, इंड एस को लागू करने वाले एआरसी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए निवल स्वामित्व वाली निधियों और लाभांश के लिए उपलब्ध राशि से निम्नलिखित राशि को कम करेगा:

(ए) योजना अवधि के दौरान रिकॉगनाइज्ड प्रबंधन शुल्क जो योजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों से अधिक अप्राप्त रहता है, (बी) योजना अवधि की समाप्ति के बाद मान्यता प्राप्त प्रबंधन शुल्क जो इस तरह की रिकॉगनीशन के 180 दिन से अधिक दिन तक अप्राप्त रहता है, और (सी) कोई भी अप्राप्त प्रबंधन शुल्क, उस अवधि के बावजूद जिसके लिए यह अप्राप्त रहा है, जहां, जमानत प्राप्ति का निवल आस्ति मूल्य अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो गया है। एआरसी अपने लेखा टिप्पणी में निर्धारित प्रारूप में अप्राप्त प्रबंधन शुल्क के पुराने होने से संबंधित जानकारी भी प्रकट करेंगे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.73 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- क्रेडिट प्रबंधन में सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर निर्देशों की व्यापक समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) विनियमों की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता;
- यूसीबी के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- विनियमित संस्थाओं को 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर सुसंगत विनियम जारी करना (उत्कर्ष 2.0);
- उधारदाता संस्थाओं द्वारा जारी सभी गैर-निधि आधारित आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा गतिविधियों के संचालन पर नीति की समीक्षा;

- एजेंसी व्यवसाय और रेफरल सेवा पर विनियमन की समीक्षा;
- यूसीबी के परिचालन के क्षेत्र पर दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा;
- यूसीबी के विभिन्न विनियामकीय अनुमोदनों पर निर्देशों की समीक्षा; और
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर विनियामकीय पहला

फिनटेक विभाग

VI.74 दिनांक 4 जनवरी 2022 को स्थापित फिनटेक विभाग को, सचेत रहते हुए नवोन्मेष को बढ़ावा देकर फिनटेक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और समुचित फ्रेमवर्क के तहत फिनटेक परितंत्र से जुड़े जोखिमों को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

VI.75 विभाग ने 2022-23 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.76 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की चरणबद्ध शुरुआत [उत्कर्ष] (पैराग्राफ VI.77-VI.80);
- 'फिनटेक पर विज्ञान और कार्यनीतिक दस्तावेज़ (उत्कर्ष), और फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढांचा' द्वारा निर्धारित योजना का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VI.81);
- देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाना (पैराग्राफ VI.82); और
- रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के माध्यम से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना (पैराग्राफ VI.83)।

कार्यान्वयन की स्थिति

सीबीडीसी की चरणबद्ध शुरुआत

VI.77 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने सामान्य रूप से सीबीडीसी के बारे में और विशेष रूप से डिजिटल रुपये (e₹) की योजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीडीसी पर एक 'कॉन्सेप्ट नोट' जारी किया। इसमें भारत में सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों और लाभों के बारे में बताया गया। नोट में सीबीडीसी की शुरुआत के प्रति रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। इसके बाद, रिजर्व बैंक ने विशिष्ट उपयोग के लिए e₹ की प्रायोगिक परियोजना शुरू की।

VI.78 डिजिटल रुपया - थोक क्षेत्र (e₹-डब्ल्यू) में पहली प्रायोगिक परियोजना 1 नवंबर 2022 को शुरू हुई। इस परियोजना के लिए उपयोग की स्थिति सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान है। e₹-डब्ल्यू के उपयोग से अंतर-बैंक बाजार के और अधिक कुशल होने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक मुद्रा में निपटान, निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी बुनियादी ढांचे या संपार्श्विक की आवश्यकता को पूरा कर, लेनदेन लागत को कम करेगा। प्रायोगिक परियोजना में नौ बैंक (यथा- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी) भाग ले रहे हैं।

VI.79 खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-आर) के लिए पहली प्रायोगिक परियोजना 1 दिसंबर 2022 को घोषित की गई। e₹-आर डिजिटल मोड में विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसे लेनदेन करने के लिए रखा या इस्तेमाल किया जा सकता है- जिस तरह से करेंसी नोटों को भौतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परियोजना की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बंगलुरु और भुवनेश्वर में की गई, जिसमें क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में भाग

लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल थे। अहमदाबाद, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्ची, लखनऊ, पटना और शिमला सहित अन्य स्थानों को भी चरणों में प्रायोगिक परियोजना में जोड़ा जा रहा है। प्रायोगिक परियोजना, चार बैंकों (यथा- भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) के साथ शुरू हुआ, जबकि चार अन्य बैंकों (यथा- बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) बाद में शामिल हो गए। पांच और बैंक (यथा- पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक) इस परियोजना में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। आवश्यकतानुसार अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए परियोजना का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

VI.80 अब तक दोनों प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणाम संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहे हैं।

फिनटेक पर विजन और कार्यनीतिक दस्तावेज और फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढाँचा में निर्धारित योजना का कार्यान्वयन

VI.81 फिनटेक विजन दस्तावेज, जो इस विजन को प्राप्त करने हेतु रेखांकित ब्लूप्रिंट वाले कार्यनीति दस्तावेज द्वारा अनुपूरित हो, को तैयार करने के लिए फिनटेक विभाग के कार्यपालक निदेशक-प्रभारी की अध्यक्षता में एक कार्य-दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। कार्य-दल में विभिन्न आंतरिक विभागों के प्रतिनिधि, जैसे- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), फिनटेक विभाग, विनियमन विभाग (डीओआर), पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) और भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), के साथ-साथ फिनटेक उद्योग, एक कानूनी फर्म और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) शामिल हैं। डब्ल्यूजी फिनटेक परितंत्र के विभिन्न हितधारकों के

साथ काम कर रहा है जिसमें बैंक और फिनटेक/ बिगटेक शामिल हैं। यह कार्य-दल फिनटेक के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और यह भारत में फिनटेक परितंत्र के भविष्य के विकास के लिए एक दृष्टि और कार्यनीति की तैयारी कर रहा है।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना

VI.82 माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने (आज़ादी का अमृत महोत्सव) के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की घोषणा की थी। इन 75 डीबीयू को 16 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया है। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में 84 डीबीयू काम कर रहे हैं। हालांकि, बैंक विनियामकीय मार्गदर्शन और नीति के अनुसार डीबीयू स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीबीयू, ग्राहकों को कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और संपर्कित वातावरण में, स्व-सेवा के साथ-साथ सहायता मोड में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की सस्ती/सुविधाजनक पहुंच और उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। हालांकि, रिज़र्व बैंक ने 'डीबीयू की स्थापना' से संबंधित अपने परिपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022 के माध्यम से सभी डीबीयू में पेश किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं की न्यूनतम संख्या के संदर्भ में एक मानकीकरण निर्धारित किया है, फिर भी बैंकों को, निर्धारित न्यूनतम के अलावा, किसी भी डिजिटल उत्पाद और सेवा की पेशकश की स्वतंत्रता है। डीबीयू, प्रत्येक जिले में, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से संबंधित अन्य प्रासंगिक आईटी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। डीबीयू, जनता को सहज और कुशल तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध करा कर डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएँ

VI.83 वर्ष 2022-23 के दौरान, आरबीआईएच ने वित्तीय क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण नवीन परियोजनाएं शुरू की हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण के लिए रिजर्व बैंक के परामर्श से आरबीआईएच द्वारा परिकल्पित और विकसित एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना को मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में संचालित किया गया था (बॉक्स VI.2)। इसके अलावा, आरबीआईएच ने एक 'स्वनारी टेकस्प्रिंट' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवा परितंत्र भागीदारों को, अल्पसेवित, निम्न-और मध्यम-आय (एलएमआई) महिलाओं और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए स्मार्ट, रचनात्मक और टिकाऊ समाधान बनाने और उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप्स को अनुकूल वातावरण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, इसने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क; सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एसआईएनई), आईआईटी बॉम्बे

और सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), आईआईएम अहमदाबाद, के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख पहल

खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क

VI.84 खाता एग्रीगेटर (एए) परितंत्र में वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस फ्रेमवर्क में शामिल हो गए हैं और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (एफएसआर), जैसे- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अपने संबंधित विनियमित संस्थाओं को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में ढांचे में शामिल होने को कहा है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नकदी प्रवाह-आधारित ऋण देने की सुविधा के लिए, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को 'ए' ढांचे के तहत एफआईपी के रूप में शामिल किया गया है। राजस्व

बॉक्स VI.2

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के डिजिटलीकरण पर प्रायोगिक परियोजना

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत में किसानों के वित्तपोषण के प्रमुख तरीकों में से एक रही है। इस योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ – लंबी कार्य-पूर्णता अवधि (टर्न-अराउंड टाइम), कई शाखाओं में जाना, कागज-आधारित ऋण वितरण और अधिक लेनदेन लागत - हैं। ग्रामीण वित्त से जुड़ी इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत में कृषि वित्त के डिजिटलीकरण की परिकल्पना रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) द्वारा मिलकर की गई। इसका सोच, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का कागज मुक्त और कठिनाई रहित वितरण, निपटान समय (टर्न-अराउंड टाइम) को कम करना और बैंक शाखाओं में बार-बार जाने से बचाना है। यह परियोजना तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, कर्नाटक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) और तमिलनाडु (फेडरल बैंक और इंडियन बैंक के साथ) में किया जा रहा है। इस परियोजना ने किसानों को बिना किसी संपार्श्विक के ₹1.6 लाख तक के ऋणों के सफल वितरण को कुछ ही मिनटों में संभव किया। इन दोनों राज्यों के अन्य जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी प्रायोगिक परियोजना को बढ़ाया जा रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए विभिन्न राज्यों के डिजिटल भूमि अभिलेखों के साथ बैंकों की प्रणाली के तकनीकी एकीकरण की आवश्यक-

कता है। डिजिटल केसीसी में इन समस्याओं को हल करने से बैंकों को भूमि दस्तावेजों के सत्यापन, बैंकों के बिजनेस रूल इंजन (बीआरई) के साथ एकीकरण, वित्तीय पैमाने का आकलन, अनुमोदन, पेपर-आधारित केवाईसी, और ऋण आवेदकों के भौतिक हस्ताक्षरों को संसाधित करना, जैसी प्रक्रियाओं में शामिल मानवी हस्तक्षेप को समाप्त कर जरूरी दक्षता लाने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी बैंक के सहयोग से गुजरात में डेयरी किसानों को दुग्ध-उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर ऋण देने की प्रायोगिक (पायलट) परियोजना भी शुरू की गई है।

प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत विभिन्न परीक्षण सफल पाए गए हैं और इन परियोजनाओं के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त सबक का उपयोग, वित्त के लिए एक एकीकृत सार्वजनिक टेक प्लेटफॉर्म (आईपीटीपीएफ) के विकास के लिए किया जा रहा है, जो उधारदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान कर, निर्बाध ऋण प्रदान करने में सक्षम होगा।

स्रोत: आरबीआई

विभाग, भारत सरकार, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीएसटीएन का विनियामक होगा। नतीजतन, पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एए, एफआईपी और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) की संख्या में उच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है। परितंत्र में सहभागियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) और अन्य हितधारकों के परामर्श से, परितंत्र को और अधिक मजबूत बनाने, बढ़ते परितंत्र की तकनीकी समस्याओं को हल करने और उसके संवर्धन हेतु सुविचारित सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना रहा है।

विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) - कॉहोर्ट और अंतर-परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस)

VI.85 'सीमा-पार भुगतान' विषय पर आरएस के दूसरे समूह के तहत, आठ संस्थाओं ने उत्पादों की एक शृंखला का परीक्षण किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ब्लॉकचेन-आधारित सीमा-पार भुगतान प्रणाली, सीमा-पार भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण शामिल है। आठ उत्पादों में से चार परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर स्वीकार्य पाए गए। 'एमएसएमई लेंडिंग' थीम के साथ तीसरे कॉहोर्ट के तहत, शॉर्टलिस्ट की गई आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, एमएसएमई को डिजिटल ऋण देने के लिए सीधा प्रोसेसिंग, एमएसएमई के लिए तत्काल नकद-प्रवाह आधारित ऋण की हामीदारी हेतु मालिकाना व्यवसाय वित्त चर का उपयोग, एमएसएमई उधार में ब्लॉकचेन तकनीक का अभिनव उपयोग और एमएसएमई मुद्रा ऋण के लिए आरंभ से अंत (ऋण-वितरण) तक सीधी प्रक्रिया शामिल है। परीक्षण के परिणाम वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन हैं। एमएसएमई उधार पर इस कोहर्ट से नवोन्मेषों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण अभाव दूर करने में मदद कर सकता है। 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय के साथ चौथे कॉहोर्ट के तहत, छह संस्थाओं को परीक्षण के लिए चुना गया है और संस्थाओं ने फरवरी 2023

से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया है। संस्थाएं विभिन्न उत्पादों का परीक्षण कर रही हैं जिनमें जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण समाधान, आंतरिक और बाह्य दोनों डेटा का उपयोग कर क्रेडिट निगरानी और के धोखाधड़ी की पहचान के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली, कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित सीमित उपयोगकर्ता समूह मॉडल और स्लीप मोड में लॉगिन को लॉक करने के लिए फ्रॉड फिल्टर सिस्टम, शामिल हैं। इस कॉहोर्ट की परिकल्पना धोखाधड़ी की घटना को रोकने, धोखाधड़ी अभिशासन को मजबूत करने, धोखाधड़ी के प्रति प्रतिक्रिया समय को कम करने और वित्तीय धोखाधड़ी की घटना और उसकी पहचान के बीच के समय-अंतराल को कम करने के लिए की गई है। आरएस के तहत पांचवें कोहोर्ट को 'थीम न्यूट्रल' घोषित किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक के विनियामक डोमेन में विभिन्न प्रकार्यों वाले नवीन उत्पाद/ सेवाएं/ प्रौद्योगिकियां आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। आरएस के तहत 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा वर्तमान में 'खुदरा भुगतान' और 'सीमापार भुगतान' थीम के लिए खुली है। 'खुदरा भुगतान' के लिए ऑन-टैप एप्लिकेशन सुविधा के तहत परीक्षण चरण के लिए दो संस्थाओं का चयन किया गया है और उत्पादों का परीक्षण एक इकाई द्वारा शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरा, परीक्षण शुरू करने हेतु वाणिज्यिक बैंक/ बैंकों के साथ साझेदारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एक से अधिक वित्तीय विनियामकों, जैसे रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पीएफआरडीए, के विनियामकीय दायरे में आने वाले हाइब्रिड उत्पादों/ सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए, अंतर-परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), वित्तीय स्थिरता विकास परिषद-स्थायी समिति (एफएसडीसी-एससी) के तहत गठित फिनटेक पर अंतर-विनियामकीय तकनीकी समूह (फिनटेक पर आईआरटीजी) द्वारा तैयार और संचालित किया गया है। आईओआरएस ढांचे के तहत आवेदन प्राप्त होना शुरू हो गए हैं, जिन पर एसओपी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

हारबिंजर 2021

VI.86 रिजर्व बैंक ने 9 नवंबर, 2021 को अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हारबिंजर 2021 शुरू किया, जिसमें 'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स' की व्यापक थीम के तहत चार समस्याएँ थीं। हैकाथॉन में भारत के भीतर और यूएस, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ 363 टीमों की बहुत अच्छी भागीदारी देखी गई। समस्या विवरणियों के समाधान का अंतिम मूल्यांकन मई 2022 में आयोजित किया गया था जिसमें बाहरी विशेषज्ञों की एक निर्णायक-समिति ने नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, उपयोगकर्ता अनुभव, सुरक्षा और कार्यान्वयन में आसानी जैसे मापदंडों के आधार पर विजेताओं और उपविजेताओं का मूल्यांकन किया और उनका चयन किया। इन अभिनव उत्पादों से भुगतान परितंत्र को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे- वंचितों को शामिल करना और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकना। जहाँ, विनियामकीय सैंडबॉक्स की पहल रिजर्व बैंक के विनियामकीय परिवेश के भीतर भारतीय संस्थाओं द्वारा नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर केंद्रित है वहीं, आईओआरएस अपने दृष्टिकोण में अंतर-विनियामक है और वैश्विक हैकाथॉन 'हारबिंजर' विशिष्ट प्रकार की समस्या के समाधान हेतु वैश्विक नवोन्मेषक समुदाय की ओर अभिमुख है। रिजर्व बैंक के वैश्विक हैकाथॉन - 'हारबिंजर 2023' का दूसरा संस्करण भी 'समावेशी डिजिटल सेवा' विषय के साथ आरंभ किया गया है, जिसमें निम्नलिखित चार प्रकार की समस्याओं के लिए नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया है: दिव्यांग के लिए नवोन्मेषी, उपयोग में आसान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं; विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान; ऑफ़लाइन मोड में लेनदेन और प्रति सेकंड लेन-देन बढ़ाने (टीपीएस) / श्रूट सहित सीबीडीसी-खुदरा लेनदेन के लिए उपयोग के मामलों / समाधानों की खोज और ब्लॉकचेन की मापनीयता।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.87 2023-24 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीबीडीसी-खुदरा और सीबीडीसी-थोक दोनों में विभिन्न उपयोग के मामलों के साथ आगे के प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करना (उत्कर्ष 2.0);
- देश में फिनटेक परितंत्र के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त ढांचा विकसित करना (उत्कर्ष 2.0);
- वित्त के लिए एक खुला, अंतर-परिचालनीय एकीकृत सार्वजनिक तकनीकी मंच तैयार करना जो एकल एकीकृत सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य कर सके, जो सभी उधारदाताओं के लिए एक सहज तरीके से डेटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और बाधारहित ऋण वितरण को संभव बनाएगा;
- वैश्विक हैकाथॉन 'हारबिंजर' शृंखला का आयोजन;
- दक्षता लाने और उसके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए खाता एग्रीगेटर परितंत्र में सुधार लाना; और
- विनियमित संस्थाओं के लिए रेगटेक उपकरणों के विकास में सुविधा और उभरते हुए सुपटेक उपकरणों की पहचान और विचारों को मूर्त रूप देना। आरएस/ हैकाथॉन के तहत एक समूह में रेगटेक से संबंधित विषय शामिल होंगे (उत्कर्ष 2.0)।

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.88 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर], स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों, (एसएफबी), ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) [आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर]

और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.89 विभाग ने वर्ष के दौरान एससीबी, एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण दोनों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.90 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी डैशबोर्ड तैयार करना (उत्कर्ष) [अनुच्छेद VI.91];
- पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल की पूर्व-संकेतन शक्ति का आकलन करने हेतु बैंक-टेस्टिंग / एससीबी के लिए एक नया ईडब्ल्यूआई ढांचा तैयार करना (पैराग्राफ VI.92); और
- कमियों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रक्रिया लेखापरीक्षा आयोजित करना (पैराग्राफ VI.93)।

कार्यान्वयन की स्थिति

पर्यवेक्षी डैशबोर्ड

VI.91 रिज़र्व बैंक ने एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी सहित सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए बहुआयामी निगरानी डैशबोर्ड विकसित किया है। वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बने डैशबोर्ड को तिमाही आधार पर अपडेट किया जा रहा है।

पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल

VI.92 एक नया ईडब्ल्यूआई ढांचा विकसित किया गया है और इसका बैंक-टेस्ट किया गया है जो एससीबी के वित्तीय प्रदर्शन पर व्यापक परिदृश्य उपलब्ध कराता है। यह ईडब्ल्यूआई

ढांचा 18 महत्वपूर्ण अनुपातों के एक सेट में महत्वपूर्ण सीमाओं के उल्लंघन की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है।

प्रक्रिया लेखापरीक्षा

VI.93 एससीबी में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की प्रक्रिया लेखापरीक्षा करना एससीबी में आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों में देखी गई कमजोरियों के निवारण के लिए पर्यवेक्षण में अपनाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है।

अन्य पहल

अभिशासन और संचालन क्षेत्र को मजबूत करना

VI.94 पर्यवेक्षी चक्र 2022-23 के लिए, अभिशासन और संचालन के क्षेत्रों में प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान की गई। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन टेम्पलेट में अनुपालन संस्कृति और जोखिम संस्कृति को शामिल करते हुए संगठन में मानदंडों के आकलन में अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए मैट्रिक्स/ सब-मैट्रिक्स के साथ नए मानदंड पेश किए गए।

सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग

VI.95 सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग पर बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय छह भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज बनाए रखे। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज की बैठकें आयोजित कीं। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने अब तक विदेशी पर्यवेक्षकों/ विनियामकों के साथ 44 एमओयू, पर्यवेक्षी सहयोग के दो विनियम पत्र (ईओएल) और एक सहयोग वक्तव्य [स्टेटमेंट ऑफ़ कोऑपरेशन (एसओसी)] निष्पादित किए हैं। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी चिंताओं, और पर्यवेक्षण में कार्य-पद्धति और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ 17 बैठकें सम्पन्न कीं।

अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण

VI.96 अद्यतन पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के आधार पर समय-समय पर डेटा अपेक्षाओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, अप्रत्यक्ष विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण और ऐसी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने जो समकालीन पर्यवेक्षी वातावरण में प्रणाली की प्रासंगिकता को बनाए रखे, के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया गया था। समूह ने, सभी विवरणियों में डेटा मद के दोहराव, अनावश्यक विवरण और नए डेटा मद की आवश्यकता के संदर्भ में, एससीबी से संबंधित सभी विवरणियों की समीक्षा पूरी कर ली है, और विवरणियों में संशोधन की सलाह दी है। यह कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।

क्षत आस्तियों की शीघ्र पहचान

VI.97 आस्ति क्षति की शीघ्र और त्रुटि-मुक्त पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक एससीबी के साथ एनपीए की

सिस्टम चालित पहचान को कार्यान्वित करने में लगा हुआ है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक, कोविड-19 सहायता और राहत उपायों के हिस्से के रूप में शुरू किए गए पुनर्गठन ढांचे (आरएफ) के मद्देनजर प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानदंडों में परिवर्तन की भी निगरानी कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया एक अध्ययन सभी बैंक समूहों की बैंकिंग प्रणाली में बेहतर सुदृढ़ता की ओर इशारा करता है (बॉक्स VI.3)।

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.98 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों के आकलन से संकेत मिलता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों से सर्वाधिक धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई, वहीं 2022-23 के दौरान धोखाधड़ी राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा अधिकतम था (सारणी VI.2)। संख्या के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/ इंटरनेट) की श्रेणी में हुई

बॉक्स VI.3

बैंकों द्वारा पुनर्गठन के बाद आस्ति गुणवत्ता

कोविड-19 महामारी से उत्पादन गतिविधि बुरी तरह बाधित हुई, जिससे बैंक उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसकी प्रतिक्रिया में, विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंक, ऐसे उधारकर्ताओं के बचाव में आए - और कई सहयोगी उपायों/नीतियों की शुरुआत कर वित्तीय प्रणाली की रक्षा की, जैसे, ऋण अधिस्थगन की अनुमति, आस्ति गुणवत्ता शिथिलता, पुनर्गठन, अतिरिक्त वित्तपोषण और चलनिधि सहायता देना। भारत में, महामारी के कारण, रिज़र्व बैंक ने ऋण अदायगी आस्थगन, ऋण अधिस्थगन की घोषणा की और व्यक्तियों एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋण खातों के पुनर्गठन की अनुमति दी। साथ ही, बड़े कॉर्पोरेट खातों के लिए क्षेत्र विशेष की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पुनर्गठन योजना लागू की गई थी। महामारी के पुनर्संक्रमण से उत्पन्न व्यवधानों को समायोजित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कोविड-19 विनियामक पैकेज को कई चरणों में लागू किया गया था। कोविड-19 विनियामक पैकेज में योजनाओं की परिकल्पना स्पष्ट सावधि विधि-खंड (आरबीआई, 2022) के साथ आवश्यक सहयोग देने के लिए की गई थी। इसके अलावा, उनके पास कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड और सख्त रिपोर्टिंग ढांचा था। जहाँ, ऋण अधिस्थगन लॉकडाउन के संदर्भ में एक अस्थायी समाधान था, वहीं समाधान ढांचे से, कोविड संबंधी दबाव का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को टिकाऊ राहत मिलने की उम्मीद थी (दास, 2020)।

उपर्युक्त उपायों में यह सुनिश्चित किया गया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों द्वारा उठाया जाए और इसके परिणामस्वरूप जोखिम नहीं बढ़े। फलस्वरूप, विनियामक पैकेज ने महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और उद्यमों को सशक्त बनाया (पात्र, 2022)। इसके अलावा, महामारी के प्रभाव कम होने के कारण आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ गई। हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं कि सहयोगी नीतियों की वापसी के परिणामस्वरूप, पुनर्गठित आस्तियों या अधिस्थगन से बाहर आने वाली आस्तियों में चूक के रूप में समय के साथ अप्रत्यक्ष (छिपी हुई) दुर्बलताएँ सामने आ सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में, महामारी के बाद की अवधि के लिए भारतीय बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता की जांच की गई।

प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानकों में उतार-चढ़ाव, सभी बैंक समूहों की बैंकिंग प्रणाली में बेहतर सुदृढ़ता की ओर इशारा करता है (सारणी 1)। जहाँ, पुनर्गठित आस्तियों का हिस्सा दिसंबर 2019 और मार्च 2022 के बीच बढ़ा है, वहीं दिसंबर 2022 में कम हो गया है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान गिरावट अनुपात 4.4 प्रतिशत से गिरकर 2.0 प्रतिशत हो गया है। यह इंगित करता है कि कोविड-19 से संबद्ध विशिष्ट सहायता योजनाओं की समाप्ति के बावजूद आस्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है।

मार्च 2015 से दिसंबर 2022 तक की अवधि को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 43 बैंकों के डेटा के साथ एक मार्च (जारी)

सारणी 1 : प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानकों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च 2018	मार्च 2019	दिसंबर 2019	मार्च 2022	दिसंबर 2022
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	15.52	12.25	11.87	7.57	5.82
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	8.58	5.12	4.89	2.33	1.65
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	2.17	1.25	2.04	0.23	0.44
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित गिरावट अनुपात	0.96	0.56	0.63	2.25	1.74
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	9.57	4.5	4.67	2.54	1.56
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	16.33	12.74	12.42	9.65	7.46
निजी क्षेत्र के बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	4.01	4.81	5.5	3.73	2.67
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.97	1.89	1.75	0.96	0.66
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	1.02	0.67	1.14	0.19	0.31
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित गिरावट अनुपात	0.44	0.33	0.18	1.78	1.02
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	4.29	3.36	4.27	3.29	2.64
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	4.43	5.12	5.68	5.45	3.67
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	11.46	9.24	9.1	5.89	4.47
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	6.1	3.75	3.5	1.72	1.21
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	1.69	0.99	1.63	0.2	0.38
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित गिरावट अनुपात	0.74	0.45	0.43	2.0	1.40
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	7.58	3.96	4.36	2.86	2.01
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	12.12	9.65	9.49	7.77	5.81

स्रोत: डीबीआई और पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई

2015 से दिसंबर 2022 तक की अवधि को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 43 बैंक बैंकिंग क्षेत्र पर कोविड-19 से संबंधित नीतिगत उपायों के लाभकारी प्रभाव की पुष्टि करते हैं (सारणी 2)। मॉडल में उपयोग किए गए अर्थमितीय विनिर्देश में एक प्रतिगामी के रूप में जीएनपीए अनुपात शामिल है, क्योंकि जीएनपीए अनुपात दृढ़ता प्रदर्शित करता है, और मजबूत अनुमान प्राप्त करने के लिए एंडोजेनिटी मुद्दों के लिए जीएमएम का उपयोग करके बेहतर अनुमान प्रदान करता है।

सारणी 2: जीएमएम रिग्रेसन के परिणाम - आस्ति की गुणवत्ता महामारी से पहले और बाद में

(आश्रित चर: बैंक-स्तर जीएनपीए अनुपात)

व्यक्त चर	गुणक		
	मॉडल I	मॉडल II	मॉडल III
1	2	3	4
जीएनपीए अनुपात (एल 1)	0.908*** (0.009)	0.908*** (0.009)	0.854*** (0.006)
सीआरएआर (एल 2)			-0.151*** (0.010)
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (एल 3)	-0.048*** (0.001)	-0.048*** (0.001)	-0.041*** (0.001)
आईएनआर-यूएसडी विनिमय दर (डी 1)	0.056*** (0.004)	0.056*** (0.004)	0.089*** (0.003)
नए ऋणों पर वास्तविक डब्ल्यूएएलआर (एल 1)	0.014*** (0.003)	0.014*** (0.003)	
शहरी पुरुष बेरोजगारी दर (डी 1)	0.041*** (0.002)	0.041*** (0.002)	0.035*** (0.001)
आवास मूल्य सूचकांक में वृद्धि (एल 1)	-0.083*** (0.011)	-0.083*** (0.011)	-0.091*** (0.008)
मार्च 2020 के बाद के लिए डमी	-0.759*** (0.086)	-0.759*** (0.086)	-0.578*** (0.063)
स्थिरांक	1.747*** (0.093)	1.747*** (0.093)	4.580*** (0.207)
टिप्पणियाँ	612	612	612
बैंकों की संख्या	43	43	43
एआर (1), पी-वैल्यू	0.00863	0.00863	0.00737
एआर (1), पी-वैल्यू	0.403	0.403	0.921
हैनसन टेस्ट, पी-वैल्यू	1	1	1
सरगन टेस्ट, पी-वैल्यू	कम 0.01	कम 0.01	कम 0.01

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण स्तर दर्शाते हैं।

नोट: 1. एल और डी निर्दिष्ट क्षितिज में पैरामीटर के पिछड़े और अलग-अलग मूल्यों को दर्शाते हैं।

2. मार्च 2016 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए किया गया रिग्रेसन।

3. कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ दी गई हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

बैंकिंग क्षेत्र के दबाव में गिरावट, इंगित करती है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों को कम करने के लिए लागू की गई नीतियाँ दीर्घ आर्थिक दुष्प्रभाव (हिस्टैरिसिस) पैदा किए बिना वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में सफल रही हैं।

संदर्भ :

- शक्तिकान्त दास (2020), 'इट्स टाइम फॉर बैंक्स टु लुक डीपली विदिन: रीओरिएंटिंग बैंकिंग पोस्ट-कोविड', सिंगापुर, अनलॉक बीएफएसआई 2.0, बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ, 27 अगस्त।
- एमडी पात्र (2022), 'आरबीआई की महामारी प्रतिक्रिया: गुमनामी से बाहर निकलना', सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद, 28 जनवरी।
- रिज़र्व बैंक (2022), 'अर्थव्यवस्था की स्थिति', मासिक बुलेटिन जनवरी, LXXVI(12), 13-41।

सारणी VI.2 : धोखाधड़ी के मामले – बैंक समूह-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह / संस्था	2020-21		2021-22		2022-23	
	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2,888 (39.4)	77,879 (58.8)	3,075 (33.8)	40,015 (66.9)	3,405 (25.2)	21,125 (69.8)
निजी क्षेत्र के बैंक	3,705 (50.5)	45,515 (34.4)	5,332 (58.6)	17,387 (29.1)	8,932 (66.0)	8,727 (28.9)
विदेशी बैंक	519 (7.1)	3110 (2.4)	494 (5.5)	1,206 (2.0)	804 (5.9)	292 (1.0)
वित्तीय संस्थान	22 (0.3)	5853 (4.4)	9 (0.1)	1,178 (2.0)	9 (0.1)	70 (0.2)
लघु वित्त बैंक	114 (1.5)	30 -	155 (1.7)	30 -	312 (2.3)	31 (0.1)
भुगतान बैंक	88 (1.2)	2 -	30 (0.3)	1 -	68 (0.5)	7 -
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2 -	-	2 -	2 -	-	-
कुल	7,338 (100.0)	1,32,389 (100.0)	9,097 (100.0)	59,819 (100.0)	13,530 (100.0)	30,252 (100.0)

- : शून्य/नगण्य

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में हैं।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती है।

5. रिपोर्ट की गई राशि, हानि की राशि को व्यक्त नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर, हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की पूरी राशि अनिवार्य रूप से पथांतरित नहीं की जाती है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ

है। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में, मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम कोटि) [सारणी VI.3] में धोखाधड़ी की सूचना दी गई है। 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी राशि में 55 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, आनुपातिक रूप से, 2022-23 के दौरान कुल धोखाधड़ी राशि में गिरावट जारी रही, जिसमें 2021-22 की तुलना में 49 प्रतिशत की कमी आई। जहाँ, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या में छोटे मूल्य के कार्ड/ इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा सबसे अधिक था, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई।

VI.99 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के विश्लेषण से पता चलता है कि धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता लगाने के बीच काफी समय

लगता है (सारणी VI.4)। पिछले वित्तीय वर्षों में हुई धोखाधड़ी की राशि, मूल्य के संदर्भ में, 2021-22 में दर्ज धोखाधड़ी का 93.7 प्रतिशत थी। इसी तरह, मूल्य के हिसाब से 2022-23 में दर्ज धोखाधड़ी का 94.5 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्षों में घटित हुए।

VI.100 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों (एफएमआर) में डेटा विश्वसनीयता में सुधार करने हेतु, उन्हें सूचित किया गया कि वे, धोखाधड़ी/ असहयोगी उधारकर्ता के संबंध में रिपोर्ट करते समय, एफएमआर/ सीआरआईएलसी में गैर-पूर्णकालिक निदेशक/ निदेशकों का नाम/ के नाम शामिल करने/ जोड़ने से पहले समुचित सावधानी बरतें और इसमें भागीदारी (विश्वसनीय प्रमाण/ साक्ष्य के साथ) की पुष्टि कर लें।

सारणी VI.3 : धोखाधड़ी के मामले – परिचालन के क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23	
	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	3,476 (47.4)	1,30,990 (99.0)	3,833 (42.2)	57,733 (96.5)	4,109 (30.4)	28,792 (95.2)
तुलन पत्र से इतर	23 (0.3)	535 (0.4)	21 (0.2)	1077 (1.7)	14 (0.1)	296 (1.0)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	4 -	129 (0.1)	7 (0.1)	7 -	13 (0.1)	12 -
कार्ड/इंटरनेट	2,545 (34.7)	119 (0.1)	3,596 (39.5)	155 (0.3)	6,659 (49.2)	276 (0.9)
जमाराशियाँ	504 (6.9)	434 (0.3)	471 (5.2)	493 (0.8)	652 (4.8)	258 (0.9)
अंतर-शाखा खाते	2 -	- -	3 -	2 -	3 -	- -
नकद	329 (4.5)	39 -	649 (7.1)	93 (0.2)	1470 (10.9)	158 (0.5)
चेक/डीडी, आदि	163 (2.2)	85 (0.1)	201 (2.2)	158 (0.3)	118 (0.9)	25 (0.1)
समाशोधन खाते	14 (0.2)	4 -	16 (0.2)	1 -	18 (0.1)	3 -
अन्य	278 (3.8)	54 -	300 (3.3)	100 (0.2)	474 (3.5)	432 (1.4)
कुल	7,338 (100.0)	1,32,389 (100.0)	9,097 (100.0)	59,819 (100.0)	13,530 (100.0)	30,252 (100.0)

- : शून्य/नगण्य

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 2-5 का संदर्भ लें।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ

सारणी VI.4 : 2021-22 और 2022-23 रिपोर्ट की गई पुरानी धोखाधड़ियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

2021-22		2022-23	
1	2 3	4	
धोखाधड़ी की घटना	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की घटना	धोखाधड़ी की राशि
2012-13 से पहले	10,803	2012-13 से पहले	1,547
2012-13	3,272	2012-13	739
2013-14	7,270	2013-14	1,734
2014-15	3,155	2014-15	954
2015-16	4,661	2015-16	479
2016-17	5,620	2016-17	8,349
2017-18	7,346	2017-18	4,232
2018-19	5,448	2018-19	4,623
2019-20	4,740	2019-20	1,399
2020-21	3,719	2020-21	1,325
2021-22	3,785	2021-22	3,196
		2022-23	1,675
कुल	59,819	कुल	30,252

टिप्पणियाँ: 1. डेटा, इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में हैं।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 3 और 5 का संदर्भ लें।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.101 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- बाजार जोखिम - परिदृश्य विश्लेषण करना और प्रणाली दबाव परीक्षण के लिए इनपुट प्रदान करना (उत्कर्ष 2.0);
- एससीबी के लिए धोखाधड़ी भेद्यता मैट्रिक्स का कार्यान्वयन (उत्कर्ष 2.0); और
- पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) को मजबूत करना और बढ़ाना।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.102 विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के कार्य-प्रदर्शन की लगातार निगरानी की और एक सुरक्षित और अच्छी तरह से

प्रबंधित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.103 विभाग ने 2022-23 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चुनिंदा यूसीबी के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) की शुरुआत (पैराग्राफ VI.104);
- ₹5,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाले यूसीबी के लिए आईटी जाँच का उत्तरोत्तर विस्तार करना (पैराग्राफ VI.105); और
- निदेशकीय दृष्टिकोण से कंपनियों के साथ यूसीबी की अंतर-संबद्धता का विश्लेषण करना (पैराग्राफ VI.106)।

कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी की साइबर सुरक्षा और आईटी जाँच

VI.104 अंतर्निहित जोखिमों का आकलन और प्रभावी अप्रत्यक्ष निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), वर्ष के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक आस्ति आकार वाले सभी स्तर IV और स्तर III यूसीबी¹⁵ के लिए शुरू किए गए थे। नियंत्रणों की प्रयोजनीयता के आधार पर, यूसीबी की इन दो श्रेणियों के लिए केआरआई के विभिन्न सेट निर्धारित किए गए थे। इन यूसीबी ने केआरआई डेटा जमा करना शुरू कर दिया है और इसके आधार पर एक स्कोरिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है।

VI.105 बढ़ते साइबर जोखिमों और यूसीबी में हाल की साइबर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) द्वारा सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा 55 स्तर-III यूसीबी के लिए त्रुटि मूल्यांकन अभ्यास किया गया ताकि, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढाँचे की

अनुपालन-सीमा का पता लगाया जा सके। त्रुटियों के आकलन के परिणाम के आधार पर, संबंधित यूसीबी में साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक 14 यूसीबी की आईटी जाँच भी की गई।

यूसीबी की अंतर-संबद्धता

VI.106 रिजर्व बैंक द्वारा एक आकलन किया गया था जिसमें संबंधित कंपनियों का पता लगाने के लिए यूसीबी के निदेशकों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) डेटाबेस के साथ मैप किया गया था। मूल्यांकन के परिणाम, आगे की कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षी इनपुट के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं।

अन्य पहल

धोखाधड़ी के प्रति संवेदीकरण कार्यशाला

VI.107 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाले चुनिंदा यूसीबी के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं ताकि उन्हें धोखाधड़ी की रोकथाम, त्वरित/सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

यूसीबी द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण

VI.108 डेटा संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूसीबी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण किया गया। इन संशोधित विवरणियों को बाद में संवर्धन और अंगीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.109 विभाग ने 2023-24 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- यूसीबी के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण की शुरुआत की जांच करना;

¹⁵ जैसा कि 31 दिसंबर 2019 को 'यूसीबी के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचा - एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण' पर रिजर्व बैंक के परिपत्र में परिभाषित किया गया है।

- यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की समीक्षा करना; और
- स्तर III और IV शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी जाँच के दायरे/ कवरेज का विस्तार करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.110 विभाग ने रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखा।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.111 विभाग ने 2022-23 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इस मामले में विनियामकीय मार्गदर्शन के आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के तहत एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे और विवरणियों के प्रारूप की समीक्षा करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VI.112];
- एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्र-वार मूल्यांकन में बदलाव करना (पैराग्राफ VI.113);
- चुनिंदा एनबीएफसी के साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए केआरआई शुरू करना (पैराग्राफ VI.114); और
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जाँच की शुरुआत (पैराग्राफ VI.114)।

कार्यान्वयन की स्थिति

एनबीएफसी की विवरणियों का युक्तिकरण

VI.112 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक, चुनिंदा बड़ी एनबीएफसी और ऑडिट फर्मों के अधिकारियों, से बने एक कार्यदल द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) [अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का एक भारतीय संस्करण] के अनुरूप एनबीएफसी के पर्यवेक्षी ढांचे के अनुसार नई विवरणियों के प्रारूप की समीक्षा की और उसे तैयार किया। इन विवरणियों को कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया जाएगा।

एनबीएफसी का क्षेत्र-वार मूल्यांकन

VI.113 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने, एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचे के संदर्भ में एनबीएफसी के क्षेत्र-वार मूल्यांकन के उद्देश्य से 16 एनबीएफसी को अपर लेयर में वर्गीकृत किया। सभी एनबीएफसी को विभिन्न लेयरों, जैसे- टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर में कवर करने के लिए मॉडल डिजाइन को भी संशोधित किया गया।

एनबीएफसी की साइबर सुरक्षा और आईटी जाँच

VI.114 अंतर्निहित जोखिमों का आकलन करने और एक प्रभावी अप्रत्यक्ष निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, चुनिंदा एनबीएफसी हेतु केआरआई शुरू किए गए थे। इन एनबीएफसी ने केआरआई डेटा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और इसके आधार पर एक स्कोरिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है। चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जाँच 2023-24 में शुरू की जाएगी।

अन्य पहल

अनुपालन न करने वाली एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

VI.115 वर्ष के दौरान, चुनिंदा एनबीएफसी द्वारा डिजिटल उधारदाता सहभागियों (डीएलपी) के साथ की गई व्यवस्थाओं की लक्षित संवीक्षा के आधार पर, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन न करने (वसूली एजेंटों से संबंधित सहित), उचित व्यवहार संहिता और केवाईसी मानदंडों, जैसे विभिन्न समस्याओं की जांच की गई। इसके अलावा, कुछ लापरवाह एनबीएफसी की भी पहचान की गई जिनकी दुर्बलताओं का फायदा बदमाशों द्वारा उठाए जा सकता था। पर्यवेक्षी जाँच के आधार पर कुछ एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द करने सहित उचित पर्यवेक्षी कार्रवाईयों की गईं।

दुर्बलताओं की शीघ्र पहचान के लिए विश्लेषणात्मक साधनों की उपयोगिता में सुधार

VI.116 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी के दबाव परीक्षण मॉडल को - एकाधिक तुलन-पत्र और लाभ और हानि विवरण मानदंड/ अनुपात, बेसलाइन के तहत पूर्वानुमान और सीआरएआर स्तरों,

गिरावट का अनुमान लगाने के लिए मध्यम और गंभीर परिदृश्यों - को कवर करने के लिए उन्नत बनाया गया। मॉडल के नमूना पूर्वानुमानों के इनपुट और आउटपुट का बैक-परीक्षण किया गया जिससे मॉडल की प्रभाविता में सुधार हुआ।

धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और एनबीएफसी संवेदीकरण

VI.117 एनबीएफसी के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के हिस्से के रूप में, सुरक्षा संबंधी घटनाओं, यानी चोरी, संधमारी और डकैती की रिपोर्टिंग के लिए एक अलग तिमाही विवरणी (एफएमआर 4) शुरू की गई है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की रोकथाम, त्वरित/ सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई पर उन्हें संवेदीकृत करने के लिए चुनिंदा एनबीएफसी के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

विविध विश्लेषणात्मक अध्ययन

VI.118 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा विविध विश्लेषणात्मक अध्ययन किए गए। इसके अलावा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) के प्रावधानों के साथ इंड-एएस के तहत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की तुलना करने के लिए एक विश्लेषण किया गया था।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.119 विभाग ने 2023-24 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- एनबीएफसी के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की जांच और अनुपालन न करने वाले एनबीएफसी के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करना;
- एनबीएफसी के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में हाल के संशोधन के प्रभाव का आकलन।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.120 एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) का परिचालन आरंभ किया गया है जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का

पर्यवेक्षण, एक ही विभाग के तहत समग्र रूप से किया जा रहा है। इससे विनियामक/ पर्यवेक्षी अंतरापणन, परस्पर संबद्धता और सूचना विसंगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.121 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा यूसीबी और एनबीएफसी के केवाईसी/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VI.122);
- एनबीएफसी और यूसीबी में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.123);
- सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली [पैराग्राफ VI.124];
- साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय करना (पैराग्राफ VI.125);
- एसई में लेखापरीक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करना (पैराग्राफ VI.126 - VI.127); और
- पर्यवेक्षी स्टाफ के क्षमता-विकास और कौशल-संवर्धन के लिए पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस) के परिचालन का विस्तार (पैराग्राफ VI.128)।

कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी और एनबीएफसी का केवाईसी-एएमएल पर्यवेक्षण

VI.122 चुनिंदा यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) विकसित और कार्यान्वित किया गया है। एसई के केवाईसी-एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए पर एक संक्षिप्त विवरण बॉक्स VI.4 में दिया गया है।

बॉक्स VI.4

पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी / एएमएल जोखिमों का केंद्रित पर्यवेक्षण

एसई में केवाईसी/ एएमएल जोखिमों पर विशेष पर्यवेक्षी ध्यान देने के लिए और केवाईसी/ एएमएल जोखिमों की अलग-अलग स्थितियों का आकलन करने के लिए, एससीबी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) को 2020-21 के पर्यवेक्षी चक्र में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था। आरबीए ने, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी/ एएमएल विशिष्ट पर्यवेक्षी डेटा टेम्पलेट, विभिन्न जोखिम संकेतकों/ ड्राइवर्स से युक्त एक विश्लेषणात्मक मॉडल, जो बैंकों की उचित जोखिम प्रोफाइलिंग में सहायक होगा तथा उभरते हुए केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के बारे में उपयोगी अंतर्दृष्टि, को शामिल किया। केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से, इसे चुनिंदा यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी तक भी बढ़ाया

गया है, जो आगे चलकर अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन में विशेष इनपुट प्रदान करेगा।

आरबीए, जो वर्तमान में अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में है, ने उन बैंकों की पहचान करने में मदद की है जो अपने कारोबार मॉडल, ग्राहक आधार, लेनदेन की मात्रा और मूल्य के कारण उच्च केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के प्रति अनावृत हैं और ऐसे बैंकों को केवाईसी/ एएमएल क्षेत्र में नियंत्रण और प्रक्रियाओं में असंगति की पहचान के लिए प्रत्यक्ष मूल्यांकन के अधीन रखा गया है। केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए ने, एसई को उनके केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने और ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए उचित शमन/ नियंत्रण उपाय करने में मदद की है।

स्रोत: आरबीआई।

यूसीबी और एनबीएफसी में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

VI.123 रिज़र्व बैंक ने एसई में अनुपालन कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में इसने यूसीबी और एनबीएफसी में अनुपालन कार्य और सीसीओ की नियुक्ति के लिए अलग से कुछ सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं जारी की थीं। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपालन कार्य में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ एक मजबूत अनुपालन ढांचे की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। जबकि यूसीबी के मामले में ये दिशानिर्देश टीयर-3 और टीयर-4 यूसीबी पर लागू होंगे, एनबीएफसी के मामले में ये अपर और मिडिल लेयर (एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल) के एनबीएफसी पर लागू होंगे।

एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग (यूएफआर)

VI.124 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के तहत, सभी एसई के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली को संवर्धित रिपोर्टिंग प्रणाली के हिस्से के रूप में लागू किया जा रहा है। एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी

के लिए एकीकृत विवरणी विकसित की गई हैं और वर्तमान में अपनायी जा रही हैं।

साइबर सुरक्षा उपाय

VI.125 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी तंत्र के माध्यम से नियमित मूल्यांकन के साथ-साथ सभी एसई की साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करना जारी रखा। चुनिंदा एसई की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक साइबर टोही अभ्यास किया गया था। वर्ष के दौरान सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग और आईटी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दो मसौदा मास्टर निदेश भी प्रकाशित किए गए थे।

लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना

VI.126 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षकों और लेखा परीक्षकों के बीच संचार की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा चुनिंदा यूसीबी और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के साथ वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) की संरचित बैठकों का एक तंत्र शुरू किया

गया था। 2019 से वाणिज्यिक बैंकों के एसएसएम और एसए के लिए ऐसा एक तंत्र पहले से मौजूद है।

VI.127 रिज़र्व बैंक ने पीएसबी की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा प्रक्रिया के तहत व्यापार कवरेज मानदंडों को संशोधित किया है और 2022-23 के लिए कवर किए जाने वाले वित्त पोषित और गैर-वित्तपोषित ऋण जोखिमों (क्रेडिट एक्सपोजर) का न्यूनतम 70 प्रतिशत निर्धारित किया है, जबकि व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों से संबंधित बैंक-विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 2023-24 के और उसके बाद की अवधि के लिए व्यापार कवरेज निर्धारित करने का विवेक दिया है। इस व्यवस्था के तहत पर्याप्त रक्षोपायों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अन्य उपयुक्त उपायों के साथ, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निदेशक मंडल और इसकी लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में वृद्धि की है।

क्षमता विकास - पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस)

VI.128 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, यथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), फेडरल रिज़र्व बोर्ड (एफआरबी), बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी), दक्षिण-पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) और टोरंटो केंद्र के साथ सहयोग सहित सीओएस के परिचालन में काफी वृद्धि हुई है। सीओएस ने अपनी स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 के अंत तक जिन प्रतिभागियों को सीखने के इनपुट प्रदान किए हैं, उनकी संचयी संख्या 4,012 है, जिसमें (ए) पर्यवेक्षण, विनियमन, वित्तीय स्थिरता और प्रवर्तन विभागों में रिज़र्व बैंक के अधिकारी; (बी) सात अन्य अधिकार-क्षेत्रों के संबंधित विभागों के अधिकारी; (सी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पर्यवेक्षक शामिल हैं। पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने स्वयं की आघात-सहनीयता के

प्रबंधन की आवश्यकता पर एसई में कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए एससीबी, एनबीएफसी और यूसीबी के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख (एचआईए) को भी शिक्षार्थियों के समूह में शामिल किया गया था। शीर्ष 100 एनबीएफसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) को भी बदलती गतिशीलता के मद्देनजर रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

अन्य पहलें

कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके उन्नत विश्लेषिकी

VI.129 पर्यवेक्षी इनपुट में और वृद्धि करने के लिए, एक उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषिकी समूह (एसएजी) की स्थापना की गई है। एसएजी ने ग्राहक आचरण, केवाईसी/ एएमएल, अभिशासन प्रभावशीलता आदि जैसे उपयोग में लाये जा रहे मामलों की पहचान की है जिन्हें मशीन से सीखे गए मॉडल का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है। विभाग, पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके प्रभावी सुपटेक टूल्स बनाने के लिए प्रक्रियाधीन है।

रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष)

VI.130 रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को दक्ष नामक एक नई सुपटेक पहल शुरू की गई थी। यह एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से रिज़र्व बैंक, एसई के बीच अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन आवश्यकताओं की अधिक केंद्रित तरीके से निगरानी करेगा। एप्लिकेशन निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना और निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण, और विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के प्रावधान को एक मंच के माध्यम से सक्षम करेगा, जो कभी भी-कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है (बॉक्स VI.5)।

बॉक्स VI.5

दक्ष - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने एक सुपटेक पहल, दक्ष - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली लागू की है जो अपनी विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए एंड-टू-एंड वर्क-फ़्लो समाधान प्रदान करती है। यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं (रिज़र्व बैंक और पर्यवेक्षित संस्थाओं) को सुरक्षित, कभी भी-कहीं भी भूमिका-आधारित पहुंच प्रदान करता है। दक्ष को विभाग के सभी पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एकल इंटरफ़ेस के रूप में परिकल्पित किया गया है क्योंकि यह डीओएस और एसई को एक समान मंच पर लाता है और विभिन्न पर्यवेक्षी पहलुओं पर निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करता है।

दक्ष में विभाग की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में निरीक्षण योजना और निष्पादन, कार्यक्षेत्र निर्धारण (स्कोपिंग) और संसाधन आबंटन, रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और संस्थाओं को निरीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता शामिल है। एप्लिकेशन द्वारा बनाई गई पर्यवेक्षी सूचना/ रिपोर्टिजरी, पर्यवेक्षी कार्यों के लिए सूचना के एकल स्रोत के रूप में कार्य करने के साथ-साथ संस्थागत ज्ञान आधार का निर्माण करेगी।

स्रोत: आरबीआई।

घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ अंतर-विनियामकीय सहयोग

VI.131 रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए अन्य घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस लक्ष्य की दिशा में, घरेलू विनियामकों ने अंतर-विनियामकीय मंच (आईआरएफ) की दसवीं और ग्यारहवीं बैठकों के दौरान वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय संगुट (एफसी) के साथ आईआरएफ की बैठकों के दौरान विनियमित इकाई विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई।

लक्षित आकलन

VI.132 रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी जोर, इकाई-विशिष्ट मुद्दों पर नजर रखते हुए, प्रणाली-व्यापी जोखिम निगरानी और न्यूनीकरण पर रहा है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने लक्षित विषयगत आकलन की एक प्रणाली स्थापित की है जिसका उद्देश्य प्रणाली-व्यापी चिंताओं के मूल कारण की जांच करना और साथ ही पूरी प्रणाली में कुछ एसई में विलक्षण जोखिम निर्माण को समझना है। इन अध्ययनों ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद की है।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना

VI.133 रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी निगरानी/ अप्रत्यक्ष निगरानी को बहुत अधिक महत्व देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि वित्तीय स्थिरता के लिए किसी भी खतरे की शीघ्र पहचान की जा सके और उस पर बिना देरी के कार्रवाई की जा सके। तेजी से बदलती वित्तीय प्रणालियों के साथ रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी तीव्रता और प्रभावशीलता को समकालीन बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए, अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणालियों को तेज, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में प्रचलित प्रणालियों के साथ अप्रत्यक्ष निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलना करते हुए एक अध्ययन किया गया था (बॉक्स VI.6)।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.134 विभाग ने 2023-24 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आंतरिक और बाह्य इनपुट के आधार पर रेटिंग मॉडल सहित पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- प्रक्रिया लेखापरीक्षा और अनुपालन परीक्षण के चरणबद्ध सूत्रपात द्वारा खंडों/ एसई (विशेष रूप से एससीबी के अनुरूप एनबीएफसी और यूसीबी के लिए) में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का सुविचारित सामंजस्य (उत्कर्ष 2.0);

बॉक्स VI.6

अप्रत्यक्ष निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ

विभाग द्वारा रिजर्व बैंक में प्रचलित प्रणाली की तुलना में प्रमुख राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों (एनएसए)¹⁶ द्वारा अपनाई गई पर्यवेक्षी अप्रत्यक्ष निगरानी और निगरानी प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में मोटे तौर पर संगठनात्मक व्यवस्था, रूपरेखा/ कार्यप्रणाली, साधन/ प्रौद्योगिकियाँ, और पर्यवेक्षी क्षमता निर्माण शामिल हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं का वर्णन नीचे किया गया है:

संगठनात्मक व्यवस्था

एनएसए आम तौर पर एक स्थिर व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तथा संगठनात्मक व्यवस्था के अनुरूप होने और तेजी से विकसित वित्तीय प्रणाली द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपनी अप्रत्यक्ष निगरानी प्रथाओं की समीक्षा और पुनर्गठन करते रहते हैं। अधिक केंद्रित और व्यापक तरीके से जोखिमों की निगरानी करने के लिए नए प्रभागों/ इकाइयों के साथ संगठनात्मक ढाँचे को बढ़ाया गया है। एनएसए की संगठनात्मक व्यवस्था के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

- इसीबी ने पूरे यूरो क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों (एफआई) की अप्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक जोखिम विश्लेषण प्रभाग (आरएडी) की स्थापना की है।
- वित्तीय आचरण प्राधिकरण, यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने अपनी दिन-प्रतिदिन की पर्यवेक्षी गतिविधियों में एआई/ एमएल के उपयोग का पता लगाने के लिए डेटा और उन्नत विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है।
- सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएसए) ने कुशल और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए निरीक्षण और पर्यवेक्षी कार्यप्रणाली विभाग के अंतर्गत दो ऑफसाइट प्रभागों की स्थापना की है।

रूपरेखा/ कार्य-पद्धतियाँ

एनएसए अप्रत्यक्ष निगरानी और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के लचीले मिश्रण के माध्यम से पर्यवेक्षी जोखिम आकलन के लिए एकीकृत ढाँचे का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि निम्नानुसार दिखाया गया है:

- आस्ट्रेलिया विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण (एपीआरए) अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से, संस्थाओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षण जोखिम और तीव्रता मॉडल का उपयोग करता है।
- एमएसए की पर्यवेक्षी कार्य-पद्धति, साधन और विश्लेषिकी प्रभाग-पर्यवेक्षी पद्धतियों और विश्लेषणात्मक साधन विकसित करता है।

- फेडरल रिजर्व बैंक, बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी के लिए, बैंक जोखिम मॉडल के पर्यवेक्षण, विनियमन और सांख्यिकीय मूल्यांकन का उपयोग करता है।

साधन और प्रौद्योगिकियाँ

चूंकि अधिकांश अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी प्रक्रियाएं डेटा-गहन, पुनरावर्ती या अत्यधिक मैनुअल हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष निगरानी के लिए साधनों और तकनीकों का चयन महत्वपूर्ण है। सुपटेक कार्यनीतियों के विकास में पर्यवेक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियाँ क्लाउड प्रौद्योगिकी, एआई, एमएल, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), विभेदीकृत लेजर तकनीक और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं। प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए एनएसए द्वारा की गई प्रमुख पहलों के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

- इसीबी ने एमएल का उपयोग करते हुए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है जो वित्तीय दबावग्रस्त वित्तीय संस्थाओं की पहचान करने में मदद करती है।
- एमएसए का सुपटेक कार्यालय, अपने फिनटेक और नवोन्मेषी समूह के साथ साझेदारी में, पर्यवेक्षी और वित्तीय क्षेत्र संबंधी डेटा का विश्लेषण करता है और विनियामक अनुपालन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

मिश्रित क्षेत्राधिकारीय अध्ययन (क्रॉस-ज्यूरिडिक्शनल स्टडी) से पता चलता है कि प्रारंभिक जोखिमों की पूर्व पहचान के लिए अप्रत्यक्ष विश्लेषिकी और निगरानी ढाँचे पर अधिक ध्यान दिया जाता है और ऑनसाइट पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय में त्वरित समाधानपरक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, निरंतर आधार पर पर्यवेक्षकों के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन पर जोर दिया जाता है। रिजर्व बैंक उन अधिकांश गतिविधियों का संचालन कर रहा है जो प्रमुख राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती हैं। नई प्रक्रियाधीन परियोजनाएं या प्रस्तावित गतिविधियों से अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निगरानी और चौकसी के दायरे और क्षमता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनमें उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष); पर्यवेक्षी इनपुट उत्पन्न करने के लिए उन्नत विश्लेषिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग; सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों से डेटा रिपोर्टिंग को स्वचालित करना और डेटा प्रबंधन (सीआईएमएस) और पर्यवेक्षी आसूचना ढाँचे-आधारित क्षमताओं के लिए निगरानी साधन स्थापित करना, शामिल है।

स्रोत: आरबीआई

¹⁶ ऑस्ट्रेलिया विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण (एपीआरए), ऑस्ट्रेलिया; बैंक नेगारा, मलेशिया; डी नेदरलैंड्स बैंक, नीदरलैंड; यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी); बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए), यूके; सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएसए) और फेडरल रिजर्व बैंक, यूएसए।

- केवाईसी-एएमएल और साइबर/ आईटी जोखिमों से संबंधित एसई के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को सुव्यवस्थित और मजबूत करना (उत्कर्ष 2.0);
- पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विश्लेषिकी और सुपटेक पहलों को लागू करना; और
- साइबर ड्रिल आयोजित करने के लिए साइबर रेंज की स्थापना, साइबर सेक्टरल सिक्युरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एस-एसओसी) के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच करने और एसई के लिए फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करने सहित एसई में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.135 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में, प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षण प्रक्रिया से अलग करने तथा लागू कानूनों और रिज़र्व बैंक द्वारा उनके तहत लगाए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और आदेशों, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा जारी किए गए निदेशों और शर्तों के उल्लंघन की पहचान करने और संसाधित करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने और ऐसा पूरे रिज़र्व बैंक में लगातार लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हित एवं उपभोक्ता संरक्षण की सुरक्षा के अतिव्यापी सिद्धांत के भीतर आरई द्वारा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.136 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आरई द्वारा अनुपालन संस्कृति में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरई के बीच अतिरिक्त सूचना के प्रसार के लिए छमाही अंतराल पर प्रवर्तन

कार्रवाइयों पर एक रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली स्थापित की जाएगी (पैराग्राफ VI.137);

- आरई के अनुपालन अधिकारियों के संवेदीकरण पर केंद्रित सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे (पैराग्राफ VI.138);
- विभाग पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को आरई के अनुपालन परीक्षण के लिए व्यवसाय प्रक्रिया एप्लिकेशन का उपयोग करके पहचाने गए अक्सर देखे गए उल्लंघनों के लिए इनपुट प्रदान करेगा ताकि आरई में अनुपालन संस्कृति में सुधार लाया जा सके (पैराग्राफ VI.139); और
- विभाग, प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता की जांच करेगा (पैराग्राफ VI.140)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.137 छमाही अंतराल पर प्रवर्तन कार्रवाइयों पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली स्थापित की गई है। आरई के बीच सूचना के प्रसार के लिए इस तरह की पहली रिपोर्ट डीओएस के साथ साझा की गई है।

VI.138 वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) के साथ-साथ सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए अनुपालन और प्रवर्तन पर केंद्रित सेमिनार आयोजित किए गए थे।

VI.139 निरीक्षण/ संवीक्षा रिपोर्ट और विभाग में प्राप्त अन्य संदर्भों की जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभव और आरई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, पाए गए उल्लंघनों और उनके व्यापक प्रसार के संदेह की पहचान की गई तथा अनुपालन परीक्षण के लिए डीओएस और नाबार्ड के साथ साझा किया गया।

VI.140 प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता एक समग्र जांच के अधीन है।

अन्य पहल

VI.141 वर्ष 2022-2023 के दौरान, विभाग ने 205 आरई (211 दंड) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कानूनों और कतिपय निदेशों के प्रावधान के उल्लंघन/ अननुपालन¹⁷ के लिए ₹40.39 करोड़ का कुल जुर्माना लगाया (सारणी VI.5)।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.142 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है:

- विभाग, प्रवर्तन के लिए एक स्केल-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास करेगा।

**सारणी VI.5 प्रवर्तन कार्रवाई
(अप्रैल 2022-मार्च 2023)**

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल दंड (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7	3.65
निजी क्षेत्र के बैंक	7	12.17
सहकारी बैंक	176	14.04
विदेशी बैंक	5	4.65
भुगतान बैंक	-	-
लघु वित्त बैंक	2	0.97
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	0.42
एनबीएफसी	11	4.39
एचएफसी	2	0.10
कुल	211	40.39
-: शून्य		
स्रोत: आरबीआई।		

¹⁷ उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ में बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 26ए का उल्लंघन शामिल है; बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा; एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड; भारतीय रिजर्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश, 2016; भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016; सीआरआईएलसी पर जानकारी की रिपोर्टिंग; साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना; उपभोक्ता संरक्षण- अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों की देयता सीमित करना; निदेशक से संबंधित ऋण; निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी; और आवास वित्त कंपनियों (एनएचबी) निदेश, 2010।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.143 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है; आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करता है; लोकपाल कार्यालयों के निष्पादन पर निगरानी रखने के साथ-साथ 'रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) को लागू करता है; और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा और सुरक्षा पर मौजूदा विनियमों के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के तरीकों के बारे में जन जागरूकता पैदा करता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.144 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे:

- ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान (पैराग्राफ VI.145);
- ग्राहक संरक्षण को मजबूत करने और रिजर्व बैंक द्वारा शिकायत निवारण की गति में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना (पैराग्राफ VI.146);
- आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता समाधान को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिजर्व बैंक के संपर्क केंद्र का उन्नयन और विस्तार (पैराग्राफ VI.147);

- आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करना (पैराग्राफ VI.148);
- उपभोक्ता संरक्षण सूचकांक (सीओपीआई) का निर्माण और प्रसार [पैराग्राफ VI.149]; और
- “बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने” के लिए ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ VI.150)।

कार्यान्वयन की स्थिति

ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान

VI.145 ग्राहकों के बीच अधिक वित्तीय साक्षरता, शिक्षा और जागरूकता के लिए चल रही पहलों के अलावा, सीईपीडी ने जनसंख्या के सभी क्षेत्रों और खंडों हेतु, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक अखिल भारतीय उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। रिज़र्व बैंक के सभी 22 लोकपालों ने ग्राहक अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर संदेश को अंतिम छोर तक फैलाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में मल्टीमीडिया चैनलों को संबोधित किया। रिज़र्व बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) तंत्र के तहत विभिन्न सुविधाओं, यथा आरबी-आईओएस, 2021, केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), संपर्क केंद्र, ग्राहकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ-साथ डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी सुरक्षा के उपायों को कवर करते हुए एक मीडिया वार्ता आयोजित की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक आरई के सहयोग से एक महीने का राष्ट्रीय गहन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके दौरान विभिन्न भौतिक संपर्क/ इंटरफ़ेस कार्यक्रमों के अलावा प्रिंट, टेलीविजन, आरबीआई वेबसाइट, ‘आरबीआई-सेज’, इंटरैक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम

(आईवीआरएस) और ‘आरबीआई कहता है,’ आदि के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। (बॉक्स VI.7)।

रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक संरक्षण को सुदृढ़ बनाने और शिकायत निवारण की गति में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना

VI.146 शिकायतों के बेहतर वर्गीकरण के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में कृत्रिम मेधा (एआई) का लाभ उठाने के लिए, निर्णय लेने में सहायता और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए एक विस्तृत व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेज़ तैयार किया गया और समीक्षा के लिए तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टीएजी कार्रवाई बिंदुओं पर विक्रेता की तकनीकी प्रस्तुतियों पर वर्तमान में रेबिट (रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा समीक्षा की जा रही है। उसके बाद, प्रस्ताव को उनके मार्गदर्शन और अनुमति के लिए टीएजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता समाधान शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र का व्यापक आधार और उन्नयन

VI.147 राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में हिंदी और अंग्रेजी में अधिकारियों के साथ बातचीत का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे (7 घंटे और 45 मिनट) से बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे (14 घंटे) तक किया गया था। आईवीआरएस पर जानकारी 24x7x365 आधार पर उपलब्ध है। संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले एजीआर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पर दर्ज की गई अपनी शिकायतों की स्थिति भी जान सकते हैं। अपने आरंभ के समय 12 नवंबर 2021 को उपलब्ध आठ क्षेत्रीय भाषाओं यथा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगू के अलावा दो अतिरिक्त भाषाओं, असमिया और पंजाबी को जोड़ा गया है। कारोबारी निरंतरता (बीसी) और आपदा उद्धार

बॉक्स VI.7

राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम

एक राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) का आरंभ 1 नवंबर 2022 हुआ था और यह 30 नवंबर 2022 तक जारी रहा। इसका उद्देश्य जनता के बीच उनके अधिकारों, वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर)/ आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) तंत्र और समग्र वित्तीय जागरूकता, रिजर्व बैंक आरई की पहुंच का लाभ उठाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का केंद्र-बिंदु आबादी के अब तक अगम्य और पृथक क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर था, विशेष रूप से टीयर- III से VI शहरों और अन्य अगम्य क्षेत्रों में। अधिकांश अभियान स्थानीय लोक-संपर्क संबंधी माध्यमों का उपयोग करके क्षेत्रीय/ स्थानीय भाषाओं में चलाए गए।

जनता तक पहुंचने के लिए नियमित जन जागरूकता अभियानों के साथ-साथ कई नवोन्मेषी कार्यनीतियां लागू की गईं, उनमें से कुछ नुककड़ नाटक, कठपुतली खेल, स्किट, मैजिक शो, नुककड़ नाटक जैसी लोक कलाएँ थीं; खेल प्रतियोगिताएं; फ्लैश मॉब, रैलियां, हाफ-मैराथन, मानव शृंखला का निर्माण, क्रॉसवर्ड और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निर्माण

श्रमिकों, छोटे दुकानदारों और दृष्टि-बधितों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल थे।

एनआईएपी अभियान के दौरान लगभग 1.63 लाख कार्यक्रम किए गए, जिनमें से लगभग 1.28 लाख कार्यक्रमों का भौतिक रूप से आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में लगभग तीन करोड़ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और ऑनलाइन माध्यम से यह लगभग 25 करोड़ लोगों तक पहुंचा। आबादी के कमजोर वर्गों के लिए विशेष अभियान चलाए गए और लगभग 16,000 दिव्यांगों व 82,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 22,000 वसूली एजेंटों के लिए उचित व्यवहार और मौजूदा दिशानिर्देशों पर केंद्रित अभियान आयोजित किए गए।

प्रभाव के संदर्भ में, इन कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न जागरूकता के कारण आरबी-आईओएस के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है और साथ ही रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ के संपर्क केंद्र में कॉल की संख्या में वृद्धि देखी गई है (चार्ट 1)।

बॉक्स 7. चार्ट 1: एनआईएपी का प्रभाव



स्रोत: आरबीआई

एनआईएपी और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों ने भी आरबी-आईओएस के रिकॉल मान में वृद्धि की है और आरई को उपभोक्ता संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए उत्साहित किया है।

स्रोत: आरबीआई

(डीआर) क्षमताओं के साथ तीन स्थानों यथा भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और कोच्चि में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र (सीसी) के विकास की परियोजना प्रक्रियाधीन है। संपर्क केंद्र के लिए कनेक्टिविटी और नेटवर्क आवश्यकताएं आईएफटीएस (इफ्टास) द्वारा प्रदान की जाएंगी। संपर्क केंद्र में एक हाइब्रिड मॉडल के अनुसार स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे, जहां संपर्क केंद्र के परिचालन एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जबकि समग्र पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं की समीक्षा के लिए समिति और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

VI.148 आरई में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की स्थिति और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता की समीक्षा करने तथा समग्र ग्राहक सुरक्षा ढांचे में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए “रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा” (अध्यक्ष: श्री बी.पी. कानूनगो, पूर्व उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक) समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कार्यान्वयन हेतु उसकी सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स (सीपीएम) का निर्माण और प्रसार

VI.149 ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण और जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में आरई के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य से सीईपीडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स को पहले कदम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बैंकों में “शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण” के लिए ढांचे की समीक्षा

VI.150 मार्च 2021 और मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरई से प्राप्त फीडबैक और फ्रेमवर्क को लागू करने के अनुभव के आधार पर, बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण के सुदृढ़ीकरण के लिए 27 जनवरी 2021 को स्थापित ढांचे की समीक्षा की गई है।

प्रमुख घटनाक्रम

आरबी-आईओएस, 2021 के तहत साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शामिल करना और सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र का विस्तार

VI.151 साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस के तहत लाया गया था ताकि सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए आरबी-आईओएस, 2021 के तहत कवर किए गए आरई के ग्राहकों को लागत-रहित और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके।

VI.152 आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र को पहले (i) बैंकों के लिए वर्ष 2018 में; (ii) 2019 में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली सहभागी; और (iii) नवंबर 2021 में सार्वजनिक ग्राहक इंटरफ़ेस वाली 10 या अधिक शाखाओं के साथ जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के लिए लागू किया गया था। सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता को मजबूत करने और सुधारने के लिए, आईओ तंत्र की सुविधा को अब उनके लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक सभी सीआईसी को 1 अप्रैल 2023 तक रिज़र्व बैंक (साख सूचना कंपनियां - आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2022 का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। निदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईओ के लिए नियुक्ति/ कार्यकाल, भूमिका और उत्तरदायित्व, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों और निगरानी तंत्र शामिल हैं।

आरबी-आईओएस, सीआरपीसी और संपर्क केंद्र पर संतुष्टि सर्वेक्षण

VI.153 विभाग ने अप्रैल-मई 2022 के माह में उन ग्राहकों के लिए एक संतुष्टि सर्वेक्षण किया, जिन्होंने अपने वित्तीय सेवा

प्रदाताओं, जो रिजर्व बैंक के आरई हैं, द्वारा उनकी शिकायतों के असंतोषजनक निपटान के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआईओ से संपर्क किया था, जिसमें सीआरपीसी और चंडीगढ़ में संपर्क केंद्र के साथ संतुष्टि का स्तर भी शामिल है। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाता रिजर्व बैंक लोकपाल द्वारा प्रदान किए गए समग्र समाधान से संतुष्ट थे और 58.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि संपर्क केंद्र के कार्यकारी से संपर्क करने का प्रतीक्षा समय/ प्रयास यथोचित था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, 60.1 प्रतिशत उत्तरदाता आरबी-आईओएस के तहत पंजीकरण, शिकायत से निपटने और समाधान समय सहित समग्र प्रक्रिया से संतुष्ट थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.154 विभाग 2023-24 के लिए उत्कर्ष 2.0 के तहत निम्नलिखित कार्य-योजना का प्रस्ताव रखता है:

- ग्राहक सेवा पर रिजर्व बैंक के मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा, समेकन और अद्यतन;
- बढ़ी हुई डेटा उपयोगिता और विश्लेषण के लिए इन्कॉग्निटो विसिट के माध्यम से संकलित डेटा का डिजिटलीकरण;
- आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता योजना सुविधा सहित स्थानीय भाषाओं के लिए दो अतिरिक्त स्थानों पर रिजर्व बैंक संपर्क केंद्र स्थापित करना; और
- विभिन्न आरई प्रकारों पर लागू आंतरिक लोकपाल योजनाओं की समीक्षा और एकीकरण।

निकष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.155 जमा बीमा प्रणाली, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि के संरक्षण का आश्वासन देती है, और इस तरह उनकी वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास

बनाए रखती है। डीआईसीजीसी पूरी तरह से रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत गठित किया गया है। डीआईसीजीसी द्वारा विस्तारित जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,027 थी, जिसमें 140 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, दो एलएबी, छह पीबी और 12 एसएफबी शामिल हैं) और 1,887 सहकारी बैंक [33 राज्य सहकारी बैंक, 352 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 1,502 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)] शामिल थे।

VI.156 भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा 'समान क्षमता में और समान अधिकार में' बैंक के प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख है, 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल खातों की संख्या (300.1 करोड़) में से पूरी तरह से संरक्षित खातों (294.5 करोड़) की संख्या 98.1 प्रतिशत थी। राशि के संदर्भ में, 31 मार्च 2023 को ₹83,89,470 करोड़ की कुल बीमाकृत जमाराशि ₹1,81,14,550 करोड़ की कर-निर्धारणीय जमाराशि का 46.3 प्रतिशत थी। मौजूदा स्तर पर, 2022-23 में बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय का 2.91 गुना होगा।

VI.157 डीआईसीजीसी निकष बीमा कोष (डीआईएफ) का निर्माण अपने अधिशेष, यानी करें को घटाकर प्रत्येक वर्ष व्यय पर (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित खर्चों का भुगतान) आय के आधिक्य (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से नकद वसूली) के हस्तांतरण के माध्यम से करता है। यह निधि परिसमापन/ समामेलन में लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध है।

VI.158 वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (1) के तहत 11 परिसमापन

बैंकों के कुल ₹105.8 करोड़ के पूरक दावों को मंजूरी दी है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने रिजर्व बैंक के 'सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी)' के तहत 28 बैंकों के संबंध में कुल ₹646.8 करोड़ के दावों का निपटान भी किया है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में डीआईएफ का आकार ₹1,69,263 करोड़ (अ) था, जो 2.02 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमा) देता था।

VI.159 वर्ष 2021-22 के दौरान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया, जिसने एआईडी के तहत बैंकों के लिए जमाकर्ताओं की बीमाकृत जमाराशि के संवितरण की सुविधा प्रदान की। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18 (ए) के संदर्भ में, डीआईसीजीसी को अब ऐसे बैंकों के इच्छुक जमाकर्ताओं को 90 दिनों की अवधि के भीतर ₹5 लाख तक की राशि वितरित करने का अधिकार है। एक बीमाकृत बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद डीआईसीजीसी को 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन कर जमाकर्ताओं को अगले 15 दिनों

के भीतर भुगतान करना होता है। डीआईसीजीसी अधिनियम में बीमाकृत बैंक या डीआईसीजीसी के लिए कानून द्वारा निर्धारित समयसीमा को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 45 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के भीतर जमाकर्ताओं की दावा सूची प्रस्तुत नहीं किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे डीआईसीजीसी ऐसे बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करने से बाधित हुआ है। निगम ने अपनी लोकसंपर्क गतिविधियों में निगम का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के गठन के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ाने की पहल की है। सोशल मीडिया सहित जन जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यनीति और संचार के माध्यम, संचार नीति के केंद्र-बिंदु हैं।

VI.160 किसी अधिकार-क्षेत्र में जमा बीमा प्रणाली की प्रभावकारिता का अनुमान, प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए जमा बीमाकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के मूल सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करके लगाया जा सकता है (बॉक्स VI.8)।

बॉक्स VI.8

प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांतों का डीआईसीजीसी द्वारा अनुपालन

जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने जून 2009 में प्रभावी जमा बीमा प्रणाली (डीआईएस) के लिए मूल सिद्धांत जारी किए। मुख्य सिद्धांतों (सीपी) के लिए एक अनुपालन मूल्यांकन पद्धति दिसंबर 2010 में पूरी की गई थी। सीपी और उनकी अनुपालन मूल्यांकन पद्धति का उपयोग अधिकार-क्षेत्रों द्वारा उनके डीआईएस की गुणवत्ता का आकलन करने और उनकी जमा बीमा प्रथाओं में असंगति की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के उपायों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। सीपी का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के संदर्भ में अधिकार-क्षेत्रों के डीआईएस और प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद

के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, नवंबर 2014 (16 सीपी) में मूल सिद्धांतों (सीपी) को संशोधित किया गया था।

मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की जमा बीमा प्रणाली(यों) की संरचनात्मक, कानूनी और संस्थागत विशेषताओं पर विचार करने के बाद, मूल सिद्धांतों (सीपी) के अनुपालन का मूल्यांकन करना होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया से जमा बीमाकर्ता और नीति निर्माताओं को सीपी के खिलाफ अपनी जमा बीमा प्रणाली को बेंचमार्क करने में मदद मिलनी चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि प्रणाली अपने सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर रही है। बदले में, यह आकलन जमा बीमाकर्ता और नीति निर्माताओं को, आवश्यक रूप से, जमा बीमा प्रणाली और वित्तीय रक्षा कवच (सेफ्टी नेट) में सुधार करने में भी सहायता कर सकता है। सीपी के अनुसार,

(जारी)

¹⁸ अनुपालित: जब आवश्यक मानदंडों को बिना किसी महत्वपूर्ण कमियों के पूरा किया जाता है। काफी हद तक अनुपालित: जब केवल गौण कमियां देखी जाती हैं, और प्राधिकारी एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण अनुपालन करने में सक्षम होते हैं। गंभीर रूप से अनुपालित: जब गंभीर कमियां होती हैं जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। अननुपालित: सीपी का कोई ठोस कार्यान्वयन नहीं। लागू नहीं: जमा बीमा प्रणाली की संरचनात्मक, कानूनी और संस्थागत विशेषताओं को देखते हुए विचार नहीं किया गया।

आकलन पांच ग्रेड वाले पैमाने का पालन करते हैं¹⁹। निगम ने हाल ही में आईएडीआई सीपी के साथ डीआईसीजीसी के अनुपालन का मुख्य रूप से डीआईसीजीसी अधिनियम और वर्तमान अधिदेश के आधार पर स्व-मूल्यांकन किया है। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, निगम आधे से अधिक सीपी में या तो पूरी तरह से अनुपालित (पांच सीपी) या बड़े पैमाने पर अनुपालित (पांच सीपी) है। शेष छह सीपी में से, गंभीर रूप से अननुपालित (दो सीपी) हैं, जबकि चार सीपी लागू नहीं हैं¹⁹। आईएडीआई के अनुसार, जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश को समग्र कार्यों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है²⁰।

निगम मुख्यतः तक 'पे-बॉक्स प्लस' की श्रेणी में आता है, जिसके तहत निगम, रिजर्व बैंक द्वारा एआईडी के तहत शामिल परिसमापित बैंकों

और बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के अलावा (जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय योजना के अनुमोदन के बाद एक कमजोर बैंक के सुदृढ़ बैंक के साथ विलय के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

संदर्भ:

1. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (अगस्त 2021 तक संशोधित)।
2. आईएडीआई (2014), 'कोर प्रिन्सिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स', नवंबर।
3. आईएडीआई (2016), 'ए हेंडबुक फॉर दि असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस विद दि कोर प्रिन्सिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स', मार्च।

6. निष्कर्ष

VI.161 वर्ष 2022-23 में, वित्तीय प्रणाली को कई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों से बचाने के साथ, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण पर जोर देने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय किए गए थे। जनवरी 2022 में जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दृष्टिकोण, की गई तैयारी के स्तर और हुई प्रगति का आकलन करना था। तदनुसार, वर्ष के दौरान जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र भी जारी किया गया था,

जिसमें विनियमित संस्थाओं (आरई) और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। आगे चलकर, वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्र में कई और नई पहलों पर विचार किया गया है, जिसके साथ-साथ जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति ढांचे के तहत पहलें शामिल हैं (उत्कर्ष 2.0)। हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाकर वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे, जबकि फिनटेक के कवरेज और पहुंच का विस्तार किया जाएगा जो वित्तीय सेवाओं को तेज, सुरक्षित और युक्तिसंगत लागत पर उपलब्ध कराएगा।

¹⁹ सीपी4: अन्य रक्षा कवच प्रतिभागियों के साथ संबंध; और सीपी6: आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन में डीआई की भूमिका भौतिक रूप से गैर-अनुपालन की है। सीपी5: सीमा-पार मुद्दे; सीपी12: बैंक विफलता की स्थिति में दोषपूर्ण पक्षों से निपटना; सीपी13: प्रारंभिक पहचान और समय पर हस्तक्षेप; और सीपी14: विफलता समाधान लागू नहीं हैं

²⁰ अधिदेश को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स", जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमित जमाराशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं; (ii) "पे बॉक्स प्लस", जहां जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कुछ समाधान कार्य (जैसे, वित्तीय सहायता); (iii) "हानि न्यूनीकरण", जहां बीमाकर्ता कम-से-कम लागत वाली समाधान कार्यनीतियों की एक शृंखला से चयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है; और (iv) "जोखिम न्यूनीकरण", जहां बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों का एक पूर्ण समूह, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं।

रिज़र्व बैंक ने 2022-23 के दौरान उधार कार्यक्रमों के आकार से शुरुआती बाजार चिंताओं और यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न अनिश्चित वैश्विक वातावरण से विपरीत परिस्थितियों और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा समकालिक मौद्रिक नीति को सख्त करने के बावजूद गैर-विघटनकारी तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों की बाज़ार उधार आवश्यकताओं को प्रबंधित किया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधार का भारित औसत प्रतिफल, मौद्रिक नीति में समायोजन को कम करने के रुख के बीच, नीतिगत रिपो दर में 250 बीपीएस की संचयी वृद्धि के मुकाबले 104 बीपीएस बढ़ गया। रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया था। सॉवरेन हरित बॉण्ड पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिसके आगम सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में उपयोग किए जाएंगे जो अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में मदद करती है।

VII.1 रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू कर्ज का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) के रूप में अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 2022-23 में, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम था लेकिन यह पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहा। वैश्विक मुद्रास्फीति और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त करने वाले वातावरण में तदनुसार उधार लेने की आवश्यकताएँ उच्च बनी रहीं, जिसने घरेलू वित्तीय बाजारों पर प्रभाव विस्तार को बढ़ा दिया। जैसा कि यूक्रेन में युद्ध और उच्च वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों के बाद भारत पर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बिगड़ गया, रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रिपो दर को संचयी रूप से 250 बीपीएस से बढ़ा दिया और नीतिगत रुख को समायोजन को कम करने की ओर कर दिया।

VII.3 भारतीय जी-सेक बाजार पर वैश्विक और घरेलू वित्तीय स्थितियों में सख्ती के प्रभाव के बावजूद, लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए गैर-विघटनकारी तरीके से बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित किया। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक प्रभाव विस्तार से प्रतिफल पर दबाव, बढ़ी हुई घरेलू मुद्रास्फीति और अतिरिक्त चलनिधि की क्रमिक वापसी को देखते हुए लगातार अपनी ऋण प्रबंधन कार्यनीति की समीक्षा की और इसे अनुकूल बनाया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधारी का भारित औसत प्रतिफल 104 बीपीएस तक बढ़ गया। रोलओवर जोखिम को रोकने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार की घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से 2022-23 के दौरान ₹16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी किए।

VII.4 अध्याय के शेष भाग तीन खंडों के अंतर्गत हैं। खंड 2 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2022-23 की कार्ययोजना के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता

है। खंड 3 में 2023-24 में की जाने वाली प्रमुख पहलें शामिल हैं, जिसके बाद अंतिम खंड में सारांश दिया गया है।

2. 2022-23 के लिए कार्यसूची

VII.5 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गम की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों को फिर से जारी करने के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापसी-खरीद परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.6 - VII.9);
- 2005 में जारी प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के लिए समेकित परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं। हालांकि, बुनियादी पात्रता मानदंड, जैसे निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की आवश्यकता और लक्ष्यों से संबंधित दिशानिर्देश, काफी हद तक अपरिवर्तित हैं। पीडी के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव था (पैराग्राफ VII.10);
- देश भर में उपयुक्त खुदरा निवेशकों तक समग्र पहुंच में सुधार के लिए 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' को और लोकप्रिय बनाने के लिए उचित उपाय करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.11];
- माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में घरेलू बाजार में एसजीआरबी जारी करेगी और आगम को सार्वजनिक-क्षेत्र की हरित परियोजनाओं में लगाया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक, इसके ऋण प्रबंधक के रूप में, भारत सरकार (जीओआई) को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एसजीआरबी जारी करने के लिए रूपरेखा

तैयार में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक कार्य पूरा करने के बाद वर्ष के दौरान एसजीआरबी जारी करने की परिकल्पना की गई थी (पैराग्राफ VII.12);

- सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) की समीक्षा, जिसका उद्देश्य जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों और स्थिर ऋण संरचना के साथ मध्यम से दीर्घावधि में कम लागत पर बाजार उधार जुटाना, साथ ही एक अर्थसुलभ और अच्छी तरह से काम कर रहे घरेलू ऋण बाजार का विकास भी करना है। (पैराग्राफ VII.13);
- सामान्य सरकारी ऋण का लगभग एक-तिहाई उप-राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित है। हालांकि, उप-राष्ट्रीय सरकार में कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन की कार्यनीति को रेखांकित करने वाले एक दस्तावेज की कमी थी। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए एक पायलट एमटीडीएस का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें बाधाओं और संभावित जोखिमों का उचित संज्ञान लेते हुए, उनकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की योजना को दर्शाया गया था (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.14]; और
- नकद और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ VII.15)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.6 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ₹21,79,392 करोड़ के बराबर केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाजार उधार को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.2 प्रतिशत अधिक था।

VII.7 रिजर्व बैंक ने पुनर्खरीद/स्विच के माध्यम से सक्रिय समेकन और पुनर्निर्गम के माध्यम से निष्क्रिय समेकन की अपनी नीति को जारी रखा। 2022-23 के दौरान, जी-सेक के 177 निर्गमों में से 161 पुनर्निर्गम (91 प्रतिशत) थे, जबकि पिछले वर्ष में 154 निर्गमों में से 142 पुनर्निर्गम (92.2 प्रतिशत) थे।

VII.8 दीर्घावधि की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ अल्पावधि में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के स्विचिंग के माध्यम से ऋण समेकन का सक्रिय रूप आम तौर पर हर महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। तदनुसार, ₹1,00,000 करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1,05,489 करोड़ की राशि के स्विच 2022-23 के दौरान पूरे किए गए।

VII.9 2022-23 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता बकेट में विभिन्न निवेशकों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से 2 से 40 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। वर्ष के दौरान 7-वर्ष और 13-वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) के अस्थायी दर बॉण्ड (एफआरबी) भी फिर से जारी किए गए। 2022-23 के दौरान कुल निर्गमों में एफआरबी की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत थी।

VII.10 मास्टर निर्देश- प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश 1 जुलाई 2016 को प्रकाशित हुए थे। रिजर्व बैंक इन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

VII.11 वर्ष के दौरान, 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' की समग्र पहुंच में सुधार के लिए देश भर में कई जन जागरूकता अभियान और निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा, पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए 'खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल' के उपयोगकर्ता इंटरफेस फीचर्स में और सुधार किया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष के

दौरान खोले गए खातों की संख्या और योजना के तहत किए गए कुल निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

VII.12 2022-23 की दूसरी छमाही में विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए अर्ध-वार्षिक निर्गम कैलेंडर में ₹16,000 करोड़ के एसजीआरबी के निर्गम को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, भारत सरकार ने 9 नवंबर 2022 को एसजीआरबी फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया। दूसरे पक्ष की राय प्रदाता सीआईसीआईआरओ¹ द्वारा 'अच्छा अभिशासन' स्कोर के साथ फ्रेमवर्क को 'मध्यम हरा' के रूप में मूल्यांकित किया गया था। जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान ₹ 8,000 करोड़ प्रत्येक की दो किशतों में एसजीआरबी निर्गम की नीलामी आयोजित की गई थी (बॉक्स VII.1)।

VII.13 भारत सरकार के ऋण के लिए मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) पर इनपुट सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध कराई गई। एमटीडीएस को तीन साल (यानी, 2022-23 से 2024-25) की अवधि के साथ मध्यम अवधि के लिए तैयार किया गया है, जिसकी आम तौर पर अगले तीन वर्षों की रोल-ओवर अवधि के साथ वार्षिक समीक्षा की जाती है।

VII.14 दो राज्य, अर्थात् महाराष्ट्र और तेलंगाना पायलट एमटीडीएस की तैयारी के लिए सहमत हुए हैं। जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में राज्यों के लिए एमटीडीएस के उद्देश्यों/औचित्य और संरचना पर एक प्रस्तुति दी गई थी। वर्ष के दौरान राज्यों के लिए नकद और ऋण प्रबंधन पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (सीबीपी) के दौरान राज्यों के लिए एमटीडीएस के महत्व और लाभों को भी शामिल किया गया। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पायलट एमटीडीएस तैयार किया जा रहा है।

VII.15 आठ राज्यों, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और

¹ सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च (सीआईसीआईआरओ), नॉर्वे 1990 में स्थापित एक बहुविषयक जलवायु अनुसंधान संस्थान है। सीआईसीआईआरओ एक वैश्विक-अग्रणी संस्थान है जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रदान करता है जो समाज को जलवायु चुनौती से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग को मजबूत करने में मदद करता है।

बॉक्स VII.1 भारत के सॉवरन हरित बॉण्ड

विषयगत बॉण्ड निश्चित-आय वाली प्रतिभूतियां हैं जो पूंजी बाजार में जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आवास, महासागर और समुद्री संरक्षण, और सतत विकास लक्ष्यों जैसे विशिष्ट विषय से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के लिए जारी की जाती हैं (विश्व बैंक, 2022)। हरित बॉण्ड एक प्रकार के विषयगत बॉण्ड हैं, अन्य श्रेणियां सामाजिक बॉण्ड, धारणीयता बॉण्ड और धारणीयता संबंधी बॉण्ड हैं।

हरित बॉण्ड के मामले में, आगम का उपयोग विशेष रूप से नई और/या मौजूदा परियोजनाओं को वित्तपोषित या पुनर्वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जिनसे पर्यावरण और/या जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद होती है। जबकि हरित बॉण्ड निर्गम कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों/सिद्धांतों द्वारा समर्थित है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) के हरित बॉण्ड सिद्धांतों (जीबीपी) को व्यापक रूप से स्वैच्छिक प्रक्रिया दिशानिर्देशों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो पारदर्शिता और प्रकटीकरण की सिफारिश करते हैं और हरित बॉण्ड के विकास में ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं।

विश्व बैंक द्वारा पहला हरित बॉण्ड 2008 में जारी किया गया था। धारणीय वित्त के लिए वैश्विक बाजार ने 2014 के बाद से मुख्य रूप से हरित बॉण्ड जारी करने के कारण काफी वृद्धि दर्ज की है। प्रकाशित आंकड़ों (जलवायु बॉण्ड पहल, नवंबर, 2022) के अनुसार, 30 सितंबर 2022 तक संचयी हरित बॉण्ड निर्गम 2.0 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिसमें 26 सॉवरन द्वारा जारी निर्गमित सॉवरन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 230.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। यूरोपीय राष्ट्र एसजीआरबी के प्रमुख निर्गमकर्ता हैं, जिनमें 5-वर्ष और 10-वर्ष की निर्गम अवधियाँ ज्यादा हैं।

नवंबर 2021 में सीओपी26 के शिखर सम्मेलन² में, भारत ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की। भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा काफी अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में, भारत सरकार ने घोषणा की कि समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार में एसजीआरबी जारी किए जाएंगे। आगम सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाई जाएगी, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करेगी।

भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक के परामर्श से, आईसीएमए के जीबीपी की तर्ज पर सॉवरन हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया और 9 नवंबर 2022 को इसे अधिसूचित किया। यह फ्रेमवर्क सीआईसीआईआरओ द्वारा बाहरी समीक्षा के अधीन था। इसने भारत के हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क को 'अच्छे' अभिशासन के साथ 'मध्यम हरित' के रूप में रेट किया। फ्रेमवर्क विभिन्न पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हरित परियोजनाओं की नौ व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना। सरकार ने विभिन्न उपयुक्त हरित परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन तथा फ्रेमवर्क से संबंधित अन्य प्रासंगिक कार्यों के लिए एक 'हरित वित्त कार्य समिति' का गठन किया है। यह फ्रेमवर्क आगम के आबंटन और इसके पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन का प्रावधान करता है। ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त आगम का आवंटन और उपयोग भी लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

2022-23 के दौरान एसजीआरबी का कुल निर्गमन ₹16,000 करोड़ रखा गया था, जिसमें 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 को प्रत्येक ₹8,000 करोड़ की दो किश्तों में जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक किश्त में ₹4,000 करोड़ के लिए 5-वर्ष और 10-वर्षीय एसजीआरबी शामिल थे। एसजीआरबी के दोनों चरणों की नीलामी ने बाजार सहभागियों से 5-वर्षीय एसजीआरबी के लिए 3.04 के औसत प्राप्त-स्वीकृत बोली अनुपात और 10-वर्ष के एसजीआरबी के लिए 3.93 के साथ मजबूत मांग दर्ज की। 5-वर्ष और 10-वर्ष के एसजीआरबी के लिए औसत उच्चतम प्रतिफल क्रमशः 4.26 बीपीएस और 3.53 बीपीएस थे, जो संबंधित अवधि की पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिफल से कम थे।

संदर्भ:

1. विश्व बैंक (2022), 'सॉवरन ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड्स: अनलॉकिंग द पोटेंशियल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़', विश्व बैंक, अक्टूबर 2022।
2. हैरिसन, सी., मैकगियोच, एम. (2022), 'सस्टेनेबल डेट मार्केट समरी', क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव, नवंबर 2022।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विवेकसम्मत नकद और ऋण प्रबंधन के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए

राज्य-वार सीबीपी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, 14 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के

² 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर सीओपी26 के रूप में संदर्भित किया जाता है, 31 अक्टूबर-13 नवंबर 2021 के दौरान ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटिश इवेंट कैंपस (एसईसी) में आयोजित 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था।

लिए दिसंबर 2022 में रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में नकद और ऋण प्रबंधन पर दो दिवसीय सीबीपी आयोजित किया गया था।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.16 2022-23 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार का सकल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 26.04 प्रतिशत अधिक था। दिनांकित जी-सेक के माध्यम से निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 28.4 प्रतिशत बढ़ गया। दिनांकित जी-सेक के माध्यम से निवल बाजार उधार ने केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) [संशोधित अनुमान] का 63.1 प्रतिशत वित्तपोषित किया, जबकि पिछले वर्ष में जीएफडी (वास्तविक) का 54.5 प्रतिशत किया था। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 26.4 प्रतिशत बढ़ गया (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.17 वर्ष के दौरान जी-सेक निर्गम के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में पिछले वर्ष की तुलना में 104 बीपीएस की वृद्धि

सारणी VII.1: केंद्र सरकार के निवल बाजार उधार

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
निवल बाजार उधार (i से iv)	5,11,500	13,75,654	9,29,351	11,74,375
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ [@]	4,73,972	11,43,114	8,63,103	11,08,261
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	-9,600	10,713	45,439	-23,798
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	38,354	-18,743	71,252	52,426
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	8,774	2,40,570	-50,444	37,487

@: वापसी-खरीद/स्विच के लिए समायोजित किए बिना। वापसी-खरीद/स्विच के लिए समायोजन के बाद, 2022-23 के दौरान निवल बाजार उधार ₹11,71,951 करोड़, 2021-22 में ₹9,29,060 करोड़, 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़ और 2019-20 में ₹4,73,990 करोड़ रहा।

स्रोत: आरबीआई।

हुई। संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में भी 15 बीपीएस की वृद्धि हुई। प्राथमिक निर्गमों (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पिछले वर्ष के 16.99 वर्षों की तुलना में 16.05 वर्ष रही। बकाया ऋण का डब्ल्यूएएम 11.71 वर्ष से बढ़कर 11.94 वर्ष हो गया (सारणी VII.2)।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा का विस्तार			वर्ष के दौरान जारी [^]			बकाया स्टॉक [#]	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा [@]	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23*	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26

@: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर।

[^]: स्विच नीलामी को छोड़कर।

[#]: स्विच नीलामी सहित।


स्रोत: आरबीआई।

VII.18 पीडी पर आंशिक न्यागमन 2021-22 के सत्रह किशतों में ₹97,938 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान आठ किशतों में ₹23,053 करोड़ की राशि का हुआ। पिछले वर्ष ₹99,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि के नौ किशतों की तुलना में ₹16,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि के लिए चार किशतों पर कोई बोली स्वीकार नहीं की गई थी।

VII.19 जी-सेक प्रतिफल वर्ष के दौरान मुख्य रूप से वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और साथ ही प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने के प्रभाव विस्तार के कारण लगातार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की वजह से बढ़ गया। मार्च 2022 के अंत में 6.84 प्रतिशत से 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 47 बीपीएस बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 7.31 प्रतिशत हो गया। मई 2022 में रिजर्व बैंक द्वारा 40 बीपीएस की ऑफ-साइकल दर वृद्धि और 50 बीपीएस की सीआरआर वृद्धि और जून में 50 बीपीएस की दर वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक नीति के समायोजन को कम करने के रुख के कारण 2022-23 की पहली तिमाही में प्रतिफल में तेजी से वृद्धि हुई। अप्रैल और मई की उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति ने प्रतिफल पर भी भार डाला। 30 जून 2022 को 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल पहली तिमाही में 61 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ 7.45 प्रतिशत पर बंद हुआ। दूसरी तिमाही में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती वृद्धि चिंताओं के कारण अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने की अपेक्षाओं को देखते हुए जुलाई और अगस्त के दौरान सामान्य तौर पर प्रतिफल में गिरावट आई। हालांकि, यूएस फेड की 75 बीपीएस की दर वृद्धि और इसके सख्त निदेशन जिसके कारण अमेरिकी खजाना प्रतिफल में वृद्धि हुई इसे देखते हुए प्रतिफल की प्रवृत्ति बदल गई और सितंबर में इसमें वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 5 बीपीएस की मामूली गिरावट के साथ 7.40 प्रतिशत पर बंद हुआ। तीसरी तिमाही में, शुरुआत में सितंबर की अपेक्षाओं से अधिक घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति को देखते हुए प्रतिफल में वृद्धि हुई। हालांकि, अपेक्षाओं-से-कम अमेरिकी सीपीआई प्रिंट जारी होने और वैश्विक मांग में कमी के प्रति चिंताओं के बीच कच्चे तेल की

कीमतों में गिरावट के बाद अमेरिकी प्रतिफल में आई काफी हद तक नरमी को देखते हुए नवंबर में प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। दिसंबर के दौरान प्रतिफल बढ़ा क्योंकि यूएस फेड ने 2023 के लिए अपने अंतिम ब्याज दर अनुमान को बढ़ा दिया। 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल तीसरी तिमाही में 7 बीपीएस कम होकर 7.33 प्रतिशत पर बंद हुआ। 2023-24 के लिए अपेक्षा से कम सरकारी बाजार उधार की केंद्रीय बजट घोषणा के बाद चौथी तिमाही की शुरुआत में प्रतिफल में गिरावट आई। मूल मुद्रास्फीति के बने रहने और दर वृद्धि चक्र में ठहराव के कोई भावी संकेत नहीं होने की चिंताओं के बीच समायोजन के रुख को कम करने जिसे बाजार भागीदारों ने सख्त माना और नीतिगत रिपो दर में 25 बीपीएस की वृद्धि करने के मौद्रिक नीति समिति के फैसले की वजह से प्रतिफल बढ़ गया। अमेरिकी खजाना प्रतिफल में गिरावट के चलते मार्च में प्रतिफल में गिरावट आई। 31 मार्च 2023 को 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल चौथी तिमाही में 2 बीपीएस की मामूली गिरावट के साथ 7.31 प्रतिशत पर बंद हुआ। (चार्ट VII.1)।

VII.20 2022-23 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 48.9 प्रतिशत पिछले वर्ष के 58.2 प्रतिशत की तुलना में 10-वर्षीय और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाया गया था। इसके अलावा,



सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2020-21		2021-22		2022-23	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	3,91,990	28.6	2,29,255	20.3	2,70,000	19.0
5 - 9.99 वर्ष	3,07,405	22.4	2,41,865	21.5	4,56,000	32.1
10-14.99 वर्ष	3,76,766	27.5	3,20,639	28.4	2,86,000	20.1
15 -19.99 वर्ष	-	-	-	-	-	-
20 वर्ष और अधिक	2,94,162	21.5	3,35,621	29.8	4,09,000	28.8
कुल	13,70,324	100.0	11,27,382	100.0	14,21,000	100.0
- : शून्य।						
टिप्पणी: संख्याओं का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।						
स्रोत : आरबीआई						

बीमा कंपनियों और भविष्य निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 30-वर्ष और 40-वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियां निर्गमित/पुनर्निर्गमित की गईं (सारणी VII.3)

खज़ाना बिल

VII.21 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकद आवश्यकताओं को खज़ाना बिल (टी-बिल) जारी करके पूरा किया जाता है। खज़ाना-बिल (91, 182 और 364 दिन) के माध्यम से सरकार का निवल अल्पकालिक बाजार उधार पिछले वर्ष के ₹66,248 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹66,114 करोड़ हो गया।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.22 वाणिज्यिक बैंक दिसंबर 2022 के अंत तक 37.5 प्रतिशत के साथ सरकारी प्रतिभूतियों [खज़ाना बिल और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों³ (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, इसके बाद बीमा कंपनियों (25.2 प्रतिशत), रिजर्व बैंक (9.2 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.8 प्रतिशत) थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 0.9 प्रतिशत

रही। सरकारी प्रतिभूतियों (खज़ाना बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.23 पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 स्वचलित पीडी (एसपीडी)] थी। पीडी के पास दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी का अधिकार है जबकि उनके पास टी-बिल/नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से खज़ाना बिलों की प्राथमिक नीलामी में 40 प्रतिशत का निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात हासिल किया। पिछले वर्ष के 71.4 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 के दौरान खज़ाना बिल/सीएमबी की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 68.98 प्रतिशत थी। 2022-23 के दौरान दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए जीएसटी छोड़कर, पीडी को भुगतान किया गया कमीशन, 2021-22 के दौरान ₹412.7 करोड़ की तुलना में ₹91.08 करोड़ था।


³ Refer to footnote 31 of Chapter II of this Report.

सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.24 रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2022-23 के लिए एसजीबी के चार चरणों वाले कैलेंडर की घोषणा की। वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई कुल राशि ₹6,551 करोड़ (12.26 टन) थी। नवंबर 2015 में एसजीबी योजना की शुरुआत के बाद से 63 चरणों के माध्यम से कुल ₹ 45,243 करोड़ (102.63 टन) जुटाए गए हैं।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.25 केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 की शुरुआत ₹40,352 करोड़ के नकद शेष के साथ की। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, केंद्र की डब्ल्यूएमए सीमा 2022-23 की पहली छमाही के लिए ₹1,50,000 करोड़ तय की गई थी। इसके अलावा, दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष में शून्य डब्ल्यूएमए/ओडी की तुलना में 2022-23 के दौरान 9 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का सहारा लिया। वर्ष के अधिकांश भाग में, केंद्र सरकार का नकद शेष मजबूत कर प्रवाह के साथ सहज बना रहा (चार्ट VII.2)।



विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के तहत निवेश

VII.26 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत, रिज़र्व बैंक भारतीय जी-सेक के द्वितीयक जी-सेक बाज़ार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से निवेश करता है। पिछले वर्ष के ₹3,285 करोड़ (अंकित मूल्य) की तुलना में 2022-23 के दौरान इन संस्थानों की ओर से कुल लेनदेन की मात्रा ₹4,805 करोड़ (अंकित मूल्य) रही।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.27 राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) से बाहर करने की 14वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के बाद, राज्यों की बाजार उधारी पिछले कुछ वर्ष से बढ़ रही है। राज्यों के जीएफडी के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी 2021-22 (आरई) में 68.1 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 (बीई) में 78.1 प्रतिशत हो गई।

VII.28 राज्यों की सकल और निवल बाजार उधारी पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 2022-23 में राज्यों की सकल बाजार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारी के लिए तिमाही सांकेतिक कैलेंडर में दर्शाई गई राशि का 76 प्रतिशत थी। 2022-23 में 605 निर्गम थे, जिनमें से 45 पुनर्निर्गम थे (2021-22 में 608 निर्गम, जिनमें से 60 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]

VII.29 2022-23 के दौरान एसजीएस निर्गमों का भारित औसत उच्चतम प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 6.98 प्रतिशत की तुलना में 7.71 प्रतिशत अधिक था। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनीय परिपक्वता पर एसजीएस निर्गम का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएस) पिछले वर्ष के 40.95 बीपीएस की तुलना में 2022-23 में 31 बीपीएस पर कम था। 2022-23 में, इक्कीस राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने 10-वर्ष के अलावा 2 से 35 वर्ष तक की अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी कीं। सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने एक या अधिक नीलामियों में सभी बोलियों को खारिज किया। 10-वर्षीय अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतरराज्यीय

सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1,47,067	1,47,039	2,09,143	2,39,562
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृती	7,12,744	9,69,525	8,95,166	8,80,779
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	6,34,521	7,98,816	7,01,626	7,58,392
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	4,87,454	6,51,777	4,92,483	5,18,830
कुल स्वीकृतियों की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	89.0	82.4	78.4	86.1
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	32,65,989	39,25,555	44,29,957	49,29,079
#: उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।				
स्रोत : आरबीआई				

स्प्रेड 2021-22 के 4 बीपीएस की तुलना में 2022-23 में 3 बीपीएस था।

VII.30 मौजूदा डब्ल्यूएमए सीमाओं की समीक्षा करने और कोविड-19 प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) के लिए डब्ल्यूएमए सीमाएं और समय-सीमा तय की जाए जैसा कि 'राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम' पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने सिफारिश की थी, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। तदनुसार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा ₹47,010 करोड़ निर्धारित की गई थी। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं और एक तिमाही में अधिकतम 36 दिनों तक ओडी में रह सकते हैं। 2022-23 के दौरान, सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, बारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और ग्यारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.31 वर्षों से, राज्य मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) के रूप में भारी मात्रा में नकद अधिशेष जमा कर रहे हैं। आईटीबी और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) में राज्यों के बकाया निवेश में वर्ष 2022-23 के दौरान कमी आई (सारणी V.II.5)।

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.32 रिजर्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अब तक, 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी, पुडुचेरी ने सीएसएफ की शुरुआत की है। वर्तमान में, 19 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। एसडीएफ के माध्यम से सीएसएफ और जीआरएफ में अपने वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले रिजर्व बैंक से रियायती दर पर निधि प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹1,84,029 करोड़ और ₹10,839 करोड़ था, जबकि मार्च 2022 के अंत में ₹1,54,255 करोड़ और ₹9,399 करोड़ था।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,22,084	1,54,757	2,05,230	2,16,272	2,12,758
एटीबी	73,927	33,504	41,293	87,400	58,913
कुल	1,96,011	1,88,261	2,46,523	3,03,672	2,71,671
स्रोत : आरबीआई					

VII.33 ओडिशा सरकार से प्राप्त एक अनुरोध पर, एक बजट स्थिरीकरण कोष स्थापित किया गया है जो राज्य के बजट पर राजस्व आघात के जोखिम शमन में राज्य की जरूरतों को पूरा करेगा। कोष का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर अस्थिर राजस्व के प्रभाव को कम करना है।

3. 2023-24 की कार्यसूची

VII.34 केंद्रीय बजट 2023-24 में, 2023-24 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार का बजट 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ₹14,21,000 करोड़ की तुलना में ₹15,43,000 करोड़ रखा गया है। निवल बाजार उधार (टी-बिल सहित) का बजट ₹12,30,911 करोड़ है, जो 2023-24 में जीएफडी के 68.89 प्रतिशत का वित्तपोषण करता है।

VII.35 वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के तहत खुदरा निवेशकों के लिए पहुँच को और आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास;

- आरबीआई की 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के बारे में खुदरा निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करना;
- विदेशी केन्द्रीय बैंकों से लेनदेन की सुविधा के लिए विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का कार्यान्वयन;
- आरबीआई के डेटा वेयरहाउस प्रणाली में सरकारी ऋण सांख्यिकी के कवरेज का विस्तार; और
- नकद और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

4. निष्कर्ष

VII.36 मुद्रास्फीति में वैश्विक वृद्धि, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को एक साथ सख्त करने, और कमोडिटी की कीमतों पर यूक्रेन पर युद्ध के लंबे समय तक प्रभाव के कारण लगातार अनिश्चित समष्टिआर्थिक स्थितियों के बीच, 2022-23 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। चूंकि वैश्विक अनिश्चितता जारी है, केंद्र के बजटीय राजकोषीय घाटे के कम रहने के बावजूद बाजार उधारी के लिए चुनौतियां बनी रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक सरकारों के लिए स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने का प्रयास करेगा।

वर्ष के दौरान मुद्रा प्रबंध का फोकस पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बैंकनोट संचलन में उपलब्ध कराने पर बना रहा। रिज़र्व बैंक ने लाइव-पायलट आधार पर e₹ (डिजिटल रुपया) आरंभ किया, मुद्रा प्रबंध परिचालन को इष्टतम बनाने के लिए एक अध्ययन किया और यूनिकाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करके क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन पर पायलट परियोजना की अवधारणा बनाई।

VIII.1 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की और साथ ही गंदे नोटों के निपटान की गति तेज बनी रही। रिज़र्व बैंक ने लाइव-पायलट आधार पर e₹ (डिजिटल रुपया)¹ के रिटेल और होलसेल स्वरूप को भी आरंभ किया, मुद्रा प्रबंध परिचालन को इष्टतम बनाने के लिए देश भर में एक अध्ययन किया तथा जनता तक और सुलभता से सिक्के पहुँचाने के लिए यूपीआई का प्रयोग कर क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन पर पायलट परियोजना की अवधारणा बनाई।

VIII.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के शेष अंश को पांच भागों में व्यवस्थित किया गया है। इसके अगले भाग में वर्ष के दौरान संचलनगत मुद्रा में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में 2022-23 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति और साथ ही प्रमुख गतिविधियों को कवर किया गया है तथा भाग 4 में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), जो रिज़र्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है, के संबंध में घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। भाग 5 में 2023-24 की कार्ययोजना बताई गई है, जबकि अंतिम भाग में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.3 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट, सिक्के और e₹ आते हैं। e₹ वर्ष के दौरान लाइव-पायलट आधार पर आरंभ किया गया था। वर्तमान में, संचलनगत बैंकनोट में ₹2, ₹5, ₹10,

₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग शामिल हैं। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के सिक्के शामिल हैं।

VIII.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22ए के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित मूल्यवर्ग डिजिटल स्वरूप के बैंकनोटों पर लागू नहीं होंगे। तदनुसार, e₹-रिटेल का लाइव-पायलट 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के मूल्यवर्ग में आरंभ किया गया है, जबकि e₹-होलसेल में कोई मूल्यवर्ग परिकल्पित नहीं किया गया है।

बैंकनोट

VIII.5 वर्ष 2022-23 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 के दौरान क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी (सारणी VIII.1)। मूल्य के संदर्भ में, कुल संचलनगत बैंकनोटों में ₹500 और ₹2000 के बैंकनोटों का प्रतिशत 31 मार्च 2022 के 87.1 प्रतिशत की तुलना में, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 87.9 प्रतिशत रहा। मात्रा के संदर्भ में, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹500 के मूल्यवर्ग का भाग 37.9 प्रतिशत पर सबसे अधिक रहा, इसके बाद ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट रहे, जिनका कुल संचलनगत बैंकनोटों में प्रतिशत 19.2 था।

¹ केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)।

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,11,728 (9.0)	1,11,261 (8.5)	1,10,843 (8.1)	4,307 (0.2)	4,284 (0.1)	4,263 (0.1)
10	2,93,681 (23.6)	2,78,046 (21.3)	2,62,123 (19.2)	29,368 (1.0)	27,805 (0.9)	26,212 (0.8)
20	90,579 (7.3)	1,10,129 (8.4)	1,25,802 (9.2)	18,116 (0.6)	22,026 (0.7)	25,160 (0.8)
50	87,524 (7.0)	87,141 (6.7)	85,716 (6.3)	43,762 (1.5)	43,571 (1.4)	42,858 (1.3)
100	1,90,555 (15.3)	1,81,420 (13.9)	1,80,584 (13.3)	1,90,555 (6.7)	1,81,421 (5.8)	1,80,584 (5.4)
200	58,304 (4.7)	60,441 (4.6)	62,620 (4.6)	1,16,608 (4.1)	1,20,881 (3.9)	1,25,241 (3.7)
500	3,86,790 (31.1)	4,55,468 (34.9)	5,16,338 (37.9)	19,33,951 (68.4)	22,77,340 (73.3)	25,81,690 (77.1)
2000	24,510 (2.0)	21,420 (1.6)	18,111 (1.3)	4,90,195 (17.3)	4,28,394 (13.8)	3,62,220 (10.8)
कुल	12,43,671	13,05,326	13,62,137	28,26,863	31,05,721	33,48,228

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

सिक्के

मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलाकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 83.1 प्रतिशत रहे, जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 72.3 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

VIII.6 वर्ष 2022-23 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य 8.1 प्रतिशत बढ़ा जबकि कुल मात्रा 2.6 प्रतिशत बढ़ी। 31

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880 (12.0)	1,47,880 (11.9)	1,47,880 (11.6)	700 (2.6)	700 (2.5)	700 (2.3)
1	5,12,597 (41.7)	5,15,879 (41.4)	5,21,618 (40.8)	5,126 (19.1)	5,159 (18.4)	5,216 (17.2)
2	3,37,863 (27.5)	3,40,792 (27.3)	3,47,277 (27.1)	6,757 (25.1)	6,816 (24.4)	6,946 (23.0)
5	1,79,360 (14.6)	1,84,331 (14.8)	1,94,155 (15.2)	8,968 (33.4)	9,217 (33.0)	9,708 (32.1)
10	51,391 (4.2)	54,044 (4.3)	59,764 (4.7)	5,139 (19.1)	5,404 (19.3)	5,976 (19.8)
20	896 (0.1)	3,372 (0.3)	8,483 (0.7)	179 (0.7)	674 (2.4)	1,697 (5.6)
कुल	12,29,988	12,46,298	12,79,178	26,870	27,970	30,242

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

संचलनगत e₹ (डिजिटल रुपया)

VIII.7 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, संचलनगत e₹-होलसेल (e₹-डबल्यू) और e₹-रिटेल (e₹-आर) का मूल्य क्रमशः ₹10.69 करोड़ और ₹5.70 करोड़ था (सारणी VIII.3)।

मुद्रा प्रबंध आधार-संरचना

VIII.8 मुद्रा (बैंकनोट व सिक्के दोनों) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिजर्व बैंक देश में भर में फैले अपने 19 निर्गम कार्यालयों, 2,838 करेंसी चेस्टों और 2,293 छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के

सारणी VIII.3: संचलनगत e₹ (मार्च-अंत)

(e₹)	मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)	मूल्य (करोड़ ₹ में)
		2023	2023
1	2	3	4
e₹- रिटेल	0.5	2.7 (16.1)	0.01 (0.2)
	1	3.8 (22.2)	0.04 (0.7)
	2	2.8 (16.2)	0.06 (1.0)
	5	2.4 (13.9)	0.12 (2.1)
	10	1.5 (8.8)	0.15 (2.6)
	20	1.2 (6.8)	0.23 (4.1)
	50	0.8 (4.6)	0.39 (6.9)
	100	0.8 (4.8)	0.83 (14.5)
	200	0.6 (3.4)	1.16 (20.4)
	500	0.5 (3.2)	2.71 (47.5)
	2000	-	-
कुल e₹- रिटेल		17.1	5.70
कुल e₹- होलसेल		...	10.69
कुल e₹		...	16.39

- : शून्य. ... : लागू नहीं

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.4: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों का डिपो

वर्ग	करेंसी चेस्ट की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,508	1,273
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,095	827
निजी क्षेत्र के बैंक	220	179
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
भारतीय रिजर्व बैंक	1	1
कुल	2,838	2,293

स्रोत: आरबीआई।

अनुसार, करेंसी चेस्ट में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा (53.14 प्रतिशत) रहा (सारणी VIII.4)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.9 वर्ष 2022-23 के लिए बैंकनोटों की मांग और आपूर्ति दोनों में एक वर्ष पहले की तुलना में 1.6 प्रतिशत की हल्की बढ़त हुई (सारणी VIII.5)।

सारणी VIII.5: बैंकनोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2020-21		2021-22		2022-23	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	-
10	2,840	2,846	7,500	7,510	6,000	6,000
20	48,750	38,520	20,000	20,000	20,000	19,999
50	14,000	13,887	15,000	15,000	20,000	20,000
100	40,000	37,270	40,000	40,002	60,000	60,000
200	15,000	15,106	12,000	11,991	20,000	20,000
500	1,06,000	1,15,672	1,28,000	1,28,003	1,00,000	1,00,004
2000	-	-	-	-	-	-
कुल	2,26,590	2,23,301	2,22,500	2,22,505	2,26,000	2,26,002

- : शून्य.

बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.6: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2020-21		2021-22		2022-23	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000
2	9,500	6,718	2,000	2,000	3,000	3,000
5	11,000	10,995	2,000	2,000	3,000	3,000
10	5,500	5,852	2,000	2,000	1,000	1,002
20	3,000	5,061	2,000	2,000	2,000	2,000
कुल	30,000	29,626	8,000	8,000	10,000	10,002
-: शून्य						
स्रोत: आरबीआई।						

VIII.10 वर्ष 2022-23 में सिक्कों की मांग और आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक रहे (सारणी VIII.6)।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.11 वर्ष 2022-23 के दौरान गंदे नोटों का निपटान, पिछले वर्ष के 1,878.01 करोड़ नोट से 22.1 प्रतिशत बढ़कर 2,292.64 करोड़ नोट हो गया (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.7: गंदे नोटों का निपटान (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4
2000	4,548	3,847	4,824
1000	-	-	-
500	5,909	22,082	51,092
200	1,186	6,167	13,062
100	42,433	59,203	58,282
50	12,738	27,696	34,219
20	10,325	20,771	21,393
10	21,999	46,778	45,077
5 तक	564	1,257	1,315
कुल	99,702	1,87,801	2,29,264
- : लागू नहीं			
टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।			
स्रोत: आरबीआई।			

जाली नोट

VIII.12 वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गई नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 4.6 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में और 95.4 प्रतिशत अन्य बैंकों में पकड़े गए (सारणी VIII.8)।

VIII.13 गत वर्ष की तुलना में, ₹20 और ₹500 (नई डिजाइन) के मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹10, ₹100, और ₹2000 के मूल्य वर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमशः 11.6

सारणी VIII.8: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में पकड़े गए	कुल
1	2	3	4
2020-21	8,107 (3.9)	2,00,518 (96.1)	2,08,625 (100.0)
2021-22	15,878 (6.9)	2,15,093 (93.1)	2,30,971 (100.0)
2022-23	10,465 (4.6)	2,15,304 (95.4)	2,25,769 (100.0)
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।			
2. डेटा में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।			
स्रोत: आरबीआई।			

सारणी VIII.9: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट-मूल्यवर्ग के अनुसार (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4
2 और 5	9	1	3
10	304	354	313
20	267	311	337
50	24,802	17,696	17,755
100	1,10,736	92,237	78,699
200	24,245	27,074	27,258
500 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	9	14	6
500	39,453	79,669	91,110
1000 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	2	11	482
2000	8,798	13,604	9,806
कुल	2,08,625	2,30,971	2,25,769
स्रोत: आरबीआई।			

प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.9)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.14 पिछले वर्ष के ₹4,984.80 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय ₹4,682.80 करोड़ था।

3. वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

VIII.15 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद [उत्कर्ष] (पैराग्राफ VIII.16);
- बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की सुदृढ़ता की जांच के लिए नवीनतम शोध करने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की स्थापना और नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VIII.17];

- मुद्रा प्रबंध में स्वचालन और व्यवस्थागत पक्ष (लॉजिस्टिक्स) पर अध्ययन (पैराग्राफ VIII.18);
- दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मनी) एप – एप में पहले से उपलब्ध हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाएं आरंभ करना (पैराग्राफ VIII.19); और
- भुगतान के लिए नकदी, सिक्के और डिजिटल माध्यम के उपयोग पर सर्वेक्षण (पैराग्राफ VIII.20)।

कार्यान्वयन की स्थिति

नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद

VIII.16 संचलन के लिए अनुपयुक्त पाए गए नोटों के निपटान के लिए अत्याधुनिक श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग मशीनों की खरीद के लिए एक वैश्विक रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया गया था। पात्र ईओआई आवेदकों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी कर क्रय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की सुदृढ़ता की जांच के लिए नवीनतम शोध करने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की स्थापना और नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करना

VIII.17 मुद्रा अनुसंधान केंद्र के पहले चरण के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के मैसूरु परिसर में एक प्रतिकूल विश्लेषण² प्रयोगशाला के परिचालन की दिशा में प्रगति हुई है।

मुद्रा प्रबंध में स्वचालन और व्यवस्थागत पक्ष पर अध्ययन

VIII.18 विभाग ने आईआईटी बॉम्बे को मुद्रा प्रबंध में स्वचालन और लॉजिस्टिक्स पर अध्ययन का कार्य सौंपा है। अध्ययन का दायरा मुद्रा नेटवर्क डिजाइन को समझना और तैयार करना, प्रक्रियाओं के यांत्रिकीकरण और स्वचालन की संभावना की जांच करना और शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार करना था। उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

² प्रतिकूल विश्लेषण में जाली नोट बनाने के जोखिम के आकलन के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों/ तकनीशियनों द्वारा व्यवसायिक रूप से उपलब्ध सामग्री और उपकरण का उपयोग कर बैंकनोटों का इन-हाउस सिमुलेशन किया जाता है।

मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मनी) – बहुभाषी श्रव्य नोटिफिकेशन का आरंभ और 'आंशिक दृष्टि' वाले व्यक्तियों द्वारा मनी ऐप के उपयोग का विकल्प उपलब्ध करना

VIII.19 वर्ष के दौरान मनी ऐप में दो नई सुविधाएं आरंभ की गईं। अब यह पहले से उपलब्ध हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 नई भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में ऑडियो सूचना द्वारा बैंकनोट के मूल्यवर्ग की पहचान कर सकता है। ऐप को 'आंशिक दृष्टि' वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए भी सक्षम बनाया गया है।

भुगतान के लिए बैंकनोट, सिक्कों और डिजिटल माध्यम के उपयोग पर सर्वेक्षण

VIII.20 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) की सहभागिता में एक देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया जिसका उद्देश्य सिक्कों और बैंकनोटों की मांग, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों, सिक्कों और बैंकनोटों के लिए मांग की कमी के कारणों (यदि कोई हों) का आकलन, बैंकनोटों, सिक्कों और भुगतान के डिजिटल तरीकों के उपयोग के लिए सीमा और वरीयता, बैंकनोटों और सिक्कों की कमी/अधिकता (मौसम के अनुसार/मूल्यवर्ग के अनुसार) आदि था।

प्रमुख गतिविधियां

सिक्कों के वितरण के लिए मोबाइल सिक्का वैन (एमसीवी) पर पायलट परियोजना

VIII.21 देश के दूरस्थ भागों में सिक्के उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों के क्रम में, कुछ बैंकों द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से चुनिंदा राज्यों में पायलट आधार पर एमसीवी का परिचालन किया जा रहा है। प्राप्त अनुभव के आधार पर, इस

पहल को और राज्यों में विस्तारित किया जा रहा है।

मुद्रा संबंधी विषयों पर माइक्रोसाइट

VIII.22 भारतीय मुद्रा पर नई माइक्रोसाइट बैंकनोटों की इंटरएक्टिव 360 डिग्री छवि और विभिन्न मल्टीमीडिया विकल्पों के माध्यम से डिजाइन और सुरक्षा सुविधाओं पर जानकारी प्रदर्शित करेगी।

बैंकनोटों के बदलने और सिक्कों की स्वीकार्यता से संबंधित जागरूकता अभियान

VIII.23 ग्राहक सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए एसएमएस, एफएम रेडियो और डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) के माध्यम से 'बैंकनोटों के बदलने' पर अभियान चलाया गया।

VIII.24 जनता द्वारा सिक्कों की व्यापक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न डिजाइनों के संचलनगत सिक्कों के संबंध में भ्रामक धारणाओं और आशंकाओं को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू किया।

क्यूआर कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन पर पायलट परियोजना

VIII.25 जनता तक सिक्कों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक ने डायनेमिक विक्क रेस्पॉन्स (क्यूआर) कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक पायलट परियोजना की अवधारणा बनाई है, जो यूपीआई का उपयोग करने वाली कैशलेस सिक्का वितरण प्रणाली है। पायलट परियोजना को देश भर के 12 शहरों में 19 स्थलों पर शुरू किया जा रहा है (बॉक्स VIII.1)।

बॉक्स VIII.1

क्यूआर कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर पायलट प्रोजेक्ट

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 के अनुसार, भारत सरकार को एक रुपये के नोट सहित सिक्कों का उत्पादन/ढलाई करने का एकमात्र अधिकार है। ये सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 38 के अनुसार केवल रिज़र्व बैंक के माध्यम से संचालन के लिए जारी किए जाते हैं।

वर्तमान में, सिक्कों को बड़े पैमाने पर सभी बैंक शाखाओं में काउंटरों के माध्यम से वितरित किया जाता है। हाल ही में कई उपाय किए गए हैं जैसे सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों को प्रोत्साहन बढ़ाना, सिक्का वितरण के लिए मोबाइल सिक्का वैन का उपयोग करना, जिसमें उप-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और करेंसी चेस्ट शाखाओं द्वारा सिक्का मेले आयोजित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिक्कों के वितरण में और सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने पांच बैंकों (अर्थात् एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,

आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और फेडरल बैंक) के सहयोग से क्यूसीवीएम पर एक पायलट परियोजना शुरू की है।

क्यूसीवीएम एक कैशलेस सिक्का वितरण प्रणाली है जो ग्राहक के मोबाइल फोन पर मशीन द्वारा उत्पन्न गतिशील क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान लेनदेन की अनुमति देती है।

नकदी-आधारित पारंपरिक सिक्का वेंडिंग मशीनों के विपरीत, क्यूसीवीएम बैंकनोटों की भौतिक टेंडरिंग और उनके बाद के प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके अलावा, क्यूसीवीएम में, ग्राहकों के पास आवश्यक मात्रा और मूल्यवर्ग में सिक्कों को लेने का विकल्प होगा।

पायलट परियोजना शुरू में देश भर के 12 शहरों (अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, प्रयागराज और कोझीकोड) में 19 स्थानों पर शुरू की जा रही है।

स्रोत: आरबीआई

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.26 रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के लिए नई/ उन्नयित सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है।

एटीएम पारितंत्र में नकदी वितरण और संबंधित मुद्दों की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा

VIII.27 जनता को इष्टतम मिश्रित मूल्यवर्ग में स्वच्छ नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और एटीएम में ग्राहक अनुभव बेहतर बनाने के लिए, एटीएम पारितंत्र में नकदी वितरण और संबंधित मुद्दों की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अन्य मुद्दों के अलावा बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम के इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने से संबंधित मुद्दों की जांच की ताकि उच्च एटीएम अपटाइम और विशेष रूप से पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों जैसे दूरदराज और कम सेवा वाले स्थानों में बेहतर मुद्रा वितरण सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने एटीएम डाउनटाइम, कैसेट स्वैप, एटीएम/कैश रिसाइकलर्स की सुरक्षा और एटीएम पारितंत्र में प्रोत्साहन और हतोत्साहन की आवश्यकता संबंधी मौजूदा अनुदेशों की समग्र समीक्षा भी की।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.28 भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीआरबीएनएमपीएल बैंक नोटों के डिजाइन, मुद्रण और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीआरबीएनएमपीएल प्रेसों से करेंसी चेस्ट को प्रत्यक्ष बैंकनोट प्रेषण में वृद्धि हुई है, जिससे व्यवस्थागत पक्ष की दक्षता और लागत प्रभाविता में वृद्धि हुई है।

5. 2023-24 के लिए कार्यसूची

VIII.29 इस वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मुद्रा प्रबंध में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए मुद्रा नेटवर्क डिजाइन, मशीनीकरण और स्वचालन, और शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन पर रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करना;
- बैंकनोटों पर नवीनतम अनुसंधान करने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना (उत्कर्ष 2.0);

- संचलन में नोटों की गुणवत्ता पर सर्वेक्षण करना (उत्कर्ष 2.0);
- नकदी उपयोग संकेतक विकसित करना (उत्कर्ष 2.0);
- नकदी वितरण के मौजूदा तंत्र और एटीएम पारितंत्र में संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन; और
- निर्धारित छंटाई मानकों के अनुरूप नोट छंटाई मशीनों के प्रमाणन की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना।

6. निष्कर्ष

VIII.30 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध पारितंत्र की दक्षता बढ़ाने, विनिमय सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंकनोटों और सिक्कों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ-साथ जनता को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बैंकनोट उपलब्ध कराए। भविष्य में, रिज़र्व बैंक का प्रयास बैंक नोटों की सत्यता को सुदृढ़ करने, बैंकनोट वितरण की दक्षता और प्रभाविता को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य भुगतान स्वरूपों की तुलना में नकदी के प्रति सार्वजनिक रुझान को समझने के लिए विश्लेषणात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा।

रिज़र्व बैंक ने ग्राहक केंद्रीयता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रसार/गहनता पर केंद्रित लक्षित पहलों के साथ-साथ भुगतान पारितंत्र की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया है। पिछली विज़न अवधि (2019-21) के दौरान की गई पहलों का लाभ उठाते हुए भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ को जारी किया गया। रिज़र्व बैंक ने अपनी आईटी प्रणालियों और अनुप्रयोगों के सुचारु कामकाज के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

IX.1 कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली आर्थिक विकास को प्रेरित करती है, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है और वित्तीय समावेशन में सहयोग करती है। संरक्षित, सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ, किफ़ायती और कुशल भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यनीतिक लक्ष्यों में से एक रहा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में, रिज़र्व बैंक की भूमिका एक विनियामक, ऑपरेटर और सुविधा प्रदाता के अतिरिक्त भारत में भुगतान पारितंत्र के संरचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माता के रूप में परिवर्तित हो गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भुगतान विज़न दस्तावेज़ों ने 2001 के बाद से इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक दिशा और कार्यान्वयन योजनाएं प्रदान की हैं। वर्ष के दौरान जारी भुगतान विज़न 2025 भुगतान विज़न 2019-21 पर आधारित है और दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए विचार प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, उभरती स्थितियों में भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ में निर्दिष्ट के अतिरिक्त नई पहलों को लॉन्च करने की आवश्यकता हो सकती है। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) का ध्यान रिज़र्व बैंक में एक नए उन्नत फ़ायरवॉल समाधान के कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए नई पीढ़ी के एकीकृत सुरक्षा संचालन केंद्र (आईएसओसी) में उन्नयन की पहल और अक्टूबर 2022 में 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा

जागरूकता' अभियान शुरू करने के माध्यम से साइबर आघात सहनीयता पर रहा।

IX.2 इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित खंड में वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में गतिविधियां शामिल हैं और 2022-23 के लिए एजेंडा के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायज़ा लिया गया है। खंड 3 में वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित कार्यसूची की तुलना में वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपाय दर्शाए गए हैं। इन विभागों ने 2023-24 के लिए भी एक कार्यसूची निर्दिष्ट की है। खंड 4 में अध्याय का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.3 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने भुगतान पारितंत्र को सुधारने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा और पिछली विज़न अवधि (2019-21) के दौरान की गई पहलों को समेकित करने के लिए भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ जारी किया। भुगतान विज़न 2025 अखंडता, समावेश, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण (बॉक्स IX.1) के पांच स्तंभों पर बनाया गया है। इन उपायों से भुगतान पारितंत्र को और मजबूत करने और भुगतान प्रणालियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक विनियामक वातावरण बनने की उम्मीद है।

बॉक्स: IX.1

भुगतान विज़न 2025

भुगतान विज़न 2025 को ई-भुगतान सब के लिए, सर्वत्र और सदैव इस मुख्य विषय के साथ जारी किया गया था। विज़न का उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को संरक्षित, सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और

किफ़ायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 के हिस्से के रूप में नियोजित विभिन्न आयामों पर चर्चा सहित विशिष्ट पहलों का एक चित्रण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अखंडता	समावेशन	नवोन्मेष	संस्थागतकरण	अंतर्राष्ट्रीयकरण
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र को अपनाना। सभी भुगतान गतिविधियों में वैध इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) के दायरे, उपयोग और प्रासंगिकता को व्यापक बनाना। ऑफ़लाइन मोड में संपर्क रहित पारगमन कार्ड भुगतान के लिए अंतर परिचालनीयता / इंटरऑपरेबिलिटी का विस्तार करना। भुगतान प्रणालियों की मापनीयता और आघात सहनीयता में वृद्धि। धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली का लाभ उठाना। केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) का संवर्धन प्रदान करना। निधि अंतरण के लिए आदाता के नाम की जांच प्रदान करना। भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की आनुपातिक निगरानी में वृद्धि। वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे (पीएफएमआई) के लिए सिद्धांतों के तहत आरटीजीएस और एनईएफटी का मूल्यांकन शामिल करना। भुगतान लेनदेन के स्थानीय प्रसंस्करण का अन्वेषण करना। डिजिटल भुगतान संरक्षण कोष (डीपीपीएफ) के निर्माण का अध्ययन। 	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल भुगतान अवसंरचना और लेन-देन की जियोटैगिंग सक्षम करना। सीमित/ बंद पीपीआई प्रणाली सहित पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करना। भुगतान परितंत्र में सभी महत्वपूर्ण मध्यस्थों के विनियमन के लिए रूपरेखा पर विचार करना। चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) में सुधार लाना, जिसमें वन नेशन वन ग्रिड समाशोधन और निपटान परिप्रेक्ष्य शामिल है। सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए आंतरिक लोकपाल योजना का विस्तार करना। बाजार लेन-देन और निपटान घंटों में वृद्धि का समर्थन करना। ग्राहक तक पहुँच और ग्राहक जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाना। भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के दायरे और उपयोगिता पर पुनः विचार करना। भुगतान क्षेत्र में बिगटेक और फिनटेक के विनियमन का प्रयास करना। भुगतान प्रणालियों के महीन, बिखरे हुए डेटा को एकत्र करने और प्रकाशित करने का प्रयास जारी रखना। भुगतान प्रणालियों को और अधिक समावेशी बनाना। सभी भुगतान प्रणालियों के लिए प्रभासों का मूल्यांकन करना। सरकारी प्राप्ति और भुगतानों के डिजिटल मोड में स्थानांतरण का समन्वय करना। 	<ul style="list-style-type: none"> इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और संदर्भ आधारित भुगतान के लिए ढांचे की सुविधा प्रदान करना। सभी बारिबैंचंचालित भुगतान प्रणाली संदेशों को आईएसओ 20022 मानक पर स्थानांतरित करना। बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट घटकों को यूपीआई से लिंक करना। इंटरनेट/ मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापारी भुगतान को संसाधित करने के लिए भुगतान प्रणाली बनाना। भुगतान नवोन्मेष प्रतियोगिता और हैकाथन आयोजित करना। एकाधिक भुगतान पहचानकर्ताओं की आवश्यकता की समीक्षा करना। बाय नाऊ पे लेटर (बीएनपीएल) सेवाओं से जुड़े भुगतान पर दिशानिर्देशों का पता लगाना। 	<ul style="list-style-type: none"> भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों के विधायी पहलुओं की व्यापक समीक्षा। भुगतान और निपटान प्रणाली (बीपीएसएस) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की सहायता के लिए भुगतान सलाहकार परिषद (पीएसी) का गठन। पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर कार्ड लेनदेन और परिणामी निपटान के लिए राष्ट्रीय कार्ड स्विच का परिचालन। अंतरराष्ट्रीय मंचों में सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी (मानक स्थापित करने वाले निकायों की चर्चा) 	<ul style="list-style-type: none"> आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और रुपये कार्ड की वैश्विक पहुंच। संरचित वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस), भारत के वित्तीय नेटवर्क (इनफीनेट) ढांचे का विस्तार सभी अधिकार क्षेत्रों में करना। सीमा पार कार्ड लेनदेन के लिए दो कारक प्रमाणीकरण (2एफए)। सतत सहसंबंधित निपटान (सीएलएस) में भारतीय रुपए को शामिल करने की मांग करना। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) - घरेलू और सीमा पार की शुरुआत पर भुगतान प्रसंस्करण और निपटान में और अधिक दक्षता लाना।

स्रोत: आरबीआई।

भुगतान प्रणाली

IX.4 भुगतान और निपटान प्रणाली¹ ने 2022-23 के दौरान लेनदेन की मात्रा के संदर्भ में 57.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में दर्ज 63.8 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर थी। मूल्य के संदर्भ में, 2022-23 में वृद्धि 19.2 प्रतिशत थी, जबकि

पिछले वर्ष में 23.1 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से अधिक मूल्यवाली भुगतान प्रणाली, यानी रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) में वृद्धि के कारण थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन का हिस्सा 2022-23 के दौरान बढ़कर 99.6 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष में 99.3 प्रतिशत था (सारणी IX.1)।

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
क. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणाली	28	33	41	1,619.43	2,068.73	2,587.97
ख. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य क्रेडिट हस्तांतरण – आरटीजीएस	1,592	2,078	2,426	1,056.00	1,286.58	1,499.46
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट अंतरण	3,17,868	5,77,935	9,83,695	335.04	427.28	550.12
2.1 एड्डीएस (फंड ट्रांसफर)	11	10	6	0.01	0.01	0.00
2.2 एपीबीएस	14,373	12,573	17,898	1.11	1.33	2.48
2.3 ईसीएस क्रे.	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4 आईएमपीएस	32,783	46,625	56,533	29.41	41.71	55.85
2.5 एनएसीएच क्रे.	16,465	18,758	19,267	12.17	12.82	15.44
2.6 एनईएफटी	30,928	40,407	52,847	251.31	287.25	337.20
2.7 यूपीआई	2,23,307	4,59,561	8,37,144	41.04	84.16	139.15
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	10,457	12,189	15,343	8.66	10.34	12.90
3.1 भीम आधार भुगतान	161	228	214	0.03	0.06	0.07
3.2 ईसीएस डे.	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3.3 एनएसीएच डे.	9,646	10,755	13,503	8.62	10.27	12.80
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ खाता)	650	1,207	1,626	0.01	0.02	0.03
4. कार्ड भुगतान	57,787	61,783	63,345	12.92	17.02	21.52
4.1 क्रेडिट कार्ड	17,641	22,399	29,145	6.30	9.72	14.32
4.2 डेबिट कार्ड	40,146	39,384	34,199	6.61	7.30	7.20
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	49,366	65,783	74,667	1.97	2.79	2.87
6. कागज आधारित लिखत	6,704	6,999	7,088	56.27	66.50	71.63
कुल - खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	4,42,180	7,24,689	11,44,138	414.86	523.94	659.04
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	4,43,772	7,26,767	11,46,563	1,470.86	1,810.52	2,158.50
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	4,37,068	7,19,768	11,39,476	1,414.58	1,744.01	2,086.87

एपीबीएस : आधार भुगतान सेतु प्रणाली

ईसीएस : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा।

एनईएफटी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त ट्रेड और रेपो लेनदेन और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं।

3. कार्ड के आंकड़े पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।

4. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण स्तंभों में दिए गए आंकड़े कुल में नहीं जोड़े जा सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

¹ डेटा डिजिटल भुगतान और कागज-आधारित प्रपत्रों सहित कुल भुगतान के लिए हैं।

डिजिटल भुगतान

IX.5 भुगतान के डिजिटल तरीकों में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का उपयोग करके लेनदेन की संख्या में 2022-23 के दौरान 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, आरटीजीएस लेनदेन में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन में भी मात्रा और मूल्य में क्रमशः 30.8 प्रतिशत और 17.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप बड़े मूल्य के कॉर्पोरेट लेनदेन में वृद्धि को दर्शाता है। मार्च 2023 के अंत तक आरटीजीएस सेवाएं 243 सदस्यों के 1,65,390 आईएफएससी² के माध्यम से उपलब्ध थीं, जबकि एनईएफटी सेवाएं 230 सदस्य बैंकों के 1,66,544 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं।

IX.6 2022-23 के दौरान, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान लेनदेन में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 30.1 प्रतिशत और 47.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। डेबिट कार्ड के जरिए लेनदेन में मात्रा के लिहाज से 13.2 फीसदी और मूल्य के लिहाज से 1.4 फीसदी की कमी आई है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआई) की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। डिजिटल भुगतान में वृद्धि का श्रेय स्वीकृति बुनियादी ढांचे की बढ़ती उपलब्धता को दिया जा सकता है, जिसने जनवरी 2021 में संचालित भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना से लाभान्वित हो कर वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि देखी। वर्ष के दौरान प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 28.3 प्रतिशत तक बढ़कर 77.9 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान तैनात भारत त्वरित प्रतिक्रिया (बीक्यूआर) कोड की संख्या 6.7 प्रतिशत तक बढ़कर 53.8 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त, मार्च 2023 के अंत तक यूपीआई क्यूआर 48.4 प्रतिशत तक बढ़कर 25.64 करोड़ हो गया। ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या भी मार्च 2023 के अंत तक

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार (मार्च के अंत में)

(संख्या)

निकाय	2022	2023
1	2	3
क. गैर-बैंक - प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	37	36
डब्ल्यूएलए परिचालक	4	4
तत्काल धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	9	10
टीआरडीएस प्लेटफॉर्म परिचालक	3	3
एमटीएसएस परिचालक	9	8
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
ख. बैंक - अनुमोदित		
पीपीआई जारीकर्ता	57	58
बीबीपीओयू	43	44
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	648	725
एटीएम नेटवर्क	3	3
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।		

बढ़कर 2.59 लाख हो गई, जो मार्च 2022 के अंत तक 2.52 लाख थी।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकार

IX.7 भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अतिरिक्त पीपीआई जारीकर्ता, क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस), व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) प्लेटफॉर्म, एटीएम नेटवर्क, तत्काल धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता, कार्ड नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन ईकाई (बीबीपीओयू) शामिल हैं (सारणी IX.2)। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन के लिए सेंट्रल काउंटर पार्टी (सीसीपी) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को अपने

² भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता

विनियामक दायरे में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और कुछ पीए को बाद में सैद्धांतिक रूप से प्राधिकार प्रदान किया गया है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

IX.8 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- *भुगतान प्रणाली विज्ञान दस्तावेज़ 2025 का निरूपण और वितरण/ विमोचन* : विज्ञान 2021 में इच्छित परिणामों की उपलब्धि और चिन्हित किए गए कार्यों को पूरा करने के साथ, रिज़र्व बैंक आने वाले वर्षों में भुगतान परिदृश्य के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए भुगतान के पारितंत्र के लिए स्वयं का एक विज्ञान लेकर आएगा (पैराग्राफ IX.9);
- *भुगतान डैशबोर्ड का प्रकाशन* : उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने और भुगतान प्रवृत्तियों की अधिक पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में प्रवृत्तियों के सचित्र वर्णन के साथ एक भुगतान डैशबोर्ड प्रकाशित करेगा (पैराग्राफ IX.10); और
- *भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की जियो-टैगिंग के ढांचे का निर्माण और कार्यान्वयन* : जैसा कि 8 अक्टूबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, रिज़र्व बैंक जियो-टैगिंग भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे (पैराग्राफ IX.11) की संरचना को लागू करने के लिए प्रक्रियाधीन है।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.9 रिज़र्व बैंक ने जून 2022 में भुगतान विज्ञान 2025 जारी किया, जिसमें दिसंबर 2025 तक के लिए देश में भुगतान पारितंत्र के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। भुगतान विज्ञान 2025 पिछले भुगतान विज्ञान 2019-21 पर आधारित है और अखंडता, समावेश, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के

पांच स्तंभों के माध्यम से वर्धित पहुँच, ग्राहक केंद्रितता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रसार की दिशा में शुरू किए गए कदमों को और मजबूत करने की परिकल्पना करता है।

IX.10 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों में प्रवृत्तियों की सचित्र प्रस्तुति का प्रकाशन शुरू किया है। प्रकाशन में पिछले दो वर्षों के दौरान की भुगतान प्रणाली की प्रवृत्तियाँ, स्वीकार्य अवसंरचना, भुगतान प्रणाली ओपरेटर्स और भुगतान लेनदेनों के टिकट आकार शामिल हैं। इस जानकारी के प्रसार से हितधारकों को लाभ हुआ है और भुगतान प्रणालियों में विश्लेषण को आसान कर दिया जिससे आगे नवोन्मेष हुए हैं।

IX.11 रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी और देश भर में अधिग्रहणकर्ता व्यापारियों द्वारा अभिनियोजित भुगतान टच पॉइंट की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जगह-जगह लगाने की प्रक्रिया जारी है।

प्रमुख घटनाक्रम

अखंडता

वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात्, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के संग्रहण पर प्रतिबंध

IX.12 रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य किया है कि 30 सितंबर 2022 के बाद कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य इकाइयां ग्राहक कार्ड डेटा स्टोर नहीं कर सकती हैं। यह पहल अनधिकृत लेनदेन के लिए कार्ड डेटा के दुरुपयोग को रोकने और कई संस्थाओं के साथ इसकी उपलब्धता के कारण कार्ड विवरण चोरी/ दुरुपयोग के कारण कार्ड धारकों के मौद्रिक नुकसान को रोकने के लिए की गई थी।

गैर-बैंक पीएसओ के नियंत्रण के अधिग्रहण/अभिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन

IX.13 रिज़र्व बैंक ने पीएसओ प्राधिकार की अनियमित हस्तांतरणीयता द्वारा भुगतान पारितंत्र के लिए पैदा हो सकने वाले

जोखिमों को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंक पीएसओ के नियंत्रण के अधिग्रहण/अभिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है।

भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकार के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा - एक समीक्षा

IX.14 मार्च 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मौजूदा ऑनलाइन गैर-बैंक पीए (17 मार्च 2020 तक मौजूद) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत प्राधिकार प्राप्त करना था। पीए के पास आवेदन जमा करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का समय था। सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे पीए को प्राधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करने के लिए एक और विंडो (30 सितंबर 2022 तक) की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

पीएसओ का साइबर आघात सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

IX.15 जैसा कि 8 अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, रिज़र्व बैंक पीएसओ के साइबर आघात सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों सहित सूचना सुरक्षा की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत शासन तंत्र और संरक्षित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग – दक्ष (उत्कर्ष) में प्रव्रजन

IX.16 रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी 2023 को भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग को रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली : दक्ष में स्थानांतरित किया। दक्ष प्लेटफॉर्म भुगतान धोखाधड़ी की

रिपोर्ट करने के लिए मौजूदा थोक अपलोड सुविधा के अलावा, अतिरिक्त कार्यक्षमताएं प्रदान करता है, जैसे मेकर-चेकर सुविधा, ऑनलाइन स्क्रीन-आधारित रिपोर्टिंग, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने का विकल्प, अलर्ट/सलाह जारी करने की सुविधा और डैशबोर्ड और रिपोर्ट का निर्माण।

वित्तीय समावेशन

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – दिशानिर्देशों में संशोधन

IX.17 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए निवल मालियत की आवश्यकता को ₹100 करोड़ से घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया ताकि पारितंत्र में अधिक भागीदारी हो सके। संशोधित निवल मालियत अन्य गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों की तर्ज पर था जो ग्राहक निधि (जैसे पीए) को संभालते हैं और उनकी जोखिम प्रोफाइल भी समान है।

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मेनडेट का प्रसंस्करण

IX.18 रिज़र्व बैंक ने कार्ड, पीपीआई और यूपीआई का उपयोग करके किए गए आवर्ती लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ई-मेनडेट ढांचे के तहत किए गए अनुवर्ती लेनदेन (प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना) के लिए प्रति लेनदेन सीमा को ₹5,000 / - से बढ़ाकर ₹15,000 / - प्रति लेनदेन कर दिया है।

वन नेशन वन ग्रिड

IX.19 रिज़र्व बैंक ने समस्त ग्रिड में बैंकों की स्थिति के लिए एकल निपटान की सुविधा के लिए चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) को स्थानांतरित कर दिया है। इससे सीटीएस के लिए चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल प्रभावी चेक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है और यह सीटीएस के तीन क्षेत्रीय ग्रिडों के वर्तमान स्थापत्य से 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' में स्थानांतरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) [(उत्कर्ष)]

IX.20 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) ने नए भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की तैनाती के संदर्भ में देश भर में क्षमता निर्माण जारी रखा है। 31 मार्च 2023 तक, 347.65 करोड़ रुपये के सब्सिडी भुगतान के माध्यम से पीआईडीएफ के तहत देश भर में 219.3 लाख भुगतान टचपॉइंट (213.7 लाख डिजिटल और 5.6 लाख भौतिक) बनाए गए थे।

ई-बात कार्यक्रम

IX.21 रिजर्व बैंक ग्राहकों/बैंकरों/छात्रों/जनता के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 322 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित उपयोग, उनके लाभ और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बताया गया।

भुगतान प्रणालियों और भुगतान धोखाधड़ी पर कणीय डेटा का प्रकाशन

IX.22 रिजर्व बैंक ने प्रकाशित भुगतान प्रणाली डेटा के कवरेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने पीपीआई जारीकर्ताओं और टीआरआईएस 'ट्रेड्स' प्लेटफार्मों के संबंध में इकाई-वार डेटा का प्रकाशन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, देश भर में एटीएम के जिला-वार वितरण पर जानकारी प्रसारित करने के लिए एटीएम तैनाती डेटा को बढ़ाया गया। रिजर्व बैंक ने भारत में जारी कार्डों का उपयोग करके किए गए घरेलू भुगतान धोखाधड़ी और सीमा पार भुगतान लेनदेन पर डेटा का प्रकाशन भी शुरू किया है।

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - मिशन "हर पेमेंट डिजिटल" का शुभारंभ

IX.23 रिजर्व बैंक ने 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाए गए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' शुरू किया, जिसका विषय "डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" था। इस पहल के तहत, पीएसओ ने '75 डिजिटल गांव' कार्यक्रम के

तहत देश भर के 75 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें डिजिटल भुगतान करने में सक्षम गांवों में परिवर्तित करना है।

नवोन्मेष

एटीएम पर अंतरपरिचालित कार्ड-लेस नकद आहरण (आईसीसीडब्ल्यू)

IX.24 रिजर्व बैंक ने बैंकों, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डबल्यूएलएओ) को अपने एटीएम पर आईसीसीडब्ल्यू का विकल्प प्रदान करने की अनुमति दी है। इस सुविधा के तहत, यूपीआई का उपयोग एटीएम लेनदेन के दौरान ग्राहक प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस)/एटीएम नेटवर्क के माध्यम से निपटान की सुविधा होती है। नकद आहरण लेनदेन शुरू करने के लिए कार्ड की आवश्यकता न होने से स्कimming, कार्ड क्लोनिंग और उपकरण से छेड़छाड़ जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) में परिवर्धन

IX.25 लेनदेन की मात्रा के मामले में यूपीआई भारत में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है और भारत में भुगतान के सबसे समावेशी तरीकों में से एक बन गई है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न विशेषताओं की शुरुआत करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया है :

- **यूपीआई लाइट ऑन-डिवाइस वॉलेट** : रिजर्व बैंक ने सुरक्षित भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई ऐप में ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से यूपीआई में छोटे मूल्य के लेनदेन की अनुमति दी, जहां उपयोगकर्ता ₹200 तक के लेनदेन के लिए बाद में डेबिट किए गए वॉलेट के साथ यूपीआई लाइट में अधिकतम ₹2,000 ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो। यूपीआई लाइट यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय के कम मूल्य भुगतान का उपयोग करके बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है।

- **रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करना :** यूपीआई के उपयोग को और मजबूती देने के लिए, रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रसंस्करण के लिए यूपीआई से जोड़े जा सकने वाले वित्तीय उत्पादों/ उपकरणों का विस्तार किया और रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी। इस व्यवस्था से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करते समय ग्राहकों को अधिक विकल्प और सुविधा मिलने की उम्मीद है।
- **सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट के साथ प्रसंस्करण अधिदेश :** यूपीआई में अनिवार्य आवर्ती लेनदेन और एकल-ब्लॉक-और-एकल-डेबिट को संसाधित करने की सुविधा है, जिसका उपयोग प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) सदस्यता में किया जाता है और पिछले दो वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक आईपीओ आवेदनों में इसका उपयोग किया गया है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई में सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल डेबिट कार्यक्षमता की शुरुआत की अनुमति दी ताकि यूपीआई में क्षमताओं को और बढ़ाया जा सके, जिससे ग्राहक को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपने बैंक खाते में धन को अवरुद्ध करके किसी व्यापारी के लिए भुगतान अधिदेश बनाने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे जब भी आवश्यक हो डेबिट किया जा सकता है। यह सुविधा होटल रूम बुकिंग, द्वितीयक पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद के साथ-साथ रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और ई-कॉमर्स लेनदेन का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए सहायक होने की उम्मीद है, क्योंकि यह सुनिश्चित करते हुए कि माल या सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी तक धन ग्राहक के खाते में रहे, यह व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन देते हुए लेनदेन में उच्च स्तर का विश्वास पैदा करेगा।

सभी भुगतानों और संग्रहों को शामिल करने के लिए बीबीपीएस के दायरे का विस्तार करना

IX.26 बीबीपीएस के दायरे और कवरेज में आवर्ती बिलों को उठाने वाले बिलर्स की सभी श्रेणियां शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने

बीबीपीएस के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों प्रकार के भुगतान और संग्रह की सभी श्रेणियों को शामिल किया है। इसने बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को व्यक्तियों और व्यवसायों के एक व्यापक सेट के लिए सुलभ होने में सक्षम बनाया जो पारदर्शी और समान भुगतान अनुभव, कम लागत पर धन तक तेजी से पहुंच और बेहतर दक्षता से लाभ उठा सकते हैं।
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना

IX.27 रिजर्व बैंक ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को यूपीआई तक पहुंच की अनुमति दी है। यह सुविधा शुरू में भारत में व्यापारी भुगतान (पी2एम) के लिए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जी -20 देशों के यात्रियों के लिए विस्तारित की गई थी। आने वाले समय में, यह सुविधा देश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सक्षम होगी।

अंतरराष्ट्रीयकरण

सीमा पार इनबाउंड बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए बीबीपीएस को सक्षम करना

IX.28 रिजर्व बैंक ने भारत में एनआरआई को अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करके सीमा पार आवक भुगतान की अनुमति देने के लिए बीबीपीएस का दायरा बढ़ाया है। अनिवासी भारतीय अब मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र और बीबीपीएस द्वारा प्रस्तावित निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क से लाभ उठा सकते हैं।
भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच (उत्कर्ष)

IX.29 भुगतान विज्ञान दस्तावेज 2025 में अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभ के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने की रूपरेखा तैयार की गई है। रिजर्व बैंक विभिन्न देशों के सहयोग से इस विज्ञान की दिशा में काम कर रहा है। यूपीआई को अन्य देशों की फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं

ताकि यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विदेशी आवक और बाहरी प्रेषण दोनों को सक्षम किया जा सके।

IX.30 रिज़र्व बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएस) ने 21 फरवरी 2023 को अपने संबंधित एफपीएस, यूपीआई और पे-नाऊ के लिंकेज का संचालन किया, जिससे दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत वाले सीमा पार पीयर-टू-पीयर (पी2पी) भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई-पे-नाऊ लिंकेज से दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और प्रेषण प्रवाह को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति को सक्षम किया गया है। इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक व्यापारी स्थलों पर भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं। रुपये कार्ड की वैश्विक पहुंच के लिए, भूटान, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ सह-ब्रांडिंग के बिना रुपये कार्ड स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। अन्य देशों में रुपये कार्ड जारी करने की भी जांच की जा रही है। आने वाले समय में रिज़र्व बैंक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी जारी रखेगा और यूपीआई तथा रुपये कार्ड की वैश्विक पहुंच को बढ़ाएगा।

अन्य पहल

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.31 रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए 2021 में एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक की गणना अर्ध-वार्षिक रूप से की जाती है और इसने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतान का तेजी से अंगीकरण और उसके प्रसार को दर्शाने वाली उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन किया है। मार्च 2018 को आधार (स्कोर 100) मानकर निर्मित सूचकांक सितंबर 2022 में 377.46 मापा गया।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.32 पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत, 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 44 खुदरा संस्थाओं, यथा 26 गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं, दो डब्ल्यूएलए परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ), नौ बीबीपीओयू, तीन कार्ड नेटवर्क, तीन टीआरडीएस 'ट्रेड्स' प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और एक एटीएम नेटवर्क का अप्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.33 रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत सीसीआईएल का ऑनसाइट निरीक्षण किया। सीसीआईएल का मूल्यांकन भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति-प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) द्वारा तैयार वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे (पीएफएमआई) के लिए 24 सिद्धांतों के ऊपर किया गया था। सीसीपी के रूप में, सीसीआईएल को 19 सिद्धांतों के लिए 'प्रेक्षित' और एक के लिए 'व्यापक रूप से प्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, जबकि चार इसके लिए 'लागू नहीं' थे। ट्रेड रिपॉजिटरी (टीआर) के रूप में, सीसीआईएल को 10 सिद्धांतों के लिए 'प्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, 1 के लिए 'व्यापक रूप से प्रेक्षित' का जबकि 13 के लिए 'लागू नहीं' था।

सीसीआईएल में नई गतिविधियां

IX.34 वर्ष के दौरान, सीसीआईएल ने विशेष रूप से पिछले कोविड अनुभवों को देखते हुए, अपने कामकाज में लचीलापन दिखाया। सीसीआईएल की सहायक कंपनी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलआईआई) जारी करने की संख्या वर्ष के दौरान 56,000 को पार कर गई। वर्ष के दौरान सीसीआईएल से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं :

- सीसीआईएल ने 10 अक्टूबर 2022 से भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को सतत सहसंबंधित निपटान (सीएलएस) के माध्यम से क्रॉस-करेंसी लेनदेन के निपटान की सुविधा का विस्तार किया। यह पहल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (आईबीयू) संस्थाओं की सीसीआईएल-सीएलएस सेवाओं की तर्ज पर है।

- लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) बंद होने के मद्देनजर सीसीआईएल ने मुंबई अंतर बैंक फॉरवर्ड ऑफर दर (एमआईएफओआर) बेंचमार्क पर ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) व्यापारों के पोर्टफोलियो कंप्रेशन अभ्यास के तीन चक्र आयोजित किए।
- रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूति खंड में आबंटित सदस्यों को इंटर-डे सुरक्षा की कमी की भरपाई का विस्तार करने और प्रतिभूति खंड में प्रतिभूतियों (एकमुश्त और बाजार रेपो) और निधियों (एकमुश्त, रेपो और त्रिपक्षीय रेपो) की पूर्व-वित्त पोषण की शुरुआत के लिए सीसीआईएल को मंजूरी दे दी है, जो कार्यान्वयनाधीन है।

भारत की भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग – अनुवर्ती अभ्यास

IX.35 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2017 के लिए किए गए अंतिम बेंचमार्किंग अभ्यास के बाद से मापी गई प्रगति के साथ, वर्ष 2020 के लिए एक अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास शुरू किया, जिसमें समान देशों और मापदंडों को शामिल किया गया। इस अभ्यास में (क) भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए भारतीयों की प्राथमिकताओं और ये प्राथमिकताएं अन्य देशों के साथ कैसे तुलना करती हैं ये समझने की कोशिश की गई (ख) भारत की भुगतान प्रणालियों की दक्षता का मापन किया गया; (ग) पिछले अभ्यास के बाद से मापदंडों में भारत की प्रगति को मापा गया; और (घ) उन क्षेत्रों की सूची बनायी जहां और सुधार की गुंजाइश है। इस अभ्यास ने भुगतान पारितंत्र में भारत की प्रगति को मान्यता दी, जिसमें भारत को 40 संकेतकों में से 25 (पिछले अभ्यास में 21 संकेतक) के संबंध में 'अग्रणी' या 'सशक्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर चर्चा पत्र

IX.36 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर एक चर्चा पत्र जारी किया।

चर्चा पत्र में भुगतान प्रणालियों (जैसे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई) और विभिन्न भुगतान उपकरणों (जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पीपीआई) में शुल्क से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। रिज़र्व बैंक जनता से प्राप्त फीडबैक की जांच कर रहा है, जिसका उपयोग नीतियों और हस्तक्षेप कार्यनीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

IX.37 2023-24 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों की संरचित निगरानी के लिए एक लचीला ढांचा स्थापित करना (उत्कर्ष 2.0) : रिज़र्व बैंक ने पीएफएमआई मानकों के अनुपालन में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों, अर्थात् एनईएफटी और आरटीजीएस का आंतरिक मूल्यांकन पूरा कर लिया था। मूल्यांकन से मिली सीख के आधार पर, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए मानकों, आवृत्ति, प्रकटीकरण आदि को निर्धारित करने वाला एक लचीला ढांचा तैयार किया जाएगा।
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना (उत्कर्ष 2.0) की निरंतरता समीक्षा: पीआईडीएफ को भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के परिनियोजन के लिए योगदानकर्ताओं (आरबीआई, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों) और अधिग्रहणकर्ताओं से भारी समर्थन मिला। दिसंबर 2023 के अंत तक 90 लाख पेमेंट टच पॉइंट बनाने का योजना का प्रारंभिक लक्ष्य पहले वर्ष के अंत अर्थात् दिसंबर 2021 तक ही पूरा हो गया। योजना के कार्यान्वयन के परिणाम विभिन्न अभिनव विचारों और क्षेत्र स्तर के अनुभवों में सामने आये, जिसकी

सलाहकार परिषद के सदस्यों ने जांचने की आवश्यकता महसूस की। इन तर्ज पर योजना को जारी रखने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा।

- **केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भुगतानकर्ता नाम अवलोकन का कार्यान्वयन :** रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सक्रिय पहल कीं, जिससे पारितंत्र में जनता का विश्वास सुनिश्चित हुआ। भुगतान अनुभव को और बढ़ाने के लिए, वास्तविक निधि हस्तांतरण से पहले तत्काल भुगतानकर्ता नाम सत्यापन की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा।
- **प्रकाशित भुगतान लेनदेन डेटा के कवरेज और कणीयता को बढ़ाना :** रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों पर कणीय डेटा के प्रसार को बढ़ाने के लिए पहल की है। इसमें हितधारकों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने और भुगतान प्रणालियों में अनुसंधान और आगे के नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाने के लिए भुगतान डेटा प्रसार पर पहल जारी रखने की परिकल्पना की गई है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने रिजर्व बैंक की सभी आईटी प्रणालियों और अनुप्रयोगों के सुचारु कामकाज के लिए

आईसीटी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को जारी रखा। चूंकि नए उन्नत फ़ायरवॉल समाधान को पूरे रिजर्व बैंक में लागू किया गया था, इसलिए वर्ष के दौरान, साइबर सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। साइबर सुरक्षा अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के एकीकृत सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (आईएसओसी) का उन्नयन शुरू किया गया है। वास्तविक जीवन के साइबर हमलों की स्थिति में प्रतिक्रिया, समन्वय और उससे उबरने के संबंध में तैयारियों का परीक्षण करने के लिए नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए थे। 'साइबर में अपने आप को देखें' इस व्यापक विषय पर रिजर्व बैंक में अक्टूबर 2022 माह 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता' के रूप में मनाया गया। स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर स्वच्छता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता उपक्रमों की शुरुआत की गई।

IX.39 आईटी और विश्लेषणात्मक ज्ञान के साथ कर्मचारियों को कुशल बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने एक उन्नत उद्यम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के अनुभागों पर काम शुरू किया, जो नए ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर को जोड़ते हैं, इन पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है (बॉक्स IX.2)।

IX.40 भारत भुगतान प्रणालियों में वैश्विक लीडर रहा है और रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली क्षेत्र में प्रौद्योगिकी समावेश और

बॉक्स: IX.2

दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

रिजर्व बैंक में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में उभरती प्रगति और डिजिटल दुनिया के लिए रिजर्व बैंक के विजन के साथ-साथ भूकंपीय क्षेत्र, स्थान की उपलब्धता और खतरे की अनुभूति जैसे अन्य कारक - भौतिक और आभासी भी, के आधार पर, डेटा केंद्रों की संकल्पना, योजना और निर्माण किया गया है। नतीजतन, सूचना के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की सुनिश्चितता और डेटा केंद्रों की विश्वसनीयता को संरक्षित करने पर रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता से ध्यान दिया गया है।

रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में तीन डेटा सेंटर हैं - एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और दो ब्राउनफील्ड डेटा सेंटर, जिनमें से एक की पहचान डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर (डीआर साइट) के रूप में की गई है।

रिजर्व बैंक के अधिक से अधिक मुख्य कार्यों के आईटी सक्षम होने के साथ, आईटी से संबंधित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता बढ़ गई है। आईटी में बदलाव की तीव्र गति ने परम्परागत प्रणालियों को भी

(जारी)

अलाभकारी बना दिया है। देश का एक प्रमुख संस्थान होने के नाते, रिजर्व बैंक के लिए उन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, चयन करना और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है जो इसके डेटा केंद्रों को मजबूत, विश्वसनीय बनाएँ और विश्व में सर्वश्रेष्ठ के साथ तालमेल में रखें।

इस प्रकार रिजर्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक नया अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर बनाने की परियोजना शुरू की है। यह रिजर्व बैंक का चौथा डेटा सेंटर और दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर होगा। यह ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर कॉम्प्लेक्स नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्चतम स्तर की प्रचुरता (डेटा केंद्रों में होस्ट किए गए डेटा/ अनुप्रयोगों की अधिक उपलब्धता), मजबूती, लचीलापन और सिस्टम की उपलब्धता प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। यह उभरते हुए भौतिक खतरों के विरुद्ध अंतर्निहित जवाबी उपाय करने के लिए नियोजित है। नए डेटा सेंटर का डिजाइन साइबर-सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों और गैर-भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों के आधार पर अनुप्रयोगों के पृथक्करण को सुनिश्चित करेगा। भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों में गैर-भुगतान अनुप्रयोगों की तुलना में बहु-स्तरीय और अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सुरक्षा और नियंत्रण होंगे। परिसर में आपात स्थिति के दौरान आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को रखने की सुविधा भी होगी।

नया डेटा सेंटर परिसर अनुभव केंद्र के साथ एक उन्नत, नए युग के प्रशिक्षण संस्थान की मेजबानी भी करेगा, यानी, "एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट"। प्रशिक्षण संस्थान में क्लाउड, ब्लॉकचेन,

इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, उन्नत साइबर सुरक्षा और डेटा सेंटर संचालन जैसे उन्नत विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक और नवीनतम तकनीक होगी।

इसका उद्देश्य एक उन्नत "एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी" प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना है, जो शुरू में, विभिन्न संबंधित विषयों और क्षेत्रों पर अपने अधिकारियों को आईटी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस सुविधा की परिकल्पना रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जा रही सभी प्रौद्योगिकियों पर प्रतिभागियों को "व्यावहारिक" प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी की गई है। यह अपने कामकाज से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले मुख्य आईटी पेशेवर तैयार करने में मदद करेगा, जो अंततः बाहरी निर्भरताओं को कम करेगा, जिससे आउटसोर्सिंग के साथ अक्सर जुड़े जोखिम कम हो जाएंगे। प्रशिक्षण संस्थान में एक आभासी अनुभव केंद्र होगा, जिसका उपयोग प्रतिभागियों द्वारा वास्तविक दुनिया की स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस प्रशिक्षण संस्थान को इस तरह से बनाया जाएगा कि यह प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करे।

हालांकि प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना एक लंबी प्रक्रिया है, इस बीच, रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं अक्टूबर 2022 से पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जब तक नया डेटा सेंटर चालू नहीं हो जाता और प्रशिक्षण प्रदान करने की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक उन्नत आईटी प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर/ सिमुलेशन उपकरण के उपयोग के विषय में पता लगाया जाएगा।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

अंगीकरण की अगुवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार, व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए देश में कई भुगतान प्रणालियां उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग विशेषता और उपयुक्तता हैं। तदनुसार, रिजर्व

बैंक ने एक सरल और वहनीय भुगतान प्रणाली की संकल्पना की है जिसे न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय में, कहीं से भी संचालित किया जा सकता है (बॉक्स IX.3)।

बॉक्स: IX.3

सरल भुगतान और निपटान प्रणाली (एलपीएसएस)

आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसी मौजूदा पारंपरिक भुगतान प्रणालियों को निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बड़ी मात्रा को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसलिए वे उन्नत आईटी अवसंरचना द्वारा समर्थित जटिल वायर्ड नेटवर्क पर निर्भर हैं। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाओं में अंतर्निहित सूचना और संचार अवसंरचना को बाधित करके इन भुगतान प्रणालियों को अस्थायी रूप से बाधित करने की क्षमता है। इसलिए,

ऐसी चरम और अस्थिर स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना समझदारी है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने एक सरल और वहनीय भुगतान प्रणाली की अवधारणा की है जो पारंपरिक प्रौद्योगिकियों से स्वतंत्र होगी और इसे न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित

(जारी)

किया जा सकता है। इसके न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है और इसे केवल आवश्यकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। यह उन लेनदेन को संसाधित करेगी जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं; जैसे कि सरकारी और बाजार से संबंधित लेनदेन।

इस तरह की सरल और वहीनीय भुगतान प्रणाली देश में भुगतान और निपटान प्रणाली का लगभग शून्य अंतराल (डाउनटाइम) सुनिश्चित कर सकती है और थोक भुगतान, इंटरबैंक भुगतान और प्रतिभागी संस्थानों

को नकदी के प्रावधान जैसी आवश्यक भुगतान सेवाओं के निर्बाध कार्यकलापों की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था की चलनिधि पाइपलाइन को जीवित और बरकरार रख सकती है। इस तरह की एक सुदृढ़ प्रणाली होने से भुगतान प्रणालियों में बंकर समतुल्य (आपात स्थिति में कार्यरत) कार्य करने की संभावना है और इस प्रकार चरम परिस्थितियों के दौरान भी डिजिटल भुगतान और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

प्रमुख पहल

सभी डेटा केंद्रों पर आईटी से इतर भौतिक अवसंरचना का उन्नयन

IX.41 रिज़र्व बैंक ने पिछले दो वर्षों में अपने मौजूदा डेटा केंद्रों के गैर-आईटी बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया है। कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित और सभी डेटा केंद्रों पर शून्य अंतराल (डाउनटाइम) के साथ पूरा किया गया। इस उपाय ने ऊर्जा कार्यक्षमता को अनुकूलित करके और डैशबोर्ड के माध्यम से गैर-आईटी बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता के वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करके डेटा केंद्रों की परिचालन कार्यक्षमता को बढ़ाया है।

रिज़र्व बैंक की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ई-कुबेर का विस्तार और सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति

IX.42 पिछले वर्ष के दौरान, ई-कुबेर में निम्नलिखित प्रमुख संवर्धन किए गए थे:

- **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की प्रायोगिक परियोजना :** प्रायोगिक सीबीडीसी परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कुबेर में वृद्धि की गई थी। पायलट परियोजना को दो खंडों - सीबीडीसी-थोक और सीबीडीसी-खुदरा में संचालित किया गया था, जो क्रमशः 1 नवंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी थे;
- **केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन:** रिज़र्व बैंक सीएसएस की प्रायोगिक परियोजना को

कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें ई-कुबेर प्लेटफॉर्म का उपयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से राज्य नोडल एजेंसियों को 'समय पर' सीएसएस निधियों के प्रवाह को संचालित करने के लिए किया जाएगा;

- **कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) के तहत प्रकल्प (प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली) का कार्यान्वयन :** ई-कुबेर के टिन 2.0, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और एजेंसी बैंकों के साथ एकीकरण के साथ प्रकल्प का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2022 को सक्रिय हो गया है। परियोजना में 13 एजेंसी बैंकों की ऑनबोर्डिंग हो गई है और शेष एजेंसी बैंक परीक्षण चरण में हैं;
- **इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) का कार्यान्वयन :** आइसगेट को एनईएफटी/आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संग्रहण के लिए 1 जुलाई 2019 को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया था। आइसगेट अब एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से प्राप्तियों के संग्रहण की प्रक्रिया में है। कार्यान्वयन के लिए कार्यक्षमता का परीक्षण किया जा रहा है;
- **रक्षा पेंशनभोगियों के लिए भारत-नेपाल पेंशन वितरण:** रक्षा लेखा महानियंत्रक एनईएफटी के माध्यम से नेपाल में अधिवासित रक्षा पेंशनभोगियों को भुगतान शुरू

करने की प्रक्रिया में है। ई-कुबेर में यह कार्यक्षमता उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) के अंतिम चरण में है और जल्द ही लागू की जाएगी।

2022-23 के लिए कार्यसूची

IX.43 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- आईटी और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन : रिजर्व बैंक उभरते खतरों से निपटने में अपनी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण भुगतान बुनियादी ढांचे को पूरा करने वाले अपने आईटी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए अपने आईटी सुरक्षा बुनियादी ढांचे का लगातार आकलन और उन्नयन करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में, रिजर्व बैंक सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) प्रौद्योगिकियों को अभिनव क्षमताओं और सुरक्षा आयोजन, स्वचालन और प्रतिक्रिया, उपयोगकर्ता इकाई व्यवहार विश्लेषिकी, विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया जैसी अतिरिक्त प्रगति के साथ उन्नत कर रहा है (पैराग्राफ IX.44);
- दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग और साइबर सिम्योरीटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट : रिजर्व बैंक ने 2022-23 के दौरान एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर पर काम शुरू किया है। डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर रिजर्व बैंक और उसके सहायक संगठनों की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और एक उद्यम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की मेजबानी भी करेगा जो देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की आईटी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा (पैराग्राफ IX.45);
- अगली पीढ़ी के ई-कुबेर : ई-कुबेर को व्यापक लचीलेपन और स्थिरता के साथ नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर अगली पीढ़ी में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई थी (पैराग्राफ IX.46);

- उपयोगकर्ता अनुभव और अभिग्रहण बढ़ाने के लिए आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इंटरफेस : रिजर्व बैंक उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और अनुप्रयोगों के अभिग्रहण के लिए नवीनतम सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों को अपनाकर आंतरिक अनुप्रयोगों के उपयोगकर्ता इंटरफेस को बढ़ा रहा है (पैराग्राफ IX.47);
- एनईएफटी को वैश्विक संदेश मानकों के अनुरूप बनाना: भुगतान उद्योग समय की अवधि में विकसित हुआ है और डेटा की प्रचुरता, भुगतान नोड्स का मानकीकरण, अनुपालन, सूक्ष्मतर रिपोर्टिंग और संबंधित आवश्यकताओं जैसे विभिन्न व्यावसायिक संचालक लगातार परिवर्तन की आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं। आईएसओ 20022 भुगतान संदेश के लिए एक वैश्विक और खुला मानक है। आरटीजीएस प्रणाली पहले से ही आईएसओ 20022 पर आधारित है। रिजर्व बैंक अपनी एनईएफटी प्रणाली को भी इस वैश्विक संदेश मानक (पैराग्राफ IX.48) के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहा है; और
- नेमी और आवृत्तीय कार्य के स्वचालन के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए) समाधान : विभाग ने दोहराए जाने वाले और मैनुअल कार्यों जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, रिपोर्ट जनरेशन, समन्वयन के मुद्दे और त्रुटि निवारण गतिविधियों के, आईटी इंजीनियरों के समर्थन के बिना बॉट्स द्वारा स्वचालन के लिए आरपीए की परिकल्पना की है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आईटी इंजीनियरों की सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके। इससे मानवीय त्रुटियों को कम करने और रिजर्व बैंक में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक दक्षता और उत्पादकता लाने में मदद मिलेगी (पैराग्राफ IX.49)।

कार्यान्वयन की स्थिति

आईटी और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन

IX.44 रिज़र्व बैंक एसओसी प्रौद्योगिकियों की खरीद और उन्नयन के उन्नत चरण में है। 'सुरक्षा स्वचालन, खतरा विश्लेषण और प्रतिक्रिया केंद्र (एसएटीएआरसी): अगली पीढ़ी के सुरक्षा संचालन केंद्र (एनजीएसओसी)' रिज़र्व बैंक को मैन्युअल प्रयास कम करके और सूक्ष्म स्तर पर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को कार्यान्वित करते हुए सुरक्षा में सुधार करके एक सुरक्षित वातावरण बनाने में सक्षम करेगा।

दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

IX.45 डेटा सेंटर परियोजना के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है और परियोजना का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य 2023 में शुरू होगा। प्रशिक्षण केंद्र ने दूरस्थ स्थान से कार्य करना शुरू कर दिया है और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रासंगिक विषयों सहित गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करके एक उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की राह पर अग्रसर है। जबकि संस्थान के बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है, दिसंबर 2022 तक दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

ई-कुबेर - अगली पीढ़ी

IX.46 ई-कुबेर के उन्नयन की प्रक्रिया एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित एकीकरण के साथ माइक्रोसर्विसेज का उपयोग करके अत्याधुनिक तकनीक के साथ शुरू की गई है। उन्नत प्रणाली में व्यापक वास्तविक समय डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव, वर्धनीयता, सुदृढ़ता और आसान संसाधित ऑर्केस्ट्रेशन जैसी कार्यक्षमताएं होंगी। इसके अतिरिक्त, इसमें बाहरी और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण में आसानी होगी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्रंट-एंड

सुधार, संतुलित नियंत्रण और एकीकृत सुरक्षा संरचना मंच होगा। इसका कार्यान्वयन मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा।

उपयोगकर्ता अनुभव और अभिग्रहण बढ़ाने हेतु आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इंटरफेस

IX.47 वर्ष के दौरान विभिन्न आंतरिक एप्लिकेशन के डिजाइन की समीक्षा आयोजित की गई, जिसके आधार पर इंटरफेस, डिजाइन, विशेषताओं और उत्पाद उन्नयन में सुधार किया जा रहा है। संरक्षित और सुरक्षित तरीके से उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और निरंतर पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एनईएफटी को वैश्विक संदेश (मेसेजिंग) मानकों के अनुरूप बनाना

IX.48 परियोजना के 2023 के शुरुआती महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। आईएसओ 20022 को अपनाने से संरचित और कणीय आंकड़ें, बेहतर विश्लेषिकी, शुरू से अंत तक स्वचालन और बेहतर वैश्विक सामंजस्य प्रदान होगा। यह आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच अंतर परिचालनीयता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जबकि कई देश अभी भी अपने बड़े मूल्य प्रणाली को आईएसओ 20022 मानक के अनुरूप बना रहे हैं, रिज़र्व बैंक की खुदरा भुगतान प्रणाली भी इन मानकों के अनुरूप होगी।

नेमी और आवृत्तीय कार्यों के स्वचालन के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए) समाधान

IX.49 परियोजना का आवश्यकता विश्लेषण चल रहा है, जिसके भाग के रूप में आईटी संचालन और सेवा अनुरोध प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं की संभावित उपयोग मामलों के रूप में पहचान की गयी है। इस उद्देश्य के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन के बाद, खरीद और प्रायोगिकता, समाधान का पूर्ण कार्यान्वयन उभरते आईटी और व्यावसायिक जोखिम परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

IX.50 2023-24 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

- ई-कुबेर का उन्नयन (उत्कर्ष 2.0): ई-कुबेर को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में निर्दिष्ट किया जा रहा है, इससे एप्लिकेशन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। ई-कुबेर एप्लिकेशन का भारत सरकार और राज्य सरकारों सहित कई महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ इंटरफेस है, और इसलिए विकसित आईटी और वित्तीय परिदृश्य के साथ ताल मेल के लिए इसे नवीनतम प्रौद्योगिकी संरचना के साथ अद्यतित रहने की आवश्यकता है। इसलिए, व्यापक लचीलेपन और अधिक स्थिरता के साथ नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर ई-कुबेर का अगली पीढ़ी में उन्नयन, रिजर्व बैंक के उत्कर्ष 2.0 लक्ष्य में शामिल किया गया है। उन्नत ई-कुबेर एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), माइक्रोसर्विसेज़ और संग्राहकों का उपयोग करके नवीनतम तकनीक को नियोजित करेगा, और यह कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है;
- अगली पीढ़ी का डेटा सेंटर (उत्कर्ष 2.0) : रिजर्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य की आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर के निर्माण की परियोजना शुरू की है। रिजर्व बैंक की आईटी बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर परियोजना को बैंक के

उत्कर्ष 2.0 लक्ष्य में शामिल किया गया है। डेटा सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है और 2023-24, में पूरा होने के अंतिम चरण में होगा;

- आरटीजीएस का उन्नयन : रिजर्व बैंक ने भारत की राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को अद्यतन और उन्नत करने के अपने निरंतर प्रयास में, आरटीजीएस प्रणाली को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इसमें मौजूदा कार्यक्षमताओं में सुधार और आरटीजीएस द्वारा समर्थित कई नई कार्यक्षमताओं का आरंभ शामिल होगा। उन्नत आरटीजीएस सुदृढ़ता, बढ़ी हुई सुरक्षा और कार्य निष्पादन जैसी भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा; और
- आंतरिक एप्लिकेशनों में वृद्धि से रिजर्व बैंक में कार्य पद्धति के डिजिटल रूपांतरण हेतु : विभाग डिजिटल माध्यम की ओर रूपांतरण सुविधाजनक बनाने और दिन-प्रतिदिन के काम में मैनुअल एवं पेपर-आधारित क्रियाविधियों पर निर्भरता कम करने के लिए आंतरिक एप्लिकेशनों को बढ़ाएगा। विभाग द्वारा सारथी (इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) में निरंतर सुधार, एक नया उद्यम ज्ञान पोर्टल, बेहतर आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और आवेदन/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए एक वेब इंटरफेस के विकास की योजना बनाई गई है, जो डिजिटल रूपान्तरण लाने में मदद करेगी।

4. निष्कर्ष

IX.51 रिजर्व बैंक ने आउटरीच, ग्राहक केंद्रियता, साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल सूक्ष्मता को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ भुगतान पारितंत्र में सुधार की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा। रिजर्व बैंक ने भुगतान विजन 2025 प्रकाशित किया और अपने आईटी प्रणाली और एप्लिकेशनों के सुचारु कामकाज के लिए आईसीटी अवसंरचना की चौबीसों घंटे

उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक का ध्यान रिज़र्व बैंक में नए उन्नत फ़ायरवॉल समाधान के कार्यान्वयन के साथ साइबर प्रत्यास्थता को मजबूत करने पर भी रहा, जो स्टाफ सदस्यों के बीच साइबर स्वच्छता स्थापित करने के लिए साइबर जागरूकता पहल के विभिन्न रूपों से अनुपूरित था। रिज़र्व बैंक ने एक सरल और वहनीय भुगतान प्रणाली की भी संकल्पना की है जिसे न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित किया जा सकता है जो विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय में प्रासंगिक होगा। इसके अलावा, आईटी और

विश्लेषणात्मक ज्ञान के साथ कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने नए ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर के साथ एक उन्नत उद्यम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के विकास पर काम आरंभ किया, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। 2023-24 के दौरान ई-कुबेर और आरटीजीएस प्रणालियों का उन्नयन भी किया जाएगा, जो एक मजबूत और ठोस भुगतान पारितंत्र बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान, यूक्रेन में युद्ध के बाद अनिश्चितता की तीव्रता के साथ, संचार का जोर अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता पर था, और लोगों के व्यापक समूहों तक पहुंचकर प्रभावशीलता में सुधार करने का प्रयास किया गया। रिजर्व बैंक में आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान कार्य में नीति निर्माण और संचार में सहायता के लिए व्यापक समकालीन और कार्यनीतिक मुद्दों को शामिल किया गया। सूचना प्रबंधन प्रणालियों में और सुधार किया गया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी 20 की अध्यक्षता संभाली, जहां रिजर्व बैंक का ध्यान वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और संबंधित वितरण पर होगा। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के ठोस प्रबंधन की दिशा में भी प्रयास किए गए। एक मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विधायी पहल/संशोधन किए गए।

X.1 रिजर्व बैंक की संचार कार्यनीति जो प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के सिद्धांतों का पालन करती है, ने अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यों के बारे में जनधारणा को प्रभावी ढंग से संभाला है। इसके अलावा, संचार के मौखिक और अनौपचारिक तरीके, जो संरचित और लिखित संचार के पूरक हैं, प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे जनता के साथ सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया, और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भारतीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। 1 दिसंबर, 2022 से, रिजर्व बैंक भारत के जी20 की अध्यक्षता के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग से जी20 फाइनेंस ट्रैक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रह की मौजूदा प्रक्रिया को कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) 2.0 में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर संग्रह (सीमा शुल्क सहित) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (एसीएल) ढांचे को बढ़ावा दिया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में, रिजर्व बैंक ने उस क्रम में

सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के व्यापक उद्देश्य के साथ काम करना जारी रखा। इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने नीति निर्माण और संचार के लिए महत्वपूर्ण समकालीन विषयों पर अनुसंधान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, 1997-2008 की अवधि को कवर करने वाले 'भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास' के पांचवें खंड और अपने प्रमुख प्रकाशनों की समय पर रिलीज सुनिश्चित करने के अलावा पहली 'म्यूनिसिपल फाइनेंस पर रिपोर्ट' जारी करके अपने प्रकाशनों को मजबूत किया। सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस [अर्थात्, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] के विकास और गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों के उपयोग के माध्यम से और मजबूत किया गया था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक की मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली¹ जो भारतीय बैंकिंग के वितरण पहलुओं को प्रदान करती है, ने 2022 में सफलतापूर्वक संचालन के पचास साल पूरे किए। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई संशोधन/विधान भी प्रस्तुत किए गए।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। अगला खंड रिजर्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिजर्व बैंक की प्रमुख पहलों

¹ 1972 में आरंभ की गई, यह एक सुदृढ़ और व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली में बदल गई है, जिससे उपयोगी आंकड़ों की एक विस्तृत शृंखला प्राप्त होती है।

को प्रस्तुत करता है। अगला खंड अपनी संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ बातचीत शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण करता है। खंड 6 अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसमें वैधानिक रिपोर्ट और फ्रंटलाइन अनुसंधान प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों को रेखांकित करता है, जबकि खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 यूक्रेन युद्ध, जलवायु जोखिम और केंद्रीय बैंकों में मौद्रिक नीति की समन्वित सख्ती जैसी घटनाओं के बाद गतिशील और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर, केंद्रीय बैंकों की संचार कार्यनीति में एक विशेष बदलाव देखा गया है। केंद्रीय बैंक का संचार, जिसका लक्ष्य पहले मुख्य रूप से नीतिगत कार्यों और उनके औचित्य को व्यक्त करना था, अब इसका उपयोग तेजी से अवधारणा प्रबंधन के लिए रहा है, जो नीतियों की प्रभावशीलता में हस्तक्षेप पर बाजार की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल और अनुचित बदलाव की भूमिका की पहचान करता है। मौद्रिक और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों, विनियमन और पर्यवेक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे जटिल और तकनीकी केंद्रीय बैंकिंग विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यों से निपटने के दौरान जन-अवधारणा का प्रबंधन करना केंद्रीय बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

X.4 अधिक पारदर्शिता के लिए, मौद्रिक नीति संचार में आगामी मार्गदर्शन प्रदान करना हाल के दिनों में अधिकांश केंद्रीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण बन गया। उभरती घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ, हालांकि, कुछ केंद्रीय बैंक स्पष्ट फॉरवर्ड मार्गदर्शन देने से

बच रहे हैं। इस प्रकार, मौद्रिक नीति संचार इस समय अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के माहौल के बीच बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

X.5 संरचित और लिखित संचार, जो वित्तीय बाजारों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका हुआ करता था, अब इसे भाषणों और साक्षात्कारों, अनौपचारिक मीडिया बातचीत और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर मीडिया कार्यशालाओं के संदर्भ में मौखिक संचार द्वारा पुष्ट किया जा रहा है। संचार का मौखिक और अनौपचारिक तरीका संचार के प्रभावी तरीके बन गए हैं क्योंकि ये केंद्रीय बैंक को जनता के साथ सीधे संवाद करने और अपनी नीतियों और कार्यों के पीछे के तर्क और आगामी कार्यनीति प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह दो-तरफ़ा संचार, जिसमें प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान मौके पर स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है, नया मानदंड बनता जा रहा है। भाषणों और साक्षात्कारों की भाषा गैर-तकनीकी और समझने में आसान है। अध्ययनों से पता चला है कि संचार अधिक प्रभावी होता है जब केंद्रीय बैंक सरल और भरोसेमंद भाषा का उपयोग करता है क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास बनाने और जनता की अपेक्षाओं को खरा उतरने में मदद करता है। हाल ही में, केंद्रीय बैंक प्रतिष्ठा जोखिम को कम करने, केंद्रीय बैंक के संचालन में विश्वास और भरोसा निर्माण करने और इसके पारदर्शिता प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस तरह के औपचारिक और अनौपचारिक मौखिक संचार का उपयोग कर रहे हैं।

X.6 हाल के दशकों में संचार में पारदर्शिता की भूमिका काफी बढ़ गई है। सोशल मीडिया जैसे नए युग के डिजिटल प्लेटफॉर्मों के आगमन के साथ यह प्रवृत्ति तेज हो गई, जिसने तेजी से और बड़े दर्शक वर्ग के बीच सूचना के प्रसार को बढ़ाया है। रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को उजागर करने, सार्वजनिक हित के नीतिगत कार्यों को अनौपचारिक और शिक्षाप्रद प्रारूप में संप्रेषित करने के लिए रिज़र्व बैंक अपने 360 डिग्री अखिल भारतीय जन जागरूकता अभियानों का भी

उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य जनता के साथ ज्यादा जुड़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान (पीएसी) का व्यापक उद्देश्य टैगलाइन - आरबीआई कहता है ... जानकारी बनिये, सतर्क रहें! (आरबीआई सेज़ ... बी अवेयर, बी एलर्ट!) के तहत धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ खुद को बचाने के बारे में ज्ञान से लैस करते हुए ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में रिजर्व बैंक की अच्छी पद्धतियों, विनियमों और पहलों के बारे में बैंक ग्राहकों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करना था। इसके अलावा, संचार की प्रक्रिया आवधिक, कैलेंडर-आधारित और व्यवस्थित है, और इसमें सभी सामाजिक समूह शामिल हैं।

X.7 रिजर्व बैंक सक्रिय संचार नीति का अनुसरण करता है, जो गतिशील है और जिसका लक्ष्य समाज के भीतर सभी समूहों तक पहुंचने के लिए निर्धारित वार्ताकारों के साथ व्यापक और विविध सामाजिक स्पेक्ट्रम है। संदेश प्रत्येक समूह के अनुरूप हैं क्योंकि पीएसी का उद्देश्य रिजर्व बैंक के जागरूकता संदेशों को समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से रिजर्व बैंक के संचार के प्रसार से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने में मदद मिली।

X.8 वर्ष 2022-23 के दौरान, संचार विभाग (डीओसी) ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न चैनलों, जैसे टेलीविजन (टीवी), प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आउट-ऑफ-होम (ओओएच), शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम (एसएमएस) और सिनेमा का उपयोग करके आवश्यकता आधारित संचार का प्रसार किया। आवश्यकता आधारित अभियान का विवरण सारणी X.1 में दिया गया है।

X.9 इन विषयगत अभियानों के अलावा, रिजर्व बैंक ने जनता को जानकारी प्रसारित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) विश्व कप जैसे उच्च प्रभाव/विशिष्ट कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। टियर III और IV शहरों

सारणी X.1: अनुकूलित अभियान: 2022-23

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	जून 2022
2. बेदावा जमाराशि	जुलाई - अगस्त 2022
3. टोकनाइजेशन	जुलाई - अक्टूबर 2022
4. सिक्कों पर अभियान	अगस्त - सितंबर 2022
5. विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर अभियान	सितंबर - अक्टूबर 2022
6. आरबी - आईओएस पर पुनः अभियान	सितंबर - अक्टूबर 2022
7. सीईपीडी एसएमएस अभियान	नवंबर 2022
8. यूपीआई/क्यूआर कोड का उपयोग कर धोखाधड़ी	नवंबर 2022
9. डिजिटल/बैंकिंग लेन-देन में सीमित देयता	नवंबर - दिसंबर 2022
10. सकारात्मक वेतन प्रणाली	नवंबर - दिसंबर 2022
11. नोटों का विनिमय	नवंबर - दिसंबर 2022
12. वित्तीय साक्षरता सप्ताह	फरवरी 2023
13. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह	मार्च 2023
आरबी-आईओएस : रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना। सीईपीडी : उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग। यूपीआई/क्यूआर : एकीकृत भुगतान इंटरफेस/त्वरित प्रतिक्रिया। स्रोत: आरबीआई।	

में अधिक पहुंच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अभियान भी जारी किए गए।

X.10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग हर हफ्ते आकर्षक पोस्टर, लघु वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, एनीमेशन विलप, पोल, ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रारूप (जीआईएफ) और कथाओं के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता संदेश भी जारी किए जाते हैं। बेहतर स्मरण के लिए, सभी पीएसी में शुभंकर 'मनी कुमार' का उपयोग किया जाता है। जनवरी 2023 से शुभंकर के रूप में मिस मनी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये अभियान, सभी मास मीडिया को शामिल करने वाले 360 डिग्री अभियान के पूरक हैं। आरबीआई की यह संचार पहल सभी मामलों में अद्वितीय है- जिसमें जनता के बड़े भाग पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसकी जड़ें देश की संस्कृति में गहराई में हैं, जिसमें अभी भी समय और विकसित प्रौद्योगिकी का तालमेल है (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंक संचार में सोशल मीडिया का उपयोग

आज की तेजी से बदलती और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित दुनिया में, सोशल मीडिया केंद्रीय बैंकिंग संचार में एक आवश्यक उपकरण है। कई केंद्रीय बैंकों ने अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के सोशल मीडिया चैनल स्थापित किए हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म की अपनी कार्यप्रणाली और लक्षित दर्शकों के साथ, केंद्रीय बैंक अपने संदेशों को विभिन्न सोशल मीडिया के अनुरूप बनाने में अधिक सुस्पष्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया ने केंद्रीय बैंकों को पहले से अगम्य दर्शकों जैसे कि वे लोग जो पारंपरिक मीडिया पर समाचारों का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। अधिक मौलिक रूप से कहे तो, सोशल मीडिया ने केंद्रीय बैंकों को जनता से सीधे बात करने में सक्षम बनाया है।

रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद करने के सचेत प्रयास किए हैं। रिजर्व बैंक की इंस्टाग्राम, फेसबुक, पब्लिक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी है। रिजर्व बैंक के दो ट्विटर हैंडल (@RBI और @RBIsays), दो फेसबुक अकाउंट (@RBIsays और @therbimuseum), एक यूट्यूब चैनल (Reserve Bank of India) और एक इंस्टाग्राम अकाउंट (reservebankofindia) है। आरबीआई ने 4 जनवरी, 2023 को 'पब्लिक ऐप (@RBIsays) पर भी एक खाता शुरू किया है। इस ऐप का उपयोग करके, रिजर्व बैंक के जन जागरूकता संदेशों और वीडियो को आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में लक्षित और साझा किया जा सकता है, वह भी स्थानीय भाषाओं में, ताकि अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच व्यापक प्रसार के लिए इन प्लेटफॉर्मों पर जानकारी निरंतर और अनुरूपता से अपडेट की जाती है। सोशल मीडिया का उपयोग वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, जन जागरूकता और रिजर्व बैंक के नीतिगत निर्णयों के बारे में जनता में सूचना प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी किया जाता है (सारणी 1)।

रिजर्व बैंक अपने सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी) के माध्यम से नियमित आधार पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी करता है और इन प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट जारी करता है। प्रतिक्रिया सीमित तरीके से सीधे संदेशों के माध्यम से सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जाती

सारणी 1: सोशल मीडिया उपस्थिति*

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या
1	2	3	4
ट्विटर	i. @RBI	जनवरी 2012	19.7 लाख
	ii. @RBIsays	अगस्त 2019	1.95 लाख
यूट्यूब	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	अगस्त 2013	1.71 लाख
फेसबुक	i. @RBIsays	अगस्त 2019	7,800
	ii. @therbimuseum	फरवरी 2020	1,460
इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	2.1 लाख
जनता	@RBIsays	जनवरी 2023	29,000

*: 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: आरबीआई।

है। रिजर्व बैंक के नाम से फर्जी पृष्ठों की नियमित रूप से पहचान की जाती है और पृष्ठों को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा, विभाग नियमित रूप से सोशल मीडिया

उदाहरण 1: सुश्री मनी और मनी कुमार



प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट, पहुंच, प्रमुख संदेशों और शीर्ष हैशटैग का विश्लेषण करता है।

स्रोत: आरबीआई।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.11 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इंटरैक्टिव अभियानों के लिए चित्र, एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स जोड़कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के

लिए सार्वजनिक जागरूकता संदेशों की परत-दर-परत शुरुआत (पैराग्राफ X.10);

- रिजर्व बैंक की वेबसाइट को बेहतर सूचना संरचना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.12] के साथ नया रूप देना;

- इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम जनता के साथ अधिक जुड़ाव और सक्रिय सोशल मीडिया श्रवण (उत्कर्ष) के माध्यम से दो-तरफा संचार प्रयासों को बढ़ाना [पैराग्राफ X.13];
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर लक्षित मीडिया निगरानी (पैराग्राफ X.13);
- रिज़र्व बैंक की आंतरिक और बाह्य संचार सामग्री को सरल बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में लिखित संचार में शैली और उपयोग पर पुनर्विचार करना (पैराग्राफ X.14); और
- रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों की प्रभावोत्पादकता का आकलन करना (पैराग्राफ X.15)।

कार्यान्वयन की स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट का नवीकरण

X.12 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के पुनः डिज़ाइन और विकास के लिए कार्य प्रगति पर है। इसका उद्देश्य अपने सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और समय पर सूचना का प्रसार सुनिश्चित करते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। नवीकृत वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन 2023 में सक्रिय हो जाएगा।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर (एसएमसीसी)

X.13 रिज़र्व बैंक की फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर मौजूदगी है। विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच व्यापक प्रसार के लिए इन प्लेटफार्मों पर जानकारी लगातार और अनुरूप तरीके से अद्यतन की जाती है। एसएमसीसी नियमित आधार पर रिज़र्व बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी करता है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी करता है।

लिखित संचार में शैली और उपयोग पर पुनर्विचार

X.14 केंद्रीय बैंक से संचार बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसका लक्ष्य देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की बेहतर ढंग से सूचना प्रदान करना, विनियमन करना, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना है। रूप और सामग्री किसी भी संचार के अभिन्न अंग हैं। विभाग ने रिज़र्व बैंक के संचार की 'शैली और उपयोग' पर फिर से विचार करने का कार्य शुरू कर दिया है और यह प्रगति पर है।

रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव आकलन

X.15 रिज़र्व बैंक ने जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया है। समग्र सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर है। आकलन मई 2023 में पूरा होने की संभावना है।

अन्य पहल

'दि आरबीआई म्यूजियम' का दूसरा चरण

X.16 रिज़र्व बैंक ने आरबीआई, कोलकाता में एक अत्याधुनिक 'दि आरबीआई म्यूजियम' की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन 11 मार्च 2019 को किया गया था। संग्रहालय बहुत ही रोचक एवं चर्चापरक तरीके में पैसे की अवधारणा, अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका और इसमें जनता की भूमिका, सदियों से पैसे के विभिन्न रूप कैसे विकसित हुए हैं, कैसे और क्यों सवर्ण अभी भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसकी सुखद और संवादापरक तरीके से व्याख्या करता है। 31 मार्च 2023 के अंत तक, संग्रहालय में स्थापना के बाद से 17,300 से अधिक आगंतुक आए थे। आरबीआई संग्रहालय के दूसरे चरण से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक पर 'द आरबीआई म्यूजियम' पेज का भी उपयोग करता है।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.17 गवर्नर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद, द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हैं। घोषणा के बाद, गवर्नर और उप गवर्नर मौद्रिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह की छह चर्चाएं आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला

X.18 रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय मीडिया के साथ नियमित कार्यशालाएं और चर्चाएं आयोजित करता है। इस तरह की कार्यशालाओं का उद्देश्य मीडियाकर्मियों को केंद्रीय बैंक के कामकाज की बेहतर और अधिक सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्रदान करने और रिज़र्व बैंक की नीतियों के पीछे की नवीनतम घटनाओं, अवधारणाओं और तर्क के बारे में जागरूक होने में सक्षम बनाना है। गुवाहाटी, अहमदाबाद और कोच्चि में वर्ष के दौरान ऐसी तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

अनौपचारिक मीडिया इंटरैक्शन

X.19 मौद्रिक नीति प्रेस सम्मेलनों के अलावा, रिज़र्व बैंक अनौपचारिक रूप से मीडिया के साथ चर्चाएं आयोजित करता है जब भी इस तरह की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान इस तरह की 30 चर्चाएं आयोजित की गईं।

आरबीआई की वेबसाइट

X.20 2022-23 के दौरान, विभाग ने 1,952 प्रेस प्रकाशनी, 200 अधिसूचनाएं, 22 परिपत्र, छह मास्टर निर्देश जारी किए हैं और शीर्ष प्रबंधन के 18 साक्षात्कार और 36 भाषण, छह आरबीआई रिपोर्ट, 10 वर्किंग पेपर, 1,375 निविदाएं और 32 भर्ती से संबंधित विज्ञापन अपलोड किए हैं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.21 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और सुदृढ़ किया जाएगा, और निम्नलिखित दिशा में प्रयास किए जाएंगे:

- आरबीआई के जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन को पूरा किया जाना (उत्कर्ष 2.0);
- सभी हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम पुनः डिज़ाइन की गई वेबसाइट का शुभारंभ (उत्कर्ष 2.0); और
- कोलकाता में 'आरबीआई संग्रहालय' के दूसरे चरण का पूरा करना (उत्कर्ष 2.0)।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.22 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ब्रिक्स² और सार्क फाइनेंस जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त किया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता संभाली है। जी-20 की अध्यक्षता के तहत, रिज़र्व बैंक वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) के समन्वय से वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और संबंधित वितरण पर कार्य करेगा। भारत ने वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता संभाली और रिज़र्व बैंक वित्त ट्रैक के तहत वितरण पर कार्य करेगा। रिज़र्व बैंक दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र की अध्यक्षता

² ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

ग्रहण करेगा और 59वीं एसईएसीईएन गवर्नर्स सम्मेलन/उच्च स्तरीय संगोष्ठी और एसईएसीईएन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 43वीं बैठक की मेजबानी करेगा।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.23 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी) के तहत मुद्दों सहित बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहभागिता बढ़ाना (पैराग्राफ X.24-X.26 और X.34);
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी-20 वित्त ट्रैक कार्ययोजना के लिए सलाहकार समूह में सहभागिता जिससे कि प्राथमिकताओं पर विचार किया जा सके, परिणामों/वितरणों पर सुझाव दिया जा सके और जी20 की वर्ष 2023 की भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त ट्रैक कार्ययोजना पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। (बॉक्स X.2);
- सहभागिता के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के सहयोग को मजबूत करना (पैराग्राफ X.27);
- औपचारिक सहमति ज्ञापन (एमओयू) या अन्यथा के माध्यम से सार्क और अन्य देशों के लिए एक्सपोजर दौरों और क्षमता निर्माण समर्थन में वृद्धि (पैराग्राफ X.28-X.32); और
- भारत 1 दिसंबर, 2022 को जी 20 की अध्यक्षता संभालेगा और भारत सरकार के सहयोग से कई उच्च स्तरीय और कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की जाएंगी (पैराग्राफ X.33-X.37)।

कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ

X.24 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2022 में आयोजित फंड-बैंक बैठकों के दौरान प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास; वैश्विक नीति एजेंडा; और आईएमएफ कोटा और अभिशासन सुधारों पर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) के विचार-विमर्श के लिए इनपुट प्रदान किए।

X.25 विभाग ने 14-27 सितंबर, 2022 के दौरान आयोजित आईएमएफ अनुच्छेद IV मिशन को पूरा करने में मदद की। भारत 2022 अनुच्छेद IV परामर्श स्टाफ रिपोर्ट 23 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित हुई थी। विभाग ने आईएमएफ के विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया जैसे विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईईआर), समष्टि विवेकपूर्ण नीतिगत सर्वेक्षण, जलवायु मुद्दों और नीतियों पर सर्वेक्षण, और केंद्रीय बैंकों की संधारणीयता पहल पर सर्वेक्षण। विभाग ने देश के प्राधिकरणों के लिए अभिशासन पर आईएमएफ के सर्वेक्षण में भी भाग लिया।

X.26 विभाग ने रिजर्व बैंक के रुख को मजबूत किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर एमओएफ, भारत सरकार को जानकारी प्रदान की। इसने विश्व बैंक के भारत विकास अद्यतन 2022 के लिए भी जानकारी प्रदान की और कोड पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सलाहकार कार्यदल³ (एटीएफसी) की बैठकों में भाग लिया।

ब्रिक्स, सार्क, एससीओ और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) की तकनीकी टीम ने सीआरए संधि में संशोधन के लिए प्रमुख सिफारिशों, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया, जो वैकल्पिक भुगतान मुद्राओं के उपयोग सहित सीआरए तंत्र में अधिक लचीलापन लाएगा, और इस प्रकार क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था (आरएफए) को मजबूत करेगा। ब्रिक्स अनुसंधान

³ पूंजी संचलन और वर्तमान अदृश्य संचालन के उदारीकरण के ओईसीडी कोड।

समूह ने ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2022 निकाला, जिसमें हाल के नीतिगत उपायों को प्रतिबिंबित करते हुए ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को कवर किया गया और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली (एसएमआई) को जारी रखा गया। ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और मार्गस्थ वित्त (ट्रांजिट फाइनेंस) पर दो स्टॉक पड़ताल सर्वेक्षण किए, और सूचना सुरक्षा और भुगतान प्रणालियों पर संवाद और चर्चा जारी रखी।

X.28 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अनुमोदन से मुद्रा अदला-बदली (स्वैप) व्यवस्था 2019-22 पर सार्क ढांचे की वैधता 13 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान (आरएमएबी) के साथ और दिसंबर 2022 में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। रिज़र्व बैंक ने 2022-23 के दौरान तीन सार्क केंद्रीय बैंकों को कुल मिलाकर 0.9 बिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली सहायता भी दी है।

X.29 सार्क क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों को मजबूत करते हुए, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के दस अधिकारियों को छह सप्ताह के लिए डेटा एनालिटिक्स पर रिज़र्व बैंक के साथ अपनी तरह का पहला इंटरशिप अवसर प्रदान किया गया था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) और आरएमएबी को तकनीकी सहायता प्रदान की। अगस्त 2022 में सार्क केंद्रीय बैंकों के लिए 'मुद्रास्फीति की गतिशीलता और दक्षिण एशिया में इसका नियंत्रण' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

X.30 एमएमए द्वारा आयोजित सार्क फाइनेंस डेटाबेस (एसएफडीबी) संगोष्ठी में 'केंद्रीय बैंकों द्वारा उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग: अनुभव और आगे की योजनाएं' विषय पर एक देशीय पत्र (कंट्री पेपर) प्रस्तुत किया गया था।

एसएफडीबी संगोष्ठी के साथ, रिज़र्व बैंक ने एसएफडीबी कार्य समूह की बैठक आयोजित की और सार्क केंद्रीय बैंकों को डेटाबेस में प्रस्तावित सुधार के बारे में अद्यतन किया ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और गतिशील बनाया जा सके।

X.31 रिज़र्व बैंक ने 2023 के लिए एससीओ अध्यक्ष के तहत केंद्रीय बैंक के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में एससीओ देशों में डिजिटल वित्त समावेशन पर रिपोर्ट तैयार की। भारत ने 3 मार्च, 2023 को एससीओ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की।

X.32 बैंक ऑफ जापान और रिज़र्व बैंक के बीच वरिष्ठ स्तरीय वार्ता 16 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों में व्यापक आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने, डिजिटल उधार नियमों और भारतीय अध्यक्षता के तहत चुनिंदा जी 20 मुद्दों के विषयों को कवर किया गया।

जी20 और इसके कार्य समूह

X.33 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत, भारत ने विभिन्न कार्यसमूहों की बैठकों के अलावा, जी 20 ट्रोइका सदस्य के रूप में जी 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठकों और वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की बैठकों में भाग लिया।

X.34 2022 में, जी20 इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत, विभाग ने जी20 आईएमएफ डब्ल्यूजी की बैठकों में भाग लिया, और पूंजी प्रवाह से संबंधित मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए, और पूंजी प्रवाह के उदारीकरण और प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के संस्थागत दृष्टिकोण की समीक्षा, एक एकीकृत नीति ढांचे पर आईएमएफ का काम; बीआईएस मैक्रो वित्तीय स्थिरता नीति ढांचे पर काम; वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) की पर्याप्तता; और आईएमएफ के विशेष

आहरण अधिकारों (एसडीआर) की चैनलिंग पर चर्चा में शामिल हुए।

X.35 भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी 20 की अध्यक्षता संभाली। भारत के जी20 अध्यक्षता का विषय - 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'एक पृथ्वी · एक परिवार · एक भविष्य' - मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव - और ग्रह पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड में उनके अंतर-जुड़ाव सहित सभी के जीवन के मूल्य को

मानता है। वित्त ट्रेक के भीतर, भारत की प्राथमिकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उभरने वाले अवसर और जोखिम, जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन, विकास और बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना शामिल है (बॉक्स X.2)।

बॉक्स X.2

जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2023 के तहत वित्त ट्रेक (एफटी) प्राथमिकताएं

भारत ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के बीच जी-20 की अध्यक्षता संभाली जो वैश्विक विकास की गति की कमजोरी, कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित मौद्रिक नीति में सख्ती और उससे जुड़े प्रभावों, भू-राजनीतिक तनाव, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन और महामारी के सुस्त प्रभावों जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बहुसंकट का सामना कर रहा है।

जी-20 के भीतर, एफटी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, उनके प्रतिनिधियों और विभिन्न कार्यकारी समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। एफटी द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक आर्थिक जोखिमों की निगरानी; अधिक स्थिर और लचीले वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार; अंतरराष्ट्रीय कराधान; गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का वित्तपोषण; स्थायी वित्त; वित्तीय समावेशन; वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वित्तपोषण और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में निवेश हैं। इन विविध मुद्दों से निपटने के लिए, जी-20 ने समय के साथ कार्यकारी समूहों की स्थापना की है, अर्थात् फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) और संपोषणीय वित्त कार्यदल (एसएफडब्ल्यूजी), और संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यदल (जेएफएचटीएफ)। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों को क्रमशः एफएसबी और ओईसीडी की सहायता से डिप्टी स्तर पर सीधे निपटाया जाता है, और वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने जी-20 एफटी के लिए प्राथमिकताओं और वितरण को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समूह की बैठकों में योगदान दिया। भारत की अध्यक्षता के तहत, प्रमुख एफटी प्राथमिकताओं में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना और स्थायी पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करना शामिल है। यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक परिणामों का आकलन और मैक्रो पॉलिसी सेटिंग के लिए परिणामी प्रभावों का आकलन, कल के समावेशी,

लचीले और स्थायी शहरों का वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन और संक्रमण मार्गों के व्यापक आर्थिक प्रभाव का देश-संचालित मूल्यांकन विकसित करने के साथ केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और उनके समष्टि-वित्तीय प्रभावों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना एक प्राथमिकता है। संपोषणीय वित्त के संबंध में प्राथमिकताओं में जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र पर काम करना, निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए वित्त को सक्षम करना और सतत विकास की दिशा में वित्तपोषण के लिए पारितंत्र का क्षमता निर्माण शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के अंतर्गत, भारत ने तकनीकी विकास द्वारा पेश किए गए जोखिमों और अवसरों दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव दिया है। क्रिप्टो बाजारों में आवर्ती उथल-पुथल, कुछ स्थिर सिक्कों का अन-अधिकीलन (डी-पेगिंग) और व्यापक क्रिप्टो बाजारों के बाजार मूल्य में परिणामी गिरावट ने इन आशंकाओं को प्रबल किया है कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए एक भौतिक खतरा हैं। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और वित्तीय अखंडता की चिंताओं से परे जी 20 क्रिप्टो आस्ति परिभाषा का विस्तार करना है ताकि क्रिप्टो आस्तियों के मैक्रो-वित्तीय और क्रॉस-सेक्टरल इंप्लीकेशन्स और जोखिमों को प्राप्त किया जा सके। अध्यक्ष पद क्रिप्टो-आस्तियों, स्थिर सिक्कों और डीईएफआई के वैश्विक विनियमन के लिए एक ढांचा बनाकर संयुक्त रूप से जी 20 में एक समन्वित और व्यापक नीति दृष्टिकोण को आकार देने का इरादा रखता है। तेजी से बढ़ती डिजिटल वित्तीय सेवाएं और तीसरे पक्ष की सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता वित्तीय प्रणाली को परिचालन, तरलता और एकाग्रता जोखिमों के लिए उजागर करती है। इसकी अध्यक्षता में, भारत अन्य बातों के साथ-साथ, बिगटेक और फिनटेक से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना चाहेगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल हो जाती है, साइबर जोखिम वित्तीय प्रणाली के लिए एक खतरा है, क्योंकि श्रृंखला में कहीं भी आउटटेज पूरे वित्तीय प्रणाली पर असर करने वाले व्यापक प्रभाव पैदा कर सकता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान, वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को

(जारी...)

मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग हेतु एक रिपोर्टिंग ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निरंतर विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक प्रवासियों की विप्रेषण लागत को 3 प्रतिशत से कम करने के उद्देश्य से; और भुगतान की उत्पत्ति और निपटान के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए, भारत की अध्यक्षता धन के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय तेजी से भुगतान प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता पर राष्ट्रीय अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय पहलों पर जानकारी साझा करने को प्राथमिकता देगी। भारत की अध्यक्षता एक डिजिटल वित्तीय परितंत्र विकसित करने और आर्थिक विकास में सहायता के लिए रचनात्मक और कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशों की मदद से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता

लाभ को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की दिशा में भी काम करेगी। इसके अलावा, भारत जी 20 प्रेसीडेंसी के तहत, जीपीएफआई एक नई वित्तीय समावेशन कार्य योजना 2023 तैयार कर उसे अपनाएगा जो पब्लिक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक-आधारित वित्तीय परितंत्र और पहल की स्थापना के लिए कार्यान्वयन ढांचे को विकसित करके एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रक्षेपवक्र निर्धारित करेगा। इसके अलावा, 6-7 मार्च, 2023 के दौरान हैदराबाद में वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में संपन्न दूसरी जी 20 वैश्विक भागीदारी बैठक में, भारत और इटली को पूरी सदस्यता के समर्थन के साथ नए जीपीएफआई सह-अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था।

X.36 दिसंबर 2022 में भारत के जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से विभाग कई डोमेन विभागों के साथ समन्वय में आरबीआई से संबंधित कई जी-20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं पर प्रायोगिक आधार पर काम कर रहा है। आईएफए डब्ल्यूजी के अंतर्गत, विभाग निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर कार्य कर रहा है अर्थात् (i) सीबीडीसी के समष्टि-वित्तीय निहितार्थों का आकलन; और (ii) सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलापन को सुदृढ़ करना। वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों में, बैंक (i) निधियों के निर्बाध सीमा-पार प्रवाह के लिए राष्ट्रीय तीव्र भुगतान प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता पर राष्ट्रीय अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय पहलों पर सूचना साझा करने; (ii) बिगटेक और फिनटेक से संबंधित अन्य बातों के साथ-साथ तृतीय-पक्ष जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना; और (iii) वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार करना जैसे मुद्दों पर अग्रणी कार्य कर रहा है।

X.37 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की पहली बैठक भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी, जहां अध्यक्षीय प्राथमिकताओं को सदस्यता और आईओ के व्यापक समर्थन के साथ पूरा किया गया। जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की पहली बैठक और एफसीबीडी की दूसरी बैठक फरवरी 2023

में आयोजित की गई थी। जी-20 एफएमसीबीजी के चेयर समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट में वैश्विक ऋण संकट, एमडीबी सुधार, जलवायु वित्त, क्रिप्टो पर वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, कल के वित्तपोषण शहरों और कराधान जैसे विषयों पर भारत की अध्यक्षता में 2023 में जी-20 की प्राथमिकताओं और भविष्य के कार्यों को रेखांकित किया गया है। रिज़र्व बैंक ने पहली एफसीबीडी बैठक और दूसरी एफसीबीडी बैठक से इतर 'हरित वित्तपोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका' और 'सीमा-पार भुगतान: राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों की भूमिका पर परिप्रेक्ष्य' विषय पर केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरबीआई ने जनवरी 2023 में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं: अवसर और चुनौतियां' पर एक पैनल चर्चा और मार्च 2023 में 'एक खंडित दुनिया में जीएफएसएन को मजबूत करना' पर जी20 संगोष्ठी का भी आयोजन किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक जी20 फाइनेंस ट्रैक बैठकों से पहले कई घरेलू आउटरीच और सार्वजनिक भागीदारी (जन भागीदारी) कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

अन्य पहल

बीआईएस के साथ सहभागिता

X.38 विभाग ने विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की जिसने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की बैठकों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) की बैठकों में चर्चा किए

गए मुद्रों पर रिज़र्व बैंक के रुख को आकार प्रदान किया। बीआईएस संवाद और विश्लेषण के लिए एक मंच है, आर्थिक और वित्तीय विकास पर चर्चा करता है और मुख्य नीतिगत मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कीमतों और मजदूरी से संबंधित गतिविधियाँ चर्चा के प्रमुख विषय थे। बीआईएस की बैठकों में मौद्रिक सख्ती स्पिलओवर, वैश्विक आपूर्ति शृंखला और विश्व व्यापार, वित्तीय स्थिरता जोखिम और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समष्टि-वित्तीय लिंकेज, विकेंद्रीकृत वित्त, जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय बैंक लाभप्रदता से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है। वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीएफएस की बैठकों में उतार-चढ़ाव वाले अस्थिर वस्तु बाजारों और वित्तीय स्थिरता पर मौद्रिक सख्ती के परिणामों, संपत्ति बाजारों में गिरावट से संभावित जोखिम, सीमापार स्पिलओवर में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) की भूमिका, बढ़ती ब्याज दरों के प्रति एनबीएफसी की संवेदनशीलता और विनियम दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया।

X.39 विभाग ने भविष्य के सीजीएफएस कार्य कार्यक्रम और सीजीएफएस को मजबूत करने के तरीकों पर सीजीएफएस सर्वेक्षणों में योगदान दिया। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस वार्षिक उभरते बाजार डिप्टी गवर्नर की बैठक में रिज़र्व बैंक की भागीदारी, मुद्रास्फीति पर बीआईएस कार्य समूह, बाहरी वित्तीय स्थितियों और एशिया-प्रशांत में समष्टि-वित्तीय स्थिरता ढाँचे, आवास से संबंधित जोखिमों को कम करने पर सीजीएफएस अध्ययन समूह और जलवायु जोखिमों और परिसंपत्ति की कीमतों पर सीजीएफएस कार्यशाला का समन्वय किया। विभाग द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जैसे सामयिक मुद्दों पर बीआईएस द्वारा वेबिनार भी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस बोर्ड और इसकी

प्रशासनिक समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता और इनपुट प्रदान किए।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहल

X.40 विभाग ने व्यापक मुद्दों पर एफएसबी में भारत का रुख तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों का आकलन और निगरानी; गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफसी) क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाना; क्रिप्टो-आस्तियाँ और अन्य डिजिटल नवाचार; सीमा पार भुगतान में वृद्धि; साइबर और परिचालनात्मक लचीलापन; और जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों का समाधान करना शामिल था।

X.41 भारत एफएसबी के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह एशिया (आरसीजी-एशिया) का सह-अध्यक्ष होने के नाते, विभाग इसकी दो बैठकों में शामिल था। इन बैठकों में अस्थिर कमोडिटी कीमतों, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों से क्षेत्र में उत्पन्न वित्तीय स्थिरता के लिए सदस्यों के दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों का समाधान करने पर क्षेत्र के भीतर की जा रही प्रगति; और सीमापार भुगतान पर एफएसबी का चल रहा काम और सीमापार भुगतान पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

X.42 विभाग ने एफएसबी और वित्तीय प्रणाली के हरित वित्तपोषण नेटवर्क (नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम) (एनजीएफएस) द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों में योगदान दिया। विभाग ने एफएसबी की वार्षिक निगरानी कार्रवाई में भी योगदान दिया, जो एनबीएफसी क्षेत्र में वैश्विक रुझानों का आकलन करती है। इस कार्रवाई के तहत विभाग ने 'गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर एफएसबी की 2022 वैश्विक निगरानी रिपोर्ट' के लिए आंकड़े/इनपुट उपलब्ध कराए।

अन्य गतिविधियाँ

X.43 रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी), एसईएसीईएन केंद्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ),

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), तीस सदस्यीय समूह (जी30) और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास (जी-24) पर चौबीस सदस्यीय अंतर-सरकारी समूह जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी।

X.44 विभाग ने एसएआरटीटीएसी, आईएमएफ और आईएमएफ के अन्य क्षमता विकास केंद्रों द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में रिजर्व बैंक की भागीदारी का समन्वय किया। वर्ष के दौरान, विभाग ने रिजर्व बैंक के अन्य विभागों के साथ समन्वय में एसईएसीईएन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। विभाग ने वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के लिए आईएमएफ के एक तकनीकी सहायता (टीए) मिशन की व्यवस्था की ताकि इसकी विश्लेषणात्मक क्षमता और सॉल्वेंसी जोखिम विश्लेषण, चलनिधि जोखिम विश्लेषण और भारत में बैंकों के तुलनपत्र की संबद्धता के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडलों की समीक्षा की जा सके।

X.45 विभाग ने दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच आपसी सहयोग में सुधार के लिए जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के अवसर पर 16 जुलाई, 2022 को बाली, इंडोनेशिया में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति ज्ञापन के साथ, आरबीआई और बीआई ने दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहरा करने और भुगतान प्रणालियों, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल-सीएफटी) के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे सहित केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस सहमति ज्ञापन को नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के माध्यम से लागू किया जाएगा।

X.46 यह विभाग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं/ बैठकों के समन्वय और व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर इनपुट तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक में नोडल बिंदु है। इस संदर्भ में, विभाग ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों, वित्तीय विनियमन, व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक नीतियों और अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों को कवर करने वाले विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.47 वर्ष के दौरान, विभाग रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को तेज करेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- जी 20 प्रेसीडेंसी फाइनेंस ट्रेक (उत्कर्ष 2.0);
- आईएमएफ-डब्ल्यूबी संयुक्त पंचवर्षीय निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (उत्कर्ष 2.0); और
- भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की सहमति से, 2023-26 (उत्कर्ष 2.0) के लिए सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा तैयार करेगा।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.48 सरकार और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखों का रखरखाव करने और रिजर्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा, बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक के कार्यों को संभालता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.49 विभाग ने 2022-23 के लिए उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ई-कुबेर और लोक निधि प्रबंधन प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से केंद्रीय सिविल मंत्रालयों द्वारा भुगतान (गैर-पेंशन) को बढ़ाना, जिसमें

अंतर-सरकारी समायोजन सलाह (पैराग्राफ X.50) शामिल है;

- उन राज्य सरकारों के ई-भुगतान लेनदेनों (गैर-पेंशन) को बढ़ाना जो पहले से ही ई-कुबेर के साथ एकीकृत हैं (पैराग्राफ X.51);
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष बचे राज्य सरकारों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना (पैराग्राफ X.51); और
- प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण (पैराग्राफ X.52);
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आइसगेट पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए एजेंसी बैंकों को जोड़ना [पैराग्राफ X.53]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.50 ई-कुबेर और लोकनिधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के बीच एकीकरण का उपयोग केंद्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने बड़े भुगतान के लिए किया जा रहा है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) ढांचे के माध्यम से केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के भुगतान के लिए इस एकीकरण को बढ़ाया गया है। टीएसए ढांचे को कुछ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और वैधानिक निकायों के लिए भी विस्तारित किया गया है। वर्तमान में, पीएफएमएस इलेक्ट्रॉनिक अंतर-सरकारी समायोजन सूचना के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकरण का भी उपयोग कर रहा है, और विभाग इसे एक उन्नत संस्करण में स्थानांतरित करने के लिए कार्य कर रहा है।

X.51 पूर्वोत्तर क्षेत्र की तीन राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों को ई-भुगतान के लिए

ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया है। इनमें से कई राज्य सरकारें अपने अधिकांश ई-भुगतान लेनदेन के लिए रिजर्व बैंक के ई-कुबेर का उपयोग कर रही हैं, जो सरकारों के लिए 'समय पर भुगतान (जस्ट-इन-टाइम)' भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है।

X.52 वर्ष के दौरान, चार और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया, जिससे एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत राज्य सरकारों की कुल संख्या सात हो गई।

X.53 सीबीआईसी की भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 1 जुलाई, 2019 से अप्रत्यक्ष करों [वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा], जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, के संग्रह के लिए लागू किया गया। बाद में 1 जुलाई, 2020 से सीबीआईसी के आइसगेट को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करके सीमा शुल्क के संग्रह को भी सक्षम किया गया। आइसीईगेट पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क प्राप्तियों और अन्य संबंधित अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए एक अग्रिम या प्री-पेड भुगतान वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एजेंसी बैंकों ने प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए ओएलटीएस प्लेटफॉर्म से टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर भी स्थानांतरित कर दिया है (बॉक्स X.3)।

अन्य पहल

ई-कुबेर के माध्यम से संसाधित कुछ सरकारी लेनदेन की स्थिति पर डैशबोर्ड सुविधा का विकास।

X.54 डैशबोर्ड सुविधा विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है। रिजर्व बैंक इस कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए प्रायोगिक आधार पर सरकारों को ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया में है।

बॉक्स X.3

करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए पहल

करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी के लिए भारत सरकार के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने हाल के दिनों में कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों जैसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और राज्य सरकारों की प्रणालियों के साथ ई-कुबेर (रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान) का एकीकरण है ताकि सरकार की प्राप्ति और भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जा सके। यह न केवल करदाताओं के लिए बल्कि सरकार के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि लेनदेन का सामंजस्य तेज और कार्यक्षम है, जिससे सरकार में कुशल नकदी प्रबंधन होता है। 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहल, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा, इस प्रकार हैं:

टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रह

ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के संग्रह की मौजूदा प्रक्रिया को कर सूचना नेटवर्क (टिन) 2.0 में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे आयकर विभाग और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय के तहत पीएफएमएस के एक एप्लिकेशन 'प्रकल्प' (प्रत्यक्ष कर लेखन प्रणाली) के माध्यम से टिन 2.0 के तहत सरकारी लेनदेन के लेखा-जोखा की सुविधा प्रदान की जा रही है। रिजर्व बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एक संग्रहण बैंक के साथ-साथ ई-कुबेर के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के लेखांकन और निपटान के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहा है, जिसे एजेंसी बैंकों, टिन और प्रकल्प की प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, एजेंसी बैंक जो अब तक ओएलटीएस प्लेटफॉर्म के तहत प्रत्यक्ष करों का संग्रह कर रहे थे, वे टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए लाइव हो गए हैं और टीआईएन 2.0 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कर संग्रह की सूचना इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के माध्यम से रिजर्व बैंक को टी + 1 आधार पर दे रहे हैं, जिससे त्वरित और कुशल सामंजस्य संभव हो सके। ओएलटीएस के तहत करदाता केवल एजेंसी बैंकों के माध्यम से अपने करों का भुगतान कर सकते थे। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-एजेंसी बैंकों में खाते रखने वाले करदाता टिन 2.0

के तहत करों का भुगतान करने में सक्षम हैं, रिजर्व बैंक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से टिन 2.0 के तहत प्रत्यक्ष करों के संग्रह को भी 1 अगस्त, 2022 से लाइव कर दिया गया है। यह करदाताओं को भारत के किसी भी बैंक, जो 24 x 7 आधार पर, एनईएफटी/आरटीजीएस भागीदार बैंक⁴ हैं, में उनके खातों से प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने में आसानी प्रदान करता है, उसी दिन सरकार के खाते में कर राशि जमा करने में सक्षम बनाता है।

सीमा शुल्क - आइसगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल)

1 जुलाई, 2019 से, रिजर्व बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से आईसीईगेट [भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे] प्राप्ति के लिए संग्रहणकर्ता बैंक है। ईसीएल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें सीबीआईसी द्वारा अधिकृत एजेंसी बैंकों के माध्यम से और एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे रिजर्व बैंक द्वारा आईसीईगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। ईसीएल ढांचे में, ईसीएल एक अग्रिम या प्री-पेड भुगतान वॉलेट की तरह काम करेगा, जिसमें करदाता उनके द्वारा तय की गई राशि का पूर्व-भुगतान कर सकते हैं, जिसे उनके कर बही खाते में जमा किया जाएगा, लेकिन इस प्री-पेड राशि से संबंधित कर शीर्षों (जैसे सीमा शुल्क, उपकर, उत्पाद शुल्क, आदि) को करों का वास्तविक आबंटन करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले वास्तविक कर के अनुसार बाद में किया जाएगा। जीएसटी की तरह, रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एक संग्रहण बैंक है और साथ ही ईसीएल के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए एक समग्र बैंक है।

ईसीएल फ्रेमवर्क करदाताओं को सुविधा प्रदान करता है क्योंकि वे न केवल एजेंसी बैंकों के माध्यम से बल्कि भारत के किसी भी वाणिज्यिक बैंक में अपने खातों से सीधे रिजर्व बैंक को आईसीईगेट से संबंधित अप्रत्यक्ष कर भुगतान कर सकते हैं, जो 24x7 आधार पर एनईएफटी / आरटीजीएस भागीदार बैंक है, जिससे उसी दिन सरकार को कर राशि जमा की जा सकती है। ईसीएल को 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन

X.55 भारत सरकार (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) के 9 मार्च, 2022 के ज्ञापन के अनुसार, लेखा महानियंत्रक के

कार्यालय के समन्वय से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत धन के प्रवाह के लिए एक संशोधित प्रक्रिया को वर्ष के दौरान लागू किया गया था। कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है कि

⁴ आज की तारीख में 200 से अधिक ऐसे बैंक, जिनमें भारत में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं।

500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना लागू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में, टीएसए मॉडल के माध्यम से ऐसी योजनाओं को लागू करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन योजनाओं की धनराशि समय पर जारी की जाए।

5. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

X.56 वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती और डी-डॉलराइजेशन और आरक्षित आस्तियों के विविधीकरण के लिए उभरते हालिया वैश्विक रुझान ने केंद्रीय बैंकों की आरक्षित निधियों के प्रबंधन की पद्धतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरों में समन्वित वृद्धि हुई है। बाजार अब उच्च नीतिगत दरों की नई वास्तविकता के अनुकूल है, रिजर्व प्रबंधकों को निश्चित आय प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन नुकसान, अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजारों की पृष्ठभूमि में विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य को संरक्षित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वे अभी भी अपने पोर्टफोलियो पर उचित प्रतिलाभ की तलाश कर रहे हैं।

X.57 इस पृष्ठभूमि में, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) के प्रबंधन के लिए उस क्रम में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के व्यापक उद्देश्य के साथ काम करना जारी रखा। वर्ष दर वर्ष आधार पर 2022-23 के दौरान एफईआर में 4.8 फीसदी की कमी आई है, जबकि पिछले साल इसमें 5.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

X.58 अस्थिर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के प्रतिकूल वातावरण के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के कुशल प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, मंदी की चिंताओं, उच्च मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति को सख्त बनाने जैसी वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियों ने अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहारा प्रदान

किया है। ऐसी स्थिति में, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने के साधन के रूप में रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण पर नए सिरे से जोर दिया गया है। तदनुसार, बढ़ी हुई प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका (उत्कर्ष 2.0 विजन) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, विभाग ने एसीयू में भुगतान और निपटान के लिए आईएनआर सहित घरेलू मुद्राओं [एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य राज्यों] के उपयोग तलाशने और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) को आईएनआर को नामित विदेशी मुद्रा का दर्जा देने में सक्षम बनाने जैसी नई पहल शुरू की। द्विपक्षीय व्यापारों के निपटान के साथ-साथ अन्य अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन के निपटान में घरेलू मुद्राओं के उपयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करके आईएनआर के और अंतरराष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

X.59 विभाग ने अपने निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) की तैनाती के लिए नए परिसंपत्ति के वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके भंडार के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा। विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो जैसे नए पेश किए गए उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया भी वर्ष के दौरान जारी रही।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.60 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए विभाग, एफसीए की सुरक्षा और चलनिधि सुनिश्चित करते हुए नए उत्पादों/अवसरों का पता लगाना जारी रखेगा (पैराग्राफ X 61)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से, विभाग ने कुछ अतिरिक्त बाजारों में निवेश करना शुरू कर दिया है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.62 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- अगली पीढ़ी के ट्रेजरी एप्लिकेशन (एनजीटीए) [उत्कर्ष 2.0] के कार्यान्वयन के द्वारा आरक्षित निधियों के प्रबंधन कार्यों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करना;
- विश्व स्तर पर आईएनआर की भूमिका को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की खोज के हिस्से के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक वातावरण का आकलन करने में विभाग की अनुूठी स्थिति को देखते हुए, यह आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा, विभाग एसीयू तंत्र (उत्कर्ष 2.0) में आईएनआर और अन्य घरेलू मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देगा; और
- सक्रिय रूप से विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना जारी रखना और आरक्षित निधियों के प्रबंधन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों को अपनाना।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.63 और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), रिजर्व बैंक का ज्ञान केंद्र होने के नाते, नीति निर्माण और संचार के लिए विश्लेषणात्मक और अनुसंधान-आधारित इनपुट प्रदान करता है। विभाग (क) रिजर्व बैंक के विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों को तैयार करने; (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक मदों पर प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह और द्वितीयक आंकड़ों का संकलन/प्रसार; (ग) अनुसंधान प्रकाशन जिसमें रिजर्व बैंक के अनुसंधान और अन्य कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए कागजात/लेख शामिल हैं; (घ) बाहरी शोधकर्ताओं के साथ रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित अध्ययन जारी करना; (ङ) समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा गठित नीति निर्माण और तकनीकी समूहों/समितियों को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के कार्य में सम्मिलित है।

X.64 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और धन के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार आंकड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समय पर पूरा किया गया।

X.65 2022-23 में, विभाग ने कोविड-19 की तीसरी लहर के कम होने के बाद कार्यालय से काम करना जारी रखा और नीति निर्माण के लिए आवश्यक सभी विश्लेषणात्मक और अनुसंधान इनपुट समय पर प्रदान करना जारी रखा। विभाग ने सभी सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टों को समय पर जारी किया। वर्ष के दौरान तैयार और प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जबकि अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.66 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- हर साल कम से कम 100 शोध पत्र प्रकाशित करना और उभरते मुद्दों (उत्कर्ष) के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.67-X.69];
- नगरपालिका वित्त रिपोर्ट को समय पर बनाना और रिपोर्ट के कवरेज में सुधार करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.70];
- विभाग द्वारा [पूँजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] (केएलईएमएस) डेटासेट और मैनुअल का वार्षिक संकलन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.71];
- समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए नई मशीन सीखने की तकनीकों का अनुप्रयोग (पैराग्राफ X.72); और

- पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग ढांचे में जलवायु जोखिम को शामिल करना और समष्टि-आर्थिक समुच्चय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना (पैराग्राफ X.72)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने अपनी प्रमुख वैधानिक रिपोर्ट, *अर्थात्*, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट को समय पर जारी किया। 'भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास' का पांचवां खंड जो 1997 से 2008 तक की 11 साल की अवधि को शामिल करता है, और 'राज्य वित्त: बजट का अध्ययन - 2022-23' नामक राज्य वित्त रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स - 2021-22' भी जारी किया गया। मुद्रा और वित्त 2022-23 पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसका विषय 'हरित स्वच्छ भारत की ओर' है।

X.68 विभाग ने वर्ष के दौरान 121 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए, जिनमें बाहरी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में 33 पत्र, आरबीआई वर्किंग पेपर्स में दस पेपर, आरबीआई सामयिक पेपर्स में आठ पेपर, दो डीआरजी स्टडीज और आरबीआई बुलेटिन में 68 लेख शामिल थे।

X.69 इन प्रकाशित शोध पत्रों/लेखों के भाग के रूप में सूचित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कई समकालीन मुद्दों को शामिल किया गया था, अर्थात् (क) भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की माप; (ख) भारत में असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए संयुक्त संयोग सूचकांक; (ग) भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई); (घ) मुद्रास्फीति अपेक्षाएं संचालित सूचकांक (आईईआई); (ङ) समाचार आधारित भावना संकेतकों का उपयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना; (च) हरित सकल घरेलू उत्पाद का आकलन; (छ) भारत की प्राकृतिक ब्याज दर की समीक्षा करना; (ज) पूर्वोत्तर में सूक्ष्म वित्त के माध्यम से वित्तीय समावेशन; (झ) उत्पादकता आधारित विकास के लिए भारत

का नवान्वेषण पारितंत्र; (ञ) तटीय राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव; (ट) सहकारी बैंकों में डिजिटलीकरण; (1) औद्योगिक क्रांति 4.0; और (ड) भारत के विनिर्माण क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अपघटन का विश्लेषण।

X.70 वर्ष के दौरान, विभाग ने 'नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट' के प्रकाशन के माध्यम से नगरपालिका वित्त में एक अनूठा कार्य शुरू किया। रिपोर्ट को 'नगर निगमों के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत' पर आधारित किया गया था और सभी राज्यों को कवर करने वाले 201 नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों का उपयोग किया गया।

X.71 विभाग ने वर्ष के दौरान केएलईएमएस डेटा का स्वतंत्र संकलन पूरा किया और अक्टूबर 2022 में बैंक की वेबसाइट पर मैनुअल के साथ आंकड़े जारी किए।

X.72 वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने पर्यवेक्षित पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करके वित्तीय बाजार के आंकड़ों के आधार पर मुद्रास्फीति का नाउकारिस्टिंग किया और हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के प्रत्यक्ष और कैस्केडिंग प्रभावों को निर्धारित करने के लिए पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग फ्रेमवर्क में जलवायु जोखिम को शामिल करने पर काम किया। इसके अलावा, (क) मैक्रो-इकोनॉमिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों पर आधारित अध्ययन; (ख) वर्ष के दौरान भारतीय कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संबंधी अध्ययन किए गए।

अन्य पहल

X.73 वर्ष के दौरान, डीईपीआर स्टडी सर्कल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने विभिन्न विषयों पर शोध पत्रों के 38 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतियों का आयोजन किया। विभाग ने नवंबर 2022 में हैदराबाद में अपने वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें महामारी के बाद की अवधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के अर्थशास्त्र जैसे सामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

X.74 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने तीन नए ऑनलाइन डेटाबेस की सदस्यता ली और अनुसंधान करने के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा प्रदान की। वर्ष के दौरान, आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से 210 फाइलें प्राप्त कीं। वर्ष के दौरान लगभग पांच लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.75 वर्ष 2023-24 के लिए विभाग का कार्ययोजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होगा:

- कम से कम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन और उभरते मुद्दों के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना (उत्कर्ष 2.0);
- स्पिलओवर को मापने के लिए सूचकांकों के साथ 'वैश्विक मौद्रिक नीति और वैश्विक स्पिलओवर डैशबोर्ड' का विकास (उत्कर्ष 2.0);
- 'वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी फ्रेमवर्क (ग्लोबल सप्लआई चेन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) का विकास (उत्कर्ष 2.0); और
- वर्ष के दौरान नीतिगत प्रासंगिकता वाले विभिन्न सामयिक मुद्दों पर अध्ययन किए जाएंगे।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.76 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने नई प्रौद्योगिकी-सक्षम उपकरणों को तैनात करके समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को समेकित किया, और नीति निर्माण के लिए उद्यम और घरेलू सर्वेक्षण, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के माध्यम से सांख्यिकीय सहायता प्रदान की और रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यों में भी सहायता की। प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में वर्षों से निवेश, जिसमें डेटा रिपोर्टिंग संस्थाओं की हैंड-होल्डिंग

और अन्य मार्गदर्शन शामिल हैं, व्यवधानों की अवधि में डेटा की निरंतरता और शोधन प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में रहे। महामारी के बाद से विकसित गतिशीलता ने सूचित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है और विभाग ने पारंपरिक विश्लेषण के पूरक के लिए असंरचित/गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का विश्लेषण करने में बिग डेटा/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग किया है। अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस के चुनिंदा मॉड्यूल [यानी, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] को समानांतर रन के लिए भी जारी किया गया था।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.77 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उन्नत विश्लेषिकी वातावरण में सभी प्रकार के एकीकरण को पूरा करना और अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस (उत्कर्ष) में सभी नियमित डेटा प्रकाशनों के प्रकाशन कार्यप्रवाह को स्वचालित करना [पैराग्राफ X.78];
- एससीबी से शुरू करते हुए चरणबद्ध तरीके से व्यापक क्रेडिट सूचना भंडार को लोकप्रिय बनाना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.79];
- एक लचीले तत्व-आधारित रिपॉजिटरी (ईबीआर) के माध्यम से नए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन, जिसमें पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग करके रिटर्न-आधारित रिपॉजिटरी (आरबीआर) से परिवर्तित करने की सुविधा है (पैराग्राफ X.80);
- रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाए रखना जो रिज़र्व बैंक को डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में और सुधार के लिए बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग

संस्थाओं की सहायता के लिए सभी संसाधन और सत्यापन नियम प्रदान करता है (पैराग्राफ X.81);

- सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों के लिए अनुमान प्रक्रियाओं का और परिष्करण [पैराग्राफ X.82]; और
- रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग (पैराग्राफ X.83)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.78 सीआईएमएस कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, उन्नत विश्लेषिकी परिवेश के सभी घटक परीक्षण के अधीन हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। सभी नियमित प्रकाशनों के लिए प्रकाशन कार्यप्रवाह का स्वचालन भी परीक्षण चरण में पहुंच गया है।

X.78 व्यापक ऋण सूचना भंडार (सीसीआईआर) के लिए एप्लिकेशन विकसित की जा रही है। परीक्षण पूरा होने और चुनिंदा एससीबी के साथ एक प्रायोगिक आधार पर शुरू होने के बाद, रिपॉजिटरी लाइव हो जाएगी।

X.80 रिटर्न आधारित रिपॉजिटरी (आरबीआर) से तत्व-आधारित रिपॉजिटरी (ईबीआर) में डेटा को परिवर्तित करने के लिए एक कनवर्टर टूल विकसित किया गया है और प्रमुख पर्यवेक्षी रिटर्न के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और अधिक आइटम जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) तत्वों के लिए आरबीआर मैपिंग के लिए सारणियों को पर्याप्त संख्या में रिटर्न के साथ-साथ गैर-रिटर्न डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

X.81 वेबसाइट पर 'विनियामक रिपोर्टिंग' टैब को संशोधित किया गया है और विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एफएक्यू, मैनुअल, मार्गदर्शन नोट्स और सत्यापन नियमों के साथ जोड़ा गया है।

X.82 सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में नियमित सर्वेक्षणों से सुदृढ़ आकलन के लिए डेटा गुणवत्ता और संकलन पद्धतियों को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल थे: (ए) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर घरेलू सर्वेक्षण शुरू करना; (ख) सेवा और अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) में अवसंरचना परियोजनाओं और रियल एस्टेट संपदा कार्यकलापों में लगी निर्माण कंपनियों की भावनाओं को अलग से दर्शाना।

X.83 विश्लेषणात्मक कार्य में, बिग डेटा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और एमएल तकनीकों का उपयोग बढ़ गया, और डेटा के वैकल्पिक स्रोतों का भी उपयोग किया गया। इनमें समष्टि-आर्थिक चरों (मैक्रोइकॉनॉमिक वेरिएबल्स) पर मीडिया की भावनाओं, खाद्य और आवास की ऑनलाइन कीमतें, केंद्रीय बैंक के संचार के साथ-साथ भुगतान प्रणाली संकेतकों और प्रगामी सर्वेक्षणों (फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वे) का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक पूर्वानुमान शामिल थे। रिमोट सेंसिंग परियोजनाओं का दायरा अधिक संवेदनशील कृषि वस्तुओं [जैसे दालों, तिलहनों, प्याज और गेहूं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बास्केट में महत्वपूर्ण भारांक रखने वाले] को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था, जिसमें कई संकेतक (जैसे वनस्पति, वर्षा, मिट्टी की नमी, तापमान और वैश्विक जलवायु कारक, जैसे, समुद्र की सतह का तापमान और समुद्र स्तर का दबाव) शामिल थे।

अन्य पहल

X.84 पिछले पांच दशकों से भारतीय बैंकिंग के वितरण पहलु प्रदान करने वाली मूलभूत सांख्यिकी विवरणी (बीएसआर) प्रणाली पर अक्टूबर-नवंबर 2022 के दौरान आयोजित दो सम्मेलनों में पुनः विचार किया गया, इसमें बैंकरों और अन्य विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। विचार-विमर्श के आधार पर, बीएसआर -1 (क्रेडिट का विवरण) और बीएसआर -2 (जमा का विवरण) विवरणी की आवृत्तियों को समन्वित किया जा रहा है, और बीएसआर -7 रिटर्न को दिसंबर 2022 के बाद बंद कर दिया

बॉक्स X.4 मूल सांख्यिकीय विवरणियां @ 50 वर्ष

बीएसआर प्रणाली को 1972 में बैंकिंग सांख्यिकी समिति की सिफारिश पर इस तरह से तैयार किया गया था कि यह न केवल नीतिगत निर्णयों और बैंकों से सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के साथ विस्तृत निगरानी की आवश्यकता को पूरा करती है, बल्कि बैंकों के लिए रिपोर्टिंग बोझ को भी कम करती है। इसके बाद, बीएसआर प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए बैंकिंग सांख्यिकी पर निदेश समिति (सीडीबीएस) का गठन किया गया था, जिसमें बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों के अलावा रिजर्व बैंक के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

बीएसआर प्रणाली ने 2022 में सफलतापूर्वक संचालन के पचास साल पूरे किए। पचास वर्षों के दौरान, बैंकिंग बुनियादी ढांचे के विवरण के साथ प्रणाली ने सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए। इसने आर्थिक क्षेत्र, भूगोल, संस्थानों, व्यवसायों, बैंक समूहों और ऋण तथा जमा के प्रकार सहित कई महत्वपूर्ण कारकों पर व्यापक आंकड़े प्रदान किए। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, और वे सभी बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक के प्रतिबद्ध भागीदार बने हुए हैं।

पचास साल की यात्रा के समापन का जश्न मनाने और आगे के राह पर विचार करने के लिए 28 अक्टूबर, 2022 को मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में और 4 नवंबर, 2022 को गुवाहाटी में भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) में दो सम्मेलन आयोजित किए गए थे। सम्मेलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल थे:

1. मूल सांख्यिकीय विवरणियों की दृष्टि के माध्यम से भारतीय बैंकिंग के पचास साल, उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र द्वारा दिया गया भाषण;

2. बीएसआर की 50 साल की यात्रा (1972-2022): एक प्रस्तुति;
3. ज्ञान साझा करना - बैंकिंग आंकड़ों का उपयोग करते हुए पांच शोध लेखों की प्रस्तुति; और
4. बीएसआर में आगे की राह - अगले साल से प्रणाली में लागू होने वाले बड़े परिवर्तनों पर चर्चा।

प्रणाली में आनेवाले प्रमुख परिवर्तन जिन पर ज़ोर दिया गया था वे हैं :

1. तिमाही बीएसआर -7 रिपोर्टिंग को बंद करना;
2. तिमाही आवृत्ति के साथ बीएसआर -2 जारी करना; और
3. बीएसआर -2 में व्यक्तियों और महिलाओं के स्वामित्व वाली जमा राशियों के आयु-वार वितरण पर अतिरिक्त जानकारी का संग्रह।

संदर्भ:

1. पात्रा माइकल डी.(2022), 'फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग थ्रू दी लेंस ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न', आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2022।
2. रंगराजन सी.(2008), 'वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट'।
3. आरबीआई (2022), 'बीएसआर@50 स्मारक खंड (1972-2022)'।
4. आरबीआई (1972), 'बैंकिंग सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री ए रमन)'।

स्रोत: आरबीआई।

गया है। इस अवसर पर, बीएसआर और बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई: पूर्ववर्ती मास्टर ऑफिस फाइल) के 50 साल के इतिहास के साथ-साथ बीएसआर डेटा के आधार पर चुनिंदा शोध कार्यों को शामिल करते हुए एक स्मारक खंड 'BSR@50' भी जारी किया गया (बॉक्स X.4)।

X.85 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में कार्य करने वाले बैंकों की शाखाओं और सहायक कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन को कवर करने के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़ों को पूरा करने के लिए सूचना स्रोतों का विस्तार किया गया था। भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की

विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक जनगणना के कवरेज में भी सुधार हुआ है। सभी नियमित बैंकिंग और बाहरी क्षेत्र के सर्वेक्षणों के प्रकाशन अंतराल को बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं के निरंतर प्रयासों और हैंडहोल्डिंग के साथ कम कर दिया गया था।

X.86 कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों ने विश्लेषण के लिए पद्धतियों में उपयुक्त समायोजन और महत्वपूर्ण समष्टि-आर्थिक चरों का विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए आउटपुट और मूल्य संकेतकों के मौसमी व्यवहार के आकलन के लिए पद्धतिगत सुधार किए गए थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.87 विभाग 2023-24 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- अत्याधुनिक डेटा पोर्टल में उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण का निर्माण करना और उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित डैशबोर्ड बनाना (उत्कर्ष 2.0);
- सीआईएमएस के शेष मॉड्यूलों को कार्यान्वित करना, प्रश्न और दृश्य टूल (क्वेरी और विज़ुअलाइज़ेशन टूल) प्रदान करना, सभी विनियमित संस्थाओं को इस पर लाना, और पुरानी प्रणालियों [केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल] को निष्क्रिय करना;
- रिज़र्व बैंक के नियमित घरेलू सर्वेक्षणों का ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार करना (उत्कर्ष 2.0);
- एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग विवरणियों के लिए डेटा गुणवत्ता को और बेहतर बनाना (उत्कर्ष 2.0); और
- गैर-पारंपरिक आंकड़ों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के अतिरिक्त उच्च आवृत्ति संकेतकों का निर्माण करना।

8. विधिक मुद्दे

X.88 कानूनी विभाग एक सलाहकार विभाग है जो कानूनी मुद्दों की जांच करने और सलाह देने और रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमेबाजी के प्रबंधन की सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया है। विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के लिए परिपत्रों, निदेशों, विनियमों और समझौतों का पुनरीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिज़र्व बैंक के निर्णय कानूनी रूप से सही हैं। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है और परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय

सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र (सीएफआरएल) और आरबीआई के स्वामित्व वाले अन्य संस्थानों को कानूनी मुद्दों, मुकदमेबाजी और अदालती मामलों पर कानूनी समर्थन और सलाह भी देता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

X.89 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यप्रवाह स्वचालन प्रक्रिया एप्लिकेशन के कार्यान्वयन को पूरा करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.90];
- मौजूदा ओपिनियन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली का विलय करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ X.90]; और
- उपलब्ध/मौजूदा कानूनी अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रयोक्ताओं को उनकी पहुंच प्रदान करना (पैराग्राफ X.91)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.90 कार्यप्रवाह स्वचालन प्रक्रिया एप्लिकेशन, जो विधि विभाग की मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) है, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरबीआईटी) द्वारा विकसित किया गया है। यह आवेदन मौजूदा ओपिनियन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एप्लिकेशन का प्रायोगिक आधार पर परीक्षण किया गया है। प्रायोगिक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया को एप्लिकेशन में एकीकृत किया गया है। तीन मॉड्यूल वाले एप्लिकेशन का पहला चरण लाइव हो गया है।

X.91 उपलब्ध कानूनी अभिलेखों का डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

अन्य गतिविधियां

X.92 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधान/विनियम इस वर्ष के दौरान लाए गए/संशोधित किए गए :

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन: वित्त अधिनियम, 2022 ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 में 'बैंक नोट' की परिभाषा जोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया। इससे रिज़र्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल मुद्रा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- क्रेडिट सूचना कंपनियों को आरबीआईओएस 2021 के दायरे में लाना: रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबीआईओएस), 2021 को संशोधित किया गया है कि जिससे कि क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित 'क्रेडिट सूचना कंपनी' को इस प्रयोजन के लिए 'विनियमित इकाई' के रूप में को शामिल किया जा सके है। परिणामस्वरूप, यह योजना क्रेडिट सूचना कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होगी, जिस सीमा तक इसे योजना के तहत विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया है। इस योजना में संशोधन 1 सितंबर, 2022 से लागू हो गया है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का संशोधन: केंद्र सरकार ने प्रमुख नियमों, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2022 बनाए हैं। यह संशोधन 12 अप्रैल, 2022 से लागू हो गया है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.93 2023-24 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मामला प्रबंधन प्रणाली (सीएएमएस) को सीएएमएस 2.0 में अपग्रेड करना जिससे कि: (ए) वास्तविक समय पर मामले की स्थिति के लिए बाहरी न्यायिक वेबसाइटों के साथ एकीकरण किया जा सके; और (बी) इंटरनेट

पर सीएएमएस तक पहुंच जिससे कि 'कहीं से भी कार्य मोड की सुविधा प्रदान की जा सके (उत्कर्ष 2.0);

- रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए विधिक विभाग के मैनुअल का मसौदा तैयार कर इसे प्रकाशित करना (उत्कर्ष 2.0); और
- उपलब्ध/मौजूदा कानूनी अभिलेखों के डिजिटलीकरण को जारी रखना और उनकी पहुंच उपलब्ध कराना।

9. निष्कर्ष

X.94 रिज़र्व बैंक की संचार कार्यनीति और मौखिक और अनौपचारिक संचार इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संरचित और लिखित संचार को तेजी से पूरक कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को प्रकट करने, सार्वजनिक हित के नीतिगत कार्यों को अनौपचारिक और शिक्षाप्रद प्रारूप में संप्रेषित करने के लिए अपने 360 डिग्री अखिल भारतीय जन जागरूकता अभियानों का भी उपयोग किया, जिसका लक्ष्य जनता के साथ अधिक जुड़ाव बढ़ाना है। रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता संभाली है, और रिज़र्व बैंक दिसंबर 2023 से एक वर्ष के लिए एसईएसीईएन केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नीति निर्माण और संचार के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक और अनुसंधान इनपुट को समय पर पूरा किया गया और वैधानिक और गैर-वैधानिक प्रकाशनों ने समकालीन नीति और कार्यनीतिक मुद्दों की एक पूरी शृंखला पर बैंक में किए गए अनुसंधान कार्यों का प्रसार किया। रिज़र्व बैंक में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन ने नई प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों को तैनात करके समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को समेकित किया और नीति निर्माण के लिए उद्यम सर्वेक्षण, आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषणात्मक इनपुट के माध्यम से सांख्यिकीय सहायता प्रदान की।

रिज़र्व बैंक ने बदलती आवश्यकताओं और अपने काम के व्यापक कैनवास और परिचालन क्षमताओं का एक विविध और मजबूत सेट बनाने के लिए नई भर्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ई-लर्निंग सहित) के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय करना जारी रखा। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शुरू किया। इसने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (उत्कर्ष 2.0) की अवधि के लिए अपने मध्यम अवधि के कार्यनीति ढांचे का भी अनावरण किया। निरीक्षण विभाग और जोखिम निगरानी विभाग के बीच एक संस्थागत फीडबैक लूप बनाकर जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत किया गया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण पहलुओं अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी तथा कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। यह अध्याय प्रमुख घटनाओं की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2022-23 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2023-24 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2021-22 के दौरान मानव संसाधन को भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। इसके अलावा, संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण के लिए एक नया ढाँचा तैयार किया गया है, जो अधिगम इनपुट के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीक का लाभ उठाता है और रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के बीच ओवरलैप के अवलोकन योग्य क्षेत्रों को कम करता है। प्रशिक्षण के अलावा, रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए अध्ययन योजनाओं की सुविधा भी प्रदान की और साथ ही उन्हें भारत और विदेशों में उपलब्ध विशेषज्ञता से लाभान्वित करने के लिए सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए नामित किया। जहां कर्मचारियों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) का शुभारंभ

किया गया वहीं अद्वितीय संगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'कहीं से भी काम' प्रतिमान की जांच की जा रही है।

XI.3 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ परिचालन जोखिम (रैम-ओआर) के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति के तहत निर्धारित जोखिम-रेटिंग को अनुकूलित किया और निरीक्षण विभाग और जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) के बीच एक संस्थागत फीडबैक लूप सृजित किया। इसके अलावा, स्वचालित जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल को परिचालित किया गया।

XI.4 निरीक्षण विभाग ने आरएमडी के साथ बेहतर तालमेल बैठते हुए रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों पर केंद्राभिमुख दृष्टिकोण सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया। विभाग ने आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की विभिन्न सिफारिशों को भी लागू किया, जिसमें अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आंचलिक निरीक्षणालयों (जेडआई) की स्थापना भी शामिल है।

XI.5 इस वर्ष, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि

¹ जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि की कार्यनीति का ढांचा उत्कर्ष 1.0 के तहत कवर किया गया था।

(उत्कर्ष 2.0) के लिए रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि की कार्यनीति¹ का ढांचा तैयार किया। रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे के नोडल विभाग सीएसबीडी ने सभी कारोबारी इकाइयों की बीसीएम नीति और कारोबार निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) की समीक्षा की, जिसमें समय संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को अद्यतन करना भी शामिल है और कोविड-19 महामारी के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कारोबार निरंतरता उपायों पर एक सार-संग्रह जारी किया।

XI.6 राजभाषा विभाग ने राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के तहत विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। विभाग ने हिंदी के प्रयोग के संबंध में विभिन्न समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार आयोजित किए और ई-पत्रिकाओं और हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करते हुए रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों को द्विभाषी बनाने में योगदान दिया।

XI.7 परिसर विभाग ने सौंदर्य अपील सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने अधिदेश का पालन किया। वर्ष के दौरान, चल रही निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने में प्रगति करने के अलावा, विभाग ने ऊर्जा बचत के लक्ष्य को पार कर लिया, रिज़र्व बैंक के कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग हासिल की और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्लेटफार्मों / सॉफ्टवेयर का संचालन भी किया।

XI.8 इस अध्याय को नौ खंडों में बांटा गया है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित घटनाक्रम को खंड 2 में रखा गया है। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र

में की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित विकास को खंड 4 में रखा गया है। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग की गतिविधियों पर खंड 5 में चर्चा की गई है। रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियों का समन्वय और निर्धारण करने वाले विभाग सीएसबीडी का कामकाज खंड 6 में शामिल है। राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. अभिशासन ढांचा

XI.9 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्य का दायित्व दिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, ये देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों हेतु प्रत्येक के लिए एक है, ये केंद्रीय बोर्ड को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए कार्य करते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार की जाती है।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं : केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं : लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बी-एससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इन उप समितियों की अध्यक्षता बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्डों की बैठकें

XI.11 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें आयोजित की गईं।

XI.12 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुईं, जिनमें से 34 ई-बैठकें, 11 बैठकें भौतिक रूप से और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.13 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार, दो बाह्य निदेशकों के साथ केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति उन स्थानीय बोर्डों, यथा पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी स्थानीय बोर्ड, के स्थान पर कार्य कर रही है जो गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में कार्य करने में असमर्थ हैं। 18 सितंबर 2022 को एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड भी कोरम की कमी के कारण कार्य नहीं कर सका। अतः, 31 मार्च 2023 तक, स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्डों के बदले काम कर रही थी। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र के लिए एक बैठक और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए दो-दो बैठकें आयोजित कीं। उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। केंद्रीय बोर्ड, उसकी समितियों और उप-समितियों, स्थानीय बोर्डों और केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर निदेशकों/सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.14 केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया।

XI.15 केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (सी) के तहत श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच धोलकिया को 14 जून 2022 को चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (सी) के तहत श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री एस गुरुमूर्ति को 11 अगस्त 2022 को चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में पुनः नामित किया।

XI.17 श्रीमती रेवती अय्यर को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और 18 सितंबर 2022 को या अगले आदेश तक, उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद चार वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (बी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया।

XI.18 प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9 (1) के तहत पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 18 सितंबर 2022 को या अगले आदेश तक, उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद चार वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (बी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया।

XI.19 केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी को श्री संजय मल्होत्रा के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (डी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

XI.20 उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री आर. एन. दुबे का कार्यकाल 18 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया।

कार्यपालक निदेशक

XI.21 डॉ. मृदुल के. सागर, कार्यपालक निदेशक 29 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए। श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. राजीव रंजन और डॉ. सितिकंठ पटनायक को 2 मई 2022 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री नीरज निगम को 3 अप्रैल 2023 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

3. मानव संसाधन विकास के प्रयास

XI.22 रिजर्व बैंक के पास परिचालन का एक व्यापक कैनवास है, जिसमें अपने जनादेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं की एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रिजर्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) कुशल और प्रेरित कार्यबल तैयार करने और इसे बनाए रखने में सहायक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, और कर्मचारियों के कल्याण, विशेष रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्राथमिकता दी। इन क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों पर 2022-23 के लिए निर्धारित एजेंडे के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ 2023-24 के लिए एजेंडा पर भी प्रकाश डाला गया है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.23 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों (आईएमएफ/बीआईएस/जी-20/सार्क, आदि) में भाग लेने वाले अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इष्टतम अवसर प्रदान करना और उनका उन्नयन करना। [उत्कर्ष] (पैराग्राफ XI.24);

- कारोबारी निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में सहज कार्य वातावरण के निर्माण के लिए 'कहीं से भी कार्य करना' पर एक नीति तैयार करना (पैराग्राफ XI.25);
- विभिन्न प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं की समीक्षा और समेकन के अलावा रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा करना (पैराग्राफ XI.26);
- कल्याण से संबंधित मामलों पर एक 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' स्थापित करना (पैराग्राफ XI.27); और
- रिजर्व बैंक के ऑनलाइन संसाधनों के लिए एकल अभिगम बिंदु के रूप में 'कर्मचारी सहभागिता मंच' विकसित करना और बैंक-कर्मचारी और कर्मचारी-कर्मचारी संवाद को सुदृढ़ करना (पैराग्राफ XI.28)।

कार्यान्वयन स्थिति

XI.24 रिजर्व बैंक के सभी विभागों के उन डोमेन विशेषज्ञों के कौशल और ज्ञान के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी प्रदान की जा रही है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/मंचों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है। अधिकारियों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन को रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया जाता है।

XI.25 रिजर्व बैंक जैसे पूर्ण सेवा देने वाले केन्द्रीय बैंक की विशिष्ट विशेषताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए रिजर्व बैंक में 'कहीं से भी कार्य करें' प्रतिमान की जांच की जा रही है। विभिन्न केंद्रों और कैडरों में कर्मचारी कल्याण और काम करने की स्थिति में समानता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

XI.26 रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों की ओवरलैप के अवलोकन योग्य क्षेत्रों को कम करने और रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करने के लिए समीक्षा की गई। रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर शुरू की गई प्रशिक्षण

संबंधी योजनाओं को समकालिक बनाया गया और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ और संरेखित करने के लिए आवश्यकतानुसार उनकी समीक्षा की गई।

XI.27 कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 11 अक्टूबर 2022 को एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शुरू किया गया था। ईएपी के प्रमुख उद्देश्य और इसकी कार्यप्रणाली को बॉक्स XI.1 में दिया गया है।

XI.28 कर्मचारी सहभागिता पोर्टल विकसित करने से संबंधित कार्य को वर्तमान में रिजर्व बैंक के एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल (ईकेपी) नामक इंटरनेट पोर्टल के पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही परियोजना के साथ मिला दिया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.29 प्रशिक्षण की प्रभावशीलता प्रशिक्षण आवश्यकताओं के प्रभावी विश्लेषण से शुरू होती है, जो संगठनात्मक उद्देश्यों में मेल खाती है। तदनुसार, प्रशिक्षण के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया। इस ढांचे में ये शामिल हैं (क) प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए विभिन्न स्तरों से लेकर विभाग/कार्यात्मक क्षेत्र में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए आरंभिक स्तर के प्रशिक्षण, निर्बाध अनुक्रम के माध्यम से कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित

करने के लिए प्रशिक्षण, अपस्किलिंग/रिस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण और परिवर्तन-उन्मुख प्रशिक्षण, जिससे रिजर्व बैंक को प्रौद्योगिकी सहित नवीनतम विकास का लाभ हासिल करने में मदद मिलेगी; (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों (टीई) और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों (जेडटीसी) का ध्यान निरंतर कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उनके कार्यात्मक और व्यवहार कौशल के उन्नयन पर केंद्रित करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति की इस दिशा में वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए; और (ग) रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में ऑनलाइन और ई-लर्निंग तरीके से सीखने के इनपुट प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया (सारणी XI.1)

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.30 रिजर्व बैंक ने प्रमुख बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में अपने अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

बॉक्स XI.1 कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

कार्यस्थल पर तनाव, चाहे वह कार्य की भौतिक स्थितियों के कारण हो या आपसी संबंधों के माहौल के कारण हो, कर्मचारी स्वास्थ्य के साथ-साथ उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

चूंकि कार्यस्थल पर ऐसी समस्याओं से निपटना मुश्किल और जटिल है, अतः किसी कर्मचारी और टीम लीडर दोनों के लिए ही ऐसी स्थितियों में एक निरपेक्ष पार्टी का हस्तक्षेप सहायक हो सकता है।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) तनाव, चिंता और अवसाद सहित परेशानियों की विस्तृत शृंखला में सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराता है। ईएपी कर्मचारियों को तृतीय-पक्ष के ऐसी पेशेवर परामर्श सेवा तक पहुंच प्रदान करता है जिसमें मनोविज्ञान / परामर्श में मान्यता प्राप्त डिग्री

रखने वाले परामर्शदाता उपलब्ध होते हैं एवं इनके साथ मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस और आमने-सामने बैठकर चर्चा करने सहित कई तरीकों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए 24/7 हॉटलाइन उपलब्ध कराई गई है ताकि मनोवैज्ञानिक / परामर्शदाता के साथ सेवा प्रदाता के ऐप (सकारात्मक मनोविज्ञान उपकरण और संसाधनों को शामिल करने और ईएपी हॉटलाइन तक पहुंच को सक्षम करने) के माध्यम से चर्चा करने के विकल्प को जल्दी से व्यवस्थित किया जा सके। इस कार्यक्रम में उपयोगकर्ता कर्मचारी की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि नियोक्ता को यह पता नहीं होता है कि सेवा का उपयोग कौन कर्मचारी कर रहा है।

स्रोत : आरबीआई।

सारणी XI.1: रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2020-21 (जुलाई-मार्च) [#]		2021-22 (अप्रैल-मार्च)		2022-23 (अप्रैल-मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नई	89	3,629 (72)	122	4,267 (325)	97	2,800 (12)
सीओएस##	3	74*	43	1,726*	59	2,212*
आरबीआई अकादमी	25	840	18	1185	15	1,274
सीएबी, पुणे	183	10,308* (45)	216	13,308* (134)	194	23,657*
जेडटीसी (श्रेणी I)	135	3,682	127	3,140	112	2,511
जेडटीसी (श्रेणी III)	104	4,568	109	3,920	103	3,396
जेडटीसी (श्रेणी IV)	11	417	23	820	36	983

आरबीएससी : रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

[#] : रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को 2020-21 से अप्रैल-मार्च में बदलने के साथ, रिजर्व बैंक के पहले संक्रमण वर्ष की अवधि नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की थी।

^{##} : पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से जुड़ा हुआ है और इसका विजन भारत और दुनिया भर में ज्ञानवान, कुशल और सक्रिय पर्यवेक्षकों, विनियामकों और विनियमित इकाई कर्मियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय, प्रतिष्ठित क्षमता-निर्माण संस्थान बनाने का है।

* : आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक के सहभागी, गैर-आरबीआई सहभागी (घरेलू), विदेशी सहभागी और/या बाहरी संस्थानों के सहभागी शामिल हैं।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिभागियों की कुल संख्या में से विदेशी प्रतिभागियों और/या बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई

अध्ययन योजनाएं

XI.31 वर्ष के दौरान कुल 13 अधिकारियों ने उच्च अध्ययन करने के लिए योजनाओं का लाभ उठाया। इनमें

से पांच अधिकारी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

अन्य पहले

अनुदान और वृत्तिदान

XI.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के अंग के रूप में, रिजर्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹33.56 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल), मुंबई को ₹8.14 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पीटेल चेयर को ₹0.76 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.47 करोड़ रुपये और

सारणी XI.2 : भारत और विदेशों में बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाहरी संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2020 - 21 (जुलाई-मार्च)*##	194	258
2021 - 22 (अप्रैल-मार्च)	326	496*
2022 - 23 (अप्रैल-मार्च)	401	420 (266)*

* : ऑनलाइन मोड। # : XI.1 का फुटनोट देखें।

स्रोत : आरबीआई

भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.72 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

औद्योगिक संबंध

XI.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। सेवा शर्तों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर अधिकारियों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की गईं। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता प्राप्त यूनियनों/ एसोसिएशनों की केंद्रीय इकाइयों के साथ नौ बैठकें कीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने भी तिमाही/छमाही अंतराल पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें कीं।

कर्मचारियों के साथ इंटरफेस

XI.34 रिज़र्व बैंक ने संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के विचारों और प्रतिक्रिया का उपयोग करने की दृष्टि से एक ऐसी संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा जिससे उन्हें संस्था के प्रति जुड़ाव महसूस कराया जा सके। रिज़र्व बैंक की वॉयस पहल (राय देने के लिए प्रेरित करना, योगदान करना और अग्रणी होना) कर्मचारियों को विभाग के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वस्तुतः इससे प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक 'जुड़ाव' सृजित करने में मदद मिली है। अप्रैल 2022-मार्च 2023 में, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के लगभग 200 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 12 वॉयस सत्र आयोजित किए।

XI.35 विभाग ने कर्मचारियों की व्यस्तता के स्तर और इसमें योगदान करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए आंतरिक सर्वेक्षण करने की प्रथा जारी रखी। मानव संसाधन प्रबंधन में

रिज़र्व बैंक की पहल के मार्गदर्शन करने में ये सर्वेक्षण प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यालयों के बीच कर्मचारी जुड़ाव ढांचे का प्रसार किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनकी संबंधित इकाइयों से जुड़े कर्मचारियों की कार्यस्थल की व्यस्तता में सुधार के लिए सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए संभावित दृष्टिकोणों पर मार्गदर्शन करना भी था।

भर्ती और स्टाफ संख्या

XI.36 जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 1,121 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3) है।

XI.37 दिसंबर 2022 के अंत में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 13,298 थी, दिसंबर 2021 के अंत की स्थिति से इसमें 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (सारणी XI.4)। मार्च 2023 के अंत तक रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या 13,815 थी, जिसमें श्रेणी I के 6,858, श्रेणी III के 3,698 और श्रेणी IV के 3,259 कर्मचारी थे।

XI.38 दिसंबर 2022 के अंत तक रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,115 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 303 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक में 56 भूतपूर्व सैनिकों और 23 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती की गई थी।

सारणी XI. 3 : 2022 में रिज़र्व बैंक द्वारा भर्तियां*

श्रेणी	कुल	जिसमें से :			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	52	7	3	17	1
श्रेणी III	378	83	36	87	44
श्रेणी IV	691	51	49	290	79
कुल	1,121	141	88	394	124
*: जनवरी – दिसंबर। ईडब्ल्यूएस : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।					
स्रोत: आरबीआई।					

सारणी XI.4 : रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			एससी		एसटी		ओबीसी		एससी	एसटी	ओबीसी
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,598	6,653	1,071	1,048	462	459	1,399	1,544	15.75	6.90	23.21
श्रेणी III	3,337	3,369	489	541	191	228	1,077	1,044	16.06	6.77	30.99
श्रेणी IV	2,921	3,276	648	597	231	250	693	962	18.22	7.63	29.37
कुल	12,856	13,298	2,208	2,186	884	937	3,169	3,550	16.44	7.05	26.70

*: दिसंबर 2021 की समाप्ति और 2022।

स्रोत : आरबीआई।

XI.39 जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधतंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें हुईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.40 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में जारी किए गए दिशानिर्देशों

के व्यापक सेट से इस मुद्दे को मजबूती प्रदान की गई। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, तीन शिकायतें प्राप्त हुईं और छह मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को इस बारे में संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। रिज़र्व बैंक की केंद्रीय शिकायत समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर 9वीं अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.41 रिज़र्व बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान सूचना के लिए 18,694 अनुरोध और 1,733 अपीलें मिलीं। इस अवधि के दौरान चेन्नई में रिज़र्व

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी की कुल संख्या *

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	अस्थि दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग ('डी')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	261	48	6	90	0
श्रेणी III	169	42	2	54	4
श्रेणी IV	685	13	6	38	0

*: दिसंबर 2022 की समाप्ति।

** : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, पीडब्ल्यूबीडी को इस तरह परिभाषित किया गया है : (क) अंध और निम्न दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवणशक्ति में हास; (ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता; और (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता भी है।

स्रोत : आरबीआई।

बैंक स्टाफ कॉलेज और कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आरटीआई अधिनियम पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना

XI.42 वर्षों से, रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से खेलों को बढ़ावा देता रहा है। तदनुसार, रिजर्व बैंक नियमित रूप से विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती करता है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विविध सुविधाएँ प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ने एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी और मुक्केबाजी सहित विविध खेलों से प्रतिभा खोज तरीके के तहत अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 23 खिलाड़ियों की भर्ती की है। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक नई योजना भी शुरू की।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.43 वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित मील के पथर शामिल होंगे:-

- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए टाउनहॉल बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुविचारित नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित एक मजबूत तंत्र की शुरुआत (उत्कर्ष 2.0)।
- आरबीआई (स्टाफ) विनियम, 1948 की व्यापक समीक्षा जो रिजर्व बैंक के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को परिभाषित करती है (उत्कर्ष 2.0); और।
- सभी नई भर्तियों के लिए एक आसान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक संदर्भ पुस्तिका तैयार करना।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.44 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिजर्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और संचालन

के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग का ध्यान प्रासंगिक नीतियों और रूपरेखाओं के निर्माण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर रिजर्व बैंक के आंतरिक जोखिम प्रशासन को मजबूत करने, परिचालन जोखिम और साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी को मजबूत करने, जोखिम विश्लेषण में सुधार करने पर था। इंटीग्रेटेड रिस्क गवर्नेंस डैशबोर्ड और रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स (आरटीएल) के निर्माण के माध्यम से रिस्क रिपोर्टिंग को मजबूत करना।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.45 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य : जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ परिचालन जोखिम (रैम-ओआर) के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति के तहत निर्धारित जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य और एक संस्थागत फीडबैक लूप बनाना (पैराग्राफ ग्राफ X1.46) ;
- जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन : एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) पोर्टल में जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल के स्वचालन का परिचालन [पैराग्राफ X1.47] ;
- विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए फ्रेमवर्क और आउटसोर्सिंग नीति (पैराग्राफ X1.48); और
- एप्लिकेशन सुरक्षा को मजबूत करना : इसमें कार्यात्मक और तकनीकी स्तर पर एप्लिकेशन प्रोफाइलिंग और अनुप्रयोगों के लिए परिधि सुरक्षा (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल) की समीक्षा एवं स्थापना करना और एक उचित प्रतिक्रिया ढांचा विकसित करना शामिल होगा

(पैराग्राफ X1.49)।

कार्यान्वयन की स्थिति

जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य

XI.46 रिज़र्व बैंक और जोखिम खोज प्रक्रिया के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों पर विचारों के अभिसरण को सक्षम करने के लिए निरीक्षण विभाग और जोखिम प्रबंध विभाग के बीच एक फीडबैक लूप बनाया गया है।

जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन

XI.47 जोखिम रजिस्टर (आरआर) को बनाने, अद्यतन करने और समीक्षा करने की कार्यक्षमता को स्वचालित किया गया और आईआरआईएस पोर्टल में चालू किया गया।

विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल और आउटसोर्सिंग नीति के लिए रूपरेखा

XI.48 एक उद्यम-व्यापी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति और एक अभिशासन नीति और मॉडल जोखिमों के लिए ढांचा तैयार किया गया है।

एप्लिकेशन सुरक्षा को मजबूत करना

XI.49 रिज़र्व बैंक में विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों की प्रोफाइल संकलित की गई है। अनुप्रयोगों के प्रोफाइल में निहित विवरण के आधार पर, उपयोगकर्ताओं, इंटरनेट/इंट्रानेट, आर्किटेक्चर आदि के संपर्क के संदर्भ में रिज़र्व बैंक में आईटी अनुप्रयोगों के वितरण का निर्धारण करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर रिज़र्व बैंक में समीक्षा की गई है। रिज़र्व बैंक में वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

अन्य पहलें

XI.50 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने

बॉक्स XI.2

जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना

जोखिम संस्कृति को व्यक्तियों और समूहों के लिए व्यवहार के मानदंडों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को पहचानने और समझने, खुले तौर पर चर्चा करने और कार्य करने की सामूहिक क्षमता निर्धारित करता है। जोखिम संस्कृति प्रबंधन और कर्मचारियों के उनके दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान निर्णयों को प्रभावित करती है और उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जोखिमों पर प्रभाव डालती है। जोखिम संस्कृति समय, व्यक्ति और इकाई-विशिष्ट है और इस प्रकार मापना मुश्किल है। किसी भी संगठन में, जोखिम संस्कृति निर्माण के लिए अंतर्निहित चक्र मौजूद होता है। किसी भी संगठन की संस्कृति बार-बार किए गए व्यवहार से उत्पन्न होती है, जो संगठन के भीतर लोगों के दृष्टिकोण से आकार लेती है।

किसी संगठन की जोखिम संस्कृति को रेखांकित करने के लिए व्यापक रूप से दो तरह के तत्व होते हैं : (क) संरचनात्मक तत्व जैसे जोखिम ढांचे की प्रभावशीलता, जोखिम प्रबंधक गुणवत्ता, जोखिम प्रशिक्षण गुणवत्ता, ज्ञान और कौशल, पारिश्रमिक और संचार चैनल; और (ख) व्यवहारिक तत्व जैसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के जोखिम व्यवहार, संगठन में स्वीकृत जोखिम व्यवहार, निर्णय लेने के पक्षपात, भूमिका-मॉडलिंग, जोखिम और मानवीय कारक और त्रुटियों के प्रति दृष्टिकोण का निर्धारण करती हैं।

किसी प्रभावी विकसित जोखिम संस्कृति और इसके तत्व संस्था में सभी स्थानों में निर्णय लेने में शामिल होते हैं, इन संरचनात्मक और व्यवहारिक तत्वों को शामिल करते हुए मजबूत तंत्र और तकनीक को स्थापित करने

की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम जोखिम संस्कृति के विभिन्न तत्वों को और परिभाषित करने और मजबूत जोखिम संस्कृति के विकसित करने के लिए लिए कर्मचारियों की भूमिकाओं/अपेक्षाओं के बारे में पूरी संस्था में जागरूकता पैदा करना होगा। जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक की रूपरेखा निम्नलिखित चार स्तंभों पर निर्भर होने की परिकल्पना की गई है :

- **जोखिम नेतृत्व (शीर्ष से स्वर) :** प्रबंधन जोखिम प्रबंधन के लिए और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और कार्यनीतिक दिशा निर्धारित करता है;
- **जोखिम अभिशासन (जिम्मेदारी और जवाबदेही) :** कर्मचारी/कर्मचारियों का समूह जोखिम प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझता है और प्रबंधन की अपेक्षाओं का पालन करता है। प्रबंधन प्रभावी जोखिम निगरानी और प्रतिसाद को सुनिश्चित करता है;
- **जोखिम संचार (पारदर्शिता और जोखिम सूचित निर्णय) :** ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ जोखिम सूचना के संचार में पारदर्शिता। व्यापक जोखिम सूचना की उपलब्धता समयबद्ध तरीके और सार्थक प्रारूप में हो। प्रासंगिक निर्णयों पर चर्चा करने के लिए सही मंचों की स्थापना करना; और

(जारी)

- **जोखिम क्षमता (प्रदर्शन और प्रोत्साहन)** : प्रदर्शन और प्रतिभा प्रबंधन नीतियां/प्रक्रियाएं जो इकाई के वांछित जोखिम प्रबंधन व्यवहार के रखरखाव को प्रोत्साहित और सशक्त करती हैं।

रिजर्व बैंक ने एक प्रभावी आंतरिक जोखिम अभिशासन संरचना सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की हैं, कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के ढांचे से समग्र जोखिम प्रबंधन को और मजबूत होने की उम्मीद है।

संदर्भ :

वित्तीय स्थिरता बोर्ड, (2014), 'गाइडेंस ऑन सुपरवाइजरी इंटरैक्शन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन रिस्क कल्चर : ए फ्रेमवर्क फॉर एसेसिंग रिस्क कल्चर', बीआईएस, अप्रैल।

इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट (2012), 'रिस्क कल्चर : रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिशनर्स', इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है (बॉक्स XI.2)।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.51 विभाग के लिए वर्ष हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं :

- **घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर फ्रेमवर्क की समीक्षा** : घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि व्यावसायिक क्षेत्रों को प्राथमिक जोखिम संकेतकों की पहचान करने और परिदृश्य विश्लेषण के साथ जोखिमों का पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया जा सके;
- **जोखिम अधिकारियों के लिए निर्देशों की पुस्तिका तैयार करना** : जोखिम अधिकारियों को उनके कार्यस्थल में जोखिम प्रबंधकों के रूप में उनकी भूमिका निभाने में मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जाएगी;
- **विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों² के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा; और**
- **भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) नीति 2019 की समीक्षा** : मौजूदा वीएपीटी नीति की समग्र समीक्षा की जाएगी, जिसमें वीएपीटी के

दृष्टिकोण, अनुपालन, मानकों, उपकरणों और जोखिम स्वीकृति जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। समीक्षा में अनुप्रयोगों की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन निगरानी प्रणाली का संचालन भी शामिल होगा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण

XI.52 रिजर्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्ट करता है और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिजर्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत रक्षा की तीसरी पंक्ति (अर्थात आश्वासन) के रूप में कार्य करता है, जबकि आरएमडी, रक्षा की दूसरी पंक्ति³ के रूप में, जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को जोखिमों की रिपोर्टिंग सहित प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है। विभाग रिजर्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसए) के कामकाज की भी देखरेख करता है। आरबीआईए, सीए, और सीएसए कार्य ऑडिट प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस, नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग

² ऐसे जोखिम जो अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए समान गतिविधियों / प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा जिनका कार्यान्वयन संबंधित क्षेत्र अथवा प्रक्रिया से परे एक साथ विभिन्न कार्यों, क्षेत्रों या गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

³ प्रभावी जोखिम प्रबंधन और अभिशासन के लिए रक्षा मॉडल की तीन पंक्तियों के तहत, रक्षा की पहली पंक्ति प्रबंधन नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण उपाय है, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति में प्रबंधन द्वारा स्थापित विभिन्न जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और निरीक्षण कार्य शामिल हैं और रक्षा की तीसरी पंक्ति आंतरिक लेखा परीक्षा है।

केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख में कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है।

2021-23 के लिए कार्यसूची

XI.53 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- आरएमडी के साथ फीडबैक लूप के लिए एक रूपरेखा तैयार करना ताकि समग्र परिचालन जोखिमों (उत्कर्ष) पर लगभग अभिसरण परिणाम प्राप्त किए जा सकें [पैराग्राफ XI.54];
- डेटा माइनिंग और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए दृश्य विश्लेषिकी रिपोर्ट का पूर्ण विकास और सृजन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ XI.54];
- आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के आधार पर संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का कार्यान्वयन [पैराग्राफ XI. 54];
- आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (उत्कर्ष)[पैराग्राफ XI.54];
- प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण का के प्रति उन्मुख रहना (उत्कर्ष)[पैराग्राफ XI.54];
- विभागों के विशेष क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए कुशल अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करना (उत्कर्ष)[पैराग्राफ XI.54]; और
- लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अनुपालन की गुणवत्ता की गहन निगरानी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक निरीक्षणालयों (जेडआई) का सृजन और निरीक्षण विभाग को स्वतंत्र रिपोर्टिंग के साथ विभिन्न प्रकार

के ऑडिट के कवरेज की पर्याप्तता ज्ञात करना है।
(उत्कर्ष) [पैराग्राफ XI.55];

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.54 अगस्त 2021 में गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूआईजी) की सिफारिश के अनुसार “जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) और संबंधित मुद्दों की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा” करने के लिए जोखिम निगरानी विभाग और निरीक्षण विभाग के बीच एक फीडबैक लूप बनाया गया है जिससे रिज़र्व बैंक के विभिन्न जोखिमों पर एक अभिसरण दृष्टिकोण और रक्षा की दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच अधिक तालमेल की सुविधा को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा, एमआईएस को मजबूत करने के लिए विभाग ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी)/आरओ/टीई के परामर्श से लेखापरीक्षित कार्यालयों के लिए एक ‘ऑफसाइट मॉनिटरिंग टेम्प्लेट’ (ओएमटी) तैयार किया है। अब तक, ओएमटी में 26 डेटा बिंदु शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न ऑडिट, जोखिम रजिस्टर, जोखिम सहिष्णुता सीमा (आरटीएल) के उल्लंघन, घटना की रिपोर्टिंग, लंबित स्थिति, बजट, व्यापार निरंतरता योजना, परियोजना और नीति कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण विवरणों को लेकर करते हैं। टेम्प्लेट 2023 की पहली तिमाही से लागू किया गया था। आईडब्ल्यूआईजी की एक और प्रमुख सिफारिश संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाने की थी। तद्विषय, जोखिमों को अब छह श्रेणियों (अर्थात्, लोगों के जोखिम, बीसीएम जोखिम, कानूनी जोखिम, प्रक्रिया जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम और अन्य) के तहत वर्गीकृत किया गया है और एएमआरएमएस पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जिससे उन्हें संभावित रूप से दर्शाया जा सके। समिति की अन्य सिफारिशें जैसे क्षमता निर्माण के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारियों (पीआईओ)/निरीक्षण अधिकारियों (आईओ) के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विशेष क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की मांग और निरीक्षण विभाग में पोस्टिंग के लिए संभावित प्रोत्साहन संरचना, भाग के रूप में कुशल

अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करने का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

XI.55 आरबीआईए की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए आईडब्ल्यूआईजी की सिफारिशों के अनुसार, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों में पांच आंचलिक निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य मौजूदा आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करना, विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षाओं के कवरेज की पर्याप्तता और विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके निरीक्षण विभाग के अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करना, रिज़र्व बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के संचालन पर शीर्ष प्रबंधन को स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करना है।

प्रमुख उपलब्धियां

निरीक्षण मैनुअल

XI.56 एक व्यापक निरीक्षण मैनुअल तैयार किया गया है और इसे 2023-24 की पहली तिमाही में जारी किया जाना है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

XI.57 आरबीआईए में की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रस्तुत अनुपालन की गुणवत्ता और निरंतरता को सत्यापित करने के लिए, एक निर्धारित मानदंड⁴ के आधार पर चुनिंदा कार्यालयों के लिए अनुपालन ऑडिट की अवधारणा को वर्ष के दौरान पेश किया गया था। लेखापरीक्षा चक्रों के बीच में की गई ऐसी लेखापरीक्षाओं ने, न केवल अनुपालन के बनाए रखने/गैर-निरंतरता का परीक्षण किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपायों के लिए अलर्ट भी जारी किया। अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। विभाग ने 31 मार्च 2023 तक सात अनुपालन ऑडिट किए।

विषयगत अध्ययन

XI.58 विभाग ने समय पर समाधानपरक उपायों का सुझाव देने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रणालीगत मुद्दों की गहन जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग/विभागों के परामर्श से कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों पर 'विषयगत अध्ययन' करने का निर्णय लिया। तदनुसार, विभिन्न नीतिगत पहलुओं के कार्यान्वयन में स्थिरता और सीओडी/आरओ में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विषयगत अध्ययन करने के लिए एक मानक संचालन

बॉक्स XI.3

आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई)

'आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूआईजी) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) और संबंधित मुद्दों की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए पांच केंद्रों (अर्थात्, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली) में आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई) स्थापित किए गए हैं। इससे जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) स्व-मूल्यांकन ऑडिट (सीएसएए), समवर्ती ऑडिट (सीए) और अन्य प्रकार के ऑडिट के अनुपालन की गुणवत्ता और विभिन्न ऑडिट की पर्याप्तता और कवरेज की बारीकी से निगरानी की जा सकेगी।

बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठपरक जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में निरीक्षण विभाग की

सहायता करते हुए, आंचलिक निरीक्षणालय की परिकल्पना निरीक्षण विभाग की विस्तारित शाखा और विशेषज्ञताप्राप्त केंद्रों के रूप में की गई है।

इसके अलावा, आंचलिक निरीक्षणालय आंतरिक नियंत्रण के पांच तत्वों अर्थात्, नियंत्रण वातावरण को मजबूत करना, जोखिम मूल्यांकन में सुधार करना, सूचना और संचार के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, निगरानी गतिविधियों को बढ़ाना और नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार को सुदृढ़ करने में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यालयों की सहायता करेंगे।

स्रोत : आरबीआई

⁴ अनुपालन लेखापरीक्षा उन लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जिन्हें आरबीआईए के पिछले चक्र के दौरान 'उच्च जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई थी और उपयुक्त नीति को सुगम बनाने के उद्देश्य से नीति/मानकों में अंतराल की पहचान करने के लिए भी संबंधित विभाग/विभागों द्वारा किया जा रहा है। विभाग विषयगत अध्ययन के लिए एसओपी के अनुसार चयन मानदंडों के आधार पर विषयगत अध्ययन करेगा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.59 विभाग वर्ष के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- 2022-23 के दौरान शुरू किए गए उपायों के अनुसार आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (उत्कर्ष 2.0);
- जोखिम आश्वासन पर सामग्री योगदान के लिए आंचलिक निरीक्षणालय के कामकाज का स्थिरीकरण;
- एमआईएस के लिए डैशबोर्ड और विजुअल एनालिटिक्स रिपोर्ट का विकास करना (उत्कर्ष 2.0);
- एएमआरएमएस में ऑफसाइट रिपोर्टिंग की स्थापना और फीडबैक लूप के लिए ढांचा बनाना (उत्कर्ष 2.0);
- आरबीआईए के उच्च और मध्यम जोखिम वाले पैरा का रेडी रेकनर बनाना (उत्कर्ष 2.0) ;
- अनुपालन लेखापरीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न मॉड्यूल का विकास (उत्कर्ष 2.0);
- सांख्यिकीय विश्लेषिकी प्रणाली (एसएस) का उन्नयन - एंटरप्राइज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस (ईजीआरसी) 6.1 से एसएस - गवर्नेंस एंड कंप्लायंस मैनेजर (जीसीएम) 7.4 प्लेटफॉर्म, 2,000 उपयोगकर्ता लाइसेंस वाले एएमआरएमएस के लिए; और
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)

के तत्वावधान में सेंट्रल बैंकिंग इंटरनल ऑडिटर्स (सीबीआईए) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना।

6. कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.60 कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक के मध्यम अवधि के कार्यनीति ढांचे (उत्कर्ष) का समन्वय और सृजन करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसके व्यय की निगरानी करता है। विभाग अपने महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए रिज़र्व बैंक की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) भी तैयार और कार्यान्वित करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाहरी संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.61 वर्ष के दौरान, जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का मध्यावधि कार्यनीति ढांचा तैयार किया गया और लॉन्च किया गया। रिज़र्व बैंक के व्यापार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे के लिए नोडल विभाग होने के कारण सीएसबीडी ने रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यापार प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। बायो-बबल व्यवस्था को समाप्त करने पर, यह सुनिश्चित किया गया कि महामारी की भविष्य की लहरों के मामले में व्यापार निरंतरता के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं मौजूद हैं। बीसीएम नीति और समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के अद्यतन सहित सभी व्यावसायिक इकाइयों के बीसीपी की समीक्षा करके व्यापार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया है।

XI.62 कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग के वार्षिक सम्मेलन में 17 फरवरी 2023 को डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, उप गवर्नर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए व्यापार निरंतरता उपायों पर एक कंपेंडियम जारी किया

था। इसमें उस अभूतपूर्व पैमाने और गति पर प्रकाश डाला गया जिससे रिज़र्व बैंक ने लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्रॉस-फंक्शनल प्रतिक्रिया जैसे पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के सौ से अधिक उपायों को लागू करने के प्रयास किए, जिसके तहत अपने महत्वपूर्ण कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना और व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखना; और अपने कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों का समर्थन करना शामिल है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के साथ-साथ ये प्रयास सक्रिय और अभिनव थे।

XI.63 बाहरी वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के निरीक्षण के संबंध में, विभाग ने उनके शासी बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों की सुविधा प्रदान करके, उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करके और रिक्तियां होने पर निदेशकों का चयन करके उनके अभिशासन को सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीडीआर) के लिए आईजीडीआर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और विनियमों के अनुसार एक नए निदेशक की नियुक्ति वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के अंत में की गई थी।

XI.64 विभाग रिज़र्व बैंक की विभिन्न अधिवर्षिता निधियों का रखरखाव करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (जे) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 2020-21 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में परिवर्तन के कारण कर्मचारी ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि विनियमन, 1975 में संशोधन किए गए। उचित बजट अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सीमा से अधिक बजट के कम उपयोग के लिए 'घटना रिपोर्टिंग' की प्रणाली में शामिल करते हुये सभी बजट इकाइयों के लिए एक बजट रेटिंग ढांचा स्थापित किया गया।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.65 2022-23 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कुशल और प्रभावी बजट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बजट इकाइयों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना (उत्कर्ष) पैराग्राफ ग्राफ XI.66];
- 2023-25 की अवधि के लिए कार्यनीति की रूपरेखा 'उत्कर्ष 2.0' को तैयार करना, अंतिम रूप देना और लॉन्च करना (पैराग्राफ XI.67);
- 'अदावीकृत भविष्यनिधि खातों' में संचालन को सुव्यवस्थित करना (पैराग्राफ XI.68); और
- भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यय नियमावली की समीक्षा (पैराग्राफ XI.69)।

XI.68 'अदावीकृत पीएफ खातों' के रखरखाव को सुव्यवस्थित करने और रिज़र्व बैंक में अपनाई जाने वाली प्रथाओं में एकरूपता लाने के लिए, मई 2022 में संशोधित निर्देश जारी किए गए थे।

XI.69 विभिन्न बजट इकाइयों से मंतव्य मांगकर भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली, 2018 की समीक्षा आरंभ की गई है और विभाग वर्तमान व्यय नियमों में किए जाने वाले संशोधनों को समेकित करने की प्रक्रिया में है, जिसके मार्च 2024 तक पूरा किए जाने की अपेक्षा है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.70 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमों का संशोधन (उत्कर्ष 2.0);
- रिज़र्व बैंक की व्यावसायिक इकाइयों के लिए व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन टेम्पलेट तैयार करना; और
- भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1935 की समीक्षा

बॉक्स XI.4

उत्कर्ष 2.0 : रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि कार्यनीति फ्रेमवर्क

रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 में मध्यम अवधि की कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2022 शुरू की थी। इसने कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक युद्धस्थिति से उत्पन्न अशांत हालात से निकलते हुए अपने लक्ष्य को साकार करने की दिशा में रिजर्व बैंक को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। चूंकि उत्कर्ष 2022 का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया था, 2023-25 की अवधि के लिए 30 दिसंबर 2022 को एक नए कार्यनीति ढांचा, अर्थात् उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया था।


उत्कर्ष 2022 के छह विजन कथनों के साथ-साथ मुख्य उद्देश्यों, मूल्यों और मिशन (चार्ट 1) को बनाए रखते हुए उत्कर्ष 2.0 की क्षमताओं का उपयोग करता है, जो सामूहिक रूप से नीतिगत मार्गदर्शक पथ (माइलस्टोन) तैयार करता है।

उत्कर्ष 2.0 के तहत बनाए गए लक्ष्य बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किए गए हैं जो प्रत्येक विभाग के विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों को समाहित करते हैं, उन्हें संस्थान के लक्ष्यों में एकीकृत करते हैं।

उत्कर्ष 2.0 का उद्देश्य आउटरीच के लिए नए तरीकों और स्पर्श बिंदुओं को शामिल करके, प्रभावी उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से सूचना प्रसार में आसानी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व स्थापित करके और आंतरिक शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करके रिजर्व बैंक में जनता के विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। यह परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे और गतिशील तथा अभिनव मानव पूंजी बनाने का भी प्रयास करता है।

कुशल निगरानी के साथ-साथ बीच-बीच में स्थिति की समीक्षा करने एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना ही उत्कृष्टता की दिशा में

चार्ट 1: उत्कर्ष 2.0



अपनी यात्रा को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक की कार्यनीति के रूप में उत्कर्ष 2.0 की पहचान होगी।

स्रोत : आरबीआई

7. राजभाषा

XI.71 राजभाषा विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, भारत के राष्ट्रपति के आदेशों और भारत सरकार और संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने स्टाफ सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने, पत्राचार और आंतरिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए व्याख्यान और वेबिनार और कई कार्यक्रमों का आयोजन करके और हितधारकों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी में अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करके द्विभाषीकरण

की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के द्विभाषीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग की एक समीक्षा समिति और एक आंतरिक उप-समिति है जो नियमित रूप से निगरानी करती है और राजभाषा नीति और राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करती है। वैधानिक आवश्यकताओं को लागू करने के अलावा, विभाग ने 'कृति अनुकृति', 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन', परिपत्रों का संग्रह और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस प्रकार, विभाग ने राजभाषा प्रावधानों के

कार्यान्वयन की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं और रिजर्व बैंक के कामकाज के सभी क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाया है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.72 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग शब्दावली' के एक नए संस्करण का प्रकाशन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ XI.73];
- भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना (पैराग्राफ XI.74);
- हिंदी के उपयोग के संबंध में कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार समीक्षा बैठकें आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75); और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए उनके अनुवाद कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.76)

कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति

XI.73 दिसंबर 2023 तक बैंकिंग शब्दावली का एक नया संस्करण प्रकाशित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक अंतर-संस्थागत समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं और इन बैठकों के दौरान व्यापक विचार-विमर्श के बाद शब्दावली के नए संस्करण के लिए कई नए बैंकिंग और वित्तीय पारिभाषिक शब्दों को अंतिम रूप दिया गया है। इस लक्ष्य को उत्कर्ष 2.0 के भाग के रूप में 2023-24 तक आगे बढ़ाया गया है (पैराग्राफ 81)।

XI.74 गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार आधिकारिक कार्य करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लक्ष्य दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए सभी निर्देशों और कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा एक विस्तृत 'वार्षिक कार्य योजना 2022-23' तैयार की गई थी। यह लक्ष्य-आधारित व्यापक कार्य योजना 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय के विभागों को परिचालित की गई थी।

XI.75 हिंदी के उपयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए, क्षेत्र क, ख और ग में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें क्रमशः 26 जून 2022, 12 सितंबर 2022 और 8 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थीं। इसी तरह, 22-23 अगस्त 2022 के दौरान केंद्रीय कार्यालय विभागों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

XI.76 14-16 नवंबर 2022 के दौरान आरबीएससी, चेन्नई में अनुवाद पर राजभाषा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 23 राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया था।

प्रमुख गतिविधियां

XI.77 17-19 फरवरी 2023 के दौरान विशाखापत्तनम में राजभाषा अधिकारियों के लिए एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें *आजादी का अमृत महोत्सव* वर्ष की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत में हिंदी की आवश्यकता, हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में अनुवाद के महत्व और कार्यस्थल पर हिंदी उपयोग के व्यावहारिक पहलुओं पर शोधपत्र प्रस्तुत किए गए थे और व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

XI.78 हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर अर्थात् 14 सितंबर 2022 को सभी केंद्रीय कार्यालय के विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह/पखवाड़े/माह के दौरान हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/संगोष्ठियों/व्याख्यानों/अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

XI.79 माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 5 जुलाई 2022, 8 अक्टूबर 2022 और 17 जनवरी 2023 को क्रमशः जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय और भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया।

प्रकाशन

XI.80 रिजर्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जैसे अन्य प्रकाशन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए और ये रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक अर्द्धवार्षिक ई-पत्रिका 'कृति-अनुकृति' (पूर्व में 'राजभाषा समाचार') प्रकाशित की गई। विभाग द्वारा बैंकिंग और वित्त संबंधी विषयों पर लेखों को कवर करते हुए हिंदी जर्नल 'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' का नया संस्करण भी प्रकाशित किया गया था।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.81 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की विभाग की योजना है:

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग शब्दावली' का एक नया संस्करण प्रकाशित करना (उत्कर्ष 2.0)

8. परिसर विभाग

XI.82 परिसर विभाग का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए रिजर्व बैंक के परिसर में ग्रीन रेटिंग के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता और सुंदरता को एकीकृत करके 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

XI.83 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- उत्कर्ष 2022 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.84);
- सीएफआरएल⁵ और देहरादून कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);
- रांची और शिलांग कार्यालय भूखंडों पर चारदीवारी का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.86);
- देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण शुरू करना (पैराग्राफ XI.87);
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और पणजी में कार्यालय भवन परियोजना शुरू करने के लिए सक्षम कार्य करना (पैराग्राफ XI.88);
- सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन के निष्पादन को पूरा करना और मुंबई में चकाला, मलाड चरण-I और तपोवन में आवासीय परिसरों के कार्यों को शुरू करना (पैराग्राफ XI.89);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाना [पैराग्राफ XI.90];

⁵ उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल)

- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को सुदृढ़ और स्थिर करना (पैराग्राफ XI.91); और
- उत्कर्ष डेटा के ऑनलाइन समेकन और विश्लेषण और अन्य हरित पहलों पर जानकारी और आरओ से प्राप्त ऊर्जा / जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट (पैराग्राफ XI.91) के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत और स्थिर करना

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.84 विभाग ने न केवल उत्कर्ष के तहत लक्ष्यों को हासिल किया है, बल्कि वास्तव में, उन्हें पार कर लिया है। (i) दिसम्बर-2022 तक संचयी रूप से कम से कम छह कार्यालय भवनों और 26 आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए/आईजीबीसी⁶ से संगत ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, दिसम्बर-2022 तक कुल 11 कार्यालय भवनों और 24 आवासीय भवनों के लिए आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है; (ii) रिजर्व बैंक के सभी परिसरों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत खपत के जून-2018 के स्तर का 6.0 प्रतिशत प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर-2022 को नवीकरणीय से प्राप्त कुल ऊर्जा 6.6 प्रतिशत थी; (iii) रिजर्व बैंक ने 5.0 प्रतिशत (आधार वर्ष जून-2018) के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर-2022 तक 13.9 प्रतिशत की ऊर्जा बचत प्राप्त की; और (iv) दिसम्बर-2022 तक जल संरक्षण/बचत 10 प्रतिशत (आधार वर्ष जून-2018) के लक्ष्य की तुलना में 23.9 प्रतिशत थी।

XI.85 31 मार्च 2023 तक, सीएफआरएल भवन परियोजना को पूरा करने की वास्तविक प्रगति 63.0 प्रतिशत है। देहरादून कार्यालय परियोजना के संबंध में, वास्तविक प्रगति 98.0 प्रतिशत है और परियोजना के 2023-24 में पूरा होने की अपेक्षा है।

XI.86 रांची कार्यालय प्लॉट और शिलांग कार्यालय प्लॉट पर चारदीवारी का कार्य प्रगति पर है।

XI.87 देहरादून में आवासीय परिसर के लिए स्थानीय प्राधिकरण से भवन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और निविदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

XI.88 पणजी में कार्यालय भवन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया है और परियोजना के लिए वास्तुकार की नियुक्ति सहित सभी संबद्ध कार्य पूरे कर लिए गए हैं। निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

XI.89 मुंबई में चकाला, मलाड चरण-I, तपोवन, माहिम और शिवड़ी में आवासीय परिसरों के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ परियोजना-विशेष समझौता ज्ञापन निष्पादित किए गए हैं; इन सभी परियोजनाओं के लिए ढांचा मैपिंग और मिट्टी की जांच से संबंधित कार्य पूरे कर लिए गए हैं; और परियोजना-विशेष वास्तुकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

XI.90 नया रायपुर में कार्यालय परिसर का निर्माण शुरू हो गया है और मार्च 2023 के अंत तक वास्तविक प्रगति 53.0 प्रतिशत है। मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की है और निर्माण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है।

XI.91 उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित हो गया है और क्षेत्रीय कार्यालय इसमें नियमित रूप से परियोजनाओं की स्थिति को अद्यतन कर रहे हैं। ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म समय-समय पर नई विशेषताओं को जोड़ने के साथ पूरी तरह से कार्यान्वित है और इसका उपयोग उत्कर्ष डेटा के समेकन और विश्लेषण के साथ-साथ ऊर्जा / जल संरक्षण पहलों (उत्कर्ष के अलावा) को

⁶ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबीटेड असेसमेंट (जीआरआईएचए) / इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)

समेकित और निगरानी करने और विभिन्न लेखा परीक्षा (विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा) टिप्पणियों से सृजित कार्रवाई बिंदुओं के अनुपालन के लिए किया जा रहा है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण संबंधी गतिविधियां

XI.92 चेंबूर, मुंबई में नालंदा अधिकारी आवासीय परिसर परियोजना पूरी हो गई है और 20 जून 2022 को गवर्नर महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने परियोजना को उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) प्रदान की गई है।

XI.93 हौज खास, नई दिल्ली में आवासीय परियोजना जनवरी 2023 में पूरी हो गई है। इस परियोजना को भी आईजीबीसी से उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) मिली है।

हरित पहल (उत्कर्ष के तहत लक्षित नए निर्माण के अलावा)

XI.94 केंद्रीय कार्यालय भवन के लिए आईजीबीसी से उच्चतम ग्रीन रेटिंग (प्लेटिनम) प्राप्त हुई है।

XI.95 रिजर्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान, छह कार्यालय भवनों और सात आवासीय परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 के अंत तक 27 कार्यालय परिसरों और 56 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र थे, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता मार्च 2022 के अंत में 3,166 किलोवाट (किलोवाट पीक) से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 3,617 किलोवाट हो गई। इसी अवधि के दौरान जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 20 कार्यालयों और 46 आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई थी और 6 कार्यालयों और 15 आवासीय भवनों में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए थे। 15 कार्यालयों और 51 आवासीय परिसरों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक भी लगाए गए थे।

अन्य पहलें

XI.96 मुंबई और पणजी में अतिरिक्त कार्यालय स्थान लीज पर लिए गए थे। आइजोल, शिलांग और शिमला के लिए वैकल्पिक परिसर लीज पर लिए गए थे और ईटानगर और कोहिमा में खोले गए रिजर्व बैंक के नए कार्यालयों के लिए नए परिसरों को लीज पर लिया गया था।

XI.97 सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में अचल संपत्तियों की टैगिंग और मिलान के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक को अपनाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसने डेटा उन्नयन और अर्द्धवार्षिक मिलान प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया है।

XI.98 वर्तमान में ₹5 लाख से अधिक की निविदाएं आम तौर पर एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करके ई-निविदा मोड के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं। 2022-23 के दौरान, केंद्रीय कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 810 ई-टेंडर जारी किए गए थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.99 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- उत्कर्ष 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- देहरादून कार्यालय और रायपुर कार्यालय परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करना;
- कार्यालय/आवासीय स्थान की अवशिष्ट आवश्यकता के अधिग्रहण को पूरा करना;
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना के चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना;
- 25वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन के नवीनीकरण को पूरा करना; और
- परिसर विभाग मैनुअल का एक संशोधित संस्करण प्रकाशित करना

9. निष्कर्ष

XI.100 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के उपायों के साथ-साथ अभिशासन, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और रिज़र्व बैंक की कॉरपोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में कई कार्यनीतिक पहल की गईं। मानव संसाधन के क्षेत्र में, नई भर्तियां, आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के लिए एक नए ढांचे के विकास को समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों में जोड़ा गया था, जैसा कि परिचालन के अपने व्यापक कैनवास के साथ समन्वय में क्षमताओं के एक विविध और मजबूत पक्ष का निर्माण करने के प्रयास में परिलक्षित होता है। राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम

के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया वहीं परिसर विभाग ने सौंदर्य अपील के साथ पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है और 2023-24 के लिए कार्यसूची निर्धारित की है। उत्कर्ष 2022 की क्षमताओं का उपयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (उत्कर्ष 2.0) तक की अवधि के लिए एक नए मध्यम अवधि कॉरपोरेट कार्यनीति ढांचे का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य उभरती और अपेक्षित भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है।

XI.1 सारणी XI.1: केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति
अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	7	7
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	7	7
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	7	7
एम राजेश्वर राव	8(1)(ए)	7	7
टी रवि शंकर	8(1)(ए)	7	6
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	7	6
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	7	7
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	7	5
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	5	1
वेणु श्रीनिवासन*	8(1)(सी)	5	4
पंकज रमणभाई पटेल*	8(1)(सी)	5	5
रवींद्र एच धोलकिया*	8(1)(सी)	5	5
अजय सेठ	8(1)(डी)	7	5
संजय मल्होत्रा [#]	8(1)(डी)	4	2
विवेक जोशी ^{\$}	8(1)(डी)	3	2

*: 14 जून 2022 से निदेशक

#: 14 नवंबर 2022 तक निदेशक

\$: 15 नवंबर 2022 से निदेशक

सारणी XI.2: 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	46	41
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	46	42
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	46	36
एम राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	42
टी रवि शंकर	8(1)(ए)	46	38
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	19	19
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	16	8
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	21	21
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	14	7
आनंद गोपाल महिद्रा	8(1)(सी)	10	10
वेणु श्रीनिवासन*	8(1)(सी)	10	4
पंकज रमणभाई पटेल*	8(1)(सी)	13	13
रवींद्र एच धोलकिया*	8(1)(सी)	32	32
अजय सेठ	8(1)(डी)	7	7

*: 14 जून 2022 से निदेशक

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	12	12
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	12	11
एम राजेश्वर राव	सदस्य	12	10
टी रवि शंकर	सदस्य	12	10
सतीश काशीनाथ मराठे [#]	सदस्य	12	10
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	9
रवींद्र एच धोलकिया [^]	सदस्य	7	7

[#]: 19 अगस्त 2022 से बीएफएस के सदस्य के रूप में पुनः नामित।

[^]: 7 सितंबर 2022 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नामित।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
टी रवि शंकर	उपाध्यक्ष	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	2	1
एम राजेश्वर राव	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
वेणु श्रीनिवासन ^{\$}	सदस्य	1	Nil

^{\$}: 7 सितंबर 2022 से बीपीएसएस के सदस्य के रूप में नामित।

**सारणी XI.3: बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति
1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023**

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे*	सदस्य	3	3
वेणु श्रीनिवासन [#]	सदस्य	5	3
पंकज रमणभाई पटेल [#]	सदस्य	5	4
एम राजेश्वर राव	सदस्य	8	8

*: 06 अगस्त 2022 तक सदस्य #: 07 सितंबर 2022 से एआरएमएस के सदस्य के रूप में नामित।

II. निर्माण उप समिति (बीएससी)			
सतीश काशीनाथ मराठे*	अध्यक्ष	1	1
पंकज रमणभाई पटेल [#]	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा [#]	सदस्य	1	1

*: 06 अगस्त 2022 तक सदस्य #: 07 सितंबर 2022 से बीएससी के अध्यक्ष के रूप में नामित।

\$: 07 सितंबर 2022 से बीएससी के सदस्य के रूप में नामित।

III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा*	अध्यक्ष	1	1
पंकज रमणभाई पटेल [#]	सदस्य	1	1

*: 07 सितंबर 2022 से एचआरएम-एससी के अध्यक्ष के रूप में नामित।

#: 07 सितंबर 2022 से एचआरएम-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	2	2
वेणु श्रीनिवासन [#]	सदस्य	2	1

#: 07 सितंबर 2022 से आईटी-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

V. कार्यनीति उप समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा*	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1

*: 07 सितंबर 2022 से एस-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

**सारणी XI.4: स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति
1 अप्रैल 2022 से 18 सितंबर 2022**

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3	4
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	2	2
आर एन दूबे, एनएएलबी*	धारा 9(1)	2	2

एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड. *: 18 सितंबर 2022 तक सदस्य।

**सारणी XI.5: 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान स्थानीय बोर्ड के बदले केंद्रीय निदेशक मंडल
की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति**

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित रहे
1	2	3
रेवती अय्यर, अध्यक्ष	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	7	7

नोट: उत्तरी क्षेत्र के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गई थीं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 2.50 प्रतिशत से बढ़ा है। इस वर्ष आय में 47.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में 14.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष की समाप्ति पर कुल अधिशेष 87,416.22 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष 30,307.45 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 188.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है।

XII.2 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.3 तुलन-पत्र के आकार में 1,54,453.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात् इसका आकार 31 मार्च 2022 के 61,90,302.27 करोड़ रुपये से यानी, 2.50 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 को 63,44,756.24 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी निवेश, स्वर्ण, और ऋण तथा अग्रिम में क्रमशः 2.31 प्रतिशत, 15.30 प्रतिशत और 38.33 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जारी किए गए नोटों, पुनर्मूल्यन खातों और अन्य देनदारियों में क्रमशः 7.81 प्रतिशत,

20.50 प्रतिशत और 79.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 तक कुल आस्तियों में घरेलू आस्तियों की हिस्सेदारी 27.69 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर) का हिस्सा 72.31 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2022 को क्रमशः 28.22 प्रतिशत और 71.78 प्रतिशत था।

XII.4 1,30,875.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्ति विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.5 वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण और लेखा संबंधी समर्थक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
ए) आय	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13	2,35,457.26
बी) कुल व्यय ¹	17,044.15 ²	92,540.93 ³	34,146.75 ⁴	1,29,800.68 ⁵	1,48,037.04 ⁶
सी) निवल आय (ए-बी)	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00	30,311.45	87,420.22
डी) निधियों को अंतरण ⁷	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00	30,307.45	87,416.22

टिप्पणी : 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

2. इसमें एडीएफ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

3. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹ 73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

4. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹ 20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

5. इसमें सीएफ और एडीएफ में अंतरण के लिए क्रमशः ₹ 1,14,567.01 करोड़ और ₹ 100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

6. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹ 1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹ 1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ

भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारीयों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती है। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और ठोस गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और किसी निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मौलिक आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात

की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्त्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्त्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्त्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्त्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स चंदाभॉय एंड जासूभॉय तथा मेसर्स जी. एम. कपाडिया एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 20 मई 2022 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक से हमने मांगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिजर्व बैंक की पच्चीस लेखांकन इकाइयों का लेखा-जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय और जासूभॉय
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 101647डब्ल्यू)

कृते फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 102860डब्ल्यू / डब्ल्यू 100089)

अम्बेश दवे
भागीदार
सदस्यता संख्या 049289
यूडीआईएन:23049289BGXCNV8282

श्रीकांत बी प्रभु
भागीदार
सदस्यता संख्या 035296
यूडीआईएन:23035296BGMNU2230

स्थान: मुंबई

दिनांक : 19 मई 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2021-22	2022-23	आस्तियां	अनुसूची	2021-22	2022-23
पूंजी		5.00	5.00	बैंकिंग विभाग (बैंवि) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	17.13	9.50
अन्य आरक्षित निधि	1	236.00	238.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,96,864.38	2,30,733.95
जमाराशियाँ	2	17,33,787.56	13,54,217.22	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	11,41,127.75	10,08,993.26
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	14,88,815.96	14,06,422.89
आकस्मिकता निधि		3,10,986.94	3,51,205.69	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	2,08,792.85	2,88,813.53
पुनर्मूल्यन लेखा	3	9,34,544.00	11,26,088.12	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	75,547.53	1,35,282.86	अन्य आस्तियां	12	46,900.04	59,474.84
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)			
जारी किए गए नोट	5	31,05,720.56	33,48,244.67	स्वर्ण- निवि	7	1,25,348.98	1,40,765.60
				रुपये सिक्के		508.29	277.29
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	29,79,863.29	32,07,201.78
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						31,05,720.56	33,48,244.67
कुल देयताएं		61,90,302.27	63,44,756.24	कुल आस्तियां		61,90,302.27	63,44,756.24

चारुलता एस. कर
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

टी. रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

शक्तिकान्त दास
गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2021-22	2022-23
ब्याज	13	95,088.76	1,43,073.11
अन्य आय	14	65,023.37	92,384.15
कुल		1,60,112.13	2,35,457.26
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,984.80	4,682.80
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		82.95	118.19
एजेंसी प्रभार	15	4,400.62	4,068.62
कर्मचारी लागत		3,869.43	6,003.93
ब्याज		1.77	1.92
डाक और संचार प्रभार		140.09	191.18
मुद्रण और लेखन-सामग्री		22.58	26.97
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि		145.56	161.47
मरम्मत और रखरखाव		109.17	126.21
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		1.48	4.15
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		6.49	7.44
विधिक प्रभार		14.03	16.88
मूल्यहास		280.99	303.18
विविध व्यय		1,073.71	1,448.35
प्रावधान		1,14,667.01	1,30,875.75
कुल		1,29,800.68	1,48,037.04
उपलब्ध शेष राशि		30,311.45	87,420.22
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		1.00	1.00
सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		30,307.45	87,416.22

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

चारुलता एस. कर
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

टी. रबी शंकर
उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव
उप गवर्नर

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

शक्तिकान्त दास
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2021-22	2022-23
अनुसूची 1 :	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	31.00	32.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	205.00	206.00
	कुल	236.00	238.00
अनुसूची 2 :	जमा राशियाँ		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.04	5,000.93
	(ii) राज्य सरकारें	42.45	42.49
	उप योग	5,042.49	5,043.42
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	8,23,632.33	8,68,939.67
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7,592.50	8,100.09
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	10,871.51	11,530.78
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,089.60	5,177.27
	(v) अन्य बैंक	29,540.22	36,729.16
	उप योग	8,76,726.16	9,30,476.97
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	74,438.88	1,00,952.11
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	1,289.10	1,255.08
	उप योग	75,727.98	1,02,207.19
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,503.16	4,642.35
	(ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता निधि	48,262.85	62,224.89
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियाँ	491.28	1,059.02
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	1,007.61	6,796.52
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	542.64	507.06
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.34	1.34
	(vii) अन्य	7,21,482.05	2,41,258.46
	उप योग	7,76,290.93	3,16,489.64
	कुल	17,33,787.56	13,54,217.22
अनुसूची 3 :	पुनर्मूल्यन लेखा		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	9,13,389.29	11,24,733.16
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफएस)	0.00	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा – रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)	18,577.81	0.00
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	2,576.90	1,354.96
	कुल	9,34,544.00	11,26,088.12
अनुसूची 4 :	अन्य देयताएं		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	0.00
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	3,281.08	3,665.97
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	28,872.79	30,892.24
	(iv) भारत सरकार को देय अधिशेष	30,307.45	87,416.22
	(v) देय बिल	0.14	0.11
	(vi) विविध	13,086.07	13,308.32
	कुल	75,547.53	1,35,282.86
अनुसूची 5 :	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	17.07	9.43
	(ii) संचलन में नोट	31,05,703.49	33,48,218.85
	(iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू	0.00	10.69
	(iv) सीबीडीसी-आर	0.00	5.70
	कुल	31,05,720.56	33,48,244.67

वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

		2021-22	2022-23
अनुसूची 6 :	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के		
	(i) नोट	17.07	9.43
	(ii) रुपये सिक्के	0.05	0.06
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	17.13	9.50
अनुसूची 7 :	स्वर्ण		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,92,169.72	2,04,401.58
	(ii) जमा स्वर्ण	4,694.66	26,332.37
	उप योग	1,96,864.38	2,30,733.95
	(बी) निर्गम विभाग	1,25,348.98	1,40,765.60
	कुल	3,22,213.36	3,71,499.55
अनुसूची 8 :	निवेश-विदेशी		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	11,41,127.75	10,08,993.26
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	29,79,863.29	32,07,201.78
	कुल	41,20,991.04	42,16,195.04
अनुसूची 9 :	निवेश घरेलू		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	14,88,815.96	14,06,422.89
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	14,88,815.96	14,06,422.89
अनुसूची 10 :	ऋण और अग्रिम		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	48,677.00
	(ii) राज्य सरकार	1,666.56	791.72
	उप योग	1,666.56	49,468.72
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94,365.75	1,12,731.34
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	23,010.10	0.00
	(vi) अन्य	14,506.94	24,485.36
	उप योग	1,31,882.79	1,37,216.70
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रिपो उधार- विदेशी	75,190.78	1,01,968.98
	(ii) रिपो मार्जिन - विदेशी	52.72	159.13
	उप योग	75,243.50	1,02,128.11
	कुल	2,08,792.85	2,88,813.53
अनुसूची 11 :	अनुषंगी / सहायक संस्थाओं में निवेश		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)	100.00	100.00
	कुल	2,063.60	2,063.60

		2021-22	2022-23
अनुसूची 12 :	अन्य आस्तियां		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)	882.46	981.57
	(ii) उपचित आय (ए + बी)	41,769.61	55,217.80
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	366.08	383.70
	बी. अन्य मदों पर	41,403.53	54,834.10
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	2,576.90	1,354.96
	(v) विविध	1,671.07	1,920.51
	कुल	46,900.04	59,474.84
अनुसूची 13 :	ब्याज		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	96,396.42	96,516.05
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-35,501.29	-9,068.41
	(iii) एसडीएफ पर ब्याज	0.00	-7,444.71
	(iv) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	37.63	361.02
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,501.82	2,411.98
	उप योग	62,434.58	82,775.93
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	31,559.33	43,649.26
	(ii) रिपो / रिवर्स रीपो लेन-देन पर निवल ब्याज	42.32	228.25
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	1,052.53	16,419.67
	उप योग	32,654.18	60,297.18
	कुल	95,088.76	1,43,073.11
अनुसूची 14 :	अन्य आय		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	403.76	0.00
	(iii) कमीशन	3,058.09	3,469.14
	(iv) प्राप्त किराया	11.38	8.99
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	6,028.19	-222.86
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-20.07	-110.67
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-1,717.97	-2,264.19
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	6.72	2.45
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	325.09	-330.07
	उप योग	8,095.19	552.79
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-15,286.09	-9,972.25
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	3,002.39	-1,740.59
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	68,990.55	1,03,308.35
	(iv) विविध आय	221.33	235.85
	उप योग	56,928.18	91,831.36
	कुल	65,023.37	92,384.15
अनुसूची 15 :	एजेंसी प्रभार		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	3,858.95	3,873.06
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हमीदारी कमीशन	486.95	107.47
	(iii) विविध (राहत / बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार / टर्नओवर कमीशन)	12.29	20.98
	(iv) बाहरी आस्त-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	42.43	67.11
	कुल	4,400.62	4,068.62

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना” है।

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोट का निर्गमन एवं सिक्कों का संचलन
- बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना।
- सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंधकर्ता।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
- आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियां

निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

- ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर निर्धारित की जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, विप्रेषण समाशोधन खाता, बयाना राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन

वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विरुद्ध अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया गया।

डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत, के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) उस दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी

(आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड जो लागत पर मूल्यांकित हैं) दैनिक मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफएस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष जमा, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ़) में प्रभारित किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप संविदा

रिज़र्व बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी

बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

रिज़र्व बैंक, आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रीपो और रिवर्स रीपो) में भाग लेता है। रीपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रीपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरीवेटिव में लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और

ओवर्नाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरीवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाया (मार्कड टू मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि आय खाते में डाली जाती है।

एफ) प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में भाग लेता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक के निवेशों के रूप में रहती हैं और लगातार परिशोधित की जाती हैं, ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाई (मार्कड टू मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाजार दर में चिह्नित किए जाते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बांडों की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए तेल बॉण्ड आय खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

- बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यन लागत पर किया जाता है।
- सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है।
- डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेजुटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बॉण्ड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।
- ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो/रिवर्स रेपो सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल आस्तियां

अचल संपत्तियों को लागत पर रखे गए कला और पेंटिंग तथा फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यहास घटाकर पर बताया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

- ए) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना

मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

- बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दरों पर की जाती है।
- सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यहास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभावी की जाएंगी।
- डी) निम्नलिखित अचल संपत्तियों पर मूल्यहास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है :

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यहास की दर)
1	2
विद्युत प्रतिष्ठान, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, इत्यादि।	5 साल (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 साल (33.33 प्रतिशत)

- ई) मासिक यथानुपात आधार पर अचल आस्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

- एफ) बाद के खर्च पर मूल्यहास:

- i. एक मौजूदा अचल आस्ति पर किए गए बाद के व्यय को खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यहास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है;

- ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/अतिरिक्त/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है जिसमें व्यय किया जाता है।

2.7.2 भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) भूमि

- i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।
- ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।
- iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

बी) भवन

- i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यहास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- ii. भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा: ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यहास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रेप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रेप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी हितलाभ

- ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।
- बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.7 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.7.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.7.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है।

XII.7.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का

अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹32 करोड़ थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989, में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹206 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.7.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्विजिशन बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं। कुल जमाराशि में 21.89 प्रतिशत की कमी आई और यह 31 मार्च 2022 के ₹17,33,787.56 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹13,54,217.22 करोड़ हो गयी।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21, के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2022 के ₹5,000.04 करोड़ और ₹42.45 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹5000.93 करोड़ और ₹42.49 करोड़ थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 6.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 के ₹ 8,76,726.16 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹9,30,476.97 करोड़ हो गयी। इस शीर्ष में वृद्धि मुख्यतः उच्चतर सीआरआर 31 मार्च 2022 को एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2023 के अंत में एनडीटीएल के 4.5 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता के कारण हुई।

सी. जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित जमाराशियां वर्ष के दौरान रेपो अंतरण की मात्रा में वृद्धि के कारण 31 मार्च 2022 को ₹75,727.98 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को बढ़कर ₹1,02,207.19 करोड़ हो गई।

डी. जमाराशियां - अन्य

‘जमाराशियां - अन्य’ में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएनिधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, पीआईडीएफ, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां, एसडीएफ आदि शामिल होती हैं। ‘जमाराशियां-अन्य’ जो कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹7,76,290.93 करोड़ थी, इसमें 59.23 प्रतिशत की कमी हुई और यह 31 मार्च 2023 को ₹3,16,489.64 करोड़ हो गयी जिसका प्रमुख कारण रिज़र्व बैंक के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई कमी थी।

XII.7.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार जोखिम प्रावधान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए रखे जाने वाले जोखिम प्रावधान हैं आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ)। पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ये दो जोखिम प्रावधान रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) के¹ घटक हैं। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का ब्यौरा पहले पैराग्राफ में दिया गया है। उक्त दो जोखिम प्रावधान के विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. आकस्मिकता निधि (सीएफ)

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यहास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न

¹ भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ईसीएफ को अगस्त 2019 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपनाया गया था।

होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-विदेशी प्रतिभूतियों (आईआरए-एफएस) और निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियों (आईआरए-आरएस) की नामे डेबिट शेष राशि के लिए सीएफ को क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ रुपये और ₹19,417.61 करोड़ रुपये की राशि प्रभारित की गई थी। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, उपलब्ध प्राप्त इक्विटी को तुलन पत्र के आकार के 6.00 प्रतिशत के स्तर तक बनाए रखने हेतु सीएफ के लिए ₹20,710.12 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2022 के ₹3,10,986.94 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को सीएफ शेष राशि ₹3,51,205.69 करोड़ थी।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। वर्ष 2022-23 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं

किया गया। अतः 31 मार्च 2023 को एडीएफ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही जो 31 मार्च 2022 को थी (सारणी XII.2)।

XII.7.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात् मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता(एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक

सारणी XII.2: पूंजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में शेष राशि (उपलब्ध प्राप्त इक्विटी)

(₹ करोड़ में)

स्थिति	पूंजी	आरक्षित निधि	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	एआरई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआरई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
30 जून 2019	5.00	6,500.00	1,96,344.35	22,874.68	2,25,724.03	5.50
30 जून 2020	5.00	6,500.00	2,64,033.94 [@]	22,874.68	2,93,413.62	5.50
31 मार्च 2021	5.00	6,500.00	2,84,542.12 ^{\$}	22,874.68	3,13,921.80	5.50
31 मार्च 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94 [*]	22,974.68 ^{**}	3,40,466.62	5.50
31 मार्च 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69 [^]	22,974.68	3,80,685.37	6.00

@: सीएफ में वृद्धि 30 जून, 2020 तक एफसीवीए में ₹5,925.41 करोड़ रुपये के प्रावधान और ₹73,615 करोड़ रुपये के नामे शेष की वसूली का निवल प्रभाव है।

\$: सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2021 तक एफसीवीए में ₹20,710.12 करोड़ रुपये के प्रावधान और ₹6,127.35 करोड़ रुपये के नामे शेष की वसूली का निवल प्रभाव है।

*: सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2022 तक आईआरए-एफएस में ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और ₹94,249.54 करोड़ की नामे शेष राशि का प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

^: सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2023 तक ₹1,30,875.75 करोड़ रुपये के प्रावधान और आईआरए-एफएस एवं आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ रुपये और ₹19,417.61 करोड़ रुपये नामे शेष राशि के शुल्क का निवल प्रभाव है।

** : आरबीआईएच में ₹100 करोड़ के निवेश का प्रावधान करने के कारण एडीएफ में वृद्धि हुई है।

बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2022-23 के दौरान, सीजीआरए शेष 31 मार्च 2022 के ₹9,13,389.29 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹11,24,733.16 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि है।

बी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लगभग सभी प्रमुख बाजारों की परिपक्वता अवधि के प्रतिफल में वृद्धि के कारण आईआरए-एफएस में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹(-)94,249.54 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹(-)1,65,488.93 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में 1,65,488.93 करोड़ रुपये की नामे(डेबिट) शेष राशि को 31 मार्च 2023 को सीएफ के साथ समायोजित किया गया, जिसे अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2023 तक आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य रही।

सी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में रखी गई रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लिखित अपवाद के साथ) का शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और इससे उत्पन्न होने वाले अप्राप्त

लाभ/हानि को आईआरए-आरएस में लिखा जाता है। प्रतिफल वक्र पर प्रतिफल बढ़ने से बाजार मूल्य पर अंकित करना हानिकारक हो गया और जिसके कारण आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹18,577.81 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹(-)19,417.61 करोड़ रुपये हो गई।

डी. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए)

31 मार्च 2022 तक ₹2,576.90 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में 31 मार्च 2023 को बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य पर अंकित होने से ₹1,354.96 करोड़ का निवल अप्राप्त लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (आरएफसीए) के प्रतिपक्षी नामे(डेबिट) के साथ एफसीवीए में जमा किया गया।

XII.7.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च 2022 के ₹75,547.53 करोड़ से 79.07 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,35,282.86 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि है।

i. वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (पीएफसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

पिछले पांच वर्षों के लिए पुनर्मूल्यन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देय राशियों के लिए प्रावधान

यह वर्ष के अंत में किए गए ऐसे व्यय जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया है, और यदि कोई अग्रिम / देय में प्राप्त आय हो, उसके लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 के ₹3,281.08 करोड़ से 11.73 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 तक ₹3,665.97 करोड़ हो गई।

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस), निवेश पुनर्मूल्यन खाते-रूपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यांकन खाते के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए)

(₹ करोड़ में)

दिनांक तक	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
30 जून 2019	6,64,479.74	15,734.96	49,476.26	1,303.96	0.00
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31 मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00

iii. केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत, अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़, आस्तियों में मूल्यहास, कर्मचारी और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकों द्वारा प्रावधान किया जाता है, उसके लिए प्रावधान करने के बाद, बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाना होता है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिज़र्व बैंक अपनी किसी भी आय, मुनाफे या लाभ पर आयकर या अतिकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹87,416.22 करोड़ था (विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय में अंतर के लिए देय पिछले वर्ष के ₹493.92 करोड़ की तुलना में ₹424.07 करोड़ सहित)

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने घटकों के लिए मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के

अलावा) जारी करके प्रेषण सुविधाएं प्रदान करता है। इस मद के तहत शेष राशि अदावी डीडी / पीओ को दर्शाती है। इस मद में बकाया राशि 31 मार्च 2022 को ₹0.14 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹0.11 करोड़ हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट मद है जो उद्दिष्ट प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि जैसी मदों को दर्शाती है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹13,086.07 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹13,308.32 करोड़ हो गई।

XII.7.8 निर्गम विभाग की देयताएं- जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्राओं की मात्रा को दर्शाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में यह अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट और रिज़र्व बैंक के परिचालन शुरू होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा, निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे। 31 मार्च 2022 को जारी किए गए नोट ₹31,05,720.56 करोड़ से 7.81 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹33,48,244.67

करोड़² हो गए। वर्ष के दौरान, ई-थोक (e₹- डब्ल्यू) और ई-खुदरा (e₹-आर) के रूप में डिजिटल रूप से बैंक नोट जारी किए गए। 31 मार्च 2023 तक संचलन ई-डब्ल्यू और ई-आर का मूल्य क्रमशः ₹10.69 करोड़ और ₹5.70 करोड़ था।

इससे पहले, 30 जून 2018 तक भुगतान नहीं किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि 'अन्य देयताओं' में अंतरित कर दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकर्ताओं को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹4.60 करोड़ तक भुगतान किया और इस मद के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹30.20 करोड़ रहा।

XII.8 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 के रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों से संबंधित है जो रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित बैंकिंग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। 31 मार्च 2023 को शेष राशि ₹9.50 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2022 को यह ₹17.13 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण-बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 794.63 मीट्रिक टन रहा, जबकि 31 मार्च 2022 को यह 760.42 मीट्रिक टन था। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 34.21 मीट्रिक टन के अतिरिक्त परिवर्धन के कारण हुई।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 794.63 मीट्रिक टन में से 301.09 मीट्रिक टन स्वर्ण जारी नोटों के बदले में रखा गया है जबकि 31 मार्च 2022 को यह

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया	295.82	301.09
स्वर्ण (भारत में रखा हुआ) बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (विदेश में रखा हुआ)	464.60	493.54
कुल	760.42	794.63

295.82 मीट्रिक टन था और इसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 को 464.60 मीट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार शेष 493.54 मीट्रिक टन को बैंकिंग विभाग की आस्तियां माना जाता है (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹1,96,864.38 करोड़ से 17.20 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹2,30,733.95 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 28.94 मीट्रिक टन स्वर्ण के परिवर्धन और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण भी हुई।

iii) क्रय और भुनाए गए बिल

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों को खरीद और भुना सकता है, लेकिन 2022-23 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। नतीजतन, 31 मार्च 2023 तक रिज़र्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

² इसमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के नोट शामिल हैं।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां; (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास जमाराशियां; (iii) विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश; (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुखों मदों के तहत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' को बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' को निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र हैं, जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए के शेष हिस्से में 'निवेश-विदेशी-बीडी' शामिल है।

पिछले दो वर्षों के लिए एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और विशेष तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता 31 मार्च 2022 को ₹14,88,815.96 करोड़ से 5.53 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 को ₹14,06,422.89 करोड़ हो

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च तक	
	2022	2023
1	2	3
I निवेश-विदेशी-बीडी*	11,41,127.75	10,08,993.26
II निवेश-विदेशी-आईडी	29,79,863.29	32,07,201.78
कुल	41,20,991.04	42,16,195.04

*: इसमें बीआईएस और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर के शेयर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹11,286.57 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ₹12,096.82 करोड़ रुपये था।

टिप्पणी:

- रिज़र्व बैंक आईएमएफ की उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹ 98,235.15 करोड़ / 11.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च 2023 तक एनएबी के तहत 0.03 बिलियन एसडीआर (₹ 307.40 करोड़ / 0.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया गया है।
- रिज़र्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में राशि के निवेश के लिए सहमत हो गया है, जिसका कुल योग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 41,094.80 करोड़) से अधिक नहीं होगा। 31 मार्च 2023 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 9,558.65 करोड़) का निवेश किया है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 31 मार्च 2023 तक, एसडीआर 1.06 बिलियन (₹ 11,767.83 करोड़ / 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रिज़र्व बैंक के पास था।
- क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की पेशकश करने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2023 तक, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ स्वैप, क्रमशः 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 1,626.71 करोड़), 0.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 821.90 करोड़) और 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 3,287.56 करोड़) बकाया है।
- पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में प्रेषित की गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,04,432.73 करोड़ / 12.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹ 1,15,230.75 करोड़ / 14.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 31 मार्च 2023 को प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹75,898.27 करोड़ / 9.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

गई। मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन परिचालन कार्यों, पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के मोचन और प्रतिफल वक्र में प्रतिफल वृद्धि के कारण गिरावट आई, जिससे मूल्य कम हो गया।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2023 तक उक्त फंड के लिए ₹1,01,046 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों के मामले में इस प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार समिति/समूह की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम ₹48,677.00 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2022 को यह शून्य था। राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2022 को ₹1,666.56 करोड़ से 52.49 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 को ₹791.72 करोड़ हो गया।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम: इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा

(एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत रिपो के लिए बकाया राशि शामिल है। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में कम अधिशेष चलनिधि की वजह से एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त निधियों में वृद्धि के कारण बकाया राशि 31 मार्च 2022 के ₹94,365.75 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,12,731.34 करोड़ हो गई।

■ नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 के 23,010.10 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च 2023 को शून्य हो गई।

■ अन्य को ऋण और अग्रिम:

इस मद के तहत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऋण और अग्रिम और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता से संबंधित है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 तक के ₹14,506.94 करोड़ से 68.78 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹24,485.36 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण 31 मार्च 2023 को प्राथमिक व्यापारियों को प्रदान की गई चलनिधि सहायता में वृद्धि है।

सी) भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम

वर्ष के दौरान रिवर्स रिपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस मद के तहत शेष 31 मार्च

2022 के ₹75,243.50 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,02,128.11 करोड़ हो गया।

vii) सहायक कंपनियों/सहयोगियों में निवेश

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2023 को कुल धारित राशि ₹2,063.60 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 को भी थी।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमाराशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च 2022 के ₹46,900.04 करोड़ से 26.81 प्रतिशत बढ़ कर 31 मार्च 2023 को ₹59,474.84 करोड़ हो गई।

a. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को, एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप की कोई बकाया संविदा नहीं थी जो बाजार से अलग रिपो दर पर हो।

बी. वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

आरएफसीए में शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹1,354.96 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 को ₹2,576.90 करोड़ की तुलना में बकाया वायदा संविदा पर निवल बाजार मूल्य पर अंकित लाभ को दर्शाता है।

XII.8.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में सोने के सिक्के, सोने के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का, रुपया प्रतिभूतियां और देशी विनिमय बिल शामिल किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के पास 794.63 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 301.09 मीट्रिक टन 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में धारित सोने का मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹1,25,348.98 करोड़ से 12.30 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,40,765.60 करोड़ हो गया।

सारणी XII.6: सहायक कंपनियों/सहयोगियों में धारित राशि

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	31 मार्च 2023 तक धारित राशि
1	2	3	4
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी) रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	33.60	33.60	100
एफ) रिजर्व बैंक नवोन्मेष हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल	2,063.60	2,063.60	

वर्ष के दौरान सोने के मूल्य में यह वृद्धि 5.27 मीट्रिक टन सोने की वृद्धि और साथ ही, सोने की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण भी हुई है।

निर्गमित नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, निवेश-विदेशी आईडी 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹29,79,863.29 करोड़ थी, जो 7.63 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹32,07,201.78 करोड़ हो गई।

निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹508.29 करोड़ से 45.45 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹277.29 करोड़ रह गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.9 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) धारिताएं एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर धारिताएं रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा होती हैं तथा इन्हें निवेश-विदेशी-बीडी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के पास एसडीआर धारिताएं तथा आरटीपी जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती है, बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़ में)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	40,94,564.98 [^]	41,89,132.39 [#]	94,567.41	2.31
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	3,22,213.36 [@]	3,71,499.55 [*]	49,286.19	15.30
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,43,051.88	1,51,164.10	8,112.22	5.67
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	38,988.28	42,468.49	3,480.21	8.93
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	45,98,818.50	47,54,264.53	1,55,446.03	3.38

[^]: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,975 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹10,904.23 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,517.87 करोड़ भूटान को तथा श्रीलंका को ₹3,028.96 करोड़ का उधार।

[#]: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹11,767.83 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹9,558.65 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,626.71 करोड़ उधार, मालदीव को दिए गए ₹821.90 करोड़ उधार और श्रीलंका को ₹3287.56 करोड़ उधार।

[@]: इसमें से ₹1,25,348.98 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,96,864.38 करोड़ कीमत के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

^{*}: इसमें से ₹1,40,765.60 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,30,733.95 करोड़ कीमत के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस\$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	540.72*	509.69**	-31.03	-5.74
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	42.55	45.20	2.65	6.23
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.89	18.39	-0.50	-2.65
आईएमएफ में रिजर्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	5.14	5.17	0.03	0.58
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफसीए)	607.30	578.45	-28.85	-4.75

*: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिजर्व बैंक के पास की यूएस\$1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस\$1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस\$0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा श्रीलंका को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस\$0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

**: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिजर्व बैंक के पास की यूएस\$1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस\$1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को यूएस\$0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार, मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस\$0.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार, और श्रीलंका को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस\$0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 'ब्याज' एवं 'अन्य आय', जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुए लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिजर्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं, रिजर्व बैंक की आय के घटक हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.11 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2021-22 में ₹89,582.36 करोड़ से 69.82 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,52,128.54 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2021-22 में 2.11 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 3.73 प्रतिशत पर थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.12 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2021-22 में ₹70,529.77 करोड़ से 18.15 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹83,328.72 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	41,20,991.04	42,16,195.04	95,204.00	2.31
औसत एफसीए	42,42,514.17	40,81,053.94	-1,61,460.23	-3.81
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/ हानि)	89,582.36	1,52,128.54	62,546.18	69.82
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.11	3.73	1.62	76.78

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	70,529.77	83,328.72	12,798.95	18.15
I. रुपये प्रतिभूतियों और बढ़ा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	96,396.42	96,516.05	119.63	0.12
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	6,028.19	-222.86	-6,251.05	-103.70
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-20.07	-110.67	-90.60	451.42
iv) रुपये प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	-1,717.97	-2,264.19	-546.22	31.79
v) बट्टा	403.76	0.00	-403.76	-100.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	1,01,090.33	93,918.33	-7,172.00	-7.09
II. एलएएफ/ एमएसएफ/एसडीएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-35,501.29	-9,068.41	26,432.88	74.46
ii) एसडीएफ पर निवल ब्याज	0.00	-7,444.71	-7,444.71	-100.00
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	37.63	361.02	323.39	859.39
उप जोड़ (i+ii+iii)	-35,463.66	-16,152.10	19,311.56	-54.45
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	296.34	556.49	260.15	87.79
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,149.57	1,791.55	641.98	55.85
iii) कर्मचारी	55.91	63.94	8.03	14.36
उप जोड़ (i+ii+iii)	1,501.82	2,411.98	910.16	60.60
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	3,058.09	3,469.14	411.05	13.44
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	343.19	-318.64	-661.83	-192.85
उप जोड़ (i+ii+iii)	3,401.28	3,150.50	-250.78	-7.37

XII.13 रुपया की प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की होल्डिंग पर ब्याज 2021-22 में ₹96,396.42 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर 2022-23 में ₹96,516.05 करोड़ हो गया।

XII.14 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) परिचालन से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि अवशोषण के कारण 2021-22 में ₹(-)35,463.66 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹(-)16,152.10 करोड़ हो गई।

XII.15 रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ 2021-22 के ₹6,028.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹(-)222.86 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष में

प्रतिफल वक्र में प्रतिफल में वृद्धि है, जिसके कारण प्रतिभूतियों की बिक्री/रूपांतरण पर कम प्राप्ति हुई। 2022-23 में, बिक्री परिचालन ₹35,030 करोड़ (अंकित मूल्य) था और भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार द्वारा धारित प्रतिभूतियों का कनवर्जन ₹22,610 करोड़ था।

XII.16 रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन: रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्डों पर प्रीमियम/डिस्काउंट अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधन की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से निवल आय 2021-22 में ₹(-)1,717.97 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹(-)2,264.19 करोड़ हो गई।

XII.17 घरेलू-बट्टा : बट्टागत लिखतों (टी-बिल) की धारिता से होने वाली आय 2021-22 में ₹403.76 करोड़ से घटकर 2022-23 में शून्य हो गई।

XII.18 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार :

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2021-22 में ₹296.34 करोड़ से 87.79 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹556.49 करोड़ रह गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए/ओडी के कारण केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय 2021-22 में शून्य से बढ़कर 2022-23 में ₹32.52 करोड़ हो गई। डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के कारण राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय 2021-22 में ₹296.34 करोड़ से 76.81 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹523.97 करोड़ हो गई। ब्याज आय में वृद्धि i) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से निधियों का अधिक लाभ उठाने और ii) रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि के कारण लागू ब्याज दर में वृद्धि के कारण हुई थी।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं : विशेष तरलता सुविधा के तहत वित्तीय संस्थानों द्वारा धन के अधिक लाभ और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2021-22 में ₹1,149.57 करोड़ से 55.85 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,791.55 करोड़ हो गया।

सी. कर्मचारी :

कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2021-22 में ₹55.91 करोड़ रुपये से 14.36 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹63.94 करोड़ हो गया।

XII.19 कमीशन : कमीशन आय 2021-22 में ₹3,058.09 करोड़ से 13.44 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹3,469.14 करोड़ रह गई, यह मुख्य रूप से ए) बचत बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिलों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की चुकौती के प्रबंधन के लिए प्राप्त कमीशन में वृद्धि और बी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य से वसूली गई फ्लोटेशन चार्ज में वृद्धि से हुई।

XII.20 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय : आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2021-22 में ₹343.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹(-)318.64 करोड़ रह गया।

व्यय

XII.21 रिजर्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करने के क्रम में एजेंसी प्रभागों/कमीशन, नोटों की छपाई, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबंधित और अन्य व्ययों के माध्यम से व्यय करता है। रिजर्व बैंक का कुल व्यय 2021-22 के ₹1,29,800.68 करोड़ से 14.05 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,48,037.04 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज	1.16	1.34	1.10	1.77	1.92
ii. कर्मचारी लागत	6,851.07	8,928.06	4,788.03	3,869.43	6,003.93
iii. एजेंसी प्रभाग/ कमीशन	3,910.21	3,876.08	3,280.06	4,400.62	4,068.62
iv. नोटों का मुद्रण	4,810.67	4,377.84	4,012.09	4,984.80	4,682.80
v. प्रावधान	63.60	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01	1,30,875.75
vi. अन्य	1,407.44	1,742.61	1,355.35	1,877.05	2,404.02
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	17,044.15	92,540.93	34,146.75	1,29,800.68	1,48,037.04

i) **ब्याज**

वर्ष 2022-23 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.92 करोड़ की राशि का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी परोपकारी निधि को किया गया, जबकि 2021-22 में यह राशि ₹1.77 करोड़ थी।

ii) **कर्मचारी लागत**

कुल कर्मचारी लागत 2021-22 के ₹3,869.43 करोड़ से 55.16 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹6,003.93 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी 2022-23 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में बढ़ोतरी की वजह से थी।

iii) **एजेंसी प्रभार/कमीशन**

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2021-22 के ₹3,858.95 करोड़ से मामूली रूप से 0.37 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹3,873.06 करोड़ हो गया।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किए गए हामीदारी कमीशन के कारण व्यय 2021-22 के ₹486.95 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹107.47 करोड़ हो गया। महामारी के बाद की वापसी और पीडी द्वारा

हस्तांतरण की कम उम्मीद ने चालू वर्ष में हामीदारी कमीशन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2021-22 में ₹12.29 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹20.98 करोड़ हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

इस मद में व्यय 2021-22 में ₹42.43 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹67.11 करोड़ हो गया।

iv) **नोट मुद्रण**

वर्ष 2022-23 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,26,002 लाख थी जो कि वर्ष 2021-22 (2,22,505 लाख नोट) की तुलना में 1.57 प्रतिशत अधिक है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2021-22 में ₹4,984.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹4,682.80 करोड़ रह गया।

v) **प्रावधान**

ईसीएफ के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) तुलन पत्र के 5.50 से 6.50 प्रतिशत तक की सीमा में बनाए रखा जाना है। केंद्रीय बोर्ड ने सीआरबी को वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट के आकार के 6.00 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्ष के दौरान इसे सीएफ में अंतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi) अन्य

अन्य व्यय में मुद्रा के प्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, ऑडिट शुल्क और संबंधित खर्च, विविध व्ययआदि शामिल हैं, जो 2021-22 में ₹1,877.05 करोड़ से 28.07 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹2,404.02 करोड़ रह गया।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 रिजर्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,00,574 करोड़ रुपए थीं। अंतरराष्ट्रीय निपटानों (बीआईएस) के लिए बैंक के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिजर्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2023 को ₹986.92 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक

मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जाती हैं।

पूर्व अवधि के लेन-देन

XII.23 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.60 करोड़ और ₹28.38 करोड़ थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.24 निम्नलिखित तालिका सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल धन या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22		2022-23	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5
i. मूल राशि और उस पर देय ब्याज 31 मार्च, 2023 तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक है;	-	-	-	-
ii. लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	0.04	0.001	-	-
iii. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-	-	-
iv. लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अदत्त शेष;	-	-	-	-
v. आगे देय और देय ब्याज की राशि, जो आने वाले वर्षों में भी देय और भुगतेय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज देय राशि का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है, ।	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
ला.न.: लागू नहीं				

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखापरीक्षक

XII.26 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में

केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स चंदाभाय एंड जसूभाय, मुंबई और मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एस. घोष एंड कंपनी कोलकाता, मेसर्स एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी चेन्नई और मेसर्स जे. सी. भल्ला एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023¹

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
8 अप्रैल 2022	<ul style="list-style-type: none"> मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजित बने रहने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को स्थिर रिवर्स रिपो दर (एफआरआरआर) से 40 आधार अंक (बीपीएस) ऊपर शुरू किया गया, जिसने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में एफआरआरआर का स्थान लिया। एसडीएफ दर को रिपो दर से 25 आधार अंक (बीपीएस) नीचे रखा गया, अर्थात् 3.75 प्रतिशत पर।
4 मई 2022	<ul style="list-style-type: none"> एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 4.65 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजित बने रहने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया।
8 जून 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 5.15 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
5 अगस्त 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 5.65 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
30 सितंबर 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 5.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.15 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
7 दिसंबर 2022	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.5 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
8 फरवरी 2023	एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। नतीजतन, एसडीएफ दर को 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.75 प्रतिशत में समायोजित किया गया। एमपीसी ने उदारता बरतने को वापस लेने पर सतत रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

¹ यह सूची सांकेतिक स्वरूप की है और इसका विवरण रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
28 अप्रैल 2022	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को किसानों के लिए 7 प्रतिशत की उधार दर और 2 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन दर के साथ विस्तारित किया गया था। इस योजना का विस्तार लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी (पीएसी) तक किया गया है, जिसे उनके स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (केवल उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) तक बढ़ाया गया है।
13 मई 2022	निर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच आपसी तालमेल को जारी रखने के लिए चालू आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के रूप में निम्नांकित को अनुमति देने का निर्णय लिया गया था: (ए) 'कृषि' और 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' को आगे उधार देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिये गए उधार, और (बी) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा ऐसी एनबीएफसी-लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और अन्य एमएफआई को उधार देने की अनुमति है जिनके पास व्यक्तियों को आगे उधार देने के उद्देश्य से पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को ₹500 करोड़ रुपये तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' (जीएलपी) है।
18 मई 2022	अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने/एक्वाकल्चर से संबंधित लाइसेंस/प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। केसीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए मछुआरों की पात्रता को व्यापक आधार देने के प्रयोजन से केसीसी योजना के तहत अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि के लिए पात्रता मानदंड को प्रत्येक राज्य में ऐसी गतिविधियों के लिए लागू आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणीकरण के साथ मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस रखने की आवश्यकता को संशोधित कर दिया गया है।
19 मई 2022	30 जून 2020 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वर्गीकरण के लिए मौजूदा उद्यमी ज्ञापन (ईएम) और उद्योग आधार ज्ञापन (यूएम) की वैधता के साथ-साथ दिनांक 08 मार्च 2017 और 13 जुलाई 2017 के परिपत्रों के संदर्भ में प्राप्त किए गए दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई है।
20 जुलाई 2022	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 नवंबर 2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को किसानों के लिए 7 प्रतिशत की उधार दर और 1.5 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन की दर के साथ विस्तारित किया गया।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
19 अप्रैल 2022	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) के तहत निवेश सीमा तथा एफपीआई द्वारा बेची जा सकने वाली ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की अनुमानित राशि की सीमा अधिसूचित की गई।
1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण अंतर - वैरिएशन मार्जिन) निदेश, 2022 जारी किए गए, जिसमें कवर की गई संस्थाओं को केंद्रीय अनापत्ति नहीं दिये गए डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए, विचरण अंतर का विनियम करना अनिवार्य किया गया।
7 जुलाई 2022	<ul style="list-style-type: none"> 7-वर्षीय और 14-वर्षीय की अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के सभी नए निर्गमों (वर्तमान निर्गमों सहित) को पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया गया। एमटीएफ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा निवेश को 31 अक्टूबर 2022 तक अल्पकालिक निवेश सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकताओं से छूट दी गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन अंतिम उपयोग के उद्देश्यों के व्यापक सेट के लिए संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग करने की अनुमति दी गई। इस तरह की उधारी जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।
8 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत एकल प्राथमिक डीलरों को, अनिवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं के साथ विदेशी मुद्रा निपटान -ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) लेनदेन करने की अनुमति दी गई।
7 सितंबर 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत उन संस्थाओं की "चेतावनी सूची", जो विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं, की सूची जारी की गई। इसमें उन संस्थाओं/ प्लेटफार्मों/ वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनाधिकृत संस्थाओं/ ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जिनमें ऐसी अनाधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/ सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। "चेतावनी सूची" को 10 फरवरी 2023 को अद्यतन किया गया।
1 दिसंबर 2022	वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित मुंबई अंतर-बैंक एकमुश्त वायदा दर (एमएमआईएफओआर) को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
12 दिसंबर 2022	निवासी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त सूचकांकों पर अपने सोने की कीमत जोखिम का बचाव (हेजिंग) करने की अनुमति दी गई।
23 जनवरी 2023	वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी हरित बॉण्ड को एफएआर के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
8 अप्रैल 2022	<ul style="list-style-type: none"> फरवरी 2020 में स्थापित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को पूरी तरह से बहाल करने का निर्णय लिया गया, हालांकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ परिशोधन किए गए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में पेश किया गया। एकदिवसीय एसडीएफ दर को नीतिगत दर से 25 आधार अंक नीचे रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 आधार अंकों के महामारी-पूर्व विन्यास में बहाल किया गया, जो नीतिगत रिपो दर के आसपास सममित रूप से था, जो कॉरिडोर के केंद्र में था।
18 अप्रैल 2022	विनियमित बाजार खुलने का समय सुबह 9:00 बजे के महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल करना।
30 सितंबर 2022	28 दिन की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी को पाक्षिक 14 दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ मिला दिया गया।
7 दिसंबर 2022	मांग/ नोटिस/ मीयादी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, कॉरपोरेट बॉण्ड में रिपो और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए बाजार का समय दोपहर 3.30 बजे से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया गया।
8 फरवरी 2023	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों² और खजाना बिल) के लिए बाजार का समय दोपहर 3.30 बजे से बढ़ाकर शाम 5:00 बजे कर दिया गया। प्रभावी मूल्य निर्धारण करने में सहायता करने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के उधार देने और लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।

² Refer to footnote 31 of Chapter II of this Report.

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
विदेशी मुद्रा विभाग	
19 मई 2022	श्रीलंका से निर्यात आय प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और श्रीलंका सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक के 17 मार्च 2022 के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित 19 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से श्रीलंका द्वारा भारत से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के वित्तपोषण के लिए, श्रीलंका को भारत सरकार की स्वीकृति के लिए 1,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सावधि ऋण की गारंटी को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि उक्त व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले श्रीलंका के साथ इस तरह के व्यापार लेनदेन को एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में निपटाया जा सकता है।
25 मई 2022	अर्हता प्राप्त जौहरियों [जैसा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित] को, नामित एजेंसियों [विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित] और नामित बैंक (स्वर्ण के आयात के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित) के अलावा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) ³ कोड के तहत स्वर्ण के आयात की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को 25 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से पात्र ज्वैलर्स (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गई।
9 जून 2022	डेटा प्रस्तुत करने की सटीकता, गति और गुणवत्ता में सुधार करते हुए, विनियमित संस्थाओं के लिए विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए, मौजूदा 65 विनियामकीय कागज़-आधारित विवरणियों के ऑनलाइन विवरणियों में बंद/विलय या रूपांतरण से संबंधित, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 18 फरवरी 2022 को यह अधिसूचित किया गया था कि 21 भौतिक विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण में बदला जाएगा, जबकि एक विवरणी - अनिवासी संस्थाओं से ली गई और मंगाई गई गारंटी पर त्रैमासिक विवरणी - बंद/विलय की जाएगी। इसके बाद, एडी बैंकों को दिनांक 9 जून 2022 के परिपत्र के माध्यम से जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त विवरणी को बंद करने हेतु सूचित किया गया।
8 जुलाई 2022	अधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया कि अगली सूचना तक श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में निपटाए जाएंगे।
11 जुलाई 2022	भारत से निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार की सुविधा के लिए और आईएनआर में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने हेतु आईएनआर में निर्यात/आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत, किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन का निपटारा अधिकृत व्यापारी बैंकों के साथ बनाए गए भागीदार व्यापारिक देश के प्रतिनिधि बैंक / बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय रुपये में किया जा सकता है।
1 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के स्रोतों में और विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की सीमा - 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निवेश-ग्रेड रेटिंग के उधारकर्ताओं के लिए 100 बीपीएस की समग्र लागत सीमा - में अस्थायी वृद्धि की घोषणा की। ये अस्थायी उपाय 31 दिसंबर 2022 तक उठाए गए ईसीबी के लिए उपलब्ध थे। तदनुसार, फेमा 3आर [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2018] में आवश्यक संशोधन करने के बाद, सभी श्रेणी-I अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को 1 अगस्त 2022 को इसी संबंध में सूचित किया गया।

³ हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी-एचएस) पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 अगस्त 2022	उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का स्थानांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम, 2015 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। दिनांक 22 अगस्त 2022 को जारी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन [विदेशी निवेश (ओआई)] निदेश, 2022, किए गए मास्टर निदेश संख्या 15/2015- 16, दिनांक 1 जनवरी 2016, यथासंशोधित, का अधिक्रमण करता है।
15 सितंबर 2022	दिनांक 15 सितंबर 2022 के परिपत्र द्वारा, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - सीमा-पार से आने वाले बिल भुगतानों को संसाधित करने के लिए मानकीकृत बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था कि रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण की अनुमति देने के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, बीबीपीएस के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अनुपालित बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में उनके परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।
30 सितंबर 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देरी से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा, विदेशी निवेश (एफआई), ईसीबी और सीमा पार निवेश (ओआई) से संबंधित लेनदेन के लिए पेश की गई थी जो क्रमशः 7 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 से प्रभावी हुई। तदनुसार, समस्त कार्यों में एलएसएफ लगाने में एकरूपता लाने के लिए, एलएसएफ की गणना के लिए ओआई से संबंधित लेनदेन हेतु एक समान मैट्रिक्स, जहां भी फेमा के तहत लागू हो, 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया।
विनियमन विभाग	
7 अप्रैल 2022	डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए। दिशानिर्देश डिजिटल बैंकिंग, डीबीयू, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और डिजिटल बैंकिंग उप क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, और डीबीयू द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों और उनके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं को शामिल करते हैं। डीबीयू ग्राहकों को डिजिटल मोड/चैनल अपनाने और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी सुविधा प्रदान करेंगे।
8 अप्रैल 2022	<ul style="list-style-type: none"> एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, अक्तूबर 2020 में, व्यक्तिगत आवास ऋणों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को केवल मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात से जोड़ा गया, चाहे राशि कुछ भी हो। समीक्षा के बाद, उपरोक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत सभी नए व्यक्तिगत आवास ऋणों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों को पहले सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 19.5 प्रतिशत से एनडीटीएल (1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में) की 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखा जा सकता था। 8 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए इस सीमा को एनडीटीएल के 23 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से जून 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू करते हुए 19.5 प्रतिशत पर वापस लाया जाना था। इसके बाद, 8 दिसंबर 2022 को, 31 मार्च 2024 तक अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए उक्त व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, जबकि एचटीएम सीमा को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू करते हुए 31 मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक वापस लाया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> 2018 में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की संशोधित धारा 17 ने रिज़र्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) – बिना किसी संपार्श्विक के चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन शुरू करने का अधिकार दिया। एसडीएफ एलएएफ कॉरिडोर के आधार के रूप में नियत दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) की जगह लेगा। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि एसडीएफ के तहत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा राशि एक अर्हता प्राप्त पात्र एसएलआर आस्ति होगी। तदनुसार, मौजूदा अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, यह निर्दिष्ट किया गया था कि एसडीएफ के तहत जमा राशि एसएलआर बनाए रखने के उद्देश्य से "नकदी" का हिस्सा होगी। तथापि, एसडीएफ के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के लिए पात्र नहीं होगी।
18 अप्रैल 2022	<p>बैंकों को अपने एनडीटीएल के 16 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएलएलसीआर)⁵ के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए)⁴ के रूप में गणना करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एलसीआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगणित अनिवार्य एसएलआर के कुल एचक्यूएलए में एनडीटीएल का 18 प्रतिशत (2 प्रतिशत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और 16 प्रतिशत एफएलसीआर) होगा।</p>
19 अप्रैल 2022	<ul style="list-style-type: none"> बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन पर ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीसी) के लिए लागू निर्देशों की समीक्षा की गई। संशोधित दिशानिर्देशों में पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए शर्तों के साथ-साथ शेयर पूंजी की निकासी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन्हें अधिमान शेयर जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। एनबीएफसी के लिए आकार आधारित विनियामक ढांचे के संदर्भ में, अपर लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) को अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की पूंजी को बनाए रखना अपेक्षित है। ढांचे के प्रावधानों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी एनबीएफसी-यूएल (मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर) पर लागू सीईटी -1 पूंजी के घटकों के साथ-साथ विनियामकीय समायोजन पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में एनबीएफसी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क पर विस्तृत दिशानिर्देश और विभिन्न लेयरों की एनबीएफसी के लिए उधार देने पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध जारी किए गए। उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए, बैंकों द्वारा नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) और चालू/संग्रह खातों को खोलने के तरीके पर निर्देश अगस्त 2020 में जारी किए गए थे, और अक्तूबर 2021 में संशोधित किए गए थे। अनुदेशों पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, सभी मौजूदा अनुदेशों को समेकित करते हुए इस विषय पर एक स्व-निहित परिपत्र जारी किया गया था। आकार आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचे के अनुसार एनबीएफसी के लिए कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी की गई थीं। एनबीएफसी में शासन में सुधार करने और ऋण देने के निर्णयों में हितों के टकराव से बचने के लिए, एनबीएफसी पर उनके निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों और संबद्ध संस्थाओं को ऋण के संबंध में प्रतिबंध लगाए गए थे। स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र को ऋण के संबंध में, यह अनिवार्य किया गया है कि एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है।

⁴ एचक्यूएलए: उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां।

⁵ एफएलएलसीआर: चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
21 अप्रैल 2022	<ul style="list-style-type: none"> हितों के टकराव और समानांतर/छाया प्राधिकरण को रोकने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निदेश दिया गया था कि वे कोई मानद पद/उपाधियां सृजित न करें या प्रकृति में गैर-सांविधिक कोई उपाधि प्रदान न करें, जैसे कि मानद अध्यक्ष, समूह अध्यक्ष आदि। यूसीबी को इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए एक वर्ष का समय प्रदान किया गया। नवंबर 2017 में, ₹50 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाली सभी संस्थाओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) अनिवार्य किया गया था। समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), एसएफबी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल निधि और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर वाले सभी गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए एलईआई की आवश्यकता का विस्तार किया जाए। बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में अंकित सह-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड संचालन पर मास्टर परिपत्र (जुलाई 2015) में निहित अनुदेशों को मास्टर निदेश (एमडी) - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश में अपडेट और जारी किया गया। क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करना, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करना, बिलिंग मुद्दे, क्रेडिट लेनदेन का समायोजन, नए फॉर्म कारक, सह-ब्रांडेड व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, अपविक्रय आदि जैसे पहलुओं को मजबूत किया गया। इसके बाद, 21 जून 2022 को कुछ प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई।
29 अप्रैल 2022	एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे को तय करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना आवश्यक है, जो मुआवजा नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि नियत और परिवर्तनीय वेतन वाले मुआवजा पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में एक स्थगन व्यवस्था हो सकती है और आस्थगित वेतन को मैलस/क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है।
2 मई 2022	मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जमा लेने वाली एनबीएफसी/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि उसने अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) में से किसी एक से सावधि जमा के लिए न्यूनतम निवेश श्रेणी क्रेडिट रेटिंग (एमआईजीआर) प्राप्त नहीं की हो। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एनबीएफसी/एचएफसी की जमाराशियों के लिए एमआईजीआर सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 'बीबीबी-' से नीचे नहीं होगा।
19 मई 2022	तुलन पत्र पर रिवर्स रेपो की प्रस्तुति पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मई 2022	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए दिए गए ऋणों की अधिकतम सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमाओं के अनुरूप बनाया गया।
31 मई 2022	निर्यातकों को ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्यात से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) की वैधता को संशोधित दायरे और कवरेज के साथ 8 मार्च 2022 के परिपत्र के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, यह स्पष्ट किया गया कि विस्तारित योजना उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) लाभों को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए भी उपलब्ध होगी, बशर्ते ऐसे निर्यातकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाए।
6 जून 2022	एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे के अनुरूप, एनबीएफसी-यूएल (एचएफसी सहित) के लिए विभेदक मानक आस्ति प्रावधान निर्धारित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 जून 2022	रिजर्व बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) पर समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए जीआईएफटी-आईएफएससी ⁶ में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए विनियामकीय ढांचा निर्धारित किया। ये अनुदेश घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों सहित) को जारी किए गए थे, जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं और जिनकी जीआईएफटी-आईएफएससी में एक शाखा है।
8 जून 2022	टियर-1 और टियर-2 यूसीबी द्वारा दिए जा सकने वाले आवास ऋण की राशि की सीमा को ₹30 लाख और ₹70 लाख से बढ़ाकर क्रमशः ₹60 लाख और ₹140 लाख कर दिया गया। इसके बाद, यूसीबी के लिए चार-स्तरीय संरचना के कार्यान्वयन पर, 30 दिसंबर 2022 के परिपत्र के माध्यम से टियर -1 से टियर -2-4 में सभी यूसीबी के लिए क्रमशः ₹60 और ₹140 लाख की सीमा लागू की गई। ₹100 करोड़ से कम और ₹100 करोड़ या उससे अधिक की निवल मालियत वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीसीबी) अर्थात् राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) द्वारा स्वीकृत आवास ऋण की राशि की सीमा को ₹20 लाख और ₹50 लाख से बढ़ाकर क्रमशः ₹30 लाख और ₹75 लाख कर दिया गया। आरसीसी को आवास क्षेत्र के लिए कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास (सीआई-आरएच) को वित्त का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार (सहकारी समितियों (एएसीएस)) यूसीबी को स्वैच्छिक आधार पर ग्राहकों को एससीबी के समान डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) यूसीबी स्वचालित मार्ग के तहत सेवा प्रदान कर सकते हैं, जबकि गैर-एफएसडब्ल्यूएम यूसीबी को रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचना दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडलों द्वारा अपने प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान छमाही आधार पर और बाद में वार्षिक आधार पर इस योजना की समीक्षा करें।
10 जून 2022	पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के अनुसार, पूर्ववर्ती पीएमसी बैंक के साथ संस्थागत जमाकर्ताओं की गैर-बीमित जमा का 80 प्रतिशत स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) में परिवर्तित हो जाएगा और शेष 20 प्रतिशत इक्विटी वारंट में परिवर्तित हो जाएगा। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यूसीबी पीएनसीपीएस में अपने निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान करेंगे, और इक्विटी वारंट में निवेश के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामी प्रावधानों को दो वित्तीय वर्षों में समान रूप से विस्तारित किया जा सकता है ताकि 31 मार्च 2024 तक पूरे नुकसान का पूरा प्रावधान किया जा सके। इसके अलावा, पीएनसीपीएस और इक्विटी वारंट में निवेश को गैर-एसएलआर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी जाएगी।
14 जून 2022	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों' पर जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में, सावधि ऋण केवल कॉरपोरेट निकायों के लिए स्वीकृत किए जाने चाहिए; परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंकीयता पर समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना से राजस्व प्रवाह ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त है और यह कि ऋण का पुनर्भुगतान/अदायगी बजटीय संसाधनों से नहीं है। देखे गए उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए मौजूदा अनुदेशों को दोहराया गया है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे तीन महीने के भीतर अनुदेशों के अनुपालन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट अपने बोर्ड को प्रस्तुत करके समीक्षा करें।

⁶ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 जून 2022	<ul style="list-style-type: none"> जब एससीबी द्वारा हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के बदले में प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश हस्तांतरित ऋणों से जुड़े सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, तो ऐसे एसआर के लिए रखे जाने वाले प्रावधान आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा घोषित निवल आर्स्टि मूल्य (एनएवी) और (ख) यह मानते हुए कि ऋण बैंक के बही-खातों में बने रहे, अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान दर से अधिक होंगे। ये निर्देश पहली बार एससीबी के अलावा अन्य उधारदाताओं पर 24 सितंबर 2021 को 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मास्टर निदेश (एमडी-टीएलई)' जारी करने के साथ लागू किए गए थे, जिसके कारण मास्टर निदेश की तारीख तक उनके द्वारा रखे गए बकाया एसआर पर कुछ उधारदाताओं के लिए बड़े प्रावधान की आवश्यकता थी। उक्त का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एससीबी के अलावा अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया गया था कि बकाया एसआर के मूल्यांकन के लिए उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधान, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में अर्थात् 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किए जा सकते हैं। यह भी सूचना दी गई है कि उपर्युक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सृजित प्रावधान इस संबंध में अपेक्षित प्रावधान के पांचवें भाग से कम नहीं होंगे।
6 जुलाई 2022	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को सूचित किया गया था कि 30 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग परखवाड़े से बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] जमाओं के साथ-साथ अनिवासी बाह्य (एनआरई) और ईआरएम जमाओं को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी जाएगी। ये छूट 4 नवंबर 2022 तक जुटाई गई जमाओं के लिए वैध थी। एफसीएनआर (बी) जमाओं पर लागू ब्याज दर की सीमा को बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एनआरई जमाधारियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध को भी अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। उपरोक्त रियायतें 7 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी थीं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत शामिल किया गया।
26 जुलाई 2022	यूसीबी को सूचित किया गया कि बैंक की ऋण नीति की वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक बार बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि यह (नीति) मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर जनवरी 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए थे। सर्वेक्षण में भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 16 निजी क्षेत्र के बैंकों और 6 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी एससीबी द्वारा किए गए दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था। इसके अलावा, सर्वेक्षण के साथ, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करने हेतु जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।
4 अगस्त 2022	'मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा के नवीकरण/मोचन के लिए दिशानिर्देश (एमएलटीजीडी)' नामक एक नया उप-पैरा मास्टर निदेश-स्वर्ण मुद्राकरण योजना (एमडी-जीएमएस), 2015 में जोड़ा गया, जो जमा के नवीकरण और आंशिक मोचन के निर्देशों के साथ सोने या आईएनआर में परिपक्वता पर मोचन की विधि को विनिर्दिष्ट करता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 अगस्त 2022	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को, अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा व्यापार आवश्यकता को पूरा करने हेतु और अधिक छूट देने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया कि सभी अनुसूचित एसएफबी, अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी- II के रूप में परिचालन के कम से कम दो साल पूरे होने के बाद, एडी श्रेणी-I लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसमें निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन किया गया हो।
10 अगस्त 2022	डिजिटल उधार देने से संबंधित कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) ⁷ की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक के विनियामक रुख को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई। प्रेस प्रकाशनी में सिफारिशों को तीन भागों में बांटा गया है - i) तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, ii) आस्थगित कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, और iii) भारत सरकार के विचारार्थ सिफारिशें।
11 अगस्त 2022	<ul style="list-style-type: none"> विनियमित संस्थाओं (आरई) को पात्र वित्तीय संविदाओं [ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्यूटपन्नी और रिपो संविदाओं] के लिए द्विपक्षीय नेटिंग ढांचे के तहत निवल आधार पर अपने प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की गणना करने की अनुमति दी गई है। नतीजतन, प्राप्त संदर्भों के आधार पर, यह स्पष्ट किया गया कि (i) विदेशी मुद्रा (स्वर्ण को छोड़कर) संविदा जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, के लिए छूट, अब से केवल आरआरबी, एलएबी और सहकारी बैंकों पर लागू होगी, जहां बैंक ने द्विपक्षीय नेटिंग ढांचे को नहीं अपनाया है; (ii) बेचे गए ऑप्शन को छूट दी जा सकती है बशर्ते कि वे नेटिंग सेट से बाहर हों; और (iii) किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) विक्रेता का उसके खरीदार के प्रति जोखिम भुगतान न किए गए प्रीमियम की राशि पर सीमित किया जा सकता है, बशर्ते कि सीडीएस कानूनी नेटिंग सेट से बाहर हो। 29 सितंबर 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के अनुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को कारोबार के नए स्थान खोलने/ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही दी गई थी। तदनुसार, कारोबार का नया स्थान/ एटीएम स्थापित करने के लिए जिला सीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया के विवरण के साथ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
12 अगस्त 2022	वसूली एजेंटों (आरए) द्वारा अपनाई जाने वाली अस्वीकार्य प्रथाओं की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, बकाया ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को फोन पर कॉल करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके और घंटों को सीमित करके आरई को कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए थे।
22 अगस्त 2022	शाखा प्राधिकरण दिशानिर्देशों (मई 2017 में जारी) के तहत, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)' प्रभावित जिलों के टियर 3 से 6 केंद्रों में उन्हें 'बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों' के बराबर लाकर बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए बैंकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसा कि, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची संशोधित की थी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए, बैंकों को उनके विचारार्थ संशोधित सूची की सूचना देते हुए एक परिपत्र जारी किया गया।
2 सितंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> अगस्त 2022 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार डिजिटल लेंडिंग पर कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक के विनियामकीय रुख को निर्दिष्ट करते हुए, एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें तत्काल कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूजीडीएल की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल किया गया। विभिन्न उधार गतिविधियों के लिए आउटसोर्स एजेंटों (ऋण सेवा प्रदाताओं) का अनियंत्रित नियोजन, कपटपूर्ण बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, ग्राहक शिकायत निवारण, अनुचित कारोबार आचरण, और अनैतिक वसूली प्रथाओं से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से ग्राहक-केंद्रित पहलुओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

⁷ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण देने पर कार्य दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री जे.के. दाश, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) को 18 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 सितंबर 2022	पूंजी पर्याप्तता पर मौजूदा विनियमों के संदर्भ में, विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत गारंटीकृत बैंक ऋणों पर गारंटी कवर की सीमा तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगता है। यह देखा गया कि उपर्युक्त ट्रस्ट फंड द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं में कुछ विशेषताएं हैं जो प्रभावी गारंटी कवरेज को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित करती हैं और रियायती पूंजी उपचार की अनुमति देने के लिए आवश्यक विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के विपरीत हैं। एक सुसंगत दृष्टिकोण रखने के लिए, प्रासंगिक ट्रस्ट फंड द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिम के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू करने के व्यापक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया। इसके अलावा, अब तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार छूट केवल एससीबी तक ही सीमित थी। एक सामंजस्यपूर्ण विनियामक दृष्टिकोण रखने के लिए, उपर्युक्त छूट को एनबीएफसी और यूसीबी सहित अन्य सदस्य उधार देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) तक भी बढ़ाया गया, इन संस्थाओं को संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता दी गई थी।
16 सितंबर 2022	एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की गणना के लिए संदर्भ दरें फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 जनवरी 2022 से उद्धृत (कोट)/प्रदर्शित की जा रही हैं। इस संबंध में, जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निर्देशों के प्रासंगिक अनुभागों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया। इसके अलावा, बचत खाता खोलने की पात्रता के संबंध में कुछ निर्देशों को भी अधिक स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया।
30 सितंबर 2022	एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अपर लेयर में सोलह एनबीएफसी की एक सूची 30 सितंबर 2022 को जारी की गई।
10 अक्टूबर 2022	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) को उधारकर्ताओं से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद रेटिंग कार्रवाई पर जारी प्रेस विज्ञप्ति (पीआर) में बैंकों के नाम और उनके द्वारा रेट की गई संबंधित क्रेडिट सुविधाओं का खुलासा करना आवश्यक है। इस संबंध में उधारकर्ताओं से असहयोग को हतोत्साहित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि सीआरए द्वारा उपर्युक्त प्रकटीकरण के बिना कोई बैंक ऋण रेटिंग बैंकों द्वारा पूंजी गणना के योग्य नहीं होगी।
11 अक्टूबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> बाजार निर्माताओं के रूप में एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) की भूमिका को मजबूत करने के लिए, प्राथमिक व्यापारी कारोबार संचालित करने वाले बैंकों के समान, एसपीडी को सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, जो वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत डीलरों के लिए अनुमत है, बशर्ते वे कि विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के अधीन हों। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए, भिन्नताओं के प्रकटीकरण की सीमा को संशोधित कर कम कर दिया है और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी लागू किया गया है। एक 'समूह' में सभी एनबीएफसी की कुल आस्ति के समेकन के लिए एक परिपत्र जारी किया गया ताकि स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत मध्य स्तर में एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए सीमा तय की जा सके। बैंकों को स्पष्टता प्रदान करने और अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीई) पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा और समेकित करने के लिए, यूएफसीई निर्देश जारी किए गए थे, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुए। प्रमुख परिवर्तन, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल हैं: (ए) यूएफसीई दिशानिर्देशों से फैक्ट्रिंग लेनदेन की छूट; और (बी) छोटी संस्थाओं के लिए सीमा में वृद्धि। 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा' समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं और एआरसी के कुशल कामकाज को बाधित करने वाली कुछ समस्याओं को ठीक करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ (i) अभिशासन को बढ़ाने; (ii) पर्यवेक्षी चिंताओं का समाधान; (iii) एआरसी की प्रभावितता में वृद्धि; और (iv) विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को मजबूत करना, शामिल थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 अक्टूबर 2022	यह निर्णय लिया गया कि गारंटियों को लागू करने से संबंधित दावों के संबंध में, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से किसी बैंक को प्राप्त राशि और संबंधित अग्रिमों से उसका लंबित समायोजन, सीआरआर और एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना के उद्देश्य हेतु बाह्य देयता न माना जाए।
1 नवंबर 2022	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के वाले आरआरबी के लिए संशोधित पात्रता मानदंड जारी किए गए।
23 नवंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> यह स्पष्ट किया गया कि एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी गई ओवरनाइट शेष राशि चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए 'उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए)-स्तर-1' के रूप में पात्र होगी। एमएसएमई को नकदी प्रवाह-आधारित उधार देने की सुविधा के लिए, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को खाता एग्रीगेटर ढांचे के तहत एक वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में शामिल किया गया। राजस्व विभाग, भारत सरकार, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीएसटीएन का विनियामक होगा और दो जीएसटी विवरणियाँ, फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, को वित्तीय जानकारी के रूप में शामिल किया गया है।
1 दिसंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> 19 जुलाई 2022 को, रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया, जिसके तहत उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से अलग-अलग विनियामक निर्देशों के साथ एक सरल चार-स्तरीय दृष्टिकोण (अप्रोच) अपनाया गया। तदनुसार, विनियमों को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया: (i) टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी की नई परिभाषा वाला एक परिपत्र जारी किया गया जिसे सभी विनियामक उद्देश्यों के लिए पिछले निर्देशों (6 मई 2009) के अधिक्रमण में अपनाया जाएगा; (ii) वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंड को संशोधित किया गया ताकि उन्हें और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके और उन्हें, मूल्यांकित वित्तीय स्थितियों और रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट अथवा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ, जो भी नवीनतम हो, के निष्कर्षों पर आधारित स्व-मूल्यांकन के आधार पर यूसीबी द्वारा अपनाया जा सकता है; (iii) यूसीबी के सभी स्तरों के लिए शर्तों के अधीन न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता और निवल मूल्य की आवश्यकता के साथ-साथ टीयर-1 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन भंडार को शामिल करने की अनुमति भी निर्धारित की गई थी। यूसीबी जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें सुचारु संक्रमण की सुविधा के लिए सरल-मार्ग प्रदान किया गया है। वित्तीय उत्पादों में काम करने वाले भारतीय बैंकों/ एआईएफआई के लिए एक ढांचा, जिसमें संरचित वित्तीय उत्पाद शामिल हैं, गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी सहित विदेशी अधिकार-क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में परिचालन की रही उनकी शाखाओं/ सहायक कंपनियों के माध्यम से लागू किया गया है। तदनुसार, भारतीय बैंकों की शाखाएँ/ सहायक संस्थाएँ/ विदेशी अधिकार-क्षेत्र में कार्यरत एआईएफआई या आईएफएससी, कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वित्तीय उत्पादों का कारोबार कर सकते हैं, जिसमें संरचित वित्तीय उत्पाद शामिल हैं, जो घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं हैं या जो रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत नहीं हैं।
5 दिसंबर 2022	न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी), एसआर के मूल्यांकन, एआरसी को दबावग्रस्त ऋण का हस्तांतरण और उधारदाताओं के क्रेडिट/निवेश एक्सपोजर से संबंधित प्रावधानों के लिए 'ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण' पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 'आर्थिक हित' शब्द को अब स्पष्ट रूप से - 'जोखिम और प्रतिलाभ, जो ऋण एक्सपोजर अवधि के दौरान ऋण एक्सपोजर से उत्पन्न हो सकते हैं - के रूप में परिभाषित किया गया है।
13 दिसंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> परिपत्र - "साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्ररूप और अन्य विनियामक उपाय" - ने स्पष्ट किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) / राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के साथ दाखिल किए गए मामले को भी क्रेडिट संस्थाओं (सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को वाद-दाखिल (सूट-फाइल्ड) मामलों के तहत रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। सीआई, 28 फरवरी 2023 तक परिपत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय विवरणों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे, खाता टिप्पणी में उल्लिखित इस तरह के सभी मदों का विवरण प्रकट करें जहाँ कहीं भी, अनुसूची 5(IV) - अन्य देयताएं और प्रावधान - "अन्य (प्रावधानों सहित)" या अनुसूची 11(VI) - अन्य आस्तियाँ - "अन्य" के तहत कोई मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
2 जनवरी 2023	एक प्रेस प्रकाशनी जारी कर सूचित किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को एक ही बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में चिह्नित किया जाना जारी है।
9 जनवरी 2023	पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए बैंकों के दावों की जोखिम भारिता के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक संशोधित सूची जारी की गई।
16 जनवरी 2023	26 नवंबर 2021 को एक प्रेस प्रकाशनी प्रकाशित की गई थी जिसमें, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से, 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, जहां आवश्यक हो) को - इस अधिसूचना के साथ कि अनुदेशों/परिपत्रों/मास्टर निदेशों/अनुज्ञप्ति दिशानिर्देशों में परिणामी संशोधन यथासमय किए जाएँ - प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, 16 जनवरी 2023 को प्रमुख शेयरधारकों के लिए एक मास्टर निदेश (एमडी) और दिशानिर्देश (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग कंपनियों में शेयरधारिता और मतदान के अधिकार से संबंधित तीन मास्टर निदेशों (एमडी) को एकीकृत किया गया था। एमडी/दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए बड़े बदलावों में शेयरधारकों के विभिन्न श्रेणियों द्वारा अनुमेय शेयरधारिता की सीमा में अद्यतन, प्रमोटर द्वारा शेयरों की भारिता के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शुरुआत, और एक बैंकिंग कंपनी के प्रमुख शेयरधारक की 'उचित और युक्त' स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।
14 फरवरी 2023	2 सितंबर 2022 को जारी 'डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश' के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया था।
17 फरवरी 2023	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरबीबीबी) के शासन, मापन और प्रबंधन पर दिशानिर्देश वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए थे, जिसमें उनसे आईआरआरबीबी जोखिम के मापन, निगरानी और प्रकटीकरण अपेक्षित था ताकि अत्यधिक आईआरआरबीबी उनके वर्तमान पूँजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा न कर सके। दिशानिर्देश बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी संशोधित ढांचे के अनुरूप थे।
20 फरवरी 2023	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021, ('मास्टर निदेश') 30 अगस्त 2021 को जारी किए गए, जो शुरू में सभी वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू किया गया था, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एक साथ 'ग्रामीण सहकारी बैंक' या 'आरसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू किया गया। मास्टर निदेश, दिनांक 30 अगस्त 2021, बैंकों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, यथा - वित्तीय विवरणियों की तैयारी पर निदेश, लेखांकन मानकों के अनुपालन पर विनियामक स्पष्टीकरण, कुछ लेखांकन प्रथाओं पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, और लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकटीकरण। मास्टर निदेश अब ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) तक विस्तारित कर दिया गया है और इसलिए, बैंकिंग क्षेत्र में अपनायी जाने वाली लेखांकन और प्रकटीकरण प्रथाओं में तुलनीयता सुनिश्चित करता है। मास्टर निदेशों में उल्लिखित कुछ प्रकटीकरण अपेक्षाओं को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इनमें आरसीबी की मौजूदा प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक हैं। अप्राप्त प्रबंधन शुल्क पर विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए, एआरसी को इंड-एस (भारतीय लेखा मानक) के अनुसार अपनी वित्तीय विवरणियां तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें पूँजी पर्याप्तता अनुपात और लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि की गणना करते समय अपने निवल स्वामित्व वाले फंड से निर्धारित राशि को कम करना आवश्यक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 मार्च 2023	अबू धाबी कमर्शियल बैंक पीजेएससी, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उल्लिखित अर्थ में, एक बैंकिंग कंपनी नहीं रह गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है।
28 मार्च 2023	सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को जारी किए गए 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा - निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' से संबंधित अनुदेशों को 31 मार्च 2023 से प्रभावी किया गया।
फिनटेक विभाग	
2 सितंबर 2022	भारत में ग्रामीण वित्त का डिजिटलीकरण - रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र द्वारा विकसित <i>किसान</i> क्रेडिट कार्ड और (केसीसी) ऋण के लिए पायलट।
7 अक्टूबर 2022	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर अवधारणा नोट जारी करना।
12 अक्टूबर 2022	अंतर-परिचालनीय विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई।
31 अक्टूबर 2022	सीबीडीसी-थोक (eख़-आर) पायलट का परिचालन।
29 नवंबर 2022	सीबीडीसी-खुदरा (eख़-आर) पायलट का परिचालन।
पर्यवेक्षण विभाग	
11 अप्रैल 2022	आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जिनमें <i>अन्य बातों के साथ-साथ</i> एक स्वतंत्र अनुपालन कार्य, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) शामिल थे। एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल को परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया।
19 सितंबर 2022	आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी ⁸ में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जिनमें <i>अन्य बातों के साथ-साथ</i> , एक स्वतंत्र अनुपालन कार्य, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) शामिल थे। टीयर 4 और टीयर 3 यूसीबी को परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
23 मई 2022	भारतीय रिजर्व बैंक से विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की जांच और समीक्षा के लिए आरई में ग्राहक सेवा मानकों समीक्षा करने और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता और ग्राहक सुरक्षा में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्री बी पी कानूनगो) का गठन किया गया था।
5 अगस्त 2022	आरबीआईओएस, 2021 के तहत कवर किए गए विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों की क्रेडिट सूचना से संबंधित शिकायतों के त्वरित और लागत-मुक्त वैकल्पिक शिकायत निवारण हेतु अवसर प्रदान करने के लिए, सीआईसी को 1 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में लाया गया है।

⁸ शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर रिजर्व बैंक की 19 जुलाई 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसके अनुसार यूसीबी को विनियामक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार स्तरों (टीयर) में वर्गीकृत किया गया है: **टीयर 1** - सभी यूनिट यूसीबी और वेतन अर्जक यूसीबी (जमा आकार के बावजूद), और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास ₹100 करोड़ तक की जमाराशि है; **टीयर 2** - ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक जमाराशि वाले यूसीबी; **टीयर 3** - ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमाराशि वाले यूसीबी; और **टीयर 4** - ₹10,000 करोड़ से अधिक जमाराशि वाले यूसीबी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अक्तूबर 2022	सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक (साख सूचना कंपनियां - आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2022 का अनुपालन करना होगा। सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर आंतरिक लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और यह सीआईसी द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज की गई उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करता है।
2 नवंबर 2022	रिजर्व बैंक ने आरई के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आबादी के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया। इस अभियान को बेहतर रूप से जनजुड़ाव के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया गया था। आरबी-आईओएस, 2021 के तहत ग्राहक अधिकारों, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण ढांचे पर जानकारी पर जोर देते हुए, अभियान में क्या करें और क्या न करें, सुरक्षा उपायों और रोकथाम को शामिल करते हुए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा पर जागरूकता को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया।
23 जनवरी 2023	बैंकों के साथ तत्कालीन लॉकर समझौते को नवीनीकृत करने में ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बैंकों के सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए मौजूदा समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को एक वर्ष बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया, जिसमें मध्यवर्ती मानक के रूप में 50 प्रतिशत को 30 जून 2023 तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों के साथ स्टाम्प पेपर, फ्रैंकिंग, समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग आदि की व्यवस्था करके नए/पूरक स्टाम्पयुक्त करारों के निष्पादन की सुविधा प्रदान करें और निष्पादित करार की एक प्रति ग्राहक को प्रदान करें। करार निष्पादन न होने के कारण 1 जनवरी 2023 से जिन लॉकरों का परिचालन अवरुद्ध कर दिया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
31 मार्च 2022	2022-23 की पहली छमाही (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ तय की गई।
1 अप्रैल 2022	राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की डबल्यूएमए की सीमा और ओवरड्राफ्ट (ओडी) की समय सीमा 'राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम' पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) की सिफारिश के अनुसार तय की गई, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। तदनुसार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डबल्यूएमए की सीमा ₹47,010 करोड़ निर्धारित की गई थी। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं और एक तिमाही में अधिकतम 36 दिनों तक ओडी में रह सकते हैं।
29 सितंबर 2022	2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2022 से मार्च 2023) के लिए भारत सरकार की डबल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ तय की गई।
6 जनवरी 2023	भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2022-23 के दौरान ₹16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए पहली बार सॉवरैन हरित बॉण्ड जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर जारी किया।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
1 जुलाई 2022	महात्मा गांधी (नई) शृंखला, 2016 के आरंभ की पृष्ठभूमि में, नोट छंटाई मशीनों पर लागू प्रमाणीकरण और उपयुक्तता सॉफ्टिंग मापदंडों की समीक्षा की गई और सभी बैंकों को संशोधित दिशानिर्देशों की सूची जारी की गई।
21 सितंबर 2022	दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हिंदी और अंग्रेजी में ऑडियो सूचना द्वारा भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान में सहायता करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मनी) ऐप अब 11 अन्य भाषाओं (यथा असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में बैंकनोट के मूल्यवर्ग की सूचना देने सक्षम है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
8 अप्रैल 2022	रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर लचीलापन और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण शुरू करने की घोषणा की, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अधिशासन तंत्र शामिल है।
19 मई 2022	यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके ग्राहक प्रमाणीकरण के साथ एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विट्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
26 मई 2022	भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया गया।
8 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने रुपये क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की सुविधा प्रदान करके यूपीआई में संवर्धन की घोषणा की।
9 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने सब्सिडी राशि बढ़ाने, सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बनाने आदि के लिए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) की समीक्षा की।
16 जून 2022	आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मेनडेट ढांचे को संशोधित किया गया था, जिसमें प्रमाणीकरण (एएफए) के अतिरिक्त कारक (एएफए) के बिना, बाद के लेनदेन के लिए सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया।
17 जून 2022	दिसंबर 2025 तक की अवधि में भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रोडमैप को रेखांकित करते हुए भुगतान विजन 2025 का विमोचन किया गया था।
1 जुलाई 2022	भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क करने के लिए अनुवर्ती अभ्यास पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें बीस अन्य देशों की तुलना में भुगतान परिदृश्य में भारत की स्थिति के साथ-साथ विभिन्न संकेतकों के तहत पिछले अभ्यास के बाद से हुई प्रगति को शामिल किया गया था।
4 जुलाई 2022	गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के नियंत्रण के अधिग्रहण/ अभिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/ हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए।
28 जुलाई 2022	<ul style="list-style-type: none"> रिज़र्व बैंक में आवेदन के प्राधिकार हेतु ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (17 मार्च 2020 तक मौजूद) के लिए एक और विंडो प्रदान की गई थी। ऐसे लेनदेन के लिए जहां कार्डधारक मैन्युअल रूप से कार्ड विवरण दर्ज करेगा, व्यापारियों या उनके पीए को निपटान या टी + 4 दिनों (जो भी पहले हो) तक कार्ड डेटा स्टोर करने की अनुमति दी गई थी और अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 31 जनवरी 2023 तक कार्ड डेटा स्टोर करने की अनुमति दी गई थी।
5 अगस्त 2022	रिज़र्व बैंक ने सीमा पार इनबाउंड बिल भुगतान को संसाधित करने की सुविधा के लिए बीबीपीएस को सक्षम करने की घोषणा की।
17 अगस्त 2022	जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए "भुगतान प्रणालियों में शुल्क" पर एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित किया गया था।
30 सितंबर 2022	रिज़र्व बैंक ने ऑफ़लाइन पीए को कवर करने के लिए ऑनलाइन पीए पर लागू मौजूदा नियमों का विस्तार करने की घोषणा की।
30 नवंबर 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान के साथ केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया।
7 दिसंबर 2022	<ul style="list-style-type: none"> रिज़र्व बैंक ने सिंगल-ब्लॉक-और-मल्टीपल-डेबिट के साथ प्रोसेसिंग मेनडेट की सुविधा के लिए यूपीआई में संवर्धन की घोषणा की। रिज़र्व बैंक ने सभी भुगतानों और संचय को शामिल करने के लिए बीबीपीएस के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 दिसंबर 2022	1 जनवरी 2023 से भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के दक्ष ⁹ प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन को अनिवार्य करने के लिए निदेश जारी किए गए।
8 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरडीएस) से संबंधित गतिविधियों के दायरे में संवृद्धि की घोषणा की, जैसे, बीमा सुविधा, द्वितीयक बाजार परिचालन आदि।
10 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने एनआरआई और विदेशी नागरिकों (जी20 देशों से) को भारत में अपने व्यापारी भुगतान [पीयर-टू-मर्चेन्ट (पी 2 एम)] के लिए यूपीआई तक पहुंच की अनुमति दी।
16 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक ने विदेशी अंशदान दाता विवरण को पाने के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी संदेशों को उन्नत किया और सदस्य बैंकों को एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों के माध्यम से बाहरी अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त दान को भारतीय स्टेट बैंक में नामित एफसीआरए खाते में भेजते समय आवश्यक दाता विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।
21 फरवरी 2023	भारत और सिंगापुर की फास्ट पेमेंट सिस्टम के बीच यूपीआई-पेनाव लिंकेज को चालू किया गया था।
6 मार्च 2023	रिज़र्व बैंक ने 6-12 मार्च 2023 के दौरान मनाए गए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' शुरू किया, जिसका विषय "डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (डिजिटल भुगतान को अपनाना और दूसरों को भी सिखाना है)।

⁹ रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली।

अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023¹

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
(ए) भारत सरकार (जीओआई)	
30 मई 2022	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए प्रति वर्ष ₹20,000 प्रति बच्चा का भत्ता वितरित किया जाता है, ताकि स्कूल की पूरी फीस, पुस्तकों और वर्दी, जूते और अन्य शैक्षणिक साधनों की लागत को कवर किया जा सके। यह योजना उन बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स योजना पर आधारित है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। 2022-23 के दौरान ₹7.89 करोड़ की राशि के साथ, इस योजना के तहत 3,945 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
30 जून 2022	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने ₹6062.45 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 'एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने (रैंप)' योजना शुरू की। रैंप योजना, एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड-19) की आघात-सहनीयता और रिकवरी मध्यक्षेपों का समर्थन करती है। रैंप योजना का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और अभिशासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, लंबित भुगतान और एमएसएमई के हरितकरण के मुद्दों को संबोधित करना है। सरकार ने वैश्विक बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए 'पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई)' योजना शुरू की।
17 अगस्त 2022	सरकार ने आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा को ₹50,000 करोड़ बढ़ाकर ₹4.5 लाख करोड़ से ₹5.0 लाख करोड़ करने को मंजूरी दी जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और संबंधित उद्यमों पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न गंभीर व्यवधानों के कारण की गई है।
28 सितंबर 2022	केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई- चरण VII) को अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया।
5 अक्टूबर 2022	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 3.0 के तहत एयरलाइनों के लिए अधिकतम ऋण राशि पात्रता को संदर्भ तिथियों की स्थिति में उनके निधि आधारित या गैर-निधि-आधारित ऋण बकाया का 100 प्रतिशत या ₹1,500 करोड़, जो भी कम हो, बढ़ाने के लिए ईसीएलजीएस में संशोधन किया; और उपरोक्त में से, धारकों द्वारा इक्विटी योगदान के आधार पर ₹500 करोड़ पर विचार किया जाएगा।
11 जनवरी 2023	केंद्र ने नई एकीकृत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्रता के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए सभी प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान किया गया।
ब. भारतीय रिजर्व बैंक	
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
28 जुलाई 2022	ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (17 मार्च 2020 तक मौजूद) के लिए प्राधिकरण हेतु रिजर्व बैंक में आवेदन करने के लिए एक और अवधि प्रदान की गई।

¹ यह सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों और रिजर्व बैंक के उपायों के विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, मार्च 2020 से मार्च 2021 के दौरान इस संबंध में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के घटनाक्रम की सूची को वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुबंध-II में शामिल किया गया था, जबकि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान की गति नीतिगत घोषणाओं को वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुबंध-II में शामिल किया गया था।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (% परिवर्तन) [*]	7.9	6.7	7.4	-5.8	9.1	7.0
I.2 आधार कीमत पर वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन) [*]	7.7	6.3	7.0	-4.2	8.8	6.6
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन) ^{***}	213.6	248.8	269.8	310.7	315.6	330.5
I.4 ए) खाद्य स्टाक (मिलियन टन) ^{&}	18.6	50.1	44.6	77.9	74.4	51.7
बी) खरीद (मिलियन टन)	39.3	61.3	66.5	99.1	107.2	77.2
सी) उठाव (मिलियन टन) ^{&&}	41.5	57.0	61.5	93.1	102.3	63.5
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन) [#]	11.2	4.6	4.0	-8.4	11.4	5.1
I.6 आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक (% परिवर्तन) [#]	5.9	4.9	4.3	-6.4	10.4	7.6
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान कीमतों पर जीएनडीआई का %)*	33.6	33.9	31.2	28.4	30.0	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान कीमतों में जीडीपी का %)*	35.2	38.0	33.1	27.9	31.4	-
II. मूल्य						
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	4.5	6.2	5.5	6.7
II.2 सीपीआई-औद्योगिक कामगार (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	4.9	5.0	5.1	6.1
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	1.3	1.3	13.0	9.4
III. मुद्रा और ऋण^{##}						
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	10.7	18.8	13.0	10.0
III.2 व्यापक मुद्रा (एम ₃) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	9.5	12.2	8.8	9.0
III.3 ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमा राशियां (% परिवर्तन)	20.2	15.0	9.5	11.4	8.9	9.6
बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण (% परिवर्तन)	26.7	16.7	9.6	5.6	9.6	15.0
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दरें (%)						
ए) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	6.7	3.4	3.3	5.4
बी) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.6	6.0	6.3	7.3
सी) 91-दिवसीय खजाना बिलों पर प्रतिफल	5.8	7.1	7.0	3.3	3.5	5.6
डी) केंद्र सरकार की उधारियों पर भारित औसत लागत	7.2	8.1	7.7	5.8	6.3	7.3
ई) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.8	4.2	4.3	6.3
एफ) जमा प्रमाणपत्र	8.9	8.2	7.5	4.3	4.1	6.4
IV.2 चलनिधि (₹. लाख करोड़)						
ए) एलएएफ बकाया [†]	-	-	-	4.1	5.9	1.3
बी) एमएसएस बकाया ^{††}	-	-	-	-	-	-
सी) मांग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
डी) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4
ई) परिवर्ती दर रिपो [†]	-	-	-	0.005	0.0	0.0
एफ) परिवर्ती दर रिवर्स रिपो [†]	-	-	-	0.0	2.8	0.0
जी) एमएसएफ [†]	-	-	-	0.001	0.0005	0.3
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %) [§]						
ए) राजस्व प्राप्तियां	10.0	9.2	8.6	8.2	9.2	8.6
बी) पूंजीगत परिव्यय	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.3
सी) कुल व्यय	14.9	15.0	12.8	17.7	16.2	15.4
डी) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.7	9.2	6.8	6.5
V.2 राज्य सरकार के वित्त ^{§§}						
ए) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.3	-0.1	0.1	1.9	0.4	0.6
बी) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.3	2.8	4.1	2.7	3.5
सी) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	1.2	2.1	0.5	1.4

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि-आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र[@]						
VI.1 भुगतान संतुलन						
ए) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	1.6	-7.5	44.8	9.4
बी) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	2.7	-16.6	55.3	24.3
सी) व्यापार संतुलन/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-6.2	-3.8	-6.0	-8.5
डी) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.8	4.7	4.8	5.8
ई) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.4	0.9	-1.2	-2.7
एफ) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.7	3.8	2.7	2.4	2.7	2.1
जी) रिज़र्व परिवर्तन [(बीओपी आधार पर) (बिलियन अमेरिकी \$)] [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-40.3	-6.6	-28.2	-87.3	-47.5	14.7
VI.2 बाह्य कर्ज संकेतक ^{@@}						
ए) बाह्य कर्ज स्टॉक (बिलियन अमेरिकी \$)	156.5	359.0	500.6	573.7	619.1	613.1
बी) कर्ज-जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	21.4	21.2	20.0	19.1
सी) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	10.3	17.4	11.8	9.3
डी) कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधिक कर्ज (%)	13.6	21.3	18.6	17.6	19.7	21.1
ई) कर्ज चुकोती अनुपात (%)	8.3	5.6	7.7	8.2	5.2	5.3
एफ) कर्ज की तुलना में रिज़र्व (%)	113.7	84.8	76.2	100.6	98.1	91.8
VI.3 उदारता संकेतक (%)						
ए) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	32.0	26.0	33.3	35.6
बी) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	43.7	38.1	46.0	50.5
सी) चालू प्राप्ति और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	49.4	44.3	51.9	57.0
डी) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	45.2	42.5	45.6	39.2
ई) चालू प्राप्ति एवं भुगतान और पूंजी प्राप्ति और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	94.6	86.7	97.6	96.2
VI.4 विनिमय दर संकेतक						
ए) विनिमय दर (रुपये/अमेरिकी \$)						
अवधि के अंत में	43.1	51.1	65.6	73.5	75.8	82.2
औसत	44.1	51.2	65.6	74.2	74.5	80.4
बी) 40-मुद्रा आरईआईआर (% परिवर्तन)	3.1 [^]	0.8	1.8	0.3	1.1	-1.8
सी) 40-मुद्रा एनईआईआर (% परिवर्तन)	1.7 [^]	-4.9	0.2	-4.2	-0.8	-2.0
डी) 6-मुद्रा आरईआईआर (% परिवर्तन)	5.7 [^]	2.3	2.0	-1.7	0.4	-0.2
ई) 6-मुद्रा एनईआईआर (% परिवर्तन)	2.6 [^]	-5.1	-1.1	-6.8	-1.6	-1.2

- : उपलब्ध नहीं/लागू नहीं।

* : आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष शृंखला पर आधारित हैं।

** : वर्ष 2022-23 के आंकड़े कृषि उत्पादन के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान हैं।

& : 2022-23 के आंकड़े 31 मार्च 2023 तक के हैं, जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।

&& : 2022-23 के आंकड़े दिसंबर 2022 के अंत से संबंधित हैं और इसमें जून 2022 के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

: 2022-23 के आंकड़े अप्रैल 2022 - मार्च 2023 से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।

: 2022-23 के आंकड़े 24 मार्च 2023 तक के हैं।

~ : 31 मार्च को बाकाया।

~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।

\$: 2022-23 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं। जीडीपी संख्या में संशोधन के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित अनुपात से भिन्न हो सकते हैं।

\$\$: 2020-21 तक के आंकड़े विधानसभा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित हैं। 2021-22 और 2022-23 के आंकड़े 26 राज्यों/यूटी के लिए क्रमशः लेखा और संशोधित अनुमान हैं।

@ : 2022-23 के आंकड़े अप्रैल-दिसंबर 2022 से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।

@@ : 2022-23 के आंकड़े दिसंबर 2022 के अंत से संबंधित हैं।

^ : कॉलम 2 में दर्शाया गया आंकड़ा वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत है।

नोट : 1. 2022-23 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. औद्योगिक उत्पादन और आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक के लिए, कॉलम 2, 3 और 4 में दिए गए आंकड़े 2011-12 आधार वर्ष पर आधारित हैं।

3. वार्षिक आंकड़ों के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12=100 और औसत 5 वर्ष के मुद्रास्फीति के लिए 2004-05=100 है। अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार 2001=100 और सितंबर 2020 के बाद से 2016=100 है।

4. औसत दैनिक सरकारी प्रतिभूति बाजार के कुल कारोबार के लिए, एकमुश्त ट्रेडिंग टर्नओवर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (कैलेंडर दिवस पर आधारित) में होता है।

5. एलएएफ ऋणात्मक मान का अर्थ है अंतर्वर्धन।

6. 6- और 40-मुद्रा एनईआईआर/आरईआईआर सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2015-16=100 है। आरईआईआर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं।

स्रोत : आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), श्रम ब्यूरो तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना
(वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सेदारी		
	औसत 2015-16 से 2022-23	2020-21	2021-22	2022-23*	2020-21	2021-22	2022-23*
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यय पक्ष जीडीपी							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	6.0	-5.2	11.2	7.3	57.2	58.3	58.5
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	5.4	-0.9	6.6	1.2	10.8	10.6	10.0
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	6.7	-7.3	14.6	11.2	31.1	32.7	34.0
4. स्टॉक में परिवर्तन	72.4	-85.5	687.8	1.9	0.1	0.8	0.8
5. मूल्यवान वस्तुएँ	5.3	26.4	34.0	-14.8	1.5	1.9	1.5
6. निवल निर्यात	-40.1	38.8	39.6	-148.2	-2.3	-1.3	-2.9
ए) निर्यात	5.5	-9.1	29.3	11.5	18.7	22.1	23.1
बी) कम आयात	6.4	-13.7	21.8	18.8	21.0	23.4	26.0
7. विसंगतियाँ	-47.7	-49.7	-307.4	-35.0	1.6	-3.0	-1.8
8. सकल देशी उत्पाद	5.4	-5.8	9.1	7.0	100.0	100.0	100.0
आधार कीमतों पर जीवीए (आपूर्ति पक्ष)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	4.2	4.1	3.5	3.3	16.4	15.6	15.1
2. उद्योग	5.2	0.9	10.5	1.7	22.9	23.3	22.2
जिसमें से :							
ए) खनन और उत्खनन	1.6	-8.6	7.1	3.4	2.3	2.2	2.2
बी) विनिर्माण	5.7	2.9	11.1	0.6	18.3	18.7	17.7
सी) बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	6.3	-4.3	9.9	9.2	2.3	2.3	2.3
3. सेवाएँ	5.9	-7.9	9.6	9.3	60.7	61.2	62.7
जिसमें से:							
ए) निर्माण	5.1	-5.7	14.8	9.1	7.8	8.2	8.4
बी) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएँ	6.2	-19.7	13.8	14.2	17.0	17.8	19.1
सी) वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	6.1	2.1	4.7	6.9	23.3	22.5	22.5
डी) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	5.9	-7.6	9.7	7.1	12.6	12.7	12.8
4. आधार कीमतों पर जीवीए	5.4	-4.2	8.8	6.6	100.0	100.0	100.0

* : वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	31.3	29.1	28.4	30.0
I.1 गैर-वित्तीय निगम	10.7	10.4	10.4	10.6
I.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.3	1.4	1.2	1.3
I.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	9.4	9.0	9.2	9.3
I.2 वित्तीय निगम	1.8	2.6	2.6	2.5
I.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	0.9	1.5	1.4	1.5
I.2.2 निजी वित्तीय निगम	0.9	1.0	1.2	1.0
I.3 सामान्य सरकार	-1.4	-2.7	-6.6	-2.7
I.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	20.0	18.8	22.0	19.6
I.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.8	7.6	11.3	7.6
मेमो: सकल वित्तीय बचत	11.8	11.4	15.2	11.0
I.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	12.0	11.0	10.5	11.7
I.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.2	0.2	0.2	0.3

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

नोट: हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत: एनएसओ।

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय)	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	5.9	5.4	6.8	6.5	5.6	6.4	6.2	5.5	6.7
खाद्य और पेय	7.1	3.9	6.8	7.7	4.7	6.5	7.3	4.2	6.7
आवास	3.3	3.7	4.3	3.3	3.7	4.3
ईंधन और बिजली	0.3	10.0	9.6	7.1	13.4	11.6	2.7	11.3	10.3
विविध	5.7	6.6	5.9	7.5	6.8	6.6	6.6	6.7	6.3
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	5.5	6.7	6.3	5.6	5.4	5.9	5.5	6.0	6.1
अन्य मूल्य सूचकांक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)									
सभी पण्य वस्तुएँ	1.3	-3.7	1.7	2.9	4.3	1.7	1.3	13.0	9.4
प्राथमिक वस्तुएँ	2.2	-0.4	3.4	1.4	2.7	6.8	1.7	10.2	10.0
जिनमें से : खाद्य वस्तुएँ	5.6	2.6	4.0	2.1	0.3	8.4	3.2	4.1	7.3
ईंधन और ऊर्जा	-6.1	-19.7	-0.3	8.2	11.5	-1.8	-8.0	32.5	28.1
विनिर्मित उत्पाद	2.6	-1.8	1.3	2.7	3.7	0.3	2.8	11.1	5.6
खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद	2.7	-1.8	-0.1	3.0	4.2	-0.4	2.2	11.0	5.8
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)#	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	7.5	5.0	5.1	6.1
जिनमें से : सीपीआई- आईडब्ल्यू खाद्यान्न	6.5	6.1	4.4	1.5	0.6	7.4	5.8	4.7	6.1
3. सीपीआई - कृषि श्रमिक (1986-87=100)	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	5.5	4.0	6.8
4. सीपीआई - ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	5.5	4.2	7.0
मुद्रा और ऋण									
	2014-15	2015-16	2016-17^	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23^^
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4	18.8	13.0	10.0
संचलन में मुद्रा	11.3	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.8	7.8
आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.4	18.5
मुद्रा - जीडीपी अनुपात ^s	11.6	12.1	8.7	10.7	11.3	12.2	14.4	13.4	12.7
संकीर्ण मुद्रा (एम₁)	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6	11.2	16.2	10.7	6.8
व्यापक मुद्रा (एम₃)	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9	12.2	8.8	9.0
मुद्रा - जमा अनुपात	15.2	16.0	11.0	14.4	15.4	16.3	17.2	17.4	17.3
मुद्रा गुणांक	5.5	5.3	6.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.0	5.2
जीडीपी-एम ₃ अनुपात ^s	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियाँ	10.7	9.3	11.3	6.2	10.0	7.9	11.4	8.9	9.6
बैंक ऋण	9.0	10.9	4.5	10.0	13.3	6.1	5.6	9.6	15.0
खाद्येतर ऋण	9.3	10.9	5.2	10.2	13.4	6.1	5.5	9.7	15.4
ऋण- जमा अनुपात	76.6	77.7	72.9	75.5	77.7	76.4	72.4	72.2	75.8
ऋण- जीडीपी अनुपात ^s	52.4	52.6	50.9	50.5	51.7	51.6	55.2	50.7	51.5

.... : आवास के लिए ग्रामीण सीपीआई को समेकित नहीं किया गया है।

^ : 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से अधिक, आरएम और इसके घटकों को छोड़कर।

^^ : कालम 10 के आंकड़े 24 मार्च 2023 से संबंधित हैं।

\$: 2011-12 के बाद से जीडीपी के आंकड़े नई श्रृंखला यानी आधार: 2011-12 पर आधारित हैं। जीडीपी मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी को संदर्भित करता है।

* : प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया गया।

नोट: 1. आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को दर्शाते हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार वर्ष 2012=100 है जबकि अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार वर्ष 2001=100 और सितंबर 2020 से 2016=100 है।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजी बाजार - प्राथमिक एवं द्वितीयक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22		2022-23 (पी)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
ए. सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	192	1,50,483.6	271	54,486.7
ए) वित्तीय	36	24,477.4	45	13,631.5
बी) गैर-वित्तीय	156	1,26,006.3	226	40,855.2
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी+सी)	1	20,557.2
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	20,557.2
बी) सरकारी कंपनियाँ
सी) बैंक/वित्तीय संस्थाएं
3. कुल (1+2, i+ii, ए+बी)	192	1,50,483.6	272	75,043.9
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	164	1,38,894.2	238	65,823.3
(ii) कर्ज	28	11,589.4	34	9,220.6
निर्गमकर्ता के प्रकार				
(ए) आईपीओ	120	1,12,552.5	164	54,772.4
(बी) सूचीबद्ध/एनसीडी	72	37,931.2	108	20,271.5
बी. यूरो निर्गम (एडीआर एवं जीडीआर)
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (ए+ बी)	1,323	4,09,475.1	1,404	4,74,443.2
ए) वित्तीय	1,055	3,01,948.8	1,140	3,72,798.9
बी) गैर-वित्तीय	268	1,07,526.3	264	1,01,644.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+ बी)	170	2,22,751.6	250	4,08,383.0
ए) वित्तीय	110	1,63,336.2	174	3,39,494.2
बी) गैर-वित्तीय	60	59,415.4	76	68,888.8
3. कुल (1+2, i+ii)	1,493	6,32,226.7	1,654	8,82,826.2
(i) इक्विटी	29	31,438.5	11	8,212.3
(ii) कर्ज	1,464	6,00,788.2	1,643	8,74,613.9
डी. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन	29	31,438.5	11	8,212.3
ई. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल) [#]				
1. निजी क्षेत्र		1,48,286.9		15,983.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र		98,442.7		60,242.5
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई				
सेंसेक्स: समाप्ति-अवधि	58,568.5		58,991.5	
अवधि का औसत	55,774.6		58,307.5	
कीमत अर्जन अनुपात [@]	25.8		22.4	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	112.5		94.9	
नकदी खंड का कुल कारोबार		13,38,225.3		10,28,864.8
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		6,60,78,327.8		3,43,15,313.1
एनएसई				
निफ्टी 50: समाप्ति-अवधि	17,464.8		17,359.8	
अवधि का औसत	16,662.7		17,335.9	
कीमत अर्जन अनुपात [@]	22.9		20.4	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	111.5		94.2	
नकदी खंड का कुल कारोबार		1,65,66,257.4		1,33,05,073.4
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		1,69,52,33,134.5		3,82,23,26,468.1

...: शून्य अ: अनंतिम (2022-23 के लिए) #: निवल मोचन @: अवधि के अंत में

^: इसमें अधिमाम्य आबंटन शामिल नहीं है।

*: 2022-23 के लिए जीडीपी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।

नोट: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई, विभिन्न वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ [@]	बकाया देयताएँ [#]
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.5
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.5	49.6
2019-20	1.6	3.3	0.3	4.6	51.4	52.6
2020-21	5.7	7.3	3.9	9.2	61.6	62.8
2021-22	3.3	4.4	1.0	6.8	58.4	60.1
2022-23 (सं.अ.) [#]	3.0	4.1	0.6	6.5	56.6	58.0
2023-24 (ब.अ.)	2.3	2.9	-0.7	5.9	56.6	57.8
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.8	0.1	-1.6	2.4	25.3	25.3
2019-20	0.9	0.6	-1.1	2.6	26.7	26.7
2020-21	2.1	1.9	-0.1	4.1	31.1	31.1
2021-22	0.5	0.4	-1.7	2.7
2022-23 (सं.अ.)	1.4	0.6	-1.5	3.5
2023-24 (ब.अ.)	1.1	0.2	-1.9	3.2

... : उपलब्ध नहीं सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

\$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, वर्ष 2022-23 (सं.अ.) के लिए उपयोग की जाने वाली जीडीपी नवीनतम उपलब्ध द्वितीय अग्रिम अनुमान है। इसे देखते हुए, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक केंद्रीय बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए राजकोषीय संकेतकों से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

* : 2020-21 तक के आंकड़े विधानसभा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित हैं। 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आंकड़े 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्रमशः लेखा, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान हैं।

नोट : 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष का सूचक है।

2. इस सारणी में प्रयुक्त जीडीपी आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं, जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं।

3. कॉलम 6 और 7 संबंधित वर्षों के मार्च के अंत तक के बकाया आंकड़े हैं।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, सरकारी कर्ज संबंधी स्थिति पत्र और लोक ऋण प्रबंधन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्रामियों और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	4,516	5,041	5,411	6,353	7,453	8,009
1.1 विकासात्मक	2,635	2,883	3,074	3,823	4,489	4,762
1.1.1 राजस्व	2,029	2,224	2,447	3,150	3,445	3,537
1.1.2 पूंजी	519	597	588	550	964	1,145
1.1.3 ऋण	87	62	40	123	81	80
1.2 विकासेतर	1,812	2,078	2,253	2,443	2,864	3,140
1.2.1 राजस्व	1,741	1,966	2,110	2,272	2,654	2,928
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	815	895	956	1,061	1,244	1,409
1.2.2 पूंजी	69	111	141	169	178	210
1.2.3 ऋण	2	1	2	2	32	2
1.3 अन्य	68	80	83	87	100	107
2 कुल प्रामियाँ	4,528	5,023	5,734	6,397	7,193	7,945
2.1 राजस्व प्रामियाँ	3,376	3,798	3,852	3,688	4,894	5,497
2.1.1 कर प्रामियाँ	2,978	3,279	3,232	3,193	4,026	4,551
2.1.1.1 पण्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,854	2,030	2,013	2,076	2,609	2,904
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1,121	1,246	1,216	1,115	1,414	1,643
2.1.1.3 केंद्र शासित प्रदेश (बिना विधान-मण्डल के) के कर	3	3	3	3	4	4
2.1.2 कर से इतर प्रामियाँ	398	519	620	495	868	946
2.1.2.1 ब्याज प्रामियाँ	34	36	31	33	40	47
2.2 कर्जेतर पूंजी प्रामियाँ	142	140	110	65	118	91
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	42	45	60	17	33	20
2.2.2 विनिवेश प्रामियाँ	100	96	51	48	85	71
3 सकल राजकोषीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	997	1,103	1,449	2,600	2,441	2,421
3ए वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	989	1,097	1,441	2,530	2,422	2,401
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	145	387	572	890	627
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	-145	326	190	107	351
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	844	710	869	1,640	1,794	2,401
3ए.2 बाह्य वित्तपोषण	8	6	9	70	20	19
3बी वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	989	1,097	1,441	2,530	2,422	2,401
3बी.1.1 बाजार उधार (निवल)	795	796	971	1,696	1,377	1,808
3बी.1.2 लघु बचत (निवल)	71	89	209	459	566	399
3बी.1.3 राज्य भविष्य निधियाँ (निवल)	42	51	38	41	45	45
3बी.1.4 आरक्षित निधियाँ	18	-18	10	5	-2	6
3बी.1.5 जमा राशि और अग्रिम	25	66	-14	26	33	34
3बी.1.6 नकदी शेष	-12	17	-323	-44	260	64
3बी.1.7 अन्य	50	96	549	348	142	46
3बी.2 बाह्य वित्तपोषण	8	6	9	70	20	19
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	26.4	26.7	26.9	32.0	31.8	31.0
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्रामियाँ	26.5	26.6	28.5	32.3	30.6	30.8
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रामियाँ	19.8	20.1	19.2	18.6	20.9	21.3
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्रामियाँ	17.4	17.3	16.1	16.1	17.2	17.6
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	5.8	5.8	7.2	13.1	10.4	9.4

...: उपलब्ध नहीं सं.अ.- संशोधित अनुमान ब.अ.- बजट अनुमान

नोट : 1. जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं।

2. सभी राज्यों द्वारा अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद सामान्य सरकारी राजकोषीय आंकड़ों का संशोधन किया जाएगा और उन्हें आरबीआई द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन- 'राज्य वित्त : बजट अध्ययन' के माध्यम से सारणीबद्ध, समेकित और प्रसारित किया जाता है।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पी)
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	3,37,237	3,20,431	2,96,300	4,29,164	3,40,322
2 आयात, सी.आई.एफ.	5,17,519	4,77,937	3,98,452	6,18,623	5,54,341
3 व्यापार संतुलन	-1,80,283	-1,57,506	-1,02,152	-1,89,459	-2,14,018
4 अदृश्य मदें, निवल	1,23,026	1,32,850	1,26,065	1,50,694	1,46,937
ए) 'गैर कारक' सेवाएँ जिसमें से:	81,941	84,922	88,565	1,07,516	1,04,218
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	77,654	84,643	89,741	1,09,540	96,914
बी) आय	-28,861	-27,281	-35,960	-37,269	-33,395
सी) निजी अंतरण	70,601	76,217	74,439	81,230	76,696
5. चालू खाता शेष	-57,256	-24,656	23,912	-38,766	-67,081
बी. पूंजी खाता					
1. विदेशी निवेश, निवल (ए+बी)	30,094	44,417	80,092	21,809	18,190
ए) प्रत्यक्ष निवेश	30,712	43,013	43,955	38,587	21,678
बी) संविभाग निवेश	-618	1,403	36,137	-16,777	-3,488
2 बाह्य सहायता, निवल	3,413	3,751	11,167	5,366	3,803
3 वाणिज्यिक उधारियाँ, निवल	10,416	22,960	-134	8,135	-5,584
4 अल्पावधि क्रेडिट, निवल	2,021	-1,026	-4,130	20,105	8,123
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	7,433	-5,315	-21,067	6,669	25,030
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	10,387	8,627	7,364	3,234	5,408
6 रुपया कर्ज सेवाएँ	-31	-69	-64	-71	-61
7 अन्य पूंजी, निवल ⁸	1,057	18,462	-2,143	23,794	3,994
8 कुल पूंजी खाता	54,403	83,180	63,721	85,807	53,495
सी. भूल-चूक	-486	974	-347	459	-1,129
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	-3,339	59,498	87,286	47,501	-14,715
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+जी)	3,339	-59,498	-87,286	-47,501	14,715
एफ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. आरक्षित निधियाँ और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी+)	3,339	-59,498	-87,286	-47,501	14,715
जिसमें से: एसडीआर आबंटन	0	0	0	-17,862	0
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-6.7	-5.6	-3.8	-6.0	-8.5
2. निवल सेवाएं	3.0	3.0	3.3	3.4	4.1
3. निवल आय	-1.1	-1.0	-1.3	-1.2	-1.3
4. चालू खाता शेष	-2.1	-0.9	0.9	-1.2	-2.7
5. पूंजी खाता, निवल	2.0	2.9	2.4	2.7	2.1
6. विदेशी निवेश, निवल	1.1	1.6	3.0	0.7	0.7

पी : डेटा अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2022 से संबंधित हैं।

& : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियाँ और एफडीआई के अंतर्गत शेयरों के अग्रिम प्राप्त लंबित मामलों

नोट : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोने तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों से भिन्न हैं, जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत : आरबीआई

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पी)
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	44.4	50.0	59.6	58.8	46.0
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	16.2	14.7	17.4	15.9	17.2
मॉरीशस	8.1	8.2	5.6	9.4	6.1
यूएस	3.1	4.1	13.8	10.5	6.0
संयुक्त अरब अमीरात	0.9	0.3	4.2	1.0	3.4
नीदरलैंड	3.9	6.5	2.8	4.6	2.5
जापान	3.0	3.2	1.9	1.5	1.8
यूके	1.4	1.3	2.0	1.6	1.7
साइप्रस	0.3	0.9	0.4	0.2	1.3
कनाडा	0.6	0.2	0.0	0.5	0.8
केमैन द्वीप	1.0	3.7	2.8	3.8	0.8
जर्मनी	0.9	0.5	0.7	0.7	0.5
लक्समबर्ग	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
स्विट्ज़रलैंड	0.3	0.2	0.2	4.3	0.4
फ्रांस	0.4	1.9	1.3	0.3	0.4
दक्षिण कोरिया	1.0	0.8	0.4	0.3	0.3
अन्य	3.1	3.2	5.7	3.4	2.3
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9.6	9.6	9.3	16.3	11.3
वित्तीय सेवाएँ	7.2	5.7	3.5	4.7	6.8
कम्प्यूटर सेवाएँ	3.7	5.1	23.8	9.0	5.6
फुटकर व थोक व्यापार	4.9	5.1	3.9	5.1	5.3
संचार सेवाएँ	6.5	7.8	2.9	6.4	4.5
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, संवितरण एवं संचरण	2.6	2.8	1.3	2.2	3.3
कारोबार सेवाएँ	2.8	3.8	1.8	2.5	2.0
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	0.9	0.8	1.3	3.6	1.9
परिवहन	1.2	2.4	7.9	3.3	1.7
निर्माण	2.3	2.0	1.8	3.2	1.4
विविध सेवाएँ	1.4	1.1	0.9	1.0	1.2
रेस्तरां व होटल	0.8	2.7	0.3	0.7	0.2
खनन	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2
स्थावर-संपदा गतिविधियाँ	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1
व्यापार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5

पी: डेटा अनंतिम है।

नोट: अनुमोदन, स्वचालित और मौजूदा शेयरों से अधिग्रहण के माध्यम से आने वाली एफडीआई शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
जंग बहादुर सिंह, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा ऐक्मे पैक्स एंड प्रिंट्स (इं) प्रा. लिमि., ए-विंग, गाला नं. 73, विरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगाँव-पूर्व, मुंबई-400 063 में मुद्रित।

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road,
Fort, Mumbai – 400 001 and Printed at ACME Packs & Prints (I) Pvt. Ltd.,
A Wing, Gala No.73, Virwani Industrial Estate, Goregaon - East, Mumbai - 400 063.